सिंडिकेटबैंक
SyndicateBank
विश्वसनीय. मैत्रीपूर्ण
Faithful. Friendly
भारत सरकार का उपक्रम A Govt. of India Undertaking

प्रधान कार्यालय: मणिपाल – 576 104
Head Office: Manipal – 576 104

विषय सूची CONTENTS

वार्षिक रिपोर्ट Annual Report 2009 – 2010

	पृष्ठ Page
• अध्यक्ष का वक्तव्य Chairman's Statement	3
• सूचना Notice	7
• निदेशकों की रिपोर्ट Directors' Report	13
• नैगम अभिशासन पर रिपोर्ट Report on Corporate Governance	56
• बासेल – II प्रकटीकरण – मार्च 2010 Basel II Disclosures – March 2010	88
• लेखा-परीक्षकों का प्रतिवेदन Auditors' Report	98
• तुलन-पत्र Balance Sheet	100
• लाभ व हानि लेखा P & L Account	101
• लेखों की अनुसूचियाँ Schedules to Accounts	102
• महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ Significant Accounting Policies	108
• लेखा संबंधी टिप्पणियाँ Notes on Accounts	113
• नकदी प्रवाह विवरण Cash Flow Statement	126
• समेकित तुलन-पत्र Consolidated Balance Sheet	130
• सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड SyndBank Services Limited	158
• ईसीएस संबंधी परिपत्र Circular regarding ECS	174
• प्रॉक्सी फार्म Proxy Form	177
• फार्म 2बी Form 2B	179
• उपस्थिति पर्ची Attendance Slip	181
• ई.सी.एस. केन्द्रों की सूची List of E.C.S. Centres	186

निदेशक मंडल
BOARD OF DIRECTORS

बसंत सेठ
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

Basant Seth
Chairman & Managing Director

वी. के. नागर, *कार्यपालक निदेशक*	**V. K. Nagar,** *Executive Director*
आर. रामचंद्रन, *कार्यपालक निदेशक*	**R. Ramachandran,** *Executive Director*
के. सीतारामु, *निदेशक*	**K. Seetharamu,** *Director*
रमेश एल. अडिगे, *निदेशक*	**Ramesh L. Adige,** *Director*
एम. भास्कर राव, *निदेशक*	**M. Bhaskara Rao,** *Director*
एआर. नागप्पन, *निदेशक*	**AR Nagappan,** *Director*
भूपिन्दर सिंह सूरी, *निदेशक*	**Bhupinder Singh Suri,** *Director*

लेखा-परीक्षक	Auditors
मेसर्स निर्मल जैन एण्ड कंपनी	M/s Nirmal Jain & Co.
मेसर्स एन. सी. मित्रा एण्ड कंपनी	M/s N. C. Mitra & Co.
मेसर्स प्रकाश चंद्र जैन एण्ड कंपनी	M/s Prakash Chandra Jain & Co.
मेसर्स जैन एण्ड एसोसिएट्स	M/s Jain & Associates
मेसर्स एस. सोनी एसोसिएट्स	M/s S. Sonny Associates
मेसर्स आर. वेन्दर गुप्ता एण्ड एसोसिएट्स	M/s R. Vender Gupta & Associates

रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट	Registrars & Share Transfer Agents
मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर (प्रा) लिमिटेड	M/s Karvy Computershare (P) Ltd.
यूनिट: सिंडिकेटबैंक	Unit: SyndicateBank
प्लॉट सं.17 से 24	Plot No. 17 to 24
विट्ठलराव नगर, माधापुर	Vithalrao Nagar, Madhapur
हैदराबाद – 500 081	Hyderabad – 500 081
दूरभाष: 04044655000 विस्तार: 116 या 040 44655116 (सीधा)	Ph.: 040 44655000-Extn: 116 or 040 44655116 (D)
फैक्स: 040 23420814	Fax: 040 23420814

अध्यक्ष का वक्तव्य

प्रिय शेयरधारकों,

मुझे आपके समक्ष राजकोषीय वर्ष 2009-10 के दौरान आपके बैंक के परिणाम को प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

आर्थिक एवं बैंकिंग परिदृश्य

मैं आपके समक्ष उभरने वाले समष्टि आर्थिक परिदृश्य के साथ साझेदारी करना चाहता हूँ जिसका असर बैंकिंग उद्योग के निष्पादन पर पड़ा है।

वैश्विक अर्थव्यवस्था जितनी अपेक्षा थी उससे भी अधिक तेजी से उबर रही है परंतु अलग-अलग अर्थव्यवस्थाओं में इसकी गति भिन्न-भिन्न है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के पूर्वानुमान के अनुसार वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2009 के दौरान जो कमी (-0.6%) आई की उसे इस वर्ष 4.2% बढ़ने का तथा वर्ष 2011 के दौरान 4.3% बढ़ने का अनुमान है।

केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन (सीएसओ) अग्रिम आकलन के अनुसार भारत के समग्र सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2009-10 के दौरान 7.2 से 7.5% तक वृद्धि होने की उम्मीद है जो वर्ष 2008-09 के 6.7% से अधिक है। देश के कई हिस्सों में कम बारिश होने के कारण कृषि उत्पादन में कमी आई और बेहतर वसूली न हो सका। आर्थिक गतिविधियों में गिरावट होने के कारण बैंक ऋणों की माँग में भी कमी आई। गिरावट का एक दूसरा असर ऋणों की गुणवत्ता पर भी पड़ा और बैंकिंग क्षेत्र में इसका असर बकाया राशियों में बढ़ोत्तरी और आस्तियाँ की पुन: संरचना के रूप में पड़ा।

समग्र रूप से देश का आर्थिक परिदृश्य आशा से ओत-प्रोत है जबकि वैश्विक अर्थव्यवस्था के उबरने की गति धीमी है और देश में मुद्रास्फीति भी है, फिर भी, सबकी राय यह है कि हमारा विकास तीव्र गति से होगा।

वर्ष 2009-10 के दौरान बैंक का निष्पादन

1. वैश्विक कारोबार के मामले में बैंक ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है और वर्ष 2009-10 दौरान कुल कारोबार रु. 2,08,476 करोड़ हो गया है, जिसमें जमाराशियाँ रु. 1,17,026 करोड़ और आग्रिम रु. 91,450 करोड़ हो गया है।
2. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम के मामले में वर्ष 2009-10 के दौरान बैंक ने 19.55% की वृद्धि दर्ज कराई है जो समायोजित निवल बैंक ऋण का 45.88% है जबकि अधिदेशात्मक अपेक्षा 40% की ही है। कृषि को दिए जाने वाले ऋण में 22% की वृद्धि हुई है जो समायोजित निवल बैंक ऋण (ए.एन.बी.सी.) का 18.42% है जबकि अधिदेशात्मक अपेक्षा 18% की ही है।
3. कुल आय वर्ष 2008-09 के रु. 10,440 करोड़ से बढ़कर 2009-10 को रु. 11,215 करोड़ हो गई है।
4. बैंक का परिचालन लाभ वर्ष 2008-09 के रु. 1671 करोड़ की तुलना में 2009-10 को बढ़कर रु. 1,873 करोड़ हो गया है और उसमें 12% की वृद्धि दर्ज की गई है। निवल लाभ में वर्ष 2008-09 के रु. 913 करोड़ की तुलना में कमी हुई है और वह 2009-10 को रु. 813 करोड़ हो गई है और इसका कारण उच्चतर प्रावधानीकरण, कराधान तथा वेतन बकाया है।
5. प्रति शेयर बही मूल्य में सुधार हुआ है और वह पिछले वर्ष के रु. 95.98 से रु. 107.80 हो गया है।

निदेशक मंडल ने 31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लिए 30% के लाभांश का प्रस्ताव रखा है।

CHAIRMAN'S STATEMENT

Dear Shareholders,

I have pleasure in placing before you the results posted by your Bank for the fiscal year 2009-10.

ECONOMIC AND BANKING SCENARIO

I would like to share with you the emerging macro-economic scenario which would have a bearing on the banking industry's performance.

The global recovery is proceeding better than expected, but in varying degrees in different economies. As per IMF's projection, Global GDP, which declined by (–0.6%) in 2009, is estimated to grow at 4.2% this year and at 4.3% in 2011.

The overall growth in India's GDP for 2009-10 is estimated to be in the range of 7.2 to 7.5%, up from 6.7% recorded in 2008-09 as per the advance estimates of Central Statistical Organization (CSO). The recovery could have been better but for lower agricultural output on account of deficit rainfall in many parts of the country. The slowdown in economic activity resulted in lower demand for bank credit. Another impact of the slow down was stress in the quality of credit due to which the banking sector witnessed rising levels of delinquencies and restructured assets.

Overall, the economic outlook for the country looks promising and while there may be concerns around the slow pace of global recovery and inflation at home, there is unanimity in the view that we are poised to grow at a faster pace.

BANK'S PERFORMANCE DURING 2009-10

1. Global Business crossed a new milestone and grew to Rs.2,08,476 crore in 2009-10 with deposits at Rs.1,17,026 crore and advances at Rs.91,450 crore.
2. Priority Sector Advances registered a growth of 19.55% during 2009-10 and constituted 45.88% to the Adjusted Net Bank Credit against the mandatory requirement of 40%. Credit to Agriculture increased by 22% and constituted 18.42% of Adjusted Net Bank Credit (ANBC) as against the mandatory requirement of 18%.
3. Total income rose to Rs.11,215 crore in 2009-10 from Rs.10,440 crore in 2008-09.
4. Operating Profit of the Bank grew by 12% to Rs.1,873 crore in 2009-10 up from Rs.1,671 crore in 2008-09. Net Profit however, declined to Rs.813 crore in 2009-10 from Rs.913 crore in 2008-09 due to higher provisioning for NPAs, taxation and wage arrears.
5. Book value per share improved to Rs.107.80 from Rs.95.98 last year.

The Board of Directors have proposed a dividend of 30% for the year ended 31st March 2010.

बैंक की महत्त्वपूर्ण रणनीतिक पहल

बैंक ने देश भर में ई-स्टैम्प वेन्डिंग के लिए स्टॉक होल्डिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

बैंक ने पेमेण्ट गेटवे सेवाएं नामक एक महत्त्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत की है जिसके तहत ग्राहक सेवाओं/उत्पादों की खरीद ऑनलाइन कर सकते हैं और इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा अपने बैंक के खाते से भुगतान कर सकते हैं।

बैंक का प्रस्ताव अपने द्वारा प्रायोजित सभी 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की सभी 1,328 शाखाओं को सीबीएस के दायरे में लाना है ताकि परिचालन के मामले एकरूपता हो सके।

अपने 85वें परिचालन वर्ष के सिलसिले में बैंक ने 85 नई शाखाएं और विस्तार काउंटर खोले हैं और उनमें से ज्यादा टियर 3 से टियर 6 वाले केन्द्रों में तथा बैंक रहित जिलों में खोले गए हैं। बैंक ने बेहतर नियंत्रण और निगरानी के लिए 2 नये क्षेत्रीय कार्यालय नामत:, गुवाहाटी (असम) तथा मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश) में खोले हैं। कुल शाखाओं की संख्या 2,308 है, जिनमें से एक शाखा लंदन में है। सभी देशी शाखाएं सीबीएस से जुड़ गई हैं।

विभिन्न उत्पादों और सेवाओं के कारण कई क्षेत्रों में बैंक की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में अभिवृद्धि हुई है और प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों के मामले में हम अग्रणी हैं।

नैगम सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर)

बैंक अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वाह भी पूर्ण रूप से कर रहा है। इसके लिए उसने कई लोकोपकारी कार्यों में जोरदार भागीदारी की है, नामत:, 'ऐला' साइक्लोन से पीड़ितों की मदद करके जिसमें पश्चिम बंगाल के कई द्विपीय गाँव बह गए थे, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत उपाय किए गए। मुंबई की आतंकवादी घटना में हुए शहीदों को श्रद्धांजलि के रूप में दूरदर्शन कार्यक्रम को प्रायोजित करके, नेत्रहीन और शारीरिक दृष्टि से विकलांग बच्चों को कंप्यूटर/साफ्टवेयर प्रदान करके, गरीब ग्रामीणों के लिए कार्नियल ट्रांसप्लान्टेशन सर्जरी कैम्पों का आयोजन करके, ओल्ड एज होम की मदद, बाल कल्याण योजनाओं का प्रायोजन, विधवाओं को सिलाई मशीन प्रदान करना, शारीरिक रूप से विकलांगों को ट्राइसिकिल प्रदान करना, रूडसेटी के माध्यम से उद्यमिता विकास कार्यक्रमों का आयोजन और गाँवों में कृषि एक्सटेन्शन कार्यक्रमों का आयोजन जैसे कार्य शामिल हैं।

अगली मंजिल

वर्ष 2010-11 के दौरान अल्प लागतवाली जमा, आस्ति की गुणवत्ता में सुधार, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र और कमजोर वर्गों को ऋण, अनर्जक आस्तियों के स्तर को कम करना, शुल्क आधारित आय को बढ़ाना तथा हाउस कीपिंग को चुस्त-दुरुस्त करने जैसे महत्त्वपूर्ण कार्यों की तरफ पूर्ण रूप से ध्यान केन्द्रित करना है।

आपके बैंक ने वित्तीय समावेशन का चयन एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में किया है और उसने इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु प्रौद्योगिकी आधारित शाखा रहित कारोबारी करेस्पांडेंट मॉडल को अंगीकार किया है। बैंक ने वित्तीय समावेशन के तहत मार्च 2012 तक 1,620 शाखाओं को लाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को एक योजना प्रस्तुत की है।

BANK'S KEY STRATEGIC INITIATIVES

The Bank has signed a memorandum of Agreement with Stock Holding Corporation of India Ltd. for e-Stamp vending across the country.

The Bank has embarked upon an ambitious project of providing Payment Gateway services, whereby the customers can purchase products / services online and make payment from their accounts with the Bank, via Internet Banking.

The Bank proposes to bring all the 5 sponsored RRBs with 1,328 branches under CBS, which shall bring in uniformity in the functioning and ease of operations.

In its 85th year of operations, the Bank opened 85 new branches and Extension Counters, a good number of them in Tier 3 to Tier 6 centres and under-banked districts. The Bank also opened 2 new Regional Offices i.e. at Guwahati (Assam) and Moradabad (UP) for better control and monitoring. The total network of the branches stood at 2,308 branches including one branch at London. All the domestic branches are networked under CBS.

The Bank has built competencies in other areas as well by offering a range of products and services and by taking lead in Priority Sector Advances.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

The Bank has been fulfilling its social responsibilities by actively participating in activities aimed at taking up humanitarian causes like helping the victims of the cyclone 'AILA' that washed away several island villages in West Bengal, Relief measures for the flood-effected in AP and Karnataka, sponsoring a Doordarshan program to pay homage to the martyrs of terrorist attack in Mumbai, donating computers/software to visually and physically challenged children, sponsoring corneal transplantation surgery camps for the rural poor, helping old-age-homes, sponsoring child welfare schemes and donating sewing machines to widows and tricycles to physically challenged persons, conducting entrepreneurial development programmes through RUDSETIs and organizing agricultural extension programmes in villages.

THE ROAD AHEAD

During the year 2010-11 the focus will be on increasing share of Low Cost Deposits, improvement in asset quality, lending to priority sector & weaker sections, reducing NPA level, increasing fee based income and improving housekeeping.

Your Bank has chosen Financial Inclusion as a thrust area and has adopted Technology based Business Correspondent Model of branchless banking to achieve the objective. The Bank has already submitted a plan to RBI to cover 1,620 villages under Financial Inclusion by March 2012.

बैंक के मानव संसाधन का दर्शन स्वीकरण के चिंतन पर आधारित है और वह प्रत्येक कर्मचारी की अंदरूनी संभाव्यताओं को प्रशिक्षण, ज्ञान को अद्यतन करके तथा कौशल को धारदार बनाकर उसे कार्य की आवश्यकताओं में हो रहे नित्यप्रति परिवर्तनों और गत्यात्मकता की दृष्टि से निखारकर सामर्थ्यवान बनाना है। नैतिक मूल्यों और पारदर्शिता के साथ किसी प्रकार का समझौता किए बगैर कारोबारी लक्ष्यों को पूरा करना ही आनेवाले वर्षों की प्राथमिकता है।

आपका बैंक सभी पणधारियों के मूल्य में वृद्धि करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए वह कार्य के मामले में उच्चस्तरीय व्यावसायिक मानकों का प्रयोग करेगा पर उसकी नजर के मूल में आम आदमी होगा जिसे सर्वोत्तम बैंकिंग सुविधाएं उसकी पहुँच के अंदर उपलब्ध कराई जाएंगी।

मुझे पक्का विश्वास है कि इस अंदरूनी ताकत और क्षमता के बलबूते आपका बैंक कामयाबी की एक नई ऊँची मंज़िल को हासिल करेगा।

आभार

मैं इस अवसर पर निदेशक मंडल के सदस्यों, भारत सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक के उनके बहुमूल्य सहयोग एवं मार्गदर्शन के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। शेयरधारकों ने हममें जो आस्था एवं विश्वास व्यक्त किया है उसके लिए मैं सभी शेयरधारकों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। मैं अपने सभी ग्राहकों को उनके निरंतर सहयोग एवं समर्थन के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं इस संस्था को मजबूत एवं गुंजायमान संगठन बनाने के लिए अपने स्टॉफ सदस्यों की प्रशंसा करता हूँ तथा उनकी प्रतिबद्धता, समर्पण और मूल्यवान योगदान को अभिलेखित करता हूँ।

सादर,

आपका

(बसंत सेठ)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : मणिपाल
दिनांक : 27-05-2010

The H R Philosophy of the Bank revolves around recognition and enhancing the inherent human potential in every employee through training, updating knowledge and sharpening of skills to meet the ever changing and dynamic job requirements. Combining business goals without compromising on ethics and transparency will be the priority in the coming years.

Your bank is committed to enhancing value for all stake holders through adherence to the highest standards of professionalism in work keeping at the core of its vision the 'Aam Aadmi', for providing the best banking solutions at affordable price.

I am sure that with its inherent strength and resilience, your Bank will be able to propel itself to the next level of growth.

ACKNOWLEDGEMENT

I would like to take this opportunity to thank the members of the Board, the Government of India and the Reserve Bank of India for their valuable support and guidance. I thank all our shareholders for the confidence and faith they have reposed in us. I thank all our customers for their continued co-operation and support. I would also like to place on record my appreciation of the dedication, commitment and valuable contribution of our staff members in building a stronger and vibrant organization.

With regards,

Yours sincerely

(Basant Seth)
Chairman & Managing Director

Place : Manipal
Date : 27-05-2010

वार्षिक आम बैठक/ANNUAL GENERAL MEETING

25 जून 2010–मणिपाल/25th June 2010–MANIPAL

घटनाओं का महत्वपूर्ण कैलेंडर/IMPORTANT CALENDAR OF EVENTS

प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा नियुक्त प्रॉक्सी फार्म एवं संकल्प प्राप्त होने की अंतिम तिथि Last date for receipt of proxy forms and resolutions appointing authorized representatives	21-06-2010 (सोमवार/Monday)
वार्षिक रिपोर्ट भेजने की तारीख Mailing of Annual Reports	27-05-2010 से/to 29-05-2010
बहियों का समापन Book Closure	18-06-2010 से/to 25-06-2010
वार्षिक आम बैठक की तारीख Date and time of Annual General Meeting	25-06-2010 (शुक्रवार) प्रात:11.30 बजे/ (Friday) 11.30 a.m.

पंजीयक एवं शेयर अंतरण एजेंट

मेसर्स. कार्वी कम्प्यूटर शेयर (प्रा.) लिमिटेड
यूनिट: सिंडिकेटबैंक
प्लाट सं. 17 से 24, विट्ठलराव नगर
माधापुर, हैदराबाद 500081
दूरभाष: 040 44655000 - विस्तार:116
या 040 44655116 (सीधा)
फैक्स सं.: 040 23420814

Registrars & Share Transfer Agents:

M/s Karvy Computershare (P) Ltd.
Unit: SyndicateBank
Plot No. 17 to 24, Vithalrao Nagar
Madhapur, Hyderabad 500081
Phone No. 040 44655000 – Extn.:116
or 040 44655116 (D)
Fax No. 040 23420814

सिंडिकेटबैंक SyndicateBank

विश्वसनीय. मैत्रीपूर्ण Faithful. Friendly

भारत सरकार का उपक्रम A Govt. of India Undertaking

सूचना

सूचना दी जाती है कि सिंडिकेट बैंक के शेयरधारकों की ग्यारहवीं वार्षिक आम बैठक शुक्रवार 25 जून 2010 को प्रात: 11.30 बजे से सिंडिकेट बैंक स्वर्ण जयंती सभाभवन, मणिपाल – 576 104, में निम्नलिखित कारोबार का संव्यवहार करने के लिए होगी:

1. 31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार बैंक के तुलन–पत्र और उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के संबंध में लाभ व हानि लेखा, लेखे से संबंधित अवधि के दौरान बैंक के कार्यचालन और उसकी गतिविधियों पर निदेशकों के प्रतिवेदन और तुलन–पत्र तथा लेखों पर लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन पर चर्चा करने, उसका अनुमोदन करने और अंगीकार करने के लिए ।

2. वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिए लाभांश की घोषणा करने के लिए।

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा

(बसंत सेठ)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : मणिपाल
दिनांक : 27-05-2010

NOTICE

NOTICE is hereby given that the Eleventh Annual General Meeting of the shareholder members of SyndicateBank will be held at SyndicateBank Golden Jubilee Auditorium, Manipal - 576 104 on Friday, the 25th June 2010 at 11.30 a.m. to transact the following business:

1. To discuss, approve and adopt, the Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2010 and the Profit & Loss Account of the Bank for the year ended on that date, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.

2. To declare dividend for the financial year 2009-10.

By Order of the Board of Directors

(Basant Seth)
Chairman and Managing Director

Place : MANIPAL
Date : 27-05-2010

नोट

(i) **प्रॉक्सी की नियुक्ति**

बैठक में भाग लेने एवं मतदान करने हेतु पात्र शेयरधारक सदस्य को अपने स्थान पर बैठक में भाग लेने तथा स्वयं को छोड़कर मतदान करने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करने का अधिकार है । प्रॉक्सी बैंक का शेयरधारक हो यह आवश्यक नहीं है। प्रॉक्सी की सूचना प्रभावी होने हेतु प्रॉक्सी फार्म वार्षिक आम बैठक प्रारंभ होने से कम से कम **चार दिन** पहले अर्थात् सोमवार 21 जून 2010 को कार्य समय समाप्त होने के समय या उससे पहले बैंक के प्रधान कार्यालय, मणिपाल में अवश्य प्राप्त हो जाना चाहिए ।

(ii) **प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति**

कोई भी ऐसा व्यक्ति किसी कंपनी अथवा किसी निकाय कारपोरेट, जो कि शेयरधारक है, के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में बैठक में उपस्थित होने अथवा मतदान करने का तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने विषयक संकल्प, जिस बैठक में वह पारित किया गया था उसके अध्यक्ष द्वारा सत्यापित प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित न हो, की प्रति सिंडिकेटबैंक, प्रधान कार्यालय, मणिपाल में, वार्षिक आम बैठक की तारीख से **चार दिन** पहले अर्थात् सोमवार, 21 जून 2010 को कार्य समय समाप्त होने के समय या उससे पहले जमा नहीं करता/करती है।

(iii) **उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र**

शेयरधारक सदस्यों की सुविधा के लिए उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र इस नोटिस के साथ संलग्न है । शेयरधारकों/प्रॉक्सीधारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे उसमें निर्धारित स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें और उसे बैठक स्थल पर सौंप दें । शेयरधारक के प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि को उपस्थिति पर्ची -सह-प्रवेश पत्र पर 'प्रॉक्सी' अथवा ''प्राधिकृत प्रतिनिधि'' जैसी भी स्थिति हो, का उल्लेख करना चाहिए ।

(iv) **वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां**

शेयरधारक सदस्यों को सूचित किया जाता है कि वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियाँ वार्षिक आम बैठक के स्थान पर वितरित नहीं की जाएंगी इसलिए शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियाँ अपने साथ लाएँ । वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियाँ पंजीकृत पते पर ड़ाक द्वारा भेज दी गई है ।

(v) **लेखा विषयक सूचना**

शेयरधारक यदि खाते के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं तो उनसे अनुरोध है कि बैंक को लिखें और उनके द्वारा माँगी गई जानकारी बैंक को कम से कम वार्षिक आम बैठक से एक सप्ताह पहले मिल जानी चाहिए ताकि प्रबंधक वर्ग सूचना तैयार करके रख सके। वार्षिक आम बैठक के समय उसके जवाब दिए जायेंगे ।

(vi) **बही बंदी**

वार्षिक आम बैठक के सिलसिले में और अंतिम लाभांश 2009-10 की पात्रता निर्धारित करने के लिए शेयरधारकों की पंजी और बैंक की

NOTES

(i) **APPOINTMENT OF PROXY**

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF/HERSELF AND SUCH A PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK. The Proxy form, in order to be effective, must be received by the Bank at its Head Office at Manipal not less than FOUR DAYS before the date of the Annual General Meeting i.e., on or before the closing hours of Monday, the 21st June 2010.

(ii) **APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE**

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a Company or any body corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been deposited at the Head Office of the Bank at Manipal not less than FOUR DAYS before the date of the Annual General Meeting, i.e., on or before the closing hours of Monday, the 21st June 2010.

(iii) **ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS**

For the convenience of the shareholders, Attendance Slip-Cum-Entry Pass is annexed to this notice. Shareholders/ Proxy holders/Authorised Representatives are requested to affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy/Authorized Representative of shareholders should state on the Attendance Slip-Cum-Entry Pass as "Proxy" or "Authorized Representative" as the case may be.

(iv) **COPIES OF ANNUAL REPORT**

Shareholder Members are advised that copies of the Annual Report will not be distributed at the venue of the Annual General Meeting and hence, the Members are requested to bring their copies of the Annual Report, which are mailed by the Bank to them at the registered addresses.

(v) **INFORMATION ON THE ACCOUNTS**

Shareholders seeking any information on the Accounts are requested to write to the Bank, which should reach the Bank atleast one week before the date of the Annual General Meeting to enable the Management to keep the information ready. Replies will be provided only at the Annual General Meeting.

(vi) **BOOK CLOSURE**

The Register of shareholders and the Share Transfer Register of the Bank will remain closed from Friday, the

शेयर अंतरण पंजी शुक्रवार, 18 जून 2010 से शुक्रवार, 25 जून 2010 तक (दोनों दिन शामिल हैं) बंद रहेंगी।

(vii) **लाभांश का भुगतान**

निदेशक मंडल द्वारा यथा प्रस्तावित अंतिम लाभांश का भुगतान उन शेयरधारकों को जिनके पास फिजिकल फार्म में शेयर हैं और जिनके नाम बैंक के शेयरधारक/ सदस्यों के रजिस्टर में शुक्रवार, 25 जून 2010 तक दर्ज हैं और बेकागजीकृत रूप के शेयरों के मामले में गुरुवार, 17 जून 2010 को कारोबार की समाप्ति के समय की स्थिति के अनुसार डिपाजिटरी द्वारा उपलब्ध की गई हिताधिकारी स्वामियों की सूची के अनुसार लाभांश वारंट वार्षिक आम बैठक की तारीख से 30 दिन के अंदर डाक से भेजे जाएंगे/जमा कर दिए जाएंगे।

(viii) **लाभांश हेतु बैंक अधिदेश या इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (ई सी एस)**

क) शेयरधारकों से अपेक्षित है कि वे जहाँ पर अपने लाभांश वारंटों को जमा कराना चाहते हों, उस बैंक का नाम, शाखा का नाम, स्थान एवं खाता संख्या का उल्लेख करें। ये सूचनाएं लाभांश वारंट के चेक हिस्से में शेयरधारक के नाम के साथ मुद्रित की जाएंगी ताकि लाभांश वारंट का कपटपूर्ण नकदीकरण कराने से बचा जा सके। इन विवरणों को प्रथम/एकमात्र धारक द्वारा फोलियो संख्या, धारित शेयरों की संख्या, धारिता संबंधी ब्यौरे आदि बताते हुए सीधे हैदराबाद स्थित रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेंट को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

ख) बैंक, विनिर्दिष्ट शहरों में रहनेवाले शेयरधारकों को ई.सी.एस. की सुविधा प्रदान कर रहा है। लाभांशों को जमा करवाने के लिए, शेयरधारक बैंक अधिदेश प्रणाली के बदले में इस सुविधा का भी उपयोग कर सकते हैं। विकल्प फार्म इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

ग) संप्रति ई.सी.एस. सुविधा, भा.रि.बैं. द्वारा अनुमोदित 81 केन्द्रों में प्रचलन में है। ई.सी.एस. केन्द्रों की सूची इस रिपोर्ट के साथ संलग्न की गयी है।

घ) बैंक के सभी शाखाओं को सी.बी.एस. (कोर बैंकिंग सोल्यूशन) के अंतर्गत लाया गया है। हमारे बैंक में खाता रखनेवाले निवेशकों से अनुरोध है कि वे अपनी 14 अंकोवाली बचत बैंक/चालू खाता/ओवरड्राफ्ट खाता संख्या प्रस्तुत करें ताकि लाभांश की रकम को सीधे खाते में जमा किया जा सके।

(ix) **अंतरण**

अंतरण विलेख के साथ शेयर प्रमाणपत्र अंतरण हेतु रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट को भेजे जाने चाहिए। मई 2009 से सेबी ने अंतरण विलेख के प्रस्तुतीकरण के समय अंतरिती द्वारा ''पैन कार्ड'' के ब्यौरे (पैन कार्ड की अनुप्रमाणित प्रति) प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया है।

18th June 2010 to Friday, the 25th June 2010 (both days inclusive), for the purpose of Annual General Meeting and for ascertaining the entitlement of dividend 2009-10.

(vii) **PAYMENT OF DIVIDEND**

Payment of dividend to shareholders, as proposed by the Board of Directors, shall be paid to those shareholders holding shares in physical form, whose names appear on the Register of Members/ Shareholders of the Bank as on Friday, the 25th June 2010 and in respect of shares held in dematerialised form, the dividend will be paid on the basis of beneficial ownership as per details to be furnished by the depositories as at the end of business on Thursday, the 17th June 2010. The dividend warrants shall be mailed / credited within 30 days from the date of Annual General Meeting.

(viii) **BANK MANDATE FOR DIVIDEND OR ELECTRONIC CLEARING SERVICE (ECS)**

a) The shareholders are required to furnish their Bank Account number, the name of the Bank and the Branch, where they would like to deposit the Dividend Warrants for encashment. These particulars will be printed on the cheque portion of Dividend Warrants, besides the name of the shareholders so as to avoid fraudulent encashment of warrants. These details should be furnished by the first/sole shareholder directly to the Registrar & Share Transfer Agent at Hyderabad, quoting the folio number, number of shares held, details of the holdings etc.

b) The Bank is also offering the facility of ECS for shareholders residing in specified cities. This facility could be used by the shareholder instead of Bank Mandate system for receiving the credit of dividend. Option Form is annexed to this Report.

c) The ECS facility is presently in operation at 81 Centres approved by RBI. List of ECS centres is annexed to this report.

d) All the branches of the Bank are in the CBS (Core Banking Solutions) fold. The investors, who maintain their accounts with our Bank, are requested to provide us their 14 digit Savings Bank/ Current/ Overdraft Account Number for direct credit of dividend to their accounts.

(ix) **TRANSFERS**

Share Certificates along with share transfer deeds should be forwarded to the Registrar and Share Transfer Agent for transfer. From May 2009, the SEBI has made submission of PAN Card details (attested copies of PAN Card) by the transferees' at the time of submission of transfer deeds.

(x) **पते में परिवर्तन**

क) **कागज़ी फॉर्म में शेयर रखना**

कागज़ी फॉर्म में शेयर रखनेवाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि अपना पंजीकृत पता, लाभांश अध्यादेश और बैंक, शाखा और बैंक खाता संख्या इत्यादि में परिवर्तन, यदि कोई हो, तो बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट को निम्नलिखित पते पर सूचित करें:

मेसर्स कार्वी कंप्यूटर शेयर (प्राइवेट) लिमिटेड
यूनिट: सिंडिकेटबैंक
प्लाट सं. 17 से 24
विट्ठलराव नगर, माधापुर
हैदराबाद – 500 081
दूरभाष सं.: 040 44655000 एक्स्टेंशन 116
या 040 44655116 (डी)
फैक्स सं. 040 23420814

यदि पते में परिवर्तन के लिए अनुरोध किया जाता है तो अनुरोध-पत्र के साथ पते का सबूत किया जाना चाहिए जैसे दूरभाष बिल की अनुप्रमाणित प्रति, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि ।

ख) **इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर रखना**

इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म अर्थात् डी-मैट खाते में शेयर रखनेवाले हिताधिकारी स्वामी के मामले में बैंक केवल उनके डिपॉसिटरी सहभागी (डी.पी.) के पास उपलब्ध ब्यौरे जैसे कि पता, लाभांश अधिदेश और बैंक, शाखा, बैंक खाता संख्या इत्यादि को ही गणना में लेगा ।

इसलिए हिताधिकारी स्वामियों से यह सुनिश्चित करने हेतु अनुरोध किया जाता है कि वे अपने डिपॉजिटरी सहभागी के पास अपना पता, बैंक संबंधी विवरण इत्यादि को विधिवत् अपलोड करवाएं ताकि वे तत्संबंधी संसूचना, वार्षिक रिपोर्ट, लाभांश इत्यादि को ठीक समय पर प्राप्त कर सकें ।

(xi) **बैंक के शेयरों का बेकागज़ी रूप में (डिमैट) अनिवार्य शेयर व्यापार**

भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा दिए गए दिशा निदेशों के अनुसरण में सभी निवेशकों के लिए हमारे बैंक के शेयरों का बेकागज़ी रूप में व्यापार 26 जून 2000 से अनिवार्य कर दिया गया है।

बैंक ने नेशनल सेक्यूरिटीज़ डिपोज़िटरी लिमिटेड (एन.एस.डी.एल.) और सेंट्रल डिपोज़िटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सी.डी.एस.एल.) से बैंक के शेयरों के बेकागज़ीकरण के लिए निर्गमकर्ता कंपनी के रूप में करार किया है।

बेकागज़ीकरण संबंधी अनुरोध संबंधित डिपोज़िटरी सहभागी के माध्यम से हमारे रजिस्ट्रार और शेयर ट्रॉन्सफर एजेन्ट को भेजे जाएं।

(xii) **बैंक द्वारा प्रदान की जानेवाली डी.पी. सेवाएं**

हमारे बैंक निम्नलिखित डी.पी. सेवाएँ प्रदान करता है:

1. बेकागजीकरण
2. पुन: कागजीकरण

(x) **CHANGE OF ADDRESS**

a) **Holding of shares in Physical Forms**

Shareholders holding shares in physical form are requested to intimate changes, if any, in their registered address, dividend mandate and the particulars of the Bank, Branch and Bank account number, etc., to the Registrar and Share Transfer Agent of the Bank at the following address:

M/s Karvy Computershare (P) Ltd.
Unit: SyndicateBank
Plot No. 17 to 24,
Vithal Rao Nagar, Madhapur
HYDERABAD – 500 081
Phone No. 040 44655000 – Extn.: 116
or 040 44655116 (D)
Fax No. 040 23420814

Request for change of address should be submitted alongwith address proof, such as attested copies of Telephone Bill, Passport, Voter ID Card, Ration Card, Driving License etc.

b) **Holding of shares in Electronic Form**

In case of Beneficial owners holding shares in Electronic Form i.e. through a Demat account, the Bank will take into consideration only the details like address, dividend mandate and the particulars of the Bank, Branch and Bank account number etc., available with their Depository Participant (DP).

BENEFICIAL OWNERS ARE, THEREFORE, REQUESTED TO ENSURE THAT THE ADDRESS, BANK DETAILS, ETC., ARE DULY UPLOADED WITH THEIR DEPOSITORY PARTICIPANTS SO THAT THEY MAY RECEIVE THE COMMUNICATION, ANNUAL REPORTS, DIVIDEND ETC., IN TIME.

(xi) **COMPULSORY TRADING OF SHARES OF THE BANK IN DEMATERIALISED (DEMAT) FORM**

Pursuant to the directive given by SEBI, trading of our Bank Shares in Dematerialized form has been made compulsory for all investors with effect from June 26, 2000.

The Bank has entered into an agreement with National Securities Depository Ltd. (NSDL) and Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL) as an issuer company for dematerialization of Bank's shares.

Request for dematerialization may be sent through respective depository participants to our Registrars and Share Transfer Agents.

(xii) **DP SERVICES OFFERED BY THE BANK**

Our Bank provides following DP Services:

1. Dematerialization.
2. Rematerialisation.

3. प्रतिभूतियों को इलेक्ट्रानिक फॉर्म में रखना
4. सुपुर्दगी द्वारा व्यापार का निपटान-ऑन मार्केट, ऑफ मार्केट और इंटर डेपोजिटरी ।
5. प्रतिभूतियों की गिरवी/गिरवी मुक्त करना
6. डीमैट खातों को जब्त करना/मुक्त करना

डी.पी. सेवाएं युक्त शाखाओं के ब्यौरे हमारे बैंक के वेबसाइट www.syndicatebank.in पर उपलब्ध हैं ।

(xiii) **फोलियो का समेकन**

एक ही नाम पर तथा उसी क्रम में विभिन्न फोलियों में शेयरधारण करनेवाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे ऐसे शेयरधारण के ब्यौरे शेयर अंतरण एजेंटों को प्रस्तुत करें ताकि वे उन शेयर पूंजियों को एक ही पूंजी के अंतर्गत समेकित कर सकें। इससे बैंक, शेयरधारकों को और अधिक कारगर ढंग से सेवा दे पायेगा।

(xvi) **अन्य सूचना**

शेयरधारक कृपया ध्यान दें कि बैठक में कोई उपहार/ कूपन वितरित नहीं किया जाएगा।

(xv) **निवेशक संबंध केन्द्र**

शेयरधारकों को शीघ्र और दक्षतापूर्ण सेवा उपलब्ध कराने के लिए सिंडिकेटबैंक ने अपने नैगम कार्यालय, बेंगलूर में निवेशक संपर्क विभाग खोला है। शेयरधारक और निवेशक किसी भी सहायता के लिए इस केन्द्र से निम्नलिखित पते पर संपर्क कर सकते हैं:

कंपनी सचिव
निवेशक संबंध केन्द्र
सिंडिकेटबैंक, नैगम कार्यालय
II क्रॉस, गांधीनगर, बेंगलूर- 560 009 (कर्नाटक)
दूरभाष: 080 - 22283030 फैक्स: 080 - 22283030
ईमेल: inrc@syndicatebank.co.in (सामान्य)
निवेशक की शिकायत : syndinvest@syndicatebank.co.in

3. Holding of securities in electronic form.
4. Settlement of trades by delivery - On market, off market and Inter-depository.
5. Pledge/Unpledge of securities.
6. Freezing/unfreezing of Demat Accounts.

Details of branches enabled for DP Services are available in our Bank's Website www.syndicatebank.in

(xiii) **CONSOLIDATION OF FOLIOS**

Shareholders holding shares in various folios with identical names and in same order are requested to furnish details of such holding to the Share Transfer Agents, to enable them to consolidate those holdings into a single holding. This will facilitate the Bank to service the shareholders more effectively.

(xiv) **OTHER INFORMATION**

Shareholders may kindly note that no gift/ coupon will be distributed at the meeting.

(xv) **INVESTOR RELATIONS CENTRE**

In order to facilitate quick and efficient service to the shareholders, Syndicate Bank has set up an Investor Relations Centre at its Corporate Office, Bengaluru. Shareholders may contact this Centre at the under mentioned address for any assistance-

The Company Secretary
Investor Relations Centre
SyndicateBank – Corporate Office
2[nd] Cross Gandhinagar
Bengaluru – 560 009 (Karnataka)
Tel 080 - 22283030, Fax - 080 - 22283030
E-mail: inrc@syndicatebank.co.in (General)
Investor Grievances: syndinvest@syndicatebank.co.in

स्थान : मणिपाल
दिनांक : 27-05-2010

(बसंत सेठ)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

Place : Manipal
Date : 27-05-2010

(Basant Seth)
Chairman and Managing Director

निदेशकों की रिपोर्ट

निदेशक मंडल 31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन के साथ लेखा परीक्षित तुलन-पत्र और 31 मार्च 2010 को समाप्त वित्तीय वर्ष का लाभ व हानि लेखा विवरण सहर्ष प्रस्तुत करता है ।

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण पत्र

वैश्विक अर्थव्यवस्था:

वैश्विक अर्थव्यवस्था चालू नीतिगत समर्थन और उभरती बाजार की वित्तीय परिस्थितियों के फलस्वरूप आशा से कहीं अधिक तेजी से वैश्विक संकट से उभर रही है। विशेषकर एशिया की उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाएं इस उभरने की प्रक्रिया का नेतृत्व कर रही हैं, जबकि विकसित देशों में इसकी विकास गति कम है । वैश्विक अर्थव्यवस्था को लगातार यू.एस. और यूरो क्षेत्र की 10% का उच्च बेरोजगारी स्तर जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई.एम.एफ.) ने अप्रैल 2010 के अपने अद्यतन वैश्विक आर्थिक आऊटलुक में प्रोजेक्ट किया है कि वैश्विक विकास जो 2009 में (-0.6%) उतार पर था वह 2010 में 4.2% की गति पकड़ेगी तथा वर्ष 2011 में यह बढ़कर 4.3% हो जाएगी ।

विकसित अर्थव्यवस्थाओं में संयुक्त राज्य का विकास यूरोप और जापान की तुलना में कहीं ज्यादा हुआ है। आई.एम.एफ. में प्रोजेक्ट किया है कि संयुक्त राज्य का सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2009 के (–2.4%) की गति से उभर कर वर्ष 2010 में 3.1% हो जाएगा। यूरो क्षेत्र में विकास वर्ष 2009 के (–4.1%) से बढ़कर वर्ष 2010 में 1.0% हो जाएगा । उभरती विश्व अर्थव्यवस्थाओं में चीन अपनी घरेलू माँग के कारण तेज गति से आगे बढ़ता रहेगा । चीन के लिए वर्ष 2010 के लिए विकास गति का पूर्वानुमान 10% और भारत के लिए भी 8.8% लगाया गया है । मलेशिया और थाईलैंड भी वर्ष 2009 के द्वितीयार्ध में विकास के क्षेत्र में सकारात्मक रुख दर्ज किए हैं। इण्डोनेशिया 2009 में पूरा वर्ष विकास के पथ पर रहा ।

वैश्विक स्तर पर मुद्रास्फीति की दर नवंबर 2009 से जनवरी 2010 के बीच ज्यादा रही। खाद्य पदार्थों, धातु और क्रूड तेल के दामों में कमी आने से मुद्रास्फीति की दर फरवरी 2010 में कम हुई तथा पुन: मार्च 2010 में कुछ प्रमुख देशों में यह बढ़ी। यद्यपि कई उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति की दर बढ़ती रही, जबकि भारत में अन्य उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में मुद्रास्फीति की दर बहुत ज्यादा रही ।

घरेलू अर्थव्यस्था:

भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह सुधार के मार्ग पर अग्रसर है । अक्तूबर 2009 से निर्यात बढ़ता जा रहा हैं और आशा की जाती है कि यह प्रवृत्ति बनी रहेगी । वर्ष 2009-10 के लिए सकल घरेलू उत्पाद का अग्रिम आकलन, जैसा कि केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन ने जारी किया है, के अनुसार जो वर्ष 2008-09 में 6.7% थी, की तुलना में वर्ष 2009-10 में 7.2 से 7.5% के बीच रहेगी । कृषि और उसकी सहायक गतिविधियों का समग्र विकास जो वर्ष 2008-09 में 1.6% था, की तुलना में वर्ष 2009-10 में घट कर (-0.2%) होगी, ऐसा अनुमान लगाया गया है । औद्योगिक क्षेत्र में आशा की जाती है कि वर्ष 2008-09 के 3.9% की तुलना में वर्ष 2009-10 में यह बढ़कर 8.2% हो जाएगी । इसी प्रकार सेवा क्षेत्र केलिए वर्ष 2009-10 में विकास का अनुमान 8.7% लगाया गया है ।

इस वर्ष सामान्य मानसून के होने और घरेलू तथा बाहरी बाजार में बढ़ती मांग के मद्देनज़र औद्योगिक तथा सेवा क्षेत्रों में अच्छा निष्पादन होने की संभावना

DIRECTORS' REPORT

The Board of Directors is pleased to present the Bank's Annual Report along with the Audited Balance Sheet as on 31st March 2010 and the Profit & Loss Account statement for the financial year ended 31st March 2010.

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

Global Economy

The global economy is recovering faster than expected from the global crisis amidst ongoing policy support and improving financial market conditions. The recovery process is led by EMEs, especially those in Asia, as growth remains weak in advanced economies. The global economy continues to face several challenges such as high levels of unemployment, which is close to 10% in the US and the Euro area. In its World Economic Outlook update for April 2010, the International Monetary Fund (IMF) has projected that global growth will recover from a decline of (– 0.6%) in 2009 to a growth of 4.2% in 2010 and a growth of 4.3% in 2011.

Among the advanced economies, the United States is off to a better start than Europe and Japan. IMF projected that US GDP growth will recover from (– 2.4%) in 2009 to 3.1% in 2010. Growth in Euro area will recover from (– 4.1%) in 2009 to 1.0% in 2010. Amongst EMEs, China continues to grow at a rapid pace, led mainly by domestic demand. China's growth is forecast at 10% in 2010, with India also at a rapid pace of 8.8%. Malaysia and Thailand have recovered to register positive growth in the second half of 2009. Indonesia recorded positive growth throughout 2009.

Global headline inflation rates rose between November 2009 and January 2010, softened in February 2010 on account of moderation of food, metal and crude prices and again rose marginally in some major economies in March 2010. Though inflation has started rising in several EMEs, India is a significant outlier with inflation rates much higher than in other EMEs.

Domestic Economy

The Indian economy is firmly on the recovery path. Exports have been expanding since October 2009, a trend that is expected to continue. As per the advance estimates of GDP for 2009-10, released by Central Statistical Organisation (CSO), the economy is expected to grow between 7.2 and 7.5% in 2009-10 as against 6.7% in 2008-09. The overall growth in agricultural and allied activities during 2009-10 is estimated to decline to (– 0.2%), as against a growth of 1.6% in 2008-09. The industrial sector is expected to grow at 8.2% in 2009-10 as against 3.9% in 2008-09. Services sector is estimated to grow at 8.7% in 2009-10.

On balance, under the assumption of a normal monsoon and sustenance of good performance of the industrial and services sectors on the back of rising domestic and

के मद्देनज़र वर्ष 2010-11 के लिए सकल घरेलू उत्पाद का बेस लाईन 8.0% ऊर्ध्वमुखी प्रोजेक्ट किया गया है ।

मौद्रिक विकास

थोक मूल्य सूचकांक की मुद्रास्फीति जो सुर्खियों में थी, वह 2009-10 की पहली छमाही में संयत हुई और वर्ष की दूसरी छमाही में स्थिर रही। यह अक्तूबर 2009 के 1.5% से बढ़कर मार्च 2010 को 9.9% तक पहुँच गई। घरेलू माँग, आपूर्ति शेष तथा पण्यमूल्यों के रूझान को देखते हुए थोक मूल्य सूचकांक के मुद्रास्फीति का मार्च 2011 के लिए आधारभूत पूर्वानुमान 5.5% लगाया गया है।

व्यापक मुद्रा (एम 3) (26 मार्च, 2010 तक) रु. 55,83,259 करोड़ रही और पिछले वर्ष की अनुरूपी अवधि के दौरान दर्ज की गई 19.3 की तुलना में इस वर्ष 16.7 रही। वर्ष 2009-10 के दौरान व्यापक मुद्रा भारतीय रिजर्व बैंक के इंगित पूर्वानुमान 16.5 से थोड़ा ऊपर रही। भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2010-11 के लिए व्यापक मुद्रा में वृद्धि का अनुमान 17% लगाया है।

बैंकिंग विकास:

अनुसूचित वणिज्यिक बैंकों की सकल जमाराशियों वर्षानुवर्ष के आधार पर 26 मार्च, 2010 को 17% की दर से बढ़कर रु. 44,86,574 करोड़ हो गई है जबकि पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में 19.9% दर्ज किया गया था। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की सावधि जमाराशियों में मार्च 26, 2010 को 16.2% की वृद्धि दर्ज की गई है जो तुलनात्मक दृष्टि से पिछले राजकोषीय वर्ष में 23.86% दर्ज की गई थी। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की सकल घरेलू जमाराशियों में राजकोषीय वर्ष 2010-11 के दौरान 18.0% वृद्धि होने का अनुमान है।

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के सकल बैंक ऋण में पिछले राजकोषीय वर्ष में हुई 17.5% की वृद्धि की तुलना में मार्च 26, 2010 को 16.7% की वृद्धि हुई है और वह रु. 32,40,399 करोड़ हो गई हैं। गैर खाद्य ऋणों में वर्षानुवर्ष के आधार पर मार्च 26, 2010 को 16.9% वृद्धि हुई और वह रु. 31,91,909 करोड़ हो गया है जबकि तदनुरूपी पिछले राजकोषीय वर्ष में यह वृद्धि 17.5% दर्ज की गई थी। वाणिज्यिक क्षेत्रों को दिए गए बैंक ऋणों के वर्षानुवर्ष के आधार पर मार्च 26, 2010 को 15.8% वृद्धि हुई है जो रु. 30,20,516 करोड़ हो गया है, जबकि पिछले वर्ष तदनुरूपी अवधि के दौरान वृद्धि दर 16.8% थी। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए गैर खाद्य ऋणों के मामले में वर्ष 2010-11 के लिए 20% की वृद्धि का पूर्वानुमान लगाया गया।

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की बैंचमार्क मूल आधार दर में जुलाई 2009 से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, मार्च और जून 2009 में आधार अंकों में 25-100 के रेंज में कटौती हुई है। ऋण कीमतों की यह आधार दर प्रणाली जुलाई 1,2010 से बीपीएलआर प्रणाली का स्थान ले लेगी। ऐसी उम्मीद है कि ऋणों का बेहतर मूल्य निर्धारण लाने में सुविधा होगी, उधार दरों की पारदर्शिता में बढ़ावा होगा तथा मौद्रिक नीति ट्रांसमिशन के मूल्यांकन में सुधार होगा।

बैंकिंग क्षेत्र के निवल विदेशी विनिमय आस्तियों (एन.एफ.ए.) में वर्षानुवर्ष के आधार पर मार्च 26, 2010 को गिरावट आई है (–5.3%) और रु. 12,73,042 करोड़ हो गया है जबकि तदनुरुपी पिछले राजकोषीय वर्ष में उसमें 3.6% की वृद्धि हुई थी।

बाह्य आर्थिक विकास

वर्ष 2009-10 की शुरुआत में निर्यात वृद्धि दर में गिरावट की गति देखी गई। भारत सरकार, वाणिज्य विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अप्रैल 2009

external demand, the baseline projection of real GDP growth for 2010-11 is placed at 8.0% with an upside bias.

Monetary Developments

The Headline WPI inflation, which moderated in the first half of 2009-10, firmed up in the second half of the year. It accelerated from 1.5% in October 2009 to 9.9% by March 2010. On balance, keeping in view domestic demand-supply balance and global trend in commodity prices, the baseline projection for WPI inflation for March 2011 is placed at 5.5%.

Broad Money (M3) stood at Rs.55,83,259 crore (up to March 26, 2010) registering a y-o-y growth rate of 16.7% as compared to the growth rate of 19.3% registered during the corresponding period of the previous year. The M3 growth during the 2009-10 was slightly above the Reserve Bank's indicative projection of 16.5%. The RBI's projection of M3 growth for 2010-11 is placed at 17%.

Banking Developments

Aggregate deposits of SCBs grew y-o-y by 17% to Rs.44,86,574 crore as at March 26, 2009 as compared to 19.9% registered during the corresponding period of the previous fiscal. The y-o-y growth of time deposits with SCBs as on March 26, 2010 was 16.2% as compared to 23.86% for the corresponding period of previous fiscal. The aggregate deposits of SCBs are projected to grow by 18.0% during the fiscal 2010-11.

Gross bank credit of SCBs grew y-o-y by 16.7% to Rs.32,40,399 crore as on March 26, 2010 as against 17.5% for the corresponding period of the previous fiscal. Non-food credit grew y-o-y by 16.9% to Rs.31,91,909 crore as at March 26, 2010 as compared to the growth rate of 17.5% registered during the corresponding period of the previous fiscal. Bank credit to commercial sector increased y-o-y by 15.8% to Rs.30,20,516 crore up to March 26, 2010 as against the growth rate of 16.8% during the corresponding period of the previous fiscal. The aggregate growth in non-food credit of SCBs is projected to grow by 20% for the year 2010-11.

The benchmark prime lending rates (BPLRs) of SCBs have remained unchanged since July 2009 following reductions in the range of 25-100 basis points between March and June 2009. The Base rate system of loan pricing, which will replace the BPLR system with effect from July 1, 2010, is expected to facilitate better pricing of loans, enhance transparency in lending rates and improve the assessment of monetary policy transmission.

Net Foreign Exchange Assets (NFA) of banking sector declined y-o-y by (– 5.3%) to Rs.12,73,042 crore as at March 26, 2010 as compared to the growth rate of 3.6% during the corresponding period of the previous fiscal.

External Economic Developments

The beginning of 2009-10 saw acceleration in the fall of export growth rate. As per the Department of Commerce GOI estimates, trade deficit for April 2009 to March 2010

से मार्च 2010 के बीच व्यापार घाटा का आकलन यू.एस.डी. 102.10 बिलियन किया गया जो अप्रैल 2008 मार्च 2009 के घाटे यू.एस.डी. 118.40 बिलियन से तुलनात्मक दृष्टि में कम है। वर्ष 2008-09 के यू.एस.डी. 185.2 बिलियन की तुलना में वर्ष 2009-10 के निर्यातों का संचयी मूल्य 176.5 बिलियन यूएसडी आकलित किया गया है जो (–4.7%) की कमी दर्शाता है। वर्ष 2008-2009 के संचयी आयात मूल्य यूएसडी 303.7 बिलियन डॉलर की तुलना में 2009-10 का कुल संचयी आयात मूल्य यूएसडी 278.7 बिलियन आकलित किया गया है जो (-8.2%) की कमी बताता है। निर्यातों की तुलना में आयातों में हुई कमी की दर की वजह से यह बात दर्ज हुई है कि व्यापार घाटा कम हो रहा है।

राजकोषीय वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधियाँ यूएसडी 27.1 बिलियन बढ़कर मार्च 2010 के अंत में यूएएसडी 279.1 हो गई है। पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान 10.4% के ह्रास की तुलना में छह मुद्रा व्यापार आधारित वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आर.ई.ई.आर.) (1993-94=100) में 2009-10 की फरवरी तक 15.5% की वृद्धि हुई है।

यूएस डालर की तुलना में सामान्यतया भारतीय रुपये में मजबूती का रुख देखा गया जिसका कारण पूंजी अंतर्प्रवाह और सकारात्मक वृद्धि का परिदृश्य रहा है। यूएस डालर के मुकाबले रुपये के मूल्य में 12.87% की वृद्धि हुई है जो 31 मार्च 2009 के प्रति यूएसडी 45.14 रुपये से बढ़कर 31 मार्च 2010 का प्रति डालर रु. 50.95 हो गया । इसका मुख्य कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में यूएसडी का कमजोर होना है। वर्ष 2009-10 के दौरान यूरो की तुलना में रुपये का मूल्य 11.43% बढ़ा है, जापानी येन की तुलना में 7.14% तथा पौंड स्टर्लिंग की तुलना में 7.12% की वृद्धि हुई है।

वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में वर्ष 2009-10 के दौरान तेजी से उभरना और भारत के विकास के प्रति वैश्विक निवेशकों का सकारात्मक मनोभाव जैसे कारणों से वर्ष पर्यन्त पूंजी का अंतर्प्रवाह नियमित रूप से बढ़ता रहा है। भारत को वर्ष 2009-10 (अप्रैल–फरवरी) के दौरान यूएसडी 33.1 बिलियन का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्राप्त हुआ है जो तदनुरूपी पिछले वर्ष की तुलना में 5.75% अधिक है।

बैंक का कारोबारी विकास

कुल कारोबार

बैंक का सार्वभौमिक कारोबार 31 मार्च 2009 के रु. 1,98,380 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2010 को रु. 2,08,476 करोड़ हो गया है, जबकि घरेलू कारोबार 2008-09 तक के रु. 1,82,853 करोड़ से बढ़कर 2009-10 तक रु. 1,92,288 करोड़ हो गया ।

जमाराशियों में वृद्धि

बैंक की सार्वभौमिक जमाराशियाँ 2008-09 के रु. 1,15,885 करोड़ से बढ़कर 2009-10 को रु. 1,17,026 करोड़ हो गई हैं। घरेलू जमाराशियाँ 2008-09 के रु. 1,08,688 करोड़ से बढ़कर 2009-10 को रु. 1,09,689 करोड़ हो गई है।

ऋण विस्तार

बैंक की घरेलू ऋण 31-3-2009 के रु. 74,164 करोड़ से बढ़कर 31-3-2010 को रु. 82,599 करोड़ हो गया है। उसमें 11.37% की वृद्धि दर्ज आई है। बैंक का सार्वभौमिक अग्रिम 31-3-2009 के रु. 82,495 करोड़ से बढ़कर 31-3-2010 को रु. 91,450 करोड़ हो गया है और उसमें 10.86% की वृद्धि दर्ज की गई है।

बैंक ने वर्ष 2008-09 की वित्तीय खलबली को ध्यान में रखते हुए निम्न

was estimated at USD 102.10 billion which was lower than the deficit of USD 118.40 billion during April 2008-March 2009. The cumulative value of exports during 2009-10 was estimated at USD 176.5 billion as against USD 185.2 billion during 2008-09 registering a decline of (– 4.7%). The cumulative value of imports during 2009-10 was at USD 278.7 billion as against USD 303.7 billion recorded in 2008-09 registering a decline of (– 8.2%). The reduction in trade deficit was due to the higher rate of decline in imports compared to exports.

During the fiscal, foreign exchange reserves increased by USD 27.1 billion to USD 279.1 billion as at end-March 2010. The six currency trade-based Real Effective Exchange Rate (REER) (1993-94=100) appreciated by 15.5% during 2009-10 up to February 2010 as against 10.4% depreciation in the corresponding period of the previous year.

The Indian rupee generally exhibited a strengthening trend against the USD on the back of capital inflows and positive growth outlook. The rupee against the USD appreciated by 12.87% to Rs. 45.14 per USD as on 31st March 2010 from Rs. 50.95 per USD during the corresponding period of the previous year, mainly on account of weakening of the USD in the international market. The rupee appreciated by 11.43% against the Euro, by 7.14% against the Japanese Yen and by 7.12% against the Pound Sterling during 2009-10.

The stronger recovery in 2009-10 ahead of the global economy coupled with positive sentiments of global investors about India's growth prospects are the factors that underlie the momentum of sustained capital inflows during the year. India received Foreign Direct Investment (FDI) worth USD 33.1 billion during 2009-10 (April- February), an increase of 5.75% over the corresponding period of the previous year.

BANK'S BUSINESS GROWTH

Total Business

The Global Business of the Bank increased to Rs.2,08,476 crore as on 31st March 2010 from Rs.1,98,380 crore as on 31st March 2009, while domestic business grew to Rs.1,92,288 crore in 2009-10 from Rs.1,82,853 crore in 2008-09.

Deposit Growth

Global Deposits of the Bank grew to Rs.1,17,026 crore in 2009-10 from Rs.1,15,885 crore in 2008-09. The domestic deposits increased to Rs.1,09,689 crore in 2009-10 from Rs.1,08,688 crore in 2008-09.

Credit Expansion

The domestic credit of the Bank increased to Rs.82,599 crore as on 31-03-2010 from Rs.74,164 crore as on 31-03-2009, registering a growth of 11.37%. Global advances of the Bank increased to Rs.91,450 crore as on 31-03-2010 from Rs.82,495 crore as on 31-03-2009, registering a growth of 10.86%.

The Bank has consciously aimed towards a lower growth

वृद्धि के प्रति कम लक्ष्य को ध्यान में रखा है तथा निरंतर वसूली पर अडिग रहा है । संरचनात्मक, कृषि, एम.एस.एम.ई. तथा आवास के अंतर्गत ऋणों में वृद्धि हुई है ।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋणों पर जोर दिया गया है । विशेषत: कृषि एवं ग्रामीण क्रियाकलापों पर तथा एस.एम.ई. ऋणों पर ताकि वित्तीय संकट पर काबू पाया जा सके और सही ढंग से वसूली सुनिश्चित की जा सके । वाणिज्यिक स्थावर संपदा एवं पूंजी बाजार जैसे क्षेत्रों में ऋण चयनित था तथा विस्तृत जोखिम विश्लेषण को ध्यान में रखा गया था । बैंक ने उद्योग के कई क्षेत्रों और भौगोलिक विस्तार को सम्मिलित करते हुए विविधीकरण ऋण संविभाग को भी बनाए रखा है ।

बैंक ने गैर खाद्य ऋण में वृद्धि की मंद गति को ध्यान में रखते हुए आस्ति गुणवत्ता को सुधारने एवं अधिक लाभ सुनिश्चित करने पर बल दिया है जो कि वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने के लिए समाज के सभी वर्गों को सम्मिलित करने के अतिरिक्त है ।

विभिन्न क्षेत्रों को दिए गए ऋणों के अनुभव के आधार पर तथा आर्थिक विकास की गतिशीलता, सरकारी निर्देशों, राष्ट्रीय प्राथमिकताएं तथा सामाजिक-आर्थिक बाध्यताओं पर विचार करते हुए बैंक ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋणों पर बल दिया है, जिनमें विशेषत: कृषि क्षेत्र ग्रामीण ऋण, मध्यस्तरीय नैगमों एवं एस.एम.ई. हैं, जिनमें व्यापार के नए अवसर हैं।

वर्ष के दौरान बैंक ने ऋण विकास को बनाए रखने, आस्ति गुणवत्ता को सुधारने, अधिक लाभ सुनिश्चित करने तथा सुव्यवस्थित विविधिकरण ऋण संविभाग को बनाए रखने के लिए समाज के सभी वर्गों को वित्तीय समावेशन में सुनिश्चित किया है।

बैंक ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत ऋणों में लगातार वृद्धि हासिल की है। बैंक का प्रमुख केंद्र बिंदू अर्थव्यवस्था के उत्पादकीय क्षेत्रों जैसा कि कृषि ऋण, एस.एम.ई. पर रहा। बैंक विभिन्न उद्योगों के निष्पादन पर निरंतर ध्यान रखता रहा है तथा संभाव्य विकासोन्मुख क्षेत्रों को ऋण देता रहा है। इसीलिए बैंक ने एस.एम.ई क्षेत्र को ऋण देना सुनिश्चित करने के लिए एस.एम.ई. शाखाएं स्थापित करना शुरू किया है।

भारतीय रिजर्व बैंक/सरकार के निर्देशों का सारांश

भारत सरकार द्वारा प्रोत्साहित पैकेज जो कि विशेषत: वसूली पर बल दिये जाने से संबंधित है जिससे सरकार के निर्णय ने अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डाला है जो कि चरणबद्ध होगा।

अल्पावधि कृषि ऋणों के लिए ब्याज में छूट जारी रखने, कुछ क्षेत्रों से निर्यात तथा रुपए 10.00 लाख तक के आवास ऋणों की वजह से इन क्षेत्रों में सुधार हुआ है मंदी के प्रभाव में तेजी से सुधार हुआ है तथा ऋण के क्रियाकलाप में वृद्धि हुई है।

ऋण अनुप्रवर्तन और समीक्षा

बैंक ने अपनी जोखिम प्रबंधन पद्धतियों को और मज़बूत बनाया है तथा ऋण संविभाग की समग्र लाभप्रदता में सुधार लाने के लिए उच्च स्तर की सम्यक तत्परता निर्धारित की हैं।

नैगम तथा क्षेत्रीय स्तरों पर रुपए 10.00 लाख तथा इससे अधिक ऋण खातों पर विशेष अनुप्रवर्तन समीक्षा करने के लिए एक विशेष तंत्र स्थापित किया

keeping in view the financial turmoil of 2008-09 and its continuing impact on the recovery. The growth of credit has been under infrastructure, agriculture, MSME and Housing.

Thrust has been given to Priority Sector Lending, especially to agriculture & rural activities and lending to SMEs in order to enable them to tide over the financial crisis and ensure orderly recovery. Credit to sectors like Commercial Real Estate and Capital Market was selective and after detailed risk analysis. The Bank continued to maintain a well diversified credit portfolio involving many sectors of industry and geographical spread.

Keeping in view the sluggish growth in non-food credit, the Bank concentrated on improving asset quality and ensuring higher earnings, apart from covering all sections of the society to promote financial inclusion.

Based on the Bank's experience in lending to different sectors and considering the dynamics of economic growth, Government directives, national priorities and socio-economic obligations, thrust was given to Priority Sector lending especially to agriculture, rural lending and lending to mid-corporates and SMEs where fresh business opportunities are emerging.

During the year, the Bank has adopted various strategies to achieve sustainable credit growth, improving asset quality, ensuring higher earnings and maintaining well diversified credit portfolio covering all sections of the society to ensure financial inclusion.

The Bank has continued its growth under priority sector lending. The focus areas of the Bank for credit were agriculture, SMEs and productive sectors of the economy. The Bank continuously tracks the performance and outlook of various industries and lend to the potential growth oriented sectors. Towards this end the Bank is establishing SME branches to ensure efficient delivery of credit to SME sector.

Gist of RBI/Government Directives

The stimulus packages by the Government of India which contributed significantly to the recovery, continued to have its impact on the economy with the Government decision that phasing out will be in stages.

The continuation of the interest subvention for short term farm loans, exports from certain sectors and housing loans up to Rs.10 lakh enabled these sectors to recover from the effects of recession faster and increased the lending activity.

Credit Monitoring & Review

The Bank further improved its Risk Management Practices and standards of Due Diligence to improve the overall asset quality of the credit portfolio.

A special mechanism for review of Special Monitoring Accounts of Rs.10 lakh and above was put in place at

है ताकि ऐसे खातों पर निरंतर निगरानी रख सकें तथा समय पर सहायता प्रदान करके फिसलन से बचा जा सकता है।

क्षेत्रीय कार्यालयों में जोखिम प्रबंधन कक्ष स्थापित किए गए हैं जो अनुपालन किए जाने वाले कार्यों पर कड़ी निगरानी रखते हैं। वर्तमान ऋण रेटिंग निर्धारण ढांचे में संशोधन करके नई ऋण रेटिंग निर्धारण पद्धति अपनाई गई है, जिसमें रुपए 50 लाख तथा उससे ऊपर के सभी खुदरा ऋणों को सम्मिलित किया गया है। नीतियों एवं प्रक्रियाओं की लगातार समीक्षा की गई ताकि अनुप्रवर्तन एंव निगरानी का नया मानक स्तर बनाए रखा जाए।

खुदरा बैंकिंग

इस खंड में क्रय विक्रय दरों में बेहतर अंतर और निवल ब्याज मार्जिन के कारण खुदरा उधार पर बैंक ने विशेष रूप से जोर दिया है ।

बैंक ने खुदरा उधार क्षेत्र के अंतर्गत बैंक द्वारा वेतन पर ऋण, टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं, वाहनों, आवासों के क्रय के लिए ऋण बंधक पर ऋण प्राप्य भाड़े का प्रतिभूतिकरण, शिक्षा ऋण, एन.आर.आइ./पी.आइ.ओ. को ऋण और महिलाएं, वरिष्ठ नागरिक और अल्पावधि उद्यमी जैसे विशिष्ट क्षेत्रों के लिए ऋण के कई प्रकार के उत्पाद प्रदान करता है।

वर्तमान बाज़ार की गतिशीलता के अनुरूप स्वयं को ढालने के लिए बैंक ने बदलती अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए निरंतर आधार पर योजनाओं तथा उत्पादों को पुनर्विकसित, पुनरस्थापित तथा पुनर्निर्धारित किया है, जो संविभाग में निरंतर विकास को बनाए रखने में सहायक हुआ है । कार के विनिर्माताओं के साथ गठजोड़ संबंध स्थापित करके चार पहिए वाहन ऋण को बढ़ावा देने के लिए अपनायी गई रणनीति ऐसी योजनाओं में से एक है। कुछ खुदरा ऋणों के लिए 8 केंद्रो में केंद्रीकृत संस्करण केंद्र पहले से स्थापित किये जा चुके हैं और पहचाने गए अन्य 5 केंद्रों में भी खोले जा रहें है ताकि ऋण वितरण प्रणाली में परिवर्तन लाया जा सके । विशेष अधिकारियों द्वारा प्रस्तावों का संस्करण बिना किसी अड़चन के शीघ्र किया जाता है और इस प्रकार गुणवत्ता और प्रमात्रा में सुधार होता है । चालू राजकोषीय वर्ष के दौरान इन केंद्रों से की गई संचयी मंजूरियाँ 1613 हैं जिनमें रु. 321.54 करोड़ की राशि है ।

31 मार्च 2010 को समाप्त राजकोषीय वर्ष के दौरान खुदरा ऋण की प्रतिशतता में 31 मार्च 2009 को समाप्त राजकोषीय वर्ष की तुलना में 12.49% की वृद्धि हुई । दि. 31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार बैंक के कुल बकाया घरेलू खुदरा ऋण और अग्रिमों की राशि रु. 20,018 करोड़ थी, जो सकल घरेलू अग्रिमों के कुल बकाये का 25.28% है । विभिन्न खुदार ऋण योजनाओं के अंतर्गत बकाया राशियों का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:

(रु. करोड़ में)

ब्यौरे	बकाया रकम	बकाया खुदरा ऋणों की प्रतिशतता
आवास ऋण	7304.41	36.49
वैयक्तिक ऋण	5055.40	25.26
बंधक ऋण (सिंड मोर्टगेज और सिंडरेंट)	2478.73	12.38
व्यापारी ऋण	1735.87	8.67
शैक्षिक ऋण	1459	7.29
सिंड स्वर्ण	1410.00	7.04
अन्य	583.42	2.91
कुल घरेलू खुदरा ऋण	20017.83	100.00

Corporate and Regional levels, so as to monitor the health of such accounts on a continuous basis and offer timely assistance, thereby avoiding slippage.

Risk Management Cells set up at ROs were geared up to monitor and oversee compliance functions. The existing credit rating framework has been revised with a new rating system for rating all exposures including retail exposures of Rs.50 lakh and above. The policies and procedures were constantly reviewed, so as to put in place improved standards of monitoring and supervision.

Retail Banking

Retail Lending continues to be the thrust area of the Bank, due to better spread and net interest margin in this segment.

The Bank extends wide range of retail loan products in the form of loans against salary, loans for purchase of consumer durables, vehicles, housing, loans on mortgage, securitization of rent receivables, education loans, loans to NRI/PIOs and loans for specific segments such as women, senior citizens and small time entrepreneurs.

To stay in tune with the present market dynamics, the Bank has redesigned strategies and repositioned products, customizing on a regular basis to the changing requirements thus enabling continuity in growth of the portfolio. Establishing tie-up with car manufacturers is one of the strategies adopted for accelerating the vehicle loans under four wheeler segment.

Centralised Processing Centres for some of the retail loans have already been established in 8 centres and is being replicated in other 5 identified places also to bring about transformation in the loan delivery process. The proposals are processed quickly without any hassles by specialist officers, thus improving the quality and quantity. The cumulative sanctions made by these centres during the current fiscal is 1613 involving an amount of Rs.321.54 crore.

During the fiscal year ended 31st March 2010, the growth in retail credit was 12.49% over the fiscal year ended 31st March 2009. The Bank's total outstanding domestic retail loans and advances amounted to Rs.20,018 crore. as at 31st March 2010 accounting 25.28% of the total outstanding gross domestic advances. Following are the details of outstandings under various retail credit schemes:

(Rs. crore)

Description	Amount outstanding	% of total retail loans
Housing Loans	7304.41	36.49
Personal Loans	5055.40	25.26
Mortgage Loans (SyndMortgage & SyndRent)	2478.73	12.38
Trader Loans	1735.87	8.67
Education Loans	1459.00	7.29
SyndSwarna	1410.00	7.04
Others	583.42	2.91
Total Domestic Retail Loans	20017.83	100.00

बैंक ने पर्याप्त परिश्रमिता प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रीकृत करने के द्वारा आस्ति की गुणवत्ता को सुधारने के लिए खुदरा ऋण में वृद्धि को संयत करने के वास्ते एक सतर्क मार्ग को अपनाया है । वर्ष 2010-11 के दौरान निम्नांकित खुदरा ऋण उत्पादों पर जोर दिया जाएगा:

सिंड निवास: गैर प्राथमिकता आवास ऋण

आवास ऋणों को निपटाने के लिए केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्रों की स्थापना से संविभाग के अंतर्गत प्रमात्रा और आस्ति गुणवत्ता के मामलों में अच्छी वृद्धि हुई है । अनुमोदित परियोजनाओं में फ्लैटों के क्रेताओं को वित्तीयन के लिए अनुमोदित निर्माता मार्ग पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है । निर्माताओं और परियोजनाओं के बारे में पर्याप्त अध्यवसाय करने के लिए एक प्रणाली बनाई गई है ।

आवास ऋण संविभाग में 31 मार्च 2009 को समाप्त वित्तीय वर्ष से 10.43% अधिक वृद्धि हुई है और 31 मार्च 2010 को इस क्षेत्र के बकाया अग्रिम रु. 7,304 करोड़ रहे जिसमें ग्राहकों की संख्या 161147 है ।

सिंडवाहन

आटो उत्पादकों के साथ गठजोड़ व्यवस्था सफल हुई है । संविभाग ने चालू वित्तीय वर्ष में 19.97% की एक वृद्धि दर्ज की है, जिसमें रु. 808 करोड़ का बकाया शामिल है ।

सिंड स्वर्ण एक्सप्रेस

प्रधान रूप से ऐसे क्षेत्रों में जहां कोई ऋण नहीं है, गैर प्राथमिकता ऋणों पर ध्यान केंद्रीकृत करने के कारण आभूषण/स्वर्ण पर ऋणों का बकाया शेष रु. 1400 करोड़ से अधिक हो गया है । चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इसमें निवल जोड़ रु. 360 करोड़ रहा है ।

सिंडविद्या

शैक्षिक ऋण संविभाग जो मार्च 2009 को रु. 1150 करोड़ रहा उसकी मात्रा में वर्ष के दौरान अभिवृद्धि हुई है और वह मार्च 2010 के अंत में रु. 1460 करोड़ हो गया है और इस प्रकार संविभाग में 27.07% की वृद्धि हुई है ।

वर्ष 2009-2010 के दौरान वित्तीय निष्पादन

लाभ एवं लाभप्रदत्ता

पिछले वर्ष में रिपोर्ट किए गए रु. 913 करोड़ की तुलना में वर्ष 2009-2010 के दौरान बैंक का निवल लाभ 11% घटकर रु. 813 करोड़ रह गया है । 31 मार्च 2010 को बैंक का परिचालन लाभ रु. 1,873 करोड़ रहा जो 31 मार्च 2009 के रु. 1,671 करोड़ की तुलना में 12% की वृद्धि को दर्शाता है ।

आय और व्यय

वर्ष 2009-10 के दौरान बैंक का निवल आय वर्ष 2008-09 के रु. 10.440 करोड़ की तुलना में 7.42% बढ़कर रु. 11,215 करोड़ हो गया है । ब्याज से आय जो 2008-09 में रु. 9525 करोड़ रही उसमें वर्ष 2009-10 के दौरान 5.48% वृद्धि हुई है, जो रु. 10047 करोड़ हो गया ।

गैर-ब्याज आय जो 2008-09 में रु. 915 करोड़ का रहा उसमें वर्ष 2009-10 के दौरान 27.64% वृद्धि हुई जो रु. 1167 करोड़ बन गया । निवेशों की बिक्री से आय 2008-09 के रु. 193 करोड़ से 2009-10 में रु. 389 करोड़ तक बढ़ गया । व्ययगत ब्याज 2008-09 के रु. 6,978 से बढ़कर 2009-10 में रु. 7307 करोड़ बन गया है ।

The Bank has adopted a cautious approach to moderate the growth in retail credit so as to improve asset quality by focusing on due diligence process. During the year 2010-11, thrust will be on the following retail loan products:

SyndNivas – Non-priority Housing Loans

The operationalisation of Centralised Processing Centres for handling housing loans has delivered satisfactory growth in terms of volume and asset quality. The focus is mainly on approved builder route for financing the buyers of flats in approved projects. A system has been put in place for conducting due diligence on builders and projects.

The housing loan portfolio has registered a growth of 10.43% over the fiscal year ended 31st March 2009 and the outstanding advances to this sector stood at Rs.7,304 crore as at 31st March 2010 with a clientele base of 161147.

SyndVahan

Tie-up arrangement with Auto manufacturers has been successful. The portfolio has registered a growth of 19.97% during the current fiscal with outstandings of Rs.808 crore.

SyndSwarnaExpress

Outstanding balance under loans against jewellery/ gold has crossed Rs.1,400 crore on account of focused attention to non-priority loans, mainly in those places where there was no exposure at all. Net addition during the current fiscal is nearly Rs.360 crore.

SyndVidya

During the current fiscal, Education Loan portfolio has registered a quantum jump from Rs.1,150 crore as at March 2009 to Rs.1460 crore as at March 2010 registering a growth of 27.07%.

FINANCIAL PERFORMANCE DURING 2009-10

Profits & Profitability

Net profit of the Bank declined by 11% from Rs.913 crore reported in the previous year to Rs.813 crore during 2009-10. The Operating Profit of the Bank for the year ended 31st March 2010 stood at Rs.1,873 crore compared to Rs.1,671 crore as at 31st March 2009 registering a growth of 12%.

Income & Expenditure

Total income of the Bank increased by 7.42% to Rs.11,215 crore during the year 2009-10 compared to Rs.10,440 crore during 2008-09. Interest income for the year 2009-10 improved by 5.48% to Rs.10,047 crore in 2009-10 from Rs.9,525 crore in 2008-09.

Non-interest income increased by 27.64% to Rs.1,167 crore during the year 2009-10 from Rs.915 crore in 2008-09. The profit on sale of investments increased to Rs.389 crore in 2009-10 from Rs.193 crore in 2008-09. The interest expended increased to Rs.7,307 crore in 2009-10 from Rs.6,978 crore in 2008-09.

पूँजी और आरक्षित निधि

31-3-2010 को बैंक की प्रदत पूंजी रु. 522 करोड़ की रही । आरक्षित और आधिक्य निधियां 2008-09 के रु. 4488 करोड़ से बढ़कर रु. 2009-10 में रु. 5105 करोड़ बन गई हैं । बैंक की निवल मालियत (पुनर्मूल्यांकन आरक्षण को छोड़कर) 31 मार्च, 2009 के रु. 4592 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च, 2010 को रु. 5222 करोड़ बन गई है । जो प्रधानत: प्रतिधारित अर्जित राशियों की वजह से हुई। बैंक ने वर्ष 2009-10 के दौरान स्थायी ऋण प्रपत्रों (आई.पी.डी.ए.) को जारी करने के जरिए रु. 194 करोड़ और टायर-II बंधपत्रों को जारी करने के जरिए रु. 200 करोड़ की राशि जुटाई है । बैंक ने आस्ति विस्तारण कार्य योजना के लिए पुन: पूंजी जुटाने हेतु पर्याप्त शुरुआती व्यवस्था कर ली है ।

लाभांश:

बैंक के निदेशक मंडल ने 31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लिए 30% का एक अंतिम लाभांश प्रस्तावित किया है जो भारत सरकार के अनुमोदन के अधीन है । लाभांश के रूप में कुल भुगतान की गई रकम 2009-10 के लिए रु. 183 करोड़ है (इसमें लाभांश कर शामिल हैं) ।

महत्वपूर्ण निष्पादन अनुपात

क) बासेल 1 के अंतर्गत बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात 11.20% रहा जो नियामक निर्धारण के 9% से काफी अधिक है । टायर-1 अनुपात 7.26% और टायर II अनुपात 3.94% रहे । बासेल II के अंतर्गत पूंजी पर्याप्तता अनुपात 31 मार्च 2009 के 12.68% से बढ़कर 12.70% हो गया है । बासेल II के अंतर्गत टायर I और टायर II के अनुपात क्रमश: 8.24% और 4.46% बन गए ।

ख) बैंक के प्रतिशेयर बही मूल्य में वृद्धि हुई है जो 31 मार्च 2009 के रु. 95.98 से बढ़कर 31 मार्च 2010 को रु. 107.80 बन गई ।

ग) प्रधानत: निवल लाभ में ह्रास के कारण बैंक के प्रति शेयर अर्जन में (ई.पी.एस.) 31 मार्च 2009 रु. 17.49 से घटकर 31 मार्च 2010 को रु. 15.58 हे गया है ।

घ) सकल अग्रिमों की तुलना में सकल अनर्जक आस्तियां 31 मार्च 2009 के 1.93% से 31 मार्च 2010 को 2.19% तक बढ़ गई हैं)

ङ) भा.रि.बैं. द्वारा नियत किए गए 70% के अधिदेशी कवरेज अनुपात के प्रति बैंक का प्रावधान कवरेज 31 मार्च 2010 को 73.31% रहा ।

च) बैंक का ऋण-जमा अनुपात 31 मार्च 2009 को रिपोर्ट किए गए 71.53% से बढ़कर 31 मार्च 2010 को 78.15% हो गया है ।

छ) वर्ष के दौरान लिपिकीय और अधिकारी दोनो संवर्गों में नई भर्ती के कारण प्रति कर्मचारी लाभ में सीमांत रूप से कमी हुई है जो 31 मार्च 2009 के रु 7.51 करोड़ से घटकर 31 मार्च 2010 को रु. 7.47 करोड़ हो गया है ।

ज) प्रति कर्मचारी लाभ 31 मार्च 2009 के रु. 3.64 लाख से घटकर 31 मार्च 2010 को रु. 3.18 लाख हो गया है ।

झ) अग्रिमों से प्राप्त औसत आय में कमी हुई है जो 2008-09 के 10.73% से घटकर 2009-10 में 9.40% हो गया है ।

ञ) जमाराशियों की लागत 31 मार्च 2009 के 6.98% से घटकर 31 मार्च 2010 को 6.14% बन गई ।

ट) बैंक का निवल ब्याज मार्जिन (एन आइ एम) 31 मार्च, 2009 के

Capital & Reserves

The paid-up capital of the Bank stood at Rs.522 crore as on 31st March 2010. The Reserves and Surplus increased to Rs.5105 crore in 2009-10 from Rs.4488 crore in 2008-09. The Net Worth of the Bank (excluding revaluation reserves) increased to Rs.5,222 crore as on 31st March 2010 compared to Rs.4,592 crore as on 31st March 2009, mainly contributed by the retained earnings. The Bank has raised Rs.194 crore through the issue of Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI) and Rs.200 crore through Tier II Bonds during the year 2009-10. The Bank is having adequate headroom to raise further capital to meet its asset expansion plans.

Dividend

The Board of Directors have proposed, subject to approval of Government of India, a final dividend of 30% for the year ended 31st March 2010. The total outgo in the form of dividend (inclusive of dividend Tax) during the year 2009-10 would amount to Rs.183 crore.

Key Performance Ratios

a. The Capital Adequacy Ratio of the Bank under Basel I stood at 11.20% well above the regulatory prescription of 9%. The Tier I and Tier II ratios stood at 7.26% and 3.94% respectively. The Capital Adequacy Ratio under Basel II also increased to 12.70% as against 12.68% as on 31st March 2009. The Tier I and Tier II ratios under Basel II, stood at 8.24% and 4.46% respectively.

b. The Book Value per share of the Bank improved to Rs.107.80 as on 31st March 2010 from Rs.95.98 as on 31st March 2009.

c. The Earning per share (EPS) of the Bank decreased to Rs.15.58 as on 31st March 2010 from Rs.17.49 as on 31st March 2009 mainly due to decrease in net profit.

d. The Gross NPA to gross advances increased to 2.19% as at 31st March 2010 from 1.93% as at 31st March 2009.

e. The provision coverage of the Bank stood at 73.31% as of 31st March 2010 as against the mandatory coverage ratio of 70% stipulated by RBI.

f. The Credit-Deposit Ratio of the Bank increased to 78.15% as on 31st March 2010 from 71.53% as on 31st March 2009.

g. Business per employee has marginally declined to Rs.7.47 crore as at 31st March 2010 from Rs.7.51 crore as at 31st March 2009 mainly due to new recruitment, both in clerical and officer cadre during the year.

h. Profit per employee declined to Rs. 3.18 lakh as at 31st March 2010 from Rs.3.64 lakh as at 31st March 2009.

i. The average yield on advances declined to 9.40% in 2009-10 from 10.73% in 2008-09.

j. The cost of deposits of the Bank declined to 6.14% as at 31st March 2010 compared to 6.98% as at 31st March 2009.

k. The Net Interest Margin (NIM) of the Bank decreased to

2.75% से घटकर 31 मार्च, 2010 को 2.35% पर आ गया।

ठ) आस्तियों पर प्रतिलाभ 31 मार्च, 2009 के 0.81% की तुलना में 31 मार्च, 2010 को घटकर 0.62% हो गया।

राजकोष और अंतर्राष्ट्रीय परिचालन

बैंक के घरेलू निवेश में 8.21% की वृद्धि हुई हैं, जो 31-3-2009 के रु. 30,293 करोड़ के स्तर से बढ़कर 31-3-2010 को रु. 32,778 करोड़ पर पहुँच गया। इस बढ़ोत्तरी का मुख्य कारण नकदी प्रबंधन के लिए कर्ज़ लिखतों में निवेश करना ही है। निवेश संविभाग (व्यापार लाभ को छोड़कर) से प्राप्त कुल आय वर्ष 2008-09 के रु. 2,041 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2009-10 को रु. 2,335 करोड़ तक पहुँच गई। एस.एल.आर. प्रतिभूतियों में बैंक का निवेश रु. 28,351 करोड़ हो गया है, जो 31-3-2010 को बैंक के कुल निवेश का 86.49% बनता है।

भा.रि.बैं. और सरकार के नीतिगत निर्णय

वर्ष 2008 में वैश्विक स्तर पर घटित घटनाओं से भा.रि.बैं. अपने को अलग नहीं रख सकता तथा वैश्विक आर्थिक संकट से बहुत अधिक प्रभावित हुआ है। यह प्रभाव स.घ.उ. के विकास दर में परिवर्तन से देखने को मिला है जबकि घरेलू वित्तीय बाजार अच्छी तरह आवृत्त रहने से बचे रहे। बहुत अच्छी घरेलू माँग, हल्की मुद्रास्फीति और आरामदायक विदेशी मुद्रा भंडार ने हमारे आर्थिक व्यवस्था को आवश्यक संबल दिया।

भा.रि.बैं. द्वारा किए गए उपायों के फलस्वरूप भारतीय वित्तीय बाजार सही ढंग से काम करते रहे। भारत सरकार द्वारा घोषित किए गए राहत पैकेजों ने भा.रि.बैंक द्वारा किए गए उपायों के साथ मिलकर बैंकिंग सिस्टम में रु. 4,20,000/- करोड़ तक नकदी उपलब्ध करायी। वित्त वर्ष 2009-10 के दौरान सी.आर.आर. 75 बिन्दुओं तक बढ़ाकर 5.75% कर दिया गया जबकि रेपो और रिवर्स रेपो दरें कुल मिलाकर 5% और 3.50% पर क्रमशः स्थिर रहीं।

कुल मिलाकर वित्त वर्ष 2009-10 की मौद्रिक नीति इस प्रकार है:

- व्यवहार्य दरों पर ऋण विस्तार सुनिश्चित करना।
- वैश्विक और घरेलू परिस्थितियों पर लगातार नजर रखना तथा नीतिगत समायोजनों के माध्यम से तुरंत एवं प्रभावी ढंग से निपटना।
- मौद्रिक और ब्याज दरों की एक ऐसी व्यवस्था बनायी जाए जो वैश्विक वित्तीय संकटों से उठनेवाली समस्याओं को देखते हुए मूल्य और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित कर सके।

मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने के लिए भा.रि.बैं. ने वर्ष 2009-10 की तीसरी तिमाही की मौद्रिक नीति की समीक्षा में सी.आर.आर. को दो बार में 75 BPS बढ़ाकर 5.75% कर दिया। पहली बार 50 BPS बढ़ाकर 13.02.2010 के पखवाड़े से तथा दूसरी बार 25 BPS बढ़ाकर 27.02.2010 से शुरू होनवाले पखवाड़े से प्रभावी कर दिया। बैंक दर, रेपो रेट, और रिवर्स रेपो रेट को अपरिवर्तित रखा गया।

भा.रि.बैं. के प्रयासों से चालू वित्त वर्ष 2009-10 के दौरान सिस्टम में नकदी की स्थिति आरामदायक रही और प्रतिदिन औसतन रु. 1,09,000/- करोड़ रुपये अवशोषित होते रहे। अर्थव्यवस्था के–सिस्टम में नकदी प्रबंधन द्वारा मुद्रास्फीति के दबाव पर अंकुश लगाने के लिए उठाए गए कदमों की पृष्ठभूमि में सीआरआर की बढोतरी को देखने के साथ–साथ मूल्य स्थिरता भी सुनिश्चित की गयी। फरवरी, 2010 के दौरान सीआरआर की पहली

2.35% as on 31st March 2010 from 2.75% as on 31st March 2009.

l. The Return on Assets declined to 0.62% as on 31 March 2010 compared to 0.81% as on 31st March 2009.

TREASURY AND INTERNATIONAL OPERATIONS

The domestic investments of the Bank grew by 8.21% to reach Rs.32,778 crore as on 31-03-2010 from the level of Rs.30,293 crore as on 31-03-2009. The increase is mainly due to investments in debt instruments for liquidity management purposes. Total income from investment portfolio (excluding trading profits) increased from Rs.2,041 crore in the year 2008-09 to Rs.2,335 crore in the year 2009-10. The Bank's investment in SLR securities amounted to Rs.28,351 crore, which forms 86.49% of the aggregate investments as on 31-03-2010.

RBI and Government Policy Decisions

India could not remain aloof to the global happenings in 2008 and was very much impacted by the global financial crisis. The impact was seen in the form of moderation in GDP Growth rate but the domestic financial markets remained fairly insulated. Robust domestic demand, benign inflation and comfortable foreign exchange reserves did provide the economy the much needed cushion.

The measures initiated by RBI have resulted in Indian Financial Markets functioning in an orderly manner. The stimulus packages announced by Government of India coupled with policy measures initiated by RBI infused liquidity to the extent of Rs. 4,20,000 crore into the banking system. During FY 2009-10, CRR has been hiked by 75 bps to 5.75%, while both Repo and Reverse Repo have been more or less stable at 5.00% and 3.50% respectively.

On the whole, the stance of Monetary Policy for FY 2009-10 has been:

- To ensure credit expansion at practicable rates.
- To continuously monitor the global and domestic conditions and respond swiftly and effectively through policy adjustments.
- To maintain a monetary and interest rate regime that ensures price and financial stability taking into account the emerging lessons of the global financial crisis.

To curb the inflationary pressures, RBI during the third quarter review of the Monetary Policy for the Year 2009-10 has hiked CRR by 75 bps to 5.75% in two tranches, the first tranche increase of 50 bps coming into effect from the fortnight beginning from 13-02-2010 and the second tranche increase of 25 bps becoming effective with the fortnight beginning from 27-02-2010. The Bank Rate, Repo Rate and Reverse Repo Rate have been kept unchanged.

Liquidity in the system has been comfortable with RBI on an average absorbing Rs.1,09,000 crore on a daily basis during the current FY 2009-10. Hike in CRR was seen in the light of curbing inflationary pressures in the economy by managing the liquidity in the system and at the same

बढ़ोतरी से आशा की गयी थी कि सिस्टम से रु. 36,000 करोड़ की नकदी वापस ली जाएगी जबकि सी.आर.आर. में की गई चालू बढ़ोतरी से आशा की गयी थी कि सिस्टम से रु.12,500 करोड़ की अतिरिक्त राशि निकाल ली जाएगी। सी.आर.आर. में बढ़ोतरी से देय राशि में आनेवाले निवेशों पर कोई बड़ा प्रभाव पड़ने की संभावना नही रही क्योंकि वित्त वर्ष 2009-10 के दौरान स.घ.उ. की बढ़ोत्तरी 7.20% से 7.50 तक होने का अंदाजा लगाया गया था। थोक मूल्य सूचकांक की मुद्रास्फीति दर अत्यधिक होने की संभावना व्यक्त की गयी थी, वह मार्च 2010 के दौरान 9.90 तक पहुँची। वर्ष 2010-11 के लिए मुद्रास्फीति का पूर्वानुमान 5.50% लगाया गया है।

देश का स.घ.उ. प्रथम और द्वितीय तिमाही के क्रमश: 6.10% और 7.90% की तुलना में तृतीय तिमाही में 6.70% बढ़ा। तीनों तिमाहियों की औसत स.घ.उ. की दर 6.90% रही। तीसरी तिमाही में 1) विनिर्माण, 2) व्यापार, होटेल, यातायात और संसूचना, 3) खान और पत्थर खुदाई और 4) निर्माण क्षेत्र में स.घ.उ. की विकास दर क्रमश: 14.30%, 10.00%, 9.60% और 8.70% तक बहुत ज्यादा दर्ज की गयी । बहरहल, तीसरी तिमाही में कृषि विकास दर प्रथम और द्वितीय तिमाही के क्रमश: 2.40% और 0.90% की तुलना में (–2.80%) रही । कृषि क्षेत्र का खराब प्रदर्शन स.घ.उ. की समग्र विकास दर में बाधक रही । औद्योगिक उत्पादन में बढ़ोतरी और उच्च मुद्रास्फीति के फलस्वरूप भा.रि.बैं. ने रेपो और रिवर्स रेपो प्रत्येक के दर में 25 BPS की वृद्धि कर दोनों को क्रमश: 3.50% और 5.00% पर ले आया, जो 19-03-2010 से प्रभावी हुए। वार्षिक नीति समीक्षा बैठक के दौरान शुरू किए गये उपरोक्त मौद्रिक उपायों से आशा की जाती है कि :

1) अर्थव्यवस्था ने मुद्रा स्फीति पर रोक लगेगी 2) उच्च आर्थिक विकास बना रहेगा, 3) सरकारी उधार की अपेक्षाओं में सहूलियत होगी और, 4) ऋण के माँग की पूर्ति में सहायता मिलेगी । भा.रि.बैं द्वारा शुरू की गयी नीति से वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ–साथ घरेलू अर्थव्यवस्था में घटने-वाली घटनाओं में तारतम्य बना रहेगा ।

अन्तर्राष्ट्रीय साख श्रेणी निर्धारण एजेंसी और स्टैण्डर्ड एंड पूर ने दिनांक 19-3-2010 को भारत के सार्वभौमिक रेटिंग अऊटलुक को ''नकरात्मक'' से ''स्थिर'' में बढ़ाया है । बहारहाल, मुद्रास्फीति के उच्चस्तर का प्रभाव देश के समष्टि आर्थिक स्थिति को प्रभावित करनेवाली वस्तुओं पर हो सकता है। रेटिंग आऊटलुक में किए गए बदलाव से यह दिखता है कि रेटिंग एजेंसी को विश्वास हो गया है कि भारत सरकार अपनी राजकोषीय घाटे को नियंत्रित कर रही है और राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के लिए कदम उठा रही है । वर्ष 2009 में ईक्विटी बाज़ार में विदेशी संस्थागत निवेशों का आना 17.46 बिलियन यू.एस.डी. था जबकि वर्ष 2010 के प्रथम तीन महीनों में ईक्विटी बाज़ार में विदेशी संस्थागत निवेशों का आना 4.55 यू.एस.डी बिलियन रहा और कुल आवक 22.01% बिलियन यू.एस.डी. रहा । रेटिंग आऊटलुक में किए गए बदलाव से वर्ष 2010-11 में और विदेशी निवेश आ सकता है ।

मौजूदा ब्याज दरों का स्तर नैगम क्षेत्र के निष्पादन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं किया है तो तृतीय तिमाही के परिणामों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है । बहरहाल, अल्पावधि के ऋण दर 25-50 BPS बढ़ सकते हैं जबकि अन्य क्षेत्रों की ब्याज दरों के निकट समय में बढ़ने के कोई आसार नहीं हैं। ''बैंकों के बाँड संविभाग के ए.एफ.एस. और एच.एफ.टी. श्रेणियों के तहत वर्गीकरण से एम.टी.एम. में होनेवाली हानि के फलस्वरूप प्रावधान बढ़ने से बेंचमार्क बाण्डों से मिलनेवाले प्रतिलाभ के चलते मुख्य नीति दर वृद्धि के आलोक में चालू स्तरों में 25 BPS के करीब वृद्धि हो सकती है । पुन: विनियामक द्वारा की जानेवाली नीतिगत कारवाई चतुर्थ तिमाही की स.घ.उ. विकास जो जारी की जानेवाली है, उस पर बहुत निर्भर करेगी ।

time ensuring price stability. The earlier hike in CRR during February, 2010 was expected to suck out liquidity to the extent of Rs.36,000 crore from the system, while the current hike in CRR was expected to flush out additional liquidity to the tune of Rs.12,500 crore from the system. The hike in CRR is not expected to have a major impact on the inflows in to the country as the initial estimates of the country's GDP is expected to grow between 7.20% and 7.50% for the FY 2009-10. The WPI inflation, which was expected to have peaked out, touched 9.90% during March 2010. The inflation has been forecast at 5.50% for FY 2010-11.

The Country's GDP grew by 6.70% during the third quarter when compared with 6.10% and 7.90% growth in Q1 and Q2 respectively. The average GDP growth for the three quarters of FY 2009-10 works out to 6.90%. The Q3 GDP registered robust growth in 1) Manufacturing, 2) Trade, hotels, transport and communication, 3) Mining & Quarrying and 4) Construction at 14.30%, 10.00%, 9.60% and 8.70% respectively. However, the growth under Agriculture in Q3 stood at (– 2.80%) when compared with 2.40% and 0.90% in Q1 and Q2 respectively. The poor performance of the Agriculture sector has rather been a drag on the overall GDP growth rate. The surge in industrial production coupled with high inflation has resulted in RBI hiking both Repo and Reverse Repo by 25 bps each to 3.50% and 5.00% respectively with effect from 19-03-2010. The above monetary measures initiated during Annual Policy Review Meet are expected to 1) Contain inflationary pressures in the economy, 2) Sustain higher economic growth, 3) Facilitate Government borrowing requirements and 4) Help meet the credit demand. The Policy moves by RBI would be in consistency with the developments in the global as well as domestic economy.

International Credit Rating Agency, Standard & Poor on 19-03-2010 has raised India's sovereign rating outlook to "Stable" from "Negative". However, high levels of inflation could have impact on the macro economic variables of the country. The change in the rating outlook reflects that the Rating Agency is confident of Government of India containing its fiscal deficit and initiating steps for fiscal consolidation. The FII inflows into the equity markets in 2009, stood at USD17.46 bn while during the first three months of 2010 FII flows into the equity markets stood at USD 4.55 bn making for total inflow of USD 22.01 bn. The change in the rating outlook could bring in more inflows in the FY 2010-11.

The prevailing interest rate levels have not stifled the performance of the Corporate Sector, which is clearly visible in the third quarter results. However, interest on short-term loans might harden by 25-50 bps, while the hardening of interest rates in other segments may not be on the cards in the near term. The benchmark bond yields could harden in the light of key policy rate hike around 25 bps from the current levels that could result in rise in provision owing to likely increase in MTM losses in Bond Portfolio of the banks classified under AFS and HFT categories. Further policy action from the regulator would very much depend on the

वित्त वर्ष 2009-10 के द्वितीय तिमाही के दौरान घरेलू अर्थव्यवस्था में जो बहुमुखी आर्थिक विकास उभरने लगा, आशा की जाती है कि वह बनी रहेगी । इसके साथ औद्योगिक विकास व्यापक तौर पर बढ़ने से निर्यात और आयात भी सकारात्मक रूख से बढ़ने लगा । इन सब के साथ सामान्य मानसून आने और उच्च औद्योगिक विकास को ध्यान में रखते हुए भा.रि.बैं. ने वित्त वर्ष 2010-11 के लिए स.घ.उ. का विकास दर 8.00% होने का पूर्वानुमान लगाया है । पुन: यह भी आशा की जाती है कि भा.रि.बैं. का ज्यादा ध्यान मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने पर ही होगा । इस संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि बाज़ार की परिस्थितियों, मुद्रास्फीति का दबाव और सरकारी उधार के स्तर के आधार पर निकट भविष्य में दरों में और वृद्धि हों सकती है ।

अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग

अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग, मुंबई बैंक का एक मात्र ''श्रेणी ए'' का कार्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग, मुंबई में स्थित बैंक के केंद्रीकृत डीलिंग रूम को नई दिल्ली और बेंगलूर में स्थित दो लिंक डीलिंग केंद्रों से समर्थन प्रदान किया जाता है। ओवरसीज़ काउंटर पार्टी बैंकों के साथ स्टेट-ऑफ-द-आर्ट वेब प्लेटफार्म का प्रयोग करके वेब आधारित व्यापार करनेवाला हमारा बैंक प्रथम बैंक है। बैंक की 87 नामोद्दिष्ट शाखाएं (अर्थात् श्रेणी ''बी'') हैं, जो स्वयं पूर्ण विदेशी विनिमय व्यवहारों को संभालती हैं और 369 नामोद्दिष्ट शाखाएं हैं, जो बैंक के एफ.सी.एन.आर. कारोबार को संभालती हैं। बैंक की सभी शाखाओं में एनआरई/ओएनआर जमाराशियाँ स्वीकार की जाती हैं।

अंतर बैंक विदेशी विनिमय लेन-देन का भुगतान यू.एस.डी./आइ.एन.आर. में करने के लिए क्लीयरिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सी.सी.आइ.एल.) का बैंक एक सदस्य है। फॉरेक्स फॉरवर्ड सेगमेंट संबंधी अंतर-बैंक यूएसडी/आरएनआर संबंधी व्यापार सेगमेंट के लिए बैंक सीसीआईएल का सदस्य बना। इसके अलावा, बैंक उन बैंकों में से पहला बैंक है, जो सी.सी.आई.एल. के द्वारा विभिन्न मुद्राओं में लेन-देन हेतु निरंतर संपर्क निपटान (सीएलएस) के साथ कार्य करते हैं। ये दोनों पहलू भुगतान जोखिम के मामले से संबंध रखते हैं और भुगतान प्रक्रिया की कुशलता में सुधार लाते हैं। बैंक द्वारा केवल बिलकुल सादा व्युत्पन्न प्रदान किए जाते हैं और कोई जटिल व्युत्पन्न उत्पाद प्रदान नहीं किए जाते हैं। मौजूदा व्युत्पन्न कारोबार के संबंध में बैंक के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है।

मुद्रा-वायदे का व्यापार करने के लिए बैंक दो विनिमय कंपनियों अर्थात्, एमसीएक्स-एसएक्स और एनएसई का व्यापार-सह-समाशोधन सदस्य बन गया है।

पिछले वित्तीय वर्ष के रु. 6,01,185 करोड़ की तुलना में 31 मार्च, 2010 को बैंक का कुल फारेक्स टर्नओवर रु. 4,23,717 करोड़ था। बैंक का अंतर बैंक टर्नओवर पिछले वर्ष के रु. 5,35,324 करोड़ की तुलना में 31 मार्च, 2010 को रु. 3,73,281 करोड़ रहा। वैश्विक मंदी के चलते पण्वावर्त में गिरावट आई।

निर्यात वित्त

निर्यात ऋण जो 31 मार्च, 2010 को रु. 1,654 करोड़ था वह बढकर 31 मार्च, 2010 को रु. 1,902 करोड़ तक पहुँच गया। बैंक ने निर्यात क्षेत्र को ऋण की उपलब्धता बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय किए हैं। सिंडएक्सपोर्ट गोल्ड कार्ड योजना के तहत पात्र निर्यातकों को रियायती और अधिमान्यता शर्तों पर ऋण प्रदान किया जाता है और इसके दायरे को और बढ़ाया गया ताकि और अधिक निर्यातकों को उसमें शामिल किया जा सके ।

fourth quarter GDP growth which is yet to be released. The turnaround in economic recovery of domestic economy which began during the second quarter of FY 2009-10 is expected to be sustained with the Industrial growth turning more into a broad based one and Exports and Imports moving into a positive terrain. Taking into consideration, the assumption of normal monsoon and higher industrial growth, RBI has forecast a GDP growth rate of 8.00% for FY 2010-11. It is expected further that RBI's Policy stance would be more on containing inflation. In this context, it can be said that there could be a further rate hike in the near term depending on the market conditions, inflationary pressures and the level of Government borrowing.

International Division

International Division, Mumbai is the only "Category A" office of the Bank. The Bank's centralized dealing room at International Division Mumbai is supported by the two Link Dealing centres at NEW DELHI and BANGALORE. The Bank is one of the first to undertake WEB-BASED trading with overseas counter party Banks by using state-of-the-art WEB PLATFORMS. The Bank is having 87 designated Branches (Category B) to handle full-fledged FX transactions and 369 nominated branches to handle the FCNR BUSINESS of the Bank. NRE/ONR deposits are accepted at all branches of the Bank.

The Bank is a member of CLEARING CORPORATION OF INDIA LTD. (CCIL) for settlement of Inter Bank Forex Deals in USD/INR. The Bank has also become a member of CCIL for settlement of Inter Bank USD/INR deals in the Forex Forward Segment. Further, the Bank is one of the first Banks to participate in CONTINUOUS LINKED SETTLEMENT (CLS) for Cross Currency Deals by CCIL. Both the initiatives address the issue of settlement risk and improve the efficiency of settlement process. The Bank is offering only plain vanilla derivatives and no complex derivative products are offered by the Bank. There is no litigation against the Bank in respect of existing derivative transactions.

The Bank has become Trading-cum-Clearing Member on two exchanges, i.e., MCX-SX and NSE for undertaking trading in Currency Futures.

The total Forex Turnover of the Bank as at 31st March 2010 stood at Rs.4,23,717 crore as compared to Rs.6,01,185 crore for the previous Financial year. The Inter-Bank turnover of the Bank as at 31st March 2010 stood at Rs.3,73,281 crore as compared to Rs.5,35,324 crore for the previous year. The decline in turnover is due to the global recession.

Export Finance

Export credit outstanding stood at Rs.1,902 crore as at 31st March 2010, as against Rs.1,654 crore as at 31st March 2009. The Bank has initiated various measures to increase the flow of credit to export sector. The coverage under SyndExport Gold Card Scheme, a unique scheme for eligible exporters offering concessional and preferential terms, was broadened to include more number of exporters. Rupee export credit was offered at

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित उच्चतम सीमा के भीतर स्पर्धात्मक ब्याज दरों में रुपया निर्यात ऋण प्रदान किया गया। बैंक द्वारा कुछ निर्धारित क्षेत्रों में अपने ग्राहकों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट रूपरेखा के अनुसार, ब्याज अनुदान योजना उपलब्ध कराके रियायती ब्याज दर का लाभ प्रदान किया गया।

विनिमय कंपनियाँ

1. बैंक द्वारा निम्नांकित दो विनिमय गृहों का सफलतापूर्वक प्रबंधन किया जाता है:
   (1) मेसर्स नेशनल एक्सचेंज कंपनी, डब्ल्यू.एल.एल., दोहा कतार।
   (2) मेसर्स मुसंडम एक्सचेंज कंपनी, सल्तानत ऑफ ओमॉन।
2. खाड़ी स्थित निम्नलिखित विनिमय गृहों के साथ बैंक ने रुपया आहरण व्यवस्था कायम की है:
   (1) मेसर्स वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज सेंटर, दुबई
   (2) मेसर्स रेधा अल अंसारी एक्सचेंज ईएसटी दुबई
   (3) मेसर्स हबीब एक्सचेंज कं, शारजाह
   (4) मेसर्स अल रजौकी इंटरनेशनल एक्सचेंज, दुबई
   (5) मेसर्स अल अंसारी एक्सचेंज कं, आबु धाबी
   (6) मेसर्स नेशनल फाइनॉन्स एंड एक्सचेंज कं, बहरीन
   (7) मेसर्स नेशनल एक्सचेंज कं, कुवैत
   (8) मेसर्स जेन्ज एक्सचेंज कं, बहरीन
   (9) मेसर्स फेडरल एक्सचेंज कं, दुबई
   (10) मेसर्स अल फलाह एक्सचेंज कंपनी, आबु धाबी
   (11) मेसर्स यू ए ई एक्सचेंज सेंटर एलएलसी, आबु धाबी

बैंक के पास खाड़ी से भारत को बेहतर एवं किफायती निधि अंतरण के लिए 8 विनिमय गृहों के साथ त्वरित विप्रेषण व्यवस्था है।

समुद्रपारीय परिचालन – विदेश में बैंक की केवल एक शाखा यूनाइटेड किंगडम के लंदन में है। यह कोष और विदेशी विनिमय डीलिंग परिचालनों के अलावा, मुद्रा बाजार परिचालनों में भी सक्रिय है। यह शाखा भारतीय सिंडिकेशनों तथा ईसीबी में सक्रिय सहभागी है। भारतीय कंपनियाँ विश्वव्यापी होने के कारण शाखा को कारोबार के लिए नए नए अवसर प्राप्त हो रहे हैं।

शाखा का कुल कारोबार 31-3-2009 के2209.920 मिलियन जी बी पाउंड से बढ़कर 31-3-2010 को 2719.737 मिलियन जीबी पाउंड हो गया।

आस्ति गुणवत्ता और अनर्जक आस्तियों का प्रबंधन

बैंक ने अनर्जक आस्तियों के प्रबंधन को सबसे अधिक महत्व दिया है। अनर्जक आस्तियों को कम करना और आस्तियों का प्रबंधन पर वर्ष का 2009-10 के दौरान ध्यान केंद्रित किया गया। सबसे अधिक जोर अनर्जक आस्तियों के स्तर के प्रबंधन तथा खातों के स्तरोन्नयन के साथ अनर्जक आस्तियों के पूर्वानुमानित आंकड़ों पर निगरानी रखने पर दिया गया।

बैंक की वसूली नीति का लक्ष्य अनर्जक आस्तियों के प्रबंधन पर केंद्रित है और संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वालों के अनर्जक खातों के किसी भी वर्ग के निर्धारण में मदद देती है। वसूली नीति में देयों की वसूली से संबंधित तरीका, छूट के अनुमति देने से संबंधित मानदंड, बट्टे खाते डालते समय ध्यान देनेवाले तथ्य, मंजूरी अधिकार, रिपोर्ट करना तथा निगरानी करना आदि शामिल है। देयों के निपटान करने के मामले में मैट्रिक्स चार्ट का उपयोग किया जाता है जिससे वह प्रक्रिया अभेदात्मक हो जाती है।

very competitive interest rates within the ceiling prescribed by RBI. The interest rate subvention scheme, as designed by RBI, has been made available by the Bank to its customers in certain specified sectors, thus passing on the benefits of concessional interest.

Exchange Companies

1. The Bank is successfully managing two Exchange Houses viz.,
   - M/s National Exchange Co., WLL, Doha, Qatar.
   - M/s Musandam Exchange Co., Sultanate of Oman.
2. The Bank is also having fruitful Rupee Drawing Arrangement with the following Exchange Houses in Gulf:
   - M/s Wall Street Exchange Centre, Dubai
   - M/s Redha Al Ansari Exchange Est., Dubai
   - M/s Habib Exchange Co., Sharjah
   - M/s Al Razouki International Exchange, Dubai
   - M/s Al Ansari Exchange Co., Abu Dhabi
   - M/s National Finance & Exchange Co., Bahrain
   - M/s National Exchange Co., Kuwait
   - M/s Zenj Exchange Co., Bahrain
   - M/s Federal Exchange Company, Dubai
   - M/s Al Falah Exchange Company, Abu Dhabi
   - M/s UAE Exchange Centre LLC, Abu Dhabi

The Bank has speed remittance arrangements with 8 Exchange Houses for improved and cost-effective funds transfer to India from Gulf countries.

Overseas Operations

The Bank's only overseas presence is in UNITED KINGDOM at LONDON. The Branch is active in money market operations, besides treasury and forex dealing operations. The Branch also focuses on Indian syndications and ECBs. With Indian Corporates going global, Branch has found new opportunities of business.

The total business of the Branch stood at GBP 2719.737 Mio as at 31-03-2010 as against GBP 2209.920 Mio as at 31-03-2009.

ASSET QUALITY & MANAGEMENT OF NPAS

The Bank accorded topmost priority to management of Non-Performing Assets (NPAs). "NPA Resolution, Prevention of fresh slippages & Income Generation" was the theme during the year 2009-10. NPA level management was given priority with focus on achieving projected recovery and upgradation.

The Bank's Recovery Policy is oriented towards addressing the entire gamut of NPA management and enabled the field functionaries to resolve any category of non-performing accounts. The recovery policy sets down the manner of recovery of dues, norms for permitting sacrifice, factors to be taken into account while considering waiver/ write-off, delegated powers, reporting and monitoring etc. The matrix chart being followed while settling the dues makes the process non-discriminatory.

उच्च मूल्यवाले अनर्जक अस्तियों के मामलों को सुलझाने हेतु बैंक ने बड़े खातेदारों के साथ बैकों का आयोजन करके नैगम कार्यालय स्तर में 106 मामलों का एक बारगी निपटारा किया, इसमें रु. 193 करोड़ का प्रस्ताव किया गया जिससे वर्ष 2009-10 के दौरान रु. 52.78 करोड़ की वसूली हो गयी। बैंक ने कृषि ऋण राहत योजना 2008 के अंतर्गत पात्र किसानों और लघु तथा अत्यंत लघु उद्यमकर्ता उधारकर्ताओं के प्रस्तावों पर विचार करने हेतु विशेष एक बारगी निपटान योजना लागू की।

बैंक ने पूरे वर्ष में सिंड अदालतों का आयोजन करने के द्वारा छोटे तथा सीमांत उधारकर्ताओं को उनके देयों का निपटान करने तथा कानूनी कार्रवाई कम करने हेतु एक अवसर देते हुए अधिक संख्या में छोटी रकमों के एनपीए खातों को बंद करने के लिए सकारात्मक पहल की। क्षेत्रीय/समूह स्तर पर कुल 3710 सिंड अदालतों का आयोजन किया गया और 11883 ओटीएस मामलों का निपटान किया गया जिसमें प्रस्ताव राशि रु. 122 करोड़ थीं और रु. 56 करोड़ की राशि वसूल की गयी।

प्रतिभूतिकरण अधिनियम (सरफेसी) 2002 के उपबंधों का प्रभावी ढंग से प्रयोग किया गया। बैंक ने नोटिस जारी करके और संपत्तियों को कब्जे में लेकर/नीलामी करवाकर वर्ष 2009-10 के दौरान रु. 180 करोड़ की राशि वसूल की है। अधिक संख्या में प्रवर्तन एजेंसियों तथा अनुमोदित मूल्यांकनकर्ताओं को सूची में शामिल करते हुए शाखा स्तर के प्रयासों को समर्थन दिया जा रहा है।

वसूली को बढ़ाने के उद्देश्य से नवंबर-दिसंबर 2009 और फरवरी-मार्च 2010 के दौरान विशेष गहन वसूली अभियानों का आयोजन किया गया। बट्टे खाते डाले गए खातों में वसूली बढ़ाने हेतु जनवरी-फरवरी 2010 में विशेष वसूली अभियान का आयोजन किया गया। अत्यधिक अनर्जक खातोंवाली शाखाओं की सहायता करने के लिए तथा खातों की विशेष निगरानी के लिए क्षेत्रीय स्तर पर एक नवीन विशेष वसूली दल की शुरुआत की गई जिसे क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा सफलतापूर्वक लागू किया जा रहा है।

अनुत्पादक आस्तियों में रु. 667 करोड़ की राशि वसूल की गयी, जिसमें रु. 464 करोड़ मूल धन, रु. 196 करोड़ अप्रभारित ब्याज और रु. 6.68 करोड़ 'अशोध्य कर्जे जो बट्टे खाते में डाले गए' से संबंधित थे।

31-3-2010 की स्थिति के अनुसार सकल अनर्जक आस्तियां और अनुपात क्रमश: रु. 2007 करोड़ एवं 2.19% रहा है। 31-3-2010 की स्थिति के अनुसार शुद्ध अनर्जक आस्ति अनुपात 1.07% रहा है। अप्रत्याशित चूकों से रक्षा हेतु बैंक ने पर्याप्त अतिरिक्त राशियों का रख-रखाव किया है। 31-3-2010 की प्रावधान राशि अनुपात 73.31% रहा है जो भा.रि.बैंक के मानदंडों के अनुसार 30-09-2010 तक प्राप्त करने हेतु प्रत्याशित स्तर से अधिक है।

जोखिम प्रबंधन

बैंकिंग कारोबार में जोखिम अभिन्न अंग है और बैंक जोखिम एवं प्रतिलाभ के बीच समुचित तालमेल रखते हुए उच्च शेयर धारक मूल्य प्रदान करने का उद्देश्य रखता है। बैंक जोखिम प्रबंधन के प्रति सक्रियात्मक दृष्टिकोण रखता है। बैंक का जोखिम प्रबंधन दार्शनिकता और स्वस्थ नीति यह है कि जोखिम का मूल्यांकन और प्रबंधन करने के द्वारा स्वस्थ आस्ति संविभाग की निरंतर संवृद्धि सुनिश्चित की जाए। इससे जोखिम और प्रतिलाभ के बीच समुचित तालमेल स्थापित हो जाएगा।

The Bank took up the resolution of high value Non- Performing Assets by meeting large borrowers and 106 cases were settled under One Time Settlement Scheme at Corporate Office level with an offer amount of Rs.193 crore leading to recovery of Rs.52.78 crore during 2009-10. The Bank has introduced special OTS schemes for considering proposals of farmers eligible under Agricultural Debt Relief Scheme 2008 and of Micro and Small Enterprises borrowers.

The Bank took a positive initiative to eliminate large number of smaller NPA accounts by organizing Synd Adalats at all branches throughout the year giving opportunity to small and medium borrowers to settle their dues and for minimizing the litigation process. A total number of 3710 Syndadalats were conducted at regional/cluster level and 11883 OTS cases were settled, with an offer amount of Rs.122 crore leading to recovery of a sum of Rs.56 crore.

Provisions of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (SARFAESI) Act – 2002 were effectively utilized. The Bank was able to register a recovery of Rs.180 crore during the year 2009-10 by issuing notices and taking possession/ auctioning of properties. The efforts at branch level were supplemented by empanelling more enforcement agencies and approved valuers.

Special intensive recovery drives were conducted during Nov.-Dec. 2009 and Feb.-Mar. 2010 for maximising recovery. A special recovery run was organized in Jan.-Feb. 2010 for improving recovery in written-off accounts which yielded fruitful results. A novel scheme of forming Special Recovery Squad at Regional level for assisting the branches having high concentration of Non-Performing accounts as well as Special Monitoring Accounts was introduced which was successfully implemented by Regions.

The recovery under NPAs amounted to Rs.667 crore comprising Rs.464 crore recovery towards principal, Rs.196 crore towards uncharged interest and Rs.6.68 crore towards 'Bad debts written-off' accounts.

The gross NPAs and Gross NPA ratio as at 31-03-2010 are Rs.2,007 crore & 2.19% respectively. Net NPA ratio as at 31-03-2010 is 1.07%. The Bank has maintained sufficient cushion towards provision requirement to cover up the unexpected defaults. The provision coverage ratio at 73.31% as at 31-03-2010 was well above the level expected to be achieved by 30-09-2010 as per RBI norms.

RISK MANAGEMENT

Risk is an integral part of the banking business and the Bank aims at delivering superior shareholder value by achieving an appropriate trade-off between risk and returns. The Bank has a proactive approach towards risk management. The risk management philosophy & policy of the Bank is to ensure sustained growth of a healthy asset portfolio by measuring and managing risk. This would entail a proper balance between the risk and the return.

जोखिम प्रबंधन संरचना

बाासेल II ढांचे और भा.रि.बै. के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार जोखिम प्रबंधन पहल के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सार्वभौमिक सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों को अपनाने हेतु बैंक ने एकीकृत जोखिम प्रबंधन संरचना तैयार की है।

बैंक की जोखिम प्रबंधन पहल की प्रमुख जिम्मेदारी निदेशक मंडल की है। जोखिम प्रबंधन पर निगरानी रखने के लिए बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आर.एम.सी.) का गठन किया गया है। जोखिम प्रबंधन समिति उन विभिन्न जोखिमों के संबंध में जोखिम प्रबंधन नीतियों की समीक्षा करती है जिनमें ऋण, परिचालन, संविभाग तथा नकदी, बयाज दर, निवेश नीति और रण-नीति युक्त बाजार जोखिम शामिल हैं। आर.एम.सी. के अतिरिक्त, ऋण जोखिम के लिए ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी),परिचालन जोखिम के लिए परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी), आस्ति देयता प्रबंधन के लिए आस्ति देयता प्रबंधन टीम (एएलसीओ) के सदस्य हैं, जो संबंधित जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं एवं पद्धतियों की निगरानी करते हैं। ये समितियाँ विभिन्न जोखिम प्रबंधन नीतियाँ निरूपित करने के साथ-साथ प्रभावी जोखिम प्रबंधन प्रणालियों से संबंधित मामलों पर विचार व्यक्त करने हेतु वर्ष के दौरान नियमित अंतरालों पर बैठकें आयोजित करती हैं और पूरे बैंक में इसके कार्यान्वयन की निगरानी करती हैं।

नैगम कार्यलय का जोखिम प्रबंधन विभाग पूरे बैंक में विभिन्न जोखिम प्रबंधन पहल के समग्र कार्यान्वयन की निगरानी करता है। बाजार जोखिम एवं चलनिधि जोखिम का प्रभावी और स्वतंत्र पर्यवेक्षण तथा अनुप्रवर्तन करने के लिए जोखिम प्रबंधन के अधीन बाज़ार जोखिम का एकीकृत मिड-ऑफिस कार्य करता है। क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत जोखिम प्रबंधन कक्ष, जोखिम प्रबंधन के संबंध में ऋण अनुमोदन कार्यों की स्वतंत्रता का सुनिश्चित करते है।

जोखिम अभिशासन और जोखिम प्रबंधन पद्धतियों में सुधार लाने हेतु, रिपोर्टिंग प्रणाली को सरल और कारगर बनाया गया अत: जोखिमों के प्रबंधन सबंधी नोटों को बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

ऋण जोखिम प्रबंधन:

घटती हुई कीमत - लागत अंतर (स्प्रेड) तीव्र प्रतियोगिता और बासेल II मानदंडों को अपनाने के वर्तमान परिदृश्य में ऋण जोखिम का प्रबंधन महत्व रखता है। भारतीय रिजर्व बैंक के नए पूँजी पर्याप्तता ढाँचे (एनसीएएफ) के अंतर्गत अपेक्षित सीआरएआर की संगणना के लिए ऋण जोखिमभारिता परिपत्तियाँ प्राप्त करने के लिए बैंक ने 'मानकीकृत दृष्टिकोण' अपनाया है।

व्यक्तिगत प्रति-पार्टी ऋण जोखिम स्तर पर जोखिम का मूल्यांकन एवं नियंत्रण पर जोर दिया जाता है और यह ऋण जोखिम का सूच्यांकन एवं अनुप्रवर्तन किया जाना सुनिश्चित करता है। बैंक ने पूर्ण रूप से प्रलेखीकृत ऋण नीति और ऋण जोखिम नीति अपनाई है, जिनकी बोर्ड द्वारा नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और अनुमोदन किया जाता है।

बैंक ने संरचित एवं मानकीकृत ऋण अनुमोदन प्रक्रिया अपनाई है; जिसमें व्यापक ऋण मूल्यांकन की एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया शामिल है। बैंक ने एक सुदृढ़ श्रेणी निर्धारण ढांचा तैयार किया है जो बासेल II की अनुपालना

Risk Management Architecture

The Bank has put in place integrated risk management architecture to attain global best practices for effective implementation of risk management initiatives in consistency with the Basel II framework and RBI guidelines.

The Board of Directors holds the primary responsibility of the Risk Management initiatives in the Bank. The Risk Management Committee (RMC) of the Board is constituted to have focused attention on managing risks. Risk Management Committee reviews risk management policies in relation to various risks including credit, operational, portfolio, market risks including liquidity, interest rate, investment policies and strategy risks etc. In addition to RMC, Committees such as Credit Risk Management Committee (CRMC) for Credit Risk, Operational Risk Management Committee (ORMC) for Operational Risk and Asset Liability Management Committee (ALCO) for ALM have been constituted comprising members of Top Management Team, who will oversee the respective risk management processes and procedures. These Committees meet at regular intervals during the year to address the issues relating to effective Risk Management systems besides formulating various Risk Management policies and overseeing implementation across the Bank.

Risk Management Department at Corporate Office oversees the overall implementation of various risk management initiatives across the Bank. Integrated Mid Office of Market Risk is functioning under the Risk Management Department for effective and independent supervision and monitoring of Market Risk and Liquidity Risk. Risk Management Cells functioning at ROs ensure independence of credit approval functions from that of risk management.

To improve the Risk Governance and Risk Management practices, the reporting systems were streamlined thereby notes pertaining to Management of the risks are placed before Risk Management Committee of the Board.

Credit Risk Management

Management of Credit Risk attains significance in the present scenario of thinning spreads, fierce competition and adoption of Basel II norms. The Bank has adopted 'Standardized Approach' to arrive at Credit Risk Weighted Assets (RWAs) for computing CRAR as required under the New Capital Adequacy Framework (NCAF) of Reserve Bank of India.

Emphasis is placed on evaluation and control of risk at the level of individual counter party exposure and ensuring that the credit risk is measured and monitored at account level. The Bank has a well documented Credit Policy and Credit Risk Policy, which are regularly reviewed and approved by the Board.

The Bank has a structured and standardized credit approval process, which includes a well-established procedure of comprehensive credit appraisal. The Bank has put in place a robust Credit rating framework which is Basel II compliant. Software driven Risk Assessment Models

है। सॉफ्टवेयर द्वारा आरएएम मॉडेल के अधीन रु. 50 लाख और उससे अधिक ऋण जोखिम स्तर, 11 गैर खुदरा रैम मॉडेल, 6 अंतनिर्धारण मॉडेल के अधीन खुदरा ऋण जोखिम स्तर तथा अन्य खातों का सरल पद्धति में मूल्यांकन करता है। मूल्यांकन प्रणाली में उधारकर्ता और सुविधा दोनों के श्रेणी निर्धारण को ध्यान में रखा जाता है। केंद्रीकृत उद्योग औद्योगिक जोखिम को उद्देश्यपूर्ण बनाने में समर्थन देता है।

मंजूरी और समीक्षा प्रक्रिया को और स्वतंत्र बनाने के लिए साख श्रेणी निर्धारण का आबंटन और उसके पुष्टीकरण को सभी ऋण संबंधी निर्णय और कीमत निर्धारण, उधारकर्ता के श्रेणी निर्धारण से जुड़ा हुआ हैं।

बैंक प्रक्रिया प्रभारों/सेवा प्रभारों में रियायत प्रदान करने के द्वारा बाह्य श्रेणी निर्धारण करवाने के लिए निगमों को प्रोत्साहित कर रहा है।

बैंक ने ऋण सीमाओं की मंजूरी के लिए विभिन्न स्तरों के कार्यकर्ताओं को अधिकार दिया है। निर्दिष्ट सीमाओं से अधिक राशि के मीयादी ऋण प्रस्तावों एवं बड़ी रकम के ऋण प्रस्ताओं को मंजूर करने से पहले उन्हें अनुमोदन हेतु क्रमश: क्षेत्रीय कार्यालय और नैगम कार्यालय की ऋण समितियों को जाता है।

बैंक ने निरंतर आधार पर ऋण सकेंद्रण की निगरानी के लिए विभिन्न उद्योगों/क्षेत्रों के संबंध में ऋण कैप निर्धारित किया है।

उच्च मूल्य के मीयादी ऋण प्रस्तावों का मूल्यांकन परियोजना मूल्यांकन कक्ष द्वारा किया जाता है।

पचािलन जोखिम प्रबंधन

कारोबार की मात्रा में हुई वृद्धि , बड़े पैमाने में हुए संरचनात्मक परिवर्तन तथा जटिल प्रणालियों के कारण परिचालन जोखिम का प्रबंधन करना सुदृढ़ जोखिम प्रबंधन प्रणाली का एक प्रमुख मुद्दा बन गया है। बैंक ने भा.रि.बैं. के दिशा निदेशों के अनुसार 'मूल संकेतक दृष्टिकोण' को अपनाते हुए परिचालन जोखिम के पूंजीगत प्रभार का परिकलन किया है।

परिचालन जोखिम हानि से जुड़ी हुई है जो अपर्याप्त या विकल आंतरिक प्रक्रियाओं, लोग और प्रणालियों या बाह्य घटनाओं से उत्पन्न होता है। बैंक में अनुदेश पुस्तिकाएं है जिन्हें परिपत्रों द्वारा समय-समय पर अद्यतन बनाया जाता है, परिचालन जोखिम का प्रबंधन करने हेतु सभी परिचालन क्षेत्रों आदि, के लिए जाँच-सूची बनाई गई है। बैंक ने एक विस्तृत कारोबार निरंतरता योजना और डिसास्टर रिकवरी प्लान तैयार किया है। डिसास्टर परिचालन एक नियर साइट और फार साइट पर किया जा रहा है। प्रभावी परिचालन जोखिम प्रबंधन के लिए सूचना सुरक्षा नीति, धोखधड़ी जोखिम प्रबंधन नीति, एएमएल/के वाई सी नीति तथा अनुपालन नीति जैसी अन्य नीतियों को भी अपनाया गया है। बैंक के अंदर परिचालन जोखिम को ठीक तरह से पहचान करने, उसकी निगरानी करने और उसे संरचनात्मक ढंग से रिपोर्ट करने के लिए बैंक ने एक परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति अपनाई हैं।

बैंक ने परिचालन जोखिम प्रबंधन ढांचा विकसित करने के लिए परामर्शदाताओं की नियुक्ति की है। बैंक ने खुदरा आस्तियों, खुदरा देयताओं, वाणिज्यिक बैंकिंग, कोष, कार्ड सेंटर, मानव संसाधन और केंद्रीय लेखा कार्यालय-जैसी सभी प्रमुख कारोबार व्यवस्था के लिए जोखिम एवं नियंत्रण स्व-मूल्यांकन (आरसीएसए) का प्रबंध किया है। बैंक ने पिछले

(RAM) rate exposures of Rs.50 lakh and above under 11 non-retail RAM models, retail exposures under 6 scoring models and other accounts through simple method. The rating methodology takes care of both borrower and facility rating. The centralized industry scores for Industry Risk enable more objectivity.

Allotment of credit rating and confirmation of the same has been bifurcated thus segregating the sanction and the review process to make it more independent. All credit decisions and pricing are linked to borrower rating.

The Bank is encouraging corporates to go in for external rating by offering concessions in processing charges/ service charges.

The Bank has put in place clearly delegated powers to functionaries at different levels to sanction credit limits. Term loan proposals beyond specified limits and large loan proposals are referred to Credit Committee at Regional office and Corporate Office for clearance before sanction respectively.

The Bank has also laid down exposure caps in respect of various industries/sectors to monitor credit concentration on an ongoing basis.

Project Appraisal Cell evaluates high value term loan proposals.

Operational Risk Management

With the increase in volume of transactions and due to the high degree of structural changes and complex systems, managing operational risk is becoming an important feature of sound risk management practices. The Bank has computed capital charge for operational risk by adopting 'Basic Indicator Approach' as stipulated by RBI.

Operational risk is the risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people and systems or from external events. The Bank has well laid down Manual of Instructions which are periodically updated with circulars. Further, check lists for all areas of operations are provided to the staff members in order to manage Operational Risk. The Bank has a detailed Business Continuity Plan and Disaster Recovery Plan. For Disaster Recovery, one near site and one far site is in operation. Other policies such as Information security policy, Fraud risk management policy, AML/KYC policy and Compliance policy are also put in place for effective Operational Risk Management. The Bank has put in place an operational risk management policy to ensure that operational risk within the Bank is properly identified, monitored and reported in a structured manner.

The Bank has engaged consultants for developing an operational risk management framework. The Bank has conducted Risk and Control Self Assessment (RCSA) for all the major business lines like – retail assets, retail liabilities, commercial banking, treasury, card centre, human resources and central accounts office. The Bank has

दस वर्षों की परिचालनगत हानि-घटनाओं के ब्यौरे प्राप्त किए हैं और हानि-आंकड़ों को आठ कारोबार श्रेणियों तथा सात हानि घटना प्रकारों में वर्गीकृत किया गया हैं। बैंक ने पूरे बैंक के संबंध में एक कारोबार निरंतरता योजना (बीसीपी) निरूपित की है।

बाजार जोखिम प्रबंधन

बाजार जोखिम, बैंक के अर्जन और पूंजी में ब्याज दरों या प्रतिभूतियों, विदेशी मुद्रा एवं ईक्विटी में होनेवाले परिवर्तनों के कारण होनेवाली जोखिम है।

बैंक ने विवेकपूर्ण जोखिम सीमाएँ (वी.ए.आर) कारण की अवधि, हानि रोध-सीमाएं, विफलीकरण अवधि आदि जैसे बाजार जोखिमों को शामिल करते हुए बाज़ार जोखिम नीति अपनाई है। बैंक ने विकसित जोखिम प्रबंधन साधन जैसे, जोखिम पर मूल्य (वी.ए.आर), जोखिम पर अर्जन (ई.ए.आर.), सकल पूरक सीमाएँ (ए.जी.एल.), शुद्ध एक दिवसीय स्थिति सीमाएँ (एन.ओ.ओ.पी.) और संशोधित अवधि सीमाओं को बाज़ार जोखिम के प्रबंधन हेतु अपनाया है।

बाज़ार जोखिम का स्वतंत्र मिड-ऑफिस द्वारा मूल्यांकन और अनुप्रवर्तन किया जाता है। मिड-ऑफिस द्वारा बाजार स्थितियों, निवेशों की समीक्षा की जाती है और ऋण जोखिम, अवधि, प्रति-पार्टी सीमाओं तथा विभिन्न अन्य जोखिम संवेदनशील मानदंडों के अनुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है।

बासेल – II मानदण्डों का कार्यान्वयन

बैंक ने दि. 31.03.08 को बासेल II मानदंडों का सुचारू रूप से पालन किया है। भा.रि.बैं द्वारा निर्धारित तथा पूँजी पर्याप्तता का ढांचा मार्गदर्शी सिद्धांतों का अनुपालन करते हुए, बासेल- II मानदंड की पिल्लर I की अपेक्षा के अनुसार जोखिम भारिता परिसंपत्ति की तुलना में पूंजी का अनुपात (सी.आर.ए.आर.) परिकलित किया जाता है। बैंक ने ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण, परिचालन जोखिम के लिए मूल संकेतक दृष्टिकोण और बाजार जोखिम के लिए मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण अपनाया है।

बासेल II ढाँचे के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक के पिल्लर 2 मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुपालन में, बैंक द्वारा सामना किए जानेवाले विभिन्न जोखिमों के संबंध में आंतरिक पूंजी निर्धारित करने के लिए बैंक ने अपनी आंतरिक पूँजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया (आइ.सी.ए.ए.पी.) की नीति निरूपित की है। बैंक तिमाही आधार पर पिल्लर 2 जोखिमों का निर्धारण, अगली तिमाही के लिए पूँजी का पूर्वानुमान के आधार पर करता है, जो पिछली तिमाही के वास्तविक कार्यकारी परिणामों पर निर्भर होता है। आइ.सी.ए.ए.पी. का प्रमाणीकरण आंतरिक लेखपरीक्षकों द्वारा किया जाता है।

बैंक ने अपनी संभाव्य संवेदनशीलता का अनुमान लगाने और संभाव्य जोखिम तथा संवेदनशीलता को संभालने की बैंक की क्षमता का अनुमान लगाने के लिए प्रयोग किए जानेवाले विभिन्न तकनीकों को निर्धारित करते हुए बोर्ड द्वारा अनुमोदित स्ट्रेस टेस्टींग नीति को अपनाया है। ऐसी जोखिमों और संवेदनशीलता के प्रति बैंक के वित्तीय एवं प्रबंधन क्षमता का निर्धारण करने के उद्देश्य से स्ट्रेस टेस्ट आयोजित किए जाते हैं।

बैंक विभिन्न आस्ति श्रेणियों के लिए धीरे-धीरे विकसित दृष्टिकोण (ऋण जोखिम)अपनाने पर विचार कर रहा है। आर.ए.एम. में पी.डी. और एल.जी.डी. तैयार करने की क्षमता है। बैंक 2010 से तथा श्रेणी निर्धारण मॉडेल से जोखिम निविष्टों की अपेक्षा करता है। बैंक वर्ष 2013-14 तक फौंडेशन इंटरनल रेटिंग बैसड अप्रोच (एफ.आई.आर.बी.) लागू कर सकेगा।

collected details of operational loss events of the past ten years and the loss data has been categorized under the eight Business Lines and seven Loss Event Types. The Bank has formulated a Business Continuity Plan (BCP) relating to the Bank as a whole.

Market Risk Management

Market Risk is the risk to the Bank's earnings and capital due to changes in the interest rates or prices of securities, foreign exchange and equities.

The Bank has put in place Market Risk Policy articulating market risk like prudential risk limits, procedures, maximum maturity / duration, VaR limits, holding period, stop loss limits, defeasance period etc. The Bank has adopted Advanced risk management tools like Value at Risk (VaR), Earnings at Risk (EaR), Aggregate Gap Limits (AGL), Net Overnight Open Position limits (NOOP) and Modified Duration limits to manage market risk.

Market Risk is measured and monitored by independent Mid Office. The Mid Office reviews the market positions and investments and ensures compliance in terms of exposure, duration, counter-party limits and various other risk sensitive parameters.

Implementation of Basel II Norms

The Bank has smoothly transited to Basel II Norms as on 31-03-08. The Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) is being computed as per Pillar 1 requirement of Basel II Norms, adhering to the New Capital Adequacy Framework guidelines stipulated by the RBI. The Bank has adopted Standardised Approach for Credit Risk, Basic Indicator Approach for Operational Risk and Standardised Duration Approach for Market Risk.

In compliance with the Pillar 2 guidelines of the Reserve Bank of India under Basel II framework, the Bank has formulated its Policy of Internal Capital Assessment Process (ICAAP) to assess internal capital in relation to various risks, the Bank is exposed to. The Bank assesses Pillar 2 risks on a quarterly basis along with the capital projection for next quarter, based on the actual working results of the previous quarter. The ICAAP is subjected to validation by internal auditors.

The Bank has a Board approved Stress Testing Policy prescribing various techniques used to gauge its potential vulnerability and Bank's capacity to sustain potential risks and vulnerabilities. Stress Tests are conducted with the main objective of assessing the financial and management capability of the Bank to such risks and vulnerabilities.

The Bank intends to move over to the advanced approaches (Credit Risk) in stages for different asset classes. RAM is capable of generating PD and LGD. The Bank expects risk inputs from the new rating model from 2010 onwards. The Bank may be able to move over to Foundation Internal Rating Based Approach (FIRB) by 2013-2014.

बैंक वर्ष 1999 से परिचालन हानि के आँकड़े संग्रह कर रहा है। 2015 के बाद परिचालन जोखिम के लिए विकसित श्रेणी निर्धारण दृष्टिकोण अपनाने के लिए हानि डेटा बेस का प्रयोग किया जाएगा।

बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित प्रकटीकरण नीति अपनाई है और बासेल II मानदंडों के पिल्लर 3 के अधीन भा.रि.बैं. के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार प्रकटीकरण मानदंड का अनुपालन करता है।

आस्ति देयता प्रबंधन

बैंक ने एक मजबूत आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) प्रणाली बनाई है । आस्ति देयता प्रबंधन प्रणाली का कार्यान्वयन मुख्य रूप से बाजार जोखिमों की निगरानी और प्रबंधन के लिए किया जाता है, अंततोगत्वा, इससे बैंक की निवल आय बढ़ती है। बैंक ने तरलता जोखिम एवं ब्याज दर जोखिम, विदेशी विनिमय जोखिम तथा ईक्विटी मूल्य जोखिमों के प्रबंधन के लिए शीर्ष कार्यपालकों से युक्त एक प्रभावी आस्ति देयता समिति (एलको) बनाई है ।

बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक की एएलएम प्रणाली को अपनाया है। बैंक ने आंकड़ों के संग्रहण के लिए 100 प्रतिशत शाखाओं को शामिल किया है जिसका उपयोग पाक्षिक आधार पर संरचनात्मक नकदी विवरण तथा ब्याज दर संवेदनशीलता विवरण तैयार करने के लिए किया जाता है । संरचनात्मक नकदी विवरणों को तैयार करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए आंकड़ों का संग्रहण दैनिक आधार पर किया जाता है ।

बैंक ने नए ए.एल.एम. सॉफ्टवेयर का पूर्ण रूप से कार्यान्वयन किया है और तब से इस सॉफ्टवेयर द्वारा दैनिक संरचनात्मक नकदी विवरणी निकाली जा रही है। इस नये सॉफ्टवेयर से बेहतर नकदी तथा ब्याज दर जोखिम प्रबंधन की दृष्टि से बैंक को काफी मदद मिली है। यह सॉफ्टवेयर सुस्थिर होने की प्रक्रिया में है और संशोधित अवधि अंतर दृष्टिकोण को धीरे धीरे अपनाने का बैंक का प्रस्ताव है।

बैंक वर्तमान के ए.एल.एम. संरचना/प्रणाली को बेहतर बनाने तथा उसमें सुधार करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील है । बैंक ने किसी भी आकस्मिकता का सामना करने के लिए एक अच्छी आकस्मिक नकदी योजना तैयार की है । बाजार में नकदी की कमी होने के बावजूद बैंक वर्ष के दौरान अनुकूलतम नकदी का प्रबंधन करने में सफल रहा ।

राष्ट्रीय प्राथमिकताएँ

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम का स्तर मार्च 2010 को रु. 32,713 करोड़ तक पहुँच गया जो 40% के अनिवार्य लक्ष्य के प्रति निवल बैंक ऋण का 45.88% बनता है । बैंक ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम के अंतर्गत 19.38 लाख से भी अधिक ग्राहकों को लाभ पहुँचाया है । अत्यंत लघु और लघु उद्यमों को प्रदान किए गए कुल ऋण रु. 9,741 करोड़ हैं । इस पर विशेष ध्यान दिया गया कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अल्प संख्यक समुदायों, कमज़ोर वर्गों तथा महिला हिताधिकारियों की वास्तविक ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति जरूर हो । कमजोर वर्गों को दिए गए अग्रिमों का स्तर रु. 7,497 करोड़ तक पहुँच गया जो निवल बैंक उधार (ए.एन.बी.सी.) का 10.52% बनता है जो इस क्षेत्र के लिए निर्धारित लक्ष्य 10% से अधिक है । महिला ग्राहकों को दिए गए अग्रिम दि. 31-3-2009 तक की स्थिति के अनुसार रु. 4,474 करोड़ से बढ़कर दि. 31-03-2010 को रु. 5,467 करोड़ हो गए, जो निवल बैंक ऋण का 7.67% है, जबकि इसके लिए निर्धारित लक्ष्य 5% है ।

The Bank is collecting data on operational losses since 1999. The loss data base will be utilized to enable the Bank to move over to Advanced Measurement Approach for Operational Risk, after 2015.

The Bank has put in place the Board approved Disclosure Policy and adheres to the disclosure norms as per the RBI guidelines under Pillar 3 of Basel II Norms.

ASSET LIABILITY MANAGEMENT

The Bank has put in place an Asset Liability Management (ALM) system. ALM is implemented mainly to measure, monitor and manage market risks, which ultimately result in increased Net Interest Income of the Bank. The Bank is having an effective Asset Liability Committee (ALCO) comprising the top executives with a view to manage Liquidity Risk, Interest Rate Risk, Forex Risk and Equity Price Risk.

The Bank has implemented the ALM system as envisaged by the RBI. The Bank has covered 100% branches for collection of data which is used for drawing Structural Liquidity Statement and Interest Rate Sensitivity statement on fortnightly basis. Data collection is done on a daily basis for generation and analysis of Structural Liquidity Statements.

The Bank has fully implemented new ALM software and is drawing the daily structural liquidity statement through the software since then. The new software enables the bank to ensure better liquidity and interest rate risk management. The Software is in the process of stabilization and the Bank proposes to gradually migrate to Modified Duration Gap Approach.

The Bank is constantly in the process of fine tuning and improving the existing ALM structure / system. The Bank is having a well-drafted Contingency Liquidity Plan for managing any contingency. The Bank was able to manage the liquidity prudently during the year.

NATIONAL PRIORITIES

Priority Sector Advances

Priority Sector Advances of the Bank reached a level of Rs.32,713 crore as at March 2010 constituting 45.88% of ANBC against the mandatory level of 40%. The Bank has covered more than 19.38 lakh customers under Priority Sector Advances. Lending to Micro & Small Enterprises stood at Rs.9,741 crore. Special care was taken to ensure that the credit needs of SC/ST, Minorities, weaker sections and Women are fully met. Advances to Weaker Sections have reached a level of Rs.7,497 crore forming 10.52% of ANBC, thereby surpassing the prescribed norm of 10%. The advances to women customers increased to Rs.5,467 crore as at March 2010 from Rs.4,474 crore as at March 2009, forming 7.67% of ANBC against the mandatory norm of 5%.

कृषि और अनुषंगी क्रिया-कलाप

मार्च 2010 को कृषि ऋण स्तर रु. 13,135 करोड़ तक पहुंच गया जो अधिदेशात्मक 18% के प्रति ए.एन.बी.सी. का 18.42 प्रतिशत है । बैंक ने 12.78 लाख से अधिक ग्राहकों को कृषि अग्रिम प्रदान किए । वर्ष के दौरान कृषि ऋण की विशेष योजना के अंतर्गत रु. 8,014 करोड़ की राशि संवितरित की गयी जो पिछले वर्ष की तुलना में 34.08% की वृद्धि दर्शाती है । निवेश ऋण के अंतर्गत संवितरित राशि वर्ष के दौरान रु. 1,267 करोड़ हो गयी। इस वृद्धि का मुख्य कारण, बैंक द्वारा निवेश क्रियाकलापों को दिया गया समर्थन है, जैसे पशुपालन, कृषि यंत्रीकरण, वाणिज्यिक बागबानी, लघु सिंचाई, ग्रामीण गोदाम, शीतागार इत्यादि। बैंक ने किसानों को आवश्यकता आधारित ऋण प्रदान करने के लिए तंबाकू बोर्ड, चीनी मिल के साथ गठजोड़ व्यवस्था की है । बैंक ने वर्ष के दौरान अपने 1,179 ग्रामीण तथा अर्धशहरी शाखाओं के माध्यम से 1,47,352 किसानों को अपना नया ग्राहक बनाया है जिससे प्रति ग्रामीण और अर्ध शहरी शाखा के लिए औसतन 125 नए किसान जुड़े हैं जो प्रति ग्रामीण और अर्ध शहरी शाखा में कम से कम 100 नए किसानों को ग्राहक बनाने के लिए सरकार द्वारा निर्दिष्ट लक्ष्य से अधिक है ।

सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाएं

बैंक ने सरकार द्वारा प्रायोजित गरीबी उन्मूलन एवं रोज़गार जनक योजनाओं के कार्यान्वयन में निरंतर सहभागिता की है । इन योजनाओं के अंतर्गत अ.जा./अ.ज.जा. और महिला हिताधिकारियों के चयन पर विशेष ज़ोर दिया गया । बैंक, सिंडिकेट ग्रामीण उद्यमिता विकास संस्थान (एस.आई.आर.डी.) और ग्रामीण विकास और स्व रोज़गार प्रशिक्षण संस्थान (रुडसेटी) के माध्यम से इन योजनाओं के अंतर्गत हिताधिकारियों के कौशल विकास के लिए विशेष ई.डी.पी. कार्यक्रम आयोजित कर रहा है । वर्ष के दौरान इन योजनाओं, अर्थात् पी.एम.ई.जी.पी., एस.जी.एस.वाई, एस.जे.एस.आर.वाई. तथा एस.आर.एम.एस. के अंतर्गत संवितरित कुल राशि रु. 76 करोड़ है जिससे 5882 लोग लाभान्वित हुए । सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं का कार्यान्वयन करते समय अ.जा./अ.ज.जा./ओ.बी.सी. और अल्प संख्यक समुदायों को वित्तीय सहायता प्रदान करने पर विशेष जोर दिया गया ।

अ.जा./अ.ज.जा. को अग्रिम

अ.जा./अ.ज.जा. हिताधिकारियों को विभिन्न योजनाओं, खास तौर पर सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत शामिल करने की दृष्टि से इन योजनाओं का नियमित रूप से पुनरीक्षण किया गया है। बैंक ने अपनी विभिन्न योजनाओं के बारे में अ.जा./अ.ज.जा. को जानकारी देने के लिए विशेष प्रयास किए ताकि वे इन योजनाओं का पूरा लाभ उठा सकें । अ.जा./अ.ज.जा. को दिए गए अग्रिम दि. 31-3-2009 के रु. 1128 करोड़ से बढ़कर दि. 31-3-2010 को रु. 1408 करोड़ हो गए, जो वर्ष 2009-10 के दौरान 24.79 % की वृद्धि दर्शाता है। सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं (अर्थात् पी.एम.आर.वाइ., एस.जी.एस.वाइ., एस.जे.एस.आर.वाइ., एस.आर.एम.एस.) तथा डी.आर.आइ. के अंतर्गत अ.जा./अ.ज.जा. को भुगतान किए, बकाया तथा वसूली की स्थिति से संबंधित विवरण निम्नलिखित तालिका में दिए गए हैं।

वर्ष 2009-10 के दौरान सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं तथा डी.आर.आइ. योजना के अंतर्गत अ.जा./अ.ज.जा. हिताधिकारियों को संवितरित अग्रिम निम्नलिखित है:

Agriculture and Allied Activities

Credit to Agriculture reached a level of Rs.13,135 crore forming 18.42% of ANBC as at March 2010 against the mandatory level of 18%. The Bank has covered more than 12.78 lakh customers under agricultural advances. The disbursement under Special Plan for Agricultural Credit during the year amounted to Rs.8,014 crore recording an annual growth of 34.08%. Disbursements under investment credit was Rs.1,267 crore during the year. This was mainly because of the thrust given for investment activities such as Animal Husbandry, Farm Mechanization, Commercial Horticulture, Minor Irrigation, Rural Godowns, Cold Storages etc. The Bank has entered into tie-up arrangements with the Tobacco Board, Sugar Mills etc. for extending need-based credit to the farmers. The Bank brought 147352 new farmers into its fold during the year through 1179 rural and Semi urban branches, registering an average of 125 new farmers per rural and semi urban branch and surpassed the government's stipulation for bringing at least 100 new farmers into bank's fold, by each rural and semi urban branches.

Government Sponsored Schemes

The Bank continued to participate in implementing poverty alleviation and employment generation schemes sponsored by the Government. Special emphasis was laid on selecting SC/ST and women beneficiaries under these schemes. The Bank is arranging special EDP programmes for skill development of the beneficiaries under these schemes through Syndicate Institutes of Rural Entrepreneurship Development (SIRDs) and Rural Development and Self Employment Training Institutes (RUDSETIs). The total amount disbursed under these schemes viz. PMEGP, SGSY, SJSRY & SRMS was Rs.76 crore benefiting 5882 persons during the year. Special thrust was given to extend financial support to SC/ST/OBC and minorities, while implementing Govt. sponsored schemes.

Advances to SC/ST

The coverage of SC/ST beneficiaries under various schemes, especially under Govt. sponsored schemes is reviewed at regular intervals. The Bank has initiated special efforts to create awareness about various schemes of the Bank among SC/STs to motivate them to avail the benefits under these schemes. Advances to SC/ST beneficiaries under Priority Sector, rose to Rs.1,408 crore as at March 2010 from Rs.1,128 crore as at March 2009, registering a growth of 24.79% during the year 2009-10. Disbursement, outstanding and recovery position of SC/ST advances under Govt. sponsored schemes (i.e. PMRY, SGSY, SJSRY, SRMS) and DRI scheme are furnished in the following tables.

Advances disbursed to SC/ST beneficiaries under Govt. Sponsored Schemes and DRI scheme during 2009-10 is as under:

(रक़म करोड़ रुपयों में)

योजना	कुल संवितरण		अ.जा./अ.ज.जा.		प्रतिशत
	खाता	रक़म	खाता	रक़म	
पी.एम.आर.वाइ.*	……	……	…….	……	…….
पी.एम.ई.जी.पी.	745	31.50	119	3.82	15.97
एस.जी.एस.वाई	2846	26.49	754	4.40	26.49
एस.जे.एस.आर.वाई	2064	12.42	313	1.56	15.16
एस.आर.एम.एस.	239	1.32	137	0.40	57.32
डी.आर.आइ.	1969	4.49	514	0.94	26.10

* पी.एम.आर.वाई. योजना दिनांक 01-04-2008 से समाप्त कर दी गई है।

मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं तथा डी.आर.आइ. योजना के अंतर्गत अ.जा./अ.ज.जा. हिताधिकारियों के बकाया अग्रिम:

(रक़म करोड़ रुपयों में)

योजना	बकाया शेष		जिनमें से अ.जा./अ.ज.जा. को		प्रतिशत
	खाता	रक़म	खाता	रक़म	
पी.एम.आर.वाइ.	31620	181.04	4288	22.79	13.56
पी.एम.ई.जी.पी.	1304	42.64	239	4.70	18.33
एस.जी.एस.वाई	17588	93.70	3790	14.16	21.55
एस.जे.एस.आर.वै.	12568	61.11	2000	6.33	15.91
एस.आर.एम.एस.	1469	4.24	918	2.07	62.49
डी.आर.आइ.	6293	13.69	990	1.25	15.73

मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं तथा विभेदक ब्याज दर के अंतर्गत अ.जा./अ.ज.जा. हिताधिकारियों को दिए गए अग्रिमों की वसूली की स्थिति:

(रक़म करोड़ रुपयों में)

योजना	मांग	वसूली	अतिदेय	प्रतिशत
पी.एम.आर.वाइ.	13.26	5.31	7.95	40.04
एस.जी.एस.वाइ.	4.26	2.49	1.77	58.45
एस.जे.एस.आर.वाई	3.68	1.88	1.80	51.08
एस.आर.एम.एस.	1.16	0.49	0.67	42.24
डी.आर.आइ.	0.48	0.16	0.32	33.33

अल्प संख्यक समुदायों को अग्रिम:

बैंक ने अल्प संख्यक समुदायों के लाभ के लिए उपलब्ध विभिन्न ऋण उत्पादों का उनके बीच प्रचार करवाने हेतु क्षेत्रीय कार्यालयों तथा अग्रणी जिला कार्यालयों के माध्यम से अनेक उपाय किए हैं । अल्प संख्यक समुदायों को दिए गए अग्रिम दि. 31-3-2009 के रु. 3,725 करोड़ से बढ़कर मार्च 2010 को रु. 4,399 करोड़ हो गए, जिसमें वर्ष 2009-10 के दौरान 18.09 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई हैं । अल्प संख्यक समुदायों को ऋण उपलब्ध कराना और अल्प संख्यक समुदायों के लिए प्रधान मंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन की स्थिति और सचर समिति की सिफारिशें इत्यादि की जानकारी बैंक के वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराई गयी हैं ।

सिंडिकेट किसान क्रेडिट कार्ड योजना (एस.के.सी.सी.)

बैंक ने वर्ष 2009-10 के दौरान 3.12 लाख नए एस.के.सी.सी. कार्ड जारी किए हैं । इस प्रकार अब तक जारी किए गए सिंडिकेट किसान क्रेडिट कार्डों की संचयी कुल संख्या 18.51 लाख हो गयी है, जिनके अंतर्गत कुल ऋण सीमा रु. 7148 करोड़ है । इस योजना के अंतर्गत 4,861 कार्ड जारी किए गए

(Rs. crore)

Scheme	Total Disbursement		Of which SC/ST		Percentage
	A/C	Amt.	A/C	Amt.	
PMRY*	……	……	…….	……	…….
PMEGP	745	31.50	119	3.82	15.97
SGSY	2846	26.49	754	4.40	26.49
SJSRY	2064	12.42	313	1.56	15.16
SRMS	239	1.32	137	0.40	57.32
DRI	1969	4.49	514	0.94	26.10

* PMRY scheme discontinued from 01-04-2008

Outstanding advances to SC/ST beneficiaries under Govt. Sponsored Schemes and DRI scheme as on March 2010 is as under:

(Rs. crore)

Scheme	Balance outstanding		Of which SC/ST		Percentage
	A/C	Amt.	A/C	Amt.	
PMRY	31620	181.04	4288	22.79	13.56
PMEGP	1304	42.64	239	4.70	18.33
SGSY	17588	93.70	3790	14.16	21.55
SJSRY	12568	61.11	2000	6.33	15.91
SRMS	1469	4.24	918	2.07	62.49
DRI	6293	13.69	990	1.25	15.73

Recovery position of advances to SC/ST beneficiaries under Govt. Sponsored Schemes and DRI scheme as on March 2010 is as under.

(Rs. crore)

Scheme	Demand	Collection	Overdue	Recovery Percentage
PMRY	13.26	5.31	7.95	40.04
SGSY	4.26	2.49	1.77	58.45
SJSRY	3.68	1.88	1.80	51.08
SRMS	1.16	0.49	0.67	42.24
DRI	0.48	0.16	0.32	33.33

Advances to Minorities

The Bank has taken various measures through Regional Offices and Lead District Offices for publicizing amongst minority communities the various credit products available for their benefit. The advances to Minorities rose to Rs.4,399 crore as at March 2010 from Rs.3,725 crore as at March 2009, registering a growth of 18.09% during the year 2009-10. The information pertaining to credit flow to Minority communities and status of implementation of Prime Minister's 15 point programme for Minorities and Sachar Committee recommendations are placed in the Bank's website.

Syndicate Kisan Credit Card Scheme (SKCC)

The Bank has issued 3.12 lakh fresh SKC Cards during the year 2009-10. The cumulative number of Syndicate Kisan Credit Cards so far issued is 18.51 lakh with a total credit limit of Rs.7,148 crore. The Bank has issued 4861 Syndicate Kisan Samrudhi Credit Cards with a credit limit of Rs.32.61

हैं, जिनकी कुल ऋण सीमा रु. 32.61 करोड़ है। यह योजना सुविधाजनक निवेश ऋण प्रदान करने के अलावा एकल प्रलेखन के साथ आवश्यकता आधारित अल्पावधि ऋण प्रदान करती है ।

सिंडकिसानसाथी

छोटे तथा सीमांत किसान, काश्तकार, बंटाईदार, मौखिक पट्टेदार तथा कृषि श्रमिक सहित समस्त किसान जो साहूकारों की पकड़ से मुक्त होने के लिए ऋण सहायता चाहते हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ''सिंड किसान साथी'' नामक योजना बनाई गई है । जिसे खास तौर पर ऋण की अदला-बदली के लिए ही बनाया गया है ।

सिंडस्माल क्रेडिट

बैंक ने कम आमदनीवाले उद्यमियों को आवश्यकता आधारित ऋण प्रदान करने हेतु जून 2007 के दौरान ''सिंडस्माल क्रेडिट'' नामक एक नवोन्मेषी योजना शुरू की, जिसमें कुछ आंतरिक सुविधाएं शामिल की गयी हैं, जैसे दहलीज़ पर बैंकिंग, लचीली चुकौती तथा उपभोग एवं उच्च लागतवाले निजी ऋणों की चुकौती के लिए ऋण सीमा इत्यादि। वर्ष 2009-10 के दौरान बैंक ने इस योजना के अंतर्गत 13,977 उद्यमियों को रु. 192 करोड़ के ऋण संवितरित किए हैं । योजना के अंतर्गत बैंक ने मार्च 2010 तक कुल 32,775 उद्यमियों को रु. 407 करोड़ के ऋण संवितरित किए हैं । उक्त योजना के अंतर्गत कुल बकाया राशि 30239 खातों के अधीन रु. 339 करोड़ है ।

स्व सहायता समूहों को ऋण सहायता

वर्ष 2009-10 के दौरान 31121 नये स्व सहायता समूहों को रु. 444 करोड़ की ऋण सहायता प्रदान की गयी है, जिससे 4.67 लाख परिवार लाभान्वित हुए । बैंक ने अब तक 176913 स्व सहायता समूहों को रु. 1,601 करोड़ की ऋण सहायता मंजूर की है, जिससे मार्च 2010 तक 24.63 लाख परिवार लाभान्वित हुए । इस योजना के तहत 156762 महिला समूहों को रु. 1,389 करोड़ के ऋण प्रदान किए गए । मार्च 2010 तक स्व.स.स. के अंतर्गत 89734 खातों में कुल बकाया राशि रु. 873 करोड़ थी । बैंक ने, स्व.स.स. ऋण से जुड़े सभी महिला सदस्यों को भारतीय जीवन बीमा निगम की जनश्री बीमा योजना के अंतर्गत बीमा रक्षा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है और प्रीमियम राशि पर भारत सरकार की वित्तीय सहायता प्राप्त है । बीमा रक्षा के अलावा, इस योजना में शिक्षा सहयोग योजना के अंतर्गत एक ऐड-ऑन सुविधा भी है, जिस पर कोई अतिरिक्त लागत नहीं है और सुविधा के अधीन बीमाकृत व्यक्ति के दो बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है ।

वित्तीय समावेशन

- बैंक ने सभी प्रकार की बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए 5 राज्यों में स्थित अपने सभी 25 अग्रणी जिलों तथा एक संघ शासित क्षेत्र में 100% वित्तीय समावेशन हासिल किया है ।
- मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार देश के 6695 गाँवों को 100% वित्तीय समावेशन के अंतर्गत शामिल किया गया है ।
- बैंक में मार्च 2010 तक 38.71 लाख नो-फ्रिल खाते खोले गए और रु. 25.73 करोड़ की ऋण राशि युक्त 11855 सिंडिकेट सामान्य क्रेडिट कार्ड (एस.जी.सी.सी.) जारी किए गए।
- 100% वित्तीय समावेशन जिसे अब ''वित्तीय व्यापकता'' कहा जाता है, के दूसरे और तीसरे चरणों के कार्यान्वयन के लिए कार्य योजना तैयार की गयी है और इसकी शुरुआत बागलकोट अग्रणी जिले में की गयी है।
- ऋण नियोजन के माध्यम से संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप के विकास के लिए कार्य योजना तैयार की गयी है ।

crore during the year, which provide hassle-free investment credit in addition to need based short-term credit with a single documentation.

SyndKisanSathi

To meet the aspirations of farmers including small and marginal farmers, tenant farmers, share croppers, oral lessees and farm labourers who require credit to get themselves freed from the clutches of money lenders, a separate scheme exclusively for the purpose of debt swap is introduced under the name SyndKisanSathi.

SyndSmallCredit

The Bank has launched an innovative scheme "SyndSmallCredit" during June 2007, to extend need-based credit to the entrepreneurs of small means, with inbuilt advantageous features viz. doorstep banking, ballooning repayment and limits for consumption credit & repayment of high-cost private debt. During 2009-10, the Bank has disbursed Rs.192 crore to 13,977 entrepreneurs under this scheme. The cumulative disbursement under the scheme up to March 2010 was Rs.407 crore to 32775 entrepreneurs. The outstanding under the scheme was Rs.339 crore under 30239 accounts.

Credit linkage of Self Help Groups

31121 new Self Help Groups were credit linked with a credit support of Rs.444 crore during the year 2009-10 benefiting 4.67 lakh families. The Bank has so far credit linked 176913 SHGs with a credit exposure of Rs.1,601 crore benefiting about 24.63 lakh families up to March 2010 of which, number of women groups were 156762 with a credit exposure of Rs.1,389 crore. The outstanding SHG finance, as at March 2010 was spread over 89734 accounts with a total credit limit of Rs.873 crore. The Bank is availing the Jana Sree Bima Yojana of LIC of India to cover all the women members of SHGs credit linked to the Bank wherein the premium is subsidized by GOI. In addition to insurance cover, the scheme has an add-on facility in the form of Shiksha Sahayog Yojana at no additional cost, wherein two children of the insured are provided scholarship.

Financial Inclusion

- The Bank has achieved 100% financial inclusion in all its 25 Lead Districts in 5 States & one UT, for extending all types of banking services.
- 6695 villages were fully covered under 100% Financial Inclusion in the country as on March 2010.
- For the Bank as a whole, 38.71 lakh no-frill accounts were opened and 11855 Syndicate General Credit Cards (SGCC) were issued with credit outlay of Rs.25.73 crore as on March 2010.
- Action plan, for implementation of 2nd and 3rd phases of 100% financial inclusion, what is now called "Financial Deepening", has been prepared and is launched in the lead district of Bagalkot.
- Action plan for development of UT of Lakshadweep through credit deployment has been prepared.

- एन.आर.ई.जी.पी./एस.एस.पी. के अंतर्गत मजदूरी/वेतन के भुगतान के लिए कर्नाटक में बल्लारी तथा आंध्र प्रदेश के अनंतपुर और कर्नूल अग्रणी जिलों में संबंधित राज्य सरकार के सहयोग से प्रायोगिक आधार पर कारोबार प्रतिनिधियों के माध्यम से शाखा रहित बैंकिंग/स्मार्ट कार्ड परियोजना अपनाई गयी है । स्मार्ट कार्ड परियोजना/शाखा रहित बैंकिंग योजना को ''सिंडशक्ति'' ब्रांड नाम के अंतर्गत कार्यान्वित किया जा रहा है । बैंक की इस परियोजना और अन्य उत्पाद एवं सेवाओं को देश के अन्य क्षेत्रों में भी विस्तृत करने का प्रस्ताव है ।
- बैंक तथा उसके द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने 8 स्थानों पर नामत:, कर्नाटक के बिजापुर और चिक्कोडी, आंध्र प्रदेश के कडपा, हरियाणा के रेवाडी, उत्तर प्रदेश के जे पी नगर, मुरादाबाद तथा रामपुर और केरल राज्य के कण्णूर में ''वित्तीय साक्षरता सह परामर्श केन्द्रों'' की स्थापना की है ।
- 2000 तथा इससे अधिक जनसंख्या वाले बैंक सुविधा रहित प्रत्येक ग्राम में बैकिंग सुविधा उपलब्ध कराने हेतु भा.रि. बैंक के निदेश के अनुसार बैंक ने कारोबार संपर्ककर्ताओं के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु 1744 ग्रामों की पहचान की है ।
- बैंक कर्नाटक राज्य के बल्लारी, गुलबर्गा तथा चित्रदुर्गा जिले में महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के हिताधिकारियों को मजदूरी/पेंशन तथा सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारकों को (SSP) पेंशन के संवितरण हेतु इलेक्ट्रानिक बैनिफिट ट्रान्सफर (EBT) योजना कार्यान्वित कर रहा है।

किसानों को ब्याज अनुदान का लाभ प्रदान करने में हुई प्रगति

बैंक ने भारत सरकार की ब्याज अनुदान योजना के अधीन खरीफ 2009 और रबी 2009-2010 के दौरान किसानों को 7.0% की रियायती ब्याज दर पर 5.94 लाख किसानों को 2879 करोड़ के फसल उत्पादन ऋण प्रदान किए हैं । बैंक ने वर्ष 2009-10 के दौरान रु. 25.64 करोड़ के ब्याज अनुदान का लाभ प्रदान किया ।

आवास क्षेत्र

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र आवास के अंतर्गत बकाया अग्रिमों की राशि 31-03-2009 के रु. 7065 करोड़ से बढ़कर मार्च 2010 को रु. 7,771 करोड़ हो गयी, जो 10.0% की वार्षिक वृद्धि दर्शाती है । इस क्षेत्र में स्व-सहायता समूहों, डी.आर.आइ. के हिताधिकारियों तथा समाज के दुर्बल वर्गों को ऋण देने पर अधिक जोर दिया गया । इन्दिरा आवास ऋण योजना (आइ.ए.वाइ.) के पात्र हिताधिकारियों को डी.आर.आइ. योजना के अंतर्गत रु. 20,000/- तक आवास ऋण (टॉप-अप ऋण) मंजूर किए गए । इसके अलावा बैंक ने विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा शुरू की गयी आवास ऋण योजनाओं का भी कार्यान्वयन किया ।

बैंक ने शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार द्वारा आरंभ की गयी ''शहरी गरीबों को आवास योजना'' के लिए ब्याज सहायकी योजना आइ.एस.एच.यू.पी. को लागू करने के लिए शाखाओं को दिशा निदेश जारी किया है । बैंक ने उक्त योजना के अंतर्गत ब्याज सहायकी के प्रबंधन हेतु भारत सरकार द्वारा अभिनिर्धारित केन्द्रीय नोडल एजेन्सी राष्ट्रीय आवास बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन एम.ओ.ए. पर हस्ताक्षर किया है ।

शिक्षा ऋण

बैंक ''सिंडविद्या'' योजना के अंतर्गत शिक्षा ऋण प्रदान कर रहा है । बैंक का बकाया शिक्षा ऋण दि. 31-03-2009 के रु. 1,150 करोड़ से बढ़कर मार्च 2010 को रु. 1,460 करोड़ तक पहुंच गया जो वर्ष 2009-2010

- Branchless banking/Smart Card project through Business Correspondents is taken up on pilot basis in the lead districts of Bellary in Karnataka and Anantapur & Kurnool in Andhra Pradesh in collaboration with respective State Governments for payment of wages under MGREGP/SSP. The Smart Card project/Branchless banking scheme is being implemented under the brand name 'SyndShakthi'. It is proposed to extend the project to other parts of the country and also to other products and services of the bank.
- The Bank and the sponsored RRBs have set up "Financial Literacy-cum-Counseling Centers" in 8 centres viz. Bijapur and Chikodi in Karnataka, Kadapa in Andhra Pradesh, Rewari in Haryana, JP Nagar, Moradabad and Rampur in Uttar Pradesh and Kannur in Kerala State.
- As per RBI directive regarding extension of banking services in every un-banked village having population of 2000 and above, the Bank has identified 1744 Villages for extending banking services through Business Correspondents.
- The Bank is implementing Electronic Benefit Transfer (EBT) scheme for disbursement of wages / pension to beneficiaries of Mahatma Gandhi Rural Employment Guarantee Programme (MGREGP) and Social Security Pension (SSP) holders in Bellary, Gulburga and Chitrdurga districts in Karnataka State.

Progress in extending interest subvention benefit to the farmers

The Bank has extended crop production credit of Rs.2,879 crore benefiting 5.94 lakh farmers at concessional interest rate of 7.00% per annum under interest subvention scheme of the Govt. of India, during Kharif 2009 & Rabi 2009-10. The Bank has extended the interest subvention benefit to the tune of Rs.25.64 crore during 2009-10.

Housing Sector

The outstanding advances under Priority Sector housing rose to Rs.7,771 crore as at March 2010 from a level of Rs.7,065 crore as at March 2009, registering an annual growth of 10%. Thrust is given for SHG members, DRI beneficiaries and other weaker sections of the society. Housing loans (top-up loans) up to Rs.20,000/- to the eligible beneficiaries of Indira Awaas Yojana (IAY) is granted by the Bank under DRI scheme. Besides, housing loan schemes launched by various state Governments are also implemented by the Bank.

The Bank has issued guidelines to branches for implementing Interest Subsidy Scheme for Housing Urban Poor (ISHUP), a scheme launched by Govt. of India for providing housing units to urban poor. The Bank has signed Memorandum of Agreement (MOA) with National Housing Bank, one of the Central Nodal Agencies identified by GOI for administering interest subsidy under the scheme.

Education Loans

The Bank is extending education loans under SyndVidya Scheme. Outstanding Education loans of the Bank have reached a level of Rs.1,460 crore as at 31-03-2010 from Rs.1,150 crore as at 31-03-2009, registering a growth of

के दौरान 26.90% की वृद्धि दर्शाता है । इस योजना के अंतर्गत अ.जा./अ.ज.जा. वर्ग, अल्प संख्यक समुदायों के लोगों तथा महिला छात्रों को अधिक महत्व दिया गया है । शिक्षा ऋण के हिताधिकारी और उनके माता-पिता/संरक्षक को युनाइटेड इण्डिया इन्श्योरेन्स कंपनी लिमिटेड के साथ गठजोड़ व्यवस्था के अधीन प्रतियोगी प्रीमियम पर संस्वीकृत ऋण रकम की सीमा तक दुर्घटना बीमा प्रदान किया जाता है।

सौर ऊर्जा का उपयोग

बैंक, सौर जल तापन तथा सौर विद्युत प्रणाली के वित्तीयन से संबंधित योजनाओं में सक्रिय रूप से सहभागिता कर रहा है । बैंक ने नए और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एम.एन.आर.आइ.) की योजना को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से आइ.आर.ई.डी.ए. के साथ एक सहमति ज्ञापन पर आपसी करार किया है, जिससे घरेलू, संस्थागत तथा औद्योगिक उपयोग के लिए क्रमश: 2%, 3% और 5% की रियायती ब्याज दर पर सौर जल तापन प्रणाली लगवाने के लिए ऋण दिए जाएंगे । बैंक ने वर्ष 2009-10 के दौरान रु. 12.46 करोड़ राशि की 3578 सौर जल तापन प्रणाली के लिए वित्तपोषण किया हैं । बैंक द्वारा मार्च 2010 तक कुल 88.25 करोड़ रुपये राशि की 32,736 यूनिट जल तापन प्रणालियों को वित्तपोषित किया गया है ।

बैंक ने वर्ष के दौरान रु. 2.22 करोड़ की 734 सौर विद्युत प्रणाली का वित्तपोषण किया है । बैंक द्वारा वित्तपोषित सौर विद्युत प्रणाली की संचयी संख्या 9829 यूनिट है और उसमें अंतर्विष्ट कुल राशि रु. 17.49 करोड़ है। इसके परिणामस्वरूप, प्रति वर्ष लगभग 7.84 करोड़ यूनिटों की ग्रिडपॉवर की बचत हुई है, जिसका 54.30 मेगावाट की चरम अवधि लोड को बचाने में योगदान है ।

लघु और मध्यम उद्यम (एस.एम.ई.) क्षेत्र को अग्रिम

भारत सरकार और भा.रि.बैं. द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए बैंक ने एस.एम.ई. क्षेत्र को अधिक ऋण उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाए हैं । मार्च 2010 तक एस.एम.ई. क्षेत्रों को दिया गया कुल अग्रिम रु. 11,006 करोड़ था जबकि मार्च 2010 को यह राशि रु. 6865 करोड़ थी, जिसने भारत सरकार द्वारा अपेक्षित 20% की वृद्धि को पार करते हुए वर्ष 2009-10 के दौरान 60.33% की वृद्धि दर्ज की है। मार्च 2010 तक लघु और व्यष्टि उद्यमों को दिए गए अग्रिमों का स्तर रु. 9,741 करोड़ तक पहुँच गया जो एस.एम.ई. अग्रिमों का 88.50% दर्शाता है । एस.एम.ई. क्षेत्र को ऋण की उपलब्धता पर निगरानी रखने हेतु प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में एस.एम.ई. हेल्प डेस्क/एम.एस.एम.ई. केयर सेंटर स्थापित किए गए है । ''सिंड एस.एम.ई. केयर'' नामक एक अलग वेब पेज शुरू किया गया है, जिसमें एस.एम.ई. क्षेत्र को उपलब्ध सभी सुविधाओं की जानकारी शामिल की गयी हैं ।

कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना (ए डी डब्लू आर डी एस) - 2008

बैंक ने भारत सरकार/भा.रि.बैं. के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना-2008 को कार्यान्वित किया । ऋण माफी योजना के अंतर्गत रु. 736 करोड़ की ऋण राशि माफ की गयी जिससे 292819 छोटे/सीमांत किसान लाभान्वित हुए । ऋण राहत योजना के अंतर्गत 71633 अन्य किसानों को राहत प्रदान की गयी, जिसमें अंतर्विष्ट रक़म रु. 150 करोड़ थी । भारत सरकार/भा.रि.बैं. के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार 221213 किसानों को रु. 856 करोड़ तक नये ऋण मंजूर किए गए ।

26.90% during the year 2009-10. For extending education loans thrust is given to SC/ST category, minorities and female students. Education loan beneficiaries and their parents/guardians are covered with Accidental Insurance up to the sanctioned loan amount at competitive premium under tie-up arrangement with United India Insurance Co. Ltd.

Harnessing Solar Energy

The Bank is actively involved in promoting solar energy and implementing the schemes for financing Solar Water Heating Systems and Solar Lighting Systems. The Bank has signed MOU with IREDA to implement MNRE's (Ministry of New and Renewable Energy) scheme for extending loans for installation of Solar Water Heating Systems at concessional rate of 2/3/5% to domestic/Institutional/Industrial users respectively. During 2009-10 the Bank has financed 3,578 Water Heating Systems to the extent of Rs.12.46 crore. The cumulative number of Solar Water Heating Systems financed by the Bank is 32,736 units to the extent of Rs.88.25 crore up to March 2010.

The Bank has financed 734 Solar Lighting Systems to the extent of Rs.2.22 crore during the year. Cumulative number of Solar Lighting Systems financed by the Bank is 9829 units to the extent of Rs.17.49 crore. As a result of Solar Water Heating Systems & Solar Lighting Systems financed by the Bank, there is a grid power saving of about 7.84 crore units per annum contributing to a peak load saving of 54.30 MW.

Advances to Small & Medium Enterprise (SME) sector

In tune with the guidelines issued by the Government of India and RBI, the Bank has taken steps for increased flow of credit to SME sector. Total Advances to SME sector stood at Rs.11,006 crore as at March 2010, against Rs.6,865 crore as at March 2009 registering a growth of 60.32% during the year 2009-10, surpassing the minimum of 20% growth expected by GOI. Advances to Small and Micro Enterprises reached a level of Rs.9,741 crore as at March 2010 constituting 88.50% of SME advances. SME Help Desks / MSME care centers are established in each regional office to monitor the flow of credit to SME sector. 'Synd SME Care', a separate web page containing all information on the facilities available to SME sector is introduced.

Agriculture Debt Waiver and Debt Relief Scheme (ADWDRS)-2008

In terms of GOI/RBI guidelines, the Bank has implemented Agriculture Debt Waiver & Debt Relief Scheme-2008. 292819 number of Small/Marginal farmers are covered under the Debt Waiver scheme and an amount of Rs.736 crore has been waived. Under the Debt Relief scheme 71633 number of other farmers were provided with relief amounting to Rs.150 crore. As per the guidelines, 221213 farmers were provided with fresh credit to the extent of Rs.856 crore. Now, under the Debt Relief Scheme, Govt. of India has extended time up to 30-06-2010 to pay 75% of farmer's share. Out of total amount of Rs.736 crore waived,

किसानों के हिस्से की 75% राशि की अदायगी हेतु उक्त योजना की अवधि को 30-06-2010 तक बढ़ाया गया है । माफ किए गए कुल रु. 736 करोड़ में से भारत सरकार ने दि. 31-03-2010 तक रु. 476 करोड़ की राशि की प्रतिपूर्ति कर दी है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

बैंक द्वारा प्रायोजित 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, जिनकी 1328 शाखाएं 5 राज्यों के 30 जिलों में फैली हुई हैं । बैंक द्वारा प्रायोजित सभी क्षे. ग्रा.बैं. प्रमुख कारोबार मानदण्डों के मामले में देश के 86 क्षे.ग्रा.बैं. की तुलना में शीर्ष पंक्ति में विराजमान है । बैंक द्वारा प्रायोजित इन क्षे.ग्रा.बैं. का कुल कारोबार रु. 27,383 करोड़ रहा जो वर्ष के दौरान 19.73% की वार्षिक वृद्धि दर्शाता है।

क्षे.ग्रा. बैंकों की कुल जमाराशियां तथा अग्रिम क्रमशः 22.53% और 16.34% की वार्षिक वृद्धि दर्ज करते हुए क्रमशः रु. 15,328 करोड़ और रु. 12,055 करोड़ हो गए हैं । प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिया गया कुल अग्रिम रु. 10,311 करोड़ था जो दि. 31-3-2010 को कुल अग्रिमों का 85.53% है । इसी प्रकार, कृषि अग्रिम रु. 7,717 करोड़ तक पहुँच गया, जो कुल अग्रिमों का 65.67% है, जिसमें 23.43% की वार्षिक वृद्धि हुई है । क्षे.ग्रा.बैंकों ने किसानों को 9.89 लाख किसान क्रेडिट कार्डों के ज़रिए रु. 4,216 करोड़ के ऋण प्रदान किए । क्षे.ग्रा. बैंकों ने वर्ष 2009-10 के दौरान रु. 306 करोड़ का निवल लाभ अर्जित किया है ।

ग्राम विस्तार शिक्षण कार्यक्रम

बैंक हमेशा से कृषि क्षेत्र में, कृषि उत्पादकता में सुधार लाने की दृष्टि से तकनीकें अपनाने में अग्रणी रहा है । वर्ष 2009-10 के दौरान हमारी शाखाओं द्वारा 531 ग्राम विस्तार शिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें 50259 किसानों/गाँव के लोगों ने भाग लिया । इन कार्यक्रमों में संगोष्ठियाँ, जानवरों के स्वास्थ्य परीक्षण शिविर, विशेषज्ञों के व्याख्यान, क्षेत्रों का दौरा, प्रदर्शनी, स्वनियोजन जानकारी कार्यक्रम, वन महोत्सव इत्यादि शामिल थे । पांच जिलों में किसान मेलों का आयोजन किया गया, जिसमें 6900 किसानों ने सहाभागिता की और इस कार्यक्रम के दौरान किसानों को कृषि से संबंधित नवीनतम प्रौद्योगिकी विकास की जानकारी दी गयी ।

सिंडिकेट ग्रामीण विकास न्यास (एस.आर.डी.टी.)

सिंडिकेट ग्रामीण विकास न्यास (एस.आर.डी.टी.) की स्थापना ग्रामीण विकास एवं ग्रामीण गरीबों, खासकर, महिलाओं में ग्रामीण उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए की गयी है । बैंक द्वारा पांच राज्यों में स्थापित दस एस.आइ.आर.डी. के माध्यम से उद्यमिता प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है । वर्ष 2009-10 के दौरान इन संस्थानों ने 308 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिससे 10277 व्यक्ति लाभान्वित हुए, जिनमें से 7104 महिलाएं थी और 2527 अ.जा./अ.ज.जा. संवर्ग के थे। शुरू से अब तक प्रशिक्षित कुल अभ्यर्थियों की संख्या 62,908 है । नियोजन की दर 68% है ।

ग्रामीण विकास और स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (रुडसेटी)

बैंक ने देशभर में 23 ग्रामीण विकास और स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (रुडसेटी) का सह-प्रायोजन किया है । इन संस्थानों ने वर्ष 2009-10 के दौरान 18,817 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया । इनमें से 10882 महिलाएं थी और 5487 अ.जा./अ.ज.जा. के थे । शुरू से अब तक प्रशिक्षित कुल अभ्यर्थियों की संख्या 2,83,235 है । नियोजन की दर 69.74% है ।

GOI has reimbursed an amount of Rs.476 crore as at 31-03-2010 under debt waiver.

Regional Rural Banks

There are 5 Regional Rural Banks sponsored by the Bank, covering 30 districts in 5 states, with a network of 1328 branches. All the RRBs sponsored by the Bank are in the top league among 86 RRBs in the country, in respect of key business parameters. Total business of RRBs sponsored by the Bank stood at Rs.27,383 crore, registering an annual growth of 19.73% during the year.

The total deposits and advances of the RRBs reached a level of Rs.15,328 crore and Rs.12,055 crore, with an annual growth of 22.53% and 16.34% respectively. The total Priority Sector Advances stood at Rs.10,311 crore constituting 85.53% of total advances as at 31-03-2010. Similarly agricultural advances reached a level of Rs.7,917 crore forming 65.67% of total advances, registering an annual growth of 23.43%. In all, the RRBs have issued 9.89 lakh Kisan Credit Cards to farmers with an outstanding credit of Rs.4,216 crore. The RRBs have earned a net profit of Rs.306 crore for the year 2009-10.

Rural Extension Education Programmes

The Bank has been in the forefront in promoting adoption of new technology in the field of agriculture, enabling farmers to improve the productivity/production. 531 Rural Extension Education Programmes benefiting 50259 farmers/ villagers were organized by the branches during the year 2009-10. These programmes included agricultural seminars, animal health check-up camps, expert lectures, field visits, demonstrations, self-employment awareness programmes, vanamahotsavas etc. Kisan Melas have been organized in five lead districts which sensitized 6900 farmers to the latest technological developments in agriculture.

Syndicate Rural Development Trust (SRDT)

Syndicate Rural Development Trust (SRDT) was established to promote rural development and rural entrepreneurship among the rural poor, especially women. The Bank is imparting training through 10 Syndicate Institutes of Rural Entrepreneurship Development (SIRDs) set up in five states. These institutes have conducted 308 training programmes during the year 2009-10, benefiting 10277 persons, of whom 7104 were women and 2527 were from SC/ST category. Total candidates trained since inception are 62908. The settlement rate is 68%.

Rural Development and Self Employment Training Institute (RUDSETI)

The Bank has co-sponsored 23 Rural Development and Self Employment Training Institutes (RUDSETIs) across the country. These institutes have trained 18817 candidates during the year 2009-10. Out of these trained candidates 10882 were women and 5487 were from SC/ST category. Total candidates trained since inception are 238235. The settlement rate is 69.74%.

राजस्थान के भिलवाड़ा में 24वीं रुडसेटी तथा असम के गुवाहाटी में 25 वीं रुडसेटी स्थापित करने हेतु निर्णय लिया गया है । ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निर्णय के अनुसार, बेरोजगार/अल्प रोजगार की समस्या को दूर करने के लिए देश के हर जिले में कम से कम एक रुडसेटी की स्थापना की जानी है। बैंक ने पाँच जिलों में, जहाँ हम अग्रणी बैंक की भूमिका निभा रहे हैं, वहाँ पर सर्ड के नये संस्थानों को स्थापित करने का निर्णय लिया है।

अग्रणी जिला योजना

बैंक लक्षद्वीप द्वीपसमूह के संघ शासित क्षेत्र सहित देशभर के 25 जिलों में अग्रणी बैंक की जिम्मेदारी संभाल रहा है । इन 25 अग्रणी जिलों में बैंक ने जिला स्तरीय समीक्षा बैठकों का आयोजन यानि डी.एल.आर.सी. और डी.सी.सी. का आयोजन नियमित रूप से किया है । भा.रि.बैं. द्वारा प्रवर्तित समय अनुसूची के अनुसार डी.सी.पी. 2010-11 को समयबद्ध रीति से पूरा किया गया ।

बैंक कर्नाटक राज्य और संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति का संयोजक है और बैंक ने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजक के रूप में अपनी जिम्मेदारियों का भी बखूबी निर्वाह किया है ।

राजभाषा का कार्यान्वयन

बैंक दैनंदिन कार्य में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने हेतु ध्यान देता है। राजभाषा नियम 1976 के नियम 10 (4) के अंतर्गत 1611 शाखाएं/कार्यालय अधिसूचित किए गए तथा नियम 8 (4) के अंतर्गत 233 शाखाएं/कार्यालय विनिर्दिष्ट किए गए हैं । समीक्षा अवधि के दौरान 95 प्रयोजनमूलक हिन्दी कार्याशालाएं, 256 हिन्दी डेस्क प्रशिक्षण कार्यक्रम, तथा हिन्दी समन्वयकों के लिए 2 कार्यक्रम संचालित किए गए जिनमें 3054 स्टाफ सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया । प्रधान कार्यालय/नैगम कार्यालय में कार्यरत कार्यपालकों के लिए 2 हिन्दी गोष्ठियां आयोजित की गई । राजभाषा अधिकारियों के लिए 11-03-2010 से 13-03-2010 तक एस.आई.बी.एम., मणिपाल में अखिल भारतीय राजभाषा अधिकारी सम्मेलन-सह-यूनिकोड प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन किया गया । बैंक ने सी.बी.एस. शाखाओं में फ्लेक्सक्यूब के एफ.सी.आर. तथा एफ.सी.सी. मोड्यूल्स ''स्क्रिप्ट मैजिक'' को अपनाया । लगभग 4500 ऐसे हिन्दी शब्दों/अभिव्यक्तियों का हिन्दी अनुवाद/वेटिंग किया गया जिनका प्रयोग सी.बी.एस. में किया जाता है । बैंक का वेबसाईट भी हिन्दी में उपलब्ध है तथा एटीएम द्विभाषी/त्रिभाषी है । वित्तीय सेवाओं संबंधी विभाग/वित्त मंत्रालय/भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आयोजित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की सभी तिमाही बैठकों में बैंक ने वरिष्ठ स्तरीय सहभागिता सुनिश्चित की । संसदीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की आलेख एवं साक्ष्य उपसमिति ने हैदराबाद, गाजियाबाद एवं रायपुर मे हिन्दी के कार्यान्वयन के संबंध में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य बैंकों के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की । समिति ने बैंक में राजभाषा के कार्यान्वयन के क्षेत्र में किए गए निष्पादन की सराहना की । बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा गठित बैंकिंग शब्दावली समिति का भी सदस्य है । समिति इस समय हिन्दी में बैंकिंग शब्दकोश विकसित करने में लगी हुई है जो कि अंतिम चरण में है ।

संगठन और सहायक सेवाएं

शाखा नेटवर्क का विस्तार

वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान बैंक ने कुल 82 शाखाएं खोली जिनमें से 78 शाखाएं सामान्य बैंकिंग शाखाएं थी, और 2 विशेषीकृत बड़ी नैगम

A decision has been taken to establish the 24th RUDSETI at Bhilawara in Rajastan and 25th RUDSETI at Guwahati in Assam. As per the decision of Ministry of Rural Development, GOI, at least one RUDSETIs has to be established in each district of the country to overcome the problem of unemployment/ underemployment. The Bank has initiated measures to establish new SIRDs in five districts where it has lead Bank responsibility.

Lead District Scheme

The Bank has Lead Bank responsibilities in 25 districts including UT of Lakshadweep across the country. Lead Banks in these 25 lead districts conducted the district level review meetings viz. DLRC and DCC meetings regularly. The planning process was completed and DCP 2010-11 was launched as per time schedule envisaged by RBI.

The Bank, being the convener of State Level Bankers' Committee (SLBC) in Karnataka and the Union Territory of Lakshadweep satisfactorily discharged the responsibilities cast on it as the convener of SLBC.

IMPLEMENTATION OF OFFICIAL LANGUAGE

The Bank is giving due attention to encourage the use of Hindi in day-to-day work. 1611 branches/offices were notified under Rules 10(4) and 233 branches/offices were specified under Rules 8(4) of the Official Language Rules 1976. During the period under review, 95 Functional Hindi Workshops, 256 Hindi Desk Training Programmes and 2 programmes for Hindi coordinators were conducted in which 3054 staff members got trained. Two Hindi seminars were conducted for the executives working in Head Office and Corporate Office. An All India Official Language Conference-cum-Unicode Training Programme for Official Language Officers was organized at SIBM, Manipal from 11-03-2010 to 13-03-2010. The Bank has implemented bilingual software i.e., 'Script Magic' for FCR and FCC Modules of Flexcube at CBS Branches. Approximately 4500 Hindi words/phrases pertaining to CBS transactions were translated/vetted. The Bank's website is also available in Hindi and ATMs are bilingual/trilingual. Senior level participation from the Bank was ensured in all OLIC meetings of Dept.of Financial Services/Ministry of Finance/ RBI held on quarterly basis. The Drafting & Evidence Sub-committee of the committee of Parliament on Official Language held discussion on various issues pertaining to implementation of Hindi with the chairman and member banks/organizations of the TOLIC, Hyderabad, Ghaziabad and Raipur. The committee appreciated the Bank's performance in the area of implementation of Official Language. The Bank is one of the members of Banking Terminology Committee constituted by RBI and presently, the committee is engaged in developing Banking Thesaurus in Hindi, which is in the final stage.

ORGANIZATION & SUPPORT SERVICES

Expansion of Branch Network

During the year 2009-10, 82 branches were opened of which 78 were General Banking Branches, 2 were

शाखाएं हैं और 2 लघु एवं मझोली शाखाएं हैं । दो आस्ति वसूली प्रबंधन शाखा और एक विशिष्ट बड़ी कॉर्पोरेट शाखा थी। वर्ष के दौरान 2 क्षेत्रीय कार्यालय खोले गए जिनमें से एक मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश) तथा दूसरा गुवाहाटी (असाम) में है।

उपर्युक्त शाखाओं में से 27 शाखाएं बैंकिंग सेवाओं से वंचित जिलों में तथा 18 शाखाएं अल्पसंख्यक केन्द्रित जिलों में खोली गयीं । खोली गयी नयी शाखाओं में 31 शाखाएं टायर 3 से टायर 6 केंद्रों में हैं ।

बैंक की कुल शाखाओं की संख्या 2308 हो गयी (लंदन शाखा सहित) । इनमें से 666 ग्रामीण, 552 अर्ध शहरी, 541 शहरी तथा 548 महानगरी और पोर्ट-टाउन शाखाएं हैं । उपशाखाओं की कुल संख्या 15 है । विशिष्ट एस.एम.ई. शाखाओं की संख्या 29 है ।

वर्ष के दौरान बैंक ने उन 16 जिलों में पदार्पण किया जहाँ अब तक कोई बैंक शाखा नहीं थी।

मणिपुर राज्य और दमन और दि्यू तथा दादर एवं नागर हवेली संघशासित क्षेत्रों को छोड़कर देश के सभी राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों में बैंक की शाखाएं हैं।

अवसंरचना सहायक सेवाएं

परिवेश एवं दर्शनीयता

सभी शाखाओं/कार्यालयों को साफ-सुथरा एवं आकर्षक कारोबारी स्वरूप प्रदान किया गया है, आंतरिक साज-सज्जा को भी मनमोहक स्वरूप प्रदान किया गया है क्योंकि ये चीजें कारोबार पर अपना महत्वपूर्ण असर डालती हैं ।

प्रमुख परियोजनाएं

बैंक ने उडुपि तथा मंगलूर में दो आवासीय भवन निर्माण परियोजना आरंभ की है तथा आंतरिक साजसज्जा का काम प्रगति पर है । गाजियाबाद में 100 फ्लैट निर्मित करने की महत्वाकंक्षी परियोजना शीघ्र ही आरंभ की जाएगी। मणिपाल में धनागार का निर्माण तथा तमरक्की शाखा के लिए बैंक स्वामित्व वाला भवन निर्माण का कार्य पूरा हो गया है । कासरगोड, बिजापुर तथा बेलगाम में धनागार का निर्माण संबंधी परियोजना प्रगति पर है । कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय तथा कोलकाता शाखा के लिए बैंक स्वामित्व वाला भवन का निर्माण कार्य शीघ्र ही पूरा होनेवाला है । बैंक ने पुनर्वास तथा मुंबई में आवासीय फ्लैटों का नवीकरण कार्य शुरु किया है ।

बैंक ने कार्यपालकों और अधिकारियों के लिए आवासीय व्यवस्था हेतु 19 केंद्रों में अतिरिक्त आवासीय स्थल का अधिग्रहण लेने के लिए आवश्यक कदम उठाए है ।

नीति की समीक्षा

बैंक ने परिसरों को पट्टे पर लेने संबंधी नीति की समीक्षा की है इससे पटटे पर लिए जानेवाले क्षेत्र तथा दिए जानेवाले किराये में मितव्ययिता लायी गयी है । इससे शाखा स्तरीय बाहरी आवरण को बनाए रखना सुविधाजनक रहा।

Specialized Large Corporate Branches and 2 were Small and Medium Enterprises Branches. Two Regional Offices were opened at Moradabad in U.P. and Guwahati in Assam. 3 Extension Counters were also opened during the year.

Out of the above, 27 branches were opened in under-banked districts and 18 in Minority Concentration Districts. Of the newly opened branches, 31 are in Tier 3 to Tier 6 centres.

The number of Regional Offices increased to 37 and the total branch network of the Bank stood at 2308 branches including London Branch, comprising of 666 rural, 552 Semi Urban, 541 urban and 548 Metro & Port Town Branches. The total number Extension Counters of the Bank were 15. The specialized SME branches numbered 29.

During the Year the Bank has entered 16 districts where the Bank had no presence hitherto.

The Bank has branches in all the States except Manipur and in all the Union Territories except Daman & Diu and Dadra & Nagar Haveli.

INFRASTRUCTURE SUPPORT

Ambiance and Visibility

Good ambience, neat & tidy business premises and attractive & comfortable interiors coupled with proper visibility has been ensured in all branches and offices, since these factors substantially impact the business.

Major projects

The Bank has undertaken two major residential building projects at Udupi and Mangalore and the work on the interiors is underway. The prestigious project of construction of 100 flats in Ghaziabad will be commenced shortly. The construction of Currency Chest at Manipal and Bank owned building for Tamarakki branch is completed. The projects which are underway are Currency Chests at Kasargod, Bijapur & Belgaum. Construction of Bank owned building for housing Regional Office and branch at Kolkata is nearing completion. The Bank has undertaken major rehabilitation and renovation of residential flats in Mumbai.

The Bank has initiated necessary steps for acquiring additional residential accommodation for Executives and officers at 19 centres.

Review of policies

The Bank has reviewed the policy on taking premises on lease, thereby economizing on the area to be taken on lease and consequent rental outgo. This has also facilitated in maintaining presentable ambience at branch level.

सूचना प्रौद्योगिकी

बैंक ने अपनी सभी शाखाओं में कोर बैंकिंग सोल्यूशन का शत प्रतिशत कार्यान्वयन हासिल किया है और भारतीय बैंकिंग उद्योग में अभी भी अग्रणी है । सरकारी और अन्य विनियामक अपेक्षाओं का पालन करते हुए बैंक निरंतर नवीनतम तकनीकी के कार्यान्वयन हेतु प्रयास कर रहा है ।

कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस)

मार्च 2010 तक की स्थिति के अनुसार 32 राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के 1484 केंद्रों में बैंक की सभी 2307 शाखाओं और 42 कार्यालयों को सीबीएस के दायरे में लाया गया है। इन शाखाओं में से 722 शाखाएं उन 40 बड़े नगरों एवं शहरों में स्थित हैं जहाँ 5 से अधिक शाखाएं हैं और शेष शाखाएं 1444 केन्द्रों में स्थित हैं।

डाटा सेन्टर (डी सी) तथा डिसॉस्टर रिकवरी साइट (डी आर एस) की स्थापना

बैंक ने मुंबई में डाटा सेन्टर (डी सी), बेंगलूर में डिसॉस्टर रिकवरी साइट (डीआरएस) और मुंबई में नियर साइट (एन एस) जैसे सुसज्जित अवसंरचनाओं की स्थापना की है।

सी.बी.एस. प्रणाली की बढ़ती प्रवृत्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चालू वित्त वर्ष के दौरान डाटा सेंटर में स्थित सर्वरों को बदलकर नवीनतम मॉडल के सर्वरों का प्रतिस्थापन किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रणाली की गति और संसाधन क्षमताओं में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। डाटाबेस के स्टोरेज स्पेस को बढ़ाने के लिए स्टोरेज एरिया नेटवर्क (एस.ए.एन.) को स्तरोन्नत करके नवीनतम मोड्यूल लगवाया गया है ।

ए.टी.एम. नेटवर्क

बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक और भारतीय बैंक संघ के तत्वाधान के अंतर्गत नेशनल पेमेंट्स कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया द्वारा परिचालित नेशनल फाइनांशियल स्विच का सदस्य बन गया है । इससे ए.टी.एम. कार्डधारक देश भर में 37 सदस्य बैंकों के 52,000 अधिक ए.टी.एम. का प्रयोग कर सकते हैं।

फिलहाल बैंक के पास 1187 एटीएम है, जिनका विस्तार देश के 635 केन्द्रों में हैं । बैंक के ग्लोबल डेबिट सह एटीएम कार्ड के ग्राहकों की संख्या 48.63 लाख से भी अधिक है । एटीएम कार्डों के माध्यम से हर महीने रु. 930 करोड़ से अधिक की नकदी का वितरण किया जाता है ।

बैंक ''वीसा'' इंटरनेशनल का सदस्य है, जो हमारे एटीएम/डेबिट कार्डधारकों को विश्व भर के 1.6 मिलियन से भी अधिक एटीएम का उपयोग करने की सुविधा प्रदान करता है । बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत 'वीसा (वी बी वी) द्वारा सत्यापित' नामक अतिरिक्त सुरक्षा उपाय को लागू किया है ।

इंटरनेट बैंकिंग

इंटरनेट बैंकिंग के उपयोग में उल्लेखनीय वृद्धि का स्वरूप बरकरार रहा है । इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करनेवालों की संख्या तथा प्रति माह हिट्स की संख्या मार्च 2009 के क्रमश: 1.16 लाख तथा 17.42 लाख से बढ़कर मार्च 2010 में क्रमश: 5.08 लाख तथा 28.75 लाख हो गए हैं ।

इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से बैंक द्वारा प्रस्तुत किए गए मूल्यवर्धित सेवाएं जैसे कि एन ई एफ टी के जरिए अन्य बैंकों में निधियों का अंतरण, रेलवे टिकट का आरक्षण उपयोगिता बिलों का भुगतान आय कर, निगम कर जैसे

INFORMATION TECHNOLOGY

The Bank, having achieved 100% implementation of the Core Banking Solution across all its branches, continues to be in the forefront of the Indian Banking Industry. By conforming to Governmental as well as Regulatory requirements, the Bank is constantly striving to implement the latest that Information Technology has to offer.

Core Banking Solution (CBS)

As on 31st March 2010, all the 2307 domestic branches and 42 offices of the Bank in 1484 centres are under the CBS network. These branches/offices are distributed over 32 States and Union Territories. 722 of these are distributed in 40 major cities and towns with 5 or more branches and the remaining branches are in 1444 centres.

Data Centre (DC) & Disaster Recovery Site (DRS) Set-up

The Bank has in place state-of-the-art Data Centre (DC) at Mumbai, Disaster Recovery Site (DRS) at Bangalore and Near Site (NS) at Mumbai.

In order to meet the needs of the burgeoning CBS system, the servers at Data Centre have been replaced with the latest server models during the current fiscal, resulting in significant increases in speed and processing capabilities. The Storage Area Network (SAN) has also been upgraded to the latest module to accommodate the increasing requirements for database storage space.

ATM Network

The Bank has become a member of the National Financial Switch operated by National Payments Corporation of India under the aegis of Reserve Bank of India and Indian Banks' Association. This enables ATM cardholders of the Bank to have access to over 52000 ATMs of 37 member banks nationwide.

The Bank has now 1187 ATMs spread across 635 centres across all population groups across the country. The Bank has a global Debit-cum-ATM card base of over 48.63 lakh, with the cash disbursal through ATMs exceeding Rs.930 crore per month.

The Bank's membership of VISA International enables the ATM/Debit Card holders to have access to over 1.6 million ATMs across the globe. As a measure of additional security, Verified by Visa (VbV) has been implemented by the Bank promptly, well within the deadlines set by the Reserve Bank of India.

Internet Banking

Internet Banking usage has continued its phenomenal growth pattern. The number of Internet Banking users and the number of hits per month increased to over 5.08 lakh and over 28.75 lakh in March 2010 from 1.16 lakh and 17.42 lakh respectively in March 2009.

The value added services offered by the Bank through Internet Banking, such as transfer of funds to other banks through NEFT, Railway Ticket reservation, Utility Bills payment, Payment of direct taxes such as Income Tax, Corporation

प्रत्यक्ष करों का भुगतान आदि से अधिकाधिक ग्राहक इंटरनेट बैंकिंग की ओर आकर्षित हो रहे हैं तथा इससे बैंक को प्रतिस्पर्धा में आगे रहने में बल मिल रहा है ।

एस एम एस बैंकिंग

यह सुविधा प्राप्त करनेवाले ग्राहकों की संख्या मार्च 2009 की 58,168 से बढ़कर मार्च 2010 में 2,65,543 हो गई है । जिससे यह साबित होता है कि यह वितरण चैनल ग्राहकों में जनप्रिय हो गया है । बैंक इन सेवाओं को नि:शुल्क प्रदान कर रहा है ।

डाटा वेयरहाउस

एंड टु एंड ऐंटरप्राइस डाटा वेयरहाउस तथा बिजनेस इंटलिजेन्स सोल्यूशन (ई डी डब्ल्यू बी आई) की शुरुआत करने के लिए लागू की गई महत्वकांक्षी योजना निर्धारित समयसीमा के अनुसार प्रगति पर है ।

धन शोधन निवारक सोल्यूशन जो एक अधिदेशात्मक सोल्यूशन है, उसे वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान कार्यान्वित किया गया है और प्र.का. निरीक्षण विभाग में इसका उपयोग किया जा रहा है ।

ई डी डब्ल्यू बी आई परियोजना का पहला चरण जिसमें सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन्स (एस आर एस) है उसे निर्धारित समयसीमा में सफलतापूर्वक पूरा किया गया है ।

दूसरे चरण का कार्यान्वयन प्रगति पर है ।

ई डी डब्ल्यू बी आई के एक भाग के रूप में 'डाटा एनरिचमेंट सिस्टम' नामक एक नया एप्लिकेशन साफ्टवेयर विकसित किया गया है । जो शाखाओं को उन सूचनाओं को कैप्चर करने में मदद करता है जो सी.बी.एस. प्रणाली में फिलहाल उपलब्ध नहीं है ।

बैंक का वेबसाइट

बैंक का वेबसाइट जुलाई 2009 में एक डेडिकेटेड सर्वर के रूप में परिवर्तित हो गया है ।

बैंक के वेबसाइट को हमारे मौजूदा और भावी ग्राहकों द्वारा भरपूर उपयोग किया जा रहा है । हिट्स की संख्या मार्च 2009 के 126 लाख से बढ़कर मार्च 2010 में 276 लाख हो गया है । आकर्षक रंग संयोजन न्यूनतम नेविगेशन, संरचनायुक्त मेनु, बैंक की योजनाओं के इमेज आधारित डिसप्ले, इमेज और विषयवस्तु को अद्यतन बनाने आदि से वेबसाइट की गुणवत्ता में वृद्धि हुई है ।

आई एस सुरक्षा नीति

बैंक के निदेशक मंडल ने जनवरी 2009 में संशोधित आई एस सुरक्षा नीति का अनुमोदन करते हुए निदेश दिया है कि संशोधित नीति के कार्यान्वयन हेतु विभिन्न कार्यकर्ताओं तथा समूहों को उनकी भूमिका तथा दायित्व को स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट करते हुए परिचालन मेन्युअल/विस्तृत प्रक्रियागत दिशा निदेश तैयार किया जाए ।

आई एस सुरक्षा नीति तैयार की गई है तथा इसका अनुमोदन किया गया है और इसे क्षे.का./शाखाओं को 'नीड-टु-नो' आधार पर उपलब्ध कराया जा रहा है ।

आई एस ओ 27001 प्रमाणन

बी एस आई मेनेजमेंट सिस्टम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (ब्रिटिश स्टैंडर्ड इनस्टिट्यूशन-यू के की सहायक संस्था) के माध्यम से बैंक की सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली की मूल्यांकन के जरिए डाटा सेंटर-मुंबई, डिसेस्टर रिकवरी सैट बेंगलूर तथा सूचना प्रौद्योगिकी

Tax etc. continue to attract more users to the Internet Banking facility and also helps the Bank to stay ahead of the competition.

SMS Banking

The number of customers who have availed this facility has grown to 2,65,543 as at March 2010 from 58,168 as at March 2009 proving the popularity of this delivery channel among the customers. The Bank has been providing these facilities free of cost.

Data Warehouse

The implementation of the ambitious project for the commissioning of an end-to-end Enterprise Data Warehouse and Business Intelligence Solution (EDWBI) is progressing well, in keeping with the timelines specified for the project.

One of the Mandatory Solutions, Anti-Money Laundering Solution, has already been implemented during the fiscal 2009-10 and is in use at HO: Inspection Department.

The first phase of the EDWBI project consisting of System Requirement Specifications (SRS) has been successfully completed within the stipulated time schedule.

Implementation of the second phase is in progress.

A new application called 'Data Enrichment System' developed as part of EDWBI which enables the branches to capture information that is not presently available in CBS, is ready for deployment.

Website of the Bank

The Website of the Bank has been moved to a dedicated server in July 2009.

The Website of the Bank is increasingly being accessed by existing and prospective customers, with the number of hits having risen to 276 lakh in March 2010 from 126 lakh in March 2009. The pleasant and catchy colour combination, minimized navigation with structured menus, image based display of the Banks' schemes and in-house updating of images & content with time-sensitivity has yielded enhanced website quality.

IS Security Policy

The Bank's Board, having approved the revised IS Security Policy in January 2009, had directed that the Manual of Operations/detailed procedural guidelines for implementing the revised policy clearly specifying the assigned roles and responsibilities to various functionaries and groups be formulated.

IS Security procedures have been formulated and approved and are now being provided to ROs / Branches on a 'need-to-know' basis.

ISO 27001 Certification

Data Centre - Mumbai, Disaster Recovery Site - Bangalore and Department of Information Technology - Bangalore had been accorded the ISO/IEC-27001: 2005 certification through an assessment of the Bank's Information Security Management System through BSI Management System

विभाग बेंगलूर को आई एस ओ/आई ई सी 27001:2005 सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है । सर्टिफिकेशन का परवर्ती अधिदेशात्मक लेखा परीक्षा के दौरान इस वर्ष किसी प्रकार की अनियमितता नहीं पायी गयी है तथा आई एस ओ: 27001 सर्टिफिकेशन जारी रहा है ।

सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रवर्तित परियोजनाएँ

बैंक ने सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा निदेशों के अनुसार निम्नलिखित परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया है:

ओ.एल.टी.ए.एस.: बैंक ने प्रत्यक्ष कर संभालने के लिए नामोद्दिष्ट सभी 324 शाखाओं में ऑन लाइन कर लेखाकरण प्रणाली (ओ.एल.टी.ए.एस.)का कार्यान्वयन किया है ।

इंटरनेट के माध्यम से प्रत्यक्ष और परोक्ष करों का भुगतान

बैंक दि. 1-04-2008 से प्रत्यक्ष करों जैसे आय कर तथा नगरपालिका कर तथा प्रत्यक्ष कर अदाकर्ताओं को निम्नलिखित श्रेणी के संबंध में ई-भुगतान हेतु इंटरनेट बैंकिंग सुविधा प्रदान कर रहा है ।

1. सभी कंपनियाँ
2. सभी करदाता, जो आय कर की धारा 44 ए.बी. के प्रावधानों के अंतर्गत आते हैं, खासकर, वे व्यक्ति जिनके कारोबार से बिक्री पण्यावर्त या कुल प्राप्तियाँ पिछले वर्ष रु. 40 लाख से अधिक है या व्यवसाय से जिनकी कुल प्राप्तियाँ पिछले वर्ष रु. 10 लाख से अधिक है ।

इजिएस्ट (EASIEST): बैंक ने अन्य परोक्ष करों के संग्रहण के लिए 189 शाखाओं में इजिएस्ट योजना का कार्यान्वयन किया है । प्रत्यक्ष कर की ई-भुगतान सुविधा की शुरुआत दिनांक 10-01-2006 से की गई है ।

ई.ए. एस.ई.आर. (ई-रसीदों के लिए इलेक्ट्रॉनिक लेखाकरण प्रणाली) का कार्यान्वयन दिनांक 01-08-2008 से किया गया है । केन्द्रीय उत्पाद कर के लिए केन्द्रीय लेखा कार्यालय, चेन्नई को ई.एफ.पी.बी. (केन्द्र बिन्दु शाखा) के रूप में नामित किया गया है और सेवा कर के संबंध में केन्द्रीय लेखा कार्यालय, मुंबई को ई-एफ.पी.बी. के रूप में नामित किया गया है ।

मूल्यवर्धित कर (वैट) का संग्रहण

बैंक ने दिल्ली की 65 शाखाओं में मूल्य वर्धित कर संग्रहण प्रणाली की शुरुआत की है ताकि ऐसे संग्रहणों का लेखाकरण तथा उसकी इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग को सुकर बनाया जा सके ।

एकसमान मुद्रा तिजोरी सॉफ्टवेयर: बैंक ने अपनी सभी मुद्रा तिजोरियों में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रदान किये गये सॉफ्टवेयर को कार्यान्वित किया है ।

चेक ट्रंकेशन प्रणाली : राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र में दि. 02-03-2010 से चेक ट्रंकेशन की प्रायोगिक परियोजना का कार्यान्वयन शुरू हो चुका है।

आर.टी.जी.एस.: बड़े मूल्य के लेन-देनों का उसी समय ऑन लाइन में भुगतान और निपटान करने हेतु अंतरबैंक और ग्राहक लेन-देन दोनों के लिए बैंक ने अपनी 2265 शाखाओं में आर.टी.जी.एस. का कार्यान्वयन किया है । आर.टी.जी.एस.टी. की उपयोगिता की अवधि को सभी कार्य दिवसों में बढ़ाया गया है।

एन.ई.एफ.टी.: राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक निधि अंतरण प्रणाली को 2254 शाखाओं में कार्यान्वयन किया गया है । एन.ई.एफ.टी. अवधि को बढ़ाया गया है और लेन-देन का निपटान घंटेवार बैचों में किया जाता है ।

आर.टी.जी.एस. तथा एन.ई.एफ.टी. दोनों भुगतान उत्पाद हमारे ग्राहकों के बीच काफी लोकप्रिय हुए हैं ।

शीघ्र समाशोधन

शीघ्र समाशोधन प्रणाली के अंतर्गत हमारी शाखाओं पर सी.बी.एस. प्लैटफ

India P Ltd. (subsidiary of British Standards Institution-UK). During subsequent mandatory audit of the certification during this year, no irregularities were reported and the ISO:27001 certification continues.

Government / RBI Initiated Projects

The Bank has implemented the following projects in compliance with the guidelines of the Government/RBI:

OLTAS: The bank has implemented Online Tax Accounting System (OLTAS) at all the 324 branches designated to handle Direct Taxes.

Payment of Direct & Indirect Taxes through Internet

The Bank is offering internet banking facility of e-payments of direct taxes such as Income Tax and Corporation Tax for the following category of direct tax payers w.e.f. 01-04-2008.

1. All Companies.
2. All tax payers who are covered under provision of Section 44AB of the Income Tax covering mainly persons whose sales turnover or gross receipts from business exceeds Rs.40 lakh in the previous year, or who's gross receipts from profession exceeds Rs.10 lakh in the previous year.

EASIEST: The Bank has implemented EASIEST, a project for collection of other indirect taxes, in 189 branches. E-payment of indirect tax facility is enabled from 10-01-2006.

EASeR (Electronic Accounting System for e-Receipts) is implemented from 01-08-2008. Central Accounts Office (CAO) Chennai is designated as e-FPB (Focal Point Branch) for Central Excise and CAO, Mumbai as e-FPB for service Tax.

VAT Collection: The Bank has implemented collection of value Added Tax in 65 branches of Delhi to facilitate accounting and electronic reporting of such collections.

Uniform Currency Chest Software: The Bank has implemented the software provided by the RBI, in all its Currency Chests.

Cheque Truncation System: Cheque Truncation System is implemented in the entire National Capital Region of Delhi w.e.f. 02-03-2010.

RTGS: The Bank has implemented RTGS for online real time payments and settlement of large value transactions in 2265 branches of the Bank for both interbank and customer transactions. RTGS usage timings has been extended on all working days.

NEFT: National Electronic Fund Transfer has been implemented in 2254 branches. NEFT usage timings has been extended and settlement is being done in hourly batches.

Both the payment products, RTGS & NEFT, have become very popular among the clientele.

Speed Clearing

Under Speed Clearing, outstation cheques drawn on the

ार्म के अंतर्गत आहरित बाहरी चेकों को उसी केन्द्र में भुगतान के लिए पारित किया जाता है, जहाँ चेक उगाही के लिए प्राप्त होते हैं । इस प्रणाली के माध्यम से, सी.बी.एस. शाखाओं पर आहरित बाहरी चेकों की उगाही के लिए लगनेवाला समय कम होकर 2-3 दिनों तक रह गया है । शीघ्र समाशोधन प्रणाली की शुरुआत पहले केन्द्रीय लेखा कार्यालय, मुंबई में जून 2008 में आरंभ की गई थी । फिलहाल, त्वरित समाशोधन प्रणाली 66 केन्द्रों पर कार्य कर रही है।

मानव संसाधन विकास

वर्ष 2009–10 के दौरान बैंक ने 1073 परिवीक्षाधीन अधिकारी, 48 विशेषज्ञ अधिकारी, 372 परिवीक्षाधीन लिपिक तथा 195 परिचरों की भर्ती की है। वर्ष के दौरान बैंक ने अल्प संख्यकों के कल्याण के लिए प्रधान मंत्री 15 न्यू पाइंट प्रोग्राम के अंतर्गत अल्प संख्यक समुदाय के 187 अभ्यर्थियों की भर्ती की है। नए सिरे से भर्ती हुए कर्मचारियों के लिए परामर्शदाता सिद्धांत लागू किया गया ताकि नई जगह तथा नई कार्य परिस्थिति में वरिष्ठ कर्मचारी उनके साथ मित्रता, पथप्रदर्शक की भावना से व्यवहार कर सकें।

विभिन्न संवर्ग/वेतनमानों में पदोन्नति प्रक्रिया कार्यान्वित की गई। 430 लिपिकों को अधिकारी संवर्ग के क.प्र.श्रे.वे. I में पदोन्नत किया गया। 146 अधिकारियों को कार्यपालक संवर्ग (व.प्र.श्रे.वे.) IV में पदोन्नत किया गया। वर्ष के दौरान 9 कार्यपालकों को उ का श्रे.वे. VI से उ.का.श्रे.वे. VII में पदोन्नत किया गया।

बैंक का मानव संसाधन में 10944 अधिकारी, 10766 लिपिक, 3859 परिचर तथा 2144 अंशकालिक सफाई कर्मचारी हैं, कुल कर्मचारियों की सं. 27713 है। बैंक, सरकार के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार भर्ती / पदोन्नति में अजा/अजजा/शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थियों को आरक्षण/रियायत दे रहा है। बैंक, अपने शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों को समर्थक प्रणाली/कृत्रिम अंग प्राप्त करने के लिए कर्मचारी कल्याण योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है।

बैंक ने वर्ष के दौरान कई कल्याणकारी योजनाओं की शरुआत की है जो वर्तमान योजनाओं के अतिरिक्त है।

बैंक का औद्योगिक संबंध सुव्यवस्थित एवं स्नेहपूर्ण है और बैंक में अच्छा वातावरण है। कर्मचारी संघ/संस्थाएँ संवेदनशील और सकारात्मक है और बैंक की प्रगति और अभिवृद्धि में संपूर्ण सहयोग दे रहे हैं।

अ.जा./अ.ज.जा. कक्ष

अ.जा./अ.ज.जा. कर्मचारियों की समस्याओं की ओर विशेष रूप से ध्यान देने के लिए बैंक के प्रधान कार्यालय में अलग से एक अ.जा./अ.ज.जा. कक्ष स्थापित किया गया है । महा प्रबंधक श्रेणी के उच्च कार्यपालक इसके प्रमुख हैं और उन्हें मुख्य संपर्क अधिकारी के रूप में पदनामित किया गया है। वर्ष 2009-10 के दौरान 2896 अ.जा./अ.ज.जा. श्रेणी के कर्मचारियों को एस.आइ.बी.एम., मणिपाल में आवासीय तथा अन्य प्रशिक्षण केन्द्रों में पदोन्नतिपूर्व प्रशिक्षण प्रदान किया गया। पदोन्नति प्रक्रिया में भाग लेनेवाले अजा/अजजा कर्मचारियों की पदोन्नति पूर्व प्रशिक्षण दिया जाता है। सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार अ.जा./अ.ज.जा. कर्मचारियों के शिकायत निवारण के लिए अ.जा./अ.ज.जा. कल्याण संघों के प्रतिनिधियों के साथ त्रैमासिक आधार पर बैठकें आयोजित की जाती है।

प्रशिक्षण एवं विकास

अपने ग्राहक को जानिए, धनमार्जन निरोधक उपचार एवं सूचना का अधिकार अधिनियम, ऋण प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन, लघु और मध्यम उद्यमों को उधार

Bank branches under CBS platform are passed for payment at the centre where cheques are received for collection. Through the system, the time required for collection of outstation cheques drawn on CBS branches is reduced to 2-3 days. Speed Clearing was initially introduced in CAO : Mumbai in June 2008. At present Speed Clearing is functioning at 66 Centres.

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

During the year 2009-10, the Bank has recruited 1073 Probationary Officers, 48 Specialist Officers, 372 Probationary Clerks and 195 Sub-staff. Under Prime Minister's 15 New Point Programme for the Welfare of Minorities amongst others, the Bank has recruited 187 candidates belonging to Minority Community during the year. Mentor concept has been introduced for the new recruits so that the senior employee acts as a friend, philosopher and guide at the new place and work situation.

The promotion exercise has been carried out in various cadres/scales. 430 clerks have been promoted to Officers Cadre in JMGS-I. 146 officers have been promoted to Executive Cadre (SMGS) IV. 9 Executives in TEGS VI have been promoted to TEGS VII during the year.

The Human Capital of the Bank comprises 10944 Officers, 10766 Clerks, 3859 Sub-staff and 2144 Part time Sweepers, totaling 27713. The Bank is extending reservations/concessions to SC/ST/Physically Challenged candidates/employees in Recruitment/Promotions as per the Government guidelines. The Bank is extending financial assistance to Physically Challenged employees of the Bank for acquiring supportive system/prosthesis under Staff Welfare Schemes.

The Bank has introduced several welfare schemes during the year in addition to the wide array of existing schemes.

The Industrial Relations in the Bank have been harmonious and cordial fostering a healthy work environment. The Unions/Associations have been responsive and proactive enough to extend unstinted support for the progress and prosperity of the Bank.

SC/ST Cell

A separate SC/ST Cell is functioning in Head Office under the administrative control of General Manager who is also designated as Chief Liaison Officer, to look after the issues concerning SC/ST employees of the Bank. 2896 SC/ST employees were given in-house training at SIBM, Manipal and at other Training Centres during the year 2009-10. Pre-Promotion training has also been extended to the eligible SC/ST employees who have participated in the promotion process. The Bank is holding quarterly meetings with the representatives of the SC/ST Welfare Association as per the Government guidelines to redress their grievances.

TRAINING AND DEVELOPMENT

Programmes on Know Your Customer, Anti-Money Laundering & Right to Information Act, Credit Management,

तथा खुदरा बैंकिंग, वसूली प्रबंधन, कृषि उधार, विदेशी मुद्रा कारोबार, आंतरिक नियंत्रण प्रबंधन, अभिवृत्ति परिवर्तन सह व्यवहार विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण आदि प्रशिक्षण के महत्वपूर्ण क्षेत्र बने हुए हैं।

मणिपाल स्थित बैंक का शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान सिंडिकेटबैंक प्रबंधन संस्थान बैंक के वरिष्ठ कार्यपालकों तथा विशेषज्ञ अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। बैंगलूर, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, एरणाकुलम, हैदराबाद तथा कोलकाता स्थिति प्रशिक्षण केन्द्रों में अन्य अधिकारियों तथा कामगार कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है।

वर्ष 2009-10 के दौरान 5125 अधिकारियों तथा 5525 कामगार कर्मचारियों को विभिन्न प्रयोजनमूलक क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया गया। उसके अतिरिक्त 109 कार्यपालकों तथा 216 अधिकारियों को भारत में स्थित प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा संचालित बाह्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रतिनियुक्त किया गया था। आगे, 11 कार्यपालकों/अधिकारियों को समुद्रपारीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रतिनियुक्त किया गया था।

बैंक के नए अधिकारियों एवं लिपिकों को बैंक की कार्य संस्कृति के संबंध में पूर्ण सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सुव्यवस्थित ढंग से आवधिक रुप से 'प्रविष्टि कार्यक्रम' संचालित किए गए। क्षेत्र में उनके आवधिक अनुप्रवर्तन तथा उनकी फीडबैंक के द्वारा उक्त प्रशिक्षण बैंक की प्रकृति, संस्कृति, पद्धति एवं प्रक्रियाओं का सुगमता से समावेशन का घटक बना।

बैंक की महत्वपूर्ण शाखाओं को संभालनेवाले कार्यपालकों को विशेषीकृत कौशलवर्धन कार्यक्रम में सहभागिता करने पर बल दिया गया। उच्च विकास दर वाली शाखाओं के लिए 'स्ट्रेटेजीस फॉर एक्सिलरेटेड ग्रोथ कार्यक्रम, अधिक ऋण संविभाग करनेवाली शाखाओं के लिए 'एडवान्सड क्रेडिट मेनेजमेंट कार्यक्रम', सीबीएस शाखाओं के लिए 'आई टी स्किलस फॉर सीबीएस ब्रांचेस' कार्यक्रम तथा आई टी बैंक पृष्ठभूमिवालों के लिए 'एक्सिकयूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम' जैसे कार्यक्रम वर्ष के दौरान आयोजित किए गए।

नैगम सामाजिक जिम्मेदारी

बैंक एक जिम्मेदार सामाजिक नागरिक के रूप में सामाजिक जिम्मेदारियों के निर्वहन हेतु, अर्थिक परिवर्तन, गरीबों की आर्थिक स्थिति को सुधारने और मानवीय आधार पर कुछ कार्यक्रम आयोजित किए। बैंक द्वारा नैगम सामाजिक जिम्मेदारी क्षेत्र में उठाए गए कुछ कदम इस प्रकार हैं:

ग्रामीण कुओं तथा तालाबों की सफाई का कार्य

नैगम सामाजिक जिम्मेदारी के फलस्वरुप बैंक ने चयनित सेवा क्षेत्र के गाँवों में ग्रामीण कूओं एवं तालाबों की सफाई करने संबंधी कार्य में पहल की है। बैंक ने नैगम सामाजिक जिम्मेदारी की सहभागिता स्वरुप वर्ष 2009-10 के दौरान गांवों के 39 कूओं/तालाबों की सफाई करने संबंधी कार्य को पूरा किया।

बाढ़ से प्रभावित लोगों की सहायता – मई 2009 में एक विध्वंसकारी साइक्लोन 'ऐला' ने पश्चिम बंगाल राज्य के 24 परगणा (दक्षिण) जिले के अनेक द्वीप समूहों में तबाही मचा दी थी। परिस्थिति की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए बैंक ने पीड़ित लोगों को भरपूर राशि दान की। पुन: अक्तूबर 2009 में आंध्रप्रदेश तथा कर्नाटक राज्य के अनेक भाग बाढ़ की चपेट में आ गए। उस समय लोगों की मदद करने के लिए बैंक ने भारी मात्रा में राहत उपाय लागू किये।

Risk Management, Lending to SMEs / Retail Segment, Recovery Management, Agricultural Lending, Foreign Exchange Business, Internal Control Management, Attitudinal Changes cum Behavioural Sciences and Information Technology were the thrust areas of training.

Syndicate Institute of Bank Management (SIBM), the apex training institute of the Bank at Manipal continues to organise customised training programmes for senior Excecutives and specialist Officers of the Bank. The Training Centres at Bangalore, Delhi, Mumbai, Chennai, Ernakulam, Hyderabad, and Kolkata impart training to other officers and workmen employees.

During the year 2009-10, 5,215 Officers and 5,525 workmen employees were trained in different functional areas. In addition, 109 Executives and 216 Officers were deputed to external training programmes conducted by training institutes of repute in India. Further, 11 Executives / Officers were deputed to overseas training programmes.

Training system through its well-designed and periodically fine-tuned *"Induction Training"* ensured complete integration of the new Officers and Clerks into the work culture of the Bank. Periodical monitoring of their performance in the field and their feed-back were regularly factored into the above training for easy assimilation of the Bank's ethos, culture, systems and procedures.

Emphasis was given to provide specialised skill inputs to the Executives heading key branches of the Bank. Programmes on *"Strategies for Accelerated Growth"* for branches with high-growth rate, *"Advanced Credit Management"* for branches with large exposure to credit, *"IT Skills for CBS Branches"* for CBS branches and *"Executive Development Programme"* for those with IT background are some of the customised programmes conducted during the year.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

The Bank has been fulfilling its social responsibilities as a responsible social citizen by actively participating in activities aimed at economic transformation & uplift of the downtrodden and sponsoring humanitarian causes. Some of the Bank's initiatives in the field of corporate social responsibility are outlined below:

Cleaning and Clearing of village tanks and ponds

Towards Corporate Social Responsibility, the Bank has taken up the initiative for cleaning and clearing of village tanks and ponds in selected service area villages. The Bank has completed the task of cleaning and clearing of 39 village ponds/ tanks during the year 2009-10 as part of corporate social responsibility.

Helping flood victims

In May 2009, a devastating cyclone "AILA" washed away several island villages of 24 Paraganas (South) District of West Bengal. Considering the gravity of the situation, the Bank has donated a substantial amount to the victims. Further, in October 2009, certain parts of Andhra Pradesh and Karnataka States were devastated by unprecedented floods. The Bank undertook several relief measures, in a big way, to wipe the tears of the flood affected.

दृष्टिदान – शंकर नेत्रालय द्वारा 'दृष्टिदान' कार्यक्रम आयोजित किये गए जो ग्रामीण क्षेत्र तक पहुँचनेवाला कार्यक्रम है।

नेत्रदान के जरिए ग्रामीण जनता की जिंदगी को उजागर करना ही इसका उद्देश्य है। बैंक ग्रामीण जनता के लिए उनके कॉर्नियल प्रतिरोपण सर्जरी को सहायता प्रदान करता है।

अपंगता और स्वास्थ्य लाभ अध्ययन – बैंक ने 'एक्सेसिबिलिटी ऑफ वाटर एण्ड सेनिटेशन फॉर पर्सन्स वित्त डिसेबिलिटीस इन इंडिया' पर ''सोसाइटी फॉर डिसेबिलिटी एण्ड रिहेबिलिटेशन स्टडीस'' द्वारा आयोजित 3 दिन की राष्ट्रीय संगोष्ठी का प्रायोजन किया।

ग्राहक सेवा

बैंक के पास शाखा स्तर से नैगम कार्यालय स्तर तक ग्राहक शिकायत निवारण तंत्र है ।

प्राप्त शिकायतों की तुरंत प्राप्ति सूचना दी जाती है और उनके निवारण के उपाय पर तत्काल कार्रवाई की जाती है । ग्राहकों को इस बात की पूरी सूचना दी गई है कि वे अपनी शिकायतों को संगठन के भीतर किस स्तर तक ले जा सकते हैं और यदि वे अपनी शिकायत के संबंध में बैंक द्वारा दिये गए जवाब से पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हैं तो वे अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए जिन अन्य विकल्पों की मदद ले सकते हैं, उनकी भी जानकारी दी जाती है।

वेबसाइट के होमपेज में ग्राहकों को अपनी शिकायत ऑनलाइन में दर्ज करने की सुविधा उपलब्ध है । शिकायत दूर करने की सामान्य प्रणाली के अतिरिक्त बैंक ने 24 घंटे नि:शुल्क ध्वनि संदेश की सुविधा भी प्रदान की है ताकि ग्राहक दिन के किसी भी समय अपनी शिकायत/सुझाव रिकार्ड करवा सकें। इनका समाधान/जवाब 48 घंटे के भीतर दिया जाता है ।

बैंक ने जमाराशियों, ग्राहक शिकायत निवारण, चेक की वसूली, सेवा में विभिन्न प्रकार की कमियों की वजह से देय क्षतिपूर्ति के संबंध में मण्डल द्वारा अनुमोदित नीतियों की शुरुआत की है । इन्हें बैंक के वेबसाइट में भी प्रदर्शित किया गया है ।

वर्ष के दौरान सीधे/बैंकिंग लोकपाल के माध्यम से प्राप्त शिकायतों की स्थिति निम्नवत् है ।

क)ग्राहक शिकायतें (बैंकिंग लोकपाल को प्रस्तुत शिकायतों के अतिरिक्त)

1.	1-4-2009 तक की स्थिति अनुसार लंबित शिकायतों की संख्या	164
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	3644
3.	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	3603
4.	31-03-2010 तक की स्थिति के अनुसार लंबित शिकायतों की संख्या	205*

* 205 शिकायतों में से 162 शिकायतों को बंद किया गया है।

ख) वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल को संदर्भित मामले

1.	1-4-2009 तक की स्थिति के अनुसार लंबित/शिकायतों की संख्या	19
2.	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल को संदर्भित शिकायतों की संख्या	468
3.	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	458
4.	31-03-2010 तक की स्थिति के अनुसार लंबित शिकायतों की संख्या	29**

** 29 शिकायतों में से 10 शिकायतों को बंद किया गया है।

Gift of Vision

The Sankara Eye Hospital have been conducting "Gift of Vision" – rural outreach eye care programme which aims at making the lives of several rural people brighter with the gift of vision. The Bank assisted the hospital in carrying out the corneal transplantation surgery on the rural people.

Disability and Rehabilitation Studies

The Bank sponsored a 3 Day National Symposium on "Accessibility of Water and Sanitation for Persons with Disabilities in India" conducted by Society for Disability and Rehabilitation Studies.

CUSTOMER SERVICE

The Bank has a robust Customer Grievance Redressal System from the branch level right up to the level of the Corporate Office.

The complaints received are promptly acknowledged and redressal measures initiated immediately. Customers are fully informed of the avenues to escalate their complaints/ grievances within the organization and their rights to alternative remedy, if they are not fully satisfied with the response of the Bank to their complaints.

To supplement the normal avenues for grievance redressal, the home page of the website contains a facility for customers to submit their complaints online. The Bank has also provided a 24 hours Toll Free Voice Mail system to enable customers to record their grievances/suggestions any time of the day. These are redressed/replied within 48 hours.

Further, the Bank has put in place Board approved policies on Deposits, Customer Grievance Redress, Cheque Collection, Compensation payable on account of various deficiencies in service etc. These are also displayed on the Bank's website.

The status of complaints received directly/through Banking Ombudsman (BO) during the year is furnished below.

A. Customer Complaints (other than BO Complaints)

1	No. of complaints pending as on 1-04-2009	164
2	No. of complaints received during the year	3644
3	No. of complaints redressed during the year	3603
4	No. of complaints pending as on 31-03-2010	205*

* Out of 205, 162 complaints since stand closed.

B. Cases referred to Banking Ombudsman during the year

1	No. of complaints pending as on 1-04-2009	19
2	No. of complaints referred to Banking Ombudsman during the year	468
3	No. of complaints disposed of during the year	458
4	No. of complaints pending as on 31-03-2010	29**

** Out of 29, 10 complaints since stand closed.

ग) बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णय

1.	दि.1-4-2009 को कार्यान्वित न किये गये अधिनिर्णयों की संख्या	01
2.	वर्ष के दौरान पारित अधिनिर्णयों की संख्या	14
3.	वर्ष के दौरान कार्यान्वित अधिनिर्णयों की संख्या	14
4.	दि. 31-03-2010 को कार्यान्वित न किये गये अधिनिर्णयों की संख्या	01

वर्ष के दौरान ग्राहक सेवा के लिए उठाए गए कदम

ग्राहक शिकायत निवारण तंत्र को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए संबंधित विभाग ने वर्ष के दौरान एक नई पद्धति की शुरुआत की, जिसके तहत शिकायत की गुरुता/संवेदनशीलता के आधार पर उन्हें अलग अलग श्रेणियों में वर्गीकृत करके प्राथमिकता के आधार पर इनका निपटारा किया जाता है। तद्नुसार, प्राप्त सभी शिकायतों को 'अत्यधिक संवेदनशील' (एच.एस.), संवेदनशील (S) और सामान्य (G) की श्रेणियों में वर्गीकृत करके उनकी गुरुता संवेदनशीलता के आधार पर उनके निपटान में प्राथमिकता दी जाती है।

उपरोक्त की पूरक सहायता हेतु बैंक ने प्रत्येक तिमाही में क्षेत्रों को प्राप्त शिकायतों और उनके निवारण हेतु लिये गए औसत समय के आधार पर उन्हें रेटिंग देने की एक नई पद्धति की भी शुरुआत की है। क्षेत्र की रेटिंग उसे दो पैरामीटरों में प्राप्त कुल योग के आधार पर निर्भर करेगी।

बैंक ने शाखाओं/कार्यालयों के लाभार्थ ग्राहक सेवा पर केस अध्ययनों की एक संक्षिप्त पुस्तिका प्रकाशित की है। प्रत्येक केस अध्ययन में ग्राहक सेवा के कुछ निश्चित पहलुओं को छूआ गया है। इस संक्षिप्त पुस्तिका के प्रकाशन का उद्देश्य शाखाओं को सामान्य जटिलताओं से बचना है, जिससे ग्राहक शिकायतों का मार्ग प्रशस्त न हो सके।

हमारा बैंक भारत के बैंकिंग कूट और मानक बोर्ड का सदस्य है। इसने बैंक की प्रतिबद्धता के कूट को अपनाया है। बैंकिंग सेवाएं प्राप्त करने वाले प्रत्येक ग्राहक के साथ साफ और पारदर्शी सद्व्यवहार करने का एक स्वैच्छिक कूट है। वर्ष के दौरान बी.सी.एस.बी.आई ने इस कूट को संशोधित करके सभी बैंकों को परिचालनार्थ भेजा है। इस संशोधित कूट की प्रतियाँ ग्राहक को उपलब्ध कराने हेतु सभी शाखाओं को भेजी गयी हैं।

अपने ग्राहक को जानें/काले धन के वैध परिवर्तन की रोकथाम

केवाईसी/एएमएल उपायों पर बैंक के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीति उपलब्ध है। खाता खोलते समय ग्राहकों की समुचित पहचान करने के लिए अपेक्षित कार्यविधियों का स्पष्ट उल्लेख इस नीति में किया गया है। तथापि, भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुसार निचले तबके के लोगों तथा प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त लोगों के नाम पर खाते खोलने के लिए सरलीकृत केवाइसी मानदंड बनाए गए हैं ताकि केवाइसी मानदंडों का सख्त अनुपालन करने से समाज के निचले तबके के लोग बैंकिंग सेवाओं से वंचित न रह जाएं। ग्राहक पहचान कार्यविधियों के अलावा इस नीति में प्रत्येक ग्राहक के मामले में जोखिम प्रोफाइल तैयार करने की कार्यविधि का उल्लेख किया गया है ताकि खाते की जोखिम श्रेणी के अनुरूप अनुप्रवर्तन, प्रणालियाँ/कार्यविधियाँ तैयार हों, जिससे काले धन के वैध परिवर्तन, आतंकवाद को वित्तपोषण आदि पर रोक लग सके।

काले धन के वैध परिवर्तन को रोकने के उपायों को और प्रभावी बनाने के लिए कदम उठाए गए हैं। सभी शाखाओं से संबंधित नकद लेन-देन रिपोर्ट नियमित रूप से वित्तीय गुप्तचर यूनिट, भारत (एफ.आइ.यू.-इंडिया) को प्रस्तुत की जा रही है। संदेहास्पद लेन-देन की पहचान की गई और उनकी

C. Status of Awards passed by Banking Ombudsman

1	No. of unimplemented Award as on 1-04-2009	01
2	No. of Awards passed during the year	14
3	No. of Awards implemented during the year	14
4	No. of unimplemented Awards as on 31-03-2010	01

Customer service initiatives taken during the year

In order to make the Customer Grievance Redressal Mechanism more effective, during the year, the department introduced the system of categorizing the complaints according to the gravity/sensitivity of the matter involved so as to enable prioritized handling. Accordingly, all complaints received are now categorized as 'Highly Sensitive' (HS), 'Sensitive' (S) and 'General' (G) to facilitate prioritization of the complaints according to their gravity/ sensitivity of the matter.

To supplement the above, the Bank has also put in place a system of quarterly rating of Regions based on the number of complaints received and the average grievance redressal time. The rating is based on the combined score achieved by a region for the two parameters together.

The Bank also brought out a Compendium of Case Studies on Customer Service for the benefit of branches/offices. Each case study deals with a certain facet of customer service. The compendium is intended to help the branches avoid the common pitfalls that lead to customer complaints.

The Bank is a member of the Banking Codes and Standards Board of India. It has adopted the Code of Bank's Commitment to Customers, which is a voluntary code for fair and transparent treatment of individual customers availing banking services. During the year, BCSBI revised the Code and circulated the same among all banks. The copies of the revised code have been supplied to the branches to be made available to customers.

Know Your Customer / Anti Money Laundering

The Bank has a Board approved Policy on KYC Norms/ Anti-Money Laundering (AML) measures. The Policy clearly lays down the customer identification procedures to be adopted for proper identification of customers while opening accounts. However, with a view to ensuring that strict adherence to KYC Standards does not result in banking services being denied to the underprivileged segments of the society, relaxations in the form of simplified KYC norms have been put in place as per RBI guidelines with regard to opening of accounts in the names of persons belonging to the underprivileged sections and those affected by natural calamities. In addition to the customer identification procedures, the Policy also lays down the procedure for working out the risk profile of each account to ensure that monitoring mechanisms/procedures commensurate with the risk category of the account are in place to prevent money laundering, terrorist financing etc.

Steps are taken to strengthen the Anti-money Laundering measures. Cash Transaction Reports (CTRs) covering all the branches were submitted regularly to Financial

रिपोर्ट एफ.आइ.यू.आइ.एन.डी. को की गई। बैंक ने एक ऐसे सॉफ्टवेयर का भी चयन किया है, जो संदेहास्पद लेन-देन की पहचान करके चेतावनी देगा। आशा है कि यह सॉफ्टवेयर चालू वर्ष के दौरान कार्य करने लगेगा।

केवाईसी/ए.म.एल. के बारे में जानकारी फैलाने के लिए बैंक के सभी शाखाओं में 16.11.09 से 25.11.09 तक 'के वाई सी जानकारी सप्ताह ' का आयोजन किया गया। इस अवधि के दौरान शाखाओं के महत्वपूर्ण ग्राहकों को आमंत्रित करके विशेष बैठकों का भी आयोजन किया गया। स्टाफ सदस्यों तथा अन्य लोगों द्वारा व्याख्यान के माध्यम से विषय की महत्ता के बारे में ग्राहकों को बताया गया तथा उनके सहयोग की आवश्यकता के बारे में भी उन्हें सूचित किया गया।

नकद प्रबंधन सेवाएं

बैंक सी.एम.एस. मार्केट में, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बीच अपना विशिष्ट स्थान बनाए हुए है। सार्वजनिक क्षेत्र के अनेक बैंक सी.एम.एस. मार्केट में प्रवेश करने की वजह से बढ़ गई प्रतिस्पर्धा तथा वर्ष के अंतर्गत निष्पादन तथा आय एवं ग्राहकवर्ग में वृद्धि दरों पर कुछ हद तक प्रभाव पड़ा है। समाशोधन की मात्रा में वृद्धि तथा अत्यधिक आरटीजीएस/एनईएफटी प्रस्तुत करते हुए कम लागत में इलेक्ट्रानिक भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के कड़े उपक्रमण से भुगतान प्रणाली में निदर्शनात्मक अंतर आया है तथा इससे बैंकों को नवोन्मेशी एवं नवीनतम तकनीकी आधारित नये भुगतान तथा उगाही उत्पादन प्रचलन में लाने के लिए बाध्य किया है।

बदलती बाजार स्थिति में बरकरार रहने के लिए और नैगम ग्राहकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बैंक ने मार्च 2010 के अंतिम सप्ताह में एक नया वेब आधारित सॉफ्टवेयर लागू किया है और निम्नांकित नए भुगतान उत्पादों को आरंभ किया है।

1. आर टी जी एस / एन ई एफ टी/ थोक भुगतान सुविधा
2. चेक लिखने की सुविधा
3. रिमोट/चेकों का केन्द्रीकृत मुद्रण

बैंक उगाही के अंतर्गत निम्नांकित नए उत्पादों को आरंभ कर रहा है। जैसे कि एन ई एफटी/आर टी जीएस बल्क कलेक्शन, सिंड बिल पेमेंट, चेकों का केन्द्रीकृत रूप से नामे लिखना आदि। उत्पादों और सेवाओं के मामले में की गई उपर्युक्त पहल से बैंक को सी.एम.एस. मार्केट की उपस्थिति में भी अपना कारोबार एवं अपना अस्तित्व बनाए रखने में मदद मिलेगी।

बीमा कारोबार

जीवन बीमा

बैंक ने बजाज एलायंज लाइफ इन्सूरेंस कं. लि. के साथ की गई अपनी नैगम एजेंसी को नवंबर 2009 से बंद कर दिया है।

बैंक ने भारत सरकार/भा.बैं.सं. के दिशानिदेशों, के अनुसार विशेष आवास ऋण पैकेज के अंतर्गत आनेवाले आवास ऋण उधारकर्ताओं को निशुल्कबीमा रक्षा उपलब्ध कराने हेतु भारतीय स्टेट बैंक से ग्रूप लाइफ इन्स्यूरेन्स लिया है। योजना के अंतर्गत 15.12.2008 से 31.12.2009 तक स्वीकृत समस्त आवास ऋणों को बीमा सुरक्षा उपलब्ध होगी और वह बैंक की लागत पर होगी। उक्त योजना के अंतर्गत बैंक ने रु. 1.43 करोड़ प्रीमियम देकर रु. 907 करोड़ राशि बीमाकृत करके 12820 उधारकर्ताओं को इसमें शामिल किया।

Intelligence Unit, INDIA (FIU-INDIA). Suspicious Transactions also were identified and reported to FIU.IND. The Bank has also implemented online software, for generating alerts to identify Suspicious Transactions.

In order to spread awareness about KYC/AML, all the branches of the Bank organized 'KYC Awareness Week' from 16-11-2009 to 25-11-2009. During the period, branches arranged special meets to which important customers were invited. Through lectures by staff members and others, efforts were made to educate customers on the importance of the subject and the need for them to extend their co-operation in this regard.

CASH MANAGEMENT SERVICES

The Bank being one of the sought after banks in the CMS market among the Public Sector Banks has retained its prominent position over the years. Because of stiff competition, with the entry of many other Public Sector banks into the CMS market and also sluggishness in the economy during the year, the performance under Turnover, Income and clientele growth were impacted to a certain extent. The increased volumes under Special Clearing and the conscious initiative taken by RBI to encourage Electronic payment by offering RTGS / NEFT at a substantially low cost brought in a paradigm shift in Payment systems and compelled the banks to innovate and customize new Payment and Collection products based on state of the art technology.

To keep pace with the changing market conditions and to meet the corporate customer requirements, the Bank has implemented a new web based CMS software in the last week of March 2010 and launched new payment products:

1. RTGS / NEFT / Bulk Payment facility
2. Cheque writing facility.
3. Remote / Centralised printing of cheques.

The Bank is also in the process of launching new products under Collection viz., NEFT / RTGS Bulk Collection, Synd Bill Payment, Centralised Debiting of Cheques. The above initiative in products and services will help the Bank to sustain the business and make its presence felt in the present CMS market.

INSURANCE BUSINESS

Life Insurance

The Bank has discontinued Corporate Agency arrangement with Bajaj Allianz Life Insurance Co. Ltd., since 1st November 2009.

The Bank has taken Group Life Insurance Policy from SBI Life to provide free life insurance cover to housing loan borrowers under special housing loan package as per Govt. of India/IBA guidelines. All Housing loans sanctioned under the scheme from 15-12-2008 to 31-12-2009 are covered with Life Insurance at Bank's cost. Under the scheme, the Bank has covered 12820 borrowers for sum assured of Rs. 907 crore by paying premium of Rs.1.43 crore.

भारतीय जीवन बीमा निगम से ली गयी 'सिंड सुरक्षा' ग्रूप इन्श्यूरेन्स प्लान के अंतर्गत बैंक ने वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान 19384 खातों को शामिल करते हुए 59.72 लाख प्रीमियम प्राप्त किया तथा रु. 5.97 लाख कमीशन आर्जित किया।

पिछले तीन वर्षों में जीवन बीमा कारोबार के अंतर्गत बैंक का निष्पादन निम्नवत् है: (रुपए करोडों में)

वर्ष	प्रीमियम		कमीशन	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
2007-08	150.00	227.50	15.50	23.07
2008-09	250.00	184.44	26.00	18.48
2009-10*	200.55	99.97	26.00	11.04

* बजाज एलायंज लाइफ इन्श्यूरेन्स कं. लि. के साथ नैगम एजेंसी को दिनांक 1.11.2009 से बंद किया गया है।

साधारण बीमा

बैंक ने सामान्य बीमा के वितरण हेतु जून 2004 से युनाइटेड इण्डिया इन्श्योरेन्स कंपनी लिमिटेड के साथ नैगम एजेंसी व्यवस्था के अधीन गठजोड़ किया है । इस गठजोड़ व्यवस्था को दि. 04-05-2008 से दि. 03-05-2011 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए नवीकृत किया गया है ।

विशेष उत्पाद जैसे सभी ग्राहकों के लिए सिंड आरोग्य, मेडिक्लेम-सह-वैयक्तिक दुर्घटना रक्षा तथा आवास ऋण उधारकर्ताओं के लिए यूनिहोम केयर पालिसी सिंडविद्या के उधारकर्ताओं के लिए 'यूनिस्टडी केयर पालिसी' का भी विपणन किया जा रहा है ।

पिछले तीन वर्षों के दौरान सिंड आरोग्य सहित साधारण बीमा के अंतर्गत बैंक का निष्पादन निम्नवत् है:

(रकम करोड़ रुपयों में)

वर्ष	प्रीमियम		कमीशन	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
2007-08	54.00	36.11	5.50	3.71
2008-09	50.00	44.30	5.00	4.64
2009-10	50.00	43.23	5.00	4.48

कार्ड कारोबार

क्रेडिट कार्ड उत्पाद

1. बैंक ने वीसा इन्टरनेशनल के सहयोग से गोल्ड एवं क्लासिक कार्डों का कारोबार शुरु किया है जिनका प्रयोग ए टी एम, प्वाइंट ऑफ सेल्स टर्मिनल्स, इंटरनेट तथा मेल आर्डरों के लिए किया जा सकता है। कार्ड पूरे विश्वभर में वैध हैं तथा कहीं भी प्रयोग किया जा सकता है।
2. बैंक ने कई महत्वपूर्ण ग्राहक मैत्रीपूर्ण योजनाएं शुरु की हैं जैसा ई-मेल के माध्यम से मासिक बिल संबंधी विवरणियां तथा इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भुगतान तथा शाखाओं द्वारा क्रेडिट कार्डों का भुगतान स्वीकारते समय उनके शेष को देखकर बताना आदि।
3. वर्ष के दौरान बैंक ने 29.07.2009 से वीसा द्वारा सत्यापित (वी बी वी) की शुरुआत की है जो सुरक्षा की एक अतिरिक्त विशेषता है तथा भारतीय रिज़र्व बैंक ने 01.08.2009 से उसे अनिवार्य बताया है। इसके लिए कार्डहोल्डर जब भी बैंक में कार्ड का प्रयोग किसी लेन देन के लिए करेगा तो उसे अपनी पसंद का पासवर्ड सृजित करना होगा।
4. बैंक ने नए कार्ड के माध्यम से पहला लेनदेन एस.एम.एस. ग्राहकों से किया तथा उसके बाद 5000 कार्डधारकों से लेन देन किया जिसमें

Under "SyndSuraksha" Group Insurance Plan taken from LIC of India, the Bank has collected premium of Rs.59.72 lakh covering 19384 accounts and earned a commission of Rs.5.97 lakh during the financial year 2009-10.

The performance of the Bank under Life Insurance business for the last three years is as under:

(Rs. crore)

Year	Premium		Commission	
	Target	Achievement	Target	Achievement
2007-08	150.00	227.50	15.50	23.07
2008-09	250.00	184.44	26.00	18.48
2009-10*	200.55	99.97	26.00	11.04

* Corporate Agency with Bajaj Allianz Life Insurance Co. Ltd. was discontinued from 01-11- 2009.

General Insurance

The Bank has tied up with United India Insurance Company Limited (UIICo) under a Corporate Agency arrangement since June 2004 for distributing General insurance products. The tie up has been renewed w.e.f. 04-05-2008 for 3 years till 03-05-2011.

Special tailor made products such as 'SyndArogya', a Mediclaim-Cum-Personal Accident Cover for all customers, 'Unihome Care Policy' for Housing Loan and 'UniStudy Care Policy' for SyndVidya borrowers are also distributed by the Bank.

The Bank's performance under General Insurance including SyndArogya for the last three years is as under:

(Rs. crore)

Year	Premium		Commission	
	Target	Achievement	Target	Achievement
2007-08	54.00	36.11	5.50	3.71
2008-09	50.00	44.30	5.00	4.64
2009-10	50.00	43.23	5.00	4.48

CARD BUSINESS

Credit Card Product

1. The Bank having an association with VISA International, offers Gold and Classic Credit Cards which can be used at ATMs, Point of Sales terminals, Internet and for Mail Orders. The cards are valid globally and can be used throughout the world.
2. The Bank has added many customer friendly features like monthly billing statements by E-Mail and payments through internet Banking and ECS and viewing of the Balance by the Branches for accepting payments towards credit Cards.
3. During the year with effect from 29-07-2009, the Bank introduced *Verified by VISA* (VbV), an additional security feature made mandatory by Reserve Bank of India from 01-08-2009, which enables the cardholder to create a password of his choice for doing transactions on internet using the Bank's Credit Card.
4. The Bank introduced SMS alerts for first transaction on a new card and subsequent transactions of Rs.5,000

5000 तथा उससे अधिक कार्ड नॉट प्रेजेंट) संबंधी लेनदेन भी सम्मिलित हैं।

5. बैंक ने 31.03.2010 तक 68,414 क्रेडिट कार्ड जारी किए हैं।

6. कार्ड आधार की तुलनात्मक स्थिति निम्नवत है जिसमें पिछले 5 वर्षों के दौरान बकाया राशि एवं अर्जित आय का ब्यौरा दिया गया।

(रकम करोड़ रुपयों में)

विवरण	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
पदनामित शाखाएं (सं.)	851	2115	2150	2224	2275
कार्ड आधार (सं.)	48743	53860	58874	63949	68414
बकाया रक़म	27.53	26.63	29.12	31.76	33.60
अर्जित निवल आय	1.06	2.91	4.67	3.45	7.12

डेबिट कार्ड उत्पाद

1. बैंक ने वीसा के साथ मिलकर दि. 29 मार्च, 2003 को अपने ग्लोबल डेबिट – सह – ए.टी.एम. कार्ड का शुभारंभ किया ।

2. हमारी सभी 2275 सी.बी.एस. शाखाओं के माध्यम से डेबिट कार्ड जारी किए जाते हैं ।

3. बैंक ने नवंबर 2008 में एक नवोन्मेषी इन्स्टैंट डेबिट कार्ड की शुरुआत की, जिसमें ग्राहक द्वारा खाता खोलने के तुरंत बाद शाखा स्तर पर ही डेबिट कार्ड जारी किए जाते हैं । सभी क्षेत्रीय कार्यालय स्तरों पर सभी शाखाओं के प्रबंधकों/अधिकारियों तथा स्टाफ सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिनमें उन्हें ग्राहक को तुरंत डेबिट कार्ड दिए जाने संबंधी जानकारी दी गई। अब सभी शाखाएं साफ्टवेयर के माध्यम से नया इंस्टेट कार्ड, डुप्लीकेट कार्ड, नवीकरण कार्ड तथा एड ऑन कार्ड जारी कर सकती हैं तथा किसी भी सी.बी.एस. डेस्क से अनब्लॉक ब्लाकड डेबिट कार्ड भी हॉटलिस्ट कर सकती हैं।

4) 4 नवम्बर 2009 से इंटरनेट संव्यवहारों के संबंध में एक अतिरिक्त सुरक्षा संबंधी विशेषता 'वेरीफाइड बाई वीसा' (वी.बी.वी.) जोड़ी गई है जिससे इंटरनेट में डेबिट कार्ड का प्रयोग करते समय सुरक्षा प्रदान होगी।

5 खुदरा बैंकिंग विभाग द्वारा दिनांक 25.07.2009 से 29.09.2009 तक कासा अभियान चलाया गया। अभिमान के दौरान 3.45 लाख कार्ड जारी किए गए जो कि प्रति कार्य दिवस का औसतन 7000 कार्ड है।

6. कार्ड सेंटर ने दिनांक 01.08.2008 से 31.03.2009 तक कार्ड आधार बढ़ाने के लिए शाखाओं तथा स्टाफ सदस्यों के प्रोत्साहन हेतु अभिमान चलाया जिसकी अवधि 30.09.2009 तक बढ़ाई गई।

7. पिछले 5 वर्षों की डेबिट कार्ड आधार संबंधी तुलनात्मक स्थिति निम्नवत दी गई है।

and above done by the Credit Cardholders including for Card Not Present (CNP) transactions of Rs.5,000 and above.

5. The Bank has issued 68,414 Credit Cards up to 31-03-2010.

6. The comparative position of Card base, amount outstanding and income earned during last 5 years is furnished below:

(Rs. crore)

Description	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
Designated Branches (No.)	851	2115	2150	2224	2275
Card Base (No.)	48743	53860	58874	63949	68414
Amount Outstanding	27.53	26.63	29.12	31.76	33.60
Net Income Earned	1.06	2.91	4.67	3.45	7.12

Debit Card Product

1. The Bank had launched its Global Debit-cum-ATM Card on 29-03-2003 in association with VISA.

2. The Debit Cards are issued through 2275 CBS branches.

3. The Bank has launched innovative Instant Debit Card in November 2008, which can be issued and delivered to the customer at branch level itself soon after opening of the account. Training programmes were conducted at all Regional offices for Managers/Officers and staff of all the branches to equip them to issue instant debit cards to account holders immediately. Through the software all the branches can issue new Instant Debit Cards, Duplicate Cards, Renewal Cards and Add on Cards and they can also hotlist, unblock blocked debit cards from any CBS desk.

4. The Debit Cards are enabled for use on internet with *Verified by VISA* (VbV), an additional security feature in respect of internet transactions with effect from 4th November 2009.

5. A CASA Campaign was conducted by Retail Banking Department from 25-07-2009 to 25-09-2009. During the period of campaign 3.45 lakh Debit Cards were issued at an average of 7000 cards per working day.

6. The Card Centre has launched a campaign from 01-08-2008 to 31-03-2009 with incentive to Branches and staff to increase the card base and the period was subsequently extended to 30-09-2009.

7. The comparative position of Debit Card base and Transactions for last 5 years is furnished below:

विवरण	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
डेबिट कार्ड जारीकर्ता शाखाएं	560	1477	1785	2224	2275
जारी किए गए डेबिट कार्ड (लाख में)	7.81	14.59	22.10	30.16	48.63
लेन-देन की संख्या (लाख में)	88.78	145.28	280.61	434.38	694.82
लेन-देन की रक़म (रु. लाख में)	128193	242123	470312	811462	1335064
शुद्ध अर्जित आय	– 15	23	312	150	– 1894

अन्य गतिविधियां

1 बैंक ने 2 अक्तूबर 2009 को 'मर्चेण्ट पी ओ एस एक्वायरिंग एक्टिविटी' में प्रवेश किया है तथा पूरे देश में 31 इलेक्ट्रानिक डॉटा कैप्च्यूरिंग मशीनें लगाई गई हैं।

2. बैंक, मास्टर कार्ड की सदस्यता पाने हेतु प्रयत्नशील है ताकि मास्टर कार्ड के सहयोग से जारी कार्डों का बैंक द्वारा लगाई गई ई डी सी मशीनों में प्रयोग किया जा सके।

उत्पाद विकास

सिंड फ्लेक्सी प्रीमियम चालू खाता

बैंक के उन उच्च मूल्य वाले ग्राहकों जो अपने खाते में बड़ी रकम की शेषराशि रखने की क्षमता रखते है, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बैंक ने स्वीप-इन और स्वीप आउट सुविधायुक्त सिंड फ्लेक्सी प्रीमियम चालू खाता नामक एक नए उत्पाद की शुरूआत की है ।

ग्राहक आधार

बैंक का ग्राहक आधार 31-3-2009 को 23 मिलियन था तथा 31-3-2010 को बढ़कर 24.50 मिलियन हो गया।

नई पहल

विशेष निगरानी वाले खाते विभाग

वे खाते जो अनियमितता और रुग्णता का संकेत देते हैं उनकी पहचान करने की प्रणाली को मजबूत बनाकर बैंक की अस्तियों की गुणवत्ता मे सुधार करने और खातों को अनर्जक बनने से रोकने के उद्देश्य से जून 2009 में विशेष निगरानी वाले खाते विभाग स्थापित किया गया है ।

एस.एम.ए. विभाग मानक आस्तियों के अंतर्गत दबावग्रस्त खातों की निगरानी करता है और क्वालिटी एम.आइ.एस. तैयार करता है ताकि उसे ऋण संविभाग की समग्र गुणवत्ता के प्रबंधन हेतु बैंक के अन्य विभागों द्वारा उपायोग किया जा सके । उक्त विभाग समुचित रिपोर्टिंग प्रणाली/एम.आइ. एस. तैयार करता है और नियमित अंतराल पर शाखाओं/क्षे.का. तथा डी. आइ.टी. से आंकड़ो का संग्रहण करता है । क्षेत्रीय कार्यालय, क्षेत्र के प्रमुख, क्षे.का. के एस.एम.ए. कार्य-दल तथा शाखाओं में कार्यरत वसूली टीमों को एस.एम.ए. खातों के अनुप्रवर्तन करने के लिए निरंतर प्रोत्साहित किया जाता है ।

एस.एम.ए. विभाग पुन: संरचित खातों से संबंधित आंकडे/एम.आइ.एस. का भी संग्रहण करता है और खातेवार विवरणों को सुलभ संदर्भ हेतु डाटाबेस के रूप में रखा जाता है । बैंक ने खातों की पुन: संरचना के संबंध में अर्थक्षम ता का सावधानी से मूल्यांकन करने, कमजोरियों की शीघ्र पहचान करने तथा

Description	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
Debit Cards Issuing Branches	560	1477	1785	2224	2275
Debit Card issued (in lakh)	7.81	14.59	22.10	30.16	48.63
No. of transactions (in lakh)	88.78	145.28	280.61	434.38	694.82
Amt of transaction (Rs.in lakh)	128193	242123	470312	811462	1335064
Net Income earned (Rs.in lakh)	– 15	23	312	150	– 1894

Other Activities:

1. The Bank has entered into Merchant POS Acquiring activity on 2nd October 2009 and as on 31-03-2010 installed 31 Electronic Data Capturing Machines at different Merchant locations spread across the country.
2. The Bank is on the anvil of obtaining MasterCard membership so that Cards issued in association with MasterCard can also be used at the EDC Machines installed by the Bank.

PRODUCT DEVELOPMENT

Synd Flexi Premium Current Account

In order to cater to the needs of high-value customers of the Bank, who are capable of maintaining sizeable balances in their accounts, the Bank has introduced a new product called 'Synd Flexi Premium Current Account' with sweep-out and sweep-in facility.

CUSTOMER BASE

Customer base of the Bank increased to 24.50 million as at 31st March 2010 from 23 million as at 31st March 2009.

NEW INITIATIVES

Special Monitoring Accounts Department

A Special Monitoring Accounts Department was established in June 2009 in order to improve the asset quality of the Bank by strengthening the mechanism for identification of problem accounts showing early signs of irregularities and sickness and to initiate timely steps for prevention of slippages.

The SMA Department monitors stressed accounts under Standard assets and generates quality MIS to be used by the departments of the Bank for managing the overall quality of the Credit portfolio. The department devises appropriate reporting system/MIS and collects data on overdue accounts from branches/ROs and DIT at regular periodicity. The Regional Offices, Regional heads, SMA task force at ROs and the Recovery Teams at the branches are constantly exhorted to monitor the SMA accounts.

The SMA Department also collects data/MIS periodically in respect of restructured accounts and the account-wise details are maintained as a database for further reference. The Bank has strictly followed the RBI regulations on restructuring by careful assessment of the viability, quick detection of weaknesses and time-bound implementation

पुन: संरचना पैकेज को समयबद्ध ढंग से कार्यान्वयन करने के द्वारा भा.रि.बैं. के विनियमों का कड़ाई से पालन किया है । हर पुन: संरचित खाते की निगरानी, उधारकर्ता द्वारा पुन: संरचना से संबंधित प्रतिबद्धताओं का पालन करने, वास्तविक नकदी अर्जन के साथ-साथ अनुमानित नकदी प्रवाह, कार्यान्वित की जानेवाली परियोजना की प्रगति का स्तर इत्यादि के आधार पर की जाती है । पुन: संरचित खातों के विवरण को त्रैमासिक आधार पर उच्च प्रबंधन के समक्ष तथा अर्धवार्षिक आधार पर निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है ।

ई-स्टैंप वेंडिंग

बैंक ने देश भर में ई-स्टैंप वेंडिंग के लिए स्टॉक होल्डिंग कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि. के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। शुरूआत के तौर पर ई-स्टैंप वेंडिंग को कर्नाटक राज्य की 200 चुनिंदा शाखाओं में चरणबद्ध रीति से लागू किया जाएगा ।

किसान संसाधन केन्द्र (एफ.आर.सी.)

कृषि कार्य में किसानों द्वारा सामना की जानेवाली जोखिमों को कम करने तथा उनको बैंक ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किसानों को प्रशिक्षण एवं अन्य संबद्ध सेवाएं प्रदान करने के लिए किसान संसाधन केन्द्र (एफ.आर.सी.) स्थापित करने हेतु एस.एल.बी.सी. और नाबार्ड के साथ सम न्वयन करने के लिए वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने बैंकों को सुझाव दिया है । भारत सरकार द्वारा दिए गए सुझाओं पर विचार करते हुए तथा कृषि समुदाय को प्रशिक्षण से मिलने वाले लाभ को ध्यान में रखते हुए एस.एल.बी.सी. कर्नाटक ने अपनी 103 वी. बैठक में कर्नाटक के बागलकोट जिले में किसानों को प्रशिक्षण एवं अन्य सेवाएं प्रदान करने हेतु एक समर्पित प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया है । एस.एल.बी.सी. कर्नाटक के संयोजक होने के नाते बैंक ने कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा बगलकोट आंबटित 8 एकड़ जमीन पर एक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने की पहल की है ।

एस.एम.ई. द्वारा ऋण सुविधा उपलब्ध करने से संबंधित अवेदन-पत्रों का ऑन लाइन प्रस्तुतीकरण

बैंक ने अत्यंत लघु और मध्यम उद्यम (एस.एम.ई.) द्वारा ऋण सुविधा उपलब्ध करने के संबंध में प्रस्तुत किए जानेवाले आवेदन पत्रों को बैंक के वेबसाईट www.syndicatebank.in के माध्यम से एस.एम.ई. क्षेत्र को ऐसी सुविधा करने वाला प्रथम बैंक है । बैंक में उपलब्ध प्रौद्योगिकी का उपयोग बेहतर ग्राहक सेवा प्रदान करने, संभाव्य ग्राहकों को शीघ्रता से ऋण उपलब्ध कराने तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए किया जाता है । आवेदक अपनी पसंद की शाखा से ऋण सुविधा उपलब्ध कर सकता/सकती है । आवेदक अपने ई-मेल पते पर एक अनूठी संदर्भ संख्या युक्त अभिस्वीकृति प्राप्त करेगा । बैंक ने व्यावसायिक और स्वनियोजित व्यक्तियों, व्यापारियों किसानों तथा आवास ग्राहकों को भी इस प्रकार की सुविधा शुरू की है ।

मुद्रा प्रबंधन:

स्वच्छ नोट नीति के कार्यान्वयन के लिए मुद्रा प्रबंधन से संबंधित उच्च स्तरीय दल की सिफारिशों के अनुसार बैंक ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

- दि. 31-03-2010 तक 50 प्रमुख शाखाओं में डेस्क टॉप नोट सॉर्टिंग मशीन लगवाना और वर्ष 2010-2011 के दौरान और 250 मशीन लगवाना ।
- नकदी संसाधन केन्द्र स्थापित करने के लिए 100 शाखाओं की पहचान करना ।
- मणिपाल में नया धनागार स्थापित करना ।
- नोट वापसी नियमों के अनुसार सभी शाखाओं में कटे-फटे/गंदे नोटों का आदान-प्रदान ।

of restructuring package. The status of each restructured account is monitored on the basis of borrowers' keeping up of restructuring commitments, actual cash generation vis-à-vis projected cash flows, level of progress of projects under implementation etc. The details of restructured accounts are placed before the top management on quarterly basis and to the Board of Directors on half yearly basis.

e-Stamp Vending

The Bank has signed a memorandum of Agreement with Stock Holding Corporation of India Ltd. for e-Stamp vending across the country. Initially e-Stamp vending will be undertaken by the Bank in the state of Karnataka at 200 identified branches in a phased manner.

Farmers' Resource Centre (FRC)

Ministry of Finance, Govt. of India had suggested that banks may co-ordinate through SLBC and NABARD for setting up Farmers' Resource Centre (FRC) for providing training and related services to farmers aimed at mitigating risks in farming and bank credit. Considering the suggestion of GOI and usefulness of the training to the farming community, SLBC Karnataka in its 103rd meeting has decided to set up a dedicated institution for providing training and other services to farming community at Bagalkot in Karnataka. As conveners of SLBC Karnataka, the Bank has taken initiative to set up the centre at Bagalkot in 8 acres of land allotted by Govt. of Karnataka.

Online submission of request seeking credit facilities by SMEs

The Bank has launched the facility for online submission of requests seeking credit facilities by small and medium enterprises (SMEs) and for higher education loan through the Bank's web site, www.syndicatebank.in. The Bank is the first to launch this facility for SMEs. The technology available in the Bank is being leveraged for better customer service, ensuring faster decisions and hassle-free processing/ sanctioning of loans to prospective clients. The applicant can avail the credit facility from a branch of his / her choice. The applicant will receive an acknowledgement with a unique reference number to his/her e-mail address. The Bank has launched similar facility for professional and self employed persons, traders, agriculturists and housing loan clients.

Currency Management

As per the recommendations of the high level group on currency management for implementing of the clean note policy, the Bank has taken several measures like

- Installing desk top Note Sorting Machines (NSMs) at 50 strategic branches by 31-03-2010 and another 250 machines during the year 2010-2011.
- Identification of 100 branches for setting up of cash processing centres.
- Establishing new currency chest at Manipal.
- Exchange of cut/soiled notes at all branches as per note refund rules.

Coin vending machines have been installed at the

निम्नलिखित 10 शाखाओं में सिक्का वितरण मशीन लगाई गयी हैं:
1) केथोलिक सेंटर शाखा, उडुपि, 2) विकास पुरी, नईदिल्ली 3) आर.पी. रोड, सिकन्दराबाद 4) आश्रम रोड, अहमदाबाद, 5) सेक्टर 11, पंचकुला 6) माटुंगा बाजार, मुंबई 7) आर.बी. एवेन्यू, कोलकाता 8) आर्मेनियन स्ट्रीट, चेन्नई 9) एर्नाकुलम, नार्थ रेलवे स्टेशन 10) मागडी रोड, बेंगलूर

मुद्रा को फीड करने पर मशीन किसी दो मूल्यावर्ग के सिक्कों का वितरण करती है ।

पेमेंट गेटवे

बैंक ने पेमेंट गेटवे सेवा प्रदान करने की अपनी महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरूआत की है । इस योजना के अंतर्गत ग्राहक आन लाइन पर उत्पादों/ सेवाओं को खरीद सकते है और इंटरनेट के जरिए पेमेंट गेटवे के माध्यम से अपने बैंक खाते से भुगतान कर सकते हैं । इस से ग्राहक विभिन्न व्यापारी प्रतिष्ठानों से संपर्क कर सकते है और वे ई-कॉमर्स व्यापार करने के लिए विभिन्न श्रेणी के ब्रांडेड उत्पादों को खरीद सकते हैं जिनमें बुके, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तु, इलेक्ट्रॅनिक वस्तुएं/उपकरण इत्यादि शामिल है और साथ ही वे हवाई जहाज की टिकटें, होटेल कमरा इत्यादि की बुकिंग भी कर सकते हैं ।

मेसर्स एवेन्यूस इण्डिया लिमिटेड (सी.सी. एवेन्यू) और इण्डिया आइडियास. कॉम लिमिटेड (बिलडेस्क) जिनके पास बहुत बड़ा व्यापारी प्रतिष्ठान आधार है उनको पेमेंट गेटवे सेवाएं प्रदान करने के लिए चयनित किया गया है । दि 04-11-2009 से सी.सी. एवेन्यू के साथ और दि 20.3.2010 से बिलडेस्क के साथ पेमेंट गेटवे का सफलतापूर्वक कार्यन्वयन किया गया। अब ग्राहकों को पेमेंट गेटवे सेवाएं उन व्यापारी साइट से उपलब्ध होंगी जिनके नाम मेसर्स एवेन्यूस इण्डिया लिमिटेड और मेसर्स इण्डिया आइडियस कॉम लिमिटेड के पास पंजीकृत हैं।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए सी.बी.एस.

भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अनुसार सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को नीति नियम के तौर पर सी.बी.एस. के दायरे में लाना चाहिए और संबंधित प्रायोजक बैंक को अपने क्षे. ग्रा. बैं. के लिए सी.बी.एस. सेवा प्रदानकर्ता का चयन करने का विकल्प दिया जाए। बैंक, देश भर में फैली हुई 1328 शाखाओं से युक्त अपने सभी 5 प्रायोजित क्षे. ग्रा. बैं. को सी.बी.एस. के दायरे में लाने की योजना बना रहा है। इससे इन क्षे.ग्रा.बैं. के कार्य में एक समानता आयेगी और परिचालन आसान हो जाएगा। भा.रि.बै. और भारत सरकार के निदेशों के अनुसार सभी क्षे ग्रा.बैं. में सी.बी.एस. का कार्यान्वयन सितंबर 2011 से पहले हो जाना चाहिए।

निदेशक मंडल ने क्षे.ग्रा.बैं. में सी.बी.एस. के कार्यन्वयन हेतु एप्लिकेशन सर्विस प्रोवाइडर (ए.एस.पी) के अंतर्गत परियोजना के कार्यान्वयन तथा उपयुक्त विक्रेता की पहचान के लिए आर.एफ.पी. जारी करने के लिए अनुमति दी है।

लेंडिंग ऑटोमेशन प्रोसंसिंग सिस्टम (एल.ए.पी.एस.)

बैंक ने लेंडिंग ऑटामेशन प्रोसेसिंग सिस्टम (एल.ए.पी.एस.)का कार्यान्वयन शुरू कर दिया है। उक्त प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है :

- भा.रि.बैं. की चूककर्ता सूची का अपलोडिंग और नैगम ऋण मंजूर करने से पहले नामों को आसानी से खोजना।
- उधारकर्ताओं के विवरण जैसे उम्र, ऋण पात्रता इत्यादि के आधार पर ऋण की श्रेणी निर्धारित करना।

following 10 branches:

1) Catholic Centre, Udupi
2) Vikas Puri, New Delhi
3) R. P. Road, Secunderabad
4) Ashram Road, Ahmedabad
5) Sec. 11, Punchkula
6) Matunga Bazar, Mumbai
7) R B Avenue, Kolkata
8) Armenian St., Chennai
9) Ernakulam, North Rly. Station
10) Magadi Road, Bangalore.

Against feeding of currency, the machine disburses coins of any two denominations.

Payment Gateway

The Bank has embarked upon an ambitious project of providing Payment Gateway services, whereby the customers can purchase products / services online and make payment from their accounts with the Bank through the Payment Gateway, via Internet Banking. This enables the customers to get access to an array of Merchant Establishments and a wide range of branded products for doing e-commerce business, which include domestic items like bouquets, consumer durables, Electronic gadgets/equipment etc., and services like booking of Airline tickets, Hotel accommodation etc.

M/s Avenues India Ltd. (CCAvenue) and M/s Indiaideas. com Ltd. (BillDesk) who have a large base of merchant establishments registered with them have been identified to provide the Payment Gateway Services. Payment Gateway with CCAvenue has been successfully implemented from 04-11-2009 and with BillDesk from 20-03-2010. The Payment Gateway services are now available to the customers from merchant sites registered with M/s Avenues India Ltd. and M/s Indiaideas.com Ltd.

CBS for Regional Rural Banks

In line with the RBI directive that all RRBs should begin moving towards CBS as a matter of policy and that the respective sponsor bank may be given the option of selecting the service provider for their RRBs, the Bank proposes to bring all the 5 sponsored RRBs with 1328 branches spread all over India under CBS, which shall bring in uniformity in the functioning and ease of operations. As per the RBI and Govt. of India directive, implementation of CBS in all RRBs should be completed by September 2011.

The Board has accorded permission to implement the project under the Application Service Provider (ASP) model and to float RFP for the identification of a suitable vendor for implementing the CBS in RRBs.

Lending Automation Processing System (LAPS)

The Bank has started implementing 'Lending Automation Processing System (LAPS)', the salient features of which are as under.

- RBI Defaulters list uploading and easy search for the names before sanctioning of corporate loans.
- Risk rating of the loan can be set based on the borrowers properties like age, credit worthiness etc.

- सी.बी.एस. से ग्राहक के ब्यौरे निकालना और केवल अतिरिक्त विवरणों को अद्यतन करना आवश्यक है।
- मंजूरी पत्र, एम.सी.बी. नोट तैयार करती है और मंजूरीदाता प्राधिकारी तथा शाखा के बीच पूछताछ को सुकर बनाता है।
- ऋण दस्तावेजों का मुद्रण संबंधी प्रावधान

बैंक ने 200 शाखाओं में इसका कार्यान्वयन कराने हेतु लाइसेंस प्राप्त किया है। रिटेल मोड्यूल को 7 सी.पी.सी. और 162 शाखाओं में सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया है। कॉर्पोरेट मोड्यूल कस्टमाइजेशन के अधीन है और उसे सी.पी.सी/ शाखाओं में शीघ्र उपलब्ध कराया जाएगा।

पुरस्कार

- बैंक को शिक्षा ऋणों के क्षेत्र में एन.डी.टी.वी. प्रॉफिट का 'द्वितीय सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार' प्राप्त हुआ।
- **एस.एच.जी. बैंक लिंकेज कार्यक्रम के अंतर्गत सर्वोत्कृष्ट निष्पादक पुरस्कार:** बैंक को वर्ष 2009-2010 के दौरान कर्नाटक राज्य में स्थित वाणिज्यिक बैंकों में से ''अधिकतम औसत ऋण राशि'' श्रेणी के अंतर्गत ''सर्वोत्तम निष्पादक'' पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उक्त पुरस्कार का प्रवर्तन एस.एच.जी बैंक लिंकेज कार्यक्रम के अंतर्गत बैंक द्वारा किए गए उत्कृष्ट निष्पादन के लिए नाबार्ड बैंगलूर द्वारा किया गया।
- **सोलर फाइनासिंग के अंतर्गत शाखा प्रबंधकों को पुरस्कार:** वर्ष 2007-2008 के दौरान सोलर होम लाइटिंग सिस्टम को अधिकतम वित्तपोषण करने के लिए दक्षिण अंचल में स्थिति वाणिज्यिक बैंकों के शाखा प्रबंधकों में हमारी तेरदल और तुमारी शाखाओं के शाखा प्रबंधकों को क्रमश: प्रथम और द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुए।

अनुकूल गठजोड़

बैंक ने निम्नलिखित कंपनियों के साथ गठजोड़ व्यवस्था की है:

- दि. 07-07-2009 को इंटरनेशनल कार्स एन्ड मोटर्स लि. के साथ उनके बहु उपयोगी वाहन 'राइनों' जो पेसेंजर कार और एम.यू.वी.के 5 मॉडेलों में उपलब्ध है, खरीदनेवालों के खुदरा वित्तपोषण के लिए गठजोड़ व्यवस्था की है।
- जे.सी.बी मशीन तथा उपस्कर खरीदनेवाले उद्यमियों के वित्तपोषण हेतु जे.सी.बी. (इण्डिया) के साथ गठजोड़ व्यवस्था की है।
- अधिमत वित्तपोषक के रूप में मारुति सुजुकी वाहनों को खरीदनेवालों के वित्तपोषण हेतु दि. 24.07.2009 को मेसर्स मारुति सुज़की लिमिटेड के साथ गठजोड़ व्यवस्था की है।
- नये वाहनों के खरीदनेवाले उधारकर्ताओं के वित्तपोषण हेतु मेसर्स महीन्द्रा एण्ड महीन्द्रा के साथ गठजोड़ व्यवस्था की है।

अनुपालन विभाग

बैंकिंग कारोबार बें बढ़ती हुई जटिलताओं एवं कृत्रिमता को ध्यान में रखते हुए बैंक ने अलग से एक अनुपालन विभाग खोला है जिसका प्रमुख, मुख्य अनुपालन अधिकरी है। बैंक ने भा.रि.बैं. के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार बैंक द्वारा अनुपालन कार्यों के संबंध में एक अनुपालन नीति अपनाई है।

- बैंक ने सांविधिक, विधिक और विनियामक मार्गदर्शीसिद्धातों के अनुपालन को सुनिश्चित करना
- प्रायोज्य मानकों तथा संहिताओं के साथ-साथ बैंक की नीतियों एवं मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करना।

- Fetches/extracts customer details from CBS and only additional details need to be updated.
- Generates the sanction letter, MCB Note and supports querying between the sanctioning authority and the Branch.
- Provision for printing loan documents.

The Bank has obtained licences for implementing the above in 200 branches. The Retail Module has been implemented successfully in 7 CPCs and 162 branches. The Corporate Module is under customization and is expected to be made available to CPCs / branches soon.

Accolades/Awards

- The Bank has received NDTV profit 'Second Best Award' in the area of education loans.
- **Best Performer Award under SHG-Bank Linkage Programme:** The Bank has been awarded with the "Best Performer" award under the category 'Highest Average Loan Size' among commercial banks operating in Karnataka for the year 2009-10. The award was instituted by NABARD, Bangalore for outstanding performance by Banks in SHG-Bank Linkage programme.
- **Award for Branch Managers under Solar Financing:** Two of our Branch Managers from Terdal and Tumari branches, have been awarded 1st and 2nd prizes among the branch managers of commercial banks in south zone for financing maximum number of Solar Home Lighting Systems during 2007-08.

STRATEGIC ALLIANCE

The Bank has entered into a tie-up with:

- International Cars and Motors Ltd. (ICML) on 07-07-2009 for providing retail financing facilities for the buyers of RHINO, their Multi Utility Vehicle which is available in 5 models, with features of passenger car and MUV.
- JCB (India) for financing entrepreneurs for purchasing JCB machines and equipments.
- M/s Maruti Suzuki Ltd. on 24-07-2009, for financing purchase of Maruti Suzuki Vehicles as preferred financiers.
- M/s Mahindra & Mahindra for financing the borrowers for purchase of new vehicles.
- Mahindra First Choice Ltd. for financing the purchase of certified pre-owned cars.

COMPLIANCE DEPARTMENT

Considering the increasing complexities and sophistication in the banking business, the Bank has set up a separate Compliance Department headed by a Chief Compliance Officer to oversee compliance function. The Bank has put in place a Compliance Policy, in line with the RBI guidelines on Compliance Function in Banks.

Major objectives of the Compliance Policy are:

- To ensure observance of statutory, legal and regulatory guidelines.
- To ensure compliance with applicable standards and

- बैंक द्वारा सामना की जानेवाली अनुपालन जोखिम को प्रभावी ढंग से प्रबंध करने के लिए उच्च प्रबंधक वर्ग की सहायता करना।
- बैंक के कारोबार कार्यकलापों के अनिवार्य भाग के रूप में एक सक्रिय अनुपालन जोखिम प्रबंधन पद्धति स्थापित करने में सहायता करना।

बैंक की प्रतिबद्धताओं को जारी रखते हुए तथा उच्च अनुपालन मानक का पालन करते हुए उनकी आवधिक रूप से समीक्षा भी की जाती है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

बैंक द्वारा अक्तूबर, 2005 से इस अधिनियम के संगत प्रावधानों का कार्यान्वयन किया जा रहा है । अधिनियम के तहत जिन सूचनाओं को प्रकट करना है वे बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं ।

अधिनियम के अंतर्गत बैंक के लिए अपील प्राधिकारी और विभिन्न स्तरों पर जन सूचना अधिकारी (पी.आइ.ओ.) पदनामित किए गए हैं । अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न स्तरों की भूमिकाओं तथा उत्तरदायित्वों को बैंक ने स्पष्ट किया है ।

संसदीय समिति के निदेशों के अनुसार बैंक ने शीर्ष स्तर पर एक अनुप्रवर्तन समिति का गठन किया है, जो आरटीआइ अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी करती है । बैंक में आरटीआइ अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए इस वर्ष के दौरान समिति की तीन बैठकें आयोजित की गईं।

बैंक ने वर्ष के दौरान प्राप्त सभी आवेदनों तथा अपीलों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर निपटान किया है ।

निरीक्षण और लेखा परीक्षा

बैंक में एक सुस्थापित निरीक्षण विभाग है जो बैंक की प्रणालियों, नीतियों तथा प्रक्रियाओं के अनुपालन की जांच करता है। आंतरिक नियंत्रण के विभिन्न मुद्दों पर भा.रि.बैं., भारत सरकार, निदेशक मंडल तथा निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति से जो मार्गदर्शी सिद्धांत प्राप्त होते हैं वे बेहतर जोखिम प्रबंधन के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का भाग बन गए हैं। निरीक्षण विभाग अपने आठ प्रादेशिक निरीक्षणालयों के माध्यम से निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति द्वारा निर्धारित आवधिकता के अनुसार शाखाओं/कार्यालयों का निरीक्षण करते हैं और आंतरिक नियंत्रण से संबंधित ऐसी प्रणालियों तथा जोखिम प्रबंधन (के.वाई.सी./ए.एम.एल इत्यादि से संबंधित के साथ) के अनुपालन की जांच करते हैं। बैंक में एक कारगर आंतरिक लेखा परीक्षा नीति है।

जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट (आर.बी.आइ.ए) प्रबंधक वर्ग को एक अत्यंत व्यापक फीडबैंक प्रदान करती है, जो परिचालन स्तर पर बैंक मानदण्डों तथा भा.रि.बैं/ सरकार के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुपालन की स्थिति की जानकारी देती है। अतएव वह नियंत्रण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण साधन है।

सभी शाखाओं को आर.बी.आइ.ए. के अंतर्गत लाया गया है। जोखिम के स्तर का निर्धारण और उसके निदेश भा.रि.बैं. द्वारा निर्दिष्ट जोखिम मैट्रिक्स के अनुसार होंगे, जो प्रबंधक वर्ग को उन उच्च जोखिमवाले क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करती है जिन पर प्राथमिकता आधार पर ध्यान दिया जाना है।

वर्ष 2009-2010 में 2160 घरेलू शाखाओं की आर.बी.आइ.ए. की गयी है। नैगम कार्यालय/प्रधान कार्यलय के कार्यात्मक विभागों की भी आर.बी. आइ.ए. की गयी है। इसके अलवा, बैंक द्वारा विभिन्न अन्य प्रकार के

codes and also Bank's policies and standards.

- To assist the top management in managing effectively the compliance risk faced by the Bank.
- To assist in establishing a pro-active compliance risk management culture, as an integral part of the Bank's business activities.

Continuing with the Bank's commitments and adhering to the high compliance standard, Compliance function is being reviewed periodically.

RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005

The Bank has implemented the relevant provisions of the Act with effect from October 2005. The information related to the Bank as stipulated under the Act is displayed on the Bank's website.

The Appellate Authority for the Bank under the Act and the Public Information Officers [PIOs] at various levels have been designated. The Bank has clearly spelt out the roles and responsibilities at different levels under the Act.

As directed by the Parliamentary Committee, the Bank has constituted a Monitoring Committee at Apex level to oversee the implementation of the RTI Act. During the year, the Committee has reviewed the effectiveness of implementation of the RTI Act in the Bank.

During the year, the Bank has disposed of all the applications and all appeals received, within the stipulated time.

INSPECTION AND AUDIT

The Bank has a well established Inspection Department that examines the adherence to the systems, policies and procedures of the Bank. The guidelines received on various issues of internal control from Reserve Bank of India, Government of India, Board and Audit Committee of the Board have become part of the Internal Control System for better risk management. Inspection Department through its eight Regional Inspectorates carries out inspection of branches / offices as per the periodicity decided by the Audit Committee of the Board and examines adherence to such systems of internal control and risk management (including various aspects of KYC/AML etc.). The Bank has a well articulated Internal Audit Policy in place.

Risk Based Internal Audit Report (RBIA) is the most comprehensive feedback to the Management about the degree of compliance of the Bank's norms at the operational level as also RBI / Government guidelines, and hence, the most important tool for exercising control.

All the Branches are covered under RBIA. Assessment of the level of risk and its directions is as per risk matrix prescribed by Reserve Bank of India which helps the Management in identifying areas of high risk requiring attention on priority basis.

In 2009-10, 2160 RBIAs of the domestic branches were carried out. RBIA of functional departments at Corporate Office / Head Office is also conducted. In addition, various other inspections / audits are also carried out by

निरीक्षण/लेखा परीक्षा भी की गयी, जैसे कार्यात्मक विभागों की पोर्टफोलियों लेखा परीक्षा, बड़े उधार खातों की लेखा परीक्षा; अनुपालन कार्यों को सुनिश्चित करने के लिए अनुपालन लेखा परीक्षा, राजस्व लेखा परीक्षा, विशेष लेखा परीक्षा इत्यादि। वर्ष के दौरान अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग, कोष और निधि प्रबंधन सहित बैंक की 410 शाखाओं की समवर्ती लेखा परीक्षा की गयी। वर्ष के दौरान 67% से अधिक जमाराशियों तथा 72% अग्रिमों की समवर्ती लेखा परीक्षा करायी गयी जबकि इस संबंध में भा.रि.बैं. द्वारा निर्दिष्ट सीमा जमाराशियों के लिए 50% गया अग्रिमों के लिए 50% है। इसके अलावा 'फोरेक्स' लेन-देन तथा घरेलू निवेशों की भी 100% समवर्ती लेखा परीक्षा करवायी गयी।

बैंक का कारोबार पूर्णतया केन्द्रीकृत प्लैटफॉर्म में होने के कारण परिचालन के संवेदनशील क्षेत्रों में समय पर चेतावनी की व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु परंपरागत पर्यवेक्षण पद्धति की अनुपूरक प्रणाली के रूप में प्रधान कार्यालय में दैनंदिन लेन-देन की परोक्ष निगरानी प्रणाली शुरू की गयी है।

आंतरिक नियंत्रण और सतर्कता

प्रबंधन कार्यों का एक महत्वपूर्ण पहलू सतर्कता प्रशासन है, जिसका उद्देश्य संगठन की दक्षता एवं प्रभावशीलता में सुधार लाना है । जिन मामलों में धोखाधड़ी के या सतर्कता के पहलू शामिल थे, उन सभी मामलों की यथाशीघ्र जाँच पड़ताल की गई और अनुशासनिक कार्रवाई सुनिश्चित की गई । वर्ष 2009-10 के दौरान 201 सतर्कता मामलों का निपटान किया गया ।

03-11-2009 और 07-11-2009 के बीच बैंक में सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन जोरदार ढंग से किया गया । इसके उपलक्ष्य में एक पत्रिका प्रकाशित की गई, जिसमें केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशक एवं मुख्य सतर्कता अधिकारी के संदेश शामिल हैं और इस पत्रिका का विमोचन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा दि. 23-02-2010 को किया गया ।

प्रणालियों तथा कार्यविधियों का सख्त अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शाखाओं में निवारक सतर्कता अध्ययन आयोजित करके, एस.आइ.बी.एम. तथा बैंक के अन्य प्रशिक्षण केन्द्रों में निवारक सतर्कता प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करके तथा बड़ी शाखाओं में निवारक सतर्कता समितियों का गठन करके निवारक सतर्कता पर बल दिया गया । आलोच्य वर्ष के दौरान 151 शाखाओं में निवारक सतर्कता अभ्यास किए गए और 77 शाखाओं के 119 खातों के मामलों में बैंक को दृष्टिबंधकित वस्तुओं का आकस्मिक सत्यापन किया गया ।

प्रशिक्षण केन्द्र बैंगलूर में दि. 23.12.2009 और 24.12.2009 को उन अधिकारियों के लिए 'सार्वजनिक खरीद' पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया जो क्षे.का. तथा प्रधान कार्यलय/नैगम कार्यलय के कार्यात्मक विभागों में कार्यरत है और जो वस्तुओं की खरीद कार्य तथा परामर्श सेवा में संलिप्त हैं। उक्त कार्यक्रम का आयोजन श्री आर. राधाकृष्णन, भूतपूर्व महा प्रबंधक भा.रि.बैं. द्वारा किया गया भूतपूर्व सी.वी.ओ. और मुख्य महा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, श्री बसंत सेठ, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने सहभागियों को संबोधित किए।

विभिन्न केन्द्रों में स्थित 8 सतर्कता यूनिटों में कार्यरत जांच अधिकारियों के लिए उनके ज्ञान को अद्यतन बनाते हेतु एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गयी और सतर्कता यूनिटों में तैनात अधिकारियों के लिए दि. 29-07-2009 से 31.07.2009 तक तीन दिवसीय अंत:कार्य प्राशिक्षण आयेजित किया गया।

the Bank such as Portfolio Audit of functional departments (expenditure portfolio), credit audit of large borrowal accounts, compliance audit to ensure compliance functions, revenue audit, special audits etc. The concurrent audit of the Bank covered 410 branches including International Division, Treasury and Funds Management. Concurrent audit covers more than 67% of deposits and 72% of advances, as against prescribed RBI limits of 50% of deposits and 50% of advances besides 100% of FOREX dealings and domestic investments.

In view of the Bank working on a fully centralized platform, offsite monitoring of the day to day transactions is put in place at Head Office to compliment the traditional supervisory process to get early warning signals in sensitive areas of concern and to take corrective action wherever required.

INTERNAL CONTROL AND VIGILANCE

Vigilance administration is an important part of management function, aimed at improving the efficiency and effectiveness of the organization. Investigations are conducted expeditiously and disciplinary proceedings are ensured wherever frauds or vigilance angle is involved. During 2009-10, 201 vigilance cases were disposed of.

Vigilance Awareness Week was observed in the Bank from 03-11-2009 to 07-11-2009 in a befitting manner. On this occasion, a Souvenir was brought out containing messages from CVC, CMD, EDs & CVO and articles from the staff on preventive vigilance aspects. The Souvenir was released by the Chairman & Managing Director on 23-02-2010.

Stress is being laid on preventive vigilance by initiating preventive vigilance studies at branches, conducting Preventive Vigilance Training Programmes at SIBM & other Training Centres of the Bank and constitution of Preventive Vigilance Committees at the branches with a view to ensuring strict adherence to systems and procedures. During the year under review, Preventive Vigilance Exercises were conducted at 151 branches and Surprise Verification of goods hypothecated to Banks was conducted in 119 accounts covering 77 branches.

A two day training programme on "Public Procurement" was organized at Training Centre : Bangalore on 23-12-2009 and 24-12-2009, specially for the benefit of officers at ROs and other functional departments at Head Office/Corporate Office, who are involved in procurements of goods, works and in engaging consultants. The programme was conducted by Sri R. Radhakrishnan, Ex-General Manager, RBI, Ex-CVO and Chief General Manager of SBI. Sri Basanth Seth, the Chairman & Managing Director also addressed the participants.

A one day Workshop for the Investigating Officials of the 8 Vigilance Units situated at various centres for updating their knowledge and a 3 day on-the-job training to the new incumbents at the Vigilance Units was organized from 29-07-2009 to 31-07-2009.

सुरक्षा

आइ.एस.ओ. 9001: 2000 प्रमाणित सुरक्षा विभाग बैंक की नीति और भा.रि.बैं. निदेशों के अनुसार प्रभावी और कारगर सुरक्षा प्रदान कर रहा है। निरंतर बदलती सुरक्षा की पृष्ठभूमि के मद्देनजर, सुरक्षा विभाग प्रणालियों की जटिलता को सुलझाने, कारोबार में होनेवाले परिवर्तन का सामने करने और विनियामक आवश्यकताओं को तैयार करने में सदैव तत्पर है।

सुरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए बैंक ने जोखिम की संभावनावाली शाखाओं तथा कैशवैन में 435 सी.सी.टी.वी. और 18 ग्लोबल पोसिशनिंग रेडियो सिस्टम लगायी है।

बैंक की शाखाओं के विरुद्ध रिपोर्ट किए गए 27 आपराधिक मामलों में से केवल दो मामले में यानि गाजियाबाद – वैशाली और कोपरखैराने शाखाओं में सशस्त्र डेकैती और एक मामले में चोरी की घटनाएं रिपोर्ट की गयी हैं। अन्य सभी मामलों को प्रभावी सुरक्षा उपाय लागू करने के कारण विफल कर दिया गया है।

सिंडबैंक सर्विसेज लि.

सिंडबैंक सर्विसेज लि. की स्थापना कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन 25 जनवरी, 2006 को की गई थी, जो सिंडिकेटबैंक की पूर्ण स्वामित्ववाली कंपनी है, जिसकी प्राधिकृत पूंजी रु. 10 करोड़ और प्रदत्त पूंजी रु. 25 लाख है। इसका उद्देश्य बैंक को तथा बैंक के ग्राहकों एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं को बैक ऑफिस सेवाएं उलब्ध कराना है ।

चालू वित्त वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा निम्नलिखित कार्यकलाप संपन्न किए गए:

1. नोटिस, एस.एम.एस. संदेश तथा टेली कॉल के जरिए बैंक के अनियमित खुदरा उधार पोर्टफोलियो तथा अतिदेय क्रेडिट कार्ड खातों पर अनुवर्ती कार्रवाई करना।
2. सिंडिकेट बैंक और इसके द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा अन्य बैंकों को भेजे जाने वाले कंप्यूटर हार्डवेयरों की पोतलदानपूर्व जाँच ।
3. आस्ति गुणवत्ता को बनाए रखने की दृष्टि से शिक्षा ऋणों के लाभार्थियों का एक व्यापक आँकड़ा आधार तैयार करना ।
4. मौजूदा ग्राहकों के बीच बैंक के विभिन्न उत्पादों के विपणन के लिए मेलरों का प्रेषण ।
5. सिंडिकेट बैंक के लिए कार्ड वैयक्तिकरण सेवाएं ।

6 ओमन में स्थित विनिमय कंपनियों (सिंडिकेट बैंक के साथ गठजोड व्यवस्था रखनेवाली कंपनियां) के ग्राहकों को सिंडिकेट बैंक की सी.एम.एस. मुंबई शाखा के माध्यम से उनके जावक विप्रेषणों के लिए एस.एम.एस. संदेश भेजना।

7. बैंगलूर शहर में स्थित शाखाओं की ओर से आइ.टी प्राधिकारियों के पास त्रैमासिक टी.डी.एस. विवरणी 24 क्यू और 26 क्यू फाईल करना।

यू.आर.एल. पे पास एस.बी.एस.एल. का वेबसाइट निम्नवत् है।
http://www.syndbankservices.in

SECURITY

The ISO 9001:2000 Certified Security Department is proactively providing effective and efficient security in accordance with the Bank's Policy as also RBI directions. In the backdrop of ever-changing security scenario, the Dept. is keeping pace with complexity of systems, speed of change in doing business and evolving regulatory requirements.

As part of ongoing process of strengthening Security, 435 CCTVs and 18 Global Positioning Radio Systems were installed in identified risk prone Branches and Cash Vans respectively.

Out of 27 cases of crimes reported against the Bank branches, there were only 2 incidents of armed robbery at Ghaziabad – Vaishali & Koparkhairane Branches and one case of theft. All other cases were foiled due to effectiveness of Security safeguards put in place.

SYNDBANK SERVICES LTD.

SyndBank Services Limited (SBSL) was incorporated under the Companies Act, 1956 on 25-01-2006, as a wholly owned subsidiary of SyndicateBank, with an Authorized Capital of Rs. 10 crore and paid up capital of Rs. 25 lakh to extend back-office services to SyndicateBank, its clients and other Financial Institutions.

During the current financial year, the Company has undertaken the following activities:

1. Follow-up of irregular retail loans and delinquent credit cards of the Bank by sending Notices, SMS Message and tele calling.
2. Pre-shipment testing of computer hardware procured by SyndicateBank, RRBs sponsored by SyndicateBank and other Banks.
3. Creation of comprehensive database for tracking beneficiaries of Education Loans to maintain asset quality.
4. Dispatch of mailers to cross-sell various products of the Bank.
5. Card personalization services for SyndicateBank.
6. Sending SMS messages to Clients of Exchange Companies in Oman (having tie-up with SyndicateBank) for their outward remittances through CMS, Mumbai Branch of SyndicateBank.
7. Filing of quarterly TDS returns 24Q and 26Q with the IT authorities on behalf of the branches in Bangalore City.

SBSL has its own website with URL
http://www.syndbankservices.in

सिंडबैंक सर्विसेज लि. जो एक लाभ अर्जित करने वाली कंपनी है, इसके राजस्व में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसकी वजह से उसकी वित्तीय स्थिति में मजबूती आई है। सिंडबैंक सर्विसेज लि. के पिछले तीन वर्षों का निष्पादन निम्नानुसार रहा है:

(रु. लाखों में)

ब्यौरे	मार्च 08	मार्च 09	मार्च 10
प्राधिकृत पूंजी	1,000	1,000	1,000
प्रदत्त पूंजी	25	25	25
प्रारक्षित निधि एवं अधिशेष	39	108	203
अचल आस्तियाँ (निवल)	5	5	4
कुल आय	115	161	250
कर के पूर्व लाभ	51	102	143
कर के बाद लाभ	34	70	94

निदेशक मंडल में परिवर्तन

श्री बसंत सेठ को 31 अगस्त 2009 से बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। श्री एम भास्कर राव, श्री ए.आर. नागप्पन और श्री भूपिंदर सिंह सूरी को दि. 27 जून 2009 से शेयरधारक निदेशकों के रुप में दूसरी अवधि के लिए नियुक्त किया गया है।

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9(3) (ख) के तहत नियुक्त सरकार के नामिती निदेशक श्री. एम दीन दयालन ने अधिवार्षिकी पर दि. 28 फरवरी 2010 को पदत्याग किया। अधिकारी कर्मचारी संवर्ग के प्रतिनिधित्व करनेवाले निदेशक श्री दिनकर एस.पूंजा, तथा कामगार कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करनेवाले निदेशक श्री. सुरेश कुमार रुस्तगी ने क्रमश: दि 15 सितंबर 2009 और 2 जनवरी 2010 को अपनी सेवा अवधि पूरी कर ली।

श्री कंवलजीत सिंह ओबेरॉय और सुश्री शोभा ओझा जिनकी नियुक्ति बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9(3) (जी.) और 9(3) (एच) के अंतर्गत सरकार के नामिती निदेशक के रूप में की गयी थी उन्होंने दि 01 जनवरी 2010 को अपनी सेवा की अवधि पूरी कर ली।

निदेशकों की जिम्मेदारी से संबंधित विवरण

दि. 31मार्च 2010 को समाप्त वर्ष से संबंधित वार्षिक लेखों को तैयार करते समय, निदेशक मंडल निम्नवत् पुष्टि करते हैं:

- कि वार्षिक लेखा तैयार करते समय प्रायोज्य लेखाकरण मानकों का पालन किया गया है तथा महत्वपूर्ण मुद्दों यदि कोई हो, पर उचित स्पष्टीकरण भी दिए गए हैं ।
- कि लेखाकरण नीतियों को भारतीय रिज़र्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार तैयार किया गया है और उनका निरंतर प्रयोग किया गया है।
- समुचित और विवेकपूर्ण निर्णय एवं प्राक्कलन किया गया है ताकि वह वित्तीय वर्ष के अंत को बैंक के कारोबार तथा 31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष से संबंधित बैंक के लाभ व हानि पर एक सत्य एवं सही चित्र दर्शा सके।
- कि बैंक की आस्तियों की रक्षा करने तथा धोखाधड़ी और अन्य प्रकार की विसंगतियों को रोकने तथा पता लगाने के लिए उन्होंने भारत में बैंकों पर लागू होनेवाली विधि संबंधी उपबंधों के अनुसार लेखाकरण अभिलेखों का रख-रखाव करने हेतु उचित और पर्याप्त सावधानी बरती है ।
- कि वार्षिक लेखों को ''निरंतर आधार'' पर तैयार किया है ।

SBSL, a profit making company, is consistently improving its revenues and the bottom-line. Its performance during the last three years was as under:

(Rs. in lakh)

Particulars	March 08	March 09	March 10
Authorized Capital	1,000	1,000	1,000
Paid Up Capital	25	25	25
Reserves & Surplus	39	108	203
Fixed Assets (Net)	5	5	4
Total Income	115	161	250
Profit Before Tax	51	102	143
Profit After Tax	34	70	94

CHANGES IN THE BOARD

Shri Basant Seth was appointed as Chairman & Managing Director of the Bank w.e.f. 31st August 2009. Shri M. Bhaskara Rao, Shri AR Nagappan and Shri Bhupinder Singh Suri were re-elected as directors representing shareholders w.e.f. 27th June 2009 for the second term.

Shri M. Deena Dayalan, Government Nominee under Section 9(3)(b) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 demitted office on 28th February 2010 on attaining the age of superannuation. Shri Dinkar S. Punja, Director representing Officer employees and Shri Suresh Kumar Rustagi, Director representing Workmen completed their term on 15th September 2009 and 2nd January 2010 respectively.

Shri Kawaljit Singh Oberoi and Ms. Shobha Oza, Government Nominee Directors under Section 9(3)(g) and 9(3)(h) respectively, of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 completed their term on 1st January 2010.

DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

The Directors, in preparation of the annual accounts for the year ended March 31, 2010, confirm the following:

- That the applicable accounting standards have been followed in the preparation of annual accounts, along with proper explanation relating to material departures, if any.
- That the accounting policies, framed in accordance with the guidelines of the Reserve Bank of India, were consistently applied.
- The reasonable and prudent judgments and estimates were made so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and of the profit or loss of the Bank for the year ended March 31, 2010.
- That proper and sufficient care was taken for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of applicable laws governing banks in India for safeguarding the assets of the Bank and for preventing and detecting fraud and other irregularities.
- That the annual accounts have been prepared on a "going concern" basis.

आभार

निदेशक मंडल जनता, अपने मूल्यवान ग्राहकों, शेयरधारकों और कर्मचारी सदस्यों से प्राप्त निरंतर सहयोग और संरक्षण के लिए उनके योगदान को प्रसन्नतापूर्वक अभिलेखित करता है । निदेशक मंडल भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी तथा अन्य विनियामक प्राधिकारियों, विभिन्न वित्तीय संस्थाओं, बैंकों तथा भारत में और भारत से बाहर के संपर्कियों के प्रति भी समय-समय पर दिए गए उनके बहुमूल्य एवं समय पर दिए गए मार्गदर्शन व समर्थन के लिए आभार व्यक्त करता है ।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

(बसंत सेठ)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : मणिपाल
तारीख : 27.05.2010

ACKNOWLEDGEMENT

The Board wishes to place on record its sincere appreciation to the public, valuable customers, shareholders and staff members for their continued support and patronage. The Board is also indebted to the Ministry of Finance, Government of India; RBI; SEBI and other regulatory authorities, various Financial Institutions, Banks and Correspondents in India and abroad for their unflinching and valuable support and guidance from time to time.

For and on behalf of the Board of Directors.

Place : Manipal
Date : 27-05-2010

(Basant Seth)
Chairman & Managing Director

नैगम अभिशासन पर रिपोर्ट

1. बैंक सभी क्षेत्रों में विनियामक प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित मानदन्डों का पालन कर रहा है।
2. बैंक का नैगम दर्शन अपने ग्राहकों, अंशधारकों को उनके विश्वसनीय और मैत्रीपूर्ण वित्तीय भागीदार के रूप में सेवा प्रदान करना है।
3. बैंक का लक्ष्य एक प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के रूप में अपनी स्थिति को मज़बूत करना तथा एक सुदृढ़, गतिशील, संवेदनशील एवं प्रतियोगी वित्तीय संस्था के रूप में उभरना है।
4. बैंक ने अपने सभी कार्यक्षेत्रों में निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अपने नैगम दर्शन का मनसा, वाचा, कर्मणा अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु बैंक के पास नैगम अभिशासन की एक प्रभावी एवं पारदर्शी प्रणाली बनाई है, जो व्यावसायिक निदेशक मंडल द्वारा संचालित है। नैगम अभिशासन के हिस्से के रूप में बैंक सर्वोत्तम कारोबारी उपाय अपनाने का प्रयास करता है जिससे कि संस्था नवोन्मेष एवं उच्च दर्जे के बाज़ार संवेदी और ग्राहक उन्मुख बैंकिंग उत्पाद और सेवाएं प्रदान करके प्रतिस्पर्धात्मक स्वरूप बनाए रख सके।
5. शानदार इतिहास की पृष्ठभूमि पर एक प्रतिष्ठित सार्वजनिक क्षेत्र की संस्था के रूप में विश्वास हासिल करते हुए बैंक में लेखांकन एवं सामान्य अभिशासन में अत्यंत ऊंचे स्तर के नैतिक मानदंड अपनाए गए हैं।
6. बैंक अपने लिए संपत्ति और संसाधनों को जुटाने, उनका संरक्षण करने तथा उनकी वृद्धि करने के लिए और अपने निष्पादन को ठीक समय पर तथा पारदर्शी ढंग से रिपोर्ट करने के संबंध में अपने सभी निवेशकों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करता है।
7. बैंक में एक सुपरिभाषित नीति संहिता है, जो निदेशक मंडल के सभी सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन पर लागू होती है।

नैगम सामाजिक जिम्मेदारी

बैंक ने बाढ़ और अत्यधिक वर्षा से प्रभावित कर्नाटक के अपने अग्रणी जिलों में यानि बिजापुर, बागलकोट, बल्लारी और उत्तर कन्नड़ जिले में स्थित 2 गाँवों में अपनी नैगम सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में राहत प्रदान की है ।

निदेशक मंडल

निदेशक मंडल, बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9(3) और केन्द्र सरकार के राजपत्र अधिसूचना संदर्भ सं. एफ. 4/1/94 बी.ओ.आई (1) दिनांक 3-4-1995 के अनुसार गठित किया गया है जिसका संशोधन बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम और वित्तीय संस्था विधि (संशोधन) अधिनियम, 2006 के जरिए किया गया है।

संप्रति, मंडल में केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त 3 पूर्णकालिक निदेशक अर्थात अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक तथा 2 कार्यपालक निदेशक, भा.रि.बैं. द्वारा नामित 1 निदेशक, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9(3) (एच) के तहत केन्द्रीय सरकार द्वारा नामित एक निदेशक और तीन चयनित शेयर धारक निदेशक हैं। बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक तथा कार्यपालक निदेशक को छोड़कर अन्य सभी निदेशक गैर–कार्यकारी निदेशक हैं। अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक, श्री वी. के. नागर मंडल की अध्यक्षता करते हैं। बैंक का सामान्य पर्यवेक्षण, निदेश, कारोबार एवं कार्यों का प्रबन्धन बैंक के निदेशक मंडल में निहित है।

बैंक के निदेशक मंडल का वर्तमान संघटन एवं श्रेणी निम्नानुसार प्रस्तुत है:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	शैक्षणिक योग्यता	निदेशक पद का संवर्ग	कार्यग्रहण की तारीख
1.	श्री बसंत सेठ	बी.एससी., सनदी लेखाकार, बैंक प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	31-08-2009
2.	श्री वी. के. नागर	बी.ई. (टेक्स्ट), एम.बी.ए., पी.जी. डिप्लोमा इन मार्केटिंग (सेल्स मेनेजमेंट)	कार्यपालक निदेशक	08-10-2008
3.	श्री आर. रामचंद्रन	पोस्ट ग्रेजुएट इन साइंस, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फाइनांशियल मैनेजमेंट	कार्यपालक निदेशक	19-12-2008
4.	श्री के. सीतारामु	बी.एससी., सीएआईआई बी	भा.रि.बैं. नामिती प्रावधान 3(सी)	27-02-2007
5.	श्री रमेश एल. अडिगे	बी.ई. (ऑनर्स), एम.बी.ए. मार्केटिंग में विशेषज्ञता	भारत सरकार नामिती प्रावधान 3(एच)	10-07-2008
6.	श्री एम. भास्कर राव	बी.कॉम., एफ.सी.ए.	शेयरधारक निदेशक प्रावधान 3(आई)	27-06-2009*
7.	श्री एआर नागप्पन	एम.एससी.	शेयरधारक निदेशक प्रावधान 3(आई)	27-06-2009*
8.	श्री भूपिन्दर सिंह सूरी	डिप्लोमा इन ऑटोमोबाईल इंजीनियरिंग	शेयरधारक निदेशक प्रावधान 3(आई)	27-06-2009*

* दि. 23-06-2009 को शेयरधारक निदेशक के रूप में उनकी अवधि समाप्त होने पर दि. 27-06-2009 से तीन शेयरधारक निदेशकों को दूसरी अवधि के लिए पुन: चयनित किया गया ।

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

1) The Bank has been scrupulously ensuring compliance with norms laid down by regulatory authorities in all areas. The Bank has always been proactive in adopting as well as practicing good Corporate Governance.
2) The Corporate philosophy of the Bank is to serve its constituents and stakeholders as a faithful and friendly financial partner.
3) The mission of the Bank is to consolidate its position as a premier Public Sector Bank and emerge as a strong, vibrant, responsive and competitive financial institution, which participates effectively in nation building.
4) To ensure that the corporate philosophy of the Bank is practiced in spirit and letter in all the functional areas of the Bank for fulfilling the mission adopted, the Bank has an effective and transparent system of Corporate Governance driven by a professional Board. As part of the corporate governance, the Bank strives to adopt the best business practices that can enable the Institution to retain its competitive edge through innovation and highest standards of delivery of market responsive and customer centric banking products and services
5) Conscious of the trust enjoyed by it as a public Institution with a proud history, the Bank maintains high ethical standards in accounting and general governance.
6) The Bank recognizes its accountability to all stakeholders of the Bank for creating, protecting and enhancing wealth and resources for the Bank and reporting to them on its performance in a timely and transparent manner.
7) The Bank has laid down a well-defined Code of Conduct, which is applicable to all the members of the Board and Senior Management.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

The Bank in its Lead Districts of Karnataka viz. in Bijapur, Bagalkot, Bellary and Uttara Kannada districts, which were severely affected by floods and excess rains, provided relief as part of Corporate Social Responsibility in 2 villages each in these districts.

BOARD OF DIRECTORS

The Board of Directors has been constituted in accordance with Section 9(3) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 and as per the Central Government Gazette Notification No. F 4/1/94-BO.I(1) dated 3-4-1995 as amended vide Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) and Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 2006.

Presently, the Board comprises of Three whole-time directors - the Chairman & Managing Director and the Two Executive Directors – appointed by Central Government, one RBI Nominee Director, one Director nominated by the Central Government under Section 9(3)(h) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 and Three Elected Shareholder Directors. All the Directors of the Bank, except the Chairman & Managing Director and the Executive Directors, are non-Executive Directors. The Chairman & Managing Director or in his absence the Executive Director, Shri V. K. Nagar, presides over the Board. The general superintendence, direction and management of the affairs and business of the Bank are vested in the Board of Directors of the Bank.

The present composition and category of the Board of Directors of the Bank are furnished below:

Sl. No.	Name of the Director	Qualifications	Category of Directorship	Date of assuming Office
1.	Shri Basant Seth	B.Sc., Chartered Accountant, PG Diploma in Bank Management	Chairman & Managing Director	31-08-2009
2.	Shri V. K. Nagar	B. Text., MBA, PG Diploma in Marketing (Sales Management)	Executive Director	08-10-2008
3.	Shri R. Ramachandran	Post Graduate in Science with Post Graduate Diploma in Financial Management	Executive Director	19-12-2008
4.	Shri K. Seetharamu	B.Sc., CAIIB	RBI Nominee Clause 3(c)	27-02-2007
5.	Shri Ramesh L. Adige	BE (Hons.), MBA with specialization in Marketing	GOI Nominee Clause 3(h)	10-07-2008
6.	Shri M. Bhaskara Rao	B.Com., FCA	Shareholder Director Clause 3(i)	27-06-2009 *
7.	Shri AR Nagappan	M.Sc.	Shareholder Director Clause 3(i)	27-06-2009 *
8.	Shri Bhupinder Singh Suri	Diploma in Automobile Engg.	Shareholder Director Clause 3(i)	27-06-2009 *

* On expiry of their tenure as Shareholder Directors as on 23-06-2009, the Three Shareholder Directors were re-elected to the Board w.e.f. 27-06-2009 for the second term.

उन निदेशकों का संक्षिप्त जीवनवृत्त जो दि. 31-03-2009 को तुलन-पत्र हस्ताक्षरित होने के बाद निदेशक मंडल में शामिल/नियुक्त हुए हैं ।

श्री बसंत सेठ

श्री बसंत सेठ एक व्यावसायिक बैंकर हैं, उनके पास 35 वर्षों का पर्याप्त अनुभव है। उन्होंने दि 31-08-2009 को सिंडिकेट बैंक में कार्यग्रहण किया। इससे पूर्व 1 मार्च 2007 से वे भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक (सिडबी) में पूर्णकालिक निदेशक (उप प्रबंध निदेशक के रूप में पदनामित) के पद पर कार्यरत थे जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कार्यपालक निदेशक के समान बोर्ड स्तर पर नियुक्त पद है।

उन्होंने अपने बैंकिंग जीवन की शुरुआत अप्रैल 1974 में बैंक ऑफ इण्डिया में सीधी भर्ती द्वारा अधिकारी के रूप में की थी। उन्होंने विदेश में तथा प्रशासनिक कार्यालय सहित क्षेत्र स्तर पर विभिन्न पदों पर कार्य किए हैं । वे, इण्डो जांबियन बैंक, जो जांबिया सरकार का एक संयुक्त उपक्रम है तथा हाँगकाँग में स्थित कॉमनवेल्थ फाइनॉन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक मंडल में बैंक के नामिती निदेशक थे।

श्री बसंत सेठ ने बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में विज्ञान विषय लेकर स्नातक उपाधि प्राप्त की है और वे एक अर्हता प्राप्त सनदी लेखाकार हैं। उन्होंने नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ बैंक मेनेजमेंट, पुणे से बैंक प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया है।

उन्होंने ऑडिटिंग और एश्योरेन्स स्टैंडर्ड बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य किया है और साथ ही उन्होंने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा गठित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक संबंधी अध्ययन दल तथा भारतीय बैंक संघ द्वारा गठित कराधान समिति के सदस्य के रूप में भी कार्य किया है।

श्री मोचेर्ल भास्कर राव

श्री मोचेर्ल भास्कर राव कॉमर्स में स्नातक तथा सनदी लेखाकार हैं। वे वर्ष 1961 से सनदी लेखाकार की प्रैक्टिस कर रहे हैं तथा एम. भास्कर राव एण्ड कंपनी के वरिष्ठ पार्टनर हैं।

बैंकिंग रेगुलेटर की तरफ से उन्होंने निरीक्षण का कार्य संपन्न किया है। इन्होंने भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से ग्लोबल ट्रस्ट बैंक का विशेष निरीक्षण किया है तथा नेडुंगाडी बैंक का पंजाब नेशनल बैंक के साथ विलयन संबंधी औपचारिकताओं को पूरा किया है।

वे पंजाब नेशनल बैंक में वर्ष 1995 से 2000 तक भारत सरकार के नामित निदेशक रहे हैं। वे पंजाब नेशनल बैंक की लेखा-परीक्षा समिति के अध्यक्ष तथा प्रबंधन समिति के सदस्य रहे हैं।

उनकी बासल II संस्तुतियों की गहरी समझ एवं जोखिम आधारित पर्यवेक्षण की लेखा समिति के नेतृत्व का लाभ कई बैंकिंग संस्थाओं, जैसे, आइ एन जी वैश्या - जोखिम आधारित लेखा, आइ सी आइ सी आइ की एस ओ एक्स अनुपालन तथा आइ एन जी वैश्या एवं आइ सी आइ सी आइ को ऋण अनुप्रवर्तन के मामले में मिला है।

प्रोफेशनल प्रेक्टिस की अवधि के दौरान (फर्म की तरफ से) वे भारतीय जीवन बीमा निगम के मंडल, आंचलिक और सेन्ट्रल लेखा-परीक्षक रहे हैं। वर्तमान में वे आंतरिक लेखा-परीक्षक के रूप में आइआरडीए से जुड़े हुए हैं और उन्होंने बीमा परिदृश्य में हो रहे परिवर्तन की बड़ी अच्छी समझ विकसित की है। वे बीमा एवं जोखिम प्रबंधन संस्थान से सांविधिक लेखा-परीक्षक के रूप में जुड़े हुए हैं जो आइ आर डी ए द्वारा प्रवर्तित एक अकादमिक और शोध संस्थान है।

अपने व्यावसायिक कैरियर के दौरान वित्तीय संस्थाओं के हित की दृष्टि से उन्होंने उनके कई बोर्डों में विभिन्न विनियामकों यथा, भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी, आइ आर डी ए की तरफ से प्रतिनिधित्व किया है।

श्री एआर नागप्पन

श्री एआर नागप्पन ने विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की है। उनके पास बैंकिंग का 36 वर्षों का अनुभव है। उन्होंने इंडियन बैंक में वर्ष 1970 में परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में कार्यग्रहण किया। इंडियन बैंक में अपनी सेवा के दौरान उन्होंने विभिन्न परिचालन स्तरों का नेतृत्व किया। वर्ष 1998 में बैंक का महाप्रबंधक बनने के बाद एक वर्ष तक वे बैंक के निरीक्षण विभाग के प्रमुख रहे। वर्ष 1999 से वे बैंक के कार्मिक/अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग/कोष परिचालन/लेखा और इंडियन बैंक की अनुषंगियों के प्रधान के रूप में कार्य कर रहे हैं। इंडियन बैंक में उसकी ''पुन: संरचना योजना'' बनाने एवं उसे कार्यान्वित करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है जिससे बैंक की कायापलट होने में मदद मिली है।

भारतीय बैंक संघ की कार्मिक समिति के साथ-साथ उसकी कई अन्य समितियों के भी वे सदस्य रहे हैं।

इन्होंने इंडियन ओवरसीज़ बैंक में दिनांक 27 अगस्त 2004 से 30 अप्रैल 2006 तक कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्य किया है। इंडियन ओवरसीज़ बैंक की आधारभूत संरचना को मजबूती दिलाने में इनकी महती भूमिका रही है, जिसके कारण एक अंतर्राष्ट्रीय एजेन्सी स्टैण्डर्ड एण्ड पुअर ने बैंक को बीबी+ का दर्ज़ा प्रदान किया है।

इन्होंने उन्नत प्रशिक्षण हेतु सरकारी कार्यों के सिलसिले में विभिन्न एशियन, अफ्रीकन एवं यूरोपियन देशों का दौरा किया है।

श्री भूपिन्दर सिंह सूरी

श्री भूपिन्दर सिंह सूरी ने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त किया है।

A brief bio-data of directors, who joined the Board/are appointed after signing the Balance Sheet as on 31-03-2009, is given below:

Shri Basant Seth

Shri Basant Seth is a professional Banker with a rich experience of over 35 years. He has taken over reins of SyndicateBank on 31-08-2009. Prior to that from March 1, 2007, he was whole-time director (designated as Deputy Managing Director) in Small Industries Development Bank of India (SIDBI), which is a Board level appointment at par with Executive Directors of Public Sector Banks.

His banking career started as Direct Recruit Officer of Bank of India in April 1974. He has held various positions at field level, including overseas posting and in administrative offices. He was Bank's nominee on the Board of Directors of Indo-Zambian Bank, a joint venture with Government of Zambia and on Commonwealth Finance Corporation Ltd., a company located in Hongkong.

He is a first class Science Graduate from Banaras Hindu University and a Qualified Chartered Accountant having passed all parts in first attempt. He has Post Graduate Diploma in Bank Management from the National Institute of Bank Management, Pune.

He has worked as Member of Auditing and Assurance Standards Board and also Study Group on International Financial Reporting Standards, constituted by the Institute of Chartered Accountants of India and Committee on Taxation constituted by Indian Banks Association.

Shri M. Bhaskara Rao

Shri Mocherla Bhaskara Rao is a Graduate in Commerce and a Chartered Accountant. He is a Practicing Chartered Accountant since 1961 and is a Senior Partner of M. Bhaskara Rao & Co.

He carried out Inspection Assignments on behalf of Banking Regulator. He has conducted special inspection of Global Trust Bank Ltd. on behalf of Reserve Bank of India and merger formalities of Nedungadi Bank with Punjab National Bank (PNB).

He was a Director of Punjab National Bank as Government nominee from 1995 to 2000. He was Chairman of Audit Committee and Member Managing Committee in Punjab National Bank.

His understanding of the Basel II recommendations stems out from his leadership to the audit teams involved in providing risk based supervision to the Banking entities such as ING Vysya – Risk Based Audits, SOX Compliance Audit of ICICI and Credit Monitoring of ING Vysya and ICICI constituents.

He is associated with the Insurance Sector as a Divisional, Zonal and Central Auditor (on behalf of the Firm) of Life Insurance Corporation of India over the period of professional practice. He is currently associated with the Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA) as an Internal Auditor and has developed good understanding of the changing insurance industry scenario. He is also associated with Institute of Insurance and Risk Management, the academic and research entity sponsored by IRDA, as a statutory auditor.

During his professional career, he had an opportunity to carry out professional services on behalf of various regulators such as RBI, SEBI, IRDA and represented the interest of the Financial Institutions on various Boards.

Shri AR Nagappan

Shri AR Nagappan is a Post-Graduate in Science. He has 36 years of experience in Banking. He joined Indian Bank as a probationary officer in 1970. During his service in Indian Bank, he headed the operations at various levels. On becoming the General Manager in February 1998, he headed the Bank's Inspection Department for a year. From 1999, he was heading the Personnel/International Banking/Treasury Operations/Accounts and Subsidiaries of Indian Bank. He was actively associated in the preparation and implementation of the 'Restructuring Plan' for successful turnaround of Indian Bank.

He was a member in various Committees of the IBA, including its Personnel Committee.

In Indian Overseas Bank, he served as its Executive Director from 27th August 2004 to 30th April 2006. He was instrumental in strengthening the fundamentals of IOB, which enabled to be rated as BB+ (positive) by 'Standard and Poor's, an International Rating Agency.

He visited several Asian, African and European countries on official work and for advanced training.

Shri Bhupinder Singh Suri

Shri Bhupinder Singh Suri is a Diploma-holder in Automobile Engineering.

वे वर्ष 2001-2004 के दौरान सिंडिकेट बैंक में भारत सरकार के भूतपूर्व नामित निदेशक रहे हैं और उनके पास निर्यात निवेश आदि जैसे क्षेत्रों से जुड़े रहने का 40 वर्षों का विपुल अनुभव है।

ये जिमखाना सर्विस स्टेशन, नई दिल्ली के मैनेजिंग पार्टनर हैं जो बी पी सी एल के खुदरा आउटलेट का प्राधिकृत मॉडल है। इसे उचित कारोबार व्यवहार परिषद ने जमनालाल बजाज उचित व्यवहार पुरस्कार 2000'' प्रदान किया है।

भारत सरकार की ओर से प्रवर्तित भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रायोजित उच्चस्तरीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्य के रूप में इन्होने फ्रैंकफर्ट, जर्मनी में आयोजित आटो मेकैनिका फेयर में भाग लिया है।

वे मेसर्स वी एच एल फॉरेक्स एण्ड फाइनलीज़ लिमिटेड, मेसर्स सूरी स्काइ स्क्रेपर्स (प्राइवेट) लिमिटेड, मेसर्स आवाज़ बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स कारसेवा इन्वेस्टमेण्ट लिमिटेड, मेसर्स एम के सचदेवा बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड के भूतपूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/पार्टनर रहे हैं।

इंडियन वेटरन्स हॉकी एसोसियेशन, माता सुंदरी कालेज फार वुमेन, गुरु तेगबहादुर पॉलिटेक्निक इन्स्टिट्यूट के माध्यम से ये समाज सेवा के कार्यों से जुड़े रहे हैं। वे फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया पेट्रोलियम ट्रेडर्स के महा सचिव रहे हैं और बाबा हरनाम सिंह ऑफ लंगर साहिब गुरुद्वारा ट्रस्ट के न्यासी हैं जो दिल्ली के अल्पसंख्यक सिख समुदाय की प्रतिनिधि हैं।

वे इंडो-जर्मन चेम्बर ऑफ कॉमर्स, नई दिल्ली तथा महाराष्ट्र चेम्बर ऑफ कामर्स, मुंबई के सदस्य हैं।

निदेशक मंडल की बैठकों का आयोजन

निदेशक मंडल की बैठक राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970/1980 के अनुसार सामान्यतः एक वर्ष में कम से कम 6 बार और एक तिमाही में कम से कम एक बार आयोजित की जाएगी । निदेशक मंडल ने वर्ष 2009-2010 के दौरान निम्नलिखित तारीखों में 11 बैठकें आयोजित कीं ।

04-04-2009, 28-04-2009, 27-06-2009, 31-07-2009, 12-09-2009, 30-10-2009,
19-11-2009, 18-12-2009, 30-01-2010, 20-02-2010, 25-03-2010

निदेशक मंडल की बैठकों में मंडल के सदस्यों की उपस्थिति तथा गत आम बैठक, बैंक के मंडल की अन्य समितियों में उनकी सदस्यता तथा अन्य कंपनियों में निदेशकों के रूप में उनके सहयोग इत्यादि का पूर्ण ब्यौरा निम्नवत् है ।

क्र. सं.	निदेशक का नाम	उपस्थिति		निदेशक मंडल की अन्य समितियों की सदस्यता	अन्य कंपनियों में निदेशक पद*
		निदेशक मंडल की बैठकें	पिछली वा.आ.बै. 26-06-2009		
1.	श्री जॉर्ज जोसेफ (दि. 30-04-2009 तक)	02/02	–	एमसीबी, आरएमसी, एससीएमएफएफसी, सीएससी, डीपीसी	1
2.	श्री बसंत सेठ (दि. 31-08-2009 से)	07/07	–	एमसीबी, आरएमसी, एससीएमएफएफसी, सीएससी, डीपीसी	1
3.	श्री वी. के. नागर	11/11	उ	एमसीबी, एसीबी, आरएमसी, एसआइजीसी, एससीएमएफएफसी, सीएससी, एसटीसी, आइटीसी	1
4.	श्री आर. रामचन्द्रन	11/11	उ	एमसीबी, एसीबी, आरएमसी, एससीएमएफएफसी, सीएस्सी, आइटीसी, एचआरसी	1
5.	श्री एम. दीन दयालन (दि. 28-02-2010 तक)	05/10	अ	एसीबी, एससीएमएफएफसी, आइटीसी, डीपीसी, आरसी,	1
6.	श्री के. सीतारामु	10/11	उ	एमसीबी, एसीबी, आरएमसी, एसटीसी, आरसी, एनसी, एचआरसी, डीपीसी	–
7.	श्री सुरेश कुमार रुस्तगी (दि. 02-01-2010 तक)	08/08	उ	सीएससी, एचआरसी, आइटीसी	–
8.	श्री दिनकर एस. पूंजा (दि. 15-09-2009 तक)	05/05	उ	एमसीबी	–
9.	श्री कॅवलजीत सिंह ओबेरॉय (दि. 01-01-2010 तक)	07/08	उ	एमसीबी, एसीबी, आरएमसी, एससीएमएफएफसी	–
10.	सुश्री शोभा ओज़ा (दि. 01-01-2010 तक)	07/08	उ	एमसीबी, सीएससी, आरसी, एनसी	–
11.	श्री रमेश एल. अडिगे	11/11	उ	एमसीबी, आरएमसी, सीएससी, आरसी, आइटीसी, एनसी, एचआरसी	3
12.	श्री एम. भास्कर राव	11/11	–	एमसीबी, एसीबी, एसआइजीसी, एससीएमएफएफसी, एचआरसी	1
13.	श्री एआर नागप्पन	11/11	–	एमसीबी, एसीबी, सीएससी, आरएमसी, आरसी, एचआरसी, आइटीसी, एसटीसी	3
14.	श्री भूपिंदर सिंह सूरी	10/11	–	एमसीबी, एसआइजीसी, एससीएमएफएफसी, सीएससी	–

* कंपनी अधिनियम, 2000 की धारा 275 के अनुसार

He was the Ex-Director of Syndicate Bank as Government of India nominee under Section 9(3)(h) of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 during the period from 2001 to 2004. He has about 40 years of experience in varied fields of activities i.e. exports, investments etc.

He is the Managing Partner of Gymkhana Service Station, New Delhi, an authorized model retail outlet of BPCL, which is the winner of 'Sir Jamnalal Bajaj Uchit Vyavahar Puraskar-2000' from Council for Fair Business Practices.

He is a member of High Level Delegation sponsored by Bharat Petroleum Corporation Ltd. on behalf of Government of India to visit Auto Mechanika Fair held at Frankfurt, Germany.

He was the Ex-Chairman and Managing Director/ Partner of M/s BHL Forex & Finlease Ltd., M/s Suri Sky Scrappers (P) Ltd., M/s Awaz Builders Pvt. Ltd., M/s Karsewa Investments Ltd. and M/s M. K. Sachdeva Builders Pvt. Ltd.

He is involved in services to the community through the Forums like Indian Veteran's Hockey Association, Mata Sundari College for Women, Guru Tegh Bahadur Polytechnic Institute. He was also a General Secretary of the Federation of All India Petroleum Traders and Trustee of Baba Harnam Singh of Langar Sahib Gurudwara Trust and represents minority Sikh community of Delhi.

He is a member of Indo-German Chamber of Commerce, New Delhi and Maharashtra Chamber of Commerce, Bombay.

CONDUCT OF BOARD MEETINGS

Meetings of the Board shall ordinarily be held at least 6 times in a year and at least once in a quarter in accordance with Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970/1980. During the year 2009-2010, the Board held 11 meetings on the following dates:

04-04-2009, 28-04-2009, 27-06-2009, 31-07-2009, 12-09-2009, 30-10-2009,
19-11-2009, 18-12-2009, 30-01-2010, 20-02-2010, 25-03-2010

The particulars regarding the attendance of the Board Members at the Board Meetings and last AGM, their membership in other Committees of the Board of the Bank and their association with other Companies as Directors are given below:

Sl. No.	Name of the Director	Attendance		Membership in other Committees of the Board	Directorship in other Companies*
		Board	Last AGM 26-06-09		
1.	Shri George Joseph (upto 30-04-2009)	02/02	–	MCB, RMC, SCMFFC, CSC, DPC	1
2.	Shri Basant Seth (from 31-08-2009)	07/07	–	MCB, RMC, SCMFFC, CSC, DPC	1
3.	Shri V. K. Nagar	11/11	P	MCB, ACB,RMC, SIGC, SCMFFC, CSC, STC, ITC	1
4.	Shri R. Ramachandran	11/11	P	MCB, ACB, RMC, SCMFFC, CSC, ITC, HRC	1
5.	Shri M. Deena Dayalan (upto 28-02-2010)	05/10	A	ACB, SCMFFC, ITC, DPC, RC	1
6.	Shri K. Seetharamu	10/11	P	MCB, ACB, RMC, STC, RC, NC, HRC, DPC	–
7.	Shri Suresh Kumar Rustagi (upto 02-01-2010)	08/08	P	CSC, HRC, ITC	–
8.	Shri Dinkar S. Punja (upto 15-09-2009)	05/05	P	MCB	–
9.	Shri Kawaljit Singh Oberoi (upto 01-01-2010)	07/08	P	MCB, ACB, RMC, SCMFFC	–
10.	Ms. Shobha Oza (upto 01-01-2010)	07/08	P	MCB, CSC, RC, NC	–
11.	Shri Ramesh L. Adige	11/11	P	MCB, RMC, CSC, RC, ITC, NC, HRC	3
12.	Shri M. Bhaskara Rao	11/11	–	MCB, ACB, SIGC, SCMFFC, HRC	1
13.	Shri AR Nagappan	11/11	–	MCB, ACB, CSC, RMC, RC, HRC, ITC, STC	3
14.	Shri Bhupinder Singh Suri	10/11	–	MCB, SIGC, SCMFFC, CSC	–

* As per Section 275 of Companies Act, 2000

उ – उपस्थित
अ – अनुपस्थित
एमसीबी – मंडल की प्रबंधन समिति
एसीबी – मंडल की लेखा परीक्षा समिति
डीपीसी – निदेशकों की पदोन्नति समिति
आरएमसी – जोखिम प्रबंधन समिति
एसआईजीसी – शेयरधारकों/ निवेशकों की शिकायत समिति
एनसी – नामांकन समिति
एससीएमएफएफसी– कपटपूर्ण मामलों की जांच एवं अनुवर्तन के लिए विशेष समिति
आरसी – पारिश्रमिक समिति
एसटीसी – शेयर अंतरण समिति
सीएससी – ग्राहक सेवा समिति
एचआरसी – मानव संसाधन समिति
आईटीसी – सूचना प्रौद्योगिकी समिति

मंडल की प्रबंध समिति

मंडल की प्रबंध समिति (एमसीबी) भारत सरकार की अधिसूचना सं.एफ.4/1/86/बी.ओ.आई (1) दिनांक 11-7-1986 के अनुसार स्थापित की गई और भारत सरकार द्वारा उनके परिपत्रसं.एफ.सं. 4/1/94 - बीओआई (i) दिनांक 10-11-1995 के जरिए सूचित किए गए अनुसार पुनःस्थापित की गई । आगे, भारत सरकार ने भा.रि.बैं. के साथ परामर्श करके योजना 1970 में संशोधन किया जिसे राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और प्रकीर्ण उपबंध) (संशोधन) योजना, 2007 कहा गया और जिसे दि. 8-3-2007 के शुद्धिपत्र के साथ पढ़ा जाए। प्रबंध समिति ऋण प्रस्तावों को मंजूर करने, ऋणों का समझौता/निपटान, बट्टे खाते डाले गए प्रस्ताव, पूंजीगत और राजस्व व्ययों का अनुमोदन, अधिग्रहण और भवनों को किराये पर देना, दावा/अपील दायर करना, निवेश, अंशदान किया गया/सौंपा गया, के संबंध में सभी अधिकारों का प्रयोग करती है । वर्ष के दौरान समिति की निम्नलिखित 13 बैठकें आयोजित की गईं :

22-04-2009, 27-05-2009, 13-06-2009, 11-07-2009, 12-08-2009, 11-09-2009, 29-10-2009, 18-11-2009, 18-12-2009, 30-12-2009, 30-01-2010, 20-02-2010, 25-03-2010

मंडल की प्रबंध समिति के सदस्य और उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित कुल बैठकों में से उनकी उपस्थिति के संबंध में विवरण नीचे प्रस्तुत है :

क्र.सं.	निदेशक का नाम	उपस्थिति
1.	श्री जॉर्ज जोसेफ (दि. 30-04-2009 तक)	01/01
2.	श्री बसंत सेठ (दि. 11-09-2009 से)	08/08
3.	श्री वी. के. नागर	12/13
4.	श्री आर. रामचन्द्रन	12/13
5.	श्री के. सीतारामु	13/13
6.	श्री दिनकर एस. पूंजा (दि. 27-05-2009 से 15-09-2009 तक)	05/05
7.	श्री कॅवलजीत सिंह ओबेरॉय (दि. 01-01-2010 तक)	09/10
8.	श्री सुरेश कुमार रुस्तगी (दि. 22-04-2009 को)	01/01
9.	श्री रमेश एल. अडिगे (दि. 22-04-2009 को और दि. 18-11-2009 से)	07/07
10.	सुश्री शोभा ओज़ा (दि. 22-04-2009 और दि. 30-12-2009 को)	02/02
11.	श्री एम. भास्कर राव (दि. 30-12-2009 से)	04/04
12.	श्री एआर नागप्पन (दि. 27-05-2009 से दि. 18-12-2009 तक और दि. 30-01-2010 से)	10/10
13.	श्री भूपिन्दर सिंह सूरी (दि. 27-05-2009 से दि. 18-12-2009 तक और दि. 30-01-2010 से)	10/10

मंडल की लेखा–परीक्षा समिति

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए अनुदेशों/मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार मंडल की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) का गठन किया गया, जो निर्देश देने एवं बैंक में कुल लेखा कार्य अर्थात् संगठन परिचालनीकरण और आंतरिक लेखापरीक्षा का गुणवत्ता नियंत्रण और बैंक के भीतर निरीक्षण और बैंक का सांविधिक/बाहरी लेखा परीक्षा पर अनुप्रवर्तन तथा भा.रि.बैं. द्वारा निरीक्षण आदि कार्यों को करती है । मंडल की लेखा परीक्षा समिति बैंक का आंतरिक निरीक्षण/लेखा परीक्षा कार्यप्रणाली की संवीक्षा करती है । यह विशिष्ट और असाधारण रूप से बड़ी शाखाओं और असंतोषजनक श्रेणी निर्धारित शाखाओं की निरीक्षण रिपोर्टों की भी समीक्षा करती है ।

मंडल की लेखा परीक्षा समिति बैंक के कार्यपालक निदेशक और दो सरकारी निदेशक और दो गैर–सरकारी/गैर–कार्यपालक निदेशकों सहित गठित की गई है । दो गैर–सरकारी/गैर–कार्यपालक निदेशकों में से एक सनदी लेखाकार होगा । कोई भी गैर–कार्यकारी निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति की बैठकों की अध्यक्षता कर सकता है । वर्ष के दौरान समिति की निम्नलिखित 9 बैठकें आयोजित की गईं ।

28-04-2009, 13-06-2009, 11-07-2009, 30-07-2009, 30-10-2009, 19-11-2009, 30-12-2009, 29-01-2010, 24-03-2010

P – Present
A – Absent
MCB – Management Committee of the Board
ACB – Audit Committee of the Board
DPC – Directors' Promotion Committee
RMC – Risk Management Committee
SIGC – Shareholders'/Investors' Grievance Committee
NC – Nomination Committee
SCMFFC – Special Committee for Monitoring & Follow up of Fraud Cases
RC – Remuneration Committee
STC – Share Transfer Committee
CSC – Customer Service Committee
HRC – Human Resource Committee
ITC – Information Technology Committee

MANAGEMENT COMMITTEE OF THE BOARD

The Management Committee of the Board (MCB) was constituted in terms of Govt. of India Notification No. F 4/1/86. BO.I (I) dated 11-07-1986 and was reconstituted as advised by Govt. of India vide their Notification No. F No. 4/1/94-BO.I(i) dated 10-11-1995. Further, GOI after consultation with the RBI made the Scheme to amend the 'Scheme 1970' called Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) (Amendment) Scheme, 2007, read with corrigendum dated 08-03-2007. The Management Committee exercises all the powers vested in the Board in respect of sanctioning of credit proposals, compromise settlement of loans, write-off proposals, approval of capital and revenue expenditure, acquisition and hiring of premises, filing suits/appeals, investments, donations and any other matter referred to / delegated to the Committee by the Board. The Committee met 13 times during the year on the following dates:

22-04-2009, 27-05-2009, 13-06-2009, 11-07-2009, 12-08-2009, 11-09-2009, 29-10-2009, 18-11-2009, 18-12-2009, 30-12-2009, 30-01-2010, 20-02-2010, 25-03-2010

The particulars with regard to the members of the Management Committee of the Board and their attendance at the meetings are given below:

Sl. No.	Name of the Director	Attendance
1.	Shri George Joseph (upto 30-04-2009)	01/01
2.	Shri Basant Seth (from 11-09-2009)	08/08
3.	Shri V. K. Nagar	12/13
4.	Shri R. Ramachandran	12/13
5.	Shri K. Seetharamu	13/13
6.	Shri Dinkar S. Punja (from 27-05-2009 upto 15-09-2009)	05/05
7.	Shri Kawaljit Singh Oberoi (upto 01-01-2010)	09/10
8.	Shri Suresh Kumar Rustagi (on 22-04-2009)	01/01
9.	Shri Ramesh L. Adige (on 22-04-2009 and from 18-11-2009)	07/07
10.	Ms. Shobha Oza (on 22-04-2009 and 30-12-2009)	02/02
11.	Shri M. Bhaskara Rao (from 30-12-2009)	04/04
12.	Shri AR Nagappan (from 27-05-2009 upto 18-12-2009 and from 30-01-2010)	10/10
13.	Shri Bhupinder Singh Suri (from 27-05-2009 upto 18-12-2009 and from 30-01-2010)	10/10

AUDIT COMMITTEE OF THE BOARD

The Audit Committee of the Board (ACB) was constituted as per the instructions/ guidelines issued by Reserve Bank of India to provide direction as also oversee the operation of the total audit function in the Bank, which include the organisation, operationalisation and quality control of internal audit and inspection within the Bank and follow up on the statutory/external audit of the Bank and inspection of RBI. The ACB reviews the internal inspection/audit function in the Bank. It also reviews the inspection report of specialized and exceptionally large branches and also branches with unsatisfactory ratings.

The Audit Committee of the Board has been constituted with the Executive Director of the Bank and with two official Directors and two non-official-non-executive Directors. Out of the two non-official-non-executive directors, one shall be a Chartered Accountant. The meetings of the ACB will be chaired by anyone of the non-executive directors. The Committee met 9 times during the year on the following dates:

28-04-2009, 13-06-2009, 11-07-2009, 30-07-2009, 30-10-2009, 19-11-2009, 30-12-2009, 29-01-2010, 24-03-2010

मंडल की लेखा परीक्षा समिति के सदस्य और बैठकों में उनकी उपस्थिति के संबंध में विवरण नीचे प्रस्तुत है :

क्र.सं.	निदेशक का नाम	उपस्थिति
1.	श्री कॅवलजीत सिंह ओबेरॉय (दि. 31-12-2009 तक)	06/07
2.	श्री वी. के. नागर	08/09
3.	श्री आर. रामचन्द्रन	09/09
4.	श्री एम. दीन दयालन (दि. 28-02-2010 तक)	04/08
5.	श्री के. सीतारामु	09/09
6.	श्री एआर नागप्पन (दि. 29-04-2009 से 13-06-2009 तक और दि. 30-01-2010 से)	03/03
7.	श्री एम. भास्कर राव	09/09

जोखिम प्रबंधन समिति

भा.रि.बैं. के निदेशानुसार, बैंक के निदेशक मंडल ने बैंक में सही ढंग से जोखिम प्रबंधन पद्धति का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन करने के लिए ''जोखिम प्रबंधन समिति'' का गठन किया है । वर्ष के दौरान समिति की 6 बैठकें निम्नलिखित तारीखों को आयोजित की गईं :-

30-07-2009, 11-09-2009, 18-11-2009 17-12-2009, 20-02-2010, 24-03-2010

समिति के सदस्यों के ब्यौरे तथा बैठक में उनकी उपस्थिति से संबंधित विवरण नीचे प्रस्तुत है :

क्र.सं.	निदेशक का नाम	उपस्थिति
1.	श्री बसंत सेठ (दि. 31-08-2009 से)	05/05
2.	श्री वी. के. नागर	06/06
3.	श्री आर. रामचन्द्रन	06/06
4.	श्री के. सीतारामु	06/06
5.	श्री कॅवलजीत सिंह ओबेरॉय (दि. 01-01-2010 तक)	03/04
6.	श्री एआर नागप्पन	06/06
7.	श्री रमेश एल. अडिगे (दि. 30-01-2010 से)	02/02

धोखाधड़ी मामलों की मॉनीटरिंग एवं अनुवर्ती कार्रवाई के लिए विशेष समिति

भा.रि.बैं. के परिपत्र सं.डी.बी.एस.एफ.जी.वी.(एफ) सं.1004/23-04-01ए/2003-2004 दिनांक 14-01-2004 के अनुसार, बैंक के निदेशक मंडल ने रु.1 करोड़ तथा उससे अधिक राशि के ''कपटपूर्ण मामलों की मानीटरिंग एवं अनुवर्ती कार्रवाई के लिए विशेष समिति'' का गठन किया।

वर्ष के दौरान समिति की 4 बैठकें निम्नलिखित तारीखों को आयोजित की गई :

04-04-2009, 13-06-2009, 12-09-2009, 17-12-2009

समिति के सदस्यों के ब्यौरे तथा बैठकों में उनकी उपस्थिति नीचे प्रस्तुत हैं।

क्र.सं.	निदेशक का नाम	उपस्थिति
1.	श्री जॉर्ज जोसेफ (दि. 30-04-2009 तक)	01/01
2.	श्री बसंत सेठ (दि. 31-08-2009 से)	02/02
3.	श्री वी. के. नागर	03/04
4.	श्री आर. रामचन्द्रन	04/04
5.	श्री एम. दीन दयालन	02/04
6.	श्री कॅवलजीत सिंह ओबेरॉय	04/04
7.	श्री एम. भास्कर राव	04/04

शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायत समिति

सूचीकरण करार के खण्ड 49 के उपखण्ड IV जी (iii) के अनुसार बैंक के निदेशक मण्डल ने शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायत समिति विशिष्ट रूप से शेयरधारकों और निवेशकों की शिकायतें जैसा कि शेयरों का अंतरण, तुलन-पत्र की अप्राप्ति, घोषित लाभांशों की अप्राप्ति आदि को दूर करने के लिए गठित की गई है।

वर्ष के दौरान समिति की निम्नलिखित दो बैठकें आयोजित की गईं:

27-05-2009, 30-12-2009

The particulars with regard to the members of the Audit Committee of the Board and their attendance at the meetings are as given below:

Sl. No.	Name of the Director	Attendance
1.	Shri Kawaljit Singh Oberoi (upto 31-12-2009)	06/07
2.	Shri V. K. Nagar	08/09
3.	Shri R. Ramachandran	09/09
4.	Shri M. Deena Dayalan (upto 28-02-2010)	04/08
5.	Shri K. Seetharamu	09/09
6.	Shri AR Nagappan (from 29-04-2009 upto 13-06-2009 and from 30-01-2010)	03/03
7.	Shri M. Bhaskara Rao	09/09

RISK MANAGEMENT COMMITTEE

In terms of RBI direction, the Board of Directors of the Bank constituted "Risk Management Committee" of the Board for successful implementation of proper Risk Management Systems in the Bank. During the year, the Committee held 6 meetings on the following dates:

30-07-2009, 11-09-2009, 18-11-2009 17-12-2009, 20-02-2010, 24-03-2010

The particulars with regard to the members of the Committee and their attendance at the meetings are given below:

Sl. No.	Name of the Director	Attendance
1.	Shri Basant Seth (from 31-08-2009)	05/05
2.	Shri V. K. Nagar	06/06
3.	Shri R. Ramachandran	06/06
4.	Shri K. Seetharamu	06/06
5.	Shri Kawaljit Singh Oberoi (upto 01-01-2010)	03/04
6.	Shri AR Nagappan	06/06
7.	Shri Ramesh L. Adige (from 30-01-2010)	02/02

SPECIAL COMMITTEE FOR MONITORING AND FOLLOW UP OF FRAUD CASES

In terms of RBI Circular No. DBS.FGV (F) No. 1004/23-04-01A/2003-2004 dated 14-01-2004, the Board of Directors of the Bank constituted "Special Committee for Monitoring and Follow up of Fraud Cases" involving amount of Rs. 1 crore and above.

During the year the Committee held 4 meetings on the following dates:
04-04-2009, 13-06-2009, 12-09-2009, 17-12-2009

The particulars with regard to the members of the Committee and their attendance at the meeting are given below:

Sl. No.	Name of the Director	Attendance
1.	Shri George Joseph (upto 30-04-2009)	01/01
2.	Shri Basant Seth (from 31-08-2009)	02/02
3.	Shri V. K. Nagar	03/04
4.	Shri R. Ramachandran	04/04
5.	Shri M. Deena Dayalan	02/04
6.	Shri Kawaljit Singh Oberoi	04/04
7.	Shri M. Bhaskara Rao	04/04

SHAREHOLDERS'/INVESTORS' GRIEVANCE COMMITTEE

In terms of Sub-clause IV G(iii) of Clause 49 of the Listing Agreement, the Board of Directors of the Bank constituted "Shareholders'/ Investors' Grievance Committee" of the Board, to specifically look into the redressing of Shareholder and Investor complaints like transfer of shares, non-receipt of balance sheet, non-receipt of declared dividends etc.

During the year the Committee held 2 meetings on the following dates:

27-05-2009 30-12-2009

समिति के सदस्यों के ब्यौरे तथा बैठक में उनकी उपस्थिति से संबंधित विवरण निम्नलिखित हैं:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	उपस्थिति
1.	श्री वी. के. नागर (दि. 09-11-2009 से)	01/01
2.	श्री आर. रामचन्द्रन (दि. 08-11-2009 तक)	01/01
3.	श्री एम. भास्कर राव	02/02
4.	श्री भूपिन्दर सिंह सूरी	02/02

वर्ष 2009-10 के दौरान, बैंक के शेयरधारकों/निवेशकों से 2628 शिकायतें/प्रश्न प्राप्त हुए और वर्ष के दौरान प्राप्त सभी शिकायतों/प्रश्नों पर कार्रवाई की गयी है। उपर्युक्त में से कोई भी शिकायत एक महीने से अधिक अवधि तक लंबित नहीं है। दि. 31-03-2010 तक कोई भी शेयर अंतरण के लिए लंबित नहीं है।

अनुपालन अधिकारी

सूचीकरण करार के खण्ड 47 के अनुसार श्री आर. रवि बैंक के कंपनी सचिव, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, स्टॉक एक्स्चेंजों के पास सूचीकरण करार, कंपनी के रजिस्ट्रार, नैगम कार्य मंत्रालय के विभिन्न प्रावधानों के अनुपालन के उद्देश्य से तथा शेयर अंतरण प्रक्रिया का अनुप्रवर्तन इत्यादि के संबंध में अनुपालन अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं।

ग्राहक सेवा समिति

भारतीय रिज़र्व बैंक के पत्र सं. डी.ओ.डी.बी.ओ.डी. सं. एल.ई.जी. 96/09-07-007/2004-05, दि. 17-08-2004 के अनुसार बैंक के निदेशक मंडल ने बैंक द्वारा प्रदान की जानेवाली ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में सतत सुधार करने हेतु निदेशक मण्डल की ग्राहक सेवा समिति का गठन किया है। वर्ष के दौरान समिति की तीन बैठकें निम्नलिखित तारीखों में आयोजित की गईं :

31-07-2009, 19-11-2009, 24-03-2010

समिति के सदस्यों के ब्यौरे तथा बैठकों में उनकी उपस्थिति से संबंधित विवरण निम्नलिखित हैं:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	उपस्थिति
1.	श्री बसंत सेठ (दि. 31-08-2009 से)	02/02
2.	श्री वी. के. नागर	03/03
3.	श्री आर. रामचन्द्रन	03/03
4.	श्री सुरेश कुमार रुस्तगी (दि. 27-06-2009 से दि. 02-01-2010 तक)	02/02
5.	सुश्री शोभा ओज़ा (दि. 27-06-2009 से दि. 01-01-2010 तक)	02/02
6.	श्री रमेश एल. अडिगे (दि. 30-01-2010 से)	01/01
7.	श्री एआर नागप्पन (दि. 30-01-2010 से)	01/01
8.	श्री भूपिन्दर सिंह सूरी	03/03

पारिश्रमिक समिति

भारत सरकार के पत्रांक एफ सं. 20/1/2005–बी.ओ. 1 दिनांक 9-3-2007 में दी गई शर्तों के अनुसार निदेशक मंडल ने एक पारिश्रमिक समिति का गठन किया है जो भारत सरकार के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार निष्पादन मूल्यांकन हेतु गठित बोर्ड की एक उपसमिति है। वर्ष के दौरान समिति ने परिचालन द्वारा एक बैठक आयोजित की:

सूचना प्रौद्योगिकी समिति

सूचना प्रौद्योगिकी समिति – यह समिति निदेशक मंडल की दि. 30-03-2007 को संपन्न बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार गठित बोर्ड की एक उप समिति है जो प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु समुचित अनुप्रवर्तन का कार्य करती है। वर्ष के दौरान समिति की 3 बैठकें निम्नलिखित तारीखों में आयोजित की गईं।

30-07-2009, 17-12-2009, 24-03-2010

समिति के सदस्यों के ब्यौरे तथा बैठकों में उनकी उपस्थिति नीचे प्रस्तुत है :

क्रम सं.	निदेशक का नाम	उपस्थिति
1.	श्री वी. के. नागर	03/03
2.	श्री आर. रामचन्द्रन	03/03
3.	श्री एम. दीन दयालन (दि. 28-02-2010 तक)	02/02
4.	श्री सुरेश कुमार रुस्तगी (दि. 27-06-2009 से दि. 02-01-2010 तक)	02/02
5.	श्री रमेश एल. अडिगे	03/03
6.	श्री एआर नागप्पन (दि. 30-01-2010 से)	01/01

The particulars with regard to the members of the Committee and their attendance at the meetings are given below:

Sl. No.	Name of the Director	Attendance
1.	Shri V. K. Nagar (from 09-11-2009)	1/1
2.	Shri R. Ramachandran (upto 08-11-2009)	1/1
3.	Shri M. Bhaskara Rao	2/2
4.	Shri Bhupinder Singh Suri	2/2

During the year 2009-10, 2628 Complaints/grievances/queries were received from the Shareholders / investors of the Bank and all the complaints/grievances/queries received during the year have been resolved / attended to. None of the above complaints were pending for more than one month. There were no shares pending for transfer as at 31-03-2010.

COMPLIANCE OFFICER

In terms of Clause 47 of the Listing agreement, Sri R. Ravi, Company Secretary of the Bank is functioning as Compliance Officer for the purpose of complying with various provisions of Securities & Exchange Board of India, Listing Agreements with Stock Exchanges, Registrar of Companies, Ministry of Corporate Affairs and for monitoring the share transfer process etc.

CUSTOMER SERVICE COMMITTEE

In terms of RBI letter DO.DBOD.No.Leg96/09.07.007/2004-05 dated 17-08-2004, the Board of Directors constituted Customer Service Committee of the Board for bringing about ongoing improvement in the quality of customer service provided by the Bank. During the year the Committee held 3 meetings on the following dates:

31-07-2009, 19-11-2009, 24-03-2010

The particulars with regard to the members of the Committee and their attendance at the meetings are given below:

Sl. No.	Name of the Director	Attendance
1.	Shri Basant Seth (from 31-08-2009)	2/2
2.	Shri V. K. Nagar	3/3
3.	Shri R. Ramachandran	3/3
4.	Shri Suresh Kumar Rustagi (from 27-06-2009 upto 02-01-2010)	2/2
5.	Ms. Shobha Oza (from 27-06-2009 upto 01-01-2010)	2/2
6.	Shri Ramesh L. Adige (from 30-01-2010)	1/1
7.	Shri AR Nagappan (from 30-01-2010)	1/1
8.	Shri Bhupinder Singh Suri	3/3

REMUNERATION COMMITTEE

In terms of Government of India letter F. No. 20/1/2005-BO.1 dated 09-03-2007, the Board of Directors constituted Remuneration Committee – A Sub-Committee of the Board to evaluate the performance as per the Government of India guidelines. During the year the Committee met once by circulation.

INFORMATION TECHNOLOGY COMMITTEE

Information Technology Committee - A sub Committee of the Board was constituted by the Board of Directors in the meeting held on 30-03-2007 to have a proper monitoring system in place to ensure that the projects are progressing according to the objectives. During the year, the committee held 3 meetings on the following dates:

30-07-2009, 17-12-2009, 24-03-2010

Particulars with regard to the members of the Committee and their attendance at the meetings are given below:

Sl. No.	Name of the Director	Attendance
1.	Shri V. K. Nagar	3/3
2.	Shri R. Ramachandran	3/3
3.	Shri M. Deena Dayalan (upto 28-02-2010)	2/2
4.	Shri Suresh Kumar Rustagi (from 27-06-2009 upto 02-01-2010)	2/2
5.	Shri Ramesh L. Adige	3/3
6.	Shri AR Nagappan (from 30-01-2010)	1/1

शेयर अंतरण समिति

सिंडिकेट बैंक (शेयर और बैठक) विनियम, 1998 के उपबंधों के अनुसार बैंक द्वारा शेयर अंतरण समिति का गठन किया गया । निदेशक मंडल ने दि. 31-07-2009 को संपन्न अपनी बैठक में समिति का पुनर्गठन किया।

उक्त समिति शेयरों का अंतरण, अनुलिपि शेयर प्रमाणपत्र जारी करना, शेयरों का हस्तांतरण और नामों को हटाना तथा शेयरों का पुन: कागज़ीकरण तथा उससे संबंधित अन्य मुद्दों की निगरानी करती हैं और उनका अनुमोदन करती हैं । वर्ष के दौरान समिति की 4 बैठकें निम्नलिखित तारीखों में आयोजित की गईं :

27-05-2009, 11-09-2009, 30-12-2009, 24-03-2010

समिति के सदस्यों के ब्यौरे तथा बैठकों में उनकी उपस्थिति नीचे प्रस्तुत है :

क्रम सं.	निदेशक का नाम	उपस्थिति
1.	श्री वी. के नागर (दि. 09-11-2009 से)	02/02
2.	श्री आर. रामचन्द्रन, (दि. 08-11-2009 तक)	02/02
3.	श्री के. सीतारामु	04/04
4.	श्री एआर नागप्पन	04/04

नामांकन समिति

भा.रि.बैं. के पत्र डी.बी.ओ.डी. सं.बी.सी. 47/29.39.001/2007-2008 दि. 01-11-2007 के अनुसार निदेशक मंडल ने बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980, 2006 में यथा संशोधित, की धारा 9(3)(i) के अंतर्गत मौजूदा निदेशक के रूप में चयन किए जानेवाले व्यक्ति की ''उपयुक्त तथा उचित'' स्थिति का निर्धारण करने के लिए सम्यक् तत्परतावाली प्रक्रिया शुरू करने हेतु ''नामांकन समिति'' का गठन किया है।

भा.रि.बैं. ने निदेश दिया है कि ''उपयुक्त और उचित'' मानदंड को चयनित निदेशकों (शेयरधारक निदेशक) – वर्तमान और भावी दोनों पर लागू किया जाए ।

समिति के सदस्यों के ब्यौरे निम्नप्रस्तुत हैं :

1. श्री के. सीतारामु
2. श्री रमेश एल. अडिगे
3. सुश्री शोभा ओज़ा (दि. 01-01-2010 तक)

वर्ष के दौरान समिति ने उन अभ्यर्थियों की ''उपयुक्त तथा उचित'' स्थिति को निर्धारित करने हेतु सम्यक् तत्परता प्रक्रिया शुरू करने के लिए दि. 16-06-2009 को बैठक का आयोजन किया था जिन्होंने दि. 26-06-2009 को संपन्न वार्षिक आम बैठक में शेयर धारक निदेशकों के चयन के संबंध में अपना नामांकन दर्ज किया था।

एच. आर. समिति

बैंक में एच. आर. प्रणाली/प्रक्रिया की समीक्षा करने के लिए दि. 30-10-2009 को मंडल की एच. आर. समिति का गठन किया गया है।
समिति की बैठक दि. 30-12-2009 को आयोजित की गयी।

समिति के सदस्यों के ब्यौरे तथा बैठक में उनकी उपस्थिति से संबंधित विवरण निम्नलिखित है:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	उपस्थिति
1.	श्री आर. रामचन्द्रन	01/01
2.	श्री के. सीतारामु	01/01
3.	श्री सुरेश कुमार रुस्तगी	01/01
4.	श्री रमेश एल. अडिगे	01/01
5.	श्री एआर नागप्पन	01/01

निदेशकों का पारिश्रमिक

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और कार्यपालक निदेशक के पारिश्रमिक का निर्धारण केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है। भारत सरकार के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार बैंक द्वारा बैठक शुल्क, बैठकों में भाग लेने के लिए यात्रा व्यय और विराम खर्च के अलावा किसी भी प्रकार का पारिश्रमिक गैर–सरकारी निदेशकों को अदा नहीं किया जाता है।

बैठक शुल्क

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के पत्र एफ. सं. 26/2/2000/बी.ओ.आइ. दि. 15-02-2004 के अनुसार गैर सरकारी निदेशक प्रत्येक मंडल बैठक में उपस्थित होने के लिए रु. 5,000/- तथा मंडल की किसी भी समिति में उपस्थित होने के लिए प्रति बैठक के लिए रु. 2,500/- के बैठक शुल्क के लिए पात्र हैं।

आचार संहिता

मंडल ने अपने सभी सदस्यों और बैंक के वरिष्ठ प्रबंधकवर्ग के लिए आचार संहिता का अनुमोदन किया। इसे बैंक के वेबसाइट अर्थात् www.syndicatebank.in. पर **''शेयरहोल्डर इनफो''** के अधीन लगाया गया है।

SHARE TRANSFER COMMITTEE

In accordance with the Syndicate Bank (Shares & Meetings) Regulations, 1998, the Board of Directors has constituted Share Transfer Committee. The Committee was reconstituted by the Board in its meeting held on 31-07-2009.

The Committee monitors and approves share transfers, issue of duplicate share certificates, transmission, transposition and deletion of names and re-materialization of shares and matters relating thereto. During the year, the committee held 4 meetings on the following dates:

27-05-2009, 11-09-2009, 30-12-2009, 24-03-2010

The particulars with regard to the members of the Committee and their attendance at the meetings are given below:

Sl. No.	Name of the Director	Attendance
1.	Shri V. K. Nagar (From 09-11-2009)	2/2
2.	Shri R. Ramachandran (upto 08-11-2009)	2/2
3.	Shri K. Seetharamu	4/4
4.	Shri AR Nagappan	4/4

NOMINATION COMMITTEE

In terms of the RBI letter DBOD No. BC No. 47/29.39.001/2007-08 dated 01-11-2007, the Board of Directors constituted "Nomination Committee" to undertake a process of due diligence to determine the 'fit and proper' status of existing/ the persons to be elected as a director under Sec. 9 (3)(i) of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, as amended in 2006.

RBI has directed that the "Fit and Proper" Criteria as of now, be made applicable to the elected directors (Shareholder directors) – both present and future.

Following are the members of the Committee:
1. Shri K. Seetharamu
2. Shri Ramesh L. Adige
3. Ms. Shobha Oza (upto 01-01-2010)

During the year, the Committee met once on 16-06-2009 to undertake a process of due diligence to determine the "Fit and Proper" status of the candidates who filed their nominations for election of shareholder directors at the AGM held on 26-06-2009.

H.R. COMMITTEE

H.R. Committee of the Board was constituted on 30-10-2009 for the review of HR Systems/practices in the Bank.

The Committee met on 30-12-2009.

The particulars with regard to the members of the Committee and their attendance at the meetings are given below:

Sl. No.	Name of the Director	Attendance
1.	Shri R. Ramachandran	1/1
2.	Shri K. Seetharamu	1/1
3.	Shri Suresh Kumar Rustagi	1/1
4.	Shri Ramesh L. Adige	1/1
5.	Shri AR Nagappan	1/1

REMUNERATION OF DIRECTORS

The remuneration of the Chairman & Managing Director and the Executive Directors is fixed by the Central Government. As per the guidelines of Government of India, the Bank does not pay any remuneration to the non-official Directors of the Bank apart from sitting fee, traveling expenses and halting expenses for attending meetings.

SITTING FEES

Non-Official Directors are entitled to sitting fee of Rs. 5,000/- for attending every Board Meeting and Rs.2,500/- per meeting for attending meetings of committees of the Board as per Government of India, Ministry of Finance letter F. No. 26/2/2000/ BO.I dated 15-02-2004.

CODE OF CONDUCT

The Board has approved the Code of Conduct for all Board members and senior management of the Bank. The same is also placed on the Bank's website i.e. www.syndicatebank.in under **"shareholders info".**

मंडल के सभी सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधक वर्ग ने संहिता के अनुपालन को सुनिश्चित किया।

निवेशकों की शिकायत

निवेशकों को और भी बेहतर सेवा प्रदान करने तथा उनकी शिकायतों का शीघ्र निवारण करने के लिए हमारे बैंक ने एक ई-मेल आइ.डी. खोल रखा है - **"syndinvest@syndicatebank.co.in"**, जिससे बैंक ऐसी शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई कर सकेगा ।

दि. 31-03-2010 की स्थिति के अनुसार गैर-कार्यपालक निदेशकों के शेयरधारण के विवरण

निदेशक का नाम	**धारित शेयरों की संख्या**
श्री के. सीतारामु	शून्य
श्री एम. भास्कर राव	200
श्री एआर नागप्पन	200
श्री भूपिन्दर सिंह सूरी	2000
श्री रमेश एल. अडिगे	शून्य

अधिदेशात्मक/गैर-अधिदेशात्मक अपेक्षाओं का अनुपालन

बैंक ने, अपने विनियामक प्राधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट उन सभी अधिदेशात्मक अपेक्षाओं का पालन किया है जो उन पर लागू होती हैं।

नैगम अभिशासन स्वैच्छिक मार्गदर्शी सिद्धांत 2009

क्रम सं	**स्वैच्छिक मार्गदर्शी सिद्धांत**	**कार्यान्वयन की स्थिति**
1.	**निदेशक मंडल**	
क.	**निदेशकों की नियुक्ति**	
	निदेशक मंडल में नियुक्ति-गैर कार्यपालक निदेशकों तथा स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में औपचारिक पत्र जारी करना	निदेशक मंडल का गठन बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा (9) (3) के अंतर्गत किया गया है। अतएव, यह खण्ड लागू नहीं होता है। तथापि, निदेशक मंडल में शेयर धारकों की नियुक्ति होते ही उनको नियुक्ति पत्र जारी किए जाते हैं ।
	अध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक अधिकारियों के कार्यालयों का प्रथक्करण	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, जो बैंक के मुख्य कार्यपालक निदेशक हैं, उनकी नियुक्ति बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9(3) (क) के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा की जाती है ।
	नामांकन समिति - गठन	चयनित गैर - कार्यपालक निदेशकों के निष्पादन का मूल्यांकन करने हेतु बैंक ने निदेशक मंडल स्तर पर एक नामांकन समिति का गठन किया है। राष्ट्रीकृत बैंकों के निदेशक मंडल में चयनित निदेशकों के लिए भा.रि.बैं. द्वारा निर्दिष्ट ''उपयुक्त और उचित'' मानदंड की शर्तें समिति पर लागू होंगी।
ख.	**स्वतंत्र निदेशक**	
	निदेशक मंडल को चाहिए कि वे स्वतंत्र निदेशकों की सकारात्मक विशेषताओं जैसे, निष्ठा, अनुभव और विशेषज्ञता, दूरदर्शिता, प्रबंधकीय विशेषता तथा वित्तीय विवरणों को पढ़ने और उनको समझने की क्षमता, आदि के लिए नीति बनाएं।	निदेशकों की नियुक्ति बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9(3) के अंतर्गत की जाती है।
	स्वतंत्र निदेशक - किसी भी व्यक्ति को स्वतंत्र निदेशक के रूप में तीन से अधिक पदावधि के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी।	बोर्ड का गठन बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9(3) के अंतर्गत किया गया है।
ग.	**निदेशकों का पारिश्रमिक**	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और कार्यपालक निदेशकों के पारिश्रमिक का निर्धारण केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है। भारत सरकार के मार्गदर्शी सिद्धातों के अनुसार बैंक द्वारा गैर सरकारी निदेशकों को बैठक में उपस्थित होने के लिए बैठक का शुल्क, यात्रा व्यय और विराम व्यय के अलावा किसी भी प्रकार के पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जाता है।
	पारिश्रमिक समिति	भारत सरकार के पत्र एफ.सं. 20/1/2005-बी.ओ 1 दि. 09-03-2007 के अनुसार पारिश्रमिक समिति का गठन किया गया है। समिति के सदस्यगण गैर-कार्यपालक निदेशक हैं।

All Board members and senior management personnel have affirmed compliance with the code.

INVESTOR GRIEVANCE

As part of the initiative to provide enhanced levels of service to the investors, our Bank has designated an e-mail ID **"syndinvest@syndicatebank.co.in"** exclusively for the purpose of addressing complaints, to enable the Bank to attend to such complaints on priority.

Details of shareholding of Non-executive Directors as on 31-03-2010

Name of the Director	Number of shares held
Shri K. Seetharamu	Nil
Shri M. Bhaskara Rao	200
Shri AR Nagappan	200
Shri Bhupinder Singh Suri	2000
Shri Ramesh L. Adige	Nil

Compliance to mandatory / non-mandatory requirements

The Bank has complied with all the mandatory requirements, as applicable to them, prescribed by its Regulatory Authorities.

CORPORATE GOVERNANCE VOLUNTARY GUIDELINES 2009

Sl. No.	Voluntary Guidelines	Status of Implementation
I	**THE BOARD**	
A.	**APPOINTMENT OF DIRECTORS**	
	Appointments to the Board – Issue of formal letters of appointment to Non-Executive Directors & Independent Directors	Board is constituted as per Section (9)(3) of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980. Hence, this clause is not applicable to us. However, appointment letters are issued to Shareholder Directors soon after their election to the Board.
	Separation of Offices of Chairman and Chief Executive Officer	Chairman and Managing Director, who is the Chief Executive Director of the Bank, is appointed by the Central Government under Section 9(3)(a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980
	Nomination Committee – Constitution	The Bank has formed a Board level Nomination Committee to evaluate the performance of elected Non-Executive Directors. The terms of reference of the Committee are as per Reserve Bank of India's directions of "Fit and Proper" Criteria for elected Directors on Board of Nationalized Banks
B.	**INDEPENDENT DIRECTORS**	
	The Board should put in place a policy for specifying positive attributes of Independent Directors such as Integrity, experience and expertise, foresight, managerial qualities and ability to read and understand financial statements	The directors of the Bank are appointed under Section 9(3) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980.
	Independent Directors – No individual may be allowed to have more than three tenures as Independent Director	Board is constituted as per Section 9(3) of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980.
C.	**REMUNERATION OF DIRECTORS**	The remuneration of the Chairman & Managing Director and the Executive Directors is fixed by the Central Government. As per the guidelines of Government of India, the Bank does not pay any remuneration to the non-official directors of the Bank, apart from sitting fee, traveling expenses and halting expenses for attending meetings.
	Remuneration Committee	Remuneration Committee is constituted in terms of Government of India letter No.F.No.20/1/2005-BO.1 dated 09-03-2007. The members of the Committee are Non-Executive Directors.

क्रम सं.	स्वैच्छिक मार्गदर्शी सिद्धांत	कार्यान्वयन की स्थिति
II	**निदेशक मंडल की जिम्मेदारियाँ**	
क.	निदेशकों का प्रशिक्षण	निदेशक मंडल के सदस्यों को मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण दिया जाता है।
ख.	गुणवत्तायुक्त निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करना	प्रत्येक निदेशक को एक संदर्भ पुस्तिका प्रदान की जाती है जिसमें उनकी भूमिका जिम्मेदारियाँ तथा अन्य महत्वपूर्ण विषय होते हैं।
ग.	जोखिम प्रबंधन	बैंक अपनी जोखिम प्रबंधन प्रणाली को अंतर्राष्ट्रीय कार्यप्रणाली और भा.रि.बैं. द्वारा जारी किए गए निदेशों के अनुरूप निरंतर स्तरोन्नत और कारगर बना रहा है।
घ.	मंडल निदेशकों के निष्पादन का मूल्यांकन	निदेशक मंडल का नियंत्रण बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970/1980 तथा राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970/1980 द्वारा किया जाता है। अतएव, यह खण्ड हम पर लागू नहीं होता है।
III	**लेखा परीक्षा समिति**	
क.	कंपनी में कम से कम तीन सदस्योंवाली लेखा परीक्षा समिति होनी चाहिए, जिसमें अधिकतम स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए। उक्त समिति का अध्यक्ष एक स्वतंत्र निदेशक होना चाहिए।	इसका पालन किया गया है। पी.एस.बी. की लेखा परीक्षा से संबंधित भा.रि.बैं. के मार्गदर्शी सिद्धातों के अनुसार लेखा परीक्षा समिति का गठन किया गया है।
ख.	भूमिका और जिम्मेदारियाँ	लेखा परीक्षा समिति बैंक में आंतरिक लेखा परीक्षा और निरीक्षण के गुणवत्ता नियंत्रण का अनुप्रवर्तन करती है और बैंक की सांविधिक/बाहरी लेखा परीक्षा एवं भा.रि.बैं. के निरीक्षण का अनुप्रवर्तन करती है। समिति (क) बैंक के आंतरिक निरीक्षण/लेखा परीक्षा कार्य (ख) विशिष्ट और असाधारण रूप से बड़ी शाखाओं और असंतोषजनक श्रेणी निर्धारित शाखाओं की निरीक्षण रिपोर्टों और (ग) त्रैमासिक वित्तीय विवरणों को अनुमोदन हेतु निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले उनकी समीक्षा करती है।
IV	**लेखा परीक्षक**	
	मंडल की लेखा परीक्षा समिति लेखा परीक्षकों की नियुक्ति से संबंधित संदर्भ का प्रथम बिन्दु होना चाहिए	लेखा परीक्षकों की नियुक्ति, भा.रि.बैं. द्वारा समय-समय पर जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धातों के अनुसार की गयी है।
V	**सचिवीय लेखा परीक्षा**	
	कंपनी के पारदर्शी, नीतिगत तथा विश्वसनीय अभिशासन को सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि कंपनी की बोर्ड प्रक्रियाएँ तथा अनुपालन तंत्र सुदृढ़ हों। इसे सुनिश्चित करने के लिए कंपनी किसी सक्षम व्यावसायिक द्वारा सचिवीय लेखा परीक्षा करवा सकती है।	फिलहाल, बैंक में सचिवीय लेखा परीक्षा तंत्र नहीं है।
VI	चेतावनी तंत्र स्थापित करना	फिलहाल, बैंक में कोई चेतावनी नीति नहीं है। तथापि, किसी भी व्यक्ति को लेखा परीक्षा समिति में प्रवेश करने केलिए इनकार नहीं किया गया है।

साधारण सभा की बैठकें

i) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 10 क (2) के प्रावधानों के अनुसार वार्षिक आम बैठक में उपस्थित शेयरधारकों को गत 31 मार्च तक के तुलन-पत्र, बैंक के लाभ व हानि खाते, लेखों द्वारा व्याप्त की गई अवधि के लिए बैंक के कार्यों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट और तुलन-पत्र तथा खातों के बारे में लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार-विमर्श करने, अनुमोदन करने और अंगीकार करने का हक होगा।

पिछली तीन वार्षिक सामान्य बैठकों के विवरण नीचे प्रस्तुत हैं।

आम बैठक का स्वरूप	दिनांक	समय	स्थान
आठवीं वार्षिक आम बैठक	21-06-2007	प्रात: 10.00 बजे	सिंडिकेटबैंक स्वर्ण जयंती सभाभवन, मणिपाल
नौवीं वार्षिक आम बैठक	23-06-2008	प्रात: 11.30 बजे	सिंडिकेटबैंक स्वर्ण जयंती सभाभवन, मणिपाल
दसवीं वार्षिक आम बैठक	26-06-2009	प्रात: 11.00 बजे	सिंडिकेटबैंक स्वर्ण जयंती सभाभवन, मणिपाल

Sl. No.	Voluntary Guidelines	Status of Implementation
II	**RESPONSIBILITIES OF THE BOARD**	
A.	Training of Directors	The Board members are imparted training by nominating them for training programmes at reputed training institutes.
B.	Enabling Quality Decision Making	Each director is provided with a reference manual detailing his other roles and responsibilities and matters of importance
C.	Risk Management	The Bank has been continuously upgrading and fine turning the Risk Management systems in tune with International best practices and directions issued by Reserve Bank of India.
D.	Evaluation of performance of Board Directors	Composition of Board of Directors is regulated by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 and the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970/1980. Hence, this clause is not applicable for us.
III	**AUDIT COMMITTEE**	
A.	The Company should have at least a three member Audit Committee, with Independent Directors constituting the majority. The Chairman of such committee should be an independent director	Complied with. The Audit Committee is duly constituted in terms of RBI Guidelines on Audit Committee in PSBs.
B.	Role and Responsibilities	The Audit Committee oversees quality control of internal audit and inspection within the Bank and follow-up on the statutory / external audit of the Bank and Inspection of RBI. The Committee reviews (a) the internal inspection/audit function in the Bank, (b) the inspection reports of specialized and exceptionally large branches and all branches with unsatisfactory ratings and (c) the quarterly financial statements before they are submitted to board for approval.
IV	**AUDITORS**	
	The Audit Committee of the Board should be the first point of reference regarding the appointment of Auditors.	Auditors are appointed in line with the guidelines issued by Reserve Bank of India from time to time.
V	**SECRETARIAL AUDIT**	
	In order to ensure transparent ethical and responsible governance of the company, it is important that the Board processes and compliance mechanisms of the company are robust. To ensure this, the companies may get the Secretarial Audit conducted by a competent professional.	Presently, the Bank does not have Secretarial Audit Mechanism.
VI	Institution of Mechanism for Whistle Blowing	Presently, the Bank does not have a Whistle Blower Policy. However, no persons have been denied access to the Audit Committee.

GENERAL BODY MEETINGS

I) In accordance with the provisions under Section 10A(2) of Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, the shareholders of our Bank present at an Annual General Meeting shall be entitled to discuss, approve and adopt the Balance-Sheet and Profit and Loss account of the Bank made up to the previous 31st day of March, the report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and accounts.

The details of the last three Annual General Meetings of the Bank are furnished here below.

NATURE OF GENERAL MEETING	DATE	TIME	VENUE
Eighth Annual General Meeting	21-06-2007	10.00 AM	SyndicateBank Golden Jubilee Auditorium, MANIPAL
Ninth Annual General Meeting	23-06-2008	11.30 AM	SyndicateBank Golden Jubilee Auditorium, MANIPAL
Tenth Annual General Meeting	26-06-2009	11.00 AM	SyndicateBank Golden Jubilee Auditorium, MANIPAL

दि. 26-06-2009 को संपन्न दसवीं वार्षिक आम बैठक में बेंगलूर स्टॉक एक्सचेंज लि. से बैंक के इक्विटी शेयरों के स्वैच्छिक डिलिस्टिंग के संबंध में विशेष संकल्प धारित किया गया। पोस्टल बैलट के माध्यम से कोई संकल्प पारित नहीं किया गया।

दि. 26-06-2009 को संपन्न शेयरधारकों की 10 वीं वार्षिक आम बैठक में श्री. एम. भास्कर राव, श्री एआर नागप्पन और श्री भूपिन्दर सिंह सूरी को शेयर धारक निदेशक के रूप में पुन: चयनित किया गया।

ii) शेयरधारकों की असाधारण आम बैठकों (ई.जी.एम.) के ब्यौरे नीचे प्रस्तुत हैं:

आम बैठक का स्वरूप	दिन एवं दिनांक	समय	स्थान	उद्देश्य
ई.जी.एम.	मंगलवार, फरवरी 25, 2003	प्रात: 10.00 बजे	सिंडिकेटबैंक स्वर्ण जयंती सभाभवन, मणिपाल	4 शेयरधारक निदेशकों का चुनाव
ई.जी.एम.	शुक्रवार, जून 23, 2006	प्रात: 10.00 बजे	सिंडिकेटबैंक स्वर्ण जयंती सभाभवन, मणिपाल	3 शेयरधारक निदेशकों का चुनाव

प्रकटीकरण

- बैंक के संबंधित पार्टी-लेन देनों का प्रकटीकरण, दि. 31-03-2010 के तुलन-पत्र की लेखा संबंधी टिप्पणी में किया गया है ।
- बैंक ने अपनी अनुषंगी कंपनियों, निदेशकों, प्रबंधक वर्ग या उसके रिश्तेदारों के साथ कोई महत्वपूर्ण पार्टी लेन-देन नहीं किए हैं जो बैंक के हित की दृष्टि से संभाव्य विवाद उत्पन्न करता हो।
- बैंक ने जब से अपने शेयरों को सूचीबद्ध किया है तब से पूंजी बाजार से संबंधित सभी मामलों का पालन किया है।
- दि. 31 मार्च 2010 को समाप्त पिछले तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाजार से संबंधित किसी भी मामले में स्टॉक एक्स्चेंजों या ''सेबी'' या अन्य सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा बैंक पर न तो कोई दण्ड लगाया गया है और न ही किसी प्रकार की निन्दा की गयी है।
- समीक्षा अवधि के दौरान बैंक ने ईक्विटी शेयरों के सार्वजनिक/अधिकार निर्गम या अधिमान्य निर्गम माध्यम से अपनी ईक्विटी पूंजी में कोई वृद्धि नहीं की है। तथापि, वर्ष के दौरान बैंक ने निजी तौर पर शेयरों के आबंटन/ऋण लिखत के माध्यम से ऋणों में वृद्धि की है। निधियों को जुटाने का मुख्य उद्देश्य पूंजी पर्याप्तता अनुपात को मजबूत बनाने हेतु टायर I और टायर II पूंजी जुटाना तथा बैंक के दीर्घावधि संसाधनों में सुधार करना है और उसका उपयोग उक्त उद्देश्य के लिए किया गया है।
- बैंक ने वार्षिक आम बैठक आयोजित की है और पात्र शेयरधारकों को सांविधिक समय सीमा के भीतर लाभांश का भुगतान कर दिया है।
- सूचीकरण करार के खण्ड 49 के अंतर्गत सी.ई.ओ. और सी.एफ.ओ. के प्रमाणपत्रों को बैंक के निदेशक मंडल को प्रस्तुत किया गया है और जिसकी प्रति इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।
- सूचीकरण करार के खण्ड 49 के अनुसार लेखा परीक्षकों से वर्ष 2009-2010 के लिए बैंक में नैगम अभिशासन से संबंधित प्रमाण-पत्र प्राप्त किया गया है, जिसकी प्रति इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

संप्रेषण माध्यम

बैंक के परिचालन तथा वित्तीय निष्पादन से संबंधित जानकारी, बैंक की वार्षिक रिपोर्ट के माध्यम से दी जाती है, जिसमें नैगम अभिशासन पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट, लेखा परीक्षित लेखे, नकदी उपलब्धता विवरण इत्यादि शामिल होते हैं । इसके अलावा, शेयरधारकों को बैंक के निष्पादन/वित्तीय परिणामों की सूचना समाचार पत्रों, बैंक के वेबसाइट (www.syndicatebank.in) तथा स्टॉक एक्स्चेंजों की सूचना के ज़रिए भी दी जाती है। इसके अतिरिक्त, बैंक के त्रैमासिक/अर्ध वार्षिक वित्तीय परिणामों को सामान्य तौर पर राष्ट्रीय अंग्रेज़ी समाचार पत्र जैसे, इकॅनॉमिक टाइम्स, बिजनेस लाइन, बिजनेस स्टैंडर्ड तथा स्थानीय समाचार पत्र, उदयवाणी में भी प्रकाशित किया जाता है ।

वर्ष के दौरान, बैंक के त्रैमासिक अर्ध-वार्षिक/वार्षिक परिणामों को अन्य समाचार पत्रों के अलावा निम्नलिखित समाचारपत्रों में भी प्रकाशित किया गया :

अवधि	समाचार पत्र का नाम		प्रकाशन की तारीख
	अंग्रेजी	कन्नड	
मार्च 2009 को समाप्त वर्ष	इकॅनामिक टाइम्स	उदयवाणी	29-04-2009
जून 2009 को समाप्त तिमाही	बिजनेस स्टैंडर्ड	उदयवाणी	01-08-2009
सितंबर 2009 को समाप्त अर्ध-वर्ष	फाइनांशियल एक्सप्रेस	उदयवाणी	31-10-2009
दिसंबर 2009 को समाप्त तिमाही	बिजनेस स्टैंडर्ड	उदयवाणी	31-01-2010

सूचीकरण करार के खण्ड 41 की शर्तों के अनुसार, वित्तीय परिणाम और संवेदनशील कीमत की जानकारी स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत की जाती है ।

Special Resolution with regard to Voluntary Delisting of equity shares of the Bank from Bangalore Stock Exchange Ltd. was passed in the Tenth Annual General Meeting held on 26-06-2009. No resolutions have been passed through postal ballots.

At Tenth Annual General Meeting of the Shareholders held on 26-06-2009, Shri M. Bhaskara Rao, Shri AR Nagappan and Shri Bhupinder Singh Suri were re-elected as shareholder directors.

II) The details of Extraordinary General Meetings (EGM) of shareholders are as follows:

General Body Meetings	Day & Date	Time	Venue	Purpose
EGM	Tuesday February 25, 2003	10.00 a.m.	SyndicateBank Golden Jubilee Auditorium, Manipal	Election of 4 shareholder directors
EGM	Friday June 23, 2006	10.00 a.m.	SyndicateBank Golden Jubilee Auditorium, Manipal	Election of 3 shareholder directors

DISCLOSURES

- The related party transactions of the Bank are disclosed in the Notes on Accounts of the Balance Sheet as on 31-03-2010.
- There are no significant related party transactions of the Bank with its subsidiaries, director, management or their relatives, etc. that would have potential conflict with the interests of the Bank at large.
- The Bank has complied with all matters related to Capital Market since its listing of shares.
- There are no penalties or strictures imposed on the Bank by the Stock Exchanges or SEBI or any other Statutory Authority on any matter related to Capital Markets during the last 3 years ended 31st March 2010.
- During the year under review, the Bank has not increased its equity capital by way of Public/Right Issue or Preferential issue of Equity Shares. However, during the year, the Bank has raised debts through Private Placement/ Debt Instruments. The funds were raised with the primary objective of augmenting Tier I & II Capital for strengthening Capital Adequacy Ratio and for improving the long term resources of the Bank and the same were utilized for the said purpose.
- The Bank conducted the Annual General Meeting and paid dividend to the eligible shareholders within the statutory time frame.
- The Certificate of CEO and CFO under Clause 49 of the Listing Agreement has been submitted to the Board of Directors of the Bank and a copy is attached to this report.
- In terms of Clause 49 of the Listing Agreement, a certificate has been obtained from the Auditors on Corporate Governance in the Bank for the year 2009-2010 and the same is annexed to this report.

MEANS OF COMMUNICATION

The information about the operations and financial performance of the Bank is mainly provided through the Annual Report of the Bank, which contains Report of the Board of Directors on Corporate Governance, the Directors Report, Audited Accounts, Cash Flow Statements, etc. The shareholders are also intimated of the Bank's performance/ financial results on a regular basis through news papers and Website of the Bank (www.syndicatebank.in), besides Notice to Stock Exchanges. Further, the quarterly / half-yearly financial results are generally published in the National English newspapers like Economic Times, Business Line, Business Standard and in the Regional newspaper, Udayavani.

During the year, the quarterly/half yearly/annual results of the bank were published in the following newspapers in addition to other newspapers:

Period	Name of the Daily		Date of Publication
	English	Kannada	
Year ended March 2009	Economic Times	Udayavani	29-04-2009
Quarter ended June 2009	Business Standard	Udayavani	01-08-2009
Half year ended September 2009	Financial Express	Udayavani	31-10-2009
Quarter ended December 2009	Business Standard	Udayavani	31-01-2010

In terms of Clause 41 of the Listing Agreement, the Financial Results and the price sensitive information(s) are furnished to stock exchanges.

शेयरधारकों के लिए सामान्य जानकारी

1. **ग्यारहवीं वार्षिक आम बैठक एवं वित्तीय कैलेण्डर**

बैंक के शेयरधारकों की दसवीं वार्षिक आम बैठक सिंडिकेटबैंक स्वर्ण जयंती सभाभवन, मणिपाल – 576 104 में दिनांक 25 जून 2010 को प्रात: 11.30 बजे होगी और वर्ष 2010-2011 के लिए बैंक का वित्तीय कैलेण्डर निम्नानुसार है:

क्र.सं.	कार्यकलाप का स्वरूप	तारीख
1.	31-03-2010 के वार्षिक वित्तीय लेखों का बोर्ड की बैठक द्वारा अनुमोदन एवं अंतिम लाभांश की सिफारिश करना	04-05-2010
2.	लेखा बंदी	18-06-2010 से 25-06-2010 तक
3.	वार्षिक रिपोर्टों का प्रेषण	27-05-2010 से 29-05-2010 तक
4.	प्रॉक्सी फार्मों की प्राप्ति के लिए अंतिम तारीख	21-06-2010
5.	ग्यारहवीं वार्षिक आम बैठक	25-06-2010
6.	प्रथम तीन तिमाहियों के लिए अ–लेखा परीक्षित वित्तीय परिणामों का प्रकाशन	तिमाही की समाप्ति से 45 दिनों के भीतर

2. **सूचीकरण**

बैंक के शेयरों का निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीकरण किया गया है और 31-03-2010 तक का वार्षिक सूचीकरण शुल्क सभी स्टॉक एक्सचेंजों को अदा कर दिया गया है।

क्र.सं.	एक्स्चेंज का नाम	स्क्रिप कूट
क.	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ''एक्सचेंज प्लाज़ा'' बांद्रा–कुर्ला कॉम्प्लेक्स बांद्रा (पू), मुंबई - 400 051	–
ख.	बंबई स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड फिरोज जीजीभाई टॉवर्स दलाल स्ट्रीट मुंबई - 400 001	532276

राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड द्वारा बैंक के आबंटित आइ.एस.आइ.एन. कूट आइ.एन.ई 667ए 01018 है ।

वार्षिक सूचीकरण शुल्क का भुगतान नियत तारीखों के भीतर संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों को कर दिया गया है।

3. **शेयर बाजार आंकड़े**

वित्तीय वर्ष 2009-2010 के दौरान बंबई स्टॉक एक्स्चेंज लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्स्चेंज ऑफ इण्डिया के साथ किये गए शेयर लेन–देन की प्रमात्रा एवं मासिक उच्च तथा कम भाव दर निम्नानुसार हैं :

वर्ष–मास	बंबई स्टॉक एक्स्चेंज लिमिटेड			नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड		
	उच्च (रु.)	कम (रु.)	लेन–देन की प्रमात्रा (सं)	उच्च (रु.)	कम (रु.)	लेन–देन की प्रमात्रा (सं)
अप्रैल - 2009	59.35	48.90	19,69,826	59.50	48.65	76,81,441
मई - 2009	79.05	55.25	39,03,992	79.60	55.10	1,79,02,738
जून - 2009	83.50	69.70	51,59,210	83.70	69.45	1,89,15,653
जुलाई - 2009	83.40	64.35	38,96,270	83.55	64.35	1,32,07,758
अगस्त - 2009	83.90	76.60	23,09,210	82.55	76.70	93,06,610
सितंबर - 2009	93.35	78.45	66,12,401	93.40	78.35	2,68,32,068
अक्तूबर - 2009	104.00	86.90	62,97,459	104.15	86.65	3,10,90,900
नवंबर - 2009	95.95	77.55	42,39,466	96.00	77.45	2,61,00,340
दिसंबर - 2009	97.95	92.35	36,96,895	98.75	92.35	2,27,12,442
जनवरी - 2010	97.10	83.15	24,30,075	97.15	83.00	1,82,17,433
फरवरी - 2010	85.45	80.50	14,06,072	85.25	80.20	85,20,375
मार्च - 2010	89.20	83.55	11,18,814	89.35	83.45	80,09,828

GENERAL INFORMATION TO SHAREHOLDERS

1. **Eleventh Annual General Meeting and the Financial Calendar**

The Eleventh Annual General Meeting of the shareholders of the Bank will be held at SyndicateBank Golden Jubilee Auditorium, Manipal – 576 104, on 25-06-2010 at 11.30 A.M. and Financial Calendar of the Bank for the year 2010-2011 is as follows.

Sl. No.	Nature of Activity	Date
1.	Board Meeting to approve Annual Financial Accounts as at 31-03-2010 and recommending consideration of Dividend, etc.	04-05-2010
2.	Book Closure	18-06-2010 to 25-06-2010
3.	Mailing of Annual Reports	27-05-2010 to 29-05-2010
4.	Last date for receipt of Proxy Forms	21-06-2010
5.	Eleventh Annual General Meeting	25-06-2010
6.	Publication of un-audited financial results for the first 3 quarters	Within 45 days from the end of the quarter

2. **Listing**

The shares of the Bank are listed at the following Stock Exchanges and the Annual Listing Fees up to 31-03-2010 has been paid to all the Stock Exchanges.

Sl. No.	Name of the Exchange	Scrip Code
a.	National Stock Exchange of India Ltd. "Exchange Plaza" Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai – 400 051	–
b.	Bombay Stock Exchange Ltd., Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street, MUMBAI - 400 001	532276

The ISIN Code allotted by National Securities Depositories Limited for the Bank is INE667A01018.

The annual listing fee to the Stock exchanges have been paid within the prescribed due dates.

3. **Stock Market Data**

The monthly high & low quotations and the quantity of Shares traded on Bombay Stock Exchange Ltd. and National Stock Exchange of India Ltd. during the Financial Year 2009-2010 is as follows:

Year-Month	Bombay Stock Exchange Ltd.			National Stock Exchange of India Ltd.		
	High (Rs.)	Low (Rs.)	Traded Quantity (Nos)	High (Rs.)	Low (Rs.)	Traded Quantity (Nos)
2009 - April	59.35	48.90	19,69,826	59.50	48.65	76,81,441
2009 - May	79.05	55.25	39,03,992	79.60	55.10	1,79,02,738
2009 - June	83.50	69.70	51,59,210	83.70	69.45	1,89,15,653
2009 - July	83.40	64.35	38,96,270	83.55	64.35	1,32,07,758
2009 - Aug	83.90	76.60	23,09,210	82.55	76.70	93,06,610
2009 - Sept	93.35	78.45	66,12,401	93.40	78.35	2,68,32,068
2009 - Oct	104.00	86.90	62,97,459	104.15	86.65	3,10,90,900
2009 - Nov	95.95	77.55	42,39,466	96.00	77.45	2,61,00,340
2009 - Dec	97.95	92.35	36,96,895	98.75	92.35	2,27,12,442
2010 - Jan	97.10	83.15	24,30,075	97.15	83.00	1,82,17,433
2010 - Feb	85.45	80.50	14,06,072	85.25	80.20	85,20,375
2010 – Mar	89.20	83.55	11,18,814	89.35	83.45	80,09,828

बीएसई सेन्सेक्स एवं निफ्टी की तुलना में बैंक के शेयर मूल्य का निष्पादन निम्नवत् हैं।

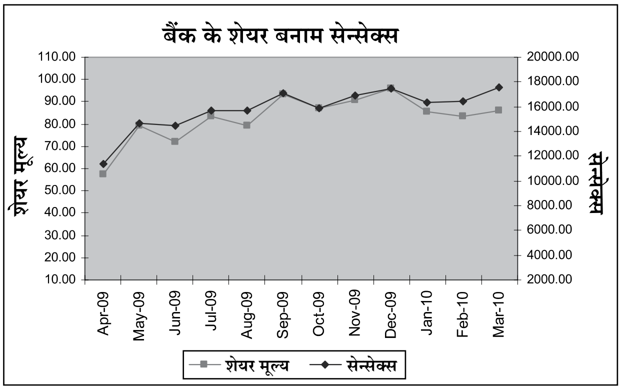

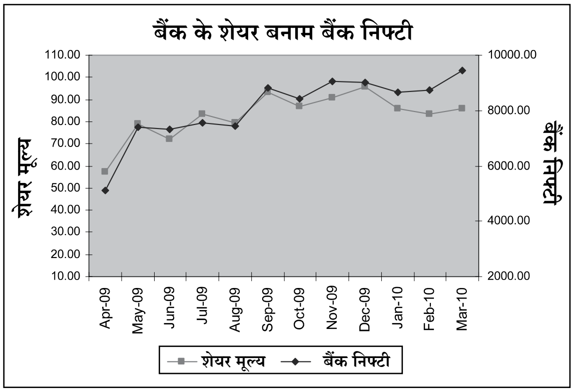

4. **शेयर अंतरण पद्धति एवं रजिस्ट्रार तथा अंतरण अभिकर्ता**

(क) **कागज़ी शेयर**

बैंक यह सुनिश्चित करता है कि सभी कागज़ी शेयरों का अंतरण रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंटों के पास दर्ज करने की तारीख से एक महीने की अवधि के अंदर प्रभावी हैं । बैंक द्वारा जारीकृत शेयरों के प्रभावी अंतरण हेतु बोर्ड ने शेयर अंतरण समिति का गठन किया है जिसकी नियमित अन्तरालों में बैठक होती हैं । वर्ष 2009-2010 के दौरान शेयर अंतरण समिति की बैठक 4 बार आयोजित हुई ।

बैंक ने मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद को अपने रजिस्ट्रार एवं अंतरण अभिकर्ता के रूप में नियुक्त किया है । रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण अभिकर्ताओं के कार्यालय द्वारा शेयर अंतरण, लाभांश का भुगतान एवं सभी अन्य निवेशकों संबंधी कार्यकलाप देखे जाते हैं और संसाधित किए जाते हैं । शेयरधारक, अंतरण पत्र एवं कोई अन्य दस्तावेज, परिवाद तथा शिकायतें रजिस्ट्रार एवं अंतरण अभिकर्ताओं को नीचे दिए गए पते पर भेज सकते हैं :

मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर (प्राइवेट) लिमिटेड
यूनिट : सिंडिकेटबैंक
प्लाट नंबर 17 से 24
विट्ठलराव नगर, माधापुर, हैदराबाद – 500 081
दूरभाष : 040 44655000-विस्तार 116 या 040 44655116 (सीधा)
फैक्स : 040-23420814

(ख) **बेकागज़ी शेयर**

बैंक के शेयरों का लेन-देन नेशनल स्टॉक एक्स्चेंज आफ इण्डिया लिमिटेड के पास अनिवार्य रूप से आइ एस आइ एन कूट आइ एन ई 667A01018 और बंबई स्टॉक एक्स्चेंज लि. के पास स्क्रिप कूट सं. 532276 के अंतर्गत किया जाता है। राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड (एनएसडीएल) और केन्द्रीय निक्षेपागार सेवा लिमिटेड (सीएसडीएल) बैंक के शेयरों को बेकागज़ीकृत रूप में रखनेवाले निक्षेपगार हैं।

सेबी परिपत्र सं. डी एण्ड सी. सी./एफ.आइ.टी.टी.सी/सी.आइ.आर. 16 दि. 31-12-2002 के अनुसार बैंक ने दोनों निक्षेपागारों यानि एन.एस.डी.एल. और सी.डी.एस.एल. के साथ कुल स्वीकृत पूंजी तथा बैंक की कुल निर्गत और सूचीबद्ध पूंजी के समाधान के उद्देश्य हेतु और सेबी के निदेशों के अंतर्गत आनेवाले अन्य मामलों में एक व्यवसायी कंपनी सचिव यानि मेसर्स के. के. राव एण्ड एसोसिएट्स, हैदराबाद द्वारा त्रैमासिक आधार पर सचिवीय लेखा परीक्षा कारवायी। इस संबंध में निर्गत प्रमाणपत्र को बैंक के निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया और बी.एस.ई. तथा एन.एस.ई. को अग्रेषित किया गया जहाँ पर बैंक के ईक्विटी शेयरों को सूचीबद्ध किया गया है।

दि. 31-03-2010 तक बैंक के कुल शेयर होल्डिंग के (इनमें भारत सरकार की होल्डिंग शामिल है) 94.87% को बेकागज़ीकरण किया गया है।

दि. 31-3-2010 की स्थिति के अनुसार शेयरधारकों द्वारा बेकागजी रूप में और कागज़ी रूप में रखे गए शेयरों के विवरण:

	शेयरधारकों की संख्या	**शेयरों की संख्या**	**शेयर होल्डिंग की प्रतिशतता**
क. कागजी रूप में	1,27,926	2,67,47,992	5.13
ख. बेकागजीकृत			
एन.एस्.डी.एल.	1,00,751	14,14,74,745	27.10
सी.डी.एस.एल.	24,723	35,37,45,545	67.77
कुल	**2,53,400**	**52,19,68,282**	**100.00**

Performance of the Bank's share price vis-à-vis BSE Sensex and Bank Nifty are as under:

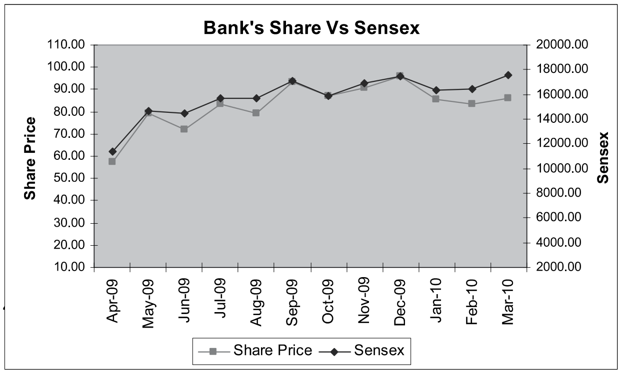

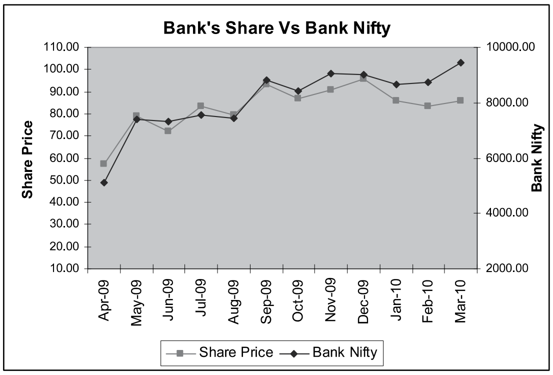

4. Share Transfer System, Registrar and Transfer Agents

(a) **Physical Shares**

The Bank ensures that all transfers of physical shares are duly effected within a period of one month from the date of their lodgment with the Registrar and Share Transfer Agents. The Board has constituted Share Transfer Committee, which meets at regular intervals for effecting transfer of shares issued by the Bank. The Share Transfer Committee met 4 times during the year 2009-10.

The Bank has appointed M/s Karvy Computershare Pvt. Ltd., Hyderabad as its Registrars and Share Transfer Agents. Share transfers, Dividend payments and all other investor related activities are attended to and processed at the office of the Registrars and Share Transfer Agents. Shareholders may lodge the transfer deeds and any other documents, grievances and complaints with the Registrars and Transfer agents at the following address:

M/s Karvy ComputerShare (P) Ltd.
UNIT: SyndicateBank
Plot No. 17 to 24,
Vithalrao Nagar, Madhapur,
HYDERABAD – 500 081
Phone No. 040 44655000 – Extn. 116 or 040 44655116 (D)
Fax No. 040 23420814

(b) **Shares in Demat Form**

The Bank's shares are traded compulsorily in demat mode under ISIN Code INE667A01018 with National Stock Exchange of India Ltd. and Scrip Code No.532276 with Bombay Stock Exchange Ltd. The National Securities Depository Ltd., (NSDL) and the Central Depository Services Ltd. (CDSL) are the depositories holding the Bank's share in demat mode.

In terms of SEBI's Circular No. D&CC/FITTC/CIR-16 dated 31-12-2002, a Secretarial Audit is conducted on a quarterly basis by a Practicing Company Secretary, viz. M/s K K Rao and Associates, Hyderabad, for the purpose of reconciliation of the total admitted capital with both depositories i.e. NSDL and CDSL and the total Issued and Listed Capital of Syndicate Bank and in respect of other matters covered under the directions of SEBI. Certificate issued in this regard is placed before the Board of Directors of the Bank and forwarded to BSE and NSE, where the equity shares of the Bank are listed.

94.87% of the total shareholding (including Government of India holding) of the Bank has been dematerialized as on 31-03-2010.

Particulars of shares in Demat and Physical form held by the Shareholders as on 31-03-2010 are as under:

	No. of Shareholders	No. of Shares	Percentage of Shareholding
A. PHYSICAL	1,27,926	2,67,47,992	5.13
B. DEMAT			
• NSDL	1,00,751	14,14,74,745	27.10
• CDSL	24,723	35,37,45,545	67.77
TOTAL	**2,53,400**	**52,19,68,282**	**100.00**

5. **शेयरधारण का पैटर्न**

31-03-2010 को **सिंडिकेट बैंक** की शेयरधारण पैटर्न (ईक्विटी शेयर पूंजी) निम्नानुसार है:

31-03-2010 को शेयरधारण पैटर्न

क्र. सं.	श्रेणी	धारित शेयरों की संख्या	शेयरधारण का प्रतिशत
ए.	**प्रवर्तक का धारण**		
1.	**प्रवर्तक**		
	क. भारत सरकार	34,69,68,282	66.47
	ख. विदेशी प्रवर्तक	कुछ नहीं	–
2.	**सहमति से कार्य करनेवाले व्यक्ति**	**कुछ नहीं**	–
	उप–जोड़	**34,69,68,282**	**66.47**
बी.	**गैर–प्रवर्तक धारण**		
1.	**संस्थागत निवेशक**		
	क. म्यूच्युअल फंड्स एवं यू.टी.आई.	3,21,647	0.06
	ख. बैंकों, वित्तीय संस्थाएँ, बीमा कंपनियाँ (केन्द्रीय/राज्य सरकारी संस्थाएँ/गैर–सरकारी संस्थाएँ)	6,18,49,954	11.85
	ग. एफ.आइ.आइ.	2,15,98,043	4.14
	उप–जोड़	**8,37,69,644**	**16.05**
2.	**अन्य**		
	क. निजी नैगम निकाय	2,72,41,733	5.22
	ख. भारतीय जनता	6,29,43,840	12.06
	ग. एनआरआइ/ओसीबी	9,25,106	0.18
	घ. अन्य	1,19,677	0.02
	उप–जोड़	**9,12,30,356**	**17.48**
	कुल जोड़	**52,19,68,282**	**100.00**

नोट: एनआरआइ/एफआइआइ सहित कुल विदेशी धारण 2,25,23,149 शेयर हैं और शेयरधारण का प्रतिशत कुल ईक्विटी का 4.32% है।

1% से अधिक शेयर रखनेवाले बैंक के शेयरधारकों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

शेयरधारकों के नाम	धारित शेयरों की संख्या	शेयरधारण का %
भारत सरकार निदेशक, वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग) संसद मार्ग नई दिल्ली	34,69,68,282	66.47
भारतीय जीवन बीमा निगम, योगक्षेम, जीवन बीमा मार्ग, मुंबई	5,77,21,685	11.06
यू.एन.ओ. मेटल्स लिमिटेड	1,17,20,000	2.25
ए.के.जी. फिन्वेस्ट लिमिटेड	94,10,000	1.80
मॉक्वेरी बैंक लिमिटेड	63,88,376	1.22

6. **दि. 31-03-2010 को शेयर वितरण पैटर्न**

शेयरधारकों की संख्या	कुल की प्रतिशतता	नाममात्र मूल्य के शेयरधारण (रुपए)	शेयरों की सं.	रकम (रुपए)	कुल की प्रतिशतता
23,487	9.27	Upto 500	6,85,377	68,53,770	0.13
96,792	38.20	501-1000	95,88,731	9,58,87,310	1.84
59,421	23.45	1001-2000	1,09,37,805	10,93,78,050	2.10
20,797	8.21	2001-3000	58,75,487	5,87,54,870	1.13
29,934	11.81	3001-4000	1,18,65,306	11,86,53,060	2.27
7,792	3.07	4001-5000	37,12,892	3,71,28,920	0.71
10,440	4.12	5001-10000	80,48,503	8,04,85,030	1.54
4,112	1.62	10001-50000	81,58,906	8,15,89,060	1.56
297	0.12	50001-100000	21,88,829	2,18,88,290	0.42
328	0.13	100001 और अधिक	46,09,06,446	4,60,90,64,460	88.30
2,53,400	**100.00**	**कुल**	**52,19,68,282**	**5,21,96,82,820**	**100.00**

5. **Shareholding Pattern**

The shareholding pattern (equity share capital) of SyndicateBank as on 31-03-2010 is as follows:

SHAREHOLDING PATTERN AS ON 31-03-2010

Sl. No.	Category	No. of Shares held	Percentage of Shareholding
A.	**Promoters' Holding**		
1.	**Promoters**		
	a. Government of India	34,69,68,282	66.47
	b. Foreign promoters	NIL	
2.	**Persons acting in concert**	**NIL**	
	Sub Total	**34,69,68,282**	**66.47**
B.	**Non –Promoter Holding**		
1.	**Institutional Investors**		
	a. Mutual Funds and UTI	3,21,647	0.06
	b. Banks, Financial Institutions, Insurance Companies (Central/ State Government Institutions/ Non-government Institutions)	6,18,49,954	11.85
	c. FII's	2,15,98,043	4.14
	Sub Total	**8,37,69,644**	**16.05**
2.	**Others**		
	a. Private Corporate Bodies	2,72,41,733	5.22
	b. Indian Public	6,29,43,840	12.06
	c. NRIs/OCBs	9,25,106	0.18
	d. Any Others	1,19,677	0.02
	Sub Total	**9,12,30,356**	**17.48 **
	GRAND TOTAL	**52,19,68,282**	**100.00**

Note: Total foreign holding including NRI / FII is 2,25,23,149 shares and the percentage of shareholding is 4.32% of the total equity.

Details of Shareholders holding more than 1% of the Equity Share Capital are given below:

Name of the Shareholder	No. of Shares	% of Shareholding
Government of India The Director, Ministry of Finance Department of Economic Affairs (Banking Division) Sansad Marg, New Delhi	34,69,68,282	66.47
Life Insurance Corporation of India Yogakshema, Jeevan Bhima Marg, Mumbai	5,77,21,685	11.06
UNO Metals Ltd.	1,17,20,000	2.25
AKG Finvest Ltd.	94,10,000	1.80
Macquarie Bank Ltd.	63,88,376	1.22

6. **Distribution Pattern as on 31-03-2010**

No. of Shareholders	% age of total	Shareholding of Nominal Value of Rs.	No. of Shares	Amount (Rs.)	%age to total
23,487	9.27	Upto 500	6,85,377	68,53,770	0.13
96,792	38.20	501-1000	95,88,731	9,58,87,310	1.84
59,421	23.45	1001-2000	1,09,37,805	10,93,78,050	2.10
20,797	8.21	2001-3000	58,75,487	5,87,54,870	1.13
29,934	11.81	3001-4000	1,18,65,306	11,86,53,060	2.27
7,792	3.07	4001-5000	37,12,892	3,71,28,920	0.71
10,440	4.12	5001-10000	80,48,503	8,04,85,030	1.54
4,112	1.62	10001-50000	81,58,906	8,15,89,060	1.56
297	0.12	50001-100000	21,88,829	2,18,88,290	0.42
328	0.13	100001 and above	46,09,06,446	4,60,90,64,460	88.30
2,53,400	**100.00**	**Total**	**52,19,68,282**	**5,21,96,82,820**	**100.00**

7. **दि. 31-03-2010 तक शेयरधारकों का भौगोलिक फैलाव**

स्थान	कागजी			बेकागजी			कुल		
	शेयरधारकों की सं.	शेयरधारण की सं.	शेयरधारण की प्रतिशतता*	शेयरधारकों की सं.	शेयरधारण की सं.	शेयरधारण की प्रतिशतता*	शेयरधारकों की सं.	शेयरधारण की सं.	शेयरधारण की प्रतिशतता
दिल्ली									
जीओआई				1	346968282	66.47	1	346968282	**66.47**
अन्य	8309	2273201	0.44	10389	5294132	1.01	18698	7567333	**1.45**
चेन्नई	4067	841800	0.16	6318	2030992	0.39	10385	2872792	**0.55**
कोलकाता	1688	428501	0.08	3703	23375883	4.48	5391	23804384	**4.56**
मुंबई	4995	1217812	0.23	13618	90325648	17.30	18613	91543460	**17.53**
बेंगलूर	12227	2618271	0.50	11160	2917152	0.56	23387	5535423	**1.06**
हैदराबाद	4575	1017000	0.19	4917	1767290	0.34	9492	2784290	**0.53**
उडुपि	2037	411100	0.08	1702	615703	0.12	3739	1026803	**0.20**
मंगलूर	1923	411625	0.08	2334	806900	0.15	4257	1218525	**0.23**
अन्य स्थान	88105	17528682	3.37	71332	21118308	4.05	159437	38646990	**7.42**
कुल	**127926**	**26747992**	5.13	**125474**	**495220290**	94.87	**253400**	**521968282**	**100.00**

* कुल शेयर धारण की प्रतिशतता

8. **नामांकन सुविधा**

बैंक का प्रत्येक शेयरधारक किसी भी समय निर्धारित ढंग से किसी एक व्यक्ति को नामित करे, जिसे उसकी मृत्यु के पश्चात् बैंक में धारित शेयर प्रदान किए जा सकें । जहाँ शेयर एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से धारित हैं तो संयुक्त धारक मिलकर नियत तरीके से एक व्यक्ति को नामित करें जिसे सभी संयुक्त धारियों की मृत्यु के संदर्भ में बैंक शेयरों के सभी हक प्रदान किए जाएं।

तदनुसार, कागज़ी रूप से शेयरों को रखनेवाले शेयरधारी बैंक के साथ या रजिस्ट्रार और बैंक के अंतरण अभिकर्ताओं के साथ विधिवत् भरे गए फार्म 2बी (संलग्न) दायर करने के जरिए नामांकन सुविधा उपलब्ध कर सकते हैं । बेकागज़ीकरण धारणों के संदर्भ में नामांकन न्यासी साझेदार द्वारा नियत की गई प्रक्रिया के अनुसार किया जाए।

9. **अदावी लाभांश**

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) और वित्तीय संस्था विधि (संशोधन) अधिनियम जो दि. 16-10-2006 से लागू हुआ, के अनुसार बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970/1980 में एक नयी धारा 10 बी. शामिल की गयी है, जिसमें निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:

- यदि कोई शेयरधारक लाभांश घोषित करने की तारीख से 30 दिनों की अवधि समाप्ति के बाद 7 दिनों के भीतर लाभांश का नकदीकरण/दावा नहीं करता है तो बैंक के चालू खाते में पड़ी ऐसी रकम को ''वर्ष .... के लिए सिंडिकेट बैंक के अप्रदत्त लाभांश'' नामक एक पृथक खाते में अंतरित किया जाए।
- ''अप्रदत्त लाभांश खाते'' में अंतरित धन राशि जो ऐसे अंतरण की तारीख से सात वर्ष की अवधि तक अप्रदत्त या अदावी रहती है तो, उक्त धनराशि को कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 205 सी की उप धारा (1) के अंतर्गत निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि को अंतरित किया जाए।

तदनुसार, पिछले वर्षों से संबंधित अप्रदत्त लाभांश को सिंडिकेट बैंक अप्रदत्त लाभांश खाते में जमा किया गया है। अतएव, ऐसे अंतरण की तारीख से सात वर्ष की अवधि के लिए अप्रदत्त या अदावी रहनेवाली ऐसी धनराशि को दि. 16-10-2013 से निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित किया जाएगा।

जिन शेयरधारकों ने बैंक के लाभांश वारंटों को न भुनाया हो, उनसे अनुरोध है कि वे सहायता के लिए बैंक के निवेशक संबंध केन्द्र, नैगम कार्यालय, बेंगलूर से संपर्क करें।

10. **बकाया जी.डी.आर./ए.डी.आर. या अन्य परिवर्तनीय लिखत, परिवर्तन की तारीख और इक्विटी पर संभाव्य प्रभाव:**

बैंक ने कोई जी.डी.आर/ए.डी.आर/वारंट या अन्य परिवर्तनीय लिखतों को जारी नहीं किया है।

7. **Geographical Spread of Shareholders as on 31-03-2010**

Places	Physical			Demat			Total		
	No. of Share-holders	No. of Shares held	% hold-ing*	No. of Share-holders	No. of Shares held	% hold-ing*	No. of Share-holders	No. of Shares held	% hold-ing
Delhi									
GOI				1	346968282	66.47	1	346968282	**66.47**
Others	8309	2273201	0.44	10389	5294132	1.01	18698	7567333	**1.45**
Chennai	4067	841800	0.16	6318	2030992	0.39	10385	2872792	**0.55**
Kolkata	1688	428501	0.08	3703	23375883	4.48	5391	23804384	**4.56**
Mumbai	4995	1217812	0.23	13618	90325648	17.30	18613	91543460	**17.53**
Bengaluru	12227	2618271	0.50	11160	2917152	0.56	23387	5535423	**1.06**
Hyderabad	4575	1017000	0.19	4917	1767290	0.34	9492	2784290	**0.53**
Udupi	2037	411100	0.08	1702	615703	0.12	3739	1026803	**0.20**
Mangalore	1923	411625	0.08	2334	806900	0.15	4257	1218525	**0.23**
Other Places	88105	17528682	3.37	71332	21118308	4.05	159437	38646990	**7.42**
Total	**127926**	**26747992**	5.13	**125474**	**495220290**	94.87	**253400**	**521968282**	**100.00**

* Percentage to Total Shareholding.

8. **Nomination Facility**

Every shareholder of the Bank may, at any time, nominate, in the prescribed manner, a person to whom his / her shares in the Bank shall vest in the event of his / her death. Where more than one person holds the shares jointly, the joint holders may together nominate, in the prescribed manner, a person to whom all the rights in the shares of the Bank shall vest, in the event of death of all the joint holders.

Accordingly, the shareholders holding the shares in physical form can avail the nomination facility by filing Form 2B (annexed) with the Bank or with the Registrars and Share Transfer Agents of the Bank. In case of dematerialised holdings, nomination may be done as per the procedure prescribed by depository participant.

9. **Unclaimed Dividend**

The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) and Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 2006, which has come into force on 16-10-2006, has inserted a new Section 10 B in the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, which provides as under:

- Within 7 days from the expiry of 30 days from the date of declaration, if any shareholder has not encashed/claimed the dividend, such amounts lying the bank current account, have to be transferred to a separate account styled "Unpaid Dividend of Syndicate Bank for the year ...."
- Any money transferred to the Unpaid Dividend account, which remains unpaid or unclaimed for a period of seven years from the date of such transfer, shall be transferred to the Investor Education and Protection Fund established under sub-section (1) of Section 205C of the Companies Act, 1956.

Accordingly, the unpaid dividend of previous years has been transferred to Unpaid Dividend accounts of Syndicate Bank and hence, such monies remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years from the date of such transfer shall be transferred to the Investor Education and Protection Fund, commencing from 16-10-2013.

Such of those shareholders, who have not encashed the Dividend Warrants of the Bank, are requested to approach Investor Relations Centre of the Bank at Corporate Office, Bengaluru for assistance.

10. **Outstanding GDRs/ADRs or any Convertible Instruments, Conversion Date and likely impact on Equity:**

The Bank has not issued any GDRs/ADRs/warrants or any convertible instruments.

11. **गैर – परिवर्तनीय बंध पत्र**

बैंक ने समय-समय पर वचन-पत्रों के रूप में गैर-परिवर्तनीय बंधपत्र जारी किए हैं। दि. 31-03-2010 की स्थिति के अनुसार बकाया रहनेवाले ऐसे बंधपत्रों के विवरण निम्नलिखित हैं:

श्रृंखला	आबंटन की तारीख	रकम करोड़ (रुपयों में)	अवधि (महीने में)	कूपन % (प्र.व.)	मोचन की तारीख
श्रृंखला IV	01-09-2003	100.00	82	6.10	01-07-2010
श्रृंखला V	26-03-2004	125.00	120	6.00	26-03-2014
श्रृंखला VI	29-09-2004	200.00	116	6.90	29-05-2014
श्रृंखला VII	20-12-2004	100.00	120	7.50	20-12-2014
श्रृंखला VIII	20-06-2005	500.00	118	7.40	20-04-2015
श्रृंखला IX	15-12-2005	500.00	112	7.60	15-04-2015
अपर टायर II श्रृंखला I	27-07-2006	619.60	180	9.35	27-07-2021
अपर टायर II श्रृंखला II	28-02-2007	200.10	180	9.30	28-02-2022
आइ.पी.डी.आई.* टायर I श्रृंखला I	25-03-2008	240.00	–	9.90	बेमीयादी
लोवर टायर II श्रृंखला X	26-12-2008	300.00	120	8.60	26-12-2018
आई.पी.डी.आई.* टायर I श्रृंखला II	12-01-2009	339.00	–	9.40	बेमीयादी
लोवर टायर II श्रृंखला XI	15-06-2009	200.00	120	8.49	15-06-2019
आइ.पी.डी.आइ. टायर I श्रृंखला III	29-06-2009	194.00	–	8.90	बेमीयादी
	Total	**3,617.70**			

*आइ.पी.डी.आई- नवोन्मेषी बेमियादी ऋण लिखत

नोट: यदि आबंटन की तारीख से 10 वें वर्ष के अंत तक मांग विकल्प का प्रयोग नहीं किया जाता है तो 0.50% प्र.व. की निर्धारित कूपन-दर आगे की अवधि के लिए देय होगी।

12. **अदावी शेयर**

''सेबी'' द्वारा प्रवर्तित सूचीकरण करार के खण्ड 5 ए के अनुसार तथा उनके परिपत्र सं- सेबी/सी एफ.डी/डी.आइ.एल/एल.ए/1/2009/24/04 दि. 24-04-2009 के अनुसार बैंक अदावी शेयरों को किसी एक निक्षेपागार सहभागी के पास जारीकर्ता द्वारा खोले गए डिमैट उचंत खाते में जमा किया जाए।

बैंक एफ.पी.ओ. के अदावी शेयरों के संबंध में एक एस्क्रो खाता रखता है। दि. 31-03-2010 की स्थिति के अनुसार उक्त खाते के ब्यौरे निम्नवत् हैं:

निक्षेपागार सहभागी का नाम	कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड
डी.पी.आइ.डी/सी.एल.आइ.डी.	आइ. एन 300394/15555052
नाम	के सी.एल./एस्क्रो खाता सिंडिकेट बैंक
निक्षेपागार सहभागी का पता	सं.: 21, एवेन्यू 4, बंजारा हिल्स, हैदराबाद - 500 034

बैंक के अदावी शेयरों (एफ.पी.ओ) के विवरण निम्नवत् है:

विवरण	मामलों की सं.	शेयरों की सं.
1. पिछले वर्ष के प्रारंभ में यानि दि. 01-04-2009 की स्थिति के अनुसार कुल शेयरधारकों की संख्या और उचंत खाते में बकाया शेयरों की संख्या	144	28,054
2. उन शेयरधारकों की संख्या जिन्होंने वर्ष 2009-10 के दौरान उचंत खाते से शेयरों के निर्गम/रजिस्टर के लिए संपर्क किया है	8	1,860
3. उन शेयरधारकों की संख्या जिनको वर्ष के दौरान उचंत खाते से शेयरों को अंतरित किया गया है।	8	1,860
4. वर्ष के अंत में यानि दि. 31-03-2010 की स्थिति के अनुसार कुल शेयरधारकों की संख्या और उचंत खाते में बकाया शेयरों की संख्या	136	26,194

''सेबी'' के निदेशों के अनुसार, उचंत खाते में स्थित बकाया अदावी शेयरों पर मतदान के अधिकार को तब तक रोक रखा जाए जब तक ऐसे शेयरों के वास्तविक मालिक शेयरों का दावा नहीं करते।

इस प्रकार बैंक ने सूचीकरण करार के खण्ड 5ए के उपबंधों का पालन किया है।

11. **Non-Convertible bonds**

The Bank has raised non-convertible bonds in the nature of promissory notes from time to time. The details of such bonds outstanding as on 31-03-2010 are as follows:

Series	Date of Allotment	Size (Rs. in Crore)	Tenor (in months)	Coupon (% p.a.)	Redemption Date
Series IV	01-09-2003	100.00	82	6.10	01-07-2010
Series V	26-03-2004	125.00	120	6.00	26-03-2014
Series VI	29-09-2004	200.00	116	6.90	29-05-2014
Series VII	20-12-2004	100.00	120	7.50	20-12-2014
Series VIII	20-06-2005	500.00	118	7.40	20-04-2015
Series IX	15-12-2005	500.00	112	7.60	15-04-2015
Upper Tier II Series I	27-07-2006	619.60	180	9.35	27-07-2021
Upper Tier II Series II	28-02-2007	200.10	180	9.30	28-02-2022
IPDI * Tier I Series I	25-03-2008	240.00	–	9.90	Perpetual
Lower Tier II Series X	26-12-2008	300.00	120	8.60	26-12-2018
IPDI* Tier I Series II	12-01-2009	339.00	–	9.40	perpetual
Lower Tier II Series XI	15-06-2009	200.00	120	8.49	15-06-2019
IPDI Tier I Series III	29-06-2009	194.00	–	8.90	Perpetual
	Total	**3,617.70**			

* IPDI – Innovative Perpetual Debt Instruments

Note: Step-up Coupon Rate of 0.50% p.a. is payable for further life, if Call Option is not exercised at the end of 10th year from the date of allotment.

12. **Unclaimed Shares**

In terms of Clause 5A of the Listing Agreement introduced by SEBI, vide their Circular No. SEBI/CFD/DIL/LA/1/2009/24/04 dated 24-04-2009, the unclaimed shares of the Bank shall be credited to a demat suspense account opened by the issuer with one of the depository participants.

The Bank is maintaining an Escrow account relating to Unclaimed Shares of FPO as per following details as on 31-03-2010:

Name of the Depository Participant	Karvy Stock Broking Ltd.
DPID /CLID	IN 300394 /15555052
Name	KCL/Escrow a/c Syndicate Bank
Address of the Depository Participant	No. 21, Avenue 4, Banjara Hills, Hyderabad – 500 034

The details of Unclaimed Shares of the Bank (FPO) are as under:

Particulars	No. of Cases	No. of Shares
1. Aggregate number of shareholders and the outstanding shares in the suspense account at the beginning of the previous year i.e. as on 01-04-2009	144	28,054
2. Number of shareholders who approached for issue / Register of shares from suspense account during the year 2009-10	8	1,860
3. Number of shareholders to whom shares were transferred from suspense account during the year 2009-10	8	1,860
4. Aggregate number of shareholders and the outstanding shares in the suspense account at the end of the year i.e. as on 31-03-2010	136	26,194

As per the directions of SEBI, the voting rights on the outstanding unclaimed shares lying in suspense account shall remain frozen, till the rightful owner of such shares claims the shares.

The Bank has, thus, complied with the provisions of Clause 5A of the Listing Agreement.

नैगम अभिशासन पर लेखा परीक्षकों का प्रमाणपत्र

सूचीकरण करार के खण्ड 49(vii) की शर्तों के अनुसार

सेवा में,
बैंक के सभी शेयरधारक

हमने दि. 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए, सिंडिकेट बैंक द्वारा स्टॉक एक्स्चेंज के साथ किए गए सूचीकरण करारों के संगत खण्डों में यथानिर्दिष्ट नैगम अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है ।

नैगम अभिशासन की शर्तों का अनुपालन करना प्रबंधक वर्ग की जिम्मेदारी है । हमारी जाँच, नैगम अभिशासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा अपनाई गयी प्रक्रियाओं तथा उसके कार्यान्वयन तक ही सीमित थी । यह न तो बैंक के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा है न ही उसकी राय की अभिव्यक्ति है।

बैंक द्वारा रखे गए अभिलेखों तथा दस्तावेजों और हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर यह हमारी राय है कि बैंक ने, स्टॉक एक्स्चेंज के साथ किए गए उपर्युक्त सूचीकरण करार में यथानिर्दिष्ट नैगम अभिशासन की निम्नलिखित शर्तों का पालन किया है ।

1. निदेशक मंडल – घटन और क्षतिपूर्ति, समिति में निदेशकों की सदस्यता, निदेशक मंडल की बैठक और आचार संहिता (प्रारूपण बैंक के वेबसाइट में प्रस्तुत करना)
2. लेखा परीक्षा समिति – घटन, अधिकार, बैठक, भूमिका इत्यादि
3. सहायक कंपनियाँ
4. प्रकटीकरण
   - क) संगत पार्टी लेन-देन का आधार
   - ख) लेखाकरण प्रक्रिया
   - ग) जोखिम प्रबंधन
   - घ) सार्वजनिक निगम की प्राप्य राशियों की उपयोगिता
   - ङ) निदेशकों का पारिश्रमिक इत्यादि
5. वित्तीय विवरणों की समीक्षा के संबंध में सी.ई.ओ./सी.एफ.ओ. का प्रमाणीकरण
6. वार्षिक रिपोर्ट में नैगम अभिशासन पर रिपोर्ट
7. नैगम अभिशासन की शर्तों का पालन

हम यह कहना चाहते हैं कि शेयरधारकों तथा निवेशक शिकायत समिति द्वारा रखे गए अभिलेखों के अनुसार बैंक के विरुद्ध कोई भी निवेशक-शिकायत एक महीने से अधिक अवधि तक लंबित नहीं है ।

हम आगे कहना चाहते हैं कि ऐसा अनुपालन न तो बैंक की भावी अर्थक्षमता का आश्वासन देता है न ही उसकी दक्षता या प्रभावशीलता का, जिसके सहारे प्रबंधक वर्ग ने बैंक का कारोबार संभाला है ।

कृते **शेषाद्रि एण्ड एसोसियेट्स**
सनदी लेखाकार
ह/
(के. एस. कृष्ण राव)
साझेदार
सदस्यता सं. 022427

स्थान : बेंगलूर
दिनांक : 13-04-2010

निदेशक मंडल के मुख्य कार्यपालक अधिकारी/मुख्य वित्तीय अधिकारी का प्रमाणीकरण

(सूचीकरण करार के खण्ड 49 (v) के अंतर्गत)

दिनांक : 04-05-2010

मैं प्रमाणित करता हूँ:

क. मैंने वर्ष 2009-2010 के वित्तीय विवरणों और नकदी उपलब्धता विवरण की समीक्षा की है और कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार:
- इन विवरणों में कोई भी असत्य कथन शामिल नहीं है या किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य को छोड़ा नहीं गया है या इसमें ऐसा कोई कथन शामिल नहीं है जो भ्रामक हो;
- ये विवरण बैंक के कारोबार की सच्ची और सही तस्वीर प्रस्तुत करते हैं और उन्हें वर्तमान लेखा मानदण्डों, प्रायोज्य विधियों तथा विनियमों का अनुपालन करते हुए तैयार किया गया है ।

ख. हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार वर्ष 2009-10 के दौरान बैंक द्वारा ऐसा कोई लेन-देन नहीं किया गया है जो कपटपूर्ण, अवैध या बैंक की आचरण संहिता का उल्लंघन करता हो।

ग. हम बैंक में आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने और उसका निर्वहण करने की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं और कि हमने बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है और हमने आंतरिक नियंत्रण की रूपरेखा या परिपालन की विसंगतियों, यदि कोई हो, जिसकी हम भली भांति जानकारी रखते हैं, और इन विसंगतियों का परिशोधन करने के लिए उठाए गए या उठाए जानेवाले कदमों को लेखा परीक्षकों तथा लेखा परीक्षा समिति के ध्यान में लाया है ।

घ. हमने लेखा परीक्षा समिति को निम्नलिखित के संबंध में सूचना दी है:
- वित्तीय रिपोर्ट पर आंतरिक नियंत्रण के मामलों में वर्ष 2009-10 के दौरान कए गए महत्वूर्णि पिरवर्तन
- वर्ष 2009-10 के दौरान लेखाकरण नीतियों में कए गए महत्वूर्णि पिरवर्तन और जसका उल्लखि वत्तीय ववरणों की टर्पिणयों में कया गया है; और
- हमारे ध्यान में लाए गए महत्वपूर्ण धोखाधड़ी के मामले और उनमें प्रबंधक वर्ग या किसी कर्मचारी का शामिल होना, यदि कोई हो, जिसका महत्वपूर्ण प्रभाव वित्तीय रिपोर्ट मेंबैंक की आंतरिक नियंत्रण पर पड़ता है.

ह/
(एस. के. अबरोल)
महा प्रबंधक (लेखा) और मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह/
(बसंत सेठ)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थान: बेंगलूर

निदेशक मंडल के सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक द्वारा बैंक की आचार संहिता के अनुपालन संबंधी घोषणा

एतद्द्वारा पुष्टि की जाती है कि बैंक ने अपने मंडल के सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधक वर्ग के कर्मचारियों के लिए दि. 22-09-2005 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा निर्दिष्ट आचार संहिता को अपनाया है जिसका कार्यान्वयन दि. 01-10-2005 से हुआ है और आचार संहिता को बैंक के वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है।

उपर्युक्त का अनुसरण करते हुए, पुन: अब यह पुष्टि की जाती है कि मंडल के सदस्यों और बैंक के वरिष्ठ प्रबंधक वर्ग के कार्मिकों ने दि. 31-03-2010 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक की उपर्युक्त आचार संहिता का पालन करने की पुष्टि की है।

ह/-
(बसंत सेठ)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : बेंगलूर
दिनांक : 15-04-2010

AUDITORS' CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE

(In terms of Clause 49 (vii) of the Listing Agreement)

To All the Shareholders of the Bank

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by Syndicate Bank for the year ended 31-03-2010 as stipulated in the relevant Clauses of the Listing Agreements of the said Bank with the Stock Exchanges.

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to the procedures and implementation thereof adopted by the Bank for ensuring the compliance of conditions of the Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion of the financial statements of the Bank.

On the basis of the records and documents maintained by the Bank and the information and explanations given to us, in our opinion, the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above mentioned Listing Agreements with the Stock Exchanges detailed as under:

1) Board of Directors – composition, compensation, Membership of Directors in committees, Board Meetings and Code of Conduct (drafting and placing on the website of the Bank).
2) Audit Committee – Composition, Powers, meetings, role etc.
3) Subsidiary Companies
4) Disclosures:
   a) Basis of related party transactions
   b) Accounting treatment
   c) Risk Management
   d) Utilisation of public issue proceeds
   e) Remuneration of Directors etc.
5) CEO/ CFO Certification with respect to review of financial statements
6) Report on Corporate Governance in Annual Report etc.
7) Compliance of conditions of Corporate Governance

We state that no investor grievance is pending for a period exceeding one month against the Bank as per records maintained by the shareholders and Investors' Grievance Committee.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

For SESHADRI & ASSOCIATES
Chartered Accountants
Sd/-
(K. S. KRISHNA RAO)
Partner
Membership No. 022427

Place : Bangalore
Date : 13-04-2010

CEO/CFO CERTIFICATION TO THE BOARD

(Under Clause 49(V) of Listing Agreement)

Date: 04-05-2010

I/We Certify that –

a. I/We have reviewed the financial statements and the cash flow statement for the year 2009-10 and that to the best of our knowledge and belief:
   - These statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;
   - These statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations;
b. There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year 2009-10 which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's code of conduct;
c. We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls and that we have evaluated the effectiveness of the internal control systems of the Bank and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee, deficiencies in the design or operation of the internal control, if any, of which we are aware of and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.
d. We have indicated to the Auditors and the Audit Committee -
   - Significant changes in internal control over the financial reporting during the year 2009-10;
   - Significant changes in accounting policies during the year 2009-10 and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements; and
   - Instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over the financial reporting.

Sd/-
(S. K. Abrol)
General Manager (Accounts) & Chief Financial Officer

Sd/-
(Basant Seth)
Chairman & Managing Director and Chief Executive Officer

Place : BENGALURU

DECLARATION REGARDING COMPLIANCE WITH THE CODE OF CONDUCT OF THE BANK BY BOARD MEMBER AND SENIOR MANAGEMENT PERSONNEL

It is hereby confirmed that the Bank has on 22-09-2005 adopted the Code of Conduct for the Board Members and Senior Management Personnel as laid down by SEBI, for implementation with effect from 01-10-2005 and the said code of conduct is posted on the website of the Bank.

In pursuance of the above, it is now further confirmed that the Board Members and Senior Management Personnel have affirmed compliance with the aforesaid Code of Conduct of the Bank for the year ended 31-03-2010.

Sd/-
(Basant Seth)
Chairman & Managing Director

Place: Bangalore
Date: 15-04-2010

बासेल II प्रकटीकरण – मार्च 2010

बैंक अपनी जोखिम प्रबंधन प्रणाली को सर्वोत्तम कार्यप्रणाली और विनियामक निदेशों के अनुरूप निरंतर स्तरोन्नत और कारगर बना रहा है । बैंक के कारोबार की समग्र संवृद्धि और विकास में जोखिम प्रबंधन के महत्व को स्वीकारते हुए एक संपूर्ण जोखिम प्रबंधन ढाँचा तैयार किया गया है जिसके अंतर्गत जोखिमों की पहचान, निर्धारण, अनुप्रवर्तन, कम करने और उनपर नियंत्रण करने हेतु प्रभावी जोखिम अभिशासन ढांचा, प्रणालियां, नीतियां और प्रक्रियाओं को शामिल किया गया है ।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों में नये ढांचे के कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न प्रकटीकरणों का उल्लेख किया गया है । निम्नलिखित प्रकटीकरण इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हैं:

लागू करने की व्याप्ति

क) समूह के उस शीर्ष बैंक का नाम जिसके लिए ढाँचा लागू होता है।	**सिंडिकेट बैंक**
ख) लेखाकरण और विनियमन प्रयोजनों के लिए समेकन के आधार में भिन्नताओं की रूपरेखा, समूह के भीतर के संघटनों के विवरण के साथ	लागू नहीं

परिमाणात्मक प्रकटीकरण

ग) सभी सहायक संस्थाओं की पूँजी की सकल राशि की कमी जो समेकन में शामिल नहीं की गई है, अर्थात् जिनकी कटौती की गई है और ऐसी सहायक संस्थाओं के नाम	लागू नहीं
घ) बीमा संस्थाओं में बैंक के हितों की कुल रकम (उदा: चालू बही मूल्य) जो जोखिम भारित है और उनका नाम, उनके संस्थापन या निवेश का देश, इनमें स्वामित्व हित का अनुपात और यदि भिन्न है तो मतदान अधिकार का अनुपात। इसके अतिरिक्त, कटौती करने के बजाय इस उपाय को अपनाने से विनियामक पूँजी पर पड़नेवाले परिमाणात्मक प्रभाव भी दर्शाएं।	लागू नहीं

पूँजीगत ढाँचा

परिमाणात्मक प्रकटीकरण

क) सभी पूँजीगत लिखतों की मुख्य विशेषताओं की शर्तों एवं नियमों से संबंधित संक्षिप्त सूचना, खासकर उन पूंजीगत लिखतों के मामले में जो टायर–I या टायर–II में शामिल करने हेतु पात्र हैं ।

बैंक के टायर-I पूँजी में शेयर पूँजी, निर्बंध प्रारक्षित निधियाँ और बैंक द्वारा अर्जित निवल लाभ से विनियुक्त कुछ विशिष्ट प्रारक्षित निधियाँ आती हैं । भारतीय रिज़र्व बैंक के मानदण्डों के अनुसार आइपीडीआइ को भी टायर I पूँजी के रूप में परिकलित किया गया है ।

वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान बैंक ने 8.90% प्र.व. कूपन दर पर रु.194 करोड़ का आइ.पी.डी.आइ. जुटाया है ।

टायर–II पूँजी में पुनर्मूल्यन प्रारक्षित निधियों की कुछ प्रतिशतता, जोखिम प्रावधान जिन्हें टायर–II और अपर टायर–II बांड से नहीं घटाया गया है, शामिल हैं । इन बांडों की शर्तें एवं नियम और उन्हें पूँजी निधियों के रूप में संगणित करने के सिद्धांत भारतीय रिज़र्व बैंक के विनियम के अनुसार हैं।

BASEL II DISCLOSURES – MARCH 2010

Bank is continuously upgrading and fine-tuning the Risk Management Systems in tune with best practices and regulatory directions. Recognizing the importance of risk management in the overall growth and development of bank's business, a holistic view of risk management framework has been designed by putting in place an effective risk governance structure, systems, policies and procedures for identification, assessment, monitoring, mitigation and control of risks.

The guidelines issued by Reserve Bank of India, prescribe a series of disclosures in connection with the implementation of the new framework. The following disclosures made are intended to achieve these objectives:

Scope of Application

(a) Name of the top Bank in the group to which the framework applies.	**Syndicate Bank**
(b) An outline of differences in the basis of consolidation for accounting and regulatory purposes, with brief description of the entities within the group.	Not Applicable

Quantitative Disclosures

(c) The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries not included in the consolidation i.e. that are deducted and the name(s) of such subsidiaries.	Not Applicable
(d) The aggregate amounts (e.g. current book value) of the bank's total interests in insurance entities, which are risk-weighted as well as their name, their country of incorporation or residence, the proportion of ownership interest and, if different, the proportion of voting power in these entities. In addition, indicate the quantitative impact on regulatory capital of using this method versus using the deduction.	Not applicable

CAPITAL STRUCTURE

Quantitative Disclosures

a) Summary information on the terms and conditions of the main features of all capital instruments, especially in the case of capital instruments eligible for inclusion in Tier I or in Upper Tier II.

The Tier I capital of the Bank mainly consists of Share capital, free Reserves and certain specific reserves appropriated from the net profit earned by the bank. Innovative Perpetual Debt Instrument (IPDI) is also reckoned as Tier I Capital as per the RBI norms.

During the FY 2009-10 Bank has raised IPDI of Rs.194 Crores at a coupon rate of 8.90% p.a. payable annually.

Tier II Capital consists of certain percentage of revaluation reserves, risk provision which are not netted off, Tier II and Upper Tier II Bonds. The terms and conditions of these bonds and the principles of reckoning them as capital funds are guided by RBI regulation.

वर्ष 2009-10 के दौरान बैंक ने10 वर्ष के लिए 8.49% प्र.व. की कूपन दर पर रु.200 करोड़ लोवर टायर-II बंधपत्र जुटाया है ।

(रुपये करोडों में)

ख) निम्नलिखित के प्रकटीकरण के साथ टायर-I पूँजी की रकम disclosure of	**5978.69**
• प्रदत्त शेयर पूँजी	521.97
• प्रारक्षित निधियाँ	4700.40
• नवोन्मेषी लिखतें	773.00
• अन्य पूँजी लिखतें	0.00
• टायर I पूँजी, से कटौती की गई रकम, सहयोगी संस्थाओं में ईक्विटी निवेश	16.68
(ग) टायर-II पूँजी की कुल रकम (टायर-II पूँजी से कटौती निवल)	**3239.22**
(घ) ऋण पूँजी लिखतें, जो अपर टायर-II कटौती पूँजी में शामिल करने के लिए पात्र हैं	
बकाया कुल रकम	819.70
उसमें से चालू वर्ष के दौरान जुटाई गई रकम	-
पूँजी निधियों के रूप में गणना में ली जानेवाली पात्र रकम	819.70
ङ) गौण ऋण, जो लोवर टायर-II पूँजी में शामिल करने के लिए पात्र है – बकाया कुल रकम	2025.00
उसमें से चालू वर्ष के दौरान जुटाई गई रकम	200.00
पूँजी निधियों के रूप में गणना में ली जानेवाली पात्र रकम	1815.00
च) पूँजी से की गई अन्य कटौतियाँ, यदि कोई हों सहायक संस्थाओं में ईक्विटी निवेश (50%)	16.67
छ) कुल पात्र पूँजी	**9217.91**

पूँजी पर्याप्तता

गुणात्मक प्रकटीकरण

क) वर्तमान और भविष्य के कार्यकलापों को समर्थन प्रदान करने हेतु अपनी पूँजी पर्याप्तता को निर्धारित करने के लिए बैंक द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण के संबंध में संक्षिप्त विचार विमर्श:

i) बैंक ने 10% की अनुमानित ऋण संवृद्धि के आधार पर 11.50% के सी.आर.ए.आर. का लक्ष्य रखा है। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण अगले चार वर्षों के दौरान 8% के टायर1 सी.आर.ए.आर. के साथ 12% का सी.आर.ए.आर. रखने का लक्ष्य रखा गया है ।

ii) कारोबार ढांचा और अनुमानित संवृद्धि पर विचार करते हुए निम्नलिखित के संदर्भ में पूंजी का निर्धारण किया गया है:

पिलर I जोखिम नामत:

1. ऋण जेखिम – मानकीकृत दृष्टिकोण
2. बाजार जोखिम – मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण
3. परिचालन जोखिम – मूल सूचक दृष्टिकोण और

पिलर II जोखिम नामत:

4. संकेंद्रन जोखिम
5. चलनिधि जोखिम
6. बैंकिंग बहियों में ब्याज दर जोखिम
7. अवशिष्ट जोखिम
8. प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम
9. रणनीति संबंधी जोखिम
10. अर्जन संबंधी जोखिम
11. पूंजीगत जोखिम

During the FY 2009-10 Bank has raised Lower Tier II Bonds of Rs.200 Crores at a coupon rate of 8.49% p.a. for 10 years.

(Rs. in Crores)

(b) The amount of Tier 1 capital, with separate disclosure of	**5978.69**
• Paid-up share capital	521.97
• Reserves	4700.40
• Innovative instruments	773.00
• Other capital instruments	0.00
• Amounts deducted from Tier I capital, Equity investments in Associates (50%)	16.68
(c) The total amount of Tier II capital (net of deductions from Tier II capital)	**3239.22**
(d) Debt capital instruments eligible for inclusion in Upper Tier II capital	
Total amount outstanding	819.70
Of which amount raised during the current year	-
Amount eligible to be reckoned as capital funds	819.70
(e) Subordinated debt eligible for inclusion in Lower Tier II capital	
Total amount outstanding	2025.00
Of which amount raised during the current year	200.00
Amount eligible to be reckoned as capital funds	1815.00
(f) Other deductions from capital, if any. Equity investments in Associates (50%)	16.67
(g) Total Eligible Capital	**9217.91**

CAPITAL ADEQUACY

Qualitative Disclosures

(a) A summary discussion of the bank's approach to assessing the adequacy of its capital to support current and future activities:

i) Bank has targeted a CRAR of 11.50% based on a projected credit growth of 10%. On account of International presence, maintenance of CRAR of 12% with Tier I CRAR of 8% is envisaged during the next four years.

ii) Considering the business profile and the projected growth, capital is assessed with reference to

Pillar I risks namely,

1. Credit Risk – Standardized approach
2. Market Risk –Standardized duration approach
3. Operational Risk- Basic Indicator Approach and

Pillar II risks namely,

4. Concentration Risk
5. Liquidity Risk
6. Interest rate risk in banking book
7. Residual Risk
8. Reputation Risk
9. Strategic Risk
10. Earnings Risk
11. Capital Risk

iii) बैंक, ऋण जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालन जोखिम की धारित आस्ति में प्रत्याशित वृद्धि को ध्यान में रखते हुए पूंजी आवश्यकता का निर्धारण करता है। भावी कार्यकलापों से संबंधित पूंजी पर्याप्तता के मामले में बैंक ने निदेशक मंडल द्वारा विधिवत् अनुमोदित आइ.सी.ए.ए.पी. प्रलेख (बासल II ढांचे के पिलर 2 के अंतर्गत आवश्यकताओं से संबंधित भा.रि.बैं. के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार) के अनुसार अर्थव्यवस्था की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए कारोबार योजना की आवधिक समीक्षा करके पूंजी आवश्यकता का निर्धारण किया है। इसके अतिरिक्त, टायर I और टायर II पूंजी जुटाने के लिए बैंक के लिए उपलब्ध हेडरूम भविष्य के कार्यकलापों के प्रति अतिरिक्त सी.आर.ए.आर. की पूर्ति हेतु पूंजी विन्यास के लिए अतिरिक्त समर्थन प्रदान करेगा।

बोर्ड को आवधिक रूप से कारोबार नीतियों और भविष्य की योजनाओं के आधार पर कारोबार आधारित पूँजी योजना और पूँजी अपेक्षाओं से अवगत कराया गया है।

बासेल-II ढांचे के अंतर्गत पूंजी के परिकलन के उद्देश्य से बैंक ने अपने सभी कारपोरेट आस्ति वर्ग और उन अन्य आस्ति वर्गों से खातावार ब्यौरे प्राप्त किए हैं जिनकी लेखा परीक्षा की गयी है ।

परिमाणात्मक प्रकटीकरण

ख) ऋण जोखिम के लिए पूंजी की अपेक्षाएं (रु. करोड़ों में)

संविभाग जो मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन हैं	5800.32
प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर	कुछ नहीं

ग) बाजार जोखिम के लिए पूंजी की अपेक्षाएं:

मानकीकृत दृष्टिकोण (रु. करोड़ों में)

ब्याज दर जोखिम	287.33
विदेशी मुद्रा जोखिम	49.26
ईक्विटी जोखिम	10.26

घ) परिचालन जोखिम के लिए पूंजी की अपेक्षा

मूल सूचक दृष्टिकोण (रु. करोड़ों में)

मूल सूचक दृष्टिकोण के अनुसार पूँजी अपेक्षा	383.23

ङ) बैंक के लिए कुल पूँजी अनुपात

नये पूँजी पर्याप्तता ढाँचे के अनुसार जोखिमवाली आस्तियों की तुलना में कुल पूँजी का अनुपात	12.70
बासेल-II के अनुसार जोखिमवाली आस्तियों की तुलना में टायर-I पूँजी का अनुपात	8.24
बासेल-I मानदण्डों के अनुसार जोखिमवाली आस्तियों की तुलना में कुल पूँजी का अनुपात	11.20
बासेल-I के अनुसार जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में टायर-I पूँजी का अनुपात	7.26

अपेक्षित पूँजी पर विवेकसम्मत न्यूनतम सीमा (रु. करोड़ों में)

पुनरीक्षित ढाँचे के अनुसार आवश्यक न्यूनतम पूँजी	6530.40
ऋण और बाजार जोखिम के लिए बासेल-I ढाँचे के अनुसार	
आवश्यक न्यूनतम पूँजी (बासेल 1 का 90%)	6691.14
विवेकसम्मत न्यूनतम सीमा-उपरोक्त में से अधिकतम	6691.14

iii) The Bank assesses the capital requirement keeping in view the anticipated growth in weighted assets of credit risk, market risk and operational risk. As regards the adequacy of capital to support the future activities, the Bank has drawn an assessment of capital requirement through periodically review of the business plan with the trends in the economy, as a part of the ICAAP document (in line with RBI guidelines on requirements under Pillar 2 of Basel II framework), duly approved by the Board. The surplus CRAR shall act as a cushion to support the future activities. Moreover, the headroom available for the Bank for mobilizing Tier I and Tier II capital shall additionally support capital structure to meet the required CRAR against future activities.

The Board is periodically apprised of the capital driven business plan and capital requirement, based on business strategies and future plans.

For the purpose of computation of capital under Basel II framework, bank collects account wise details of all its corporate asset class and data on other asset classes which are subjected to the audit process.

Quantitative Disclosures

(b) Capital Requirements for Credit Risk

(Rs. in Crores)

Portfolios subjected to standardized approach	5800.32
Securitization Exposures	NIL

(c) Capital Requirements for Market Risk Standardised Duration Approach

(Rs. in Crores)

Interest rate risk	287.33
Equity position risk	49.26
Foreign exchange risk	10.26

(d) Capital Requirement for Operational Risk Basic Indicator Approach

(Rs. in Crores)

Capital Requirement as per Basic Indicator Approach	383.23

(e) Total Capital Ratio for the Bank

Total Capital to Risk Weighted Assets Ratio as per New Capital Adequacy Framework	12.70
Tier I Capital to Risk Weighted Assets Ratio as per Basel -II	8.24
Total Capital to Risk Weighted Assets Ratio - as per Basel I norms	11.20
Tier I Capital to Risk Weighted Assets Ratio as per Basel -I	7.26

Prudential floor on capital required Rs. in Crores)

Minimum capital required as per the revised framework	6530.40
Minimum capital required as per Basel I framework for credit and market risk. (90% of Basel I)	6691.14
Prudential floor- Higher of the above	6691.14

ऋण जोखिम – सामान्य प्रकटीकरण

क) गुणात्मक प्रकटीकरण:

बैंक द्वारा आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण मानदंडों के लिए खातों के वर्गीकरण तथा लेखाकरण के मामले में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्राप्त परिभाषा का अनुसरण किया जाता है:

इस परिभाषा के अनुसार निम्नलिखित ऋण/अग्रिम अनर्जक आस्ति माना जाता है:

1. मीयादी ऋणों के मामले में जहाँ ब्याज और/या मूल राशि की किस्त 90 दिनों से अधिक अवधि से अतिदेय हो ।
2. ओवरड्राफ्ट/नकद ऋण के मामले में जहाँ खाता 90 दिन से अधिक अवधि से अनियमित हो ।
3. खरीदे गए तथा भुनाए गए बिलों के मामले में जहाँ बिल 90 दिन से अधिक अवधि से अतिदेय हो ।
4. अल्पावधि के लिए फसलों हेतु प्रदान किए गए ऋणों को तब अनर्जक आस्ति माना जाएगा, जब मूल राशि या उस पर देय ब्याज की किस्त दो फसली मौसमों से अतिदेय हो ।
5. लंबी अवधि के फसलों हेतु प्रदान किए गए ऋणों को तब अनर्जक आस्ति माना जाएगा, जब मूल राशि या उस पर देय ब्याज की किस्त एक फसली मौसम से अतिदेय हो ।
6. अन्य खातों के मामलों में, कोई भी प्राप्य राशि, जो 90 दिनों की अवधि से ज्यादा दिनों से अतिदेय हो ।

बैंक की ऋण जोखिम प्रबंधन नीति पर विचार विमर्श:

बैंक को कई अनिश्चितताएं और जोखिमों का सामना करना पड़ता है, जिनमें से कुछ तो बैंकिंग कारोबार में स्वाभाविक रूप से जुड़ी हुई हैं और कुछ अप्रत्याशित आर्थिक एवं परिस्थितिजन्य कारणों से पैदा होती हैं । इस प्रकार की जोखिमों तथा अनिश्चितताओं के प्रतिकूल प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए किसी बैंक द्वारा अपनाई जाने वाली समग्र प्रक्रिया को ही जोखिम का प्रबंधन कहते हैं। जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया के ज़रिए बैंक के पास जोखिमों के मूल्यांकन, अनुप्रवर्तन तथा नियंत्रण के वैज्ञानिक साधन एवं पद्धतियाँ उपलब्ध होती हैं । ऋण जोखिम के प्रबंधन के लिए बैंक के पास एक प्रभावी नियंत्रण प्रणाली उपलब्ध है । निदेशक मंडल की उप समिति के रूप में जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया गया है जिसके अध्यक्ष प्रबंध निदेशक हैं । यह समिति ऋण जोखिम सहित विभिन्न प्रकार की जोखिमों के मामले में संयोजित जोखिम प्रबंधन की नीति और रणनीतियाँ बनाती है। एक और ऋण जोखिम प्रबंधन समिति है, यह शीर्ष स्तर की कार्यपालक समिति है, जो ऋण जोखिम नीति और रणनीतियों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है ।

बैंक ने एक सुपरिभाषित ऋण जोखिम नीति अपनाई है, जो ऋण जोखिम की प्रवृत्तियों एवं ऋण जोखिम की निगरानी तथा प्रबंधन प्रक्रियाओं के अनुरूप स्वयं को ढाल सकती है । उक्त नीति को उद्योग, विनियामक, आर्थिक और बाजार की गतिविधियों के अनुरूप समय-समय पर अद्यतन बनाया जाता है । उक्त नीति ऋण मंजूर करने के लिए विवेक सम्मत सीमाएँ निर्धारित करती है ।

ऋण जोखिम की परिभाषा करते हुए कहा जाता है कि यह उधारकर्ताओं द्वारा अपने संविदागत दायित्वों को निभाने में असफलता या उधारकर्ताओं की ऋण गुणवत्ता में गिरावट की वजह से संभाव्य नुकसान है।

बैंक ने क्रिसिल के सहयोग से पी.डी. और एल.जी.डी. सृजित करने की क्षमतायुक्त जोखिम श्रेणी निर्धारण मॉडेल तैयार किया है । बैंक में ऋण के प्रकार और राशि के अनुरूप सॉफ्टवेयर युक्त श्रेणी निर्धारण मॉडेल है । बैंक ने ऋण सीमाओं की मंजूरी के लिए विभिन्न स्तरों पर अपने कार्यकर्ताओं को स्पष्ट अधिकार दिया है । निर्दिष्ट सीमा से अधिक रक़म के मीयादी ऋण प्रस्तावों की मंजूरी क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर गठित ऋण-समितियों द्वारा की जाएगी । बड़ी रक़म के ऋण प्रस्तावों को नैगम कार्यालय के ऋण अनुमोदन समिति को सहमति हेतु भेजा जाएगा । परियोजना मूल्यांकन कक्ष उच्च मूल्य के परियोजनाओं का मूल्यांकन करेगा । ऋण मंजूरी कार्य को ऋण जोखिम प्रबंधन कार्य से अलग कर दिया गया है ।

CREDIT RISK – GENERAL DISCLOSURES

a) Qualitative Disclosures:

Bank follows RBI definition of default for classifying and accounting for income recognition, asset classification and provisioning norms:

Non-Performing asset is defined as a loan/advance where

1. Interest and/or Installment of principal remain overdue for a period of more than 90 days in respect of term loan.
2. The account remains out of order for 90 days in respect of an overdraft/cash credit
3. Bill remains overdue for a period of more then 90 days in the case of bills purchased and discounted
4. A loan granted for short duration crops is treated as NPA, if the installment of principal or interest thereon remains overdue for two crop seasons.
5. A loan granted for long duration crops is treated as NPA, if the installment of principal or interest thereon remains overdue for one crop season.
6. Any amount to be received remains overdue for a period of more than 90 days in respect of other accounts.

Discussion of the bank's credit risk management policy:

The Bank is exposed to uncertainties and risk due to various economic or environmental factors, some of them inherent to the banking business and others which are unforeseen and unexpected. Risk management is the comprehensive process adopted by a bank to minimize adverse effects of such risks and uncertainties. Through the process of risk management the bank equips itself with tools and systems capable of assessing, monitoring and controlling risk exposures in a scientific manner. Bank has an effective governance structure for managing credit risk. Risk Management Committee, a sub-committee of the Board headed by the Chairman and Managing Director devises the policy and strategies for Integrated Risk Management containing various risk exposures of the bank including credit risk. There is also a Credit Risk Management Committee, an apex level executive committee responsible for implementation of the credit risk policy and strategies.

Bank has a well laid down credit risk policy, which clearly articulates credit risk appetite and the processes for monitoring and managing the credit risk. The policy is periodically updated in tune with industry, regulatory, economic and market developments. The policy prescribes prudential limits for taking up credit exposures.

Credit risk is defined as the possibility of losses arising out of failure of borrowers to fulfill their contractual commitments or the diminution in the credit quality of borrowers.

Bank in association with CRISIL has developed a risk rating assessment model with the capability to generate PD and LGD. There are software driven rating models depending on the type and quantum of exposures. Bank has put in place clearly delegated powers to functionaries at different levels to sanction credit limits. Term loan proposals beyond specified limits are cleared by Credit Committees constituted at Regional Office level. Large loan proposals are referred to Credit Committee at Corporate Office for clearance before sanction. Project Appraisal Cell evaluates high value projects. Credit sanction is de-linked from credit risk management function.

बैंक में एक ऋण समीक्षा की प्रणाली है जिसका अनुप्रवर्तन नैगम कार्यालय के जोखिम प्रबंधन और अनुप्रवर्तन विभाग और क्षेत्रीय कार्यालियों के जोखिम प्रबंधन कक्ष द्वारा किया जाता है । निचले स्तर के अधिकारियों द्वारा आबंटित श्रेणी निर्धारणों की समीक्षा प्राधिकारी द्वारा पुष्टि की जाती है । विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत संवेदनशील क्षेत्र के खातों की समीक्षा मासिक/त्रैमासिक अंतरालों से की जाती है । रु.5.00 करोड और उस से अधिक रकम की सीमा के लिए तथा ऋण के प्रथम निर्मोचन के तारीख से 45 दिनों के भीतर विशेष पोर्टफोलियो लेखा परीक्षा प्रणाली शुरू की गयी है और रु.1.00 करोड और उस से अधिक रकम की सीमाओं के मामले में आर.बी.आइ.ए. के साथ पोर्टफोलियो लेखा परीक्षा आयोजित की जाती है। उपर्युक्त उच्चतम सीमा से अधिक रकम के उन खातों को जो स्टॉक और बही ऋण द्वारा प्रतिभूत हैं उनकी वार्षिक स्टॉक लेखा परीक्षा की जाएगी। बैंक में ऋण आस्तियों की स्थिति के निगरानी करने हेतु सम्यक् तत्परता का पालन करने, आवधिक स्टॉक तथा यूनिट के निरीक्षण करने की एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया है।

ऋण संविभाग में व्यक्ति/समूह संकेन्द्रीकरण का प्रबंधन मंडल द्वारा आंतरिक सीमाएं निर्धारित करके किया जाता है । उद्योगवार और क्षेत्रवार ऋण सीमाएं निर्धारित करने के द्वारा क्षेत्र/उद्योग में संकेन्द्रण जोखिम को कम किया जाता है । बैंक ने अग्रिमों के साख श्रेणीवार वितरण के लिए सीमाएं निर्धारित की हैं और एक सुविस्तृत ऋण संविभाग सुनिश्चित करने के लिए अग्रिमों के भौगोलिक वितरण पर भी निगरानी रखता है ।

परिमाणात्मक प्रकटीकरण:

ख) कुल सकल ऋण प्रकटीकरण (रुपये करोड़ों में)

निधि आधारित ऋण प्रकटीकरण	91,442
गैर-निधि आधारित ऋण प्रकटीकरण	9,311

ग) ऋण प्रकटीकरण का भौगोलिक वितरण (रुपये करोड़ों में)

समुद्रपारीय	
निधि आधारित ऋण प्रकटीकरण	8,843
गैर-निधि आधारित ऋण प्रकटीकरण	58
घरेलू	
निधि आधारित ऋण प्रकटीकरण	82,599
गैर-निधि आधारित ऋण प्रकटीकरण	9,253

घ) उद्योग वार प्रकटीकरण (निधि आधारित तथा गैर-निधि आधारित दोनों)

(रुपये करोड़ों में)

क्रम सं.	उद्योग	ऋण		निधि	कुल प्रकटी-करण
		निवेश आधारित	गैर निधि आधारित		
1.	संरचना	10162.78	1229.91	42.86	11435.55
2.	पेट्रोलियम	796.24	130.74	30.01	956.99
3.	सभी अभियांत्रिकी	774.69	2413.73	3.53	3191.95
4.	लोहा और इस्पात	2786.57	463.45	7.83	3257.85
5.	रासायनिक रंग एवं पेंट	925.24	423.00	25.04	1373.28
6.	निर्माण	401.46	1058.98	68.81	1529.25
7.	वस्त्र	1365.88	60.57	12.33	1438.78
8.	रत्न और आभूषण	560.74	153.15	-	713.89
9.	सिमेंट और सिमेंट उत्पाद	872.25	0.44	11.02	883.71

औद्योगिक क्षेत्र को प्रदत्त ऋणों में से बैंक द्वारा संरचना हेतु प्रदत्त ऋणों (निधि - आधारित तथा गैर-निधि आधारित दोनों) का प्रतिशत बैंक द्वारा प्रदत्त सकल निधि आधारित तथा गैर-निधि आधारित ऋणों की तुलना में 11.87% है ।

Bank has a system of Loan Review mechanism which is performed by Risk Management Department at Corporate Office and by Risk Management cell at Regional Offices. Ratings allocated by lower officials are confirmed by the reviewing authority. Review of sensitive sector accounts under various categories is made on a monthly/quarterly basis. System of Special Portfolio Audit is introduced for limit of Rs. 5 Crore and above within 45 days of first release of loan and in case of limits of Rs.1 crore and above, the Portfolio Audit to be conducted along with RBIA. Annual stock audit of accounts above thresh hold limit secured by stocks and book debts is stipulated. Bank has well laid down process for conducting Due Diligence, periodic stock and unit inspection, in order to monitor the health of loan assets.

Individual/group concentrations in credit portfolios are managed by fixing internal limits by the Board. Concentration risk in sector/industries is addressed through stipulation of industry-wise and sector-wise exposure limits. Bank has prescribed caps for credit rating wise distribution of advances and also monitors geographical distribution of advances to ensure a well diversified portfolio.

Quantitative Disclosures:

(b) Total Gross Credit Exposures (Rs. in Crores)

Fund based credit exposures	91,442
Non-fund based credit exposures	9,311

(c) Geographic distribution of Credit Exposures

(Rs. in Crores)

Overseas	
Fund based credit exposures	8,843
Non-fund based credit exposures	58
Domestic	
Fund based credit exposures	82,599
Non-fund based credit exposures	9,253

(d) Industry-wise distribution of exposures (Both fund based and non-fund based)

(Rs. in Crores)

Sl. No.	Industry	Credit		Investment	Total Exposure
		Fund Based	Non-Fund Based		
1.	Infrastructure	10162.78	1229.91	42.86	11435.55
2.	Petroleum	796.24	130.74	30.01	956.99
3.	All Engineering	774.69	2413.73	3.53	3191.95
4.	Iron and Steel	2786.57	463.45	7.83	3257.85
5.	Chemicals Dyes & Paints	925.24	423.00	25.04	1373.28
6.	Construction	401.46	1058.98	68.81	1529.25
7.	Textiles	1365.88	60.57	12.33	1438.78
8.	Gems and Jewellery	560.74	153.15	-	713.89
9.	Cement & Cement Products	872.25	0.44	11.02	883.71

Among industrial exposures, bank's exposure to infrastructure (fund based and non- fund based) is 11.87% of gross fund based and non-fund based credit exposure of the bank.

ङ) आस्तियों के अवशिष्ट संविदागत परिपक्वतावार विश्लेषण (e) Residual contractual maturity-wise breakdown of assets

(रुपये करोड़ में Rs. in Crore)

अवशिष्ट परिपक्वता Residual Maturity	1 दिन 1 day	2-7 दिन 2 to 7 days	8-14 दिन 8 to 14 days	15-28 दिन 15 to 28 days	29 दिनों से 3 महीने तक 29 days to 3 mths	3 महीने से अधिक और 6 महीने तक Over 3 mths to 6 mths	6 महीने से अधिक और 1 वर्ष तक Over 6 mths to 1 year	1 वर्ष से 3 वर्ष तक Over 1 year to 3 years	3 वर्ष से 5 वर्ष तक Over 3 years to 5 years	5 वर्ष से अधिक Over 5 years	कुल Total
i) ऋण और अग्रिम Loans & Advances	2943.50	2645.17	1607.99	1901.18	9175.02	5124.42	10377.23	32855.14	11338.45	12438.26	90406.36
ii) निवेश एवं प्रतिभूतियाँ Investments & Securities	876.22	33.78	0.00	1991.81	4626.31	3081.56	3695.89	7813.03	2175.02	8717.30	33010.93
iii) जमाराशियाँ Deposits	493.84	4804.79	3098.63	3301.98	16093.18	11968.98	8293.93	28734.06	7093.85	33142.55	117025.79
iv) उधार राशियाँ Borrowings	0.23	0.00	0.00	0.00	3759.93	348.58	1738.86	2170.71	504.95	31.73	8554.98
v) विदेशी मुद्रा अस्तियाँ Foreign Currency Assets	795.13	1436.97	517.95	1112.66	2756.99	1155.64	483.35	974.72	708.30	296.01	10237.74
vi) विदेशी मुद्रा देयताएँ Foreign Currency Liabilities	567.37	951.68	670.47	649.87	3266.58	1496.61	1329.27	603.33	2.41	0.00	9537.58

च) अनर्जक आस्तियों की राशि

(रुपये करोड़ों में)

अवमानक	955.40
संदिग्ध 1	568.37
संदिग्ध 2	456.25
संदिग्ध 3	10.22
हानि आस्तियाँ	16.58

ज) निवल अनर्जक आस्तियाँ

(रुपये करोड़ों में)

निवल अनर्जक आस्तियाँ	963.20

झ) अनर्जक आस्ति अनुपात

(रुपये करोड़ों में)

सकल अग्रिमों की तुलना में सकल अनर्जक आस्तियाँ	2.19%
निवल अग्रिमों की तुलना में निवल अनर्जक आस्तियाँ	1.07%

ञ) अनर्जक आस्तियों (सकल) में बदलाव

(रुपये करोड़ों में)

अथशेष	1594.54
परिवर्धन	1491.52
कटौती	1079.24
इति शेष	2006.82

ट) अनर्जक आस्तियों के लिए रखे गए प्रावधानों में बदलाव

(रुपये करोड़ों में)

अथ शेष	926.04
वर्ष के दौरान बनाए गए प्रावधान	530.56
बट्टे खाते डालना/ अधिक प्रावधान का प्रतिलेखन	459.44
इति शेष	997.16

ठ) अनर्जक निवेशों की रकम

(रुपये करोड़ों में)

अनर्जक निवेशों की रकम	15.10

(f) Amount of NPAs

(Rs. in Crores)

Substandard	955.40
Doubtful 1	568.37
Doubtful 2	456.25
Doubtful 3	10.22
Loss Assets	16.58

(g) Net NPAs

(Rs. in Crores)

Net NPA as on 31-03-2010	963.20

(h) NPA Ratios

(Rs. in Crores)

Gross NPAs to Gross Advances	2.19%
Net NPAs to Net Advances	1.07%

(i) Movement of NPAs (Gross)

(Rs. in Crores)

Opening Balance	1594.54
Additions	1491.52
Reduction	1079.24
Closing Balance	2006.82

(j) Movement of Provisions for NPAs

(Rs. in Crores)

Opening Balance	926.04
Provisions made during the year	530.56
Write-off/ Write-back of excess provisions	459.44
Closing Balance	997.16

(k) Amount of non-performing investments

(Rs. in Crores)

Amount of non-performing investments	15.10

ड) अनर्जक निवेशों के लिए रखे गए प्रावधान की राशि (रुपये करोड़ों में)

अनर्जक निवेशों के लिए रखे गए प्रावधान	11.41

ढ) निवेशों में होने वाले मूल्यह्रास हेतु रखे गए प्रावधानों में बदलाव

(रुपये करोड़ों में)

अथ शेष	146.60
वर्ष के दौरान बनाए गए प्रावधान	15.51
बट्टा खाते डालना/ अधिक प्रावधान का प्रतिलेखन	79.34
इति शेष	82.77

मानकीकृत दृष्टिकोण के अध्यधीन लाए गए निवेश संविभाग पर प्रकटीकरण

बैंक ने, मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यथा निर्दिष्ट जोखिम भार लागू करते हुए अपने निवेश संविभाग पर ऋण जोखिम पूंजी का परिकलन किया है । भारतीय रिज़र्व बैंक ने, नैगम निवेश संविभाग के लिए अधिमान्य जोखिम भार लागू करने हेतु बाह्य श्रेणी निर्धारण की पहचान की है । बाहरी श्रेणी निर्धारण को लागू करने के उद्देश्य से, भा.रि.बैं. ने निम्नलिखित बाह्य साख श्रेणी निर्धारण एजेंसी की पहचान की है:

1. क्रिसिल
2. इक्रा
3. केयर
4. फिच (इंडिया)

सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध बाहरी श्रेणी निर्धारणों का उपयोग, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित परिकलन प्रक्रिया के माध्यम से अधिमान्य जोखिम भार लागू करने हेतु किया जाएगा ।

* दीर्घावधि और अल्पावधि बैंक ऋण के श्रेणी निर्धारण का उपयोग क्रमश: बैंक के दीर्घावधि और अल्पावधि ऋणों के लिए किया जाता है।
* जहाँ जारीकर्ता का श्रेणी निर्धारण तय किया गया है, वहाँ उसी श्रेणी निर्धारण को बैंक के निवेश के लिए उपयोग किया जाएगा ।
* बाहरी सार्वजनिक श्रेणी निर्धारण का उपयोग तभी किया जाएगा जब हमारे निवेश अधिक होते हैं या बाहरी श्रेणी निर्धारण के कारण हाते हैं ।
* अल्पावधि श्रेणी निर्धारण निर्गम विशिष्ट होते हैं और उनका उपयोग दीर्घावधि निवेशों के परिकलन के लिए नहीं किया जाता है । फिर भी, जहाँ-कहीं गैर श्रेणी निर्धारित अल्पावधि निवेशों पर अल्पावधि श्रेणी निर्धारण लागू किया जाता है, वहाँ संगत अल्पावधि निवेशों पर ऐसा जोखिम भार लागू किया जाएगा जो काऊँटरपार्टी के श्रेणी निर्धारित अल्पावधि निवेशों के लिए लागू होनेवाले जोखिम भार से कम से कम एक स्तर ऊँचा होगा ।
* बाहरी एजेंसियों द्वारा निर्धारित बंध पत्र/डिबेंचर की अवधि को श्रेणी निर्धारण एजेंसियों द्वारा प्रतिसंदाय हेतु गणना में ली गयी कुल अवधि के अनुसार बैंक के निवेश के अवशिष्ट परिपक्वता के परिकलन के लिए गणना में लिया जाएगा ।

(l) Amount of provisions held for non-performing investments (Rs. in Crores)

Provisions held for non-performing investments	11.41

(m) Movement of provisions for depreciation of investments (Rs. in Crores)

Opening Balance	146.60
Provisions made during the year	15.51
Write-off/ Write-back of excess provisions	79.34
Closing Balance	82.77

Disclosures on portfolios subjected to standardized approach

Bank has computed credit risk capital on all its portfolios by applying risk weights as prescribed by Reserve Bank of India for Standardised Approach. Reserve Bank of India has recognized external ratings for application of preferential risk weight for corporate exposures. For the purpose of application of external credit ratings, rating by recognized external credit rating agencies as follows are made use of:

1. CRISIL
2. ICRA
3. CARE
4. FITCH (INDIA)

The external ratings available in the public domain were utilized for application of preferential risk weights through the mapping process defined by Reserve Bank of India:

- Long Term and Short Term Bank Loan ratings are used for Bank's Long and Short term exposures respectively.
- Where issuer rating is assigned, same is used for Bank's exposure
- External public ratings are used only when our exposures are senior or pari-passu to the external ratings.
- Short term ratings are issue specific and are not used for mapping long term exposures. However, wherever short term ratings are applied to unrated short term exposures, the relevant short term exposure attracts a risk weight of atleast one level higher than the risk weight applicable to the rated short term of the counterparty.
- The tenor of the bond/debenture rated by external rating agencies is taken for mapping residual maturity with Bank's exposure as per the total period considered by the rating agencies for repayment.

परिमाणात्मक प्रकटीकरण

मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन जोखिम को कम करने के बाद की निवेश की रकम:

(करोड़ रुपयों में)

जोखिम भार वर्ग	ऋण जोखिम को कम करने के बाद ऋण	ऋण जोखिम को कम करने के बाद बाहरी श्रेणी निर्धारित ऋण	गैर श्रेणी निर्धारित
अग्रिम			
100% से कम जोखिम भार	53407.18	22,364.93	31042.25
100% जोखिम भार	22597.22	8,943.22	13,654.00
100% से अधिक जोखिम भार	7980.73	2,479.98	5500.75
कटौती	–	–	–
निवेश			
100% से कम जोखिम भार	25399.69	–	25399.69
100% जोखिम भार	56.05	–	56.05
100% से अधिक जोखिम भार	52.85	–	52.85
कटौती	–	–	–

ऋण जोखिम को कम करना

उधारकताओं की ऋण जोखिम को कम करने के लिए बैंक की ऋण जोखिम नीति में निम्नलिखित संपार्श्विक प्रतिभूतियाँ शामिल की गयी हैं ।

1. नकदी, जमाराशि सहित,
2. सोना
3. केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा जारी की गयी प्रतिभूति, किसान विकास पत्र, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र
4. किसी ऐसी बीमा कंपनी की जीवन बीमा पालिसियाँ (घोषित अभ्यर्पण मूल्य सहित) जो आइ.आर.डी.ए. द्वारा नियंत्रित हो ।
5. नैगम ऋण प्रतिभूतियाँ
6. सूचीबद्ध कंपनियों की ईक्विटी
7. म्यूच्युअल फंड की यूनिटें
8. भूमि और भवन
9. कच्चा माल/बिक्री माल/उत्पाद और अन्य वस्तुएँ
10. बही ऋण और प्राप्य राशियां
11. चल संपत्तियाँ जैसे, मशीनें, वाहन इत्यादि
12. माल पर हक दस्तावेज

बासेल-II समझौते के अंतर्गत ऋण जोखिम हेतु मानकीकृत दृष्टिकोण, संपार्श्विक प्रतिभूतियों, जैसे भू-संपत्ति, स्टॉक, मशीन इत्यादि को मान्यता नहीं दी जाती है । नये ढांचे में केवल नकदी प्रतिभूति को मान्यता दी जाएगी जिन्हें ''पात्र वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूति'' कहा जाता है । बैंक ने बासेल-II के अंतर्गत ऋण जोखिम को कम करने के उद्देश्य से केवल निम्नलिखित पात्र वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूतियों की पहचान की है ।

1. बैंक की अपनी जमाराशियाँ सहित नकद
2. सोना
3. के.वी.पी. और एन.एस.सी. (अवरुद्धता अवधि के बिना)
4. जीवन बीमा पालिसी

Quantitative Disclosures

Exposure amounts after risk mitigation subject to standardized approach:

(Rs. in Crores)

Risk weight category	Exposure after Credit Risk Mitigation	Externally Rated Exposure after Credit Risk Mitigation	Unrated
Advances			
Below 100% Risk Weight	53407.18	22,364.93	31042.25
100% Risk Weight	22597.22	8,943.22	13,654.00
More than 100% Risk Weight	7980.73	2,479.98	5500.75
Deducted	–	–	–
Investments			
Below 100% Risk Weight	25399.69	–	25399.69
100% Risk Weight	56.05	–	56.05
More than 100% Risk Weight	52.85	–	52.85
Deducted	–	–	–

Credit Risk Mitigation

Bank's credit risk policy recognizes the following collaterals for mitigation of credit risk in borrowers:

1. Cash, including deposits
2. Gold
3. Securities issued by Central and State Governments, KVPs, NSCs
4. Life Insurance Policies with a declared surrender value of an insurance company which is regulated by IRDA.
5. Corporate Debt Securities
6. Equities of listed Corporates
7. Units of mutual funds
8. Land and Building
9. Raw materials/stock in trade/produce and other goods
10. Book debts and receivables
11. Movable assets such as machineries, automobiles etc.
12. Documents of title to goods

Standardised Approach for Credit Risk under Basel-II Accord does not recognize collaterals like landed property, Stock, machinery etc. The New Framework recognizes only cash collaterals, which are termed as "Eligible Financial Collaterals". The following eligible financial collaterals are recognized by the bank for credit risk mitigation purposes for Basel II:

1. Cash including bank's own deposits
2. Gold
3. KVPs & NSCs (without Lock in Period)
4. Life Insurance Policy

जोखिम भारित आस्तियों का परिकलन करने से पहले और बाजार के उतार-चढ़ाव की वजह से संपार्श्विक प्रतिभूतियों के मूल्य में होने वाले उतार-चढ़ाव के प्रति समायोजन करने के बाद संपार्श्विक प्रतिभूति के मूल्य को निवेश के मूल्य के प्रति समायोजित करने के लिए अनुमति दी जाएगी। जमाराशियों द्वारा रक्षित निवेशों से भिन्न अन्य निवेशों के मामले में जहाँ परिपक्वता बेमेल है वहाँ जोखिम परिवर्तन पर विचार नहीं किया गया है ।

आभूषण ऋणों के मामले में बैंक मूल्यों की अस्थिरता को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त मार्जिन रखता है । अत: प्रतिभूति का समायोजन करने के बाद भी, सोने के मूल्य पूरी ऋण राशि का समंजन करता है । के.वी.पी. और एन.एस.सी. के मामले में जोखिम को कम करने हेतु केवल उन संपार्श्विक प्रतिभूतियों की पहचान की जाएगी जिनकी तीन वर्ष की लॉक-इन अवधि पूरी हो चुकी हो ।

विनियामक मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार बैंक ने ऋण संरक्षण के पहचान हेतु केवल निम्नलिखित पात्र गारंटीकर्ताओं की पहचान की है:

* केन्द्र सरकार
* राज्य सरकार
* सी.जी.टी.एस.आइ. और
* ई.सी.जी.सी.

गारंटीकृत अंश का परिकलन, गारंटर को भा.रि.बैं. द्वारा प्रदान किए गए जोखिम भार के आधार पर किया जाएगा ।

बैंक ने, पात्र संपार्श्विक प्रतिभूतियों के रूप में अपनी ही जमाराशियों तथा एन.एस.सी./के.वी.पी. को लिया है । इसलिए संपार्श्विक प्रतिभूतियों के भीतर कोई बाजार या ऋण संकेद्रीकरण नहीं है।

मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रतिभूतिकरण का प्रकटीकरण

लागू नहीं, क्योंकि बैंक प्रतिभूतिकरण कार्यकलाप नहीं कर रहा है ।

व्यापार बही में बाज़ार जाखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण:

बैंक के पास, उसके निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित निवेश नीति है, जो विभिन्न मार्गदर्शी सिद्धांतों, वित्तीय मानदण्डों, परिपक्वता सीमाओं, विभिन्न बाजार खण्डों में निवेश एवं परिचालन के लिए प्रवेश-स्तरीय श्रेणी निर्धारण के अनुरूप है । उक्त नीति में बाजार जोखिम प्रबंधन के रूप में निवेश संविभाग के लिए विभिन्न सीमाएँ, जैसे जारीकर्तावार सीमाएं, अवधिवार सीमाएं, एकल पार्टी निवेश सीमाएं, उद्योगवार निवेश सीमाएं, संशोधित अवधि आधारित सीमाएं इत्यादि शामिल हैं । व्यापार संविभाग (एच.एफ.टी.) के लिए रखे गए निवेशों के लिए जोखिम आधारित सीमा का मूल्य (वी.ए.आर.) भी निर्दिष्ट किया गया है। बाजार जोखिम के लिए पूंजी प्रभार का परिकलन, भा.रि.बैं. के बासेल-II मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार संशोधित अवधि पद्धति के अंतर्गत मानकीकृत दृष्टिकोण पर मासिक अंतरालों में किया जाता है ।

परिमाणात्मक प्रकटीकरण: (करोड़ रुपयों में)

ब्याज दर जोखिम	287,33
ईक्विटी स्थिति जोखिम	49.26
विदेशी विनिमय जोखिम	10.26

परिचालन जोखिम:

बैंक के पास एक सुविस्तृत अनुदेश पुस्तिका है जिसमें उसके कारोबार के संपूर्ण विवरण दिए गए हैं । बैंक के आंतरिक और बाहरी गतिविधियों से संबंधित जानकारी/सूचनाओं को परिपत्रों के माध्यम से समय-समय पर इन अनुदेश पुस्तिकाओं में शामिल किया जाता है । बैंक के सभी प्रमुख उत्पादों एवं सेवाओं के संबंध में शाखाओं को विस्तृत जांच सूचियाँ उपलब्ध कराई गयी है । बैंक ने परिचालन जोखिम को नियंत्रित करने/रोकने के लिए विभिन्न नीतियाँ अपनाई है । बैंक ने धोखाधड़ी को रोकने के लिए धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन नीति अपनाई है तथा के.वाइ.सी. और ए.एम.एल. नियमों के उल्लंघन को रोकने के लिए के.वाई.सी. और ए.एम.एल. नीति अपनाई है । बैंक ने संवेदनशील लेन-देन पर नियमित आधार पर

The value of the collateral is permitted to be offset against the value of the exposures before computing the Risk-Weighted Assets, after adjusting for possible future fluctuations in the value of collateral caused by market movements. In respect of exposures other than those covered by deposits, wherever there is maturity mismatch, risk mitigation has not been considered.

In case of jewel loans bank is taking sufficient margin to take care of volatility in value. Hence, even after adjusting for haircut, value of gold will completely off-set the exposures. In case of KVPs & NSCs, only those which have completed three years (lock in period) have been recognized for mitigation.

In line with regulatory guidelines, Bank has recognized only the following eligible guarantors for recognition of credit protection:

- Central Govt,
- State Govt,
- CGTSI and
- ECGC.

The guaranteed portion is assigned the risk weight of the guarantor provided by RBI.

As the bank has taken its own deposits and NSCs/KVPs as eligible collaterals, there are no market or credit concentrations within collaterals.

Securitization Disclosure for standardized approach

Not Applicable since bank does not undertake securitization activity

Market Risk in Trading Book

Qualitative Disclosures

The Bank has a board approved investment policy which articulates various guidelines, financial benchmarks, maturity limits, entry level ratings for investment and operations in various market segments. The policy consists, inter alia, various limits like issuer wise limits, duration limits, single party exposure limits, industry wise exposure limits, modified duration based limits etc.for the portfolio as part of market risk management. A value at risk (VaR) based limit is also stipulated for Held for Trading Portfolio (HFT). The capital charge for market risk is calculated at monthly intervals based on standardized approach under modified Duration Method as per Basel II guidelines of RBI.

Quantitative Disclosures

(Rs. in Crores)

Interest rate risk	287.33
Equity position risk	49.26
Foreign exchange risk	10.26

Operational Risk

Bank has well laid down manual of instructions covering the entire gamut of its business. These manuals are periodically supplemented with circulars to update the information with developments internal and external to the bank. Detailed checklists are provided to branches on all major products and services. Bank has put in place a series of policies in order contain operational risk exposures. Bank has put in place a fraud risk management policy to prevent frauds, KYC and AML policy to arrest KYC and AML violations. Bank had created off-site monitoring cells at head office

निगरानी रखने के लिए प्रधान कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में परोक्ष निगरानी कक्ष स्थापित किए हैं, जो प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के रूप में कार्य करते हैं ।

बैंक ने कारोबार निरंतरता संबंधी मामलों के समाधान के लिए एक सुपरिभाषित कारोबार निरंतरता योजना को कार्यान्वित किया है । सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित कारोबार निरंतरता के समाधान हेतु एक नियर साइट और एक फार साइट के रूप में विस्तृत 'डिसॉस्टर रिकवरी प्लान' अपनाया गया है । सूचना प्रणाली सुरक्षा के कार्यों को सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर उसकी छेद्यता और भेद्यता का परीक्षण किया जाता है ।

बैंक ने परिचालन जोखिम के अंतर्गत पूंजी का निर्धारण करने हेतु बुनियादी सूचक दृष्टिकोण अपनाया है । नये पूँजी पर्याप्तता मानदण्डों के अनुसार, बैंक के परिचालन जोखिम पूंजी प्रभार को भा.रि.बैं. की परिभाषा के अनुसार पिछले तीन वर्षों की तुलना में धनात्मक वार्षिक औसत सकल आय का 15% पर निर्धारित किया गया है ।

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण

क) बैंक, जोखिम पर अर्जन (ई.ए.आर.) माड्यूल के जरिए समय-समय पर आइ.आर.आर.बी.बी. की निगरानी करता है । इसके अलावा बैंक ने ई.ए.आर. हेतु एक वर्ष के लिए सहायता सीमा की रूप में रु. 125 करोड़ की सीमा निर्धारित की है । ई.ए.आर. का परिकलन करते समय यह माना गया है कि हर छह महीने में बैंक की पी.एल.आर. में परिवर्तन होगा ।

परिमाणात्मक प्रकटीकरण

ख) मुद्रा के उतार-चढ़ाव (जहाँ पण्यावर्त कुल पण्यावर्त के 5% से अधिक है) के कारण आइ.आर.आर.बी.बी. के आंकने के लिए प्रबंधन की पद्धति के अनुसार ऊर्ध्वमुखी और अधोमुखी दर शॉक के लिए अर्जन और आर्थिक मूल्य (या प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त संगत उपाय) में वृद्धि (गिरावट) हेतु परिमाणात्मक प्रकटीकरण को अपनाया गया है ।

संपूर्ण तुलन-पत्र के लिए परिकलित ई.ए.आर. के अनुसार एक वर्ष का ई.ए.आर. रु.49.11 करोड़ है । जिसकी ब्याज दर में 1% का परिवर्तन हो सकता है । यह बैंक द्वारा निर्धारित रु.125 करोड़ की छूट सीमा के भीतर है ।

and regional offices to monitor sensitive transactions on a regular basis to serve as an early warning system.

Bank had implemented well defined business continuity plan in order to address business continuity issues. A detailed disaster recovery plan has been put in place, one near site and one far site is maintained to address IT related business continuity. Information security is managed through information security policy. Periodical vulnerability and penetration testing are conducted to ensure integrity of the information system security.

Bank has adopted Basic Indicator approach to assess the capital under operational risk. In terms of new capital adequacy norms, Banks' operational risk capital charge has been assessed at 15% of positive annual average Gross Income over the previous three years as defined by RBI.

Interest rate risk in banking book

Qualitative disclosures

a) Bank is monitoring the IRRBB through Earning at Risk (EaR) Module periodically. Bank has also fixed a limit of Rs. 125 Crores as the tolerance limit for EaR for one year. While calculating the EaR it is assumed that PLR of the bank will be changed once in 6 months.

Quantitative disclosures

a) The increase (decline) in earnings and economic value (or relevant measure used by management) for upward and downward rate shocks according to management's method for measuring IRRBB, broken down by currency (where the turnover is more than 5 per cent of the total turnover)

As per the EaR arrived for the entire balance sheet, the same is at Rs. 49.11 Crs. for one year with an expected change in interest rate by 1%. This is within the tolerance of Rs. 125 crs. fixed by the bank.

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन

सेवा में

भारत के राष्ट्रपति,

1. हमने 31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार सिंडिकेट बैंक के संलग्न तुलन-पत्र और उसके साथ संलग्न लाभ व हानि लेखा की लेखा-परीक्षा की है, जिसमें हमारे द्वारा 20 शाखाओं और 36 क्षेत्रीय कार्यालयों की लेखा-परीक्षा की गई है । 2027 शाखाओं की लेखा-परीक्षा शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा और 1 विदेशी शाखा की लेखा-परीक्षा विदेशी लेखा-परीक्षक द्वारा की गई है । जिन शाखाओं की लेखा-परीक्षा हमने की है और जिन शाखाओं की लेखा-परीक्षा अन्य लेखा परीक्षकों ने की है, उनका चयन बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार किया गया है। तुलन-पत्र और लाभ-हानि लेखे में उन 260 शाखाओं की विवरणियां भी शामिल हैं, जिनकी लेखा-परीक्षा नहीं की गईं । इन अलेखापरीक्षित शाखाओं के लेखे में 0.43 प्रतिशत की अग्रिम राशि, 2.71 प्रतिशत जमाराशि, 2.14 प्रतिशत ब्याज-आय और 0.32 प्रतिशत ब्याज व्यय शामिल हैं। ये वित्तीय विवरण बैंक के प्रबंध तंत्र की जिम्मेदारी हैं । हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखा-परीक्षा कार्य के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपना अभिमत प्रस्तुत करना है।

2. हमने अपना लेखा-परीक्षा कार्य भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा-परीक्षा मानकों के अनुसार किया है । इन मानकों के अंतर्गत यह अपेक्षा की जाती है कि हम अपनी लेखा-परीक्षा की योजना इस प्रकार बनाएं और निष्पादित करें कि हम समुचित रूप से इस बारे में आश्वस्त हो जाएं कि वित्तीय विवरणों में विषय-वस्तु संबंधी कोई गलत जानकारी नहीं दी गई है तथा कोई महत्वपूर्ण तथ्य छुपाया नहीं गया है । लेखा-परीक्षा के अंतर्गत वित्तीय विवरणों में दिखाई गई राशियों और प्रकट की गई बातों के समर्थन में दिए गए साक्ष्य की परीक्षण के तौर पर जांच की जाती है । लेखा-परीक्षा के अंतर्गत प्रबंध-तंत्र द्वारा प्रयुक्त लेखा सिद्धांतों तथा प्रमुख आकलनों का निर्धारण तथा प्रस्तुत किए गए समग्र वित्तीय विवरण का मूल्यांकन भी किया जाता है । हमें विश्वास है कि हमारा लेखा-परीक्षा कार्य हमारे अभिमत के लिए उचित आधार है ।

3. तुलन-पत्र और लाभ-हानि लेखे बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की तृतीय अनुसूची के फार्म क्रमशः 'ए' और 'बी' में तैयार किए गए हैं।

4. हम उपर्युक्त पैराग्राफ 1 में उपदर्शित लेखा-परीक्षा की मर्यादा के अधीन और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 द्वारा यथा अपेक्षित तथा उसमें अपेक्षित प्रकटीकरण की सीमाओं के अध्यधीन रहते हुए :

   क) हमारी राय और हमारी अधिकतम जानकारी के अनुसार हमें दिए गए स्पष्टीकरणों और बैंक की लेखा बहियों में दर्शाए गए अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि :

   - महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों और लेखा संबंधी टिप्पणियों के साथ पठित तुलन-पत्र पूर्ण और सही है और उसमें समस्त आवश्यक जानकारी शामिल है तथा उसे इस प्रकार उचित रूप से तैयार किया गया है कि उसमें बैंक के 31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार उसके कामकाज का सही और वास्तविक चित्र प्रदर्शित होता है ।

AUDITORS' REPORT

To

The President of India

1. We have audited the attached Balance Sheet of Syndicate Bank as at 31st March 2010, the Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement annexed thereto for the year ended on that date in which are incorporated the returns of 20 branches and 36 Regional Offices audited by us, 2027 branches audited by branch auditors and 1 foreign branch audited by the overseas auditor. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued by the Reserve Bank of India. Also incorporated in the Balance Sheet and the Profit and Loss Account are the returns of 260 branches which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 0.43 percent of advances, 2.71 percent of deposits, 0.32 percent of interest income and 2.14 percent of interest expenses. These financial statements are the responsibility of the Bank's Management. Our responsibility is to express an opinion on the financial statements based on our audit.

2. We conducted our audit in accordance with the auditing standards generally accepted in India. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by the management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

3. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in Forms "A" and "B" respectively of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.

4. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraph 1 above and as required by The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, and subject also to the limitations of disclosure required therein;

   a) in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us and as shown by the books of the Bank we report that :

   - The Balance Sheet read with Significant Accounting Policies and the Notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing the necessary particulars and is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the affairs of the Bank as at 31st March 2010.

- महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों और उसकी टिप्पणियों के साथ पठित लाभ और हानि-लेखा उस लेखे से संबंधित लाभ को 31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष का सही शेष दर्शाता है; और
- महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के साथ पठित नकदी उपलब्धता विवरण 31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के नकदी प्रवाह का सत्य और उचित विवरण दर्शाता है ।

ख) हमने अपनी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखा-परीक्षा हेतु सभी जानकारी तथा स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं और उन्हें संतोषजनक पाया है।

ग) बैंक के जो लेन-देन हमारी जानकारी में आए हैं, वे बैंक के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत ही हैं ।

घ) बैंक की शाखाओं और उसके कार्यालयों से प्राप्त विवरणियाँ, हमारी लेखा-परीक्षा के प्रयोजन के लिए पर्याप्त पाई गई हैं ।

मेसर्स निर्मल जैन एण्ड कंपनी *सनदी लेखाकार* (पंजीकरण सं. 000606 एन) **निर्मल कुमार जैन** *साझेदार* सदस्यता सं.: 008346	**मेसर्स एन. सी. मित्रा एण्ड कंपनी** *सनदी लेखाकार* (पंजीकरण सं. 306027 ई) **गौरब मित्रा** *साझेदार* सदस्यता सं.: 061661
मेसर्स प्रकाश चन्द्र जैन एण्ड कंपनी *सनदी लेखाकार* (पंजीकरण सं. 002438 सी) **पी. सी. नलवाया** *साझेदार* सदस्यता सं.: 033710	**मेसर्स जैन एण्ड एसोसिएट्स** *सनदी लेखाकार* (पंजीकरण सं. 001361 एन) **एस.सी.पाठक** *साझेदार* सदस्यता सं.: 010194
मेसर्स एस. सोनी एसोसिएट्स *सनदी लेखाकार* (पंजीकरण सं.: 003935 एस) **एस. सुन्दर** *साझेदार* सदस्यता सं.: 023425	**मेसर्स आर. वेन्दर गुप्ता एण्ड एसोसिएट्स** *सनदी लेखाकार* (पंजीकरण सं. 002614 एन) **राघवेन्दर गुप्ता** *साझेदार* सदस्यता सं.: 081544

स्थान : बेंगलूर
दिनांक : 4-05-2010

- The Profit and Loss Account read with Significant Accounting Policies and the Notes thereon shows a true balance of Profit for the year ended 31st March 2010.
- The Cash Flow Statement read with Significant Accounting Policies and the Notes thereon gives a true and fair view of the cash flows for the year ended 31st March 2010.

b) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit and have found them to be satisfactory.

c) The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank.

d) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purpose of our audit.

For Nirmal Jain & Co. *Chartered Accountants* (Regd. No.: 000606N) **Nirmal Kumar Jain** *Partner* Membership No.: 008346	**For N. C. Mitra & Co.** *Chartered Accountants* (Regd. No.: 306027E) **Gourab Mitra** *Partner* Membership No.: 061661
For Prakash Chandra Jain & Co. *Chartered Accountants* (Regd. No.: 002438C) **P. C. Nalwaya** *Partner* Membership No.: 033710	**For Jain & Associates** *Chartered Accountants* (Regd. No.: 001361N) **S. C. Pathak** *Partner* Membership No.: 010194
For S. Sonny Associates *Chartered Accountants* (Regd. No.: 003935S) **S. Sundar** *Partner* Membership No.: 023425	**For R. Vender Gupta & Associates** *Chartered Accountants* (Regd. No.: 002614N) **Raghvender Gupta** *Partner* Membership No.: 081544

Place : Bangalore
Date : 04-05-2010

31 मार्च, 2010 का तुलन–पत्र
BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH, 2010

(हजार रुपयों में/Rs. in thousands)

पूंजी और देयताएँ **CAPITAL & LIABILITIES**	अनुसूची सं. Schedule No.	**As on दि. 31-03-2010 को**	As on दि. 31-03-2009 को
पूंजी/CAPITAL	1	**521,96,83**	521,96,83
प्रारक्षित निधि और अधिशेष/Reserves and Surplus	2	**5105,08,13**	4488,05,11
जमाराशियाँ/Deposits	3	**117025,79,47**	115885,14,07
उधार/Borrowings	4	**12172,68,76**	5414,17,64
अन्य देयताएँ और प्रावधान/Other Liabilities and Provisions	5	**4225,41,68**	3946,32,88
योग/TOTAL		**139050,94,87**	130255,66,53
आस्तियाँ/ASSETS			
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकद और शेषराशियाँ Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	**7189,12,35**	12543,23,31
बैंकों के पास शेषराशियाँ और माँग और अल्प सूचना पर देय राशि Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	7	**5544,72,94**	1861,17,97
निवेश/Investments	8	**33010,92,88**	30537,22,92
अग्रिम/Advances	9	**90406,35,95**	81532,26,91
अचल आस्तियाँ/Fixed Assets	10	**701,43,34**	742,02,91
अन्य आस्तियाँ/Other Assets	11	**2198,37,41**	3039,72,51
योग/TOTAL		**139050,94,87**	130255,66,53
आकस्मिक देयताएँ/Contingent Liabilities	12	**52747,32,56**	70727,22,88
वसूली के लिए बिल/Bills for Collection		**2097,70,40**	2020,43,35
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ/Significant Accounting Policies	17		
लेखा संबंधी टिप्पणियाँ/Notes on Accounts	18		

बसंत सेठ
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

वी. के. नागर
कार्यपालक निदेशक

आर. रामचन्द्रन
कार्यपालक निदेशक

Basant Seth
Chairman & Managing Director

V. K. Nagar
Executive Director

R. Ramachandran
Executive Director

के. सीतारामु
निदेशक

रमेश एल. अडिगे
निदेशक

एम. भास्कर राव
निदेशक

K. Seetharamu
Director

Ramesh L. Adige
Director

M. Bhaskara Rao
Director

एआर नागप्पन
निदेशक

बी. एस. सूरी
निदेशक

AR Nagappan
Director

B. S. Suri
Director

एस. के. अबरोल
महा प्रबंधक (लेखा)

S. K. Abrol
General Manager (Accounts)

स्थान : बेंगलूर
तारीख : 04-05-2010

Place : Bangalore
Date : 04-05-2010

31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष का लाभ व हानि लेखा
PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2010

(हजार रुपयों में/Rs. in thousands)

	अनुसूची सं. Schedule No.	**Year ended/ समाप्त वर्ष दि. 31-03-2010 को**	Year ended/ समाप्त वर्ष दि. 31-03-2009 को
I. **आय/INCOME**			
अर्जित ब्याज/Interest Earned	13	**10047,17,62**	9525,35,07
अन्य आय/Other Income	14	**1167,46,00**	914,66,06
योग/TOTAL		**11214,63,62**	10440,01,13
II. **व्यय/EXPENDITURE**			
व्ययगत ब्याज/Interest Expended	15	**7307,36,63**	6977,59,80
परिचालन व्यय/Operating Expenses	16	**2033,57,09**	1790,96,76
प्रावधान और आकस्मिकताएँ/Provision and Contingencies		**1060,38,09**	758,62,29
योग/TOTAL		**10401,31,81**	9527,18,85
III. **लाभ/हानि/PROFIT / LOSS**			
वर्ष के लिए शुद्ध लाभ/Net Profit for the year		**813,31,81**	912,82,28
आगे लाया गया लाभ/हानि–/Profit / Loss (–) brought forward		**0**	0
योग/TOTAL		**813,31,81**	912,82,28
IV. **विनियोजन/APPROPRIATIONS**			
सांविधिक आरक्षित निधि को अंतरण/Transfer to Staturory Reserves		**203,32,95**	228,20,57
राजस्व आरक्षित निधि/Revenue Reserves		**244,62,59**	373,27,61
आरक्षित पूंजी/Capital Reserves		**77,78,43**	38,13,71
सामान्य आरक्षित/General Reserve		**4,98,02**	0
विशेष निधि आयकर अधिनियम धारा 36(1) (viii) के अंतर्गत/Special Reserves u/s 36(1) (viii) of Income Tax Act		**100,00,00**	90,00,00
अंतरिम लाभांश (रु.करोड़ के लाभांश कर सहित, पूर्ववर्ती वर्ष रु.13.31 करोड़/ Interim Dividend (including Div. Tax NIL; previous year Rs. 13.31 cr.)		**0**	91,60,15
प्रस्तावित अंतिम लाभांश (रु.26.01 करोड़ के लाभांश कर सहित, पिछले वर्ष, रु. रु.11.53 करोड़)/Proposed Final Dividend (inclusive of Dividend Tax of Rs.26.01 cr., previous year 11.53 cr.)		**182,59,82**	91,60,24
तुलन-पत्र को अग्रेनीत शेषराशि/Balance carried over to the Balance Sheet		**0**	0
योग/TOTAL		**813,31,81**	912,82,28
प्रति शेयर अर्जन/Earnings per share (Rs.)		**15.58**	17.42
महत्त्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां/Significant Accounting Policies	17		
लेखा संबंधी टिप्पणियां/Notes on Accounts	18		

कृते मेसर्स निर्मल जैन एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
(पं. सं.: 000606 एन)
(निर्मल कुमार जैन)
साझेदार
सदस्यता सं.: 008346

कृते मेसर्स एन. सी. मित्रा एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
(पं. सं.: 306027ई)
(गौरब मित्रा)
साझेदार
सदस्यता सं.: 061661

कृते मेसर्स प्रकाश चंद्र जैन एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
(पं. सं.: 002438C)
पी. सी. नलवाया
साझेदार
सदस्यता सं.: 033710

For Nirmal Jain & Co.
Chartered Accountants
(Regn. No.000606N)
(Nirmal Kumar Jain)
Partner
Membership No.: 008346

For N. C. Mitra & Co.
Chartered Accountants
(Regn. No.306027E)
(Gourab Mitra)
Partner
Membership No. : 061661

For Prakash Chandra Jain & Co.
Chartered Accountants
(Regn. No.002438C)
(P. C. Nalwaya)
Partner
Membership No. : 033710

कृते मेसर्स जैन एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
(पं. सं.: 001361N)
(एस. सी. पाठक)
साझेदार
सदस्यता सं.: 010194

कृते मेसर्स एस.सोनी एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
(पं. सं.: 003935एस)
(एस. सुंदर)
साझेदार
सदस्यता सं.: 023425

कृते मेसर्स आर. वेन्दर गुप्ता एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
(पं. सं.: 002614एन)
(राघवेंदर गुप्ता)
साझेदार
सदस्यता सं.: 081544

For Jain & Associates
Chartered Accountants
(Regn. No. 001361N)
(S.C. Pathak)
Partner
Membership No.: 010194

For S. Sonny Associates
Chartered Accountants
(Regn. No. 003935S)
(S. Sundar)
Partner
Membership No. : 023425

For R. Vender Gupta & Associates
Chartered Accountants
(Regn No. 002614N)
(Raghvender Gupta)
Partner
Membership No. : 081544

अनुसूची – 1 : पूँजी
SCHEDULE – 1 : CAPITAL

(हजार रुपयों में/Rs. in thousands)

	As on दि. 31-3-2010 को	As on दि. 31-3-2009 को
प्राधिकृत पूँजी 300,00,00,000 ईक्विटी शेयर प्रत्येक रु. 10 AUTHORISED CAPITAL: 300,00,00,000 Equity Shares of Rs. 10 each	**3000,00,00**	1500,00,00
I. **निर्गत, अभिदत्त और प्रदत्त मांगी गई पूँजी** 52,19,68,282 ईक्विटी शेयर प्रत्येक रु. 10 (केन्द्रीय सरकार द्वारा धारित 34,69,68,282 शेयर शामिल हैं) ISSUED, SUBSCRIBED, CALLED & PAID UP CAPITAL 52,19,68,282 Equity Shares of Rs. 10 each (Includes 34,69,68,282 shares held by Central Government)	**521,96,83**	521,96,83
II. नवोन्मेषी गैर-संचयी अधिमान्य शेयर (पी.एन.सी.पी.एस) Perpetual Non-Cumulative Preference Share (PNCPS)	**0**	0
योग/TOTAL (I+II)	**521,96,83**	521,96,83

अनुसूची – 2 : आरक्षित निधि और अधिशेष
SCHEDULE – 2 : RESERVES AND SURPLUS

	As on दि. 31-3-2010 को		As on दि. 31-3-2009 को	
I. **सांविधिक आरक्षित निधि/Statutory Reserves**				
अथशेष/Opening Balance	**1279,65,10**		1051,44,53	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/Additions during the year	**203,32,95**	**1482,98,05**	228,20,57	1279,65,10
II. **आरक्षित पूंजी/Capital Reserves**				
अथशेष/Opening Balance	**55,01,11**		16,87,40	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/Additions during the year	**77,78,43**	**132,79,54**	38,13,71	55,01,11
III. **शेयर प्रीमियम/Share Premium**		**200,00,00**		200,00,00
IV. **पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि/Revaluation Reserves**				
अथशेष/Opening Balance	**414,95,02**		426,27,54	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/Additions during the year	**0**		0	
	414,95,02		426,27,54	
वर्ष के दौरान कटौती/Deduction during the year	**10,76,02**	**404,19,00**	11,32,52	414,95,02
V. **सामान्य आरक्षित निधि/General Reserves**				
अथशेष/Opening Balance	**576,18,38**		576,18,38	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/Additions during the year	**4,98,02**	**581,16,40**	0	576,18,38
VI. **राजस्व और अन्य आरक्षित निधि** **Revenue and Other Reserves**				
अथशेष/Opening Balance	**1818,82,69**		1445,55,16	
जोडें : लाभ व हानि लेखे से शेष का अंतरण Add: Transfer of Balance from Profit & Loss Account	**244,62,80**		373,27,53	
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौती/Less: Deductions during the Year	**0**	**2063,45,49**	0	1818,82,69
VII. **विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षित निधि** **Foreign Currency Tanslation Reserve**				
अथशेष/Opening Balance	**3,42,81**		3,14,86	
जोडें/(घटाएं) : वर्ष के दौरान समायोजन Add/(Less): Adjustments during the year	**– 2,93,16**	**49,65**	27,95	3,42,81
VIII. **आय कर अधिनियम1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशिष्ट अधिशेष/Special Reserve u/s 36 (1)(viii) of the Income Tax Act, 1961**				
अथशेष/Opening Balance	**140,00,00**		50,00,00	
जोडें : वर्ष के दौरान परिवर्धन Add: Additions during the year	**100,00,00**	**240,00,00**	90,00,00	140,00,00
IX. **लाभ-हानि लेखे में शेष/Balance in Profit and Loss Account**		**0**		0
योग/TOTAL (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		**5105,08,13**		4488,05,11

अनुसूची – 3 : जमाराशियाँ
SCHEDULE – 3 : DEPOSITS

(हजार रुपयों में/Rs. in thousands)

	As on दि. 31-03-2010 को	As on दि. 31-03-2009 को
क./A.I. **मांग जमाराशियाँ/Demand Deposits**		
i) बैंकों से/From Banks	**472,22,65**	504,65,57
ii) अन्यों से/From Others	**9713,87,69**	10022,17,05
II. **बचत बैंक जमाराशियाँ/Savings Bank Deposits**	**26364,68,25**	21455,59,05
III. **सावधि जमाराशियाँ/Term Deposits**		
i) बैंकों से/From Banks	**17042,98,73**	9702,13,35
ii) अन्यों से/From Others	**63432,02,15**	74200,59,05
योग/TOTAL (I+II+III)	**117025,79,47**	115885,14,07
ख./B. i) भारत में स्थित शाखाओं की जमाराशियाँ/Deposits of Branches in India	**109688,40,60**	108688,20,34
ii) भारत के बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियाँ/Deposits of Branches outside India	**7337,38,87**	7196,93,73
योग/TOTAL	**117025,79,47**	115885,14,07

अनुसूची – 4 : उधार
SCHEDULE – 4 : BORROWINGS

I. **भारत में उधार/Borrowings in India**		
i. भारतीय रिज़र्व बैंक/Reserve Bank of India	**0**	0
ii. अन्य बैंक/Other Banks	**2612,25,00**	10,61
iii. अन्य संस्थाएँ और एजेन्सियाँ/Other Institutions and Agencies	**4662,21,43**	1680,37,09
iv. नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखत (आइ.पी.डी.आइ.) Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI)	**773,00,00**	579,00,00
v. बंधपत्र/डिबेंचरों के रूप में जारी किए गए संम्मिश्र ऋण पूंजी लिखत Hybrid debt capital instruments issued as bonds /debentures	**0**	0
vi. प्रतिदेय संचयी अधिमान्य शेयर (पी.सी.पी.एस.) Redeemable Cumulative Preference Shares (PCPS)	**0**	0
vii. प्रतिदेय गैर-संचयी अधिमान्य शेयर (पी.एन.सी.पी.एस.) Redeemable Non-Cumulative Preference Shares (PNCPS)	**0**	0
viii. प्रतिदेय संचयी अधिमान्य शेयर (आर.सी.पी.एस.) Redeemable Cumulative Preference Shares (RCPS)	**0**	0
ix. गौण ऋण/Subordinated Debt	**2844,70,00**	2644,70,00
योग/TOTAL	**10892,16,43**	4904,17,70
II. **भारत के बाहर उधार/Borrowings outside India**	**1280,52,33**	509,99,94
योग/TOTAL (I + II)	**12172,68,76**	5414,17,64

अनुसूची – 5 : अन्य देयताएँ और प्रावधान
SCHEDULE – 5 : OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS

I.	देय बिल/Bills Payable	**1225,37,79**	910,13,07
II.	अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)/Inter-Office Adjustments (Net)	**0**	0
III.	उपचित ब्याज/Interest Accrued	**577,02,76**	508,94,63
IV.	मानक आस्तियों के प्रति आकस्मिक प्रावधान/Contingent Provision against Standard Assets	**395,89,14**	395,89,14
V.	अन्य (प्रावधान सहित)/Others (including provisions)	**2027,11,99**	2131,36,04
	योग/TOTAL (I+II+III+IV+V)	**4225,41,68**	3946,32,88

अनुसूची – 6 : भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकद और शेषराशि
SCHEDULE – 6 : CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

(हजार रुपयों में/Rs. in thousands)

	As on दि. 31-03-2010 को	As on दि. 31-03-2009 को
I. रोकड़ शेष (विदेशी मुद्रा नोटों सहित) Cash in hand (including foreign currency notes)	**369,66,92**	334,43,46
II. भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेषराशि Balances with Reserve Bank of India		
चालू खाते में/In Current Account	**6819,45,43**	12208,79,85
अन्य खातों में/In Other Accounts	**0**	0
योग/TOTAL (I+II)	**7189,12,35**	12543,23,31

अनुसूची – 7 : बैंकों के पास शेषराशि और मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि
SCHEDULE – 7 : BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE

I. **भारत में/In India**		
i) बैंकों के पास शेषराशि/Balances with Banks		
क)/a) चालू खातों में/in Current Accounts	**134,53,19**	109,21,00
ख)/b) अन्य जमा खातों में/in other Deposit Accounts	**57,76**	1,40,05
ii) मांग और अल्प सूचना पर देय राशि/Money at Call and Short Notice		
क)/a) बैंकों के पास/with banks	**4841,73,32**	1064,80,11
ख)/b) अन्य संस्थाओं के पास/with other institutions	**0**	0
योग/TOTAL	**4976,84,27**	1175,41,16
II. **भारत के बाहर/Outside India**		
क)/a) चालू खातों में/in Current Accounts	**20,10,06**	685,76,81
ख)/b) अन्य जमा खातों में/in other Deposit Accounts	**547,78,61**	0
ग)/c) मांग और अल्प सूचना पर देय राशि/Money at Call and Short Notice	**0**	0
योग/Total	**567,88,67**	685,76,81
योग/TOTAL (I + II)	**5544,72,94**	1861,17,97

अनुसूची – 8 : निवेश
SCHEDULE – 8 : INVESTMENTS

I. **भारत में निवेश (सकल)/Investments in India (Gross)**	**32778,73,81**	30293,10,40
घटाएं: मूल्यहास/एन.पी.आई. के लिए प्रावधान/Less: Provision for depreciation / NPI	**58,00,21**	115,55,34
शुद्ध निवेश/Net Investments	**32720,73,60**	30177,55,06
सरकारी प्रतिभूतियाँ/Government securities	**28286,29,78**	27321,16,87
अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ/Other approved securities	**69,06,92**	123,20,55
शेयर/Shares	**147,95,86**	193,23,17
डिबेंचर और बंध पत्र/Debentures and Bonds	**1777,94,30**	1720,65,30
अनुषंगी और/या संयुक्त उद्यम/Subsidiaries and/or Associates	**33,59,83**	33,59,84
अन्य/Others	**2405,86,91**	785,69,33
योग/ TOTAL	**32720,73,60**	30177,55,06
II. **भारत के बाहर निवेश (सकल)/Investments outside India (Gross)**	**314,95,87**	390,72,98
घटाएं: मूल्यहास के लिए प्रावधान/Less: Provision for depreciation	**24,76,59**	31,05,12
शुद्ध निवेश/Net Investments	**290,19,28**	359,67,86
योग/TOTAL (I+II)	**33010,92,88**	30537,22,92

अनुसूची – 9: अग्रिम
SCHEDULE – 9: ADVANCES

(हजार रुपयों में/Rs. in thousands)

			As on दि. 31-03-2010 को	As on दि. 31-03-2009 को
क./A.	i)	खरीदे और भुनाए गए बिल/Bills purchased and discounted	**1164,28,86**	1640,43,14
	ii)	ऋण, नकदी ऋण, ओवरड्राफ्ट और मांग पर प्रदेय ऋण Loans, Cash credits, Overdrafts and Loans, repayable on demand	**20920,00,45**	19820,20,81
	iii)	मीयादी ऋण/Term Loans	**68322,06,64**	60071,62,96
		योग/Total	**90406,35,95**	81532,26,91
ख./B.	i)	मूर्त आस्तियों द्वारा सुरक्षित/Secured by tangible assets	**58148,72,69**	51845,39,67
	ii)	बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा रक्षित/Covered by Bank/Government Guarantees	**9403,26,33**	4169,20,21
	iii)	अरक्षित/Unsecured	**22854,36,93**	25517,67,03
		योग/Total	**90406,35,95**	81532,26,91
ग./C.	I)	**भारत में अग्रिम/Advances in India**		
		i) प्राथमिकता क्षेत्रक/Priority Sector	**31085,62,74**	26393,25,12
		ii) सार्वजनिक क्षेत्रक/Public Sector	**9158,10,84**	9589,67,63
		iii) बैंक/Banks	**1639,58,76**	1906,07,20
		iv) अन्य/Others	**39673,67,68**	35314,10,27
		योग/Total	**81557,00,02**	73203,10,22
	II)	**भारत के बाहर के अग्रिम/Advances outside of India**		
		i) बैंकों से देय/Due from Banks	**6012,28,82**	5893,08,48
		ii) अन्यों से देय/Due from others		
		क)/a) खरीदे गए और बट्टागत बिल/Bills purchased and Discounted	**277,70,24**	440,20,06
		ख)/b) सिंडिकेटेड ऋण/Syndicated Loans	**1987,71,14**	1556,33,02
		ग)/c) अन्य/Others	**571,65,73**	439,55,13
		योग/Total	**8849,35,93**	8329,16,69
		योग/TOTAL (ग I + ग II) (C.I + C. II)	**90406,35,95**	81532,26,91

अनुसूची – 10 : अचल आस्तियाँ
SCHEDULE – 10 : FIXED ASSETS

I.	**परिसर/Premises**		
	पिछले वर्ष के 31 मार्च के अनुसार लागत/पुनर्मूल्यन पर At cost/revaluation as on 31st March of preceding year	**538,76,32**	536,04,33
	जोड़े: वर्ष के दौरान परिवर्धन/Add: Additions during the year	**10,84,85**	4,22,66
	घटाएं: वर्ष के दौरान कटौतियाँ/समायोजन/Less: Deductions/Adjustments during the year	**2,62,46**	1,50,67
		546,98,71	538,76,32
	घटाएं: अब तक मूल्यह्रास/Less: Depreciation to date	**59,36,81**	44,66,52
	योग/Total	**487,61,90**	494,09,80
II.	प्रक्रियाधीन पूंजीगत काय/Capital work in progress	**18,95,18**	21,87,09
III.	**अन्य अचल आस्तियाँ/Other Fixed Assets**		
	पिछले वर्ष के मार्च 31की लागत पर/At cost as on 31st March of preceding year	**686,23,44**	617,26,10
	जोडिएं: वर्ष के दौरान परिवर्धन/Add: Additions during the year	**57,93,62**	88,06,44
	घटाएं: वर्ष के दौरान कटौतियाँ/Less: Deductions during the year	**11,95,51**	19,09,10
		732,21,55	686,23,44
	घटाएं: अब तक मूल्यह्रास/Less: Depreciation to date	**537,35,29**	460,17,42
	योग/Total	**194,86,26**	226,06,02
	योग/TOTAL (I+II+III)	**701,43,34**	742,02,91

अनुसूची – 11: अन्य आस्तियाँ
SCHEDULE – 11: OTHER ASSETS

(हजार रुपयों में/Rs. in thousands)

		As on दि. 31-03-2010 को	As on दि. 31-03-2009 को
I.	अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)/Inter-Office Adjustments (Net)	**110,37,68**	635,43,72
II.	उपचित ब्याज/Interest accrued	**598,29,93**	681,41,34
III.	अग्रिम रूप से प्रदत्त कर/स्रोत पर काटा गया कर (प्रावधान घटाकर) Tax paid in advance/tax deducted at source (net of provisions)	**598,43,15**	509,54,95
IV.	लेखन सामग्री व स्टांप/Stationery and Stamps	**10,32,22**	12,13,93
V.	दावों की चुकौती में अर्जित गैर-बैंकिंग आस्तियाँ (मूल्यह्रास घटाकर) Non-banking assets acquired in satisfaction of claims (Net of Depreciation)	**3,94**	4,10
VI.	अन्य/Others	**880,90,49**	1201,14,47
	योग/TOTAL (I+II+III+IV+V+VI)	**2198,37,41**	3039,72,51

अनुसूची – 12 : आकस्मिक देयताएँ
SCHEDULE – 12 : CONTINGENT LIABILITIES

I.	बैंक के विरुद्ध किए गये दावे जो ऋणों के रूप में अभिस्वीकृत नहीं हैं Claims against the bank not acknowledged as debts	**79,25,77**	125,27,69
II.	अंशत: प्रदत्त निवेशों के प्रति देयता/जोखिम निधि Liability for partly paid Investments/venture fund	**34,11,06**	6,14,77
III.	बकाया वायदा विनिमय संविदाओं से संबंधित देयता Liability on account of outstanding forward exchange contracts	**42117,03,47**	60177,99,77
IV.	ग्राहकों की ओर से दी गयी गारंटियाँ/Guarantee given on behalf of constituents		
	क)/a) भारत में/In India	**6422,01,83**	5759,57,10
	ख)/b) भारत के बाहर/Outside of India	**4,17,68**	100,53,40
V.	प्रतिग्रहण, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व Acceptances, endorsements and other obligations	**2895,53,29**	3473,25,83
VI.	अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से जिम्मेदार है Other items for which bank is contingently liable		
	i) उन संविदाओं कि अनुमानित रकम जिनको पूंजीगत लेखे में निष्पादीत किया जाता है और जिन के लिए प्रावधान नहीं किया गया है/ Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital accounts not provided for	**5,04,66**	6,79,40
	ii) अन्य/Others	**1190,14,80**	1077,64,92
	योग/TOTAL (I+II+III+IV+V+VI)	**52747,32,56**	70727,22,88

अनुसूची – 13: अर्जित ब्याज
SCHEDULE – 13: INTEREST EARNED

		Year ended दि. 31-3-2010 को	Year ended दि. 31-3-2009 को
I.	अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा Interest/Discount on Advances/Bills	**7697,22,23**	7375,77,19
II.	निवेशों पर आय/Income on investments	**2348,90,17**	2076,17,22
	घटाएँ: निवेशों के पुनर्मूल्यन में से हुई हानि/Less: Loss on revaluation of investments	**(80,88,06)**	(47,82,52)
III.	भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेषराशियों और अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज Interest on balances with Reserve Bank of India and other inter bank funds	**50,95,44**	69,50,83
IV.	अन्य/Others	**30,97,84**	51,72,35
	योग/TOTAL	**10047,17,62**	9525,35,07

अनुसूची – 14 : अन्य आय
SCHEDULE – 14 : OTHER INCOME

(हजार रुपयों में/Rs. in thousands)

		Year ended दि. 31-03-2010 को	Year ended दि. 31-03-2009 को
I.	कमीशन, विनिमय और दलाली/Commission, Exchange and Brokerage	**284,18,23**	267,87,24
II.	विनिधानों की बिक्री से प्राप्त लाभ/Profit on sale of investments	**388,85,61**	193,22,49
	घटाएँ: निवेशों की बिक्री से हुई हानि/Less: Loss on sale of investments	**–**	–
III.	जमीन, भवन और अन्य आस्तियों की बिक्री पर लाभ Profit on sale of land, buildings & other assets	**23,33**	48,30
	घटाएँ: जमीन, भवन और अन्य आस्तियों की बिक्री से हुई हानि Less: Loss on sale of land, buildings & other assets	**(25,71)**	(31,79)
IV.	विनिमय लेनदेन पर लाभ/Profit on exchange transactions	**68,42,39**	86,50,80
	घटाएँ/Less: विनिमय लेनदेन पर हुई हानि/Loss on exchange transactions	**(25,81)**	(4,64)
V.	लाभांश इत्यादि के माध्यम से प्राप्त आय/Income earned by way of dividend	**5,96,06**	6,46,06
VI.	विविध आय/Miscellaneous Income	**420,31,90**	360,47,60
	योग/TOTAL	**1167,46,00**	914,66,06

अनुसूची – 15: व्ययगत ब्याज
SCHEDULE – 15: INTEREST EXPENDED

I.	जमाराशियों पर ब्याज/Interest on Deposits	**6780,82,13**	6610,30,56
II.	भारतीय रिज़र्व बैंक/अंतर बैंक उधार पर ब्याज Interest on Reserve Bank of India/Inter Bank borrowings	**10,93,96**	6,95,12
III.	अन्य/Others	**515,60,54**	360,34,12
	योग/TOTAL	**7307,36,63**	6977,59,80

अनुसूची – 16: परिचालन व्यय
SCHEDULE – 16 : OPERATING EXPENSES

I.	कर्मचारियों को संदाय और उनके लिए प्रावधान/Payments to and provisions for Employees	**1337,76,49**	1120,15,63
II.	किराया, कर और बिजली/Rent, Taxes and Lighting	**133,59,59**	120,69,00
III.	मुद्रण और लेखन सामग्री/Printing and Stationery	**15,85,92**	14,26,83
IV.	विज्ञापन और प्रचार/Advertisement and Publicity	**17,37,03**	22,52,10
V.	बैंक की संपत्तियों पर मूल्यह्रास/Depreciation on Bank's Property	**88,17,48**	113,02,26
VI.	निदेशकों का शुल्क, भत्ते और खर्च/Directors' Fees, Allowances and Expenses	**74,14**	93,02
VII.	लेखा परीक्षकों का शुल्क और खर्च (शाखा लेखा परीक्षकों सहित) Auditors' Fees and Expenses (including Branch Auditors)	**20,22,89**	20,12,19
VIII.	विधि प्रभार/Law Charges	**8,68,02**	7,87,03
IX.	डाक व्यय, तार, दूरभाष आदि/Postage, Telegrams, Telephones etc.	**18,92,45**	19,37,46
X.	मरम्मत और अनुरक्षण/Repairs and Maintenance	**48,57,39**	57,93,94
XI.	बीमा/Insurance	**105,11,91**	91,21,03
XII.	अन्य व्यय/Other Expenditure*	**238,53,78**	202,86,27
	योग/TOTAL	**2033,57,09**	1790,96,76

*पिग्मी एजेंटों की कमीशन शामिल है/Includes Pigmy Agents Commission **45,82,03** 39,92,74

अनुसूची – 17
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ 2009-2010

1.0 **लेखाकरण प्रथा**

संलग्न वित्तीय विवरण 'लाभकारी कारोबार वाला संस्थान सिद्धांत' का पालन करते हुए सामान्यतः परंपरागत लागत के आधार पर तैयार किए गए हैं और ये अन्यथा सूचित मामलों को छोड़कर सांविधिक उपबंधों और प्रचलित क्रियाविधियों के अनुसार है।

2.0 **विदेशी मुद्रा संबंधी लेन-देन**

2.1 भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) द्वारा अधिसूचित विनिमयदारों को अपनाया गया है ।

2.2 फॉरेक्स देयता युक्त सभी विदेशी मुद्रा लेन-देनों को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ द्वारा घोषित साप्ताहिक औसत दर (डब्ल्यू.ए.आर) लागू करते हुए अभिलेखित किया गया है. जबकि सभी फॉरेक्स आस्तियों को प्रचलित बाज़ार दरों पर अभिलेखित किया गया है।

2.3 सभी मौद्रिक आस्तियों और देयताओं को वर्ष के अंत में फेडाई अंतिम विनिमय दर पर रिपोर्ट किया गया है और परिणामी लाभ/हानि को राजस्व के रूप में लिया गया है ।

2.4 बकाया वायदा विनिमय संविदाओं को, विशिष्ट परिपक्वता के लिए अधिसूचित विनिमय दरों तथा ''बीच की परिपक्वताओं'' वाले संविदाओं के लिए अंतर्वेशित दरों पर रिपोर्ट किया गया है ।

2.5 गारंटियों, साख पत्रों, स्वीकृतियों, पृष्ठांकनों तथा अन्य दायित्वों से संबंधित आकस्मिक देयताओं को अंतिम विनिमय दरों पर परिवर्तित किया गया है ।

2.6 बैंक की विदेशी शाखा को ''गैर समाकलित विदेशी परिचालन'' के रूप में वर्गीकृत किया गया है ।

क) विदेशी संचालनों के सभी आस्तियों और देयताओं, मौद्रिक और गैर-मौद्रिक दोनों, को अंतिम विनिमय दरों पर परिवर्तित किया गया ।

ख) आय और व्यय का परिवर्तन त्रैमासिक औसत विनिमय दरों पर किया गया ।

ग) ए.एस. 11 के अनुसार किए गए परिवर्तन से हुए परिणामी विनिमय अंतर को, विदेशी परिचालन के निवल निवेश का निपटान होने तक ''विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षित निधि'' में जमा किया गया।

3.0 **निवेश**

3.1 भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा निदेशों के अनुसार भारत में निवेश निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किए जाते हैं ।

I. परिपक्वता तक धारित
II. विक्रय के लिए उपलब्ध
III. व्यापार के लिए धारित

प्रत्येक वर्ग को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया:

क) सरकारी प्रतिभूतियां   ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां
ग) शेयर   घ) डिबेंचर और बांड पत्र
ङ) अनुषंगी   च) अन्य

3.2 भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा निदेशों के अनुसार निवेशों का मूल्यांकन किया जाता है।

3.2.1 परिपक्वता तक धारित श्रेणी के अधीन निवेश का मूल्यांकन अर्जन लागत के आधार पर किया जाता है, सिवाय उस मामले के जब उसका अर्जन प्रीमियम पर किया जाए तब इस मामले में प्रीमियम

SCHEDULE – 17
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 2009-2010

1.0 **ACCOUNTING CONVENTIONS**

The accompanying financial statements are prepared following the 'Going Concern' concept on historical cost basis and conform to the statutory provisions and prevailing practices of the countries concerned, except wherever otherwise stated.

2.0 **TRANSACTIONS INVOLVING FOREIGN EXCHANGE**

2.1 Exchange rates as notified by Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI) are adopted.

2.2 All foreign currency transactions involving forex liabilities are recorded by applying Weekly Average Rate (WAR) published by FEDAI whereas all forex assets are recorded at on going market rates.

2.3 All the monetary assets & liabilities are reported at the end of the year at FEDAI closing exchange rate and the resultant profit / loss is taken to revenue.

2.4 Outstanding Forward Exchange Contracts are reported at the exchange rates notified for specified maturities and at interpolated rates for contracts of "in between maturities".

2.5 Contingent liabilities on account of Guarantees, Letters of Credit, Acceptances, Endorsements and other obligations are translated at closing exchange rates.

2.6 Foreign Branch of the Bank is classified as "Non-Integral Foreign Operation".

a) All assets & liabilities of the foreign operations, both monetary and non-monetary as well as contingent liabilities are translated at closing exchange rates.

b) Income and Expenditure are translated at quarterly average exchange rates.

c) The resulting exchange difference arising from translation as per AS-11 is accumulated in a "Foreign Currency Translation Reserve" until disposal of net investment of the foreign operation.

3.0 **INVESTMENTS**

3.1 In accordance with guidelines of RBI, investments in India are classified into:

I. Held to Maturity
II. Available for Sale
III. Held for Trading

Each category is further classified into:

a) Government Securities   b) Other Approved Securities
c) Shares   d) Debentures & Bonds
e) Subsidiaries   f) Others.

3.2 Investments are valued in accordance with RBI guidelines.

3.2.1 Investments under Held to Maturity are valued at cost of acquisition, except where it is acquired at premium in which case the premium is amortised

का परिशोधन सीधी लाइन पद्धति का प्रयोग करते हुए प्रतिभूति की शेष अवधि तक किया जाता है ।

3.2.2 विक्रय के लिए उपलब्ध श्रेणी के अधीन धारित निवेश का मूल्य निर्धारण लागत या बाज़ार मूल्य इनमें जो कम हो, के आधार पर किया जाता है । अलग-अलग शेयरों का मूल्य निर्धारण किया जाता है और तुलन-पत्र में निवेश के वर्गीकरण के अनुसार मूल्यह्रास/मूल्यवृद्धि का समुच्चयन श्रेणीवार किया जाता है । शुद्ध मूल्यह्रास के लिए प्रावधान किया जाता है और शुद्ध मूल्यवृद्धि, यदि कोई हो, पर ध्यान नहीं दिया जाता है ।

3.2.3 व्यापार के लिए धारित श्रेणी के अधीन, निवेश बाज़ार के लिए चिह्नित किए गए हैं और परिणामी मूल्यवृद्धि/मूल्यह्रास का संकलन तुलन पत्र के वर्गीकरण के अनुसार प्रवर्ग वार किया जाता है । शुद्ध मूल्यह्रास के लिए प्रावधान किया जाता है और शुद्ध मूल्यवृद्धि, यदि कोई हो, पर ध्यान नहीं दिया जाता है ।

3.2.4 मूल्य निर्धारण के प्रयोजन के लिए –

i) लागत का संदर्भ अर्जन की वास्तविक लागत/प्रचलित लागत से है जहाँ कहीं लागू होता हो

ii) बाज़ार मूल्य का संदर्भ, शेयर बाजार/भाव, एस.जी.एल. खाता लेन-देन, भा.रि.बैं./एफ.आई.एम.एम.डी.ए./पी.डी.ए.आइ. नवीनतम उपलब्ध मूल्य सूची से है और ऐसे कोटेशन के अभाव में :

क) सरकारी प्रतिभूतियों और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों का मूल्य निर्धारण, एफ.आइ. एम.एम.डी.ए./पी.डी.ए.आइ. की कीमतों/परिपक्वता पर प्रतिलाभ (वाइ.टी.एम.) दरों के आधार पर, भा.रि.बैं. द्वारा यथानिर्दिष्ट समुचित कीमत-लागत अंतर के साथ किया जाएगा।

ख) डिबेंचरों/बंधपत्रों का मूल्य निर्धारण, पी.डी.ए.आइ./एफ.आइ.एम.एम.डी.ए. द्वारा यथा निर्दिष्ट समुचित कीमत – लागत अंतर के साथ वाइ.टी.एम. आधार पर किया जाएगा।

ग) तिजोरी बिल, आर.आई.डी.एफ. वाणिज्यिक पत्र और वित्तीय संस्थाओं में स्थित सावधि धन का मूल्य निर्धारण लागत के आधार पर किया जाता है ।

घ) अधिमान्य शेयरों का मूल्य निर्धारण वाइ.टी.एम. आधार पर किया जाएगा।

ङ) ईक्विटी शेयरों का मूल्य निर्धारण अंतिम सौदा मूल्य पर या जहाँ भाव उपलब्ध नहीं है वहाँ अद्यतन तुलन पत्र के अनुसार विश्लेषित मूल्य (पुनर्मूल्यन रिज़र्व पर ध्यान दिए बिना) पर किया जाएगा।

च) क्षे.ग्रा. बैंकों में किए गए निवेशों का मूल्य निर्धारण रखाव लागत के आधार पर किया गया है (यानी बही मूल्य) ।

छ) प्रतिभूतिकरण कंपनी (एस.सी.)/पुनर्निर्माण कंपनी (आर.सी.) द्वारा जारी की गयी प्रतिभूति रसीदों का मूल्य निर्धारण भा.रि.बैं. के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार समय-समय पर निर्धारित गैर एस.एल.आर. लिखतों में किए निदेश पर लागू होनेवाले मानदण्डों के अनुसार वर्गिकरण किया जाता है।

ज) जोखिम पूंजी निधियों (वी.सी.एफ.) की यूनिटों का मूल्य निर्धारण वी.सी.एफ. द्वारा, अपने 18 महीने से अनधिक पुराने वित्तीय विवरणों में दर्शाए गए एन.ए.वी. पर किया गया।

over the remaining period of maturity using Straight Line Method.

3.2.2 Investments held under Available for Sale category are valued at cost or market value, whichever is lower. Individual scripts are valued and depreciation/appreciation is aggregated category-wise as per the classification of investments in the Balance Sheet. Net depreciation is provided for and net appreciation, if any, is ignored.

3.2.3 Investments under Held for Trading category are marked to market and the resultant appreciation/depreciation is aggregated category-wise as per Balance Sheet classification. Net depreciation is provided for and net appreciation, if any, is ignored.

3.2.4 For the purpose of valuation –

I. Cost refers to actual cost of acquisition / carrying cost, wherever applicable.

II. Market value refers to latest available price from the trades / quotes on the stock exchanges, SGL account transactions, price list of RBI / FIMMDA / PDAI as such:

a) Government Securities and Other Approved Securities are valued on the basis of prices / Yield to Maturity (YTM) rates of FIMMDA / PDAI with appropriate spreads as prescribed by RBI.

b) Debentures / Bonds are valued on YTM basis with appropriate spreads as prescribed by PDAI / FIMMDA.

c) Treasury Bills, RIDF, Commercial Papers and Certificate of Deposits are valued at cost.

d) Preference Shares are valued on YTM basis.

e) Equity Shares are valued at last traded prices and where the shares are not quoted on stock exchanges, the unquoted shares are valued at breakup value (without considering 'revaluation reserves', if any) as per the latest available balance sheet.

f) Investment in RRBs is valued at carrying cost (i.e. book value).

g) Security Receipts issued by Securitisation Companies (SC)/Reconstruction Company (RC) are valued/classified as per the norms applicable to investment in Non SLR instruments as prescribed by RBI from time to time.

h) Units of Venture Capital Funds (VCF) are valued at NAV shown by the VCF in its financial statements not older than 18 months.

झ) म्यूच्युअल फंड में इकाइयों का मूल्य निर्धारण पुनः खरीदी मूल्य या निवल आस्ति मूल्य, इनमें जो भी कम हो, के आधार पर किया जाता है ।

3.2.5 निवेशों का वर्गीकरण उनके निष्पादन और भा.रि.बैं. के दिशा निदेशों के अनुसार, अग्रिमों पर लागू होनेवाले आइ.आर.ए.सी. मानदंडों के अनुसार किए गए प्रावधान के आधार पर किया गया। अनुत्पादक निवेशों पर किये गये प्रावधान का समंजन अन्य अर्जक निवेशों से संबंधित मूल्यवृद्धि के प्रति नहीं किया गया।

3.3 परिपक्वता के लिए धारित श्रेणी में प्रतिभूतियों के विक्रय/निपटान संबंधी अनुलाभ, यदि कोई हो, लाभ हानि लेखे के जरिए पूंजी रिज़र्व को लाया जाता है ।

3.4 एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में प्रतिभूतियों का अंतरण इस तरह से अंतरित प्रतिभूतियों पर मूल्यह्रास, यदि कोई हो, के लिए प्रावधान करने के पश्चात किया जाता है ।

3.5 विदेशी शाखा में अस्थायी दर वाले नोट तथा उधार संबद्ध नोटवाले निवेशों को 'बिक्री के लिए उपलब्ध' के रूप में वर्गीकृत किया गया है और उनका मूल्य निर्धारण, अंकित मूल्य या बाजार मूल्य, इनमें जो भी कम हो, पर किया गया। इन निवेशों को त्रैमासिक अंतरालों में बाजार के लिए अंकित किया गया है और जहाँ इन निवेशों का मूल्य नाममात्र मूल्य से कम हुआ है वहाँ, इस संबंध में, तुलन-पत्र में मूल्यह्रास के लिए प्रावधान किया गया है और इसके लिए लाभ व हानि लेखे में प्रभार अंकित किया गया है।

3.6 अभिदानों पर प्राप्त प्रोत्साहन राशि को प्रतिभूतियों की लागत से कटौती की जाती है । प्रतिभूतियों के अभिग्रहण के संबंध में प्रदत्त दलाली/कमीशन/स्टांप शुल्क को राजस्व व्यय माना जाएगा।

4.0 **व्युत्पन्न**

4.1 व्युत्पन्न लेन-देन के लिए दिए गये ऋण की निगरानी चालू ऋण मंजूरी पद्धति पर की जाती है।

4.2 अप्रतिभूत प्रतिरक्षा लेन-देनों को सौदा लेन-देन समझा जाएगा और उन्हें परिपक्वता की तारीख तक चालू रखा जाएगा।

4.3 व्युत्पन्न लेन-देनों को प्रतिरक्षा और अप्रतिरक्षा लेन-देनों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा और उनका उचित मूल्य पर आंका जाएगा।

4.4 पारस्परिक आधार पर किए गए लेन-देन तथा आस्तियों एवं देयताओं पर जोखिम प्रतिरक्षा हेतु किए गए लेन-देनों का मूल्य निर्धारण तथा लेखाकरण ब्याज उपचयन के आधार पर किया जाएगा ।

4.5 मार्केट मेकिंग लेन-देनों का लेखांकन पाक्षिक अंतरालों में बाजार के लिए अंकित आधार पर किया जाएगा जब कि प्रतिरक्षा लेन-देनों का लेखांकन उपचयन के आधार पर किया जाएगा।

4.6 खरीद के समय प्रदत्त प्रीमियम, यदि कोई हो, को लेन-देन की अवशिष्ट अवधि पर परिशोधित किया जाएगा और परिपक्वता के बाद लाभ को हिसाब में लिया जाएगा और मितिकाटे को अग्रिमों से प्राप्त आय लेखे में रखा जाएगा और परिपक्वता पर उसे लाभ व हानि लेखे में विनियोग किया जाएगा।

5.0 **अग्रिम**

5.1 अग्रिमों को अर्जक और अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और ऐसे अग्रिमों से हुई हानियों के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए विवेकपूर्ण मानदण्डों

i) Units in mutual fund are valued at repurchase price or Net Asset Value, whichever is lower.

3.2.5 Investments are also categorised based on their performance and provisions are made as per IRAC norms applicable to advances as per RBI guidelines. Provision made on non-performing investments is not set off against the appreciation in respect of other performing investments.

3.3 Gain, if any, on sale / disposal of securities in the Held to Maturity category is taken to Capital Reserve through the Profit and Loss Account.

3.4 Transfer of securities from one category to another is effected after providing for depreciation, if any, on the securities so transferred.

3.5 Floating Rate Note and Credit Linked Note investments at Foreign Branch are classified as Available For Sale and are valued at nominal value or market value, whichever is lower. These investments are marked to market at quarterly intervals and where the value of these investments is lower than the nominal value, a provision for depreciation is created in the Balance Sheet and a charge is recognized in the Profit and Loss Account.

3.6 Incentive received on subscriptions is deducted from the cost of securities. Brokerage/commission/ stamp duty paid in connection with acquisition of securities is treated as revenue expenses.

4.0 **DERIVATIVES**

4.1 The credit exposures for derivative transactions are monitored on Current Credit Exposure method.

4.2 The naked hedging transactions are considered as a trading transaction and allowed to run till maturity.

4.3 Derivative transactions are classified into hedge and non-hedge and measured at fair value.

4.4 The transactions covered on back-to-back basis and the transactions undertaken to hedge the risk on assets and liabilities are valued and accounted on interest accrual basis.

4.5 Market making transactions are accounted on marked-to-market basis at fortnightly intervals, while hedging transactions are accounted for on accrual basis.

4.6 Premium at the time of purchase if any is amortized over the residual period of the transactions and profit is booked on maturity. Discount is held in Income Received in Advance account and appropriated to P&L account on maturity.

5.0 **ADVANCES**

5.1 Advances are classified into Performing and Non-Performing Assets and provisions for loan losses on such advances are made as per prudential norms

के अनुसार प्रावधान किया जाता है। विदेशी शाखा के मामले में, आस्तियों का वर्गीकरण तथा हानि का प्रावधान, स्थानीय अपेक्षाओं या भा.रि.बैं. के विवेकपूर्ण मानदण्डों, इनमें जो भी अधिक कठोर हो, के अनुसार किया जाता है।

5.2 अग्रिमों का उल्लेख अनर्जक आस्तियों के लिए किए गए प्रावधानों को घटाकर किया जाता है सिवाय उन मानक अग्रिमों के लिए किए गए सामान्य प्रावधानों के मामले में, जिन्हें ''अन्य देयताओं और प्रावधान'' में शामिल किया गया है ।

6.0 **परिसर और अन्य अचल आस्तियां**

6.1 परिसर और अन्य अचल आस्तियों को, मूल्यह्रास को घटाने के बाद परंपरागत लागत और/या पुनर्मूल्यांकन मूल्य पर दर्शाया गया है । परिसरों का पुनर्मूल्यांकन, अनुमोदित मूल्यांककों द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित मूल्य पर हर पाँच वर्ष में किया जाता है। ऐसे पुनर्मूल्यांकन पर प्राप्त होनेवाली राशि को पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि में जमा किया गया है।

6.2 परिसर पर मूल्यह्रास का प्रावधान सम्मिश्र लागत पर किया गया है, जहाँ जमीन की लागत को अलग नहीं किया जा सकता है । पुनर्मूल्यांकित राशि पर अतिरिक्त मूल्यह्रास को पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि में समायोजित किया गया है।

6.3 परिवर्धन सहित अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान अन्यथा उल्लिखित के सिवाय निम्नलिखित दरों पर ह्रासमान शेष प्रणाली के आधार पर वार्षिक रूप से किया जाता है:

क) परिसर

i) बैंक के स्वामित्ववाले (पूर्ण स्वामित्व वाले/पट्टे पर लिए गए)	5%
ii) पट्टे पर लिये गये परिसरों के संबंध में पूंजीगत व्यय	
– जहाँ पट्टे की अवधि निर्दिष्ट नहीं है	10%
– जहाँ पट्टे की अवधि निर्दिष्ट है	पट्टे की शेष अवधि पर परिशोधित

ख) अन्य आस्तियाँ

i) फर्नीचर	10%
ii) उपस्कर, टाइपराइटर, अन्य उपकरण, यू.पी.एस. जनरेटर आदि	15%
iii) वाहन	20%
iv) इलेक्ट्रानिक उपकरण	40%
v) कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर (सीधी रेखा पद्धति)	33.33%

6.4 अचल आस्तियों में जोड़ी गयी आस्तियों पर मूल्यह्रास का प्रावधान, पूरे वर्ष के लिए किया जाता है, सिवाय कंप्यूटर उपकरण तथा परिचालन साफ्टवेयर के मामले में, जहाँ मूल्यह्रास का प्रावधान यथानुपातिक आधार पर किया जाता है।

7.0 **सेवानिवृत्ति लाभ**

7.1 कर्मचारी जिन्होंने भविष्य निधि के लिए विकल्प दिए हैं, उनके मामले में भविष्य निधि न्यास को सांविधिक अंशदान किया जाता है और अन्य कर्मचारी जिन्होंने पेन्शन के लिए विकल्प दिए हैं उनके संबंध में पेन्शन निधि को अंशदान वास्तविक मूल्य के आधार पर किया जाता है।

7.2 उपदान निधि न्यास को अंशदान वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

issued by Reserve Bank of India from time to time. In respect of foreign branch, asset classification and provisioning for loan losses are made as per local requirements or as per RBI prudential norms, whichever is more stringent.

5.2 Advances are stated net of provisions made for Non-Performing Assets except general provisions for Standard Advances, Provision held for sold assets which have been included in 'Other Liabilities and Provisions'.

6.0 **PREMISES AND OTHER FIXED ASSETS**

6.1 Premises and other fixed assets are stated at historical cost and/or revaluation value less accumulated depreciation. The premises are revalued every five years at value determined based on the appraisal by approved valuers. Surplus arising at such revaluation is credited to Revaluation Reserve.

6.2 Depreciation on premises has been provided on composite cost wherever cost of land cannot be segregated. Additional depreciation on revalued amount is adjusted to the Revaluation Reserve.

6.3 Depreciation on other fixed assets, including additions, is provided for on the basis of written down value, except as otherwise stated, at the following rates:

a) PREMISES:

i) Bank owned (freehold/leasehold)	5%
ii) Capital Expenditure on premises taken on lease	
– where lease period is not specified	10%
– where lease period is specified	amortised over the residual Period of lease.

b) OTHER ASSETS:

i) Furniture	10%
ii) Fixtures, typewriters, other equipments, UPS, generators, etc.	15%
iii) Vehicles	20%
iv) Electronic equipments	40%
v) Computers & Operating Software (Straight Line Method)	33.33%

6.4 Depreciation on additions to fixed assets is provided for the whole year except on additions to computers and operating software, which is on pro-rata basis. No depreciation is provided on the assets in the year of their disposal.

7.0 **RETIREMENT BENEFITS**

7.1 Statutory contribution is made to Provident Fund Trust in respect of employees who have opted for Provident Fund. For others who have opted for pension scheme, contribution to Pension Fund Trust is made based on actuarial valuation.

7.2 Contribution to Gratuity Fund Trust is based on actuarial valuation.

7.3 छुट्टी नकदीकरण सुविधा की देयता को वास्तविक मूल्यांकन के अनुसार, उपचय आधार पर उपलब्ध कराया जाता हैं।

8.0 **राजस्व का निर्धारण**

क) राजस्व और व्यय का हिसाब सामान्यतः प्रोद्भवन के आधार पर किया जाता है, सिवाय म्यूच्युअल फंड संव्यवहारों पर शुल्क/कमीशन के गैर बैंकिंग आस्तियों पर आय, लॉकर किराया, परिपक्व जमाराशियाँ/अतिदेय बिलों पर ब्याज/कर वापसी अनर्जक आस्तियों से आय, दावा दायर खातों पर विधिक व्यय जिनका लेखाकरण नकदी आधार पर किया गया है।

ख) जब शेयरों पर लाभांश की घोषणा की जाती है तब उस से प्राप्त आय का लेखाकरण उपचय आधार पर किया जाता है और लाभांश प्राप्त करने का अधिकार स्थापित किया जाता है।

ग) अतिदेय जमाराशियों पर ब्याज को नवीकरण के समय पर हिसाब में लिया जाता है। परिपक्व जमाराशियों के मामले में भा.रि.बैं. के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार प्रावधान किया गया है ।

घ) प्रतिभूतियों के क्रय या विक्रय पर खंडित अवधि का ब्याज भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा निदेशों के अनुसार राजस्व मद माना जाता है।

ङ) एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर, बांड निर्गम, क्रेडिट कार्ड एवं बीमा उत्पादों के फ्रैन्चाइज को राजस्व में प्रभारित कर दिया जाता है।

च) आयातित सोने के सिक्कों की बिक्री से प्राप्त आय का लेखाकरण, सिक्कों की बिक्री पूरी होने के बाद अन्य आय के रूप में किया जाता है।

9.0 **आय कर**

9.1 चालू कर का निर्धारण आय कर अधिनियम, 1961 के आधार पर किया जाता है।

9.2 कर योग्य आय और लेखाकरण आय के बीच समय का अंतर होने की वजह से उत्पन्न होनेवाली आस्थगित कर आस्तियों तथा देयताओं का अभिनिर्धारण आइ.सी.ए.आइ. द्वारा जारी किए गए लेखाकरण मानक 22 के अनुसार आस्थगित कर आस्तियों से संबंधित विवेकपूर्ण मानदण्ड को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।

10.0 **देश जोखिम प्रबंधन**

बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा निदेशों के अनुसार देश जोखिम प्रबंधन नीति अपनाई है।

11.0 **सोने के सिक्के**

आयातित सोने के सिक्कों के स्टॉक का मूल्य निर्धारण, लागत पर या बाज़ार मूल्य, इनमें जो भी कम हो, पर किया गया है।

12.0 **निवल लाभ**

निवल लाभ का निर्धारण 'प्रावधानों और आकस्मिकताओं' के अधीन निम्नलिखित मदों को हिसाब में लेने के पश्चात् किया गया है:

– आय कर और संपत्ति कर के लिए प्रावधान
– अनर्जक अग्रिमों और निवेशों के लिए प्रावधान/अपलेखन
– मानक आस्तियों के प्रावधान
– निवेश पर मूल्यवृद्धि/मूल्यह्रास के लिए समायोजन
– आकस्मिकताओं को अंतरण
– अन्य सामान्य और आवश्यक प्रावधान

7.3 Liability towards leave encashment is provided on accrual basis as per actuarial valuation.

8.0 **REVENUE RECOGNITION**

a) Revenue and expenses are generally accounted for on accrual basis except in respect of fees/commission on transactions with Mutual Funds, income on non-banking assets, locker rent, interest on overdue bills/tax refunds, income from non-performing assets and legal expenses on suit filed accounts which are accounted on cash basis.

b) Income from dividend on shares is accounted on accrual basis when the same is declared and the right to receive the dividend is established.

c) Interest on overdue deposits is accounted for at the time of renewal. In respect of matured deposits provision has been made as per the RBI guidelines.

d) The broken period interest on sale or purchase of securities is treated as revenue as per RBI guidelines.

e) Expenditure in respect of application software, bonds issue, franchises of credit card and insurance products are charged off to revenue.

f) Income from consignment sale of imported gold coins is accounted for as other income after the sale is complete.

9.0 **TAXES ON INCOME**

9.1 Current tax is determined as per the provisions of the Income Tax Act, 1961.

9.2 Deferred tax assets and liabilities arising on account of timing differences between taxable and accounting income, is recognized keeping in view, the consideration of prudence in respect of deferred tax assets in accordance with the Accounting Standard 22 issued by ICAI.

10.0 **COUNTRY RISK MANAGEMENT**

The bank has adopted the Country Risk Management policy in accordance with the RBI guidelines.

11.0 **GOLD COINS**

Stock of imported gold coins is valued at cost or market price, whichever is lower.

12.0 **NET PROFIT**

Net Profit is arrived at after accounting for the following under "Provisions & Contingencies":

– Provision for Income tax and Wealth tax
– Provision/Write off of Non-Performing Advances and Investments
– Provision on Standard Assets
– Adjustment for appreciation/depreciation on Investments
– Transfer to Contingencies
– Other usual and necessary provisions.

अनुसूची –18 लेखा संबंधी टिप्पणियाँ –2009-2010

1. **पूंजी**

विवरण	31-03-2010	31-03-2009
i) जोखिम भारित आस्ति की तुलना में पूँजी का अनुपात (%) बासेल – II	**12.70**	12.68
ii) सी.आर.ए.आर. प्रथम चरण की पूंजी (%)	**8.24**	7.85
iii) सी.आर.ए.आर. द्वितीय चरण की पूंजी (%)	**4.46**	4.83
iv) भारत सरकार के शेयरधारण की प्रतिशतता	**66.47**	66.47
v) द्वितीय चरण की पूंजी के रूप में जुटाई गई गौण ऋण राशि (रु. करोड़)	**2025.00**	1825.00

नोट: बासेल–II मानदण्डों के अनुसार, दि. 31-03-2010 को मूल कंपनी की पूंजी पर्याप्तता अनुपात 11.20% और दि.31-03-2009 को 11.37% था ।

2. **निवेश** (करोड़ रुपयों में)

विवरण	2009-10	2008-09
(1) **निवेश का मूल्य**		
(i) निवेश का सकल मूल्य		
(क) भारत में	**32778.36**	30293.10
(ख) भारत के बाहर	**314.96**	390.73
(ii) मूल्यह्रास और एन.पी.ए. के लिए प्रावधान		
(क) भारत में	**58.00**	115.55
(ख) भारत के बाहर	**24.77**	31.05
(iii) निवेश का निवल मूल्य		
(क) भारत में	**32720.36**	30177.55
(ख) भारत के बाहर	**290.19**	359.68
(2) **निवेश के मूल्यह्रास के लिए रखे गए प्रावधान का संचलन**		
प्रारंभिक शेषराशि	**146.60**	80.77
जोड़ें: वर्ष के दौरान कए गए प्रावधान	**15.51**	100.49
घटाएं: वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधान का अपलेखन/पुनरांकन	**79.34**	34.66
इतिशेष	**82.77**	146.60

क) **रेपो लेन–देन** (करोड़ रुपयों में)

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	दि. 31-03-2010 को इतिशेष
रेपोज के अधीन बिक्री की गई प्रतिभूतियाँ	NIL	NIL	NIL	NIL
रिवर्स रेपोज के अधीन खरीदी गई प्रतिभूतियाँ	100.00	5700.00	580.19	NIL

ख) **दि. 31-03-2010 को गैर एस.एल.आर. निवेशों के जारीकर्तावार संरचना**

(करोड़ रुपयों में)

क्रम सं.	जारीकर्ता	रकम	प्राइवेट नियोजन की मात्रा	''निम्न निवेश श्रेणी'' प्रतिभूतियों की मात्रा	अनिर्धारित प्रतिभूतियों की मात्रा	''असूचीबद्ध'' प्रतिभूतियों की मात्रा
1	2	3	4	5	6	7
1.	सा.क्षे.उ.	70.38	48.87	0.00	25.38	5.84
2.	वित्तीय संस्थाएँ	809.64	809.64	0.00	50.50	75.06
3.	बैंक	718.91	688.80	0.00	0.00	2.00
4.	निजी कंपनी	407.03	330.49	0.00	134.37	90.35
5.	सहयोगी संस्थाएँ/ संयुक्त उद्यम	33.60	33.60	0.00	33.60	33.60
6.	अन्य	2654.20	2407.90	49.00	62.46	232.85
7.	घटाएँ: मूल्यह्रास के प्रति रखा गया प्रावधान	38.57	13.80	8.33	18.66	25.28
8.	कुल (1 से 6 घटाएँ 7)	4655.19	4305.49	40.67	287.65	414.42

(कॉलम, 4, 5, 6 और 7 में दी गई रकम परस्पर अनन्य नहीं है)

SCHEDULE – 18 NOTES ON ACCOUNTS – 2009-2010

1. **CAPITAL**

Particulars	31-03-2010	31-03-2009
i) Capital to Risk Assets Ratio (CRAR) (%) Basel II	**12.70**	12.68
ii) CRAR - Tier I Capital (%)	**8.24**	7.85
iii) CRAR - Tier II Capital (%)	**4.46**	4.83
iv) Percentage of the shareholding of the Government of India	**66.47**	66.47
v) Amount of subordinated debt raised as Tier-II capital (Rs. Crore)	**2025.00**	1825.00

Note: The Capital Adequacy Ratio of the Bank as on 31-03-2010 as per Basel II norms is 11.20% and as on 31-03-2009 was 11.37%.

2. **INVESTMENTS** (Rs. in Crore)

Particulars	2009-10	2008-09
(1) **Value of Investments**		
(i) Gross Value of Investments		
(a) In India	**32778.36**	30293.10
(b) Outside India	**314.96**	390.73
(ii) Provisions for Depreciation and NPA		
(a) In India	**58.00**	115.55
(b) Outside India	**24.77**	31.05
(iii) Net Value of Investments		
(a) In India	**32720.36**	30177.55
(b) Outside India	**290.19**	359.68
(2) **Movement of provisions held towards depreciation on investments**		
Opening balance	**146.60**	80.77
Add:Provisions made during the year	**15.51**	100.49
Less:Write-off/write-back of excess provisions during the year	**79.34**	34.66
Closing balance	**82.77**	146.60

a) **Repo Transactions** (Rs. in Crore)

Particulars	Minimum outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily Average outstanding during the year	Closing Balance as on 31-03-2010
Securities sold under Repos	NIL	NIL	NIL	NIL
Securities purchased under Reverse Repos	100.00	5700.00	580.19	NIL

b) **Issuer composition of Non-SLR investments as on 31-03-2010** (Rs. in Crore)

Sl. No.	Issuer	Amount	Extent of private placement	Extent of "Below Investment grade" securities	Extent of "Unrated" securities	Extent of "Unlisted" securities
1	2	3	4	5	6	7
1.	PSUs	70.38	48.87	0.00	25.38	5.84
2.	Financial Institutions	809.64	809.64	0.00	50.50	75.06
3.	Banks	718.91	688.80	0.00	0.00	2.00
4.	Private Corporates	407.03	330.49	0.00	134.37	90.35
5.	Subsidiaries/ Joint Ventures	33.60	33.60	0.00	33.60	33.60
6.	Others	2654.20	2407.90	49.00	62.46	232.85
7.	Less: Provision held towards depreciation	38.57	13.80	8.33	18.66	25.28
8.	TOTAL (1 to 6 minus 7)	4655.19	4305.49	40.67	287.65	414.42

(Amounts reported under Columns 4, 5, 6 & 7 above may not be mutually exclusive)

ग) **अनर्जक गैर एस.एल.आर. निवेश** (करोड़ रुपयों में)

विवरण	31-03-2010	31-03-2009
अथशेष	**60.57**	10.57
वर्ष के दौरान परिवर्धन	**5.19**	50.00
वर्ष के दौरान कटौती	**50.74**	0.00
इति शेष	**15.02**	60.57
रखे गए कुल प्रावधान	**11.33**	20.57

3. **व्युत्पन्न**

अ. **वायदा दर करार/ब्याज दरों की अदला-बदली/ विदेशी मुद्रा की अदला-बदली** (करोड़ रुपयों में)

विवरण	31-03-10	31-03-09
i) अदला-बदली करार का कल्पित मूल-धन	**1640.67**	1587.26
ii) यदि करार के अधीन अपने दायित्वों को पूरा करने में प्रति पार्टी विफल होती हैं तो, उठाई जाने वाली हानि	**(8.44)**	(8.87)
iii) अदला-बदली में प्रवेश होने पर मूल कंपनी द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक प्रतिभूति	**–**	–
iv) अदला-बदली से उठनेवाले ऋण जोखिम का केन्द्रीकरण*	**–**	–
v) अदला-बदली बही का उचित मूल्य	**(0.78)**	(1.80)

* बैंकिंग क्षेत्र के अलावा, मूल कंपनी ने केवल एक ही पार्टी के पास निवेश किया जो एक पावर परियोजना है।

आ. **विनिमय व्यापारिक व्युत्पन्न – मुद्रा वायदे**

बैंक विनिमय पर यू.एस.डॉलर/भारतीय रुपयों में मुद्रा वायदे का स्वामित्व व्यापार करती है। दि. 31-03-2010 की स्थिति के अनुसार मुद्रा वायदे के अंतर्गत कोई बकाया नहीं है।

ई. **व्युत्पन्नों (डेरिवेटिव) में जोखिम निवेशों का प्रकटीकरण**

(क) **गुणात्मक प्रकटीकरण**

बैंक अपने तुलन पत्र में आस्तियों और देयताओं की प्रतिरक्षा और व्यापार/बाजार को सक्रिय बनाने के उद्देश्य से व्युत्पन्न लेन-देन कर रहा है। बैंक, बैंक और बैंकेतर काउंटर पार्टियों के साथ एफ.आर.ए., ब्याज दर स्वैप, करेंसी स्वैप तथा करेंसी विकल्प जैसे व्युत्पन्न लेन-देन कर रहा है।

- बैंक के पास संमिश्र व्युत्पन्न के अंतर्गत कोई निवेश नहीं है और नहीं उनके पास न्यून-ब्याजदर वाली आस्तियों के अंतर्गत कोई प्रत्यक्ष निवेश है ।
- व्युत्पन्न लेन-देन करने के लिए बैंक के पास अच्छी खासी नीति है जो बैंक के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित है।
- बैंक ने न तो किसी लेखे का क्रिस्टलीकरण और अपलेखन किया है और न ही व्युत्पन्न लेन-देन से कोई हानि उठाई है ।
- ब्याजसंबंधीविवादकोरोकनेतथाजोखिमकीमात्राकोकमकरनेकेउद्देश्यसेफ्रंट ऑफिस, मिड ऑफिस और बैक ऑफिस को अलग-अलग कर दिया गया। मिड ऑफिस, नैगम कार्यालय, बेंगलूर में स्थित जोखिम प्रबंधन और अनुप्रवर्तन विभाग को सीधे रिपोर्ट करता है।
- गैर बैंक ग्राहक सहित काउँटर पार्टियों की ऋण जोखिम का मूल्यांकन निर्धारित सीमा/सीमाओं के साथ उचित रीति से किया जाता है।
- ऋण जोखिम की निगरानी काउँटर पार्टी निवेश सीमाएं निर्धारित करने, देश विशेष को ऋण देने में निहित जोखिम निर्धारित करने और सी.सी.आई.एल./ सी.एल.एस. के माध्यम से निपटान संबंधी जोखिम को कम करने के द्वारा की जाती है ।

c) **Non-performing Non-SLR Investments**

(Rs. in Crore)

Particulars	31-03-2010	31-03-2009
Opening balance	**60.57**	10.57
Additions during the year	**5.19**	50.00
Reduction during the year	**50.74**	0.00
Closing balance	**15.02**	60.57
Total provisions held	**11.33**	20.57

3. **DERIVATIVES**

A. **Forward Rate Agreements / Interest Rate Swap/Cross Currency Swaps**

(Rs. in crore)

Items	31-03-10	31-03-09
i) The notional principal of the swap agreements	**1640.67**	1587.26
ii) Losses which would be incurred if the counterparties fail to fulfil their obligations under the agreements	**(8.44)**	(8.87)
iii) Collateral required by the bank upon entering the swap	**–**	–
iv) Concentration of credit risk arising from the swaps *	**–**	–
v) The fair value of the swap book	**(0.78)**	(1.80)

* Apart from the banking sector, we have exposures with only one party, which is into power projects.

B. **Exchange Traded Derivatives – Currency Futures**

The Bank undertakes proprietary trading in Currency Futures in USD/INR on the Exchanges. There are no outstanding contracts under Currency Futures as on 31-3-2010.

C. **Disclosures on Risk Exposure in Derivatives**

a) **Qualitative Disclosure**

The Bank is undertaking derivative transactions for hedging risks on its balance sheet as well as for trading/market-making purposes. Bank is undertaking derivative transactions like FRAs, Interest rate swaps, Currency swaps and Currency Options, with bank and Non-bank Counter parties.

- Bank is not having any exposure in complex derivatives nor has it any direct exposure to the sub-prime assets.
- The Bank has a well laid-down policy for undertaking derivative transactions approved by its Board.
- The Bank has not crystallised and written off any account nor incurred any loss on account of undertaking derivative transactions.
- The segregation of Front Office, Mid Office and Back office is ensured to avoid conflict of interest and to mitigate the degree of risk. The Mid Office is directly reporting to Risk Management and Monitoring Department at Corporate Office, Bangalore.
- Credit risk of counter parties, including non-bank clients is properly appraised and limits fixed.
- Credit risk is monitored by setting counterparty exposure limits, setting country risk exposure and mitigating settlement risk through CCIL/CLS.

- मुद्रा वायदे से बैंक के लिए कोई ऋण जोखिम नहीं है, क्योंकि एक्स्चेंज कंपनियाँ भुगतान की गारंटी देती है ।
- विदेशी मुद्रा अदला-बदली को 5 वर्षों तक की अवधि के लिए किया गया जिसमें कोई जोखिम के बिना उसी प्रकार के समर्थक लेन-देन और गैर-बैंक कंपनी ग्राहकों के लिए 50 मिलियन यू.एस. डॉलर की राशि शामिल की गई है।
- केवल उन गैर-बैंक प्रति पार्टी के लिए करेंसी स्वैप लेन-देन किया गया। जिनका श्रेणी निर्धारण सिंड-01 से सिंड-04 है ।
- मूल धन और ब्याज समर्थक लेन-देन दोनों को करेंसी स्वैप में शामिल किया गया। इस प्रकार कोई लागत को शामिल किए बिना विनिमय दर जोखिम तथा ब्याज दर जोखिम दोनों को प्रतिरक्षा प्रदान किया गया।
- संचालनों को, काऊंटर पार्टी बैंकों और बैंकेतर ग्राहकों के साथ निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित सीमाओं के भीतर किया जाता है। गैर बैंक ग्राहकों के साथ लेन-देनों को पृष्ठाधान रक्षा के आधार पर बाज़ार जोखिम उठाए बिना किया जाता है।
- व्युत्पन्न लेन-देन के लिए चालू उधार निवेश पद्धति के आधार पर ऋण पर निगरानी रखता है।
- भा.रि.बैं. के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार काऊँटर पार्टी बैंक और गैर-बैंक ग्राहक के साथ आई.एस.डी.ए. करार निष्पादित/विनिमय किया गया है।
- मिड ऑफिस, व्यापार लेन-देन से उत्पन्न होनेवाली जोखिम का स्वतंत्र रूप से आंकन करता है।
- संचालनों को निदेशक मंडल द्वारा संस्वीकृत समग्र पूरक सीमा के भीतर किया जाता है।
- प्रतिरक्षा हेतु किया गया कोई भी लेन-देन, यदि असुरक्षित हो जाता है तो उसे व्यापार लेन-देन समझा जाएगा और उसे परिपक्वता तक चालू रखा जाएगा ।
- लेन-देनों को प्रतिरक्षा या गैर-प्रतिरक्षा लेन-देनों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, उसे उचित मूल्य पर आंका जाएगा।
- समर्थन आधार पर किए गए लेन-देन और बैंक की आस्तियों एवं देयताओं से संबंधित जोखिमों की प्रतिरक्षा हेतु किए गए लेन-देनों का मूल्य निर्धारण ब्याज उपचय आधार पर किया जाएगा और उसे तदनुसार लेखाबद्ध किया जाएगा ।
- खरीद के समय प्रदत्त प्रीमियम, यदि कोई हो, का परिशोधन लेन-देन की अवशिष्ट अवधि पर किया जाएगा । परिपक्व होने पर लाभ दर्ज किया जाएगा। बट्टा घटक को, अग्रिमों से प्राप्त आय लेखे में रखा जाएगा और परिपक्व होने पर उसे लाभ व हानि लेखे में विनियोग किया जाएगा ।
- प्रतिरक्षा उद्देश्य हेतु किए गए उन सभी लेन-देनों के लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है, जो असुरक्षित हो जाते हैं और बाज़ार के लिए अंकित हानि हो जाती है ।
- उन निवल निधीकृत देशी ऋणों के लिए प्रावधान किया गया है जहाँ ऋण राशि बैंक की आस्तियों के 1% या उस से अधिक है ।
- विपणन उद्देश्य हेतु किए गए लेन-देनों को पाक्षिक आधार पर बाजार के लिए अंकित किया जाता है और प्रतिरक्षा उद्देश्य हेतु रखे गए लेन-देनों को उपचय आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है ।
- मंजूरी की शर्तों के अनुसार संपार्श्विक प्रतिभूतियाँ भी प्राप्त की जाती हैं।
- बैंक की लंदन शाखा, एफ.आर.ए. और आई.आर.एस. को केवल प्रतिरक्षा उद्देश्य के लिए करती है और ब्याज का लेखाकरण उपचय आधार पर करती है।

- Currency Futures have no credit risk for the Bank as the exchanges guarantee payment.
- Cross-currency swaps are undertaken upto a period of 5 years, covering the same back-to-back without any open position and upto an amount of USD 50 Mio for non-bank clients.
- Currency swaps are undertaken for non-bank counterparty with ratings SYND 01 to SYND 04 only.
- Cover currency swaps are undertaken both principal and interest back-to-back thus hedging both exchange rate risk and interest rate risk without involvement of any outlays.
- The transactions with our counter-party banks and non-bank counter-party are undertaken within the limits approved by the Board. The transactions with non-bank counterparty are done on a back-to-back covered basis without assuming any market risk.
- Credit exposures for derivative transactions are monitored on the basis of current credit exposure Method.
- ISDA agreements are executed / exchanged with every counter-party bank and non-bank clients as per RBI guidelines.
- Mid-office measures and monitors the risk arising out of trading deals independently.
- The transactions are undertaken within the overall Aggregate Gap Limits sanctioned by the Board.
- Any transaction undertaken for hedging purpose, if it becomes naked, is treated as a trading transaction and allowed to run till maturity.
- The transactions are separately classified as hedge or non-hedge transactions and measured at fair value.
- The transactions covered on back-to-back basis and the transactions undertaken to hedge the risks on Bank's assets and liabilities are valued as per the valuation prescribed and Interest is accounted on accrual basis.
- Premium at the time of purchase, if any, is amortized over the residual period of the transaction. Profit is recognised on maturity. Discount is held in Income Received in Advance account and appropriated to P&L account on maturity.
- Adequate provision is made for transactions undertaken for hedging purpose, which become naked resulting in mark-to-market losses.
- Provision is also made for net funded country exposures, where the exposure is 1% or more of the Bank's assets.
- Transactions for market making purposes are marked-to-market at fortnightly intervals and those for hedging purposes are accounted for, on accrual basis.
- Collaterals are also obtained depending on the terms of sanction.
- Bank's branch at London is undertaking FRAs and IRS for hedging purpose only and accounting interest on accrual basis.

- 97.87% व्युत्पन्न, एक वर्ष से कम अवधि के अंतर्गत आते हैं।

ख) दि. 31-03-2010 को मात्रात्मक निवेश (करोड़ रुपयों में)

क्रम सं.	विवरण	मुद्रा व्युत्पन्न	ब्याज दर व्युत्पन्न
1.	व्युत्पन्न (काल्पनिक मूल राशि) क) प्रतिरक्षा के लिए ख) व्यापार के लिए	269.40 NIL	1640.67 NIL
2.	बाजार स्थितियों को अंकित क) आस्तियाँ (+) ख) देयताएँ (–)	NIL NIL	–0.19 –0.78
3.	ऋण विनिवेश	62.13	8.44
4.	ब्याज दरों में 1% परिवर्तन होने से होनेवाला प्रभाव (100* पीवी 01) क) प्रतिरक्षा व्युत्पन्नों पर ख) व्यापार व्युत्पन्नों पर	0.08 NIL	4.75 NIL
5.	वर्ष के दौरान पाया गया 100* पीवी 01 का अधिकतम एवं न्यूनतम क) प्रतिरक्षा पर न्यूनतम अधिकतम ख) व्यापार पर न्यूनतम अधिकतम	– – NIL NIL	– – NIL NIL

4. **आस्ति गुणवत्ता**

क) **अनर्जक आस्ति** (करोड़ रुपयों में)

विवरण	31-03-2010	31-03-2009
(i) निवल अग्रिमों की निवल अनर्जक आस्ति (%)	**1.07**	0.77
(ii) सकल अनुत्पादक आस्तियों का संचलन		
क) प्रारंभिक शेष राशि	**1594.54**	1768.65
ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन (नई अनर्जक आस्तियाँ)	**1491.52**	960.70
ग) वर्ष के दौरान कटौती	**1079.24**	1134.81
घ) इतिशेष	**2006.82**	1594.54
(iii) निवल अनुत्पादक आस्तियों का संचलन		
क) प्रारंभिक शेषराशि	**631.77**	622.73
ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	**960.96**	696.38
ग) वर्ष के दौरान कटौती	**629.53**	687.34
घ) इतिशेष (क–क)	**963.20**	631.77
(iv) अनर्जक आस्तियों के लिए किए गए प्रावधानों का संचलन (मानक आस्तियों के लिए किए प्रावधानों को छोड़कर)		
क) प्रारंभिक शेषराशि	**926.04**	1107.40
ख) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	**530.56**	380.83
ग) अतिरिक्त प्रावधान का अपलेखन/ पुनरांकन	**459.44**	562.19
घ) इतिशेष	**997.16**	926.04

ख) **सेक्टरवार अनर्जक आस्तियाँ**

क्रम सं.	सेक्टर	उक्त क्षेत्र के अंतर्गत कुल अग्रिमों की तुलना में एन.पी.ए. की प्रतिशतता
1.	कृषि और संबद्ध क्रियाकलाप	1.47
2.	उद्योग (अत्यंत लघु, और लघु, मध्यम और बड़े उद्योग)	2.70
3.	सेवा	5.35
4.	वैयक्तिक ऋण	2.50

- 97.87% of Derivatives fall under the short tenure of less than one year.

b) Quantitative Exposures as on 31-03-2010

(Rs. in Crore)

Sl . No.	Particular	Currency Derivatives	Interest Rate Derivatives
1.	Derivatives (Notional Principal Amount) a) For Hedging b) For Trading	269.40 NIL	1640.67 NIL
2.	Marked To Market Positions a) Asset (+) b) Liability (–)	NIL NIL	–0.19 –0.78
3.	Credit Exposure	62.13	8.44
4.	Likely impact of 1% change in interest rates (100*PV01) a) For Hedging b) For Trading	0.08 NIL	4.75 NIL
5.	Maximum & Minimum of 100*PV01 observed during year a) For Hedging Minimum Maximum b) For Trading Minimum Maximum	– – NIL NIL	– – NIL NIL

4. **ASSET QUALITY**

a) **Non-Performing Assets** (Rs. in Crore)

Particulars	31-03-2010	31-03-2009
(i) Net NPA to Net Advances (%)	**1.07**	0.77
(ii) Movement of NPAs (Gross)		
a. Opening balance	**1594.54**	1768.65
b. Additions (Fresh NPAs) during the year	**1491.52**	960.70
c. Reductions during the year	**1079.24**	1134.81
d. Closing balance (A–B)	**2006.82**	1594.54
(iii) Movement of Net NPAs		
a. Opening balance	**631.77**	622.73
b. Additions during the year	**960.96**	696.38
c. Reductions during the year	**629.53**	687.34
d. Closing balance	**963.20**	631.77
(iv) Movement of Provisions for NPAs (excluding provision on Standard Assets)		
a. Opening balance	**926.04**	1107.40
b. Provisions made during the year	**530.56**	380.83
c. Write off/write back of excess provisions	**459.44**	562.19
d. Closing balance	**997.16**	926.04

b) **Sector-wise NPAs**

Sl. No.	Sector	Percentage of NPAs to Total Advances in that sector
1.	Agriculture & allied activities	1.47
2.	Industry (Micro & small, Medium and Large)	2.70
3.	Services	5.35
4.	Personal Loans	2.50

ग) **प्रतिभूतीकरण/पुनर्निर्माण कंपनियों को बिक्री की गई वित्तीय आस्तियों के विवरण**

(करोड़ रुपयों में)

विवरण	2009-10	2008-09
(i) खातों की संख्या	**NIL**	NIL
(ii) प्रतिभूतीकरण/पुनर्निर्माण कंपनियों को बिक्री किए गए खातों के कुल मूल्य (प्रावधान घटाकर)	**NIL**	NIL
(iii) कुल प्रतिलाभ	**NIL**	NIL
(iv) पूर्ववर्ती वर्षों में अंतरित खातों के संबंध में वसूल किया गया अतिरिक्त प्रतिलाभ	**NIL**	NIL
(v) निवल बही मूल्य के प्रति कुल लाभ/हानि	**NIL**	NIL

घ) **खरीदी गयी/विक्रय की गयी अनर्जक वित्तीय आस्तियों के ब्यौरे:** शून्य (पिछले वर्ष: शून्य)

ङ) **मानक आस्तियों पर प्रावधान** (रु. करोड़ में)

विवरण	2009-10	2008-09
मानक आस्तियों के प्रति प्रावधान	**395.89**	395.89

5. **कारोबार अनुपात**

विवरण	31-03-2010	31-03-2009
(i) कार्यशील निधियों की तुलना में ब्याज आय की प्रतिशतता (%)	**7.72%**	8.51%
(ii) कार्यशील निधियों की तुलना में अब्याजी आय की प्रतिशतता (%)	**0.90%**	0.76%
(iii) कार्यशील निधियों की तुलना में परिचालन लाभ की प्रतिशतता (%)	**1.44%**	1.52%
(iv) आस्तियों पर प्रतिलाभ (%)	**0.62%**	0.81%
(v) प्रति कर्मचारी कारोबार (जमाराशि +अग्रिम) (रु. लाख में)	**746.84**	750.65
(vi) प्रति कर्मचारी लाभ (रु. लाख में)	**3.18**	3.64

c) **Details of financial assets sold to Securitisation/Reconstruction Company for Asset Reconstruction**

(Rs. in Crore)

Particulars	2009-10	2008-09
(i) No. of accounts	**NIL**	NIL
(ii) Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to Securitisation Company/Reconstruction Company	**NIL**	NIL
(iii) Aggregate consideration	**NIL**	NIL
(iv) Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	**NIL**	NIL
(v) Aggregate gain over net book value.	**NIL**	NIL

d) **Details of non-performing financial assets purchased/sold: Nil (Previous Year: Nil)**

e) **Provisions on Standard Asset** (Rs. in Crore)

Particulars	2009-10	2008-09
Provisions towards Standard Assets	**395.89**	395.89

5. **BUSINESS RATIOS**

Particulars	31-03-2010	31-03-2009
(i) Interest Income as a percentage to Working Funds (%)	**7.72%**	8.51%
(ii) Non-interest income as a percentage to Working Funds (%)	**0.90%**	0.76%
(iii) Operating Profit as a percentage to Working Funds (%)	**1.44%**	1.52%
(iv) Return on Assets (%)	**0.62%**	0.81%
(v) Business (Deposits plus advances) per employee (Rs. in Lacs)	**746.84**	750.65
(vi) Profit per employee (Rs. in Lacs)	**3.18**	3.64

6. **आस्तियों और देयताओं के कुछ मदों का परिपक्वता पैटर्न/MATURITY PATTERN OF CERTAIN ITEMS OF ASSETS AND LIABILITIES AS ON 31-03-2010**

(रुपये करोड़ में Rs. in Crore)

ऋण और अग्रिम, निवेश, जमाराशि और उधार का परिपक्व पैटर्न/THE MATURITY PATTERN OF LOANS & ADVANCES, INVESTMENTS, DEPOSITS AND BORROWINGS (भा.रि.बैं. द्वारा निर्दिष्ट विभिन्न परिपक्वता बजेट के अंतर्गत)/(UNDER VARIOUS MATURITY BUCKETS PRESCRIBED BY THE RESERVE BANK OF INDIA)

अवशिष्ट परिपक्वता Residual Maturity	1 दिन 1 day	2-7 दिन 2-7 day	8-14 दिन 8-14 days	15-28 दिन 15-28 days	29 दिनों से और 3 महीने तक 29 days-3 months	3-6 महीने 3 - 6 months	6 महीने से अधिक और 1 वर्ष तक >6 months to 1 year	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक >1 year to 3 years	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक >3 years to 5 years	5 वर्ष से अधिक >5 years	कुल Total
1 ऋण और अग्रिम की परिपक्वता पैटर्न Maturity Pattern of Loans & Advances	2943.50	2645.17	1607.99	1901.18	9175.02	5124.42	10377.23	32855.14	11338.45	12438.26	90406.36
2 निवेश की परिपक्वता पैटर्न Maturity Pattern of Investments	876.22	33.78	0.00	1991.81	4626.31	3081.56	3695.89	7813.03	2175.02	8717.30	33010.93
3 जमाराशियों की परिपक्वता पैटर्न Maturity Pattern of Deposits	493.84	4804.79	3098.63	3301.98	16093.18	11968.98	8293.93	28734.06	7093.85	33142.55	117025.79
4 उधार राशियों की परिपक्वता पैटर्न Maturity Pattern of Borrowings	0.23	0.00	0.00	0.00	3759.93	348.58	1738.86	2170.71	504.95	31.73	8554.98
5 ** विदेशि मुद्रा आस्तियां (लंदन+आइडी) Foreign Currency Assets(London+ID)	795.13	1436.97	517.95	1112.66	2756.99	1155.64	483.35	974.72	708.30	296.01	10237.74
6 ** विदेशि मुद्रा देयताएँ (लंदन+आइडी) Foreign Currency Liabilities (London+ID)	567.37	951.68	670.47	649.87	3266.58	1496.61	1329.27	603.33	2.41	0.00	9537.58

** उपर्युक्त मद सं. 5 और 6 को उक्त मद सं 1 से 4 के संबंधित शीर्षों में शामिल किया गया है। Item No. 5 & 6 above are included in respective heads in item No. 1 to 4 above.

नोट: उपर्युक्त तालिका की मद सं. 5 और 6 लंदन और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग दोनों विदेशी मुद्राओं में आंकी गयी आस्तियां/देयताएं है और ये संबंधित लेखा शीर्ष के अधीन मद संख्या 1 से 4 में दिए गए लेखा शीर्ष के हिस्से बनते हैं।

Note: Item No. 5 & 6 of above table are assets/liabilities denominated in foreign currencies of both London and International Division and these form part of the respective heads given in item numbers 1 to 4.

7. **निवेश**

क. **स्थावर संपदा क्षेत्र में निवेश**

(करोड़ में रुपयों)

विवरण	31-03-10	31-03-09
स्थावर संपदा श्रेत्र को ऋण क) प्रत्यक्ष निवेश	**11321.68**	8765.65
(i) आवासीय बंधक - उधारकर्ता द्वारा निवास करनेवाली या किए जाने वाली या किराए पर दी गई आवासीय संपत्ति पर बंधक द्वारा पूर्ण रूप से रक्षित उधार;	**8763.15**	6309.96
इनमें से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों के अंतर्गत शामिल करने हेतु पात्र वैयक्तिक आवास ऋण	**6380.20**	4340.33
(ii) वाणिज्यिक स्थावर संपदा (निधि आधारित और गैर निधि आधारित) वाणिज्यिक स्थावर संपदा (कार्यालय भवन खुदरा स्थान, बहु-उद्देशीय वाणिज्यिक भवन, बहु-पारिवारिक आवासीय भवन, बहु-किरायेदार वाणिज्यिक भवन, औद्योगिक या माल गोदाम स्थान, होटल, भूमि अभिग्रहण, विकास एवं निर्माण, आदि) पर बंधक द्वारा रक्षित उधार। निवेश में गैर-निधि आधारित (एन.एफ.बी.) सीमाएँ भी शामिल होंगी;	**2558.53**	2455.69
(iii) बंधक समर्थित जमानत में निवेश और अन्य प्रतिभूतीकृत निवेश – क.आवासीय ख.वाणिज्यिक स्थावर संपदा	**0.00**	0.00
ख) परोक्ष निवेश राष्ट्रीय आवास बैंक (एन एच बी) और आवास वित्त कंपनियों (एच एफ सी) पर निधि आधारित तथा गैर-निधि आधारित निवेश	**3359.68**	1916.69

ख. **पूंजी बाजार में निवेश**

(करोड़ में रुपयों)

विवरण	31-03-10	31-03-09
(i) ईक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बंध पत्रों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और ईक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंड की यूनिटों में किए गए प्रत्यक्ष निवेश जिनकी निधियों को नैगम ऋण में निवेश नहीं किया गया है	**102.81**	202.02
(ii) शेयरों/बंध पत्रों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों की जमानत पर या ईक्विटी शेयरों (आई.पी.ओ./ ई.एस.ओ.पी.एस. सहित) परिवर्तनीय बंध पत्रों, परिवर्तनीय डिबेंचरों, म्यूच्युअल फंड की यूनिटों में और ईक्विटी उन्मुख निवेश करने हेतु बेजमानती आधार पर व्यक्तियों को दिए गए अग्रिम	**0.48**	1.06
(iii) अन्य उद्देश्यों के लिए दिए गए ऋण जहाँ शेयरों या परिवर्तनीय बंध पत्रों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंड की यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है ।	**0.00**	0.00
(iv) किसी अन्य उद्देश्य के लिए उस सीमा तक दिए गए अग्रिम जो शेयरों या परिवर्तनीय बंध पत्रों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंड की यूनिटों की संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा रक्षित हो, यानी, जहां शेयरों/परिवर्तनीय बंध पत्रों/परिवर्तनीय डिबेंचरों/ईक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंड की यूनिटों से भिन्न प्राथमिकता प्रतिभूति अग्रिमों को पूर्णतया रक्षित नहीं करती है।	**135.13**	6.57
(v) स्टॉक ब्रोकरों को दिए गए जमानती और या बेज़मानती अग्रिम और स्टाक ब्रोकरों तथा शेयर विपणनकर्ताओं की ओर से जारी की गयी गारंटियां	**4.46**	2.40
(vi) शेयरों/बंध पत्रों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों की ज़मानत पर या संसाधनों को जुटाने के उद्देश्य से नई कंपनियों की ईक्विटी में प्रवर्तक के अंशदान की पूर्ति के लिए बेजमानती आधार पर कंपनी को दिए गए ऋण	**785.72**	390.11

7. **EXPOSURES**

A. Exposure to Real Estate Sector

(Rs. in Crore)

Particulars	31-03-10	31-03-09
a) Direct Exposure	**11321.68**	8765.65
(i) Residential Mortgages Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented	**8763.15**	6309.96
Out of the above, individual housing loans eligible for inclusion in priority sector advances	**6380.20**	4340.33
(ii) Commercial Real Estate (Fund-based & non-fund based) Lending secured by mortgages on commercial real estates (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse spaces, hotels, land acquisition, development and construction etc.) Exposure would also include non-fund based limits.	**2558.53**	2455.69
(iii) Investment in Mortgaged Backed Securities (MBS) and other securitised exposure a. Residential b. Commercial Real Estate	**0.00**	0.00
b) Indirect Exposure Fund-based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs)	**3359.68**	1916.69

B. Exposure to Capital Market

Particulars	31-03-10	31-03-09
(i) Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds, the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt.	**102.81**	202.02
(ii) Advances against shares/bonds/ debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ESOPs), convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds.	**0.48**	1.06
(iii) Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity-oriented mutual funds are taken as primary security	**0.00**	0.00
(iv) Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity-oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/convertible bonds/convertible debentures/units of equity-oriented mutual funds does not fully cover the advances	**135.13**	6.57
(v) Secured and unsecured advances to Stockbrokers and guarantees issued on behalf of Stock brokers and Market Makers	**4.46**	2.40
(vi) Loans sanctioned to Corporates against the security of shares/ bonds/debentures or other securities or on clean basis for meeting Promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources.	**785.72**	390.11

(vii)	प्रत्याशित ईक्विटी प्रवाह/निर्गमों के प्रति कंपनियों को दिए गए पूरक ऋण	**0.00**	0.00
(viii)	शेयरों या परिवर्तनीय बंध पत्रों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंड की यूनिटों के प्राथमिक निर्गमों के संबंध में मूल कंपनी द्वारा उठायी गयी हामीदारी प्रतिबद्धता	**0.00**	0.00
(ix)	मार्जिन व्यापार के लिए स्टाकब्रोकरों को दी गयी वित्तीय सहायता	**0.00**	0.00
(x)	जोखिम पूंजी को दिए गए सभी ऋण (पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों)	**98.78**	97.83
पूंजी बाजार में किए गए कुल निवेश		**1127.38**	699.99

ग. जोखिम वर्ग-वार देशी निवेश (करोड़ रुपयों में)

जोखिम संवर्ग	**31मार्च 2010 को निवेश (निवल)**	**31मार्च 2010 को धारित प्रावधान**	31मार्च 2009 को निवेश (निवल)	31मार्च 2009 को धारित प्रावधान
नगण्य	**285.44**	–	3467.29	1.97
कम	**4253.49**	**2.47**	2990.70	–
मध्यम	**561.19**	–	277.29	–
अधिक	**22.55**	–	18.42	–
अत्यधिक	**0.00**	–	0.00	–
प्रतिबंधित	**0.00**	–	0.00	–
ऋणेतर	**42.66**	–	39.09	–
कुल	**5165.33**	**2.47**	**6792.79**	**1.97**

घ. बैंक द्वारा एकल उधारकर्ता सीमा (एसबीएल), समूह उधारकर्ता सीमा(जीबीएल) में अध्याहरण के ब्यौरे

बैंक ने किसी भी ग्रुप खातों से संबंधित विवेकपूर्ण ऋण सीमाओं मे अध्याहरण नहीं किया है। तथापि निम्नलिखित एकल उधारकर्ता खातों के संबंध में निर्दिष्ट पूंजीगत निधियों 15% की उधार सीमा का अध्याहरण किया गया है।

(करोड रुपयों में)

क्रम सं.	उधारकर्ता का नाम	दि.31-03-2010 की स्थिति के अनुसार उधार	पूंजीगत निधियों की प्रतिशतता (%)	अध्याहरण की तारीख	अध्याहरण की तारीख तक उधार	अध्याहरण की तारीख को पूंजीगत निधियों की प्रतिशतता (%)
1.	भारतीय खाद्य निगम	1190.00	13.59	26-05-2009	1350.00	16.15
2.	सिडबी लिमिटेड	1718.90	19.63	26-03-2010	1718.90	19.63
3.	एच.डी.एफ.सी.	1700.00	19.42	23-02-2010	1720.00	19.64

ङ. जमाराशियों का संकेन्द्रन (करोड़ रुपयों में)

20 बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशियाँ	19353.11
बेंक की कुल जमाराशियों में 20 बड़े जमाकर्ताओं की प्रतिशतता	16.53

च. अग्रिमों का संकेन्द्रन (करोड़ रुपयों में)

20 बड़े जमाकर्ताओं की कुल अग्रिम	22601.61
बैंक की कुल अग्रिमों में 20 बड़े उधारकर्ताओं के अग्रिमों की प्रतिशतता	24.71%

छ. उधार का संकेन्द्रन (करोड़ रुपयों में)

20 बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों के कुल उधार	22839.49
उधारकर्ताओं/ग्राहकों को मूल कंपनी द्वारा दिए गए उधार में 20 बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों के उधार की प्रतिशतता	21.78%

ज. अनर्जक आस्तियों का संकेन्द्रन (करोड़ रुपयों में)

चार बड़े एन.पी.ए. खातों के कुल उधार	159.78

(vii)	Bridge loans to Companies against expected equity flows/issues.	**0.00**	0.00
(viii)	Underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issues of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity-oriented mutual funds.	**0.00**	0.00
(ix)	Finance to Stockbrokers for margin trading	**0.00**	0.00
(x)	All exposure to Venture Capital Funds (both registered and unregistered)	**98.78**	97.83
Total Exposure to Capital Market		**1127.38**	699.99

C. Risk Category wise Country wise Exposure

(Rs. in Crore)

Risk Category	**Exposure (net) as at 31st March 2010**	**Provision held as at 31st March 2010**	Exposure (net) as at 31st March 2009	Provision held as at 31st March 2009
Insignificant	**285.44**	–	3467.29	1.97
Low	**4253.49**	**2.47**	2990.70	–
Moderate	**561.19**	–	277.29	–
High	**22.55**	–	18.42	–
Very High	**0.00**	–	0.00	–
Restricted	**0.00**	–	0.00	–
Off-credit	**42.66**	–	39.09	–
Total	**5165.33**	**2.47**	**6792.79**	**1.97**

D. Details of Single Borrower Limit (SBL), Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the Bank

The Bank has not exceeded the prudential credit exposure limits in respect of any group accounts. However, in respect of the following single borrower accounts, the exposure ceiling of 15% of capital funds stipulated has been exceeded:

[Rs. in Crore]

Sl. No.	Name of the borrower	Exposure as on 31-03-2010	% to Capital funds	Date of exceeding	Exposure as on date of exceeding	% to Capital funds as on exceeding
1.	Food Corporation of India	1190.00	13.59	26-05-2009	1350.00	16.15
2.	SIDBI LTD	1718.90	19.63	26-03-2010	1718.90	19.63
3.	HDFC	1700.00	19.42	23-02-2010	1720.00	19.64

E. Concentration of Deposits (Rs. in Crore)

Total Deposits of twenty largest depositors	19353.11
Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits of the bank	16.53

F. Concentration of Advances (Rs. in Crore)

Total Advances to twenty largest borrowers	22601.61
Percentage of Advances to twenty largest borrowers to Total Advances of the bank	24.71%

G. Concentration of Exposures (Rs. in Crore)

Total Exposure to twenty largest borrowers/customers	22839.49
Percentage of Exposures to twenty largest borrowers/customers to Total Exposure of the bank on borrowers/customers	21.78%

H. Concentration of NPAs (Rs. in Crore)

Total Exposure to top four NPA accounts	159.78

8. **विविध**

वर्ष के दौरान मूल कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा कोई दण्ड नहीं लगाया गया है ।

9. **लेखाकरण मानकों के अनुसार प्रकटीकरण (ए एस)**

भारतीय सनदी लेखाकार संस्था (आई सी ए आई) द्वारा जारी किए गए लेखाकरण मानकों (जहाँ तक लागू हो) के अनुसार निम्नलिखित प्रकटन किए गए हैं:

i) **उक्त अवधि के लिए निवल लाभ व हानि, पिछली अवधि की मदें और लेखाकरण नीति में परिवर्तन (ए.एस. 5):**

क) लंदन शाखा में अस्थिर दर वाले नोट और ऋण संबद्ध नोट में किए गए निवेश को बिक्री के लिए उपलब्ध के रूप में वर्गीकृत किया गया है और उनका मूल्य निर्धारण अंकित मूल्य पर या बाजार मूल्य, इनमें जो भी कम हो, पर किया गया है। एफ.आर.एन. का मूल्य निर्धारण जारीकर्ता मूल्य के आधार पर किया गया और सी.एल.एन. का मूल्य निर्धारण एफ.आइ.एम.एम.डी.ए. स्प्रेड के आधार पर किय गया। इसके परिणाम स्वरूप, इन निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए रु. 24.77 करोड़ का प्रावधान रखा गया।

ii) **विदेशी विनिमय दरों में होनेवाले परिवर्तनों का प्रभाव (एएस 11)**

वर्ष के निवल लाभ में, रु. 2.94 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 0.66 करोड़ हानि) जो एफ.एक्स. आस्तियों और देयताओं के एएस 11 मूल्यांकन के कारण हुए विनिमय अंतर के अंतर्गत दर्ज किये गये लाभ है।

iii) **कर्मचारी लाभ (एएस 15)**

मूल कंपनी ने संशोधित लेखाकरण मानक 15 का अनुपालन किया और तदनुसार 31-3-2007 के दौरान रु. 298.68 करोड़ की राशि को अंतर्वर्ती देयता के रूप में गणना में लिया गया। कुल अंतर्वर्ती देयताओं में से, मूल कंपनी ने रु. 59.74 करोड़ (1/5) को चालू वर्ष के लाभ व हानि लेखे को प्रभारित किया और बाकी बची रकम रु. 119.46 करोड़ (पिछले वर्ष 179.20 करोड़) को अगले तीन वर्षों की अवधि के दौरान समान रूप से प्रभारित किया जाएगा ।

8. **MISCELLANEOUS**

During the year no penalty was imposed by RBI on the Bank.

9. **DISCLOSURE IN TERMS OF ACCOUNTING STANDARDS (AS)**

The disclosures under Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) (to the extent applicable) are given below:

i) Net profit or loss for the period, prior period items and changes in accounting policy (AS 5)

a) Investment in Floating Rate Note and Credit Linked Note Investments held in London branch are classified as available for sale and are valued at nominal value or market value whichever is lower. FRNs are valued based on issuer's value and the CLNs are valued based on FIMMDA spread. Consequently the provision for depreciation on these investments is at Rs. 24.77 crore.

ii) Effect of changes in Foreign Exchange Rate (AS 11)

The net profit for the year includes an amount of Rs. 2.94 crores (Rs. 0.66 crores profit for the previous year) being the profit booked under difference in exchange on account of AS 11 valuation of FX Assets & Liabilities.

iii) Employee Benefits (AS 15)

Bank has complied with the revised Accounting Standard 15 and accordingly a sum of Rs. 298.68 crores has been considered as transitional liability as on 31-3-2007. Out of total transitional liability, the Bank has charged Rs.59.74 crores (one fifth) to the current year's profit and loss account and the balance amount of Rs.119.46 crores (previous year Rs.179.20 crores) will be charged equally over the period of next two years.

iv) **खण्डवार रिपोर्टिंग (एएस 17)/Segment Reporting (AS 17)**

(करोड़ रुपयों में/Rs. in crore)

भाग–क कारोबार खण्ड/Part-A Business Segments	समाप्त तिमाही/Quarter ended 31-03-2010 लेखा परीक्षित/Audited	समाप्त तिमाही/Quarter ended 31-03-2009 लेखा परीक्षित/Audited	समाप्त वर्ष/Year ended 31-03-2010 लेखा परीक्षित/Audited	समाप्त वर्ष/Year ended 31-03-2009 लेखा परीक्षित/Audited
खण्डवार राजस्व/Segment Revenue				
a) नैगम/थोक बैंकिंग परिचालन/Corporate/Wholesale Banking Operations	**1586**	910	**4714**	4103
b) रिटेल बैंकिंग परिचालन/Retail Banking Operations	**524**	1117	**3496**	3733
c) कोष बैंकिंग/Treasury Operations	**543**	713	**2714**	2298
d) अन्य बैंकिंग परिचालन/Other Banking Operations	**87**	137	**291**	306
कुल/Total	**2740**	**2877**	**11215**	**10440**
शुद्ध बिक्री/परिचालन से प्राप्त आय/Net Sales/Income from operation	**2740**	**2877**	**11215**	**10440**
खण्डवार परिणाम (लाभ)/Segment Results (Profit)				
a) नैगम/थोक बैंकिंग परिचालन/Corporate/Wholesale Banking Operations	**82**	10	**614**	622
b) रिटेल बैंकिंग परिचालन/Retail Banking Operations	**23**	148	**749**	798
c) कोष बैंकिंग/Treasury Operations	**184**	132	**253**	15
d) अन्य बैंकिंग परिचालन/Other Banking Operations	**77**	115	**257**	237
कुल (परिचालन लाभ)/Total (Operating Profit):	**366**	**405**	**1873**	**1672**
घटाएं/Less:				
I) ब्याज/Interest	**0**	0	**0**	0
II) अन्य अनाबंटित व्यय/Other Un-allocated Expenditure	**58**	172	**680**	647
III) अन्य अनाबंटित आय/Other Un-allocable Income	**0**	0	**0**	0
कर से कुल लाभ/Total Profit Before Tax:	**308**	**233**	**1193**	**1025**
परिचालन लाभ/Operating Profit	**366**	**405**	**1873**	**1672**
आय कर/Income tax	**120**	27	**361**	112
प्रावधान और आकस्मिक व्यय/Provisions & Contingencies	**78**	172	**700**	647
असाधारण लाभ/Extraordinary Profit/(Loss)	**0**	0	**0**	0
निवल लाभ/Net Profit	**168**	**206**	**813**	**913**
प्रयुक्त पूंजी/Capital employed:				
खण्डवार आस्तियां–खण्डवार देयताएं/(Segment Assets-Segment Liabilities)				
a) नैगम/थोक बैंकिंग परिचालन/Corporate / Wholesale Banking Operations	**6901**	5755	**6901**	5755
b) रिटेल बैंकिंग परिचालन/Retail Banking Operations	**5854**	7215	**5854**	7215
c) कोष परिचालन/Treasury Operations	**4443**	2478	**4443**	2478
d) अन्य बैंकिंग परिचालन/Other Banking Operations	**45**	87	**45**	87
e) अनाबंटित आस्तियाँ/Unallocated assets	**701**	742	**701**	742
प्रयुक्त कुल पूंजी/Total Capital employed:	**17944**	**16277**	**17944**	**16277**
खण्डवार आस्तियां/Segment Assets				
a) नैगम/थोक बैंकिंग परिचालन/Corporate / Wholesale Banking Operations	**61658**	52198	**61658**	52198
b) खुदरा बैंकिंग परिचालन/Retail Banking Operations	**43149**	45702	**43149**	45702
c) कोष परिचालन/Treasury Operations	**33011**	30537	**33011**	30537
d) अन्य बैंकिंग परिचालन/Other Banking Operations	**522**	1076	**522**	1076
e) अनाबंटित आस्तियाँ/Unallocated assets	**701**	742	**701**	742
कुल आस्तियां/Total Assets	**139051**	**130255**	**139051**	**130255**
खण्डवार देयताएं/Segment Liabilities				
a) नैगम/थोक बैंकिंग परिचालन/Corporate/Wholesale Banking Operations	**54746**	46443	**54746**	46443
b) खुदरा बैंकिंग परिचालन/Retail Banking Operations	**37296**	38487	**37296**	38487
c) कोष परिचालन/Treasury Operations	**28568**	28059	**28568**	28059
d) अन्य बैंकिंग परिचालन/Other Banking Operations	**477**	989	**477**	989
कुल देयताएं/Total Liabilities	**121087**	**113978**	**121087**	**113978**

नोट/Note: भौगोलिक रूप से खण्डवार प्रकटीकरण की ज़रूरत नहीं है क्योंकि विदेशी शाखा के परिचालन निर्दिष्ट मानदण्ड से कम है/Geographical segment disclosure is not required to be made since the operation from foreign branch is less than the prescribed norms.

v) **संगत पार्टी प्रकटीकरण (ए एस 18)**
संगत पार्टियों के नाम और उनके संबंध

क) **अनुषंगी:**
सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड

ख) **सहायक संस्थाएं:**
गुडगाँव ग्रामीण बैंक
नार्थ मलबार ग्रामीण बैंक
प्रथमा बैंक
आंध्रा प्रगति ग्रामीण बैंक
कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक

ग) **प्रमुख प्रबंधक वर्ग के कर्मचारी:**
श्री जार्ज जोसेफ, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्री बसंत सेठ, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

संगत पार्टी लेन-देन

(लाख रुपयों में)

प्रबंधकवर्ग के प्रमुख कर्मचारी	पदनाम	वेतन और परिलब्धियाँ
श्री जॉर्ज जोसेफ	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	13.19
श्री बसंत सेठ *	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	6.74
श्री वी. के. नागर	कार्यपालक निदेशक	14.33
श्री आर. रामचन्द्रन	कार्यपालक निदेशक	12.61

* दि.30-04-2009 को श्री जॉर्ज जोसेफ की सेवा निवृत्ति के बाद श्री बसंत सेठ ने दि.31-08-2009 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार संभाला ।

ए. एस. 18 के पैरा 9 के अनुसार अनुषंगी और सहायक संस्थाओं के लेन-देन प्रकट नहीं किए गए हैं ।

vi) **समेकित वित्तीय विवरण (एएस 21)**
31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष का समेकित वित्तीय विवरणों को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए समेकित वित्तीय विवरण ए.एस. 21 के अनुसार बैंक की अनुषंगी संस्था मेसर्स सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है।

vii) **आय कर का लेखाकरण (एएस 22)**
बैंक ने ए एस 22 की अपेक्षाओं का पालन किया है ।
अचल आस्तियों पर उक्त वर्ष के लिए मूल्यह्रास पर आस्थगित कर देयता (डी.टी.एल.) के प्रति रु.4.06 करोड़ का समायोजन करने के बाद दि. 31-03-2010 की स्थिति के अनुसार डी.टी.एल. की निवल शेषराशि रु.5.93 करोड़ रही (दि. 31-03-2009 को रु.9.99 करोड़) बैंक ने कर्मचारी लाभ संबंधी देयताओं (भुगतान क्रिस्टलीकरण के बाद देय) तथा विवेकाधिकार के कारण से हुई पूंजीगत हानि के लिए किए गए प्रावधान पर डी.टी.ए. की पहचान नहीं की है ।

10. **अन्य प्रकटीकरण**

क) **प्रावधान और आकस्मिक व्यय**

(करोड़ रुपयों में)

विवरण	31-03-2010	31-03-2009
निवेश पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	**(44.63)**	105.91
एन.पी.ए. के लिए प्रावधान	**530.56**	380.83
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	**0.00**	20.36
आय कर/एफ.बी.टी. आदि के लिए प्रावधान	**360.71**	123.52
बट्टे खाते डाले गए अशोध्य ऋण	**5.45**	27.10
अन्य	**208.29**	175.90
कुल	**1060.38**	833.62

v) **Related Party Disclosures (AS 18)**
Names of Related Parties and their relationship:

a) **Subsidiary:**
Syndbank Services Limited

b) **Associates:**
Gurgaon Grameena Bank
North Malabar Grameena Bank
Prathama Bank
Andhra Pragathi Grameena Bank
Karnataka Vikas Grameena Bank

c) **Key Management Personnel:**
Sri George Joseph, Chairman and Managing Director
Sri Basant Seth, Chairman and Managing Director

Related Party Transactions (Rs. in Lakh)

Key Management Personnel	Designation	Salary and emoluments
Sri. George Joseph	Chairman & Managing Director	13.19
Sri. Basant Seth*	Chairman & Managing Director	6.74
Sri V. K. Nagar	Executive Director	14.33
Sri R. Ramachandran	Executive Director	12.61

*Sri George Joseph has retired on 30-04-2009 and Sri Basant Seth took over as Chairman and Managing Director from 31-08-2009.

Transactions with Subsidiary and Associates have not been disclosed in terms of Para 9 of AS 18.

vi) **Consolidated Financial Statements (AS 21)**
The consolidated financial statements for the year ended 31st March 2010 have been prepared in accordance with the AS 21 and on the basis of the audited financial statements of the subsidiary of the Bank, M/s Syndbank Services Ltd.

vii) **Accounting for Taxes on Income (AS 22)**
The Bank has complied with the requirements of AS 22. The net balance of Deferred Tax Liability (DTL) as on 31-03-2010 stood at Rs.5.93 crore (Rs.9.99 crore as on 31-03-2009) after adjusting a sum of Rs.4.06 crore towards Deferred Tax Assets (DTA) for the year on depreciation on fixed asset. Further bank has not recognised DTA on provision made for employee benefit liabilities (allowable upon payment/crystalisation) and capital loss out of prudence.

10. **OTHER DISCLOSURES**

a) **Provisions and Contingencies** (Rs. in Crore)

Particulars	31-03-2010	31-03-2009
Provision for depreciation on investment	**(44.63)**	105.91
Provision towards NPA	**530.56**	380.83
Provision towards Standard Assets	**0.00**	20.36
Provision towards Income tax, Wealth tax, FBT, etc.	**360.71**	123.52
Bad Debts written off	**5.45**	27.10
Others	**208.29**	175.90
Total	**1060.38**	833.62

ख) **अस्थायी प्रावधान के संचलन निम्नप्रस्तुत है:**

(करोड़ रुपयों में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
क) अस्थायी प्रावधान लेखे में प्रारंभिक शेष	**306.63**	373.57
ख) लेखा वर्ष में किए गए अस्थायी प्रावधान की राशि	**Nil**	Nil
ग) लेखा वर्ष के दौरान किए गए आहरण की राशि	**Nil**	66.94
घ) अस्थायी प्रावधान लेखे में इतिशेष	**306.63**	306.63

ग) **आरक्षित निधियों में किए गए आहरण**
बैंक ने वर्ष के दौरान आरक्षित निधियों से कोई आहरण नहीं किया है ।

घ) **ग्राहक से प्राप्त शिकायतों की स्थिति**
ग्राहकों की शिकायतें

1.	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	164
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की सं.	3644
3.	वर्ष के दौरान निवारण की गयी शिकायतों की सं.	3603
4.	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की सं.	205

बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णय

1.	वर्ष के दौरान कार्यान्वित न किए गए अधिनिर्णयों की सं.	1
2.	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णयों की सं.	14
3.	वर्ष के दौरान कार्यान्वित अधिनिर्णयों की सं.	14
4.	वर्ष के दौरान कार्यान्वित न किए गए अधिनिर्णयों की सं.	1

ङ) **अनर्जक आस्तियों का संचलन**

(करोड़ रुपयों में)

दि. 1 अप्रैल 2009 को कुल अनर्जक आस्तियां	1594.54
वर्ष के दौरान संवर्धन (नई अनर्जक आस्तियां)	1491.52
उप-जोड (क)	3086.06
घटाईए	
i) स्तरोन्नयन	187.39
ii) वसूलियां (स्तरोन्नत खातों से की गयी वसूलियों को छोड़कर)	472.57
iii) अपलेखन	419.28
उप-जोड़ (ख)	1079.24
दि. 31 मार्च 2010 को कुल अनर्जक आस्तियां (क-ख)	2006.82

च) **विदेशी आस्तियाँ, अनर्जक आस्तियां और राजस्व** (करोड़ रुपयों में)

विवरण	रकम
कुल आस्तियां	9318.24
कुल अनर्जक आस्तियां	2.23
कुल राजस्व	216.06

छ) **अचल आस्तियाँ**
i) बैंक के कुछ परिसरों के मामले में अधिकारों के हस्तांतरण संबंधी प्रलेखन औपचारिकताएँ अभी पूरी की जानी हैं। फिर भी प्राप्त की गई कानूनी राय के अनुसार अपने स्वत्वाधिकार को प्रमाणित करने के प्रलेख मूल कंपनी के पास हैं।

ज) **निवेश**
एच.टी.एम. श्रेणी में रखी गयी रु.157.1 करोड़ की प्रतिभूतियों की बिक्री से प्राप्त लाभ को लाभ व हानि लेखे में लिया गया और तदनंतर रु.77.78 करोड़ को (कर के लिए प्रावधान करने तथा सांविधिक आरक्षित निधि में अंतरण करने के बाद) पूंजीगत आरक्षित निधि लेखे में विनियोग किया गया।

झ) **बंधपत्र जारी करने से संबंधित ब्यौरे**
वर्ष के दौरान बैंक ने रु. 200 करोड़ के टायर II बंधपत्र और रु.194 करोड के टायर I बंध पत्र जारी किया।

ञ) **कवरेज अनुपात हेतु प्रावधान:**
वि. वर्ष 2009-10 के लिए कवरेज अनुपात का अनुपात 73.31% है ।

b) **The movement of Floating Provision is furnished below:**

(Rs. in Crore)

Particulars	Current Year	Previous Year
(a) Opening Balance in the floating provision account	**306.63**	373.57
(b) The quantum of floating provisions made in the accounting year	**Nil**	Nil
(c) Amount of draw down made during the accounting year	**Nil**	66.94
(d) Closing Balance in the floating provision account	**306.63**	306.63

c) **Draw down from reserves**
The Bank has not made any draw down from the Reserves during the year.

d) **Status of Customer Complaints**
Customer Complaints

1.	No. of complaints pending at the beginning of the year	164
2.	No. of complaints received during the year	3644
3.	No. of complaints redressed during the year	3603
4.	No. of complaints pending at the end of the year	205

Awards passed by the Banking Ombudsman

1.	No. of unimplemented Awards at the beginning of the year	1
2.	No. of awards passed by the Banking Ombudsman during the year	14
3.	No. of awards implemented during the year	14
4.	No. of unimplemented Awards at the end of the year	1

e) **Movement of NPAs** (Rs. in Crore)

Gross NPAs as on 1st April, 2009	1594.54
Additions (Fresh NPAs) during the year	1491.52
Sub total (A)	3086.06
Less	
(i) Up gradations	187.39
(ii) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)	472.57
(iii) Write-offs	419.28
Sub total (B)	1079.24
Gross NPAs as on 31st March, 2010 (A–B)	2006.82

f) **Overseas Assets, NPAs and Revenue** (Rs. in Crore)

Particulars	Amount
Total Assets	9318.24
Total NPAs	2.23
Total Revenue	216.06

g) **Fixed assets**
In respect of certain premises of the Bank, documentation formalities as to transfer of title are yet to be completed. However the Bank holds documents to prove its title as per the legal opinions obtained.

h) **Investments**
Profit on account of sale of securities from HTM Category amounting to Rs.157.11 crores has been taken to Profit and Loss Account and thereafter Rs.77.78 crores (after tax provision and transfer to statutory reserve) is appropriated towards Capital Reserve Account.

i) **Details of Bonds Issue**
During the year, the Bank came out with Tier II Bond issue for Rs.200 crores and Tier I bonds issue for Rs.194 Crore.

j) **Provision Coverage Ratio**
The provision coverage ratio for the financial Year 2009-10 is 73.31 %

ट) भा.रि.बैं. के परिपत्र सं. डी.बी.ओ.डी. बी.सी. सं. 133/21.04.018/2008-09 दि. 11-05-2009 की शर्तों के अनुसार दि. 31-03-2002 तक नोस्ट्रो खाते में स्थित कुल जमा, जिसकी राशि यू एस डॉलर 2500 के बराबर या उस से कम है, उसे वर्ष के दौरान लाभ व हानि लेखे में अंतरित किया गया । तद्नुसार विभिन्न नोस्ट्रो खाते में स्थित रु.4.98 करोड के 4573 ''गतावधि मांग ड्राफ्टों'' तथा 1038 ''अदावी जमा'' को लाभ व हानि लेखे में जमा किया गया । उक्त रकम को सामान्य आरक्षित निधि के रूप में गणना में लिया गया और उसे लाभांश घोषित करने के उद्देश्य हेतु गणना में नहीं लिया गया है।

ठ) **अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग, मुंबई और शाखाओं द्वारा हमारी लंदन शाखा के पक्ष में जारी किए गए सहूलियत पत्र:**

अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग, मुंबई ने, निदेशक मंडल/भा.रि.बैं. के अनुमोदन से बैंक की लंदन शाखा के पक्ष में यू.एस.डॉलर 75 मिलियन का सहूलियत पत्र जारी किया ।

वित्तिय वर्ष 2009-10 के दौरान, अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग द्वारा हमारी लंदन शाखा के साथ बाजार संबद्ध दरों पर जो दैनिक बकाया निवेश किया है, वह यू.एस. डॉलर 75 मिलियन के लिए जारी किए गए सहूलियत पत्र के अनुसार तयशुदा न्यूनतम स्तर से अधिक है। इसलिए यू.एस. डॉलर 75 मिलियन की राशि को तुलन पत्र की तारीख को आकस्मिक देयता के रूप में नहीं दर्शाया गया है । दि. 31-03-2010 की स्थिति के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग द्वारा लंदन शाखा के पास रखी गयी कुल जमाराशि यू.एस.डॉलर 137.93 मिलियन है।

ड) **नैगम ग्राहकों को क्रेता उधार सुविधा के उद्देश्य से शाखाओं द्वारा जारी किए गए सहूलियत पत्र**

नैगम ग्राहकों को क्रेता के साख पत्र पर ऋण सुविधा मंजूर करने हेतु हमारी शाखाओं द्वारा जारी किए गए चुकौती आश्वासन-पत्र (एल ओ सी) की बकाया राशि दि. 31-03-2010 को रु.850.04 करोड़ है जिसमें हमारी लंदन शाखा के पक्ष में जारी किए गए रु.180.48 करोड़ का एल ओ सी भी शामिल है।

सहूलियत पत्र जारी करते समय उसकी गुणवत्ता, साख श्रेणी निर्धारण/वैश्विक श्रेणी निर्धारण, प्रतिभूति, संपार्श्विक प्रतिभूति तथा अंतर्निहित संदर्भ संस्थाओं को गणना में लिया गया है, इसलिए सहूलियत पत्रों के कारण से हुए वित्तीय प्रभाव उतना महत्वपूर्ण नहीं है।

ढ़) **दि.31-03-2010 की स्थिति के अनुसार पुन: संरचित खातों के ब्यौरे**

(करोड़ रुपयों में)

पुन: संरचित खातों के विवरण					
		सी.डी.आर. तंत्र	एस.एम.ई. पुन: सरचना	अन्य	कुल
पुन:संरचित मानक अग्रिम	उधारकर्ताओं की सं.	9	4955	58308	63272
	बकाया राशि	226.25	627.69	3437.79	4291.73
	घाटा (उचित मूल्य में हुए ह्रास)	9.28	31.38	40.18	80.84
पुन:संरचित अवमानक अग्रिम	उधारकर्ताओं की सं.	0	540	1775	2315
	बकाया राशि	0	28.88	107.96	136.84
	घाटा (उचित मूल्य में हुए ह्रास)	0	1.44	6.35	7.79
पुन:संरचित संदिग्ध अग्रिम	उधारकर्ताओं की सं.	2	182	337	521
	बकाया राशि	33.94	14.41	88.79	137.14
	घाटा (उचित मूल्य में हुए ह्रास)	1.55	0.72	4.47	6.74
कुल	उधारकर्ताओं की सं.	11	5677	60420	66108
	बकाया राशि	260.19	670.98	3634.54	4565.71
	घाटा (उचित मूल्य में हुए ह्रास)	10.83	33.54	51.00	95.37

k) In terms of RBI cir. No. DBOD.BP.BC.No. 133/21.04.018/2008-09 dt 11-05-2009, credits lying in Nostro accounts originated upto 31-03-2002, equivalent to or less than USD 2500, have been transferred to P&L Account during the year. Accordingly, an amount of Rs.4.98 cr. lying in various Nostro accounts, consisting of 4573 'Stale Demand Drafts' and 1038 'Unclaimed credits' have been transferred to P&L Account. The said amount has been taken to General Reserves and is not taken for the purpose of declaring dividend.

l) **Letters of Comfort issued in favour of overseas branch at LONDON by International Division, Mumbai & Branches.**

International Division Mumbai issued Letter of Comfort amounting to US$ 75 Mio in favour of London branch with the approval of Board of Directors / Reserve Bank of India.

During the financial year 2009-10, the daily outstanding placements made at market related rates by International Division with London branch stands above the minimum undertaken level, as per the Letter of Comfort issued for USD 75 Mio. Hence, the amount of Letter of Comfort for USD 75 Mio will not appear as a Contingent Liability as on Balance Sheet date. Total Deposit of USD 137.93 Mio placed by International Division with London branch as on 31-03-2010.

m) **Letter of comfort issued by branches for the purpose of buyers credit facility to corporate clients**

Letters of Comfort (LOC) issued by our Branches for the purpose of providing Buyer's Credit facility to Corporate Clients and outstanding as on 31-03-2010 is Rs. 850.04 crores including the LOC issued in favour of our London Branch amounting to Rs.180.48 cr.

The financial impact on account of letters of comfort issued may not be significant when the quality of Letters of Comfort, Credit Ratings / World Rankings, Securities, Collaterals and Counter Guarantees available of/from the underlying reference entities are taken into account.

n) **Details of Restructured Accounts as at 31-03-2010**

(Rs. in Crore)

Particulars of Accounts Restructured					
		CDR Mechanism	SME Restructuring	Others	Total
Standard Advances restructured	No. of borrowers	9	4955	58308	63272
	Amount outstanding	226.25	627.69	3437.79	4291.73
	Sacrifice (diminution in the fair value)	9.28	31.38	40.18	80.84
Sub-Standard Advances restructured	No. of borrowers	0	540	1775	2315
	Amount outstanding	0	28.88	107.96	136.84
	Sacrifice (diminution in the fair value)	0	1.44	6.35	7.79
Doubtful advances restructured	No. of borrowers	2	182	337	521
	Amount outstanding	33.94	14.41	88.79	137.14
	Sacrifice (diminution in the fair value)	1.55	0.72	4.47	6.74
Total	No. of borrowers	11	5677	60420	66108
	Amount outstanding	260.19	670.98	3634.54	4565.71
	Sacrifice (diminution in the fair value)	10.83	33.54	51.00	95.37

ण) **तुलन–पत्र से इतर प्रायोजित एस.पी.वी. (लेखाकरण मानदण्ड के अनुसार जिनको समेकित करना है)**

प्रायोजित एस.पी.वी. का नाम	
घरेलू	विदेशी
शून्य	शून्य

त) **वर्ष 2009-2010 के दौरान बैंक की बीमा कारोबार पर आर्जित आय रु.1551.94 लाख है जो पिछले वर्ष रु.2311.53 थी।**

थ) **उन अग्रिमों जिनके लिए अमूर्त प्रतिभूतियां जैसी हक, लाइसेंस पर प्रभार अधिकार इत्यादि प्राप्त की गयी है साथ ही ऐसी अमूर्त संपार्श्विक प्रतिभूति के अनुमानित मूल्य।**

क) उन अग्रिमों की कुल रकम जिनके लिए अमूर्त प्रतिभूतियां, जैसी हक पर प्रभार, लाइसेंस, प्राधिकार इत्यादि को परियोजना (बुनियादी सुविधा परियोजना सहित) के संबंध में संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में प्रभारित किया गया है – शून्य है।

ख) उपर्युक्त के अनुसार अनुमानित अमूर्त प्रतिभूतियां शून्य हैं ।

द) **पिछले वर्ष के आंकड़े**

पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के आंकड़ों के साथ तुलनीय बनाने के लिए, जहां आवश्यक पाया गया है वहां उन्हें चालू वर्ष के वर्गीकरण के अनुरूप पुनर्वर्गीकृत किया गया है ।

o) **Off-balance Sheet SPVs sponsored (which are required to be consolidated as per accounting norms)**

Name of the SPV sponsored	
Domestic	Overseas
NIL	NIL

p) **Income earned on the bank assurance business during the year 2009-10 is Rs.1551.94 lakhs against Rs.2311.53 lakhs in previous year.**

q) **Advances for which intangible securities such as charge over the rights, licenses, authority, etc. has been taken as also the estimated value of such intangible collateral**

a) Total Amount of advances for which intangible securities, such as charge over the rights, licences, authorizations, etc., charged as collateral in respect of projects (including infrastructure projects) is NIL.

b) Estimated Intangible securities as above are NIL.

r) **Previous year figures**

Previous year figures have been regrouped/ rearranged wherever considered necessary to conform to the current year's classification.

31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण
STATEMENT OF CASH FLOW FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2010

(हजार रुपयों में/Rs. 000s)

		31-03-2010 को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2010	31-03-2009 को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2009
	परिचालन गतिविधियों से नकदी उपलब्धता **CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES**		
	वर्ष के दौरान अग्रिमों, निवेशों आदि से प्राप्त ब्याज Interest received during the year from Advances, Investments etc.	**10047,17,62**	9509,88,75
	अन्य आय/Other Income	**1167,46,00**	914,94,01
	घटाइए/LESS:		
	वर्ष के दौरान जमा, उधार राशियों आदि पर प्रदत्त ब्याज Interest paid during the year on Deposits, Borrowings etc.	**7012,68,67**	6685,13,69
	परिचालन व्यय तथा प्रावधान और आकस्मिक व्यय Operating Expenses and Provision & Contingencies	**3096,88,34**	1660,19,76
	आय पर कर/Taxes on income	**0**	264,00,00
	जोड़िए/ADD:		
	मूल्यहास/Depreciation	**88,17,48**	113,02,26
I.	**परिचालनों से उत्पन्न नकदी लाभ** (परिचालन आस्तियों और देयताओं में परिवर्तन से पूर्व) **CASH PROFIT GENERATED FROM OPERATIONS** (Prior to changes in operating Assets & Liabilities)	**1193,24,09**	1928,51,57
II.	**परिचालन आस्तियों और देयताओं से नकदी उपलब्धता** **CASH FLOW FROM OPERATING ASSETS AND LIABILITIES**		
	देयताओं में वृद्धि/(कमी)/Increase/(Decrease) in Liabilities		
	ग्राहकों और बैंकों से प्राप्त जमाराशियाँ/Deposits from Customer & Banks	**1140,65,40**	20714,33,60
	बैंकों और अन्य संस्थाओं से उधार राशियाँ Borrowings from Banks & Other Institutions	**6364,51,12**	4108,01,23
	अन्य देयताएँ आदि (पिछले वर्षों में व्यय के लिए किए गए अतिरिक्त प्रावधान के प्रतिलेखन सहित) Other Liabilities etc. (including write back of excess provision for exp. made in the earlier years)	**96,48,98**	(3841,24,84)
	आस्तियों में कमी/(वृद्धि)/Decrease/(Increase) in Assets		
	अग्रिम/Advances	**(8874,09,04)**	(17481,25,74)
	निवेश/Investments	**(2473,69,96)**	(2461,29,99)
	अन्य आस्तियां/Other Assets	**841,35,10**	(445,59,50)
क. A.	**परिचालन गतिविधियों से निवल नकदी उपलब्धता (I+II)** **NET CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES (I+II)**	**(1711,54,31)**	2521,46,33
	निवेश गतिविधियों से नकदी उपलब्धता/CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES		
	अचल आस्तियों पर/On Fixed Assets	**(61,25,84)**	(89,20,78)
	प्रक्रियाधीन कार्य पर/On Work in progress	**2,91,91**	(7,64,46)
ख. B.	**निवेश गतिविधियों से निवल नकदी उपलब्धता** **NET CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES**	**(58,33,93)**	(96,85,24)
	वित्तीयन गतिविधियों से नकदी उपलब्धता **CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES**		
	प्रदत्त लाभांश/Dividend Paid	**21**	(91,60,23)
	गौण ऋण (चरण I और चरण II की पूँजी) Subordinated debts (Tier I and Tier II capital)	**394,00,00**	639,00,00
	चरण I और चरण II की पूंजी पर ब्याज/Interest on Tier I and Tier II Capital	**(294,67,96)**	(224,74,35)
ग. C.	**वित्तीयन गतिविधियों से निवल नकदी उपलब्धता** **NET CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES**	**99,32,25**	322,65,42
	वर्ष के दौरान कुल नकदी उपलब्धता (क+ख+ग) **TOTAL CASH FLOW DURING THE YEAR (A+B+C)** नकदी उपलब्धता में वृद्धि/(कमी)/Increase/(Decrease) in Cash Flow	**(1670,55,99)**	2747,26,51

31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण
STATEMENT OF CASH FLOW FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2010

(हजार रुपयों में/Rs. 000s)

		31-03-2010 को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2010		31-03-2009 को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2009	
I.	**वर्ष के प्रारंभ में शेष Balances at the Beginning of the Year**				
	भा.रि.बैंक के पास नकदी और शेष Cash & Balances with the R.B.I.	**12543,23,31**		10374,91,03	
	बैंकों के पास शेष और मांग पर प्रतिदेय राशि Balances with Banks and Money at Call	**1861,17,97**	**14404,41,28**	1282,23,74	11657,14,77
II.	**वर्ष के अंत में शेष Balances at the end of the Year**				
	भा.रि.बैंक के पास नकदी और शेष Cash & Balances with the R.B.I.	**7189,12,35**		12543,23,31	
	बैंकों के पास शेष और मांग पर प्रतिदेय राशि Balances with Banks and Money at Call	**5544,72,94**	**12733,85,29**	1861,17,97	14404,41,28
III.	**वर्ष के दौरान कुल नकदी उपलब्धता TOTAL CASH FLOW DURING THE YEAR**		**(1670,55,99)**		2747,26,51
	नकदी उपलब्धता में वृद्धि/(कमी) Increase/(Decrease) in Cash Flow				

एस. के. अबरोल/S. K. ABROL
महा प्रबंधक (लेखा)/GENERAL MANAGER (ACCOUNTS)

आर. रामचंद्रन/R. RAMACHANDRAN
कार्यपालक निदेशक/EXECUTIVE DIRECTOR

वी. के. नागर/V. K. NAGAR
कार्यपालक निदेशक/EXECUTIVE DIRECTOR

बसंत सेठ/BASANT SETH
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/CHAIRMAN AND MANAGING DIRECTOR

लेखा परीक्षकों का प्रमाण पत्र/Auditors' Certificate

हम, सिंडिकेट बैंक के अधोहस्ताक्षरकर्ता सांविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षकों ने, बैंक के 31-03-2010 को समाप्त हुए वर्ष के उपर्युक्त नकदी उपलब्धता विवरण का सत्यापन किया है। यह विवरण स्टॉक एक्स्चेंजों के साथ सूचीकरण करार के खंड 32 की अपेक्षा के अनुसार तैयार किया गया है और यह तत्संबंधी लाभ और हानि लेखे और भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत हमारी तद्दिनांकित रिपोर्ट में शामिल बैंक के तुलन पत्र पर आधारित है और उससे मेल खाता है।

We, the undersigned Statutory Central Auditors of the SyndicateBank, have verified the above Cash Flow Statement of the Bank, for the year ended 31-03-2010. The Statement has been prepared in accordance with the requirements of Clause 32 of the Listing Agreement with the Stock Exchanges and is based on and in agreement with the corresponding Profit and Loss Account and Balance Sheet of the Bank covered by our Report of even date to the President of India.

कृते मेसर्स निर्मल जैन एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
For **M/s Nirmal Jain & Co.**
Chartered Accountants
(पं. सं./Regn. No.: 000606 एन/N)

(निर्मल कुमार जैन)
साझेदार
(Nirmal Kumar Jain)
Partner
सदस्यता सं./Membership No.: 008346

कृते मेसर्स एन. सी. मित्रा एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
For **M/s N. C. Mitra & Co.**
Chartered Accountants
(पं. सं./Regn. No.: 306027 इ/E)

(गौरब मित्रा)
साझेदार
(Gourab Mitra)
Partner
सदस्यता सं./Membership No.: 061661

कृते मेसर्स प्रकाश चंद्र जैन एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
For **M/s Prakash Chandra Jain & Co.**
Chartered Accountants
(पं. सं./Regn. No.: 002438C)

(पी. सी. नलवाया)
साझेदार
(P. C. Nalwaya)
Partner
सदस्यता सं./Membership No.: 033710

कृते मेसर्स जैन एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
For **M/s Jain & Associates**
Chartered Accountants
(पं. सं./Regn. No.: 001361एन/N)

(एस. सी. पाठक)
साझेदार
(S. C. Pathak)
Partner
सदस्यता सं./Membership No.: 010194

कृते मेसर्स एस. सोनी एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
For **M/s S. Sonny Associates**
Chartered Accountants
(पं. सं./Regn. No.: 003935 एस /S)

(एस. सुंदर)
साझेदार
(S. Sundar)
Partner
सदस्यता सं./Membership No.: 023425

कृते मेसर्स आर. वेन्दर गुप्ता एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
For **M/s R. Vender Gupta & Associates**
Chartered Accountants
(पं.सं./Regn. No.: 002614 एन् /N)

(राघवेंदर गुप्ता)
साझेदार
(Raghvender Gupta)
Partner
सदस्यता सं./Membership No.: 081544

स्थान/Place: बेंगलूर/Bangalore
दिनांक/Date: 04-05-2010

लेखा-परीक्षकों की समेकित रिपोर्ट

सेवा में

सिंडिकेट बैंक का निदेशक मंडल

1. हमने 31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार सिंडिकेट बैंक के समेकित संलग्न तुलन पत्र और उससे उपाबद्ध, उस तारीख को समाप्त वर्ष के समेकित लाभ व हानि लेखे तथा समेकित नकदी उपलब्धता विवरण की लेखा-परीक्षा की है । ये वित्तीय विवरण बैंक के प्रबंधकवर्ग की जिम्मेदारी है । हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखा-परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपना अभिमत प्रस्तुत करना है ।

2. हमने अपना लेखा-परीक्षा कार्य भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखा-परीक्षा मानकों के अनुसार किया है । इन मानकों के अंतर्गत यह अपेक्षा की जाती है कि हम अपनी लेखा-परीक्षा की योजना इस प्रकार बनाएं और निष्पादित करें कि समुचित रूप से इस बारे में आश्वस्त हो जाएं कि वित्तीय विवरणों में विषय-वस्तु संबंधी कोई गलत जानकारी नहीं दी गई है । लेखा-परीक्षा के अंतर्गत वित्तीय विवरणों में दिखाई गयी राशियों और प्रकट की गई बातों के समर्थन में दिए गए साक्ष्य की परीक्षण के तौर पर जांच की जाती है । लेखा-परीक्षा के अंतर्गत प्रबंधन-तंत्र द्वारा प्रयुक्त लेखा सिद्धांतों तथा प्रमुख आकलनों का निर्धारण तथा प्रस्तुत किए गए समग्र वित्तीय विवरण का मूल्यांकन भी किया जाता है । हमें विश्वास है कि हमारा लेखा-परीक्षा कार्य हमारे अभिमत के लिए उचित आधार है ।

3. हमने सहायक कंपनी यानि, सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा नहीं की है । उनके वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा उनके अपने लेखा परीक्षकों द्वारा अलग से करवाई गयी है जिनकी रिपोर्टें हमें प्रस्तुत की गयीं हैं और राय पूर्णतया उनके लेखा परीक्षकों द्वारा दी गयी रिपोर्टों के आधार पर है ।

4. हम रिपोर्ट करते हैं कि बैंक के प्रबंधन-तंत्र द्वारा तैयार किए गए समेकित वित्तीय विवरण लेखाकरण मानक 21 की अपेक्षाओं के अनुरूप हैं । ''समेकित वित्तीय विवरण'' भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए अनुसार हैं ।

   हम रिपोर्ट करते हैं कि:

   - समेकित तुलन-पत्र तथा उसके साथ पठित महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ तथा उस से उपाबद्ध टिप्पणी एक पूर्ण और सही तुलन-पत्र है जिसमें सभी आवश्यक विवरणों को शामिल किया गया है और उसे उचित रीति से तैयार किया गया है ताकि वह दि. 31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार बैंक के कार्यकलाप की स्थिति का सही और वास्तविक चित्र दर्शा सके ।

   - समेकित लाभ व हानि लेखे के साथ पठित महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ तथा उससे संबंधित टिप्पणी, दि. 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष की सही लाभ शेष दर्शाती है ।

CONSOLIDATED AUDITORS' REPORT

To

The Board of Directors of Syndicate Bank

1. We have audited the attached Consolidated Balance Sheet of Syndicate Bank as at 31st March 2010 and also the Consolidated Profit and Loss Account and the Consolidated Cash Flow Statement annexed thereto for the year ended as on that date. These financial statements are the responsibility of the Bank's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. We conducted our audit in accordance with the auditing standards generally accepted in India. Those Standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement(s). An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by the management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

3. We did not audit the financial statements of the subsidiary i.e., SyndBank Services Limited. Their financial statements have been audited separately by their auditor, whose reports have been furnished to us and the opinion is based solely on the reports of their auditor.

4. We report that the consolidated financial statements have been prepared by the Bank management in accordance with the requirements of Accounting Standards 21, "Consolidated Financial Statements" issued by The Institute of Chartered Accountants of India.

   We report that:

   - The Consolidated Balance Sheet read with Significant Accounting Policies and the Notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars and is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the affairs of the Bank as at 31st March 2010;

   - The Consolidated Profit and Loss Account, read with Significant Accounting Policies and the Notes thereon shows a true balance of Profit for the year ended 31st March 2010; and

- समेकित नकदी उपलब्धता विवरण, दि. 31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी उपलब्धता का सही और वास्तविक चित्र दर्शाता है ।

मेसर्स निर्मल जैन एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
(पंजीकरण सं. 000606 एन)
निर्मल कुमार जैन
साझेदार
सदस्यता सं.: 008346

मेसर्स एन. सी. मित्रा एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
(पंजीकरण सं. 306027 ई)
गौरब मित्रा
साझेदार
सदस्यता सं.: 061661

मेसर्स प्रकाश चन्द्र जैन एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
(पंजीकरण सं. 002438 सी)
पी. सी. नलवाया
साझेदार
सदस्यता सं.: 033710

मेसर्स जैन एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
(पंजीकरण सं.: 001361एन)
एस. सी. पाठक
साझेदार
सदस्यता सं.: 010194

मेसर्स एस. सोनी एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
(पंजीकरण सं. 003935 एस)
एस. सुन्दर
साझेदार
सदस्यता सं.: 023425

मेसर्स आर. वेन्दर गुप्ता एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
(पंजीकरण सं.: 002614 एन)
राघवेन्दर गुप्ता
साझेदार
सदस्यता सं.: 081544

स्थान : बेंगलूर
दिनांक : 04-05-2010

- The Consolidated Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended 31st March 2010.

For Nirmal Jain & Co.
Chartered Accountants
(Regd. No.: 000606N)
Nirmal Kumar Jain
Partner
Membership No.: 008346

For N. C. Mitra & Co.
Chartered Accountants
(Regd. No.: 306027E)
Gourab Mitra
Partner
Membership No.: 061661

For Prakash Chandra Jain & Co.
Chartered Accountants
(Regd. No.: 002438C)
P. C. Nalwaya
Partner
Membership No.: 033710

For Jain & Associates
Chartered Accountants
(Regd. No.: 001361N)
S. C. Pathak
Partner
Membership No.: 010194

For S. Sonny Associates
Chartered Accountants
(Regd. No.: 003935S)
S. Sundar
Partner
Membership No.: 023425

For R. Vender Gupta & Associates
Chartered Accountants
(Regd. No.: 002614N)
Raghvender Gupta
Partner
Membership No.: 081544

Place : Bangalore
Date : 04-05-2010

31 मार्च, 2010 को समेकित तुलन–पत्र
CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2010

(हजार रुपयों में/ Rs. in thousands)

	अनुसूची सं. Schedule	As on दि. 31-03-2010 को	As on दि. 31-03-2009 को
पूंजी और देयताएँ CAPITAL & LIABILITIES			
पूंजी/Capital	1	**521,96,83**	521,96,83
आरक्षित निधि और अधिशेष/Reserves and Surplus	2	**5107,10,97**	4489,13,52
जमाराशियाँ/Deposits	3	**117023,69,97**	115883,99,05
उधार/Borrowings	4	**12172,68,76**	5414,17,64
अन्य देयताएँ और प्रावधान/Other Liabilities and Provisions	5	**4225,34,43**	3946,23,36
योग/TOTAL		**139050,80,96**	130255,50,40
आस्तियाँ/ASSETS			
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकद और शेषराशियाँ Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	**7189,12,35**	12543,23,31
बैंकों में शेषराशियाँ और माँग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	7	**5544,72,94**	1861,17,97
निवेश/Investments	8	**33010,67,88**	30536,97,92
अग्रिम/Advances	9	**90406,35,95**	81532,26,91
अचल आस्तियाँ/Fixed Assets	10	**701,46,98**	742,07,90
अन्य आस्तियाँ/Other Assets	11	**2198,44,86**	3039,76,39
योग/TOTAL		**139050,80,96**	130255,50,40
आकस्मिक देयताएँ/Contingent Liabilities	12	**52747,32,56**	70727,22,88
वसूली के लिए बिल/Bills for Collection		**2097,70,40**	2020,43,35
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ/Significant Accounting Policies	17		
खातों के बारे में टिप्पणी/Notes on Accounts	18		

बसंत सेठ *अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक* — **वी. के. नागर** *कार्यपालक निदेशक* — **आर. रामचन्द्रन** *कार्यपालक निदेशक*

के. सीतारामु *निदेशक* — **रमेश एल. अडिगे** *निदेशक* — **एम. भास्कर राव** *निदेशक*

एआर नागप्पन *निदेशक* — **बी. एस. सूरी** *निदेशक*

एस. के. अबरोल *महा प्रबंधक (लेखा)*

Basant Seth *Chairman & Managing Director* — **V. K. Nagar** *Executive Director* — **R. Ramachandran** *Executive Director*

K. Seetharamu *Director* — **Ramesh L. Adige** *Director* — **M. Bhaskara Rao** *Director*

AR Nagappan *Director* — **B. S. Suri** *Director*

S. K. Abrol *General Manager (Accounts)*

स्थान : बेंगलूर
तारीख : 04-05-2010
Place : Bangalore
Date : 04-05-2010

दि. 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ व हानि लेखा
CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2010

(हजार रुपयों में/ Rs. in thousands)

	अनुसूची सं. Schedule No.	**Year Ended समाप्त वर्ष दि. 31-03-2010 को**	Year Ended समाप्त वर्ष दि. 31-03-2009 को
I. **आय**/INCOME			
अर्जित ब्याज/Interest Earned	**13**	**10047,17,62**	9525,35,07
अन्य आय/Other Income	**14**	**1167,47,67**	914,66,94
योग/TOTAL		**11214,65,29**	10440,02,01
II. **व्यय/EXPENDITURE**			
व्ययगत ब्याज/Interest Expended	**15**	**7307,23,71**	6977,53,59
परिचालन व्यय/Operating Expenses	**16**	**2032,28,86**	1790,01,94
प्रावधान और आकस्मिकताएँ/Provision and Contingencies		**1060,86,48**	758,94,51
योग/TOTAL		**10400,39,05**	9526,50,04
III. **लाभ/हानि/PROFIT / LOSS**			
वर्ष के लिए शुद्ध लाभ/Net Profit for the year		**814,26,24**	913,51,97
आगे लाया गया लाभ/हानि(–)/Profit / Loss (–) brought forward		**0**	0
योग/TOTAL		**814,26,24**	913,51,97
IV. **विनियोजन**/APPROPRIATIONS			
A. सांविधिक आरक्षित निधि को अंतरण/Transfer to Staturory Reserves		**203,56,56**	228,37,99
B. राजस्व आरक्षित निधि/Revenue Reserves		**245,33,41**	373,79,88
C. आरक्षित पूंजी/Capital Reserves		**77,78,43**	38,13,71
D. सामान्य आरक्षित/General Reserve		**4,98,02**	
E. विशेष निधि आयकर अधिनियम की धारा 36(1) (viii) के अंतर्गत Special Reserves u/s 36(1) (viii) of Income Tax Act		**100,00,00**	90,00,00
F. अंतरिम लाभांश (रु. शून्य के लाभांश कर सहित, पूर्ववर्ती वर्ष रु.13.31 करोड़) Interim Dividend (including Div. Tax Nil; previous year Rs. 13.31 cr.)		**0**	91,60,15
G. प्रस्तावित अंतिम लाभांश (रु.26.87 करोड़ के लाभांश कर सहित, पिछले वर्ष, रु.11.53 करोड़) Proposed Final Dividend (inclusive of Dividend Tax of Rs.26.87 cr., previous year 11.53 cr.)		**182,59,82**	91,60,24
H. तुलन-पत्र को अग्रेनीत शेषराशि/Balance carried over to the Balance Sheet		**0**	0
योग/TOTAL		**814,26,24**	913,51,97
प्रति शेयर अर्जन/Earnings per Share (रु.) (Rs.)		**15.60**	17.50
महत्त्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां/Significant Accounting Policies	**17**		
लेखा संबंधी टिप्पणियां/Notes on Accounts	**18**		

कृते मेसर्स निर्मल जैन एण्ड कंपनी *सनदी लेखाकार* (पं. सं.: 000606 एन) **निर्मल कुमार जैन** *साझेदार* सदस्यता सं.: 008346	कृते मेसर्स एन. सी. मित्रा एण्ड कंपनी *सनदी लेखाकार* (पं. सं.: 306027 इ) **गौरब मित्रा** *साझेदार* सदस्यता सं.: 061661	कृते मेसर्स प्रकाश चंद्र जैन एण्ड कंपनी *सनदी लेखाकार* (पं. सं.: 002438C) **पी. सी. नलवाया** *साझेदार* सदस्यता सं.: 033710
कृते मेसर्स जैन एण्ड एसोसिएट्स *सनदी लेखाकार* (पं. सं.: 001361 एन) **एस. सी. पाठक** *साझेदार* सदस्यता सं.: 010194	कृते मेसर्स एस. सोनी एसोसिएट्स *सनदी लेखाकार* (पं. सं.: 003935 एस) **एस. सुंदर** *साझेदार* सदस्यता सं.: 023425	कृते मेसर्स आर. वेन्दर गुप्ता एण्ड एसोसिएट्स *सनदी लेखाकार* (पं. सं.: 002614 एन) **राघवेंदर गुप्ता** *साझेदार* सदस्यता सं.: 081544

For Nirmal Jain & Co *Chartered Accountants* (Regn. No.000606N) **Nirmal Kumar Jain** *Partner* Membership No.: 008346	**For N. C. Mitra & Co.** *Chartered Accountants* (Regn. No.306027E) **Gourab Mitra** *Partner* Membership No. : 061661	**For Prakash Chandra Jain & Co.** *Chartered Accountants* (Regn. No. 002438C) **P. C. Nalwaya** *Partner* Membership No.: 033710
For Jain & Associates *Chartered Accountants* (Regn. No.001361N) **S.C. Pathak** *Partner* Membership No.: 010194	**For S. Sonny Associates** *Chartered Accountants* (Regn. No. 003935S) **S. Sundar** *Partner* Membership No.: 023425	**M/s R. Vender Gupta & Associates** *Chartered Accountants* (Regn. No. 002614N) **Raghvender Gupta** *Partner* Membership No.: 081544

अनुसूची – 1 : पूँजी
SCHEDULE – 1 : CAPITAL

(हजार रुपयों में/Rs. in thousands

	As on दि. 31-03-2010 को	As on दि. 31-03-2009 को
प्राधिकृत पूँजी 300,00,00,000 ईक्विटी शेयर प्रत्येक रु. 10 AUTHORISED CAPITAL: 300,00,00,000 Equity Shares of Rs. 10 each	**3000,00,00**	1500,00,00
I. **निर्गत, अभिदत्त और प्रदत्त मांगी गई पूँजी** 52,19,68,282 ईक्विटी शेयर प्रत्येक रु. 10 (केन्द्रीय सरकार द्वारा धारित 34,69,68,282 शेयर शामिल हैं) ISSUED, SUBSCRIBED, CALLED & PAID UP CAPITAL 52,19,68,282 Equity Shares of Rs. 10 each (Includes 34,69,68,282 shares held by Central Government)	**521,96,83**	521,96,83
II. बेमीयादी गैर-संचयी अधिमान्य शेयर (पी.एन.सी.पी.एस.) Perpetual Non-Cumulative Preference Share (PNCPS)	0.00	0.00
योग/TOTAL	**521,96,83**	521,96,83

अनुसूची – 2 : आरक्षित निधि और अधिशेष
SCHEDULE – 2 : RESERVES AND SURPLUS

	As on दि. 31-03-2010 को		As on दि. 31-3-2009 को	
I. **सांविधिक आरक्षित निधि/Statutory Reserves**				
अथशेष/Opening Balance	**1279,90,95**		1051,52,96	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/Additions during the year	**203,56,56**	**1483,47,51**	228,37,99	1279,90,95
II. **आरक्षित पूंजी/Capital Reserves**				
अथशेष/Opening Balance	**55,01,11**		16,87,40	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/Additions during the year	**77,78,43**	**132,79,54**	38,13,71	55,01,11
III. **शेयर प्रीमियम/Share Premium**		**200,00,00**		200,00,00
IV. **पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि/Revaluation Reserves**				
अथशेष/Opening Balance	**414,95,02**		426,27,54	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/Additions during the year	**0**		0	
	414,95,02		426,27,54	
वर्ष के दौरान कटौती/Deduction during the year	**10,76,02**	**404,19,00**	11,32,52	414,95,02
V. **सामान्य आरक्षित निधि/General Reserves**				
अथशेष/Opening Balance	**576,18,38**		576,18,38	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/Additions during the year	**4,98,02**	**581,16,40**	0	576,18,38
VI. **राजस्व और अन्य आरक्षित निधि** **Revenue and Other Reserves**				
अथशेष/Opening Balance	**1819,65,25**		1445,85,45	
जोड़ें : लाभ व हानि लेख से शेष का अंतरण Add: Transfer of Balance from Profit & Loss Account	**245,33,62**		373,79,80	
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौती/Less: Deductions during the Year	**0**	**206498,86,87**	0	1819,65,25
VII. **विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षित निधि** **Foreign Currency Tanslation Reserve**				
अथशेष/Opening Balance	**3,42,81**		3,14,86	
जोड़ें/(घटाएं) : वर्ष के दौरान समायोजन Add/(Less): Adjustments during the year	**–2,93,16**	**49,65**	27,95	3,42,81
VIII. **आय कर अधिनियम1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशिष्ट अधिशेष/ Special Reserve u/s 36 (1)(viii) of the Income Tax Act, 1961**				
अथशेष/Opening Balance	**140,00,00**		50,00,00	
जोड़ें : वर्ष के दौरान परिवर्धन Add: Addition during the year	**100,00,00**	**240,00,00**	90,00,00	140,00,00
IX. **लाभ-हानि लेखे में शेष/Balance in Profit and Loss Account**		**0**		0
योग/TOTAL (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		**5107,10,97**		4489,13,52

अनुसूची – 3: जमाराशियाँ
SCHEDULE – 3: DEPOSITS

(हजार रुपयों में/ Rs. in thousands)

	As on दि. 31-03-2010 को	As on दि. 31-03-2009 को
क./A. I. **मांग जमाराशियाँ/Demand Deposits**		
i) बैंकों से/From Banks	**472,22,65**	504,65,57
ii) अन्यों से/From Others	**9713,81,31**	10022,10,92
II. **बचत बैंक जमाराशियाँ/Savings Bank Deposits**	**26364,68,25**	21455,59,05
III. **सावधि जमाराशियाँ/Term Deposits**		
i) बैंकों से/From Banks	**17042,98,73**	9702,13,35
ii) अन्यों से/From Others	**63429,99,03**	74199,50,16
योग/TOTAL (I+II+III)	**117023,69,97**	115883,99,05
ख./B. i) भारत में स्थित शाखाओं की जमाराशियाँ/Deposits of Branches in India	**109686,31,10**	108688,20,34
ii) भारत के बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियाँ/Deposits of Branches outside India	**7337,38,87**	7196,93,73
योग/TOTAL	**117023,69,97**	115883,99,05

अनुसूची – 4 : उधार
SCHEDULE – 4 : BORROWINGS

I. **भारत में उधार/Borrowings in India**		
i) भारतीय रिज़र्व बैंक/Reserve Bank of India	**0**	0
ii) अन्य बैंक/Other Banks	**2612,25,00**	10,61
iii) अन्य संस्थाएँ और एजेन्सियाँ/Other Institutions and Agencies	**4662,21,43**	1680,37,09
iv) नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखत (आइ.पी.डी.आई)/Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI)	**773,00,00**	579,00,00
v) बंधपत्र /डिबेंचरो के रूप में जारी किए गए सम्मिश्र ऋण पूंजी लिखत/Hybrid debt capital instruments issued as bonds/debentures	**0**	0
vi) प्रतिदेय संचयी अधिमान्य शेयर (पी.सी.पी.एस.)/Redeemable Cumulative Preference shares (PCPS)	**0**	0
vii) प्रतिदेय गैर-संचयी अधिमान्य शेयर (पी.एन.सी.पी.एस.)/Redeemable Non-Cumulative Preference shares (PNCPS)	**0**	0
viii) प्रतिदेय संचयी अधिमान्य शेयर (आर.सी.पी.एस.)/Redeemable Cumulative Preference Shares (RCPS)	**0**	0
ix) गौण ऋण/Subordinated Debt	**2844,70,00**	2644,70,00
योग/TOTAL	**10892,16,43**	4904,17,70
II. **भारत के बाहर उधार/Borrowings outside India**	**1280,52,33**	509,99,94
योग/TOTAL (I + II)	**12172,68,76**	5414,17,64

अनुसूची – 5 : अन्य देयताएँ और प्रावधान
SCHEDULE – 5 : OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS

I. देय बिल/Bills Payable	**1225,37,79**	910,13,07
II. अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)/Inter-Office Adjustments (Net)	**0**	0
III. उपचित ब्याज/Interest Accrued	**577,02,76**	508,94,63
IV. मानक आस्तियों के प्रति आकस्मिक प्रावधान Contingent Provision against Standard Assets	**395,89,14**	395,89,14
V. अन्य (प्रावधान सहित)/Others (including provisions)	**2027,04,74**	2131,26,52
योग/TOTAL (I + II + III + IV + V)	**4225,34,43**	3946,23,36

अनुसूची – 6 : भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी और शेषराशि
SCHEDULE – 6 : CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

(हजार रुपयों में/Rs. in thousands)

		As on दि. 31-03-2010 को	As on दि. 31-03-2009 को
I.	रोकड़ शेष (विदेशी मुद्रा नोटों सहित) Cash in hand (including foreign currency notes)	**369,66,92**	334,43,46
II.	भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेषराशि Balances with Reserve Bank of India		
	चालू खाते में/In Current Account	**6819,45,43**	12208,79,85
	अन्य खातों में/In Other Accounts	**0**	0
	योग/TOTAL (I + II)	**7189,12,35**	12543,23,31

अनुसूची – 7: बैंकों के पास शेषराशि और मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि
SCHEDULE – 7: BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE

I.	**भारत में/In India**		
	i) बैंकों के पास शेषराशि/Balances with Banks		
	क)/a) चालू खातों में/in Current Accounts	**134,53,19**	109,21,00
	ख)/b) अन्य जमा खातों में/in other Deposit Accounts	**57,76**	1,40,05
	ii) मांग और अल्प सूचना पर देय राशि/Money at call and Short notice		
	क)/a) बैंकों के पास/with banks	**4841,73,32**	1064,80,11
	ख)/b) अन्य संस्थाओं के पास/with other institutions	**0**	0
	योग/TOTAL	**4976,84,27**	1175,41,16
II.	**भारत के बाहर/Outside India**		
	क)/a) चालू खातों में/in Current Accounts	**20,10,06**	685,76,81
	ख)/b) अन्य जमा खातों में/in other Deposit Accounts	**547,78,61**	0
	ग)/c) मांग और अल्प सूचना पर देय राशि/Money at call and short notice	**0**	0
	योग/Total	**567,88,67**	685,76,81
	योग/TOTAL (I + II)	**5544,72,94**	1861,17,97

अनुसूची – 8: निवेश
SCHEDULE – 8 : INVESTMENTS

I.	**भारत में निवेश (सकल)/Investments in India (Gross)**	**32778,73,81**	30293,10,40
	घटाएं: मूल्यहास/एन.पी.आई. के लिए प्रावधान/Less: Provision for depreciation / NPI	**58,00,21**	115,55,34
	शुद्ध निवेश/Net Investments	**32720,73,60**	30177,55,06
	सरकारी प्रतिभूतियाँ/Government securities	**28286,29,78**	27321,16,87
	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ/Other approved securities	**69,06,92**	123,20,55
	शेयर/Shares	**147,95,86**	193,23,17
	डिबेंचर और बंध पत्र/Debentures and Bonds	**1777,94,30**	1720,65,30
	अनुषंगी और/या संयुक्त संस्थाएं/Subsidiaries and/or Associates	**33,34,83**	33,34,84
	अन्य/Others	**2405,86,91**	785,69,33
	योग/ TOTAL	**32720,48,60**	30177,30,06
II.	**भारत के बाहर निवेश (सकल)/Investments outside India (Gross)**	**314,95,87**	390,72,98
	घटाएं: मूल्यहास के लिए प्रावधान/Less: Provision for depreciation	**24,76,59**	31,05,12
	शुद्ध निवेश/Net Investments	**290,19,28**	359,67,86
	योग/TOTAL (I+II)	**33010,67,88**	30536,97,92

अनुसूची – 9 : अग्रिम
SCHEDULE – 9 : ADVANCES

(हजार रुपयों में/Rs. in thousands)

		As on दि. 31-3-2010 को	As on दि. 31-3-2009 को
क./A.	i) खरीदे और भुनाए गए बिल/Bills purchased and discounted	**1164,28,86**	1640,43,14
	ii) ऋण, नकदी ऋण, ओवरड्राफ्ट और मांग पर प्रदेय ऋण Loans, Cash credits, Overdrafts and Loans repayable on demand	**20920,00,45**	19820,20,81
	iii) मीयादी ऋण/Term Loans	**68322,06,64**	60071,62,96
	योग/Total	**90406,35,95**	81532,26,91
ख./B	i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत/Secured by tangible assets	**58148,72,69**	51845,39,67
	ii) बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा रक्षित/Covered by Bank/Government Guarantees	**9403,26,33**	4169,20,21
	iii) अरक्षित/Unsecured	**22854,36,93**	25517,67,03
	योग/Total	**90406,35,95**	81532,26,91
ग./C.	I) **भारत में अग्रिम**/Advances in India		
	i) प्राथमिकता प्राप्त श्रेत्र/Priority Sector	**31085,62,74**	26393,25,12
	ii) सार्वजनिक क्षेत्रक/Public Sector	**9158,10,84**	9589,67,63
	iii) बैंक/Banks	**1639,58,76**	1906,07,20
	iv) अन्य/Others	**39673,67,68**	35314,10,27
	योग/Total	**81557,00,02**	73203,10,22
	II) **भारत के बाहर के अग्रिम/Advances outside of India**		
	i) बैंकों से देय/Due from Banks	**6012,28,82**	5893,08,48
	ii) अन्यों से देय/Due from others		
	क)/a) खरीदे गए और बट्टागत बिल/Bills Purchased and Discounted	**277,70,24**	440,20,06
	ख)/b) सिंडिकेटेड ऋण/Syndicated Loans	**1987,71,14**	1556,33,02
	ग)/c) अन्य/Others	**571,65,73**	439,55,13
	योग/Total	**8849,35,93**	8329,16,69
	योग/Total (ग. I + ग. II) (C.I + C. II)	**90406,35,95**	81532,26,91

अनुसूची – 10 : अचल आस्तियाँ
SCHEDULE – 10 : FIXED ASSETS

I.	**परिसर/Premises**		
	पिछले वर्ष के 31मार्च के अनुसार लागत/पुनर्मूल्यन पर At cost/revaluation as on 31st March of preceding year	**538,76,32**	536,04,33
	जोड़े : वर्ष के दौरान परिवर्धन/Add: Additions during the year	**10,84,85**	4,22,66
	घटाएं : वर्ष के दौरान कटौतियाँ/समायोजन/Less: Deductions/Adjustments during the year	**2,62,46**	1,50,67
		546,98,71	538,76,32
	घटाएं : अब तक मूल्यह्रास/Less: Depreciation to date	**59,36,81**	44,66,52
	योग/Total	**487,61,90**	494,09,80
II.	प्रक्रियाधीन पूंजीगत कार्य/Capital work in progress	**18,95,18**	21,87,09
III.	**अन्य अचल आस्तियाँ/Other Fixed Assets**		
	पिछले वर्ष के मार्च 31की लागत पर/At cost as on 31st March of preceding year	**686,36,11**	617,37,14
	जोड़िएं : वर्ष के दौरान परिवर्धन/Add: Additions during the year	**57,93,82**	88,08,07
	घटाएं : वर्ष के दौरान कटौतियाँ/Less: Deductions during the year	**11,95,51**	19,09,10
		732,34,42	686,36,11
	घटाएं : अब तक मूल्यह्रास/Less: Depreciation to date	**537,44,52**	460,25,10
	योग/Total	**194,89,90**	226,11,01
	योग/TOTAL (I+II+III)	**701,46,98**	742,07,90

अनुसूची – 11: अन्य आस्तियाँ
SCHEDULE – 11: OTHER ASSETS

(हजार रुपयों में/Rs. in thousands)

		As on दि. 31-3-2010 को	As on दि. 31-3-2009 को
I.	अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)/Inter-Office Adjustments (Net)	**110,37,68**	635,43,72
II.	उपचित ब्याज/Interest accrued	**598,29,93**	681,41,34
III.	अग्रिम रूप से प्रदत्त कर/स्रोत पर काटा गया कर (प्रावधान घटाकर) Tax paid in advance/tax deducted at source (net of provisions)	**598,53,08**	509,58,46
IV.	लेखन सामग्री व स्टांप/Stationery and Stamps	**10,32,22**	12,13,93
V.	दावों की चुकौती में अर्जित गैर-बैंकिंग आस्तियाँ (मूल्यह्रास घटाकर) Non-banking assets acquired in satisfaction of claims (Net of Depreciation)	**3,94**	4,10
VI.	अन्य/Others	**880,88,01**	1201,14,84
	योग/TOTAL	**2198,44,86**	3039,76,39

अनुसूची – 12 : आकस्मिक देयताएँ
SCHEDULE–12 : CONTINGENT LIABILITIES

I.	बैंक के विरुद्ध किए गये दावे जो ऋणों के रूप में अभिस्वीकृत नहीं हैं Claims against the bank not acknowledged as debts	**79,25,77**	125,27,69
II.	अंशत: प्रदत्त निवेशों के प्रति देयता/जोखिम निधि Liability for partly paid Investments/venture fund	**34,11,06**	6,14,77
III.	बकाया वायदा विनिमय संविदाओं से संबंधित देयता Liability on account of outstanding forward exchange contracts	**42117,03,47**	60177,99,77
IV.	ग्राहकों की ओर से दी गयी गारंटियाँ/Guarantee given on behalf of constituents		
	क)/a) भारत में/In India	**6422,01,83**	5759,57,10
	ख)/b) भारत के बाहर/Outside of India	**4,17,68**	100,53,40
V.	प्रतिग्रहण, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व Acceptances, endorsements and other obligations	**2895,53,29**	3473,25,83
VI.	अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से जिम्मेदार है Other items for which bank is contingently liable		
	I) उन संविदाओं की अनुमाति रकम जिनको पूंजीगत लेखे में निष्पादित किया जाता है और जिनके लिए प्रावधान नहीं किया गया है। Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital accounts not provided for	**5,04,66**	6,79,40
	II) अन्य/Others	**1190,14,80**	1077,64,92
	योग/TOTAL	**52747,32,56**	70727,22,88

अनुसूची – 13: अर्जित ब्याज
SCHEDULE – 13: INTEREST EARNED

I.	अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा Interest/Discount on Advances/Bills	**7697,22,23**	7375,77,19
II.	निवेशों पर आय/Income on investments	**2348,90,17**	2076,17,22
	घटाएँ : निवेशों के पुनर्मूल्यन में से हुई हानि Less: Loss on revaluation of investments	**(808,806)**	(478,252)
III.	भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेषराशियों और अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज Interest on balances with Reserve Bank of India and other inter bank funds	**50,95,44**	69,50,83
IV.	अन्य/Others	**30,97,84**	51,72,35
	योग/TOTAL	**10047,17,62**	9525,35,07

अनुसूची – 14 : अन्य आय
SCHEDULE – 14 : OTHER INCOME

(हजार रुपयों में/Rs. in thousands)

		Year Ended दि. 31-3-2010 को	Year Ended दि. 31-3-2009 को
I.	कमीशन, विनिमय और दलाली/Commission, Exchange and Brokerage	**284,18,23**	267,87,24
II.	निवेशों की बिक्री से प्राप्त लाभ/Profit on sale of investments	**388,85,61**	193,22,49
	घटाएँ: निवेशों की बिक्री से हुई हानि/Less: Loss on sale of investments	**–**	–
III.	जमीन, भवन और अन्य आस्तियों की बिक्री पर लाभ Profit on sale of land, buildings & other assets	**23,33**	48,30
	घटाएँ: जमीन, भवन और अन्य आस्तियों की बिक्री से हुई हानि Less: Loss on sale of land, buildings & other assets	**(25,71)**	(31,79)
IV.	विनिमय लेनदेन पर लाभ/Profit on exchange transactions	**68,42,39**	86,50,80
	घटाएँ/Less: विनिमय लेनदेन पर हुई हानि/Loss on exchange transactions	**(25,81)**	(4,64)
V.	लाभांश इत्यादि के माध्यम से प्राप्त आय/Income earned by way of dividend	**5,96,06**	6,46,06
VI.	विविध आय/Miscellaneous Income	**420,33,57**	360,48,48
	योग/TOTAL	**1167,47,67**	914,66,94

अनुसूची – 15: व्ययगत ब्याज
SCHEDULE – 15: INTEREST EXPENDED

I.	जमाराशियों पर ब्याज/Interest on Deposits	**6780,69,21**	6610,24,35
II.	भारतीय रिज़र्व बैंक/अंतर बैंक उधार पर ब्याज Interest on Reserve Bank of India/Inter Bank borrowings	**10,93,96**	6,95,12
III.	अन्य/Others	**515,60,54**	360,34,12
	योग/TOTAL	**7307,23,71**	6977,53,59

अनुसूची – 16 : परिचालन व्यय
SCHEDULE –16 : OPERATING EXPENSES

I.	कर्मचारियों को संदाय और उनके लिए प्रावधान/Payments to and provisions for Employees	**1338,27,07**	1120,60,41
II.	किराया, कर और बिजली/Rent, Taxes and Lighting	**133,59,59**	120,69,00
III.	मुद्रण और लेखन सामग्री/Printing and Stationery	**15,86,78**	14,27,25
IV.	विज्ञापन और प्रचार/Advertisement and Publicity	**17,37,03**	22,52,10
V.	बैंक की संपत्तियों पर मूल्यह्रास/Depreciation on Bank's Property	**88,19,07**	113,04,31
VI.	निदेशकों का शुल्क, भत्ते और खर्च/Directors' Fees, Allowances and Expenses	**74,29**	93,14
VII.	लेखा परीक्षकों का शुल्क और खर्च (शाखा लेखा परीक्षकों सहित) Auditors' Fees and Expenses (including Branch Auditors)	**20,23,45**	20,12,50
VIII.	विधि प्रभार/Law Charges	**8,68,02**	7,87,03
IX.	डाक व्यय, तार, दूरभाष आदि/Postage, Telegrams, Telephones etc.	**18,94,92**	19,38,80
X.	मरम्मत और अनुरक्षण/Repairs and Maintenance	**48,58,78**	57,95,46
XI.	बीमा/Insurance	**105,11,91**	91,21,03
XII.	अन्य व्यय/Other Expenditure*	**236,67,95**	201,40,91
	योग/TOTAL	**2032,28,86**	1790,01,94

* पिग्मी एजेंटों की कमीशन शामिल है /Includes Pigmy Agents Commission	**45,82,03**	39,92,74

अनुसूची – 17
समेकित महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ 2009-2010

1.0 **लेखाकरण प्रथा**

संलग्न वित्तीय विवरण 'लाभकारी कारोबार वाला संस्थान सिद्धांत' का पालन करते हुए सामान्यतः परंपरागत लागत के आधार पर तैयार किए गए हैं और ये अन्यथा सूचित मामलों को छोड़कर सांविधिक उपबंधों और प्रचलित क्रियाविधियों के अनुसार है।

2.0 **विदेशी मुद्रा संबंधी लेन–देन**

2.1 भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) द्वारा अधिसूचित विनिमयदारों को अपनाया गया है ।

2.2 फॉरेक्स देयता युक्त सभी विदेशी मुद्रा लेन–देनों को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ द्वारा घोषित साप्ताहिक औसत दर (डब्ल्यू.ए.आर.) लागू करते हुए अभिलेखित किया गया है। जबकि सभी फॉरेक्स आस्तियों को प्रचलित बाज़ार दरों पर अभिलेखित किया गया है।

2.3 सभी मौद्रिक आस्तियों और देयताओं को वर्ष के अंत में भा.वि.मु.व्या. सं. द्वारा निर्धारित अंतिम विनिमय दर पर रिपोर्ट किया गया है और परिणामी लाभ/हानि को राजस्व के रूप में लिया गया है ।

2.4 बकाया वायदा विनिमय संविदाओं को, विशिष्ट परिपक्वता के लिए अधिसूचित विनिमय दरों तथा ''बीच की परिपक्वताओं'' वाले संविदाओं के लिए अतर्वेशित दरों पर रिपोर्ट किया गया है ।

2.5 गारंटियों, साख पत्रों, स्वीकृतियों, पृष्ठांकनों तथा अन्य दायित्वों से संबंधित आकस्मिक देयताओं को अंतिम विनिमय दरों पर परिवर्तित किया गया है ।

2.6 मूल कंपनी की विदेशी शाखा को 'गैर समाकलित विदेशी परिचालन' के रूप में वर्गीकृत किया गया है ।

क) विदेशी संचालनों के सभी आस्तियों और देयताओं, मौद्रिक और गैर–मौद्रिक दोनों, को अंतिम विनिमय दरों पर परिवर्तित किया गया ।

ख) आय और व्यय का परिवर्तन त्रैमासिक औसत विनिमय दरों पर किया गया ।

ग) ए.एस. 11 के अनुसार किए गए परिवर्तन से हुए परिणामी विनिमय अंतर को, विदेशी परिचालन के निवल निवेश का निपटान होने तक ''विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षित निधि'' में जमा किया गया ।

3.0 **निवेश**

3.1 भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा निदेशों के अनुसार भारत में निवेश निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किए जाते हैं ।

I. परिपक्वता तक धारित
II. विक्रय के लिए उपलब्ध
III. व्यापार के लिए धारित

प्रत्येक वर्ग को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया:

क) सरकारी प्रतिभूतियां
ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां
ग) शेयर
घ) डिबेंचर और बांड पत्र
ङ) अनुषंगी
च) अन्य

SCHEDULE – 17
CONSOLIDATED SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 2009-2010

1.0 **ACCOUNTING CONVENTIONS**

The accompanying financial statements are prepared following the 'Going Concern' concept on historical cost basis and conform to the statutory provisions and prevailing practices of the countries concerned, except wherever otherwise stated.

2.0 **TRANSACTIONS INVOLVING FOREIGN EXCHANGE**

2.1 Exchange rates as notified by Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI) are adopted.

2.2 All foreign currency transactions involving forex liabilities are recorded by applying Weekly Average Rate (WAR) published by FEDAI whereas all forex assets are recorded at on going market rates.

2.3 All the monetary assets & liabilities are reported at the end of the year at FEDAI closing exchange rate and the resultant profit / loss is taken to revenue.

2.4 Outstanding Forward Exchange Contracts are reported at the exchange rates notified for specified maturities and at interpolated rates for contracts of "in between maturities".

2.5 Contingent liabilities on account of Guarantees, Letters of Credit, Acceptances, Endorsements and other obligations are translated at closing exchange rates.

2.6 Foreign Branch of the Parent company is classified as "Non-Integral Foreign Operation".

a) All assets & liabilities of the foreign operations, both monetary and non-monetary as well as contingent liabilities are translated at closing exchange rates.

b) Income and Expenditure are translated at quarterly average exchange rates.

c) The resulting exchange difference arising from translation as per AS-11 is accumulated in a "Foreign Currency Translation Reserve" until disposal of net investment of the foreign operation.

3.0 **INVESTMENTS**

3.1 In accordance with guidelines of RBI, investments in India are classified into:

I. Held to Maturity
II. Available for Sale
III. Held for Trading

Each category is further classified into:

a) Government Securities
b) Other Approved Securities
c) Shares
d) Debentures & Bonds
e) Subsidiaries
f) Others.

3.2 भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा निदेशों के अनुसार निवेशों का मूल्यांकन किया जाता है।

3.2.1 परिपक्वता तक धारित श्रेणी के अधीन निवेश का मूल्यांकन अर्जन लागत के आधार पर किया जाता है, सिवाय उस मामले के जब उसका अर्जन प्रीमियम पर किया जाए तब इस मामले में प्रीमियम का परिशोधन सीधी लाइन पद्धति का प्रयोग करते हुए प्रतिभूति की शेष अवधि तक किया जाता है ।

3.2.2 विक्रय के लिए उपलब्ध श्रेणी के अधीन धारित निवेश का मूल्य निर्धारण लागत या बाज़ार मूल्य इनमें जो कम हो, के आधार पर किया जाता है । अलग-अलग शेयरों का मूल्य निर्धारण किया जाता है और तुलन-पत्र में निवेश के वर्गीकरण के अनुसार मूल्यह्रास/मूल्यवृद्धि का समुच्चयन श्रेणीवार किया जाता है । शुद्ध मूल्यह्रास के लिए प्रावधान किया जाता है और शुद्ध मूल्यवृद्धि, यदि कोई हो, पर ध्यान नहीं दिया जाता है ।

3.2.3 व्यापार के लिए धारित श्रेणी के अधीन, निवेश बाज़ार के लिए चिह्नित किए गए हैं और परिणामी मूल्यवृद्धि/मूल्यह्रास का संकलन तुलन पत्र के वर्गीकरण के अनुसार प्रवर्ग वार किया जाता है । शुद्ध मूल्यह्रास के लिए प्रावधान किया जाता है और शुद्ध मूल्यवृद्धि, यदि कोई हो, पर ध्यान नहीं दिया जाता है ।

3.2.4 मूल्य निर्धारण के प्रयोजन के लिए -

i) लागत का संदर्भ अर्जन की वास्तविक लागत/प्रचलित लागत से है जहाँ कहीं लागू होता हो

ii) बाज़ार मूल्य का संदर्भ, शेयर बाजार/भाव, एस.जी.एल. खाता लेन-देन, भा.रि.बैं./एफ.आई.एम.एम.डी.ए./पी.डी.ए.आइ. नवीनतम उपलब्ध मूल्य सूची से है और ऐसे कोटेशन के अभाव में :

क) सरकारी प्रतिभूतियों और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों का मूल्य निर्धारण, एफ.आइ.एम.एम.डी.ए./पी.डी.ए.आइ. की कीमतों/परिपक्वता पर प्रतिलाभ (वाइ.टी.एम.) दरों के आधार पर, भा.रि.बैं. द्वारा यथानिर्दिष्ट समुचित कीमत-लागत अंतर के साथ किया जाएगा।

ख) डिबेंचरों/बंधपत्रों का मूल्य निर्धारण, पी.डी.ए.आइ./एफ.आइ.एम.एम.डी.ए. द्वारा यथा निर्दिष्ट समुचित कीमत - लागत अंतर के साथ वाइ.टी.एम. आधार पर किया जाएगा।

ग) तिजोरी बिल, आर.आई.डी.एफ. वाणिज्यिक पत्र और वित्तीय संस्थाओं में स्थित सावधि धन का मूल्य निर्धारण लागत के आधार पर किया जाता है ।

घ) अधिमान्य शेयरों का मूल्य निर्धारण वाइ.टी.एम. आधार पर किया जाएगा।

ङ) ईक्विटी शेयरों का मूल्य निर्धारण अंतिम सौदा मूल्य पर या जहाँ भाव उपलब्ध नहीं है वहाँ अद्यतन तुलन पत्र के अनुसार विश्लेषित मूल्य (पुनर्मूल्यन रिज़र्व पर ध्यान दिए बिना) पर किया जाएगा।

च) क्षे.ग्रा. बैंकों में किए गए निवेशों का मूल्य निर्धारण रखाव लागत के आधार पर किया गया है (यानी बही मूल्य)।

छ) प्रतिभूतिकरण कंपनी (एस.सी.)/पुनर्निर्माण कंपनी (आर. सी.) द्वारा जारी की गयी प्रतिभूति रसीदों का मूल्य निर्धारण वर्गीकरण भा.रि.बैं. के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार समय-समय पर निर्धारित गैर एस एल आर लिखतों में किए गए निवेश पर लागू होनेवाले मानदण्डों के अनुसार किया जाता है।

ज) जोखिम पूंजी निधियों (वी.सी.एफ.) की यूनिटों का मूल्य निर्धारण वी.सी.एफ. द्वारा, अपने 18 महीने से अनधिक पुराने वित्तीय विवरणों में दर्शाए गए एन.ए.वी. पर किया गया।

3.2 Investments are valued in accordance with RBI guidelines.

3.2.1 Investments under Held to Maturity are valued at cost of acquisition, except where it is acquired at premium in which case the premium is amortised over the remaining period of maturity using Straight Line Method.

3.2.2 Investments held under Available for Sale category are valued at cost or market value, whichever is lower. Individual scripts are valued and depreciation/appreciation is aggregated category-wise as per the classification of investments in the Balance Sheet. Net depreciation is provided for and net appreciation, if any, is ignored.

3.2.3 Investments under Held for Trading category are marked to market and the resultant appreciation/depreciation is aggregated category-wise as per Balance Sheet classification. Net depreciation is provided for and net appreciation, if any, is ignored.

3.2.4 For the purpose of valuation –

I) Cost refers to actual cost of acquisition / carrying cost, wherever applicable.

II) Market value refers to latest available price from the trades / quotes on the stock exchanges, SGL account transactions, price list of RBI / FIMMDA / PDAI as such:

a) Government Securities and Other Approved Securities are valued on the basis of prices / Yield to Maturity (YTM) rates of FIMMDA / PDAI with appropriate spreads as prescribed by RBI.

b) Debentures / Bonds are valued on YTM basis with appropriate spreads as prescribed by PDAI / FIMMDA.

c) Treasury Bills, RIDF, Commercial Papers and Certificate of Deposits are valued at cost.

d) Preference Shares are valued on YTM basis.

e) Equity Shares are valued at last traded prices and where the shares are not quoted on stock exchanges, the unquoted shares are valued at breakup value (without considering 'revaluation reserves', if any) as per the latest available balance sheet.

f) Investment in RRBs is valued at carrying cost (i.e. book value).

g) Security Receipts issued by Securitisation Companies (SC)/Reconstruction Company (RC) are valued/classified as per the norms applicable to investment in Non SLR instruments as prescribed by RBI from time to time.

h) Units of Venture Capital Funds (VCF) are valued at NAV shown by the VCF in its financial statements not older than 18 months.

झ) म्यूच्युअल फंड में इकाइयों का मूल्य निर्धारण पुनः खरीदी मूल्य या निवल आस्ति मूल्य, इनमें जो भी कम हो, के आधार पर किया जाता है ।

3.2.5 निवेशों का वर्गीकरण उनके निष्पादन और भा.रि.बैं. के दिशा निदेशों के अनुसार, अग्रिमों पर लागू होनेवाले आइ.आर.ए.सी. मानदंडों के अनुसार किए गए प्रावधान के आधार पर किया गया। अनुत्पादक निवेशों पर किये गये प्रावधान का समंजन अन्य अर्जक निवेशों से संबंधित मूल्यवृद्धि के प्रति नहीं किया गया।

3.3 परिपक्वता के लिए धारित श्रेणी में प्रतिभूतियों के विक्रय/निपटान संबंधी अनुलाभ, यदि कोई हो, लाभ हानि लेखे के जरिए पूंजी रिज़र्व को लाया जाता है ।

3.4 एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में प्रतिभूतियों का अंतरण इस तरह से अंतरित प्रतिभूतियों पर मूल्यह्रास, यदि कोई हो, के लिए प्रावधान करने के पश्चात किया जाता है ।

3.5 विदेशी शाखा में अस्थायी दर वाले नोट तथा उधार संबद्ध नोटवाले निवेशों को 'बिक्री के लिए उपलब्ध' के रूप में वर्गीकृत किया गया है और उनका मूल्य निर्धारण, अंकित मूल्य या बाजार मूल्य, इनमें जो भी कम हो, पर किया गया। इन निवेशों को त्रैमासिक अंतरालों में बाजार के लिए अंकित किया गया है और जहाँ इन निवेशों का मूल्य नाममात्र के मूल्य से कम हुआ है वहाँ, इस संबंध में, तुलन-पत्र में मूल्यह्रास के लिए प्रावधान किया गया है और इसके लिए लाभ व हानि लेखे में प्रभार अंकित किया गया है।

3.6 अभिदानों पर प्राप्त प्रोत्साहन राशि को प्रतिभूतियों की लागत से कटौती की जाती है । प्रतिभूतियों के अभिग्रहण के संबंध में प्रदत्त दलाली/कमीशन/स्टांप शुल्क को राजस्व व्यय माना जाएगा ।

4.0 **व्युत्पन्न**

4.1 व्युत्पन्न लेन-देन के लिए दिए गये ऋण की निगरानी चालू ऋण मंजूरी पद्धति पर की जाती है।

4.2 अप्रतिभूत प्रतिरक्षा लेन-देनों को सौदा लेन-देन समझा जाएगा और उन्हें परिपक्वता की तारीख तक चालू रखा जाएगा।

4.3 व्युत्पन्न लेन-देनों को प्रतिरक्षा और अप्रतिरक्षा लेन-देनों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा और उनका उचित मूल्य पर आंका जाएगा।

4.4 पारस्परिक आधार पर किए गए लेन-देन तथा आस्तियों एवं देयताओं पर जोखिम प्रतिरक्षा हेतु किए गए लेन-देनों का मूल्य निर्धारण तथा लेखाकरण ब्याज उपचयन के आधार पर किया जाएगा ।

4.5 मार्केट मेकिंग लेन-देनों का लेखांकन पाक्षिक अंतरालों में बाजार के लिए अंकित आधार पर किया जाएगा जब कि प्रतिरक्षा लेन-देनों का लेखांकन उपचयन के आधार पर किया जाएगा।

4.6 खरीद के समय प्रदत्त प्रीमियम, यदि कोई हो, को लेन-देन की अवशिष्ट अवधि पर परिशोधित किया जाएगा और परिपक्वता के बाद लाभ को हिसाब में लिया जाएगा और मितिकाटे को अग्रिमों से प्राप्त आय लेखे में रखा जाएगा और परिपक्वता पर उसे लाभ व हानि लेखे में विनियोग किया जाएगा।

5.0 **अग्रिम**

5.1 अग्रिमों को अर्जक और अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और ऐसे अग्रिमों से हुई हानियों के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुसार प्रावधान किया जाता है। विदेशी शाखा के मामले में,

i) Units in mutual fund are valued at repurchase price or Net Asset Value, whichever is lower.

3.2.5 Investments are also categorised based on their performance and provisions are made as per IRAC norms applicable to advances as per RBI guidelines. Provision made on non-performing investments is not set off against the appreciation in respect of other performing investments.

3.3 Gain, if any, on sale / disposal of securities in the Held to Maturity category is taken to Capital Reserve through the Profit and Loss Account.

3.4 Transfer of securities from one category to another is effected after providing for depreciation, if any, on the securities so transferred.

3.5 Floating Rate Note and Credit Linked Note investments at Foreign Branch are classified as Available For Sale and are valued at nominal value or market value, whichever is lower. These investments are marked to market at quarterly intervals and where the value of these investments is lower than the nominal value, a provision for depreciation is created in the Balance Sheet and a charge is recognized in the Profit and Loss Account.

3.6 Incentive received on subscriptions is deducted from the cost of securities. Brokerage/commission/ stamp duty paid in connection with acquisition of securities is treated as revenue expenses.

4.0 **DERIVATIVES**

4.1 The credit exposures for derivative transactions are monitored on Current Credit Exposure method.

4.2 The naked hedging transactions are considered as a trading transaction and allowed to run till maturity.

4.3 Derivative transactions are classified into hedge and non-hedge and measured at fair value.

4.4 The transactions covered on back-to-back basis and the transactions undertaken to hedge the risk on assets and liabilities are valued and accounted on interest accrual basis.

4.5 Market making transactions are accounted on marked-to-market basis at fortnightly intervals, while hedging transactions are accounted for on accrual basis.

4.6 Premium at the time of purchase if any is amortized over the residual period of the transactions and profit is booked on maturity. Discount is held in Income Received in Advance account and appropriated to P&L account on maturity.

5.0 **ADVANCES**

5.1 Advances are classified into Performing and Non-Performing Assets and provisions for loan losses on such advances are made as per prudential norms issued by Reserve Bank of India from time to time.

आस्तियों का वर्गीकरण तथा हानि का प्रावधान, स्थानीय अपेक्षाओं या भा.रि.बैं. के विवेकपूर्ण मानदण्डों, इनमें जो भी अधिक कठोर हो, के अनुसार किया जाता है।

5.2 अग्रिमों का उल्लेख अनर्जक आस्तियों के लिए किए गए प्रावधानों को घटाकर किया जाता है सिवाय उन मानक अग्रिमों के लिए किए गए सामान्य प्रावधानों के मामले में, जिन्हें ''अन्य देयताओं और प्रावधान'' में शामिल किया गया है ।

6.0 **परिसर और अन्य अचल आस्तियां**

6.1 परिसर और अन्य अचल आस्तियों को, मूल्यह्रास को घटाने के बाद परंपरागत लागत और / या पुनर्मूल्यांकन मूल्य पर दर्शाया गया है। परिसरों का पुनर्मूल्यांकन, अनुमोदित मूल्यांककों द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित मूल्य पर हर पाँच वर्ष में किया जाता है। ऐसे पुनर्मूल्यांकन पर प्राप्त होनेवाली राशि को पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि में जमा किया गया है।

6.2 परिसर पर मूल्यह्रास का प्रावधान सम्मिश्र लागत पर किया गया है, जहाँ जमीन की लागत को अलग नहीं किया जा सकता है। पुनर्मूल्यांकित राशि पर अतिरिक्त मूल्यह्रास को पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि में समायोजित किया गया है।

6.3 परिवर्धन सहित अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान अन्यथा उल्लिखित के सिवाय निम्नलिखित दरों पर ह्रासमान शेष प्रणाली के आधार पर वार्षिक रूप से किया जाता है :

क) परिसर

i) मूल कंपनी के स्वामित्ववाले (पूर्ण स्वामित्व वाले/पट्टे पर लिए गए)	5%
ii) पट्टे पर लिये गये परिसरों के संबंध में पूंजीगत व्यय	
– जहाँ पट्टे की अवधि निर्दिष्ट नहीं है	10%
– जहाँ पट्टे की अवधि निर्दिष्ट है	पट्टे की शेष अवधि पर परिशोधित

ख) अन्य आस्तियाँ

i) फर्नीचर	10%
ii) उपस्कर, टाइपराइटर, अन्य उपकरण, यू.पी.एस., जनरेटर आदि	15%
iii) वाहन	20%
iv) इलेक्ट्रानिक उपकरण	40%
v) कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर (सीधी रेखा पद्धति)	33.33%

6.4 अचल आस्तियों में जोड़ी गयी आस्तियों पर मूल्यह्रास का प्रावधान, पूरे वर्ष के लिए किया जाता है, सिवाय कंप्यूटर उपकरण तथा परिचालन साफ्टवेयर के मामले में, जहाँ मूल्यह्रास का प्रावधान यथानुपातिक आधार पर किया जाता है।

7.0 **सेवानिवृत्ति लाभ**

7.1 कर्मचारी जिन्होंने भविष्य निधि के लिए विकल्प दिए हैं, उनके मामले में भविष्य निधि न्यास को सांविधिक अंशदान किया जाता है और अन्य कर्मचारी जिन्होंने पेन्शन के लिए विकल्प दिए हैं उनके संबंध में पेन्शन निधि को अंशदान वास्तविक मूल्य के आधार पर किया जाता है।

7.2 उपदान निधि न्यास को अंशदान वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

In respect of foreign branch, asset classification and provisioning for loan losses are made as per local requirements or as per RBI prudential norms, whichever is more stringent.

5.2 Advances are stated net of provisions made for Non-Performing Assets except general provisions for Standard Advances, Provision held for sold assets which have been included in 'Other Liabilities and Provisions'.

6.0 **PREMISES AND OTHER FIXED ASSETS**

6.1 Premises and other fixed assets are stated at historical cost and/or revaluation value less accumulated depreciation. The premises are revalued every five years at value determined based on the appraisal by approved valuers. Surplus arising at such revaluation is credited to Revaluation Reserve.

6.2 Depreciation on premises has been provided on composite cost wherever cost of land cannot be segregated. Additional depreciation on revalued amount is adjusted to the Revaluation Reserve.

6.3 Depreciation on other fixed assets, including additions, is provided for on the basis of written down value, except as otherwise stated, at the following rates:

a) PREMISES:

i) Parent Company owned (freehold/leasehold)	5%
ii) Capital Expenditure on premises taken on lease	
– where lease period is not specified	10%
– where lease period is specified	amortised over the residual Period of lease.

b) OTHER ASSETS:

i) Furniture	10%
ii) Fixtures, typewriters, other equipments, UPS, generators, etc.	15%
iii) Vehicles	20%
iv) Electronic equipments	40%
v) Computers & Operating Software (Straight Line Method)	33.33%

6.4 Depreciation on additions to fixed assets is provided for the whole year except on additions to computers and operating software, which is on pro-rata basis. No depreciation is provided on the assets in the year of their disposal.

7.0 **RETIREMENT BENEFITS**

7.1 Statutory contribution is made to Provident Fund Trust in respect of employees who have opted for Provident Fund. For others who have opted for pension scheme, contribution to Pension Fund Trust is made based on actuarial valuation.

7.2 Contribution to Gratuity Fund Trust is based on actuarial valuation.

7.3 छुट्टी नकदीकरण सुविधा की देयता को वास्तविक मूल्यांकन के अनुसार, उपचय आधार पर उपलब्ध कराया जाता है ।

8.0 **राजस्व का निर्धारण**

क) राजस्व और व्यय का हिसाब सामान्यतः प्रोद्भवन के आधार पर किया जाता है, सिवाय म्यूच्युअल फंड संव्यवहारों पर शुल्क/कमीशन के, गैर बैंकिंग आस्तियों पर आय, लॉकर किराया, परिपक्व जमाराशियाँ/अतिदेय बिलों पर ब्याज/कर वापसी अनर्जक आस्तियों से आय, दावा दायर खातों पर विधिक व्यय जिनका लेखाकरण नकदी आधार पर किया गया है।

ख) जब शेयरों पर लाभांश की घोषणा की जाती है तब उस से प्राप्त आय का लेखाकरण उपचय आधार पर किया जाता है और लाभांश प्राप्त करने का अधिकार स्थापित किया जाता है।

ग) अतिदेय जमाराशियों पर ब्याज को नवीकरण के समय पर हिसाब में लिया जाता है। परिपक्व जमाराशियों के मामले में भा.रि.बैं. के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार प्रावधान किया गया है ।

घ) प्रतिभूतियों के क्रय या विक्रय पर खंडित अवधि का ब्याज भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निदेशों के अनुसार राजस्व मद माना जाता है।

ङ) एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर, बांड निर्गम, क्रेडिट कार्ड एवं बीमा उत्पादों के फ्रैन्चाइज को राजस्व में प्रभारित कर दिया जाता है।

च) आयातित सोने के सिक्कों की बिक्री से प्राप्त आय का लेखाकरण, सिक्कों की बिक्री पूरी होने के बाद अन्य आय के रूप में किया जाता है।

9.0 **आय कर**

9.1 चालू कर का निर्धारण आय कर अधिनियम, 1961 के आधार पर किया जाता है।

9.2 कर योग्य आय और लेखाकरण आय के बीच समय का अंतर होने की वजह से उत्पन्न होनेवाली आस्थगित कर आस्तियों तथा देयताओं का अभिनिर्धारण आइ.सी.ए.आइ. द्वारा जारी किए गए लेखाकरण मानक 22 के अनुसार आस्थगित कर आस्तियों से संबंधित विवेकपूर्ण मानदण्ड को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।

10.0 **देश जोखिम प्रबंधन**

मूल कंपनी ने भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा निदेशों के अनुसार देश जोखिम प्रबंधन नीति अपनाई है।

11.0 **सोने के सिक्के**

आयातित सोने के सिक्कों के स्टॉक का मूल्य निर्धारण, लागत पर या बाज़ार मूल्य, इनमें जो भी कम हो, पर किया गया है।

12.0 **निवल लाभ**

निवल लाभ का निर्धारण 'प्रावधानों और आकस्मिकताओं' के अधीन निम्नलिखित मदों को हिसाब में लेने के पश्चात् किया गया है:

– आय कर और संपत्ति कर के लिए प्रावधान
– अनर्जक अग्रिमों और निवेशों के लिए प्रावधान/अपलेखन
– मानक आस्तियों के प्रावधान
– निवेश पर मूल्यवृद्धि/मूल्यह्रास के लिए समायोजन
– आकस्मिकताओं को अंतरण
– अन्य सामान्य और आवश्यक प्रावधान

7.3 Liability towards leave encashment is provided on accrual basis as per actuarial valuation.

8.0 **REVENUE RECOGNITION**

a) Revenue and expenses are generally accounted for on accrual basis except in respect of fees/commission on transactions with Mutual Funds, income on non-banking assets, locker rent, interest on overdue bills/tax refunds, income from non-performing assets and legal expenses on suit filed accounts which are accounted on cash basis.

b) Income from dividend on shares is accounted on accrual basis when the same is declared and the right to receive the dividend is established.

c) Interest on overdue deposits is accounted for at the time of renewal. In respect of matured deposits provision has been made as per the RBI guidelines.

d) The broken period interest on sale or purchase of securities is treated as revenue as per RBI guidelines.

e) Expenditure in respect of application software, bonds issue, franchises of credit card and insurance products are charged off to revenue.

f) Income from consignment sale of imported gold coins is accounted for as other income after the sale is complete.

9.0 **TAXES ON INCOME**

9.1 Current tax is determined as per the provisions of the Income Tax Act, 1961.

9.2 Deferred tax assets and liabilities arising on account of timing differences between taxable and accounting income, is recognized keeping in view, the consideration of prudence in respect of deferred tax assets in accordance with the Accounting Standard 22 issued by ICAI.

10.0 **COUNTRY RISK MANAGEMENT**

The Parent Company has adopted the Country Risk Management policy in accordance with the RBI guidelines.

11.0 **GOLD COINS**

Stock of imported gold coins is valued at cost or market price, whichever is lower.

12.0 **NET PROFIT**

Net Profit is arrived at after accounting for the following under "Provisions & Contingencies":

– Provision for Income tax and Wealth tax
– Provision/Write off of Non-Performing Advances and Investments
– Provision on Standard Assets
– Adjustment for appreciation/depreciation on Investments
– Transfer to Contingencies
– Other usual and necessary provisions.

अनुसूची –18 समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियाँ –2009-2010

1. **पूंजी**

विवरण	31-3-2010	31-3-2009
i) जोखिम भापरत आस्ति की तुलना में पूंजी का अनुपात (%) बासेल – II	**12.70**	12.68
ii) सी.आर.ए.आर. प्रथम चरण की पूंजी (%)	**8.24**	7.85
iii) सी.आर.ए.आर. द्वितीय चरण की पूंजी (%)	**4.46**	4.83
iv) भारत सरकार के शेयरधारण की प्रतिशतता	**66.47**	66.47
v) द्वितीय चरण की पूंजी के रूप में जुटाई गई गौण ऋण राशि (रु. करोड़)	**2025.00**	1825.00

नोट: बासेल–II मानदण्डों के अनुसार, दि. 31-03-2010 को मूल कंपनी की पूंजी पर्याप्तता अनुपात 11.20%और दि.31-03-2009 को 11.37% था ।

2. **निवेश** (करोड़ रुपयों में)

विवरण	2009-10	2008-09
(1) **निवेश का मूल्य**		
(i) निवेश का सकल मूल्य		
(क) भारत में	**32778.36**	30293.10
(ख) भारत के बाहर	**314.96**	390.73
(ii) मूल्यह्रास और एन.पी.ए. के लिए प्रावधान		
(क) भारत में	**58.00**	115.55
(ख) भारत के बाहर	**24.77**	31.05
(iii) निवेश का निवल मूल्य		
(क) भारत में	**32720.36**	30177.55
(ख) भारत के बाहर	**290.19**	359.68
(2) **निवेश के मूल्यह्रास के लिए रखे गए प्रावधान का संचलन**		
प्रारंभिक शेषराशि	**146.60**	80.77
जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	**15.51**	100.49
घटाएं: वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधान का अपलेखन/पुनरांकन	**79.34**	34.66
इतिशेष	**82.77**	146.60

क) **रेपो लेन–देन** (करोड़ रुपयों में)

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	दि. 31-03-2010 को इतिशेष
रेपोज के अधीन बिक्री की गई प्रतिभूतियाँ	NIL	NIL	NIL	NIL
रिवर्स रेपोज के अधीन खरीदी गई प्रतिभूतियाँ	100.00	5700.00	580.19	NIL

ख) **दि. 31-03-2010 को गैर एस.एल.आर. निवेशों के जारीकर्तावार संरचना** (करोड़ रुपयों में)

क्रम सं.	जारीकर्ता	रकम	प्राइवेट नियोजन की मात्रा	निम्न ''निवेश श्रेणी'' प्रतिभूतियों की मात्रा	अनिर्धारित प्रतिभूतियों की मात्रा	असूचीबद्ध प्रतिभूतियों की मात्रा
1	2	3	4	5	6	7
1.	सा.क्षे.उ.	70.38	48.87	0.00	25.38	5.84
2.	वित्तीय संस्थाएँ	809.64	809.64	0.00	50.50	75.06
3.	बैंक	718.91	688.80	0.00	0.00	2.00
4.	निजी कंपनी	407.03	330.49	0.00	134.37	90.35
5.	सहयोगी संस्थाएँ/ संयुक्त उद्यम	33.60	33.60	0.00	33.60	33.60
6.	अन्य	2654.20	2407.90	49.00	62.46	232.85
7.	घटाएँ: मूल्यह्रास के प्रति रखा गया प्रावधान	38.57	13.80	8.33	18.66	25.28
8.	कुल (1 से 6 घटाएँ 7)	4655.19	4305.49	40.67	287.65	414.42

(कॉलम, 4, 5, 6 और 7 में दी गई रकम परस्पर अनन्य नहीं है)

SCHEDULE – 18 CONSOLIDATED NOTES ON ACCOUNTS – 2009-2010

1. **CAPITAL**

Particulars	31-3-2010	31-3-2009
i) Capital to Risk Assets Ratio (CRAR) (%) Basel II	**12.70**	12.68
ii) CRAR - Tier I Capital (%)	**8.24**	7.85
iii) CRAR - Tier II Capital (%)	**4.46**	4.83
iv) Percentage of the shareholding of the Government of India	**66.47**	66.47
v) Amount of subordinated debt raised as Tier-II capital (Rs. Crore)	**2025.00**	1825.00

Note: The Capital Adequacy Ratio of the Parent Company as on 31-03-2010 as per Basel II norms is 11.20% and as on 31-03-2009 was 11.37%.

2. **INVESTMENTS** (Rs. in Crore)

Particulars	2009-10	2008-09
(1) **Value of Investments**		
(i) Gross Value of Investments		
(a) In India	**32778.36**	30293.10
(b) Outside India	**314.96**	390.73
(ii) Provisions for Depreciation and NPA		
(a) In India	**58.00**	115.55
(b) Outside India	**24.77**	31.05
(iii) Net Value of Investments		
(a) In India	**32720.36**	30177.55
(b) Outside India	**290.19**	359.68
(2) **Movement of provisions held towards depreciation on investments**		
Opening balance	**146.60**	80.77
Add: Provisions made during the year	**15.51**	100.49
Less: Write-off/write-back of excess provisions during the year	**79.34**	34.66
Closing balance	**82.77**	146.60

a) **Repo Transactions** (Rs. in Crore)

Particulars	Minimum outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily Average outstanding during the year	Closing Balance as on 31-03-2010
Securities sold under Repos	NIL	NIL	NIL	NIL
Securities purchased under Reverse Repos	100.00	5700.00	580.19	NIL

b) **Issuer composition of Non SLR investments as on 31-03-2010** (Rs. in Crore)

Sl. No.	Issuer	Amount	Extent of private placement	Extent of "Below Investment grade" securities	Extent of "Unrated" securities	Extent of "Unlisted" securities
1	2	3	4	5	6	7
1.	PSUs	70.38	48.87	0.00	25.38	5.84
2.	Financial Institutions	809.64	809.64	0.00	50.50	75.06
3.	Banks	718.91	688.80	0.00	0.00	2.00
4.	Private Corporates	407.03	330.49	0.00	134.37	90.35
5.	Subsidiaries/ Joint ventures	33.60	33.60	0.00	33.60	33.60
6.	Others	2654.20	2407.90	49.00	62.46	232.85
7.	Less:Provision held towards depreciation	38.57	13.80	8.33	18.66	25.28
8.	TOTAL (1 to 6 minus 7)	4655.19	4305.49	40.67	287.65	414.42

(Amounts reported under Columns 4, 5, 6 & 7 above may not be mutually exclusive)

ग) **अनर्जक गैर एस.एल.आर. निवेश** (करोड़ रुपयों में)

विवरण	31-03-2010	31-03-2009
अथशेष	**60.57**	10.57
वर्ष के दौरान परिवर्धन	**5.19**	50.00
वर्ष के दौरान कटौती	**50.74**	0.00
इति शेष	**15.02**	60.57
रखे गए कुल प्रावधान	**11.33**	20.57

3. **व्युत्पन्न**

अ. **वायदा दर करार/ब्याज दरों की अदलाबदली/विदेशी मुद्रा की अदला-बदली** (करोड़ रुपयों में)

विवरण	31-03-2010	31-03-2009
i) अदला-बदली करार का कल्पित मूल-धन	**1640.67**	1587.26
ii) यदि करार के अधीन अपने दायित्वों को पूरा करने में प्रति पार्टी विफल होती हैं तो, उठाई जाने वाली हानि	**(8.44)**	(8.87)
iii) अदला-बदली में प्रवेश होने पर मूल कंपनी द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक प्रतिभूति	**–**	–
iv) अदला-बदली से उठनेवाले ऋण जोखिम का केंद्रीकरण*	**–**	–
v) अदला-बदली बही का उचित मूल्य	**(0.78)**	(1.80)

* बैंकिंग क्षेत्र के अलावा, मूल कंपनी ने केवल एक ही पार्टी के पास निवेश किया जो एक पावर परियोजना है।

आ. **विनिमय व्यापारिक व्युत्पन्न – मुद्रा वायदे**

मूल कंपनी ने विनियम पर यू.एस. डॉलर/भारतीय रुपयों में मुद्रा वायदे का स्वामित्व व्यापार करती है। दि. 31-03-2010 की स्थिति के अनुसार मुद्रा वायदे के अंतर्गत कोई बकाया नहीं है ।

ई. **व्युत्पन्नों (डेरिवेटिव) में जोखिम में निवेशों का प्रकटीकरण**

क) **गुणात्मक प्रकटीकरण**

मूल कंपनी अपने तुलन पत्र में आस्तियों और देयताओं की प्रतिरक्षा और व्यापार/बाजार को सक्रिय बनाने के उद्देश्य से व्युत्पन्न लेन-देन कर रहा है। मूल कंपनी, बैंक और बैंकेतर काउंटर पार्टियों के साथ एफ.आर.ए., ब्याज दर स्वैप, करेंसी स्वैप तथा करेंसी विकल्प जैसे व्युत्पन्न लेन-देन कर रहा है।

- मूल कंपनी के पास संमिश्र व्युत्पन्न के अंतर्गत कोई निवेश नहीं है और नहीं उनके पास न्यून-ब्याजदर वाली आस्तियों के अंतर्गत कोई प्रत्यक्ष निवेश है ।
- व्युत्पन्न लेन-देन करने के लिए मूल कंपनी के पास अच्छी खासी नीति है जो बैंक के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित है।
- मूल कंपनी ने न तो किसी लेखे का क्रिस्टलीकरण और अपलेखन किया है और न ही व्युत्पन्न लेन-देन से कोई हानि उठाई है ।
- ब्याज संबंधी विवाद को रोकने तथा जोखिम की मात्रा को कम करने के उद्देश्य से फ्रंट ऑफिस, मिड ऑफिस और बैक ऑफिस को अलग-अलग कर दिया गया। मिड ऑफिस, नैगम कार्यालय, बेंगलूर में स्थित जोखिम प्रबंधन और अनुप्रवर्तन विभाग को सीधे रिपोर्ट करता है।
- गैर बैंक ग्राहक सहित काउँटर पार्टियों की ऋण जोखिम का मूल्यांकन निर्धारित सीमा/सीमाओं के साथ उचित रीति से किया जाता है।
- ऋण जोखिम की निगरानी काउँटर पार्टी निवेश सीमाएं निर्धारित करने, देश विशेष को ऋण देने में निहित जोखिम निर्धारित करने और सी.सी.आई.एल./सी.एल.एस. के माध्यम से निपटान संबंधी जोखिम को कम करने के द्वारा की जाती है ।
- मुद्रा वायदे से मूल कंपनी केलिए कोई ऋण जोखिम नहीं है, क्योंकि एक्स्चेंज कंपनियाँ भुगतान की गारंटी देती है ।

c) **Non-performing Non-SLR Investments**

(Rs. in Crore)

Particulars	31-03-2010	31-03-2009
Opening balance	**60.57**	10.57
Additions during the year	**5.19**	50.00
Reduction during the year	**50.74**	0.00
Closing balance	**15.02**	60.57
Total provisions held	**11.33**	20.57

3. **DERIVATIVES**

A. **Forward Rate Agreements / Interest Rate Swap/Cross Currency Swaps** (Rs. in crore)

Items	31-03-10	31-03-09
i) The notional principal of the swap agreements	**1640.67**	1587.26
ii) Losses which would be incurred if the counterparties fail to fulfil their obligations under the agreements	**(8.44)**	(8.87)
iii) Collateral required by the bank upon entering the swap	**–**	–
iv) Concentration of credit risk arising from the swaps	**–**	–
v) The fair value of the swap book	**(0.78)**	(1.80)

* Apart from the banking sector, we have exposures with only one party, which is into power projects.

B. **Exchange Traded Derivatives – Currency Futures**

The Parent Company undertakes proprietary trading in Currency Futures in USD/INR on the Exchanges. There are no outstanding contracts under Currency Futures as on 31-3-2010.

C. **Disclosures on Risk Exposure in Derivatives**

a) ***Qualitative Disclosure***

The Parent Company is undertaking derivative transactions for hedging risks on its balance sheet as well as for trading/market-making purposes. Parent Company is undertaking derivative transactions like FRAs, Interest rate swaps, Currency swaps and Currency Options, with bank and Non-bank Counter parties.

- Parent Company is not having any exposure in complex derivatives nor has it any direct exposure to the sub-prime assets.
- The Parent Company has a well laid-down policy for undertaking derivative transactions approved by its Board.
- The Parent Company has not crystallised and written off any account nor incurred any loss on account of undertaking derivative transactions.
- The segregation of Front Office, Mid Office and Back Office is ensured to avoid conflict of interest and to mitigate the degree of risk. The Mid Office is directly reporting to Risk Management and Monitoring Department at Corporate Office, Bangalore.
- Credit risk of counter parties, including non-bank clients is properly appraised and limits fixed.
- Credit risk is monitored by setting counterparty exposure limits, setting country risk exposure and mitigating settlement risk through CCIL/CLS.
- Currency Futures have no credit risk for the Bank as the exchanges guarantee payment.

- विदेशी मुद्रा अदला-बदली को 5 वर्षों तक की अवधि के लिए किया गया जिसमें कोई जोखिम के बिना उसी प्रकार के समर्थक लेन-देन और गैर-बैंक कंपनी ग्राहकों के लिए 50 मिलियन यू.एस. डॉलर की राशि शामिल की गई है।
- केवल उन गैर-बैंक प्रति पार्टी के लिए करेंसी स्वैप लेन-देन किया गया। जिनका श्रेणी निर्धारण सिंड-01 से सींड-04 है ।
- मूल धन और ब्याज समर्थक लेन-देन दोनों को करेंसी स्वैप में शामिल किया गया। इस प्रकार कोई लागत को शामिल किए बिना विनिमय दर जोखिम तथा ब्याज दर जोखिम दोनों को प्रतिरक्षा प्रदान किया गया।
- संचालनों को, काऊंटर पार्टी बैंकों और बैंकेतर ग्राहकों के साथ निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित सीमाओं के भीतर किया जाता है। गैर बैंक ग्राहकों के साथ लेन-देनों को पृष्ठाधान रक्षा के आधार पर बाज़ार जोखिम उठाए बिना किया जाता है।
- व्युत्पन्न लेन-देन के लिए चालू उधार निवेश पद्धति के आधार पर ऋण पर निगरानी रखता है।
- भा.रि.बैं. के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार काऊँटर पार्टी बैंक और गैर-बैंक ग्राहक के साथ आई.एस.डी.ए. करार निष्पादित/विनिमय किया गया है।
- मिड ऑफिस, व्यापार लेन-देन से उत्पन्न होनेवाली जोखिम का स्वतंत्र रूप से आंकन करता है।
- संचालनों को निदेशक मंडल द्वारा संस्वीकृत समग्र पूरक सीमा के भीतर किया जाता है।
- प्रतिरक्षा हेतु किया गया कोई भी लेन-देन, यदि असुरक्षित हो जाता है तो उसे व्यापार लेन-देन समझा जाएगा और उसे परिपक्वता तक चालू रखा जाएगा ।
- लेन-देनों को प्रतिरक्षा या गैर-प्रतिरक्षा लेन-देनों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, उसे उचित मूल्य पर आंका जाएगा।
- समर्थन आधार पर किए गए लेन-देन और मूल कंपनी की आस्तियों एवं देयताओं से संबंधित जोखिमों की प्रतिरक्षा हेतु किए गए लेन-देनों का मूल्य निर्धारण ब्याज उपचय आधार पर किया जाएगा और उसे तदनुसार लेखाबद्ध किया जाएगा ।
- खरीद के समय प्रदत्त प्रीमियम, यदि कोई हो, का परिशोधन लेन-देन की अवशिष्ट अवधि पर किया जाएगा । परिपक्व होने पर लाभ दर्ज किया जाएगा । बट्टा घटक को, अग्रिमों से प्राप्त आय लेखे में रखा जाएगा और परिपक्व होने पर उसे लाभ व हानि लेखे में विनियोग किया जाएगा ।
- प्रतिरक्षा उद्देश्य हेतु किए गए उन सभी लेन-देनों के लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है, जो असुरक्षित हो जाते हैं और बाज़ार के लिए अंकित हानि हो जाती है ।
- उन निवल निधीकृत देशी ऋणों के लिए प्रावधान किया गया है जहाँ ऋण राशि मूल कंपनी की आस्तियों के 1% या उस से अधिक है ।
- विपणन उद्देश्य हेतु किए गए लेन-देनों को पाक्षिक आधार पर बाजार के लिए अंकित किया जाता है और प्रतिरक्षा उद्देश्य हेतु रखे गए लेन-देनों को उपचय आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है।
- मंजूरी की शर्तों के अनुसार संपार्श्विक प्रतिभूतियाँ भी प्राप्त की जाती हैं।
- मूल कंपनी की लंदन शाखा, एफ.आर.ए. और आई.आर.एस. को केवल प्रतिरक्षा उद्देश्य के लिए करती है और ब्याज का लेखाकरण उपचय आधार पर करती है।
- 97.87% व्युत्पन्न, एक वर्ष से कम अवधि के अंतर्गत आते हैं।

- Cross-currency swaps are undertaken upto a period of 5 years, covering the same back-to-back without any open position and upto an amount of USD 50 Mio for non-bank clients.
- Currency swaps are undertaken for non-bank counterparty with ratings SYND 01 to SYND 04 only.
- Cover currency swaps are undertaken both principal and interest back-to-back thus hedging both exchange rate risk and interest rate risk without involvement of any outlays.
- The transactions with our counter-party banks and non-bank counter-party are undertaken within the limits approved by the Board. The transactions with non-bank counterparty are done on a back-to-back covered basis without assuming any market risk.
- Credit exposures for derivative transactions are monitored on the basis of current credit exposure Method.
- ISDA agreements are executed / exchanged with every counter-party bank and non-bank clients as per RBI guidelines.
- Mid-office measures and monitors the risk arising out of trading deals independently.
- The transactions are undertaken within the overall Aggregate Gap Limits sanctioned by the Board.
- Any transaction undertaken for hedging purpose, if it becomes naked, is treated as a trading transaction and allowed to run till maturity.
- The transactions are separately classified as hedge or non-hedge transactions and measured at fair value.
- The transactions covered on back-to-back basis and the transactions undertaken to hedge the risks on Bank's assets and liabilities are valued as per the valuation prescribed and Interest is accounted on accrual basis.
- Premium at the time of purchase, if any, is amortized over the residual period of the transaction. Profit is recognised on maturity. Discount is held in Income Received in Advance account and appropriated to P&L account on maturity.
- Adequate provision is made for transactions undertaken for hedging purpose, which become naked resulting in mark-to-market losses.
- Provision is also made for net funded country exposures, where the exposure is 1% or more of the Bank's assets.
- Transactions for market making purposes are marked-to-market at fortnightly intervals and those for hedging purposes are accounted for, on accrual basis.
- Collaterals are also obtained depending on the terms of sanction.
- Parent Company's branch at London is undertaking FRAs and IRS for hedging purpose only and accounting interest on accrual basis.
- 97.87% of Derivatives fall under the short tenure of less than one year.

ख) दि.31-03-2010 को मात्रात्मक निवेश (करोड़ रुपयों में)

क्रम सं.	विवरण	मुद्रा व्युत्पन्न	ब्याज दर व्युत्पन्न
1.	व्युत्पन्न (काल्पनिक मूल राशि) क) प्रतिरक्षा के लिए ख) व्यापार के लिए	 269.40 0.00	 1640.67 0.00
2.	बाजार स्थितियों को अंकित क) आस्तियाँ (+) ख) देयताएँ (–)	 0.00 0.00	 – 0.19 – 0.78
3.	ऋण विनिवेश	62.13	8.44
4.	ब्याज दरों में 1% परिवर्तन होने से होनेवाला प्रभाव (100* पीवी 01) क) प्रतिरक्षा व्युत्पन्नों पर ख) व्यापार व्युत्पन्नों पर	 0.08 0.00	 4.75 0.00
5.	वर्ष के दौरान पाया गया 100* पीवी 01 का अधिकतम एवं न्यूनतम क) प्रतिरक्षा पर न्यूनतम अधिकतम ख) व्यापार पर न्यूनतम अधिकतम	 – – 0.00 0.00	 – – 0.00 0.00

4. **आस्ति गुणवत्ता**

क. **अनर्जक आस्ति** (करोड़ रुपयों में)

विवरण	31-03-2010	31-03-2009
(i) निवल अग्रिमों के प्रति निवल अनर्जक आस्ति (%)	**1.07**	0.77
(ii) सकल अनुत्पादक आस्तियों का संचलन		
क) प्रारंभिक शेष राशि	**1594.54**	1768.65
ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन (नई अनर्जक आस्तियाँ)	**1491.52**	960.70
ग) वर्ष के दौरान कटौती	**1079.24**	1134.81
घ) इतिशेष (क–क)	**2006.82**	1594.54
(iii) निवल अनुत्पादक आस्तियों का संचलन		
क) प्रारंभिक शेषराशि	**631.77**	622.73
ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	**960.96**	696.38
ग) वर्ष के दौरान कटौती	**629.53**	687.34
घ) इतिशेष	**963.20**	631.77
(iv) अनर्जक आस्तियों के लिए किए गए प्रावधानों का संचलन (मानक आस्तियों के लिए किए प्रावधानों को छोड़कर)		
क) प्रारंभिक शेषराशि	**926.04**	1107.40
ख) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	**530.56**	380.83
ग) अतिरिक्त प्रावधान का अपलेखन/पुनरांकन	**459.44**	562.19
घ) इतिशेष	**997.16**	926.04

ख. **सेक्टरवार अनर्जक आस्तियाँ**

क्रम सं.	**सेक्टर**	**उक्त क्षेत्र के अंतर्गत कुल अग्रिमों की तुलना में एन.पी.ए. की प्रतिशतता**
1.	कृषि और संबद्ध क्रियाकलाप	1.47
2.	उद्योग (अत्यंत लघु और लघु, मध्यम और बड़े उद्योग)	2.70
3.	सेवा	5.35
4.	वैयक्तिक ऋण	2.50

b) Quantitative Exposures as on 31-03-2010

(Rs. in Crore)

Sl . No.	Particular	Currency Derivatives	Interest Rate Derivatives
1.	Derivatives (Notional Principal Amount) a) For Hedging b) For Trading	 269.40 NIL	 1640.67 NIL
2.	Marked To Market Positions a) Asset (+) b) Liability (–)	 NIL NIL	 –0.19 –0.78
3.	Credit Exposure	62.13	8.44
4.	Likely impact of 1% change in interest rates (100*PV01) a) For Hedging b) For Trading	 0.08 NIL	 4.75 NIL
5.	Maximum & Minimum of 100*PV01 observed during year a) For Hedging Minimum Maximum b) For Trading Minimum Maximum	 – – NIL NIL	 – – NIL NIL

4. **ASSET QUALITY**

a) **Non-Performing Assets** (Rs. in Crore)

Particulars	31-03-2010	31-03-2009
(i) Net NPA to Net Advances (%)	**1.07**	0.77
(ii) Movement of NPAs (Gross)		
a. Opening balance	**1594.54**	1768.65
b. Additions (Fresh NPAs) during the year	**1491.52**	960.70
c. Reductions during the year	**1079.24**	1134.81
d. Closing balance (A–B)	**2006.82**	1594.54
(iii) Movement of Net NPAs		
a. Opening balance	**631.77**	622.73
b. Additions during the year	**960.96**	696.38
c. Reductions during the year	**629.53**	687.34
d. Closing balance	**963.20**	631.77
(iv) Movement of Provisions for NPAs (excluding provision on Standard Assets)		
a. Opening balance	**926.04**	1107.40
b. Provisions made during the year	**530.56**	380.83
c. Write off/write back of excess provisions	**459.44**	562.19
d. Closing balance	**997.16**	926.04

b) **Sector-wise NPAs**

Sl. No.	Sector	Percentage of NPAs to Total Advances in that sector
1.	Agriculture & allied activities	1.47
2.	Industry (Micro & small, Medium and Large)	2.70
3.	Services	5.35
4.	Personal Loans	2.50

ग. **प्रतिभूतीकरण/पुनर्निर्माण कंपनियों को बिक्री की गई वित्तीय आस्तियों के विवरण** (करोड़ रुपयों में)

विवरण	2009-10	2008-09
(i) खातों की संख्या	**0**	0
(ii) प्रतिभूतीकरण/पुनर्निर्माण कंपनियों को बिक्री किए गए खातों के कुल मूल्य (प्रावधान घटाकर))	**0**	0
(iii) कुल प्रतिलाभ	**0**	0
(iv) पूर्ववर्ती वर्षों में अंतरित खातों के संबंध में वसूल किया गया अतिरिक्त प्रतिलाभ	**0**	0
(v) निवल बही मूल्य के प्रति कुल लाभ/हानि	**0**	0

घ. **खरीदी गयी/विक्रय की गयी अनर्जक वित्तीय आस्तियों के ब्यौरे:** शून्य (पिछले वर्ष: शून्य)

ङ. **मानक आस्तियों पर प्रावधान** (करोड़ रुपयों में)

विवरण	2009-10	2008-09
मानक आस्तियों के प्रति प्रावधान	**395.89**	395.89

5. **कारोबार अनुपात**

विवरण	31-03-2010	31-03-2009
(i) कार्यशील निधियों की तुलना में ब्याज आय की प्रतिशतता (%)	**7.72%**	8.51%
(ii) कार्यशील निधियों की तुलना में अब्याजी आय की प्रतिशतता (%)	**0.90%**	0.76%
(iii) कार्यशील निधियों की तुलना में परिचालन लाभ की प्रतिशतता (%)	**1.44%**	1.52%
(iv) आस्तियों पर प्रतिलाभ (%)	**0.62%**	0.81%
(v) प्रति कर्मचारी कारोबार (जमाराशि + अग्रिम) (रु. लाख में)	**746.84**	750.65
(vi) प्रति कर्मचारी लाभ (रु. लाख में)	**3.18**	3.64

c) **Details of financial assets sold to Securitisation/ Reconstruction Company for Asset Reconstruction**

(Rs. in Crore)

Particulars	2009-10	2008-09
(i) No. of accounts	**NIL**	NIL
(ii) Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to Securitisation Company/ Reconstruction Company	**NIL**	NIL
(iii) Aggregate consideration	**NIL**	NIL
(iv) Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	**NIL**	NIL
(v) Aggregate gain over net book value.	**NIL**	NIL

d) **Details of non-performing financial assets purchased/ sold: Nil** (Previous Year: Nil)

e) **Provisions on Standard Asset** (Rs. in Crore)

Particulars	2009-10	2008-09
Provisions towards Standard Assets	**395.89**	395.89

5. **BUSINESS RATIOS**

Particulars	31-03-2010	31-03-2009
(i) Interest Income as a percentage to Working Funds (%)	**7.72%**	8.51%
(ii) Non-interest income as a percentage to Working Funds (%)	**0.90%**	0.76%
(iii) Operating Profit as a percentage to Working Funds (%)	**1.44%**	1.52%
(iv) Return on Assets (%)	**0.62%**	0.81%
(v) Business (Deposits plus advances) per employee (Rs. in Lacs)	**746.84**	750.65
(vi) Profit per employee (Rs. in Lacs)	**3.18**	3.64

6. **आस्तियों और देयताओं के कुछ मदों का परिपक्वता पैटर्न/MATURITY PATTERN OF CERTAIN ITEMS OF ASSETS AND LIABILITIES AS ON 31-03-2010**

(रुपये करोड़ में Rs. in Crore)

ऋण और अग्रिम, निवेश, जमाराशि और उधार का परिपक्व पैटर्न/THE MATURITY PATTERN OF LOANS & ADVANCES, INVESTMENTS, DEPOSITS AND BORROWINGS (भा.रि.बैं. द्वारा निर्दिष्ट विभिन्न परिपक्वता बजेट के अंतर्गत)/(UNDER VARIOUS MATURITY BUCKETS PRESCRIBED BY THE RESERVE BANK OF INDIA)

अवशिष्ट परिपक्वता Residual Maturity	1 दिन 1 day	2-7 दिन 2-7 days	8-14 दिन 8-14 days	15-28 दिन 15-28 days	29 दिनों से और 3 महीने तक 29 days and upto 3 months	3-6 महीने 3 - 6 months	6 महीने से अधिक और 1 वर्ष तक >6 months to 1 year	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक >1 year to 3 years	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक >3 years to 5 years	5 वर्ष से अधिक >5 years	कुल Total
1. ऋण और अग्रिम की परिपक्वता पैटर्न Maturity Pattern of Loans & Advances	2943.50	2645.17	1607.99	1901.18	9175.02	5124.42	10377.23	32855.14	11338.45	12438.26	90406.36
2. निवेश की परिपक्वता पैटर्न Maturity Pattern of Investments	876.22	33.78	0.00	1991.81	4626.31	3081.56	3695.89	7813.03	2175.02	8717.30	33010.93
3. जमाराशियों की परिपक्वता पैटर्न Maturity Pattern of Deposits	493.84	4804.79	3098.63	3301.98	16093.18	11968.98	8293.93	28734.06	7093.85	33142.55	117025.79
4. उधार राशियों की परिपक्वता पैटर्न Maturity Pattern of Borrowings	0.23	0.00	0.00	0.00	3759.93	348.58	1738.86	2170.71	504.95	31.73	8554.98
5. ** विदेशी मुद्रा आस्तियां (लंदन+आइडी) Foreign Currency Assets(London+ID)	795.13	1436.97	517.95	1112.66	2756.99	1155.64	483.35	974.72	708.30	296.01	10237.74
6. ** विदेशी मुद्रा देयताएँ (लंदन+आइडी) Foreign Currency Liabilities (London+ID)	567.37	951.68	670.47	649.87	3266.58	1496.61	1329.27	603.33	2.41	0.00	9537.58

** उपर्युक्त मद सं. 5 और 6 को उक्त मद सं. 1 से 4 के संबंधित शीर्षों में शामिल किया गया है । Item no. 5 & 6 above are included in respective heads in item no. 1 to 4 above

नोट: उपर्युक्त तालिका की मद सं. 5 और 6 लंदन और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग दोनों विदेशी मुद्राओं में आंकी गयी आस्तियां/देयताएं है और ये संबंधित लेखा शीर्ष के अधीन मद संख्या 1 से 4 में दिए गए लेखा शीर्ष के हिस्से बनते हैं ।

Note: Item No. 5 & 6 of above table are assets/liabilities denominated in foreign currencies of both London and International Division and these form part of the respective heads given in item numbers 1 to 4.

7. **निवेश**

क. **स्थावर संपदा क्षेत्र में निवेश** (रु. करोड़ में)

विवरण	31-03-10	31-03-09
स्थावर संपदा क्षेत्र को ऋण		
क) प्रत्यक्ष निवेश	**11321.68**	8765.65
(i) आवासीय बंधक - उधारकर्ता द्वारा निवास करनेवाली या किए जाने वाली या किराए पर दी गई आवासीय संपत्ति पर बंधक द्वारा पूर्ण रूप से रक्षित उधार;	**8763.15**	6309.96
इनमें से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों के अंतर्गत शामिल करने हेतु पात्र वैयक्तिक आवास ऋण	**6380.20**	4340.33
(ii) वाणिज्यिक स्थावर संपदा (निधि आधारित और गैर निधि आधारित) वाणिज्यिक स्थावर संपदा (कार्यालय भवन खुदरा स्थान, बहु-उद्देशीय वाणिज्यिक भवन, बहु-पारिवारिक आवासीय भवन, बहु-किरायेदार वाणिज्यिक भवन, औद्योगिक या माल गोदाम स्थान, होटल, भूमि अभिग्रहण, विकास एवं निर्माण, आदि) पर बंधक द्वारा रक्षित उधार। निवेश में गैर-निधि आधारित (एन.एफ.बी.) सीमाएँ भी शामिल होंगी;	**2558.53**	2455.69
(iii) बंधक समर्थित जमानत में निवेश और अन्य प्रतिभूतीकृत निवेश – क. आवासीय ख. वाणिज्यिक स्थावर संपदा	**0.00**	**0.0**0
ख) परोक्ष निवेश राष्ट्रीय आवास बैंक (एन एच बी) और आवास वित्त कंपनियों (एच एफ सी) पर निधि आधारित तथा गैर-निधि आधारित निवेश	**3359.68**	1916.69

ख. **पूंजी बाजार में निवेश** (रु. करोड़ में)

विवरण	31-03-10	31-03-09
(i) ईक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बंध पत्रों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और ईक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंड की यूनिटों में किए गए प्रत्यक्ष निवेश जिनकी निधियों को नैगम ऋण में निवेश नहीं किया गया है	**102.81**	202.02
(ii) शेयरों/बंध पत्रों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों की जमानत पर या ईक्विटी शेयरों (आई.पी.ओ./ई.एस.ओ.पी.एस. सहित) परिवर्तनीय बंध पत्रों, परिवर्तनीय डिबेंचरों, म्यूच्युअल फंड की यूनिटों में और ईक्विटी उन्मुख निवेश करने हेतु बेजमानती आधार पर व्यक्तियों को दिए गए अग्रिम	**0.48**	1.06
(iii) अन्य उद्देश्यों के लिए दिए गए ऋण जहाँ शेयरों या परिवर्तनीय बंध पत्रों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंड की यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है ।	**0.00**	0.00
(iv) किसी अन्य उद्देश्य के लिए उस सीमा तक दिए गए अग्रिम जो शेयरों या परिवर्तनीय बंध पत्रों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंड की यूनिटों की संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा रक्षित हो, यानी, जहां शेयरों/परिवर्तनीय बंध पत्रों/परिवर्तनीय डिबेंचरों/ईक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंड की यूनिटों से भिन्न प्राथमिकता प्रतिभूति अग्रिमों को पूर्णतया रक्षित नहीं करती है ।	**135.13**	6.57
(v) स्टॉक ब्रोकरों को दिए गए जमानती और या बेज़मानती अग्रिम और स्टाक ब्रोकरों तथा शेयर विपणनकर्ताओं की ओर से जारी की गयी गारंटियां	**4.46**	2.40
(vi) शेयरों/बंध पत्रों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों की ज़मानत पर या संसाधनों को जुटाने के उद्देश्य से नई कंपनियों की ईक्विटी में प्रवर्तक के अंशदान की पूर्ति के लिए बेजमानती आधार पर कंपनी को दिए गए ऋण	**785.72**	390.11

7. **EXPOSURES**

A. Exposure to Real Estate Sector (Rs. in Crores)

Particulars	31-03-10	31-03-09
Exposure to Real Estae Sector		
a) Direct Exposure	**11321.68**	8765.65
(i) Residential Mortgages Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented	**8763.15**	6309.96
Out of the above, individual housing loans eligible for inclusion in priority sector advances	**6380.20**	4340.33
(ii) Commercial Real Estate (Fund-based & non-fund based) Lending secured by mortgages on commercial real estates (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse spaces, hotels, land acquisition, development and construction etc.) Exposure would also include non-fund based limits.	**2558.53**	2455.69
(iii) Investment in Mortgaged Backed Securities (MBS) and other securitised exposure a. Residential b. Commercial Real Estate	**0.00**	0.00
b) Indirect Exposure Fund-based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs)	**3359.68**	1916.69

B. Exposure to Capital Market (Rs. in Crores)

Particulars	31-03-10	31-03-09
(i) Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds, the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt.	**102.81**	202.02
(ii) Advances against shares/bonds/ debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ESOPs), convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds.	**0.48**	1.06
(iii) Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity-oriented mutual funds are taken as primary security	**0.00**	0.00
(iv) Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity-oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/ convertible bonds/convertible debentures/units of equity-oriented mutual funds does not fully cover the advances	**135.13**	6.57
(v) Secured and unsecured advances to Stockbrokers and guarantees issued on behalf of Stock brokers and Market Makers	**4.46**	2.40
(vi) Loans sanctioned to Corporates against the security of shares/ bonds/debentures or other securities or on clean basis for meeting Promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources.	**785.72**	390.11

(vii) प्रत्याशित ईक्विटी प्रवाह/निर्गमों के प्रति कंपनियों को दिए गए पूरक ऋण	**0.00**	0.00
(viii) शेयरों या परिवर्तनीय बंध पत्रों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंड की यूनिटों के प्राथमिक निर्गमों के संबंध में मूल कंपनी द्वारा उठायी गयी हामीदारी प्रतिबद्धता	**0.00**	0.00
(ix) मार्जिन व्यापार के लिए स्टाकब्रोकरों को दी गयी वित्तीय सहायता	**0.00**	0.00
(x) जोखिम पूंजी को दिए गए सभी ऋण (पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों)	**98.78**	97.83
पूंजी बाजार में किए गए कुल निवेश	**1127.38**	699.99

ग. जोखिम वर्गवार देशी निवेश

(करोड़ रुपयों में)

जोखिम संवर्ग	**31मार्च 2010 को निवेश (निवल)**	**31मार्च 2010 को धारित प्रावधान**	31मार्च 2009 को निवेश (निवल)	31मार्च 2009 को धारित प्रावधान
नगण्य	**285.44**	–	3467.29	1.97
कम	**4253.49**	**2.47**	2990.70	–
मध्यम	**561.19**	–	277.29	–
अधिक	**22.55**	–	18.42	–
अत्यधिक	**0.00**	–	0.00	–
प्रतिबंधित	**0.00**	–	0.00	–
ऋणेतर	**42.66**	–	39.09	–
कुल	**5165.33**	**2.47**	**6792.79**	**1.97**

घ. मूल कंपनी द्वारा एकल उधारकर्ता सीमा (एसबीएल), समूह उधारकर्ता सीमा(जीबीएल) में अध्याहरण के ब्यौरे

मूल कंपनी ने किसी भी ग्रुप खातों से संबंधित विवेकपूर्ण ऋण सीमाओं में अध्याहरण नहीं किया है। तथापि निम्नलिखित एकल उधारकर्ता खातों के संबंध में निर्दिष्ट पूंजीगत निधियों के 15% की एकल उधार सीमा का अध्याहरण किया गया है।

(रु. करोड में)

क्रम सं.	उधारकर्ता का नाम	**दि.31-03-2010 की स्थिति के अनुसार उधार**	पूंजीगत निधियों की प्रतिशतता (%)	अध्याहरण की तारीख	अध्याहरण की तारीख तक के कर उधार	अध्याहरण की तारीख को पूंजीगत निधियों की प्रतिशतता (%)
1	भारतीय खाद्य निगम	**1190.00**	13.59	26-05-2009	1350.00	16.15
2	सिडबी लिमिटेड	**1718.90**	19.63	26-03-2010	1718.90	19.63
3	एच.डी.एफ.सी.	**1700.00**	19.42	23-02-2010	1720.00	19.64

ङ. जमाराशियों का संकेन्द्रन

(करोड़ रुपयों में)

20 बडे जमाकर्ताओं की कुल जमाराशियाँ	19353.11
मूल कंपनी की कुल जमाराशियों में 20 बडे जमाकर्ताओं की प्रतिशतता	16.53

च. अग्रिमों का सकेन्द्रन

(करोड़ रुपयों में)

20 बडे जमाकर्ताओं की कुल अग्रिम	22601.61
मूल कंपनी की कुल अग्रिमों में 20 बडे जमाकर्ताओं के अग्रिमों की प्रतिशतता	24.71%

छ. अग्रिमों का सकेन्द्रन

(करोड़ रुपयों में)

20 बडे उधारकर्ताओं/ग्राहकों के कुल उधार	22839.49
उधारकर्ताओं/ग्राहकों को मूल कंपनी द्वारा दिए गए उधार में 20 बडे उधारकर्ताओं/ग्राहकों के उधार की प्रतिशतता	21.78%

(vii) Bridge loans to Companies against expected equity flows/issues.	**0.00**	0.00
(viii) Underwriting commitments taken up by the Parent Company in respect of primary issues of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity-oriented mutual funds.	**0.00**	0.00
(ix) Finance to Stockbrokers for margin trading	**0.00**	0.00
(x) All exposure to Venture Capital Funds (both registered and unregistered)	**98.78**	97.83
Total Exposure to Capital Market	**1127.38**	699.99

C. Risk Category wise Country wise Exposure

(Rs. in Crores)

Risk Category	**Exposure (net) as at 31st March 2010**	**Provision held as at 31st March 2010**	Exposure (net) as at 31st March 2009	Provision held as at 31st March 2009
Insignificant	**285.44**	–	3467.29	1.97
Low	**4253.49**	**2.47**	2990.70	–
Moderate	**561.19**	–	277.29	–
High	**22.55**	–	18.42	–
Very High	**0.00**	–	0.00	–
Restricted	**0.00**	–	0.00	–
Off-credit	**42.66**	–	39.09	–
Total	**5165.33**	**2.47**	**6792.79**	**1.97**

D. Details of Single Borrower Limit (SBL), Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the Parent Company.

The Parent Company has not exceeded the prudential credit exposure limits in respect of any group accounts. However, in respect of the following single borrower accounts, the exposure ceiling of 15% of capital funds stipulated has been exceeded:

(Rs. in Crore)

Sl. No.	Name of the borrower	**Exposure as on 31-03-2010**	% to Capital funds	Date of exceeding	Exposure as on date of exceeding	% to Capital funds as on exceeding
1	Food Corporation of India	**1190.00**	13.59	26-05-2009	1350.00	16.15
2	SIDBI LTD	**1718.90**	19.63	26-03-2010	1718.90	19.63
3	HDFC	**1700.00**	19.42	23-02-2010	1720.00	19.64

E. CONCENTRATION OF DEPOSITS

(Rs. in Crore)

Total Deposits of twenty largest depositors	19353.11
Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits of the Parent Company	16.53

F. CONCENTRATION OF ADVANCES

(Rs. in Crore)

Total Advances to twenty largest borrowers	22601.61
Percentage of Advances to twenty largest borrowers to Total Advances of the Parent Company	24.71%

G. CONCENTRATION OF EXPOSURES

(Rs. in Crore)

Total Exposure to twenty largest borrowers/customers	22839.49
Percentage of Exposures to twenty largest borrowers/customers to Total Exposure of the bank on borrowers/customers	21.78%

ज. **अनर्जक आस्तियों का सकेन्द्रण** (करोड़ रुपयों में)

चार बडे एन.पी.ए. खातों के कुल उधार	159.78

8. **विविध**

वर्ष के दौरान मूल कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा कोई दण्ड नहीं लगाया गया है ।

9. **लेखाकरण मानकों के अनुसार प्रकटीकरण (ए एस)**

भारतीय सनदी लेखाकार संस्था (आई सी ए आई) द्वारा जारी किए गए लेखाकरण मानकों (जहाँ तक लागू हो) के अनुसार निम्नलिखित प्रकटन किए गए हैं:

i) **उक्त अवधि के लिए निवल लाभ व हानि, पिछली अवधि की मदें और लेखाकरण नीति में परिवर्तन (ए.एस. 5):**

क) लंदन शाखा में अस्थिर दर वाले नोट और ऋण संबद्ध नोट में किए गए निवेश को बिक्री के लिए उपलब्ध के रूप में वर्गीकृत किया गया है और उनका मूल्य निर्धारण अंकित मूल्य पर या बाजार मूल्य, इनमें जो भी कम हो, पर किया गया है। एफ.आर.एन. का मूल्य निर्धारण जारीकर्ता मूल्य के आधार पर किया गया और सी.एल.एन. का मूल्य निर्धारण एफ.आइ.एम.एम.डी.ए. स्प्रेड के आधार पर किय गया। इसके परिणाम स्वरूप, इन निवेशों पर मूल्यहास के लिए रु.24.77 करोड़ का प्रावधान रखा गया।

ii) **विदेशी विनिमय दरों में होनेवाले परिवर्तनों का प्रभाव (एएस 11)**

वर्ष के निवल लाभ में, रु. 2.94 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 0.66 करोड़ हानि) जो एफ.एक्स. आस्तियों और देयताओं के एएस 11 मूल्यांकन के कारण हुए विनिमय अंतर के अंतर्गत दर्ज किये गये लाभ है।

iii) **कर्मचारी लाभ (एएस 15)**

मूल कंपनी ने संशोधित लेखाकरण मानक 15 का अनुपालन किया और तदनुसार 31-3-2007 के दौरान रु.298.68 करोड़ की राशि को अंतर्वर्ती देयता के रूप में गणना में लिया गया। कुल अंतर्वर्ती देयताओं में से, मूल कंपनी ने रु. 59.74 करोड़ (1/5) को चालू वर्ष के लाभ व हानि लेखे को प्रभारित किया और बाकी बची रकम रु.119.46 करोड़ (पिछले वर्ष 179.20 करोड़) को अगले तीन वर्षों की अवधि के दौरान समान रूप से प्रभारित किया जाएगा ।

H. **CONCENTRATION OF NPAS** (Rs. in Crore)

Total Exposure to top four NPA accounts	**159.78**

8. **MISCELLANEOUS**

During the year no penalty was imposed by RBI on the Parent Company.

9. **DISCLOSURE IN TERMS OF ACCOUNTING STANDARDS (AS)**

The disclosures under Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) (to the extent applicable) are given below:

i) **Net profit or loss for the period, prior period items and changes in accounting policy (AS 5)**

a) Investment in Floating Rate Note and Credit Linked Note Investments held in London branch are classified as available for sale and are valued at nominal value or market value whichever is lower. FRNs are valued based on issuer's value and the CLNs are valued based on FIMMDA spread. Consequently the provision for depreciation on these investments is at Rs. 24.77 crore.

ii) **Effect of changes in Foreign Exchange Rate (AS 11)**

The net profit for the year includes an amount of Rs.2.94 crores (Rs. 0.66 crores profit for the previous year) being the profit booked under difference in exchange on account of AS 11 valuation of FX Assets & Liabilities.

iii) **Employee Benefits (AS 15)**

Parent Company has complied with the revised Accounting Standard 15 and accordingly a sum of Rs.298.68 crores has been considered as transitional liability as on 31-3-2007. Out of total transitional liability, the Paent Company has charged Rs.59.74 crores (one fifth) to the current year's profit and loss account and the balance amount of Rs.119.46 crores (previous year Rs.179.20 crores) will be charged equally over the period of next two years.

iv) खण्डवार रिपोर्टिंग (एएस 17)/Segment Reporting (AS 17)

(करोड़ रुपयों में/Rs. in Crore)

भाग–क कारोबार खण्ड/Part-A Business Segments	समाप्त तिमाही/Quarter ended 31-03-2010 लेखा परीक्षित/Audited	समाप्त तिमाही/Quarter ended 31-03-2009 लेखा परीक्षित/Audited	समाप्त वर्ष/Year ended 31-03-2010 लेखा परीक्षित/Audited	समाप्त वर्ष/Year ended 31-03-2009 लेखा परीक्षित/Audited
खण्डवार राजस्व/Segment Revenue				
क/a) नैगम/थोक बैंकिंग परिचालन/Corporate/Wholesale Banking Operations	**1586**	910	**4714**	4103
ख/b) रिटेल बैंकिंग परिचालन/Retail Banking Operations	**524**	1117	**3496**	3733
ग/c) कोष बैंकिंग/Treasury Operations	**543**	713	**2714**	2298
घ/d) अन्य बैंकिंग परिचालन/Other Banking Operations	**87**	137	**291**	306
कुल/Total	**2740**	**2877**	**11215**	**10440**
शुद्ध बिक्री/परिचालन से प्राप्त आय/Net Sales/Income from operation	**2740**	**2877**	**11215**	**10440**
खण्डवार परिणाम (लाभ)/Segment Results (Profit)				
क/a) नैगम/थोक बैंकिंग परिचालन/Corporate/Wholesale Banking Operations	**82**	10	**614**	622
ख/b) रिटेल बैंकिंग परिचालन/Retail Banking Operations	**23**	148	**749**	798
ग/c) कोष बैंकिंग/Treasury Operations	**184**	132	**253**	15
घ/d) अन्य बैंकिंग परिचालन/Other Banking Operations	**77**	115	**257**	237
कुल (परिचालन लाभ)/Total(Operating Profit):	**366**	**405**	**1873**	**1672**
घटाएं/Less:				
I) ब्याज/Interest	**0**	0	**0**	0
II) अन्य अनाबंटित व्यय/Other Un-allocated Expenditure	**58**	172	**680**	647
III) अन्य अनाबंटित आय/Other Un-allocable Income	**0**	0	**0**	0
कर से पहले कुल लाभ/Total Profit Before Tax:	**308**	**233**	**1193**	**1025**
परिचालन लाभ/Operating Profit	**366**	**405**	**1873**	**1672**
आय कर/Income tax	**120**	27	**361**	112
प्रावधान और आकस्मिक व्यय/Provisions & Contingencies	**78**	172	**700**	647
असाधारण लाभ(हानि)/Extraordinary Profit/(Loss)	**0**	0	**0**	0
निवल लाभ/Net Profit	**168**	**206**	**813**	**913**
प्रयुक्त पूंजी/Capital employed:				
खण्डवार आस्तियां–खण्डवार देयताएं/ Segment Assets-Segment Liabilities				
क/a) नैगम/थोक बैंकिंग परिचालन/Corporate / Wholesale Banking Operations	**6901**	5755	**6901**	5755
ख/b) रिटेल बैंकिंग परिचालन/Retail Banking Operations	**5854**	7215	**5854**	7215
ग/c) कोष परिचालन/Treasury Operations	**4443**	2478	**4443**	2478
घ/d) अन्य बैंकिंग परिचालन/Other Banking Operations	**45**	87	**45**	87
ङ/e) अनाबंटित आस्तियाँ/Unallocated assets	**701**	742	**701**	742
प्रयुक्त कुल पूंजी/Total Capital employed:	**17944**	**16277**	**17944**	**16277**
खण्डवार आस्तियां/Segment Assets				
क/a) नैगम/थोक बैंकिंग परिचालन/Corporate / Wholesale Banking Operations	**61658**	52198	**61658**	52198
ख/b) खुदरा बैंकिंग परिचालन/Retail Banking Operations	**43149**	45702	**43149**	45702
ग/c) कोष परिचालन/Treasury Operations	**33011**	30537	**33011**	30537
घ/d) अन्य बैंकिंग परिचालन/Other Banking Operations	**522**	1076	**522**	1076
ङ/e) अनाबंटित आस्तियाँ/Unallocated assets	**701**	742	**701**	742
कुल आस्तियां/Total Assets	**139051**	**130255**	**139051**	**130255**
खण्डवार देयताएं/Segment Liabilities				
क/a) नैगम/थोक बैंकिंग परिचालन/Corporate/Wholesale Banking Operations	**54746**	46443	**54746**	46443
ख/b) खुदरा बैंकिंग परिचालन/Retail Banking Operations	**37296**	38487	**37296**	38487
ग/c) कोष परिचालन/Treasury Operations	**28568**	28059	**28568**	28059
घ/d) अन्य बैंकिंग परिचालन/Other Banking Operations	**477**	989	**477**	989
कुल देयताएं/Total Liabilities	**121087**	**113978**	**121087**	**113978**

नोट/Note: भौगोलिक रूप से खण्डवार प्रकटीकरण की ज़रूरत नहीं है क्योंकि विदेशी शाखा के परिचालन निर्दिष्ट मानदण्ड से कम है/Geographical segment disclosure is not required to be made since the operation from foreign branch is less than the prescribed norms.

v) **संगत पार्टी प्रकटीकरण (ए एस 18)**
संगत पार्टियों के नाम और उनके संबंध

क) **अनुषंगी:**
सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड

ख) **सहायक संस्थाएं:**
गुडगाँव ग्रामीण बैंक
नार्थ मलबार ग्रामीण बैंक
प्रथमा बैंक
आंध्रा प्रगति ग्रामीण बैंक
कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक

ग) **प्रमुख प्रबंधक वर्ग के कर्मचारी:**
श्री जार्ज जोसेफ, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्री बसंत सेठ, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

संगत पार्टी लेन-देन (लाख रुपयों में)

प्रबंधकवर्ग के प्रमुख कर्मचारी	पदनाम	वेतन और परिलब्धियाँ
श्री जार्ज जोसेफ	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	13.19
श्री बसंत सेठ *	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	6.74
श्री वी. के. नागर	कार्यपालक निदेशक	14.33
श्री आर. रामचन्द्रन	कार्यपालक निदेशक	12.61

* दि.30-04-2009 को श्री जार्ज जोसेफ की सेवा निवृत्ति के बाद श्री बसंत सेठ ने दि.31-08-2009 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार संभाला ।

ए. एस. 18 के पैरा 9 के अनुसार अनुषंगी और सहायक संस्थाओं के लेन-देन प्रकट नहीं किए गए हैं ।

vi) **समेकित वित्तीय विवरण (एएस 21)**
31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष का समेकित वित्तीय विवरणों को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए समेकित वित्तीय विवरण ए.एस. 21 के अनुसार मूल कंपनी की अनुषंगी संस्था मेसर्स सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है।

vii) **आय कर का लेखाकरण (एएस 22)**
मूल कंपनी ने ए एस 22 की अपेक्षाओं का पालन किया है ।
अचल आस्तियों पर उक्त वर्ष के लिए मूल्यहास पर आस्थगित कर देयता (डी.टी.एल.) के प्रति रु. 4.06 करोड़ का समायोजन करने के बाद दि. 31-03-2010 की स्थिति के अनुसार डी.टी.ए. की निवल शेषराशि रु.5.93 करोड़ रही (दि. 31-03-2009 को रु.9.99 करोड़)। मूल कंपनी ने कर्मचारी लाभ संबंधी देयताओं (भुगतान क्रिस्टलीकरण के बाद देय) तथा विवेकाधिकार के कारण से हुई पूंजीगत हानि के लिए किए गए प्रावधान पर डी.टी.ए. की पहचान नहीं की है ।

10. **अन्य प्रकटीकरण**

क) **प्रावधान और आकस्मिक व्यय** (करोड़ रुपयों में)

विवरण	31-03-2010	31-03-2009
निवेश पर मूल्यहास के लिए प्रावधान	**(44.63)**	105.91
एन.पी.ए. के लिए प्रावधान	**530.56**	380.83
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	**0.00**	20.36
आय कर/एफ.बी.टी. आदि के लिए प्रावधान	**361.19**	123.52
बट्टे खाते डाले गए अशोध्य ऋण	**5.45**	27.10
अन्य	**208.29**	175.90
कुल	**1060.38**	833.62

ख) **अस्थायी प्रावधान के संचलन निम्नप्रस्तुत है ।** (करोड़ रुपयों में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
क) अस्थायी प्रावधान लेखे में प्रारंभिक शेष	**306.63**	373.57
ख) लेखा वर्ष में किए गए अस्थायी प्रावधान की राशि	**Nil**	Nil
ग) लेखा वर्ष के दौरान किए गए आहरण की राशि	**Nil**	66.94
घ) अस्थायी प्रावधान लेखे में इतिशेष	**306.63**	306.63

v) **Related Party Disclosures (AS 18)**
Names of Related Parties and their relationship:

a) **Subsidiary:**
Syndbank Services Limited

b) **Associates:**
Gurgaon Grameena Bank
North Malabar Grameena Bank
Prathama Bank
Andhra Pragathi Grameena Bank
Karnataka Vikas Grameena Bank

c) **Key Management Personnel:**
Sri George Joseph, Chairman and Managing Director
Sri Basant Seth, Chairman and Managing Director

Related Party Tansactions (Rs. in Lakh)

Key Management Personnel	Designation	Salary and emoluments
Sri George Joseph	Chairman & Managing Director	13.19
Sri Basant Seth *	Chairman & Managing Director	6.74
Sri V. K. Nagar	Executive Director	14.33
Sri R.Ramachandran	Executive Director	12.61

Sri George Joseph has retired on 30-04-2009 and Sri Basant Seth took over as Chairman and Managing Director from 31-08-2009.

Transactions with Subsidiary and Associates have not been disclosed in terms of Para 9 of AS 18.

vi) **Consolidated Financial Statements (AS 21)**
The consolidated financial statements for the year ended 31st March 2010 have been prepared in accordance with the AS 21 and on the basis of the audited financial statements of the subsidiary of the Parent Company, M/s Syndbank Services Ltd.

vii) **Accounting for Taxes on Income (AS 22)**
The Parent Company has complied with the requirements of AS 22. The net balance of Deferred Tax Liability (DTL) as on 31-03-2010 stood at Rs.5.93 crore (Rs.9.99 crore as on 31-03-2009) after adjusting a sum of Rs.4.06 crore towards Deferred Tax Assets (DTA) for the year on depreciation on fixed asset. Further Parent Company has not recognised DTA on provision made for employee benefit liabilities (allowable upon payment/crystalisation) and capital loss out of prudence.

10. **OTHER DISCLOSURES**

a) **Provisions and Contingencies** (Rs. in Crore)

Particulars	31-03-2010	31-03-2009
Provision for depreciation on investment	**(44.63)**	105.91
Provision towards NPA	**530.56**	380.83
Provision towards Standard Assets	**0.00**	20.36
Provision towards Income tax, Wealth tax, FBT, etc.	**361.19**	123.52
Bad Debts written off	**5.45**	27.10
Others	**208.29**	175.90
Total	**1060.38**	833.62

b) **The movement of Floating Provision is furnished below:**
(Rs. in Crore)

Particulars	Current Year	Previous Year
(a) Opening Balance in the floating provision account	**306.63**	373.57
(b) The quantum of floating provisions made in the accounting year	**Nil**	Nil
(c) Amount of draw down made during the accounting year	**Nil**	66.94
(d) Closing Balance in the floating provision account	**306.63**	306.63

ग) **आरक्षित निधियों में किए गए आहरण**

मूल कंपनी ने वर्ष के दौरान आरक्षित निधियों से कोई आहरण नहीं किया है ।

घ) **ग्राहक से प्राप्त शिकायतों की स्थिति**

ग्राहकों की शिकायतें

1.	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	164
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की सं.	3644
3.	वर्ष के दौरान निवारण की गयी शिकायतों की सं.	3603
4.	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की सं.	205

बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णय

1.	वर्ष के दौरान कार्यान्वित न किए गए अधिनिर्णयों की सं.	1
2.	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णयों की सं.	14
3.	वर्ष के दौरान कार्यान्वित अधिनिर्णयों की सं.	14
4.	वर्ष के दौरान कार्यान्वित न किए गए अधिनिर्णयों की सं.	1

ङ) **अनर्जक आस्तियों का संचलन**

(करोड़ रुपयों में)

दि. 1 अप्रैल 2009 को कुल अनर्जक आस्तियां	1594.54
वर्ष के दौरान संवर्धन (नई अनर्जक आस्तियां)	1491.52
उप-जोड़ (क)	3086.06
घटाईए	
i) स्तरोन्नयन	187.39
ii) वसूलियां (स्तरोन्नत खातों से की गयी वसूलियों को छोड़कर)	472.57
iii) अपलेखन	419.28
उप-जोड़ (ख)	1079.24
दि. 31 मार्च 2010 को कुल अनर्जक आस्तियां (क-ख)	2006.82

च) **विदेशी आस्तियाँ, अनर्जक आस्तियां और राजस्व** (करोड़ रुपयों में)

विवरण	रकम
कुल आस्तियां	9318.24
कुल अनर्जक आस्तियां	2.23
कुल राजस्व	216.06

छ) **अचल आस्तियाँ**

मूल कंपनी के कुछ परिसरों के मामले में अधिकारों के हस्तांतरण संबंधी प्रलेखन औपचारिकताएँ अभी पूरी की जानी हैं। फिर भी प्राप्त की गई कानूनी राय के अनुसार अपने स्वत्वाधिकार को प्रमाणित करने के प्रलेख मूल कंपनी के पास हैं।

ज) **निवेश**

एच.टी.एम. श्रेणी में रखी गयी रु.157.11 करोड़ की प्रतिभूतियों की बिक्री से प्राप्त लाभ को लाभ व हानि लेखे में लिया गया और तदनंतर रु.77.78 करोड़ को (कर के लिए प्रावधान करने तथा सांविधिक आरक्षित निधि में अंतरण करने के बाद) पूंजीगत आरक्षित निधि लेखे में विनियोग किया गया।

झ) **बंधपत्र जारी करने से संबंधित ब्यौरे**

वर्ष के दौरान मूल कंपनी ने रु. 200 करोड़ के टायर II बंधपत्र और रु.194 करोड के टायर I बंधपत्र जरीं किया।

ञ) **कवरेज अनुपात हेतु प्रावधान**

वि. वर्ष 2009-10 के लिए कवरेज अनुपात का अनुपात 73.31% है ।

c) **Draw down from reserves**

The Parent Company has not made any draw down from the Reserves during the year.

d) **Status of Customer Complaints**

Customer Complaints

1.	No. of complaints pending at the beginning of the year	164
2.	No. of complaints received during the year	3644
3.	No. of complaints redressed during the year	3603
4.	No. of complaints pending at the end of the year	205

Awards passed by the Banking Ombudsman

1.	No. of unimplemented Awards at the beginning of the year	1
2.	No. of awards passed by the Banking Ombudsman during the year	14
3.	No. of awards implemented during the year	14
4.	No. of unimplemented Awards at the end of the year	1

e) **Movement of NPAs**

(Rs. in Crore)

Gross NPAs as on 1st April 2009	1594.54
Additions (Fresh NPAs) during the year	1491.52
Sub total (A)	3086.06
Less	
(i) Upgradations	187.39
(ii) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)	472.57
(iii) Write-offs	419.28
Sub total (B)	1079.24
Gross NPAs as on 31st March 2010 (A – B)	2006.82

f) **Overseas Assets, NPAs and Revenue** (Rs. in Crores)

Particulars	Amount
Total Assets	9318.24
Total NPAs	2.23
Total Revenue	216.06

g) **Fixed assets**

In respect of certain premises of the Parent Company, documentation formalities as to transfer of title are yet to be completed. However the Parent Company holds documents to prove its title as per the legal opinions obtained.

h) **Investments**

Profit on account of sale of securities from HTM Category amounting to Rs. 157.11 crores has been taken to Profit and Loss Account and thereafter Rs. 77.78 crores (after tax provision and transfer to statutory reserve) is appropriated towards Capital Reserve Account.

i) **Details of Bonds Issue**

During the year, the Parent Company came out with Tier II Bond issue for Rs. 200 crores and Tier I bonds issue for Rs.194 Crore.

j) **Provision Coverage Ratio**

The provision coverage ratio for the financial Year 2009-10 is 73.31%.

ट) भा.रि.बैं. के परिपत्र सं. डी.बी.ओ.डी. बी.सी. सं. 133/21.04.018/ 2008-09 दि. 11-05-2009 की शर्तों के अनुसार दि. 31-03-2002 तक नोस्ट्रों खाते में स्थित कुल जमा, जिसकी राशि यू एस डॉलर 2500 के बराबर या उस से कम है, उसे वर्ष के दौरान लाभ व हानि लेखे में अंतरित किया गया । तद्नुसार विभिन्न नोस्ट्रो खाते में स्थित रु.4.98 करोड के 4573 ''गतावधि मांग ड्राफ्टों'' तथा 1038 ''अदावी जमा'' को लाभ व हानि लेखे में जमा किया गया । उक्त रकम को सामान्य आरक्षित निधि के रूप में गणना में लिया गया और उसे लाभांश घोषित करने के उद्देश्य हेतु गणना में नहीं लिया गया है।

ठ) **अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग, मुंबई और शाखाओं द्वारा हमारी लंदन शाखा के पक्ष में जारी किए गए सहूलियत पत्र:**

अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग, मुंबई ने, निदेशक मंडल/भा.रि.बैं. के अनुमोदन से मूल कंपनी की लंदन शाखा के पक्ष में यू.एस.डॉलर 75 मिलियन का सहूलियत पत्र जारी किया ।

वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान, अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग द्वारा हमारी लंदन शाखा के साथ बाजार संबद्ध दरों पर जो दैनिक बकाया निवेश किया है, वह यू.एस. डॉलर 75 मिलियन के लिए जारी किए गए सहूलियत पत्र के अनुसार तयशुदा न्यूनतम स्तर से अधिक है। इसलिए यू.एस. डॉलर 75 मिलियन की राशि को तुलन पत्र की तारीख को आकस्मिक देयता के रूप में नहीं दर्शाया गया है । दि. 31-03-2010 की स्थिति के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग द्वारा लंदन शाखा के पास रखी गयी कुल जमाराशि यू.एस.डॉलर 137.93 मिलियन है।

ड़) **नैगम ग्राहकों को क्रेता उधार सुविधा के उद्देश्य से शाखाओं द्वारा जारी किए गए सहूलियत पत्र**

नैगम ग्राहकों को क्रेता के साख पत्र पर ऋण सुविधा मंजूर करने हेतु हमारी शाखाओं द्वारा जारी किए गए चुकौती आश्वासन-पत्र (एल ओ सी) की बकाया राशि दि. 31-03-2010 को रु.850.04 करोड़ है जिसमें हमारी लंदन शाखा के पक्ष में जारी किए गए रु.180.48 करोड़ का एल ओ सी भी शामिल है।

सहूलियत पत्र जारी करते समय उसकी गुणवत्ता, साख श्रेणी निर्धारण/वैश्विक श्रेणी निर्धारण, प्रतिभूति, संपार्श्विक प्रतिभूति तथा अंतर्निहित संदर्भ संस्थाओं को गणना में लिया गया है, इसलिए सहूलियत पत्रों के कारण से हुए वित्तीय प्रभाव उतना महत्वपूर्ण नहीं है।

ढ़) **दि.31-03-2010 की स्थिति के अनुसार पुन: संरचित खातों के ब्यौरे**

(करोड़ रुपयों में)

पुन: संरचित खातों के विवरण					
		सी.डी.आर तंत्र	एस.एम.ई. पुन: संरचना	अन्य	कुल
पुन: संरचित मानक अग्रिम	उधारकर्ताओं की सं.	9	4955	58308	63272
	बकाया राशि	226.25	627.69	3437.79	4291.73
	घाटा (उचित मूल्य में हुए ह्रास)	9.28	31.38	40.18	80.84
पुन: संरचित अवमानक अग्रिम	उधारकर्ताओं की सं.	0	540	1775	2315
	बकाया राशि	0	28.88	107.96	136.84
	घाटा (उचित मूल्य में हुए ह्रास)	0	1.44	6.35	7.79
पुन: संरचित संदिग्ध अग्रिम	उधारकर्ताओं की सं.	2	182	337	521
	बकाया राशि	33.94	14.41	88.79	137.14
	घाटा (उचित मूल्य में हुए ह्रास)	1.55	0.72	4.47	6.74
कुल	उधारकर्ताओं की सं.	11	5677	60420	66108
	बकाया राशि	260.19	670.98	3634.54	4565.71
	घाटा (उचित मूल्य में हुए ह्रास)	10.83	33.54	51.00	95.37

k) In terms of RBI Cir. No. DBOD.BP.BC. No. 133/21.04.018/ 2008-09 dt 11-05-2009, credits lying in Nostro accounts originated upto 31-03-2002, equivalent to or less than USD 2500, have been transferred to P&L Account during the year. Accordingly, an amount of Rs.4.98 Cr. lying in various Nostro accounts, consisting of 4573 'Stale Demand Drafts' and 1038 'Unclaimed credits' have been transferred to P&L Account. The said amount has been taken to General Reserves and is not taken for the purpose of declaring dividend.

l) **Letters of Comfort issued in favour of overseas branch at LONDON by International Division, Mumbai & Branches**

International Division, Mumbai issued Letter of Comfort amounting to US$ 75 Mio in favour of London branch with the approval of Board of Directors / Reserve Bank of India.

During the financial year 2009-10, the daily outstanding placements made at market related rates by International Division with London branch stands above the minimum undertaken level, as per the Letter of Comfort issued for USD 75 Mio. Hence, the amount of Letter of Comfort for USD 75 mio will not appear as a Contingent Liability as on Balance Sheet date. Total Deposit of USD 137.93 Mio placed by International Division with London branch as on 31-03-2010.

m) **Letter of comfort issued by branches for the purpose of buyers credit facility to corporate clients**

Letters of Comfort (LOC) issued by our Branches for the purpose of providing Buyer's Credit facility to Corporate Clients and outstanding as on 31-03-2010 is Rs.850.04 crores including the LOC issued in favour of our London Branch amounting to Rs.180.48 cr.

The financial impact on account of letters of comfort issued may not be significant when the quality of Letters of Comfort, Credit Ratings/World Rankings, Securities, Collaterals and Counter Guarantees available of/from the underlying reference entities are taken into account

n) **Details of Restructured Accounts as at 31-03-2010**

(Rs. in Crores)

Particulars of Accounts Restructured					
		CDR Mechanism	SME Restructuring	Others	Total
Standard Advances restructured	No. of borrowers	9	4955	58308	63272
	Amount outstanding	226.25	627.69	3437.79	4291.73
	Sacrifice (diminution in the fair value)	9.28	31.38	40.18	80.84
Sub-Standard Advances restructured	No. of borrowers	0	540	1775	2315
	Amount outstanding	0	28.88	107.96	136.84
	Sacrifice (diminution in the fair value)	0	1.44	6.35	7.79
Doubtful advances restructured	No. of borrowers	2	182	337	521
	Amount outstanding	33.94	14.41	88.79	137.14
	Sacrifice (diminution in the fair value)	1.55	0.72	4.47	6.74
Total	No. of borrowers	11	5677	60420	66108
	Amount outstanding	260.19	670.98	3634.54	4565.71
	Sacrifice (diminution in the fair value)	10.83	33.54	51.00	95.37

ण) **तुलन–पत्र से इतर**

प्रायोजित एस.पी.वी. (लेखाकरण मानदण्ड के अनुसार जिनको समेकित करना है)

प्रायोजित एस.पी.वी. का नाम	
घरेलू	विदेशी
शून्य	शून्य

त) **वर्ष 2009-2010 के दौरान मूल कंपनी की बीमा कारोबार पर आर्जित आय रु.1551.94 लाख है जो पिछले वर्ष रु.2311.53 थी।**

थ) **उन अग्रिमों जिनके लिए अमूर्त प्रतिभूतियां जैसी हक, लाइसेंस पर प्रभार अधिकार इत्यादि प्राप्त की गयी है साथ ही ऐसी अमूर्त संपार्श्विक प्रतिभूति के अनुमानित मूल्य ।**

क) उन अग्रिमों की कुल रकम जिनके लिए अमूर्त प्रतिभूतियां, जैसी हक पर प्रभार, लाइसेंस, प्राधिकार इत्यादि को परियोजना (बुनियादी सुविधा योजना संबंधी सहित) के संबंध में संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में प्रभारित किया गया है – शून्य है।

ख) उपर्युक्त के अनुसार अनुमानित अमूर्त प्रतिभूतियां शून्य हैं ।

द) **पिछले वर्ष के आंकड़े**

पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के आंकड़ों के साथ तुलनीय बनाने के लिए, जहां आवश्यक पाया गया है वहां उन्हें चालू वर्ष के वर्गीकरण के अनुरूप पुनर्वर्गीकृत किया गया है ।

o) **Off-balance Sheet SPVs sponsored (which are required to be consolidated as per accounting norms)**

Name of the SPV sponsored	
Domestic	Overseas
NIL	NIL

p) **Income earned on the Parent Company assurance business during the year 2009-10 is Rs.1551.94 lakhs against Rs.2311.53 lakhs in previous year.**

q) **Advances for which intangible securities such as charge over the rights, licenses, authority, etc. has been taken as also the estimated value of such intangible collateral.**

a) Total Amount of advances for which intangible securities, such as charge over the rights, licences, authorizations, etc., charged as collateral in respect of projects (including infrastructure projects) is NIL.

b) Estimated Intangible securities as above are NIL.

r) **Previous year figures**

Previous year figures have been regrouped/rearranged wherever considered necessary to conform to the current year's classification.

31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह का विवरण
STATEMENT OF CONSOLIDATED CASH FLOW FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2010

(हजार रुपयों में/Rs. 000s)

		31-03-2010 को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2010	31-03-2009 को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2009
	परिचालन गतिविधियों से नकदी उपलब्धता **CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES**		
	वर्ष के दौरान अग्रिमों, निवेशों आदि से प्राप्त ब्याज Interest received during the year from Advances, Investments etc.	**10047,17,62**	9509,88,75
	अन्य आय/Other Income	**1167,47,67**	914,94,89
	घटाइए/Less:		
	वर्ष के दौरान जमा, उधार राशियों आदि पर प्रदत्त ब्याज Interest paid during the year on Deposits, Borrowings etc.	**7012,55,75**	6685,07,48
	परिचालन व्यय तथा प्रावधान और आकस्मिक व्यय Operating Expenses and Provision & Contingencies	**3096,08,50**	1659,60,89
	आय पर कर/Taxes on income	**0**	264,00,00
	जोड़िए/Add:		
	मूल्यहास/Depreciation	**88,19,07**	113,04,31
I.	**परिचालनों से उत्पन्न नकदी लाभ** (परिचालन आस्तियों और देयताओं में परिवर्तन से पूर्व) **CASH PROFIT GENERATED FROM OPERATIONS** (Prior to changes in operating Assets & Liabilities)	**1194,20,11**	1929,19,58
II.	**परिचालन आस्तियों और देयताओं से नकदी उपलब्धता** **CASH FLOW FROM OPERATING ASSETS AND LIABILITIES**		
	देयताओं में वृद्धि/(कमी)/Increase/(Decrease) in Liabilities		
	ग्राहकों और बैंकों से प्राप्त जमाराशियाँ/Deposits from Customer & Banks	**1139,70,92**	20713,73,61
	बैंकों और अन्य संस्थाओं से उधार राशियाँ Borrowings from Banks & Other Institutions	**6364,51,12**	4108,01,23
	अन्य देयताएँ आदि (पिछले वर्षों में व्यय के लिए किए गए अतिरिक्त प्रावधान के प्रतिलेखन सहित) Other Liabilities etc. (including write back of excess provision for exp. made in the earlier years)	**96,51,25**	(3841,24,84)
	आस्तियों में कमी/(वृद्धि)/Decrease/(Increase) in Assets		
	अग्रिम/Advances	**(8874,09,04)**	(17481,25,74)
	निवेश/Investments	**(2473,69,96)**	(24612999)
	अन्य आस्तियां/Other Assets	**841,31,53**	(445,65,88)
क. A.	**परिचालन गतिविधियों से निवल नकदी उपलब्धता (I+II)** **NET CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES (I+II)**	**(1711,54,07)**	2521,47,97
	निवेश गतिविधियों से नकदी उपलब्धता/CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES		
	अचल आस्तियों पर/On Fixed Assets	**(61,26,08)**	(89,22,42)
	प्रक्रियाधीन कार्य पर/On Work in progress	**2,91,91**	(7,64,46)
ख. B.	**निवेश गतिविधियों से निवल नकदी उपलब्धता** **NET CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES**	**(58,34,17)**	(96,86,88)
	वित्तीयन गतिविधियों से नकदी उपलब्धता **CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES**		
	प्रदत्त लाभांश/Dividend Paid	**21**	(91,60,23)
	गौण ऋण (चरण I और चरण II की पूँजी) Subordinated debts (Tier I and Tier II capital)	**394,00,00**	639,00,00
	चरण I और चरण II की पूंजी पर ब्याज/Interest on Tier I and Tier II Capital	**(294,67,96)**	(224,74,35)
ग. C.	**वित्तीयन गतिविधियों से निवल नकदी उपलब्धता** **NET CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES**	**99,32,25**	322,65,42
	वर्ष के दौरान कुल नकदी उपलब्धता (क+ख+ग) **TOTAL CASH FLOW DURING THE YEAR (A+B+C)**	**(1670,55,99)**	2747,26,51
	नकदी उपलब्धता में वृद्धि/(कमी)/Increase/(Decrease) in Cash Flow		

31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह का विवरण
STATEMENT OF CONSOLIDATED CASH FLOW FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2010

(हजार रुपयों में/Rs. 000s)

			31-03-2010 को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2010		31-03-2009 को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2009
I.	**वर्ष के प्रारंभ में शेष** **Balances at the Beginning of the Year**				
	भा.रि.बैंक के पास नकदी और शेष Cash & Balances with the R.B.I.	**12543,23,31**		10374,91,03	
	बैंकों के पास शेष और मांग पर प्रतिदेय राशि Balances with Banks and Money at Call	**1861,17,97**	**14404,41,28**	1282,23,74	11657,14,77
II.	**वर्ष के अंत में शेष** **Balances at the end of the Year**				
	भा.रि.बैंक के पास नकदी और शेष Cash & Balances with the R.B.I.	**7189,12,35**		12543,23,31	
	बैंकों के पास शेष और मांग पर प्रतिदेय राशि Balances with Banks and Money at Call	**5544,72,94**	**12733,85,29**	1861,17,97	14404,41,28
III.	**वर्ष के दौरान कुल नकदी उपलब्धता** **TOTAL CASH FLOW DURING THE YEAR**		**(1670,55,99)**		2747,26,51
	नकदी उपलब्धता में वृद्धि/(कमी) Increase/(Decrease) in Cash Flow				

एस. के. अबरोल/S. K. ABROL
महा प्रबंधक (लेखा)/GENERAL MANAGER (ACCOUNTS)

आर. रामचंद्रन/R. RAMACHANDRAN
कार्यपालक निदेशक/EXECUTIVE DIRECTOR

वी. के. नागर/V. K. NAGAR
कार्यपालक निदेशक/EXECUTIVE DIRECTOR

बसंत सेठ/BASANT SETH
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/CHAIRMAN AND MANAGING DIRECTOR

लेखा परीक्षकों का प्रमाण पत्र/Auditors' Certificate

हम, सिंडिकेट बैंक के अधोहस्ताक्षरकर्ता सांविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षकों ने, बैंक के 31-03-2010 को समाप्त हुए वर्ष के उपर्युक्त नकदी उपलब्धता विवरण का सत्यापन किया है। यह विवरण स्टॉक एक्स्चेंजों के साथ सूचीकरण करार के खंड 32 की अपेक्षा के अनुसार तैयार किया गया है और यह तत्संबंधी लाभ और हानि लेखे और भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत हमारी तद्दिनांकित रिपोर्ट में शामिल बैंक के तुलन पत्र पर आधारित है और उससे मेल खाता है।

We, the undersigned Statutory Central Auditors of the SyndicateBank, have verified the above Cash Flow Statement of the Bank, for the year ended 31-03-2010. The Statement has been prepared in accordance with the requirements of Clause 32 of the Listing Agreement with the Stock Exchanges and is based on and in agreement with the corresponding Profit and Loss Account and Balance Sheet of the Bank covered by our Report of even date to the President of India.

कृते **मेसर्स निर्मल जैन एण्ड कंपनी**
सनदी लेखाकार
For **M/s Nirmal Jain & Co.**
Chartered Accountants
(पं. सं./Regn. No.: 000606 एन/N)

(निर्मल कुमार जैन)
साझेदार
(Nirmal Kumar Jain)
Partner
सदस्यता सं./Membership No.: 008346

कृते **मेसर्स एन. सी. मित्रा एण्ड कंपनी**
सनदी लेखाकार
For **M/s N. C. Mitra & Co.**
Chartered Accountants
(पं. सं./Regn. No.: 306027 ई/E)

(गौरब मित्रा)
साझेदार
(Gourab Mitra)
Partner
सदस्यता सं./Membership No.: 061661

कृते **मेसर्स प्रकाश चंद्र जैन एण्ड कंपनी**
सनदी लेखाकार
For **M/s Prakash Chandra Jain & Co.**
Chartered Accountants
(पं. सं./Regn. No.: 002438C)

(पी. सी. नलवाया)
साझेदार
(P. C. Nalwaya)
Partner
सदस्यता सं./Membership No.: 033710

कृते **मेसर्स जैन एण्ड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
For **M/s Jain & Associates**
Chartered Accountants
(पं. सं./Regn. No.: 001361एन/N)

(एस. सी. पाठक)
साझेदार
(S. C. Pathak)
Partner
सदस्यता सं./Membership No.: 010194

कृते **मेसर्स एस. सोनी एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
For **M/s S. Sonny Associates**
Chartered Accountants
(पं. सं./Regn. No.: 003935 एस/S)

(एस. सुंदर)
साझेदार
(S. Sundar)
Partner
सदस्यता सं./Membership No.: 023425

कृते **मेसर्स आर. वेन्दर गुप्ता एण्ड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
For **M/s R. Vender Gupta & Associates**
Chartered Accountants
(पं. सं./Regn. No.: 002614 एन/N)

(राघवेंदर गुप्ता)
साझेदार
(Raghvender Gupta)
Partner
सदस्यता सं./Membership No.: 081544

स्थान/Place: बेंगलूर/Bangalore
दिनांक/Date: 04-05-2010

सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: मणिपाल
लेखा-परीक्षकों का प्रतिवेदन

सेवा में

सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड के शेयरधारक:

1. हमने, 31 मार्च, 2010 के **सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड, मणिपाल** के संलग्न तुलन-पत्र और उससे उपाबद्ध, उक्त तारीख को समाप्त अवधि की लाभ व हानि लेखे तथा नकदी प्रवाह विवरण की लेखा परीक्षा की है। ये वित्तीय विवरण कंपनी के प्रबंधक वर्ग की प्रमुख जिम्मेदारी है । हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखा-परीक्षा के अनुसार वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करना है ।

2. हमने अपनी लेखा परीक्षा कार्य भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार किया है । इन मानकों के अंतर्गत यह अपेक्षा की जाती है कि हम अपनी लेखा परीक्षा की योजना इस प्रकार बनाएं और निष्पादित करें कि समुचित रूप से इस बारे में आश्वस्त हो जाएं कि वित्तीय विवरणों में विषय-वस्तु संबंधी कोई गलत जानकारी नहीं दी गई है । लेखापरीक्षा के अंतर्गत वित्तीय विवरणों में दिखाई गयी राशियों और प्रकट की गई बातों के समर्थन में दिए गए साक्ष्य की परीक्षण के तौर पर जांच की जाती है । लेखा-परीक्षा के अंतर्गत प्रबंध-तंत्र द्वारा प्रयुक्त लेखा सिद्धांतों तथा प्रमुख आकलनों का निर्धारण तथा प्रस्तुत किए गए समग्र वित्तीय विवरण का मूल्यांकन भी किया जाता है । हमें विश्वास है कि हमारा लेखा परीक्षा कार्य हमारे अभिमत के लिए उचित आधार है ।

3. भारत के कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 227 की उप-धारा 4 (क) की शर्तों के अनुसार भारत सरकार द्वारा जारी किए गए कंपनी (लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश 2003, कंपनी (लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) (संशोधन) आदेश 2004 (आदेश के साथ) द्वारा यथा संशोधित और कंपनी की बहियों और अभिलेखों की ऐसी जाँच जिसे हम उचित समझते हैं, के आधार पर और हमको प्रस्तुत सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार हम उक्त आदेश के अनुच्छेद 4 और 5 में विनिर्दिष्ट विषयों के विवरण इसके साथ संलग्न कर रहे हैं ।

4. उपर्युक्त अनुच्छेद (3) में संदर्भित अनुबंध में दी गयी हमारी टिप्पणी के सिलसिले में हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि :

   i) हमने वे सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त की हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक थी ।

   ii) कंपनी की लेखा बहियों की जांच करने पर यह पता चला है कि कंपनी ने बहियों का विधिवत् रख-रखाव किया है ।

   iii) इस रिपोर्ट में दर्शाए गए तुलन-पत्र एवं लाभ व हानि लेखा और नकदी प्रवाह विवरण, लेखा-बहियों के साथ मेल खाते हैं ।

   iv) हमारी राय में, इस रिपोर्ट में दर्शाए गए लाभ व हानि लेखा तथा तुलन-पत्र, कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 211 की उप-धारा (3 ग) में संदर्भित लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं ।

   v) दि. 31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार निदेशकों से प्राप्त और निदेशक मंडल द्वारा अभिलेख में लिए गए लिखित अभ्यावेदनों के

SyndBank Services Limited
Registered Office: Manipal
AUDITOR'S REPORT

TO THE MEMBERS OF **SYNDBANK SERVICES LTD.**

1. We have audited the attached Balance Sheet of **SYNDBANK SERVICES LIMITED.,** as at 31st March 2010 and also the Profit and Loss Account & Cash Flow Statement of the Company for the year ended on that date annexed thereto. These financial statements are the responsibility of the Company's Management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. We conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. Those Standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

3. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2003 as amended by the companies (Auditor's Report) (Amendment) Order, 2004 (together the 'Order') issued by the Central Government of India in terms of sub-section (4A) of the Section 227 of the Companies Act, 1956, of India (the 'Act') and on the basis of such checks of the books and records of the company as we considered appropriate and according to information and explanations given to us, we give in the annexure a statement on the matters specified in paragraphs 4 & 5 of the Order.

4. Further to our comments in the Annexure referred to in paragraph (3) above, we state that:

   i) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit.

   ii) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company, so far as appears from our examination of those books.

   iii) The Balance Sheet, Profit and Loss account & Cash Flow Statement referred to in this report are in agreement with the books of account.

   iv) In our opinion, the Balance Sheet, Profit and Loss Account and the Cash Flow statement dealt with by this report comply with the Accounting Standards referred to in sub-section (3C) of Section 211 of the Companies Act. 1956.

   v) On the basis of the written representations received from the Directors, as on 31st March 2010 and taken on record by the Board of

आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि दि. 31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार किसी भी निदेशक को कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 274 की उप धारा (1) के खण्ड (जी) की शर्तों के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त करने से अनर्ह नहीं ठहराया गया है।

vi) हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उक्त वित्तीय विवरणों तथा उस पर दी गयी और उसके साथ संलग्न की गयी टिप्पणियां कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत अपेक्षित जानकारी देती है और भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार एक सही और सत्य चित्र दर्शाती है:

i) तुलन-पत्र के मामले में, दि. 31-03-2010 के अनुसार कंपनी के कार्य संचालन।

ii) लाभ व हानि लेखे के संबंध में उक्त तारीख को समाप्त अवधि के लिए कंपनी का लाभ और

iii) नकदी प्रवाह विवरण के मामले में, उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के नकदी प्रवाह।

कृते **शब्बीर एण्ड गणेश**
सनदी लेखाकार

ह/-
(सी ए गणेश वाइ.)
साझेदार
सदस्यता संख्या: 207231

स्थान : बेंगलूर
दिनांक : 15-04-2010

Directors, we report that none of the Directors are disqualified as on 31st March, 2010 from being appointed as a director in terms of clause (g) of sub-section (1) of section 274 of the Companies Act, 1956.

vi) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements together with the notes thereon and attached thereto give the information required by the Companies Act, 1956, in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India:

i) in the case of the Balance Sheet, of the state of affairs of the Company as at 31st March 2010;

ii) in the case of the Profit and Loss Account, of the profit of the Company for the year ended on that date.

iii) In the case of the Cash Flow Statement, of the cash flows of the company for the year ended on that date.

For **Shabbir and Ganesh**
Chartered Accountants

Sd/-
(CA Ganesh Y.)
Partner
Membership No. 207231

Place: Bangalore
Date : 15-04-2010

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट से संबंधित अनुबंध:
संदर्भ: सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड

उक्त दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुच्छेद 3 के संदर्भ में

i) (क) कंपनी ने उचित अभिलेखों का रख-रखाव किया है, जिसमें उन्होंने अचल संपत्तियों के परिमाणात्मक ब्यौरे एवं अवस्थिति समेत संपूर्ण विवरण दर्शाया है।

(ख) हमें दी गयी सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने सत्यापन का एक नियमित कार्यक्रम तैयार किया है जिसके जरिये कंपनी की सभी आस्तियों का सत्यापन किया जाएगा, जो हमारी राय में, कंपनी के आकार तथा उसकी आस्तियों की दृष्टि से समुचित है । हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार, वर्ष के दौरान सत्यापन करने पर बही-अभिलेखों के संबंध में कोई भी महत्त्वपूर्ण विसंगति नहीं पायी गयी है।

(ग) अचल संपत्तियों के पर्याप्त भाग का निपटान नहीं किया गया है ।

ii) कंपनी कोई माल सूची नहीं रखती है, इसलिए अनुच्छेद 4 (ii) (क) से (ग) लागू नहीं होता।

iii) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने किसी कंपनी फर्म और कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के तहत रखी जानेवाली पंजी में शामिल अन्य पार्टियों को कोई ऋण मंजूर नहीं किया है, चाहे जमानती हो या बेजमानती। तदनुसार, आदेश के अनुच्छेद 4 (iii) (क) से (घ) लागू नहीं होता।

iv) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने किसी भी कंपनी फर्म और कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के तहत रखी जानेवाली पंजी में शामिल अन्य पार्टियों को कोई ऋण, चाहे वे जमानती हो या बेजमानती, उपलब्ध नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के अनुच्छेद 4 (iii) (ङ) से (छ) लागू नहीं होते।

v) हमारी राय में और हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी के पास एक ऐसी पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है जो कंपनी के आकार तथा अचल आस्तियों की खरीद एवं सेवाओं की बिक्री के संबंध में उसके कारोबार के स्वरूप के अनुरूप है। हमारी लेखा परीक्षा के दौरान हमने, कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में कोई महत्वपूर्ण कमज़ोरी नहीं पायी है।

vi) हमारी राय में और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, ऐसा कोई लेन-देन नहीं किया गया है जिसे कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के अनुसार रजिस्टर में दर्ज करने की आवश्यकता हो।

vii) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट से संबंधित वर्ष के दौरान जनता से कोई जमाराशि स्वीकार नहीं की है। इसलिए कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 58 क और 58 क क के उपबंध एवं तद्तर्गत नियम कंपनी पर लागू नहीं होंगे।

viii) हमारी राय में कंपनी के पास आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है जो इसके कारोबार के आकार और स्वरूप के अनुरूप है।

ix) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी के परिचालन के संबंध में, केन्द्र सरकार ने कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 209(1) (घ) के अंतर्गत लागत अभिलेख रखने की शर्त नहीं लगाई है।

x) क) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी, भविष्य निधि, आय कर, सेवा कर, उपकर सहित सभी अविवादित देय राशियों एवं उस पर लागू होनेवाली अन्य सांविधिक देय राशियों को उचित प्राधिकारियों के पास सामान्यत: नियमित रूप से जमा की है।

Annexure to the Auditor's Report:

Re: SYNDBANK SERVICES LIMITED

Referred to in paragraph 3 of our report of even date.

i) (a) The company has maintained proper records showing full particulars including quantitative details and situation of its fixed assets.

(b) According to the information and explanations given to us, the Company has formulated a regular programme of verification by which all the assets of the Company shall be verified, which in our opinion, is reasonable having regard to the size of the Company and nature of its assets. To the best of our knowledge, no material discrepancies were noticed on verification conducted during the year as compared with the book records.

(c) There was no disposal of a substantial part of fixed assets.

ii) The Company does not have any Inventory and hence paragraph 4(ii)(a) to (c) are not applicable.

iii) According to the information and explanations given to us, the Company has not granted any loans, secured or unsecured, to any Company, firm and other parties covered in the register maintained under Section 301 of the Companies Act, 1956. Accordingly, paragraph 4 (iii) (a) to (d) of the order are not applicable.

iv) According to the information and explanations given to us, the Company has not taken any loans, secured or unsecured, from any Company, firm and other parties covered in the register maintained under Section 301 of the Companies Act 1956. Accordingly, paragraph 4 (iii) (e) to (g) of the order are not applicable.

v) In our opinion and according to the information and explanations given to us, there exists an adequate internal control system commensurate with the size of the company and the nature of its business with regard to purchases of fixed assets and with regard to the sale of services. During the course of our audit, we have not observed any major weakness in the internal control system of the Company.

vi) In our opinion and according to the explanations given to us, there is no transaction that needs to be entered into the register in pursuant of Section 301 of the Companies Act, 1956.

vii) According to the information and explanations given to us, the Company has not accepted deposits from the public during the year covered by our audit report. Therefore the provisions of Section 58A and 58AA of the Companies Act, 1956 and rules there under are not applicable to the company.

viii) In our opinion, the company has an internal audit system commensurate with the size and nature of its business.

ix) According to the information and explanations given to us, the Central Government has not prescribed maintenance of cost records under Section 209(1)(d) of the Companies Act, 1956 with regard to the company's operation.

x) a) According to the information and explanations provided to us, the Company is generally regular in depositing with appropriate authorities undisputed statutory dues including provident fund, income tax, service tax, cess and other statutory dues, applicable to it.

ख) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार आय कर, सेवा कर के संबंध में देय कोई भी अविवादित राशि दि. 31 मार्च, 2010 को, उनके देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक अवधि तक बकाया नहीं थी।

ग) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरणों की अनुसार उन आय कर, सेवा कर और उपकर कोई भी राशि देय नहीं है जिन्हें किसी विवाद के कारण से जमा नहीं किया गया हो।

xi) कंपनी के पास कोई संचित हानि नहीं है और हमारी लेखा परीक्षा से संबंधित वित्तीय वर्ष तथा तत्काल पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी को कोई नकदी हानि नहीं हुई है।

xii) हमारी राय में और हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने वित्तीय संस्थाओं, बैंकों या डिबेंचर धारकों को देय-राशि की चुकौती में चूक नहीं की है।

xiii) हमारी राय में और हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने शेयरों, डिबेंचरों और अन्य प्रतिभूतियों की गिरवी पर कोई ऋण और अग्रिम मंजूर नहीं किया है।

xiv) हमारी राय में, कंपनी एक चिट फंड, या निधि/पारस्परिक लाभ निधि/सोसाइटी नहीं है। इसलिए कंपनी पर आदेश का खण्ड 4 (xiii) लागू नहीं होता है ।

xv) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी शेयरों, प्रतिभूतियों और डिबेंचरों में लेन-देन नहीं कर रही है। इसलिए आदेश का खण्ड 4 (xiv) कंपनी पर लागू नहीं होता।

xvi) कंपनी ने अन्यों द्वारा लिए गए ऋणों के लिए कोई गारंटी नहीं दी है।

xvii) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई मीयादी ऋण नहीं लिया है।

xviii) हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के तुलन- पत्र की समग्र जाँच करने पर हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने अल्पावधि आधार पर जुटाई गयी निधियों का दीर्घावधि निवेश के लिए उपयोग नहीं किया है।

xix) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत रखी गयी पंजी में शामिल पार्टियों और कंपनियों को शेयरों का अधिमान्य आबंटन नहीं किया है।

xx) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने हमारी रिपोर्ट से संबंधित अवधि के दौरान कोई जमानती डिबेंचर जारी नहीं किया है। तद्नुसार कंपनी पर आदेश का खण्ड (xix) लागू नहीं होता।

xxi) हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट से संबंधित अवधि के दौरान कंपनी ने सार्वजनिक निर्गम के जरिए कोई धनराशि नहीं जुटाई है।

xxii) हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार और हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा से संबंधित अवधि के दौरान कंपनी पर या द्वारा कोई धोखाधड़ी का मामला नहीं पाया गया है या रिपोर्ट नहीं की गयी है।

कृते **शब्बीर एण्ड गणेश**
सनदी लेखाकार

ह/-
(सीए गणेश वाइ.)
साझेदार
सदस्यता संख्या: 207231

स्थान : बेंगलूर
दिनांक : 15-04-2010

b) According to the information and explanations given to us, no undisputed amounts payable in respect of Income tax, Service tax were in arrears, as at 31st March 2010 for a period of more than six months from the date they became payable.

c) According to the information and explanations given to us, there are no dues of Income Tax, Service tax and cess which have not been deposited on account of any dispute.

xi) The company does not have accumulated losses and has not incurred cash losses during the financial year covered by our audit and the immediately preceding financial year.

xii) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company has not defaulted in repayment of dues to financial institutions, banks or debentures holders.

xiii) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company has not granted loans and advances on the basis of security by way of pledge of shares, debentures and other securities.

xiv) In our opinion, the Company is not a chit fund or a nidhi/mutual benefit fund/society. Therefore, the provisions of clause 4(xiii) of the Order are not applicable to the Company.

xv) According to the information and explanations given to us, the Company is not dealing in shares, securities and debentures. Therefore, the provisions of clause 4(xiv) of the Order are not applicable to the Company.

xvi) The Company has not given any guarantee in connection with loans taken by others.

xvii) The Company has not obtained any term loans during the year.

xviii) According to the information and explanations given to us and on an overall examination of the balance sheet of the company, we report that no funds raised on short term basis have been used for long term investment.

xix) According to the information and explanations given to us, the Company has not made any preferential allotment of shares to parties and companies covered in the register maintained under Section 301 of the Companies Act, 1956.

xx) According to the information and explanations given to us, the Company has not issued any secured debentures during the period covered by our report. Accordingly, the provisions of clause (xix) of the Order are not applicable to the Company.

xxi) During the period covered by our audit report, the Company has not raised any money by way of public issue.

xxii) To the best of our knowledge and belief and according to the information and explanations given to us, no fraud on or by the Company has been noticed or reported during the course of our audit.

For **Shabbir and Ganesh**
Chartered Accountants

Sd/-
(CA Ganesh Y.)
Partner
Membership No.: 207231

Place: Bangalore
Date : 15-04-2010

सिंडबैंक सर्विसेज लि. के 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लेखों पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अंतर्गत भारत का नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

सिंडबैंक सर्विसेज लि., के 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों को कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढाँचे के अनुसार तैयार करने की जिम्मेदारी कंपनी के प्रबंधक वर्ग की है । कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के अंतर्गत भारत का नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक द्वारा नियुकत सांविधिक लेखा परीक्षक उनके व्यावसायिक संगठन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान, दिल्ली द्वारा निर्धारित लेखा परीक्षा और आश्वासन मानका के अनुसार, स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 के अंतर्गत इन वितरणो पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है । दिनांक 15-04-2010 की उनकी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में बताया गया है कि यह कार्य उनके द्वारा किया गया है ।

मैंने भारतीय नियंत्रक और लेखा परीक्षक की ओर से दि. 31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष केलिए सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड के लेखों पर सांविदिक लेखा परिक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा न करने का निर्णय लिया है और मुझे कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अंतर्गत कोई टिप्पणी नहीं करनी है।

भारत का नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक के लिए
और उनकी ओर से

ह/-
(सी. एच. खारसिंग, आइएएएस)
मुख्य निदेशक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा
और पदेन सदस्य लेखा परीक्षा बोर्ड, बेंगलूर

बेंगलूर
दिनांक : 20 अप्रैल 2010

Comments of the Comptroller and Auditor General of India Under Section 619(4) of the Companies Act, 1956 on the Accounts of SyndBank Services Limited for the year Ended 31st March, 2010

The preparation of financial statements of SyndBank Services Limited for the year ended 31st March 2010 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 1956 is the responsibility of the management of the Company. The statutory auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under Section 619(2) of the Companies Act, 1956 is responsible for expressing opinion on these financial statements under section 227 of the Companies Act, 1956 based on independent audit in accordance with the auditing and assurance standards prescribed by their professional body the Institute of Chartered Accountants of India. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 15-04-2010.

I on behalf of the Comptroller and Auditor General of India have conducted a supplementary audit under section 619(3)(b) of the Companies Act, 1956 of the financial statements of SyndBank Services Limited, Bangalore for the year ended 31st March, 2009. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and Company personnel and a selective examination of some of the accounting records. In view of the revisions made in the Auditor's Report as a result of my audit observations highlighted during supplementary audit, I have no further comments to offer upon or supplement to the Statutory Auditors' Report, under Section 619 (4) of the Companies Act, 1956.

For and on behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

Sd/-
(C. H. Kharsingh, I.A.A.S.)
Pr. Director of Commercial Audit
and ex-officio Member,
Audit Board, Bangalore

Bangalore
Dated: 20 April, 2010

सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय: मणिपाल – 576 104

(सिंडिकेट बैंक की पूर्ण स्वामित्ववाली अनुषंगी संस्था)

Syndbank Services Ltd., Registered Office : Manipal – 576 104

(A Wholly owned Subsidiary of Syndicate Bank)

31 मार्च, 2010 का तुलन पत्र/BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2010

(रकम रुपये में/Amount in Rs.)

ब्यौरे/Particulars	अ. सं. Sch. No.	**As at दि. 31-03-2010 को**	As at दि. 31-03-2009 को
I. **निधियों का स्रोत: SOURCES OF FUNDS**			
1. **शेयरधारकों की निधि/Shareholders Funds:**			
क/a) शेयर पूँजी/Share Capital	1	**2,500,000**	2,500,000
ख/b) आरक्षित निधि और अधिशेष/Reserves & Surplus	2	**20,285,385**	10,841,639
2. **ऋण संबंधी निधि/Loan Funds**			
क/a) जमानती ऋण/Secured Loans			–
ख/b) बेजमानती ऋण/Unsecured Loans			–
कुल/TOTAL		**22,785,385**	13,341,639
II. **निधियों का अनुप्रयोग/APPLICATION OF FUNDS**			
1. **अचल आस्तियाँ/Fixed Assets**	3		
क/a) सकल ब्लॉक/Gross Block		**1,287,386**	1,266,896
ख/b) घटाएं: मूल्यह्रास/Less: Depreciation		**923,646**	767,867
ग/c) निवल ब्लॉक/Net Block		**363,740**	499,029
2. **आस्थगित कर आस्तियां/Deferred Tax Asset**		**236,844**	201,875
3. **चालू आस्तियां, ऋण और अग्रिम Current Assets, Loans and Advances**	4		
क/a) विविध देनदार/Sundry Debtors		**1,484,950**	1,548,345
ख/b) नकद और बैंक शेष राशि/Cash and Bank Balances		**20,638,007**	11,213,444
ग/c) अन्य चालू आस्तियां/Other Current Assets		**311,794**	289,227
घ/d) ऋण और अग्रिम/Loans and Advances		**1,181,269**	527,949
		23,616,020	13,578,965
घटाएं: चालू देयताएं और प्रावधान/Less: Current Liabilities & Provisions	5		
क/a) चालू देयताएं/Current Liabilities		**946,123**	721,854
ख/b) प्रावधान/Provisions		**485,095**	216,375
निवल चालू आस्तियां/Net Current Assets		**22,184,801**	12,640,735
4. **विविध व्यय (बट्टे खाते न डाली गयी रकम की सीमा तक) Miscellaneous Expenditure (To the extent not w/off or adjusted)**		**–**	–
कुल/TOTAL		**22,785,385**	13,341,639
लेखा संबंधी टिप्पणियां/Notes on Accounts	10		
इसमें उल्लिखित अनुसूचियां तुलन पत्र का अभिन्न भाग है। Schedules referred to herein forms an integral part of Balance Sheet			

कृते सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड/For Syndbank Services Ltd.

समान तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते शब्बीर और गणेश
सनदी लेखाकार
As per our report of even date
For SHABBIR AND GANESH
Chartered Accountants

ह/Sd/
(बसंत सेठ/Basant Seth)
अध्यक्ष/Chairman

ह/Sd/
(वी. के. नागर/V. K. Nagar)
उपाध्यक्ष/Vice Chairman

ह/Sd/
(आर. रामचन्द्रन/R. Ramachandran)
निदेशक/Director

ह/Sd/
(आइ. विजय कुमार/I. Vijay Kumar)
निदेशक/Director

ह/Sd/
(टी. मुरलीधरन/T. Muralidharan)
निदेशक/Director

ह/Sd/
(जी. ए. शेणै/G. A. Shenai)
निदेशक/Director

ह/Sd/
(सीए गणेश वाइ./CA Ganesh Y.)
साझेदार, सदस्यता सं./Partner No. 207231

ह/Sd/
(आर. के. खुराना/R. K. Khurana)
प्रबंध निदेशक/Managing Director

तारीख/Date : 15-04-2010
स्थान/Place : बेंगलूर/Bangalore

सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय: मणिपाल – 576 104
(सिंडिकेट बैंक की पूर्ण स्वामित्ववाली अनुषंगी संस्था)

Syndbank Services Ltd., Registered Office : Manipal – 576 104
(A Wholly owned Subsidiary of Syndicate Bank)

दि. 31-03-2010 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि लेखा

PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31-03-2010

(रकम रुपये में/Amount in Rs.)

ब्यौरे/Particulars	अ. सं. Sch. No.	**2009-10**	2008-09
I. **आय/INCOME:**			
सेवा राजस्व/Service Revenue	6	**23,676,201**	15,523,989
अन्य आय/Other Income	7	**1,291,960**	621,450
कुल/Total		**24,968,161**	16,145,439
II. **व्यय/EXPENDITURE :**			
वेतन और भत्ते/Salary & Allowances	8	**5,058,266**	4,477,517
परिचालन व्यय/Operational Expenses	9	**5,467,855**	1,271,876
मूल्यह्रास/Depreciation	3	**159,222**	204,763
पिछली अवधि के व्यय/Prior period Expenses			
कुल/Total		**10,685,343**	5,954,156
कर से पहले लाभ/Profit Before Tax		**14,282,818**	10,191,283
कराधान के लिए प्रावधान/Provision for taxation			
– चालू कर/Current tax		**4,874,041**	3,268,000
– आस्थगित कर/Deferred Tax		**(34,969)**	(78,687)
– अनुषंगी लाभ कर/Fringe Benefit Tax		**0**	33,000
कर के बाद लाभ/Profit After Tax		**9,443,746**	6,968,970
पिछले वर्ष से आगे लाया गया लाभ/Profit brought forward from Previous Year		**6,341,639**	72,669
विनियोजन हेतु उपलब्ध लाभ/Profit Available for Appropriation		**15,785,385**	7,041,639
विनियोजन/Appropriations			
सामान्य आरक्षित निधि में अंतरण/Transfer to General Reserve		**944,375**	700,000
तुलन पत्र को अग्रेनीत शेष राशि/Balance carried to Balance Sheet		**14,841,010**	6,341,639
ईपीएस–मूल और ह्रासमान/EPS - Basic and Diluted		**37.77**	27.88
लेखा संबंधी टिप्पणियां/Notes to Accounts	10		
अनुसूची 6 से 11 लेखे की अभिन्न भाग है। Schedules 6 to 11 form an integral part of accounts			

कृते सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड/For Syndbank Services Ltd.

समान तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते शब्बीर और गणेश
सनदी लेखाकार
As per our report of even date
For SHABBIR AND GANESH
Chartered Accountants

ह/Sd/
(बसंत सेठ/Basant Seth)
अध्यक्ष/Chairman

ह/Sd/
(वी. के. नागर/V. K. Nagar)
उपाध्यक्ष/Vice Chairman

ह/Sd/
(आर. रामचन्द्रन/R. Ramachandran)
निदेशक/Director

ह/Sd/
(आइ. विजय कुमार/I. Vijay Kumar)
निदेशक/Director

ह/Sd/
(टी. मुरलीधरन/T. Muralidharan)
निदेशक/Director

ह/Sd/
(जी. ए. शेणै/G. A. Shenai)
निदेशक/Director

ह/Sd/
(सीए गणेश वाइ./CA Ganesh Y.)
साझेदार, सदस्यता सं./Partner No. 207231

ह/Sd/
(आर. के. खुराना/R. K. Khurana)
प्रबंध निदेशक/Managing Director

तारीख/Date : 15-04-2010
स्थान/Place : बेंगलूर/Bangalore

सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय: मणिपाल – 576 104

(सिंडिकेट बैंक की पूर्ण स्वामित्ववाली अनुषंगी संस्था)

Syndbank Services Ltd., Registered Office : Manipal – 576 104

(A Wholly owned Subsidiary of Syndicate Bank)

अनुसूचियां जो तुलन पत्र का भाग बनती हैं

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET

(रकम रुपये में/Amount in Rs.)

ब्यौरे/Particulars		As at दि. 31-03-2010 को	As at दि. 31-03-2009 को
अनुसूची सं. 1 – Schedule No. 1: शेयर पूंजी/SHARE CAPITAL			
प्राधिकृत/Authorised :			
1,00,00,000 ईक्विटी शेयर प्रत्येक रु. 10/1,00,00,000 Equity Shares of Rs.10 each (पी.वाइ. 1,00,00,000 ईक्विटी शेयर प्रत्येक रु. 10/P.Y. 1,00,00,000 Equity Shares of Rs.10 each)		**100,000,000**	100,000,000
निर्गत, अभिदत्त और प्रदत्त पूंजी/Issued, subscribed and paid up Capital			
2,50,000 ईक्विटी शेयर प्रत्येक रु. 10 पूर्णतया प्रदत्त/2,50,000 Equity Shares of Rs.10 each fully paid (पी.वाइ. 250,000 ईक्विटी शेयर प्रत्येक रु. 10 पूर्णतया प्रदत्त P.Y. 250,000 Equity Shares of Rs.10 each fully paid)			
उपर्युक्त सभी शेयर सिंडिकेट बैंक द्वारा धारित है/All the above shares are held by SyndicateBank		**2,500,000**	2,500,000
कुल/Total		**2,500,000**	2,500,000
अनुसूची सं. 2 – Schedule No. 2 : आरक्षित निधि और अधिशेष/Reserves & Surplus			
सामान्य आरक्षित निधि/General Reserve:			
प्रारंभिक शेष राशि/Opening balance		**4,500,000**	3,800,000
लाभ व हानि लेखे से अंतरित/Transfer from Profit and Loss Account		**944,375**	700,000
कुल/Total		**5,444,375**	4,500,000
अधिशेष/Surplus			
लाभ व हानि लेखा/Balance in Profit and Loss Account		**14,841,010**	6,341,639
		20,285,385	10,841,639
अनुसूची सं. 4 – Schedule No. 4			
चालू आस्तियाँ, ऋण और अग्रिम/CURRENT ASSETS, LOANS AND ADVANCES			
(बेजमानती, शोध्य समझे गए और छह महीने से कम अवधि) (Unsecured, considered good and less than six months)			
क/a) विविध देनदार/Sundry Debtors			
सिंडिकेट बैंक/Syndicate Bank		**1,484,950**	1,403,519
अन्य/Others		**0**	144,826
कुल/Total	A	**1,484,950**	1,548,345
ख/b) नकदी और बैंक शेषराशि/Cash and Bank Balances			
हाथ में नकदी/Cash in Hand		**0**	0
अनुसूचित बैंकों के पास शेषराशि/Balances with Scheduled Banks:			
सावधि जमाराशि में/In Term Deposit		**20,000,000**	10,600,000
चालू खाते में – सिंडिकेट बैंक – चालू खाता – CA 4001010011687 In Current A/c - SyndicateBank – CA 4001010011687		**638,007**	613,444
कुल/Total	B	**20,638,007**	11,213,444
ग/c) अन्य चालू आस्तियां /Other Current Assets			
जमाराशियों पर उपचित ब्याज/Interest Accrued on Deposits		**311,794**	289,227
कुल/Total	C	**311,794**	289,227
B. **ऋण और अग्रिम/LOANS AND ADVANCES**			
घ/d) ऋण और अग्रिम (बेजमानती, शोध्य समझे गए) Loans & Advances (Unsecured, Considered good)			
नकदी में या वस्तु के रूप में वसूली योग्य या मूल्य के लिए प्राप्त होनेवाले अग्रिम Advances recoverable in cash or in kind or for value to be received			
कर्मचारियों का त्योहार अग्रिम/Staff Festival Advance		**176,280**	141,360
दूरभाष जमाराशि/Telephone deposit		**3,000**	3,000
वेबसाइट के लिए अग्रिम/Advance for Website development		**0**	18,465
पूर्वदत्त ए.एम.सी.प्रभार/Prepaid AMC Charges		**8,691**	14,169
अग्रिम आय कर/टी.डी.एस.– प्रावधान घटाकर/Advance Income Tax/TDS-Net of Provisions		**993,298**	350,955
कुल/Total	D	**1,181,269**	527,949

सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय: मणिपाल – 576 104

(सिंडिकेट बैंक की पूर्ण स्वामित्ववाली अनुषंगी संस्था)

Syndbank Services Ltd., Registered Office : Manipal – 576 104

(A Wholly owned Subsidiary of Syndicate Bank)

(रकम रुपये में/Amount in Rs.)

अनुसूची सं. 3 – Schedule No. 3 : अचल आस्तियाँ/Fixed Assets

ब्यौरे/Particulars	सकल खण्ड/Gross Block			मूल्यह्रास खण्ड/Depreciation Block				निवल खण्ड/Net Block		
	दि. 01-04-2009 को शेष राशि Balance as on 01-04-2009	वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the year	**दि. 31-03-2010 को शेष राशि Balance as on 31-03-2010**	दि. 01-04-2009 को प्रारंभिक शेष Opening Balance as on 01-04-2009	मूल्यह्रास की दर Depn. Rate (%)	वर्ष के लिए परिवर्धन Additions for the year	वर्ष के दौरान कटौतियाँ Deductions for the Year	दि. 31-03-2009 को शेष राशि Balance as on 31-03-2009	दि. 31-03-2009 को मूल्यह्रसित मूल्य WDV as on 31-03-2009	**दि. 31-03-2010 को मूल्यह्रसित मूल्य WDV as on 31-03-2010**
मूर्त आस्तियाँ: Tangible assets: फर्नीचर/Furniture	73,214	14,000	**87,214**	32,994	18.10	9,814	–	42,808	40,220	**44,406**
विद्युत जुडनार/ Electrical fittings	23,000	–	**23,000**	8,325	13.91	2,041	–	10,366	14,675	**12,634**
कंप्यूटर और पेरिफरल्स/ Computer & Peripherals	639,612	–	**639,612**	411,912	40.00	91,080	–	502,922	227,700	**136,620**
मोबाइल फोन्स/Mobile Phones	11,200	(1,300)	**9,900**	6,220	13.91	820	**3,443**	3,597	4,980	**6,303**
वैक्यूम क्लीनर/Vacuum Cleaner	–	7,790	**7,790**		13.91	722	–	722		**7,068**
मोटर कार/Motor car	519,870	–	**519,870**	308,416	25.89	54,745	–	363,161	211,454	**156,709**
कुल/Total	1,266,896	20,490	**1,287,386**	767,867		159,222	**3,443**	923,646	499,029	**363,740**
पिछले वर्ष/Previous Year	1,103,834	163,062	**1,266,896**	563,104		204,763	–	767,867	540,730	**499,029**

स्थान/Place : बैंगलूर/Bangalore
तारीख/Date : 15-04-2010

सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय: मणिपाल – 576 104

(सिंडिकेट बैंक की पूर्ण स्वामित्ववाली अनुषंगी संस्था)

Syndbank Services Ltd., Registered Office : Manipal – 576 104

(A Wholly owned Subsidiary of Syndicate Bank)

अनुसूचियां जो तुलन पत्र का भाग बनती हैं

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET

(रकम रुपये में/Amount in Rs.)

ब्यौरे/Particulars			As at दि. 31-03-2010 को	As at दि. 31-03-2009 को
अनुसूची सं. 5 – Schedule No. 5 : चालू देयताएं और प्रावधान/CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS				
क/a)	**चालू देयताएं/Current Liabilities**			
	व्ययों के लिए लेनदार/Creditors for expenses			
	समाचार पत्र/News papers		**1,200**	1,088
	वाहन व्यय/Conveyance		**5,230**	3,877
	भोजन भत्ते/Lunch Allowances		**2,000**	2,000
	मनोरंजन/Entertainment		**6,650**	0
	मोटर कार का रख-रखाव/Motor car maintenance		**10,575**	14,671
	कर्मचारी क्वार्टर्स की सफाई पर व्यय/Staff Quarter's Cleaning expenses		**2,400**	3,150
	एस.एम.एस. प्रभार/SMS charges		**0**	660
	दूरभाष व्यय/Telephone expenses		**10,000**	9,500
	व्यावसायिक प्रभार/Professional charges		**10,500**	10,500
	मुद्रण और लेखन सामग्री/Printing & stationery		**1,100**	124
	Internal Audit Fees		**16,545**	0
	लेखा परीक्षा व्यय/Audit Expenses		**11,000**	4,000
	देय सेवा कर/Service tax payable		**141,228**	148,403
	देय टी.डी.एस./TDS Payable		**22,100**	4,750
	देय कर लेखा परीक्षा शुल्क/Tax Audit fees payable		**16,545**	16,545
	देय लेखा परीक्षा शुल्क/Audit Fees Payable		**16,545**	16,545
	सिंडिकेट बैंक – (भविष्य निधि और पेंशन निधि अंशदान के लिए) Syndicate Bank – (For PF & Pension fund contribution)		**672,505**	486,041
	कुल चालू देयताएं/Total Current Liabilities:	**क/A**	**946,123**	721,854
ख/b)	**प्रावधान/Provisions**			
	एफ.बी.टी. के लिए प्रावधान अग्रिम कर घटाकर/Provision for FBT – Net of Advance Tax		**0**	3,887
	उपदान के लिए प्रावधान/Provision for Gratuity		**357,083**	205,942
	सा.छु. के नकदीकरण के लिए प्रावधान/Provision for PL Encashment		**128,012**	6,546
	कुल प्रावधान/Total Provisions:	**ख/B**	**485,095**	216,375
	कुल/Total	**क/A +ख/B**	**1,431,218**	938,229

अनुसूचियाँ जो लाभ व हानि लेखे का भाग बनती हैं

SCHEDULES FORMING PART OF PROFIT AND LOSS ACCOUNT

(रकम रुपये में/Amount in Rs.)

ब्यौरे/Particulars	2009 – 10	2008 – 09
अनुसूची सं. 6 – Schedule No. 6 : सेवा राजस्व/SERVICE REVENUE		
हार्डवेयर परीक्षण प्रभार/Hardware Testing Charges	**1,128,365**	2,600,565
अनियमित रिटेल ऋणों की अनुवर्ती कार्रवाई के लिए सेवा प्रभार Service Charges for follow-up of Irregular Retail Loans	**14,864,537**	11,955,262
मेलर प्रेषण राजस्व/Mailer Dispatch Revenue	**586,755**	543,098
कार्ड वैयक्तीकरण आय/Card Personalisation Income	**6,746,186**	425,064
क्रेडिट कार्ड की अनुवर्ती कार्रवाई से प्राप्त आय/Credit Card Follow up Income	**131,398**	0
ई-फाइलिंग से प्राप्त आय/E-filing Income	**1,200**	0
सर्वेक्षण और सत्यापन से प्राप्त आय/Survey and Verification Income	**100,000**	
सी.एम.एस.-एस.एम.एस. से प्राप्त आय/CMS-SMS Income	**117,760**	
कुल/Total	**23,676,201**	15,523,989

सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय: मणिपाल – 576 104

(सिंडिकेट बैंक की पूर्ण स्वामित्ववाली अनुषंगी संस्था)

Syndbank Services Ltd., Registered Office : Manipal – 576 104

(A Wholly owned Subsidiary of Syndicate Bank)

अनुसूचियाँ जो लाभ व हानि लेखे का भाग बनती हैं

SCHEDULES FORMING PART OF PROFIT AND LOSS ACCOUNT

(रकम रुपये में/Amount in Rs.)

ब्यौरे/Particulars	As at दि. 31-03-2010 को	As at दि. 31-03-2009 को
अनुसूची सं. 7 – Schedule No. 7: अन्य आय/OTHER INCOME		
बैंक ब्याज (टीडीएस : रु. 137345/- (गत वर्ष रु. 140891/-) Bank Interest (TDS : Rs. 137345/- (P Y: Rs.140891/-)	**1,291,710**	621,450
बट्टे खाते डाले गए गतावधि चेक/Stale Cheques Written off	**250**	0
कुल/Total	**1,291,960**	621,450
अनुसूची सं. 8 – Schedule No. 8 : वेतन और भत्ते/SALARY AND ALLOWANCES		
कर्मचारियों का वेतन/Staff Salaries	**4,139,886**	3,625,172
भविष्य निधि और अन्य निधियों को अंशदान/Contribution to Provident & Other Funds	**186,464**	227,966
उपदान और छुट्टी का नकदीकरण/Gratuity & Leave Encashment	**272,607**	159,640
अन्य भत्ते और परिलब्धियां/Other Allowances & Perquisites	**459,310**	464,739
कुल/Total	**5,058,266**	4,477,517
अनुसूची सं. 9 – Schedule No. 9 : परिचालन संबंधी व्यय/OPERATIONAL EXPENSES		
कार्ड वैयक्तीकरण आय/Card Personalisation Expenses	**4,121,576**	271,986
व्यावसायिक कर/Professional Tax	**15,595**	2,500
फाइलिंग शुल्क/Filing Fees	**4,718**	9,986
लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक /Auditor's Remuneration :		
• लेखा परीक्षा शुल्क/Audit Fees	**16,545**	16,545
• कर लेखा परीक्षा शुल्क/Tax Audit fees	**16,545**	16,545
• लेखा परीक्षा व्यय/Audit Expenses	**22,655**	16,572
व्यावसायिक प्रभार अनुपालन और अन्य/Professional charges for Compliance & others	**10,500**	13,500
निदेशकों की बैठक का शुल्क/Director's sitting fees	**15,000**	12,000
यात्रा व्यय/Travelling Expenses	**20,730**	48,542
वाहन रख-रखाव व्यय/Vehicle Maintenance Expenses	**91,096**	96,632
कार बीमा/Car Insurance	**6,065**	6,884
वेबसाइट डेवलपमेंट प्रभार/Website Development Charges	**36,930**	0
मुद्रण और लेखन सामग्री/Printing and Stationery	**86,168**	41,982
दूरभाष प्रभार और एस.एम.एस./Telephone Charges & SMS	**182,141**	134,426
विराम और वाहन व्यय/Halting & Conveyance	**139,621**	101,295
कार्यालय का किराया/Office Rent	**243,600**	243,600
आंकडा प्रविष्टि प्रभार/Data Entry Charges	**198,732**	142,248
कंप्यूटर का रख-रखाव/Computer Maintenance	**47,745**	48,204
विविध व्यय/Miscellaneous Expenses	**37,425**	4,287
आंतरिक लेखा परीक्षकों का शुल्क/Internal Auditor's Fees	**16,545**	0
विद्युत प्रभार/Electricity Charges	**36,000**	36,000
मनोरंजन व्यय/Entertainment Expenses	**4,752**	4,997
बट्टे खाते डाली गयी अचल संपत्तियां (मोबाइल)/Fixed Assets Written Off (Mobile)	**2,757**	0
डाक व्यय/Postal Charges	**64,555**	0
ई-फाइलिंग प्रभार/E-filing Charges	**180**	0
क्रेडिट कार्ड अनुवर्ती कार्रवाई प्रभार/Credit Card Follow up Charges	**14,105**	0
बैठक और सम्मेलन व्यय/Meeting and Conference Expenses	**15,575**	0
बिजली उपकरणों की मरम्मत और रख-रखाव/Electrical Repairs and Maintenance	**0**	3,146
कुल/Total	**5,467,855**	1,271,876

सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय: मणिपाल – 576 104

(सिंडिकेट बैंक की पूर्ण स्वामित्ववाली अनुषंगी संस्था)

Syndbank Services Ltd., Registered Office : Manipal – 576 104

(A Wholly owned Subsidiary of Syndicate Bank)

अनुसूचियां जो तुलन पत्र का भाग बनती हैं

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET

अनुसूची 10 – लेखा संबंधी टिप्पणियाँ

1. महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ

क. वित्तीय विवरणों को तैयार करने का आधार

इस वित्तीय विवरण को प्रायोज्य अधिदेशात्मक लेखा मानकों तथा कंपनी अधिनियम 1956 के संगत उपबंधों के अनुसार उपचय आधार पर परंपरागत लागत के अंतर्गत तैयार किया गया है ।

ख. राजस्व की पहचान

i) कारोबार प्रक्रिया बाह्यनियोजन (बी.पी.ओ.) सेवाओं से प्राप्त राजस्व की पहचान, समय एवं सामग्री, निर्दिष्ट मूल्य और यूनिट मूल्य संविदाओं पर की गयी है । समय एवं सामग्री, यूनिट मूल्य संविदा से प्राप्त राजस्व की पहचान, प्रदान की गयी संगत सेवाओं के रूप में की गयी है । नियत कीमत संविदाओं से प्राप्त राजस्व की पहचान आनुपातिक समापन पद्धति तथा समापन के स्तर निर्धारित करने की संविदागत लागत के अनुसार की गयी है।

ii) सेवा की पहचान, सेवा कर घटाने के बाद की जाती है ।

iii) ब्याज आय की पहचान, बकाया राशि तथा लागू होनेवाली दर की गणना में लेकर समय अनुपात के आधार पर की गयी है ।

ग. अचल आस्तियाँ

अचल आस्तियों का मूल्यांकन संचित मूल्यह्रास को घटाने के बाद अभिग्रहण की परंपरागत लागत पर किया गया है ।

कंपनी अचल आस्तियों के अभिग्रहण से संबंधित सभी प्रत्यक्ष लागतों का पूंजीकरण करती है ।

घ. मूल्यह्रास

i) अचल संपत्ति पर मूल्यह्रास को, कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची XIV में दी गयी दरों और उसमें यथा निर्दिष्ट रीति के अनुसार अवलेखित मूल्य पद्धति पर प्रावधान किया गया है।

ii) आस्तियों में किए गए परिवर्धन पर मूल्यह्रास का प्रावधान उनके अभिगृहण की तारीख को प्रचलित दरों पर समानुपातिक आधार पर किया गया है।

ङ. आस्तियों की हानि

आस्तियों की रखाव राशि की समीक्षा प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख को की जाती है । यदि किसी आंतरिक/बाहरी घटकों के आधार पर हानि का संकेत मिलता है तो, जब कभी आस्तियों की रखाव रकम उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक होती है तो हानि की पहचान की जाती है। वसूली योग्य राशि, आस्तियों के निवल बिक्री मूल्य और प्रयुक्त मूल्य से अधिक है ।

च. कराधान

कर व्यय में, चालू और आस्थगित कर शामिल हैं ।

चालू कर का आंकन भारतीय आय कर अधिनियम के अनुसार कर प्राधिकारियों को भुगतान की जानेवाली रकम पर किया जाता है । आस्थगित आय करों की पहचान, आय के वित्तीय विवरण के निर्धारण तथा कर उद्देश्य हेतु उनकी पहचान करने के बीच के समय अंतर के लिए लगाए जाने वाले भावी कर के परिणामों के लिए की जाती है। कर की दरों में हुए परिवर्तन के कारण से आस्थगित कर आस्ति तथा देयताओं पर पड़नेवाले प्रभाव की पहचान, तुलन-पत्र की तारीख तक लागू कर की दरों और लागू किए गए या वास्तविक रूप से लागू किए गए कर संबंधी कानूनों का प्रयोग करते हुए आय लेखे में की गयी है । आस्थगित कर आस्तियों की केवल उस सीमा तक पहचान की गयी और आगे ले जाया गया है जिस पर यह यथोचित रूप से निश्चित हो कि पर्याप्त मात्रा में भावी कर योग्य आय उपलब्ध हो जिसके लिए ऐसी आस्थगित कर आस्तियाँ प्राप्त की जा सके ।

पिछले वर्ष की आस्थगित कर आस्तियों को उस सीमा तक पुनर्निर्धारित किया गया और पहचान की गयी जिस से भावी कर योग्य आय उपलब्ध है, जिसके प्रति आस्थगित कर आस्तियाँ प्राप्त हो सके ।

Schedule No. 10 – NOTES TO ACCOUNTS

1. Significant Accounting Policies:

A. Basis of Preparation of Financial Statements

The financial statements are prepared under the historical cost convention on accrual basis in accordance with the applicable mandatory Accounting Standards and the relevant provisions of the Companies Act, 1956.

B. Revenue Recognition

i) Revenue from Business Process Outsourcing (BPO) services are recognized on time and material, fixed price and unit priced contracts. Revenue on time and material, unit priced contracts is recognized as the related services are rendered. Revenue from fixed price contracts is recognized as per the proportionate completion method with contract cost determining the degree of Completion.

ii) Services are recognized net of Service Tax.

iii) Interest income is recognized on a time proportion basis taking into account the amount outstanding and the rate applicable.

C. Fixed Assets

Fixed Assets are stated at historical cost of acquisition less accumulated depreciation.

The company capitalizes all direct costs relating to the acquisition of the fixed assets.

D. Depreciation

i) Depreciation on fixed assets has been provided on Written Down Value method at the rates and in the manner prescribed in the Schedule XIV to the Companies Act, 1956.

ii) Depreciation on the additions to the assets is provided on pro-rata basis, at their respective rates with reference to the date of acquisition.

E. Impairment of Assets

The carrying amount of assets are reviewed at each Balance Sheet date. If there is any indication of impairment based on internal/external factors, an impairment is recognized whenever the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the greater of the assets net selling price and value in use.

F. Taxation

Tax expense comprises of current and deferred tax.

Current tax is measured at the amount expected to be paid to the tax authorities in accordance with the Indian Income Tax Act. Deferred income taxes are recognized for the future tax consequences attributable to timing differences between the financial statement determination of income and their recognition for tax purposes. The effect on deferred tax assets and liabilities of a change in the tax rates are recognized in income using the tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted by the balance sheet date. Deferred tax assets are recognized and carried forward only to the extent that there is a reasonable certainty that sufficient future taxable incomes will be available against which such deferred tax assets can be realized.

Unrecognized deferred tax assets of earlier year are reassessed and recognized to the extent that future taxable income will be available against which deferred tax assets can be realized.

छ. खण्डवार रिपोर्टिंग

कंपनी, विभिन्न बैंकों को बाह्य नियोजन सेवा प्रदान करनेवाली कंपनी के रूप में कार्य कर रहा है। कंपनी, हार्डवेयर परीक्षण, रिटेल ऋण पर अनुवर्ती कार्रवाई, डाक प्रेषण, कार्ड वैयक्तीकरण सेवाएं, विभिन्न प्रकार के ग्राहक संबंधी आंकडों का संग्रहण तथा बैंकिंग परिचालनों से संबंधित अन्य सेवाएं प्रदान करती है ।

इन सभी सेवाओं में समान प्रकार की जोखिम और प्रतिलाभ शामिल हैं। इसलिए पहचान की गयी एक ही रिपोर्ट योग्य खण्ड है, यानी, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को बाह्य नियोजन सेवा प्रदान करना । कोई रिपोर्ट योग्य भौगोलिक खण्ड नहीं है ।

ज. कर्मचारी लाभ

कंपनी के सभी कर्मचारी सिंडिकेट बैंक के स्थायी कर्मचारी है और वे प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे हैं । सभी कर्मचारी लाभ-भविष्य निधि में सांविधिक अंशदान, पेंशन निधि, उपदान निधि और छुट्टी के नकदीकरण से संबंधित देयता का प्रावधान सिंडिकेट बैंक द्वारा दी गयी सूचना के आधार पर किया गया है ।

झ. आकस्मिक देयताएं

कोई आकस्मिक देयताएं नहीं है ।

ञ. प्रावधान

प्रावधानों की पहचान तभी किया जाता है जब पिछले परिणामों के कारण से वर्तमान दायित्व शामिल होता है और यह संभव है कि उस दायित्व के निपटान हेतु संसाधनों के बहिर्गमन की आवश्यकता पड़ सकती है, जिसके लिए विश्वसनीय प्राक्कलन किया जा सके ।

प्रावधानों को उसके वर्तमान मूल्य पर बट्टा नहीं किया गया है और उसका निर्धारण तुलन-पत्र की तारीख को दायित्व के निपटान करने के लिए अपेक्षित प्रबंधन प्राक्कलन के आधार पर किया गया है । इनकी समीक्षा प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख को की जाती है । मौजूदा प्रबंधन प्राक्कलन को दर्शाने के लिए उसका समायोजन किया जाता है ।

ट. प्राक्कलनों का प्रयोग

वित्तीय विवरणों की तैयारी, सामान्यत: स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप की गयी है जो प्रबंधक वर्ग को उन प्राक्कलनों तथा पूर्वानुमानों के लिए अपेक्षित है जो वित्तीय विवरणों की तारीख तथा आलोच्य वर्ष के अंत में परिचालन संबंधी परिणामों को प्रभावित करता है । ये प्राक्कलन चालू परिणामों और कार्रवाइयों के संबंध में प्रबंधक वर्ग की सर्वोत्तम जानकारी पर आधारित होने के बावजूद वास्तविक परिणाम इन प्राक्कलनों से भिन्न हो सकता है ।

ठ. प्रति शेयर अर्जन

मूल प्रतिशेयर अर्जन का परिकलन, उक्त अवधि के दौरान बकाया ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या का प्रयोग करते हुए किया गया है । हटाया गया प्रति शेयर अर्जन का परिकलन, ईक्विटी की भारित औसत संख्या तथा उक्त अवधि के दौरान बकाया ह्रासमान ईक्विटी के बराबर शेयरों का प्रयोग करते हुए किया जाएगा, सिवाय उन मामलों में जहाँ परिणाम ह्रासमान हो ।

2. निदेशकों को पारिश्रमिक

G. Segment Reporting

The company operates as an outsourcing service provider to various banks and financial institutions. The company provides services of Hardware testing, Retail loan follow-up, Mailer dispatch, Card Personalisation services, creating various customer database and other services facilitating banking operations.

All these services have similar risk and returns. Thus, there is only one identified reportable segment that is outsourcing service to banks and financial institutions. There is no reportable geographical segment either.

H. Employee Benefits

All the staff of the company are permanent employees of Syndicate Bank and are on deputation to the company. All the employee benefits - statutory contributions to Provident Fund, Pension Fund, Gratuity Fund and Liability towards Leave Encashment are provided based on information given by Syndicate Bank.

I. Contingent Liabilities

There are no contingent liabilities.

J. Provisions

Provisions are recognized when there is present obligation as a result of past events and it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation, in respect of which a reliable estimate can be made.

Provisions are not discounted to its present value and are determined based on management estimate required to settle the obligation at the Balance Sheet date. These are reviewed at each Balance Sheet date and adjusted to reflect the current management estimates.

K. Use of Estimates

The preparation of financial statements in conformity with generally accepted accounting principles requires management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities at the date of the financial statements and the results of operations during the reporting year end. Although these estimates are based upon management's best knowledge of current events and actions, actual results could differ from these estimates.

L. Earnings per Share

Basic earnings per share are computed using the weighted average number of equity shares outstanding during the period. Diluted earnings per share are computed using the weighted average number of equity and dilutive equity equivalent shares outstanding during the period except where the results would be anti-dilutive.

2. Remuneration to Directors

विवरण/Particulars	**31-03-2010**	31-03-2009
वेतन और अन्य नियत भत्ते/Salary & other fixed Allowances	**544,621**	501,578
सेवा निवृत्ति लाभ के प्रति अंशदान/Contribution for Retirement benefits	**31,056**	34,605
अनुलाभ और प्रतिपूर्तियां/Perquisites & Reimbursements	**187,585**	7,980
निदेशकों के बैठक शुल्क/Directors sitting fees	**15,000**	12,000
कुल/Total	**778,262**	766,163

3. संगत पार्टि प्रकटीकरण/Related Party Disclosures:

नियंत्रक कंपनी/Holding Company	सिंडिकेट बैंक/Syndicate Bank
प्रमुख प्रबंधक वर्ग के कर्मचारी/Key Management Personnel	आर. के. खुराना – प्रबंध निदेशक/R. K. Khurana - Managing Director (एस. के. ढींगरा – प्रबंध निदेशक: वर्ष में कुछ अवधि के लिए)/ (S. K. Dhingra – Managing Director; Part of the year)
नियंत्रक कंपनी की प्रायोजित संस्थाएं Sponsored Entities of Holding Company	• आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक/Andhra Pragathi Grameena Bank • गुडगाँव ग्रामीण बैंक/Gurgaon Grameena Bank • नार्थ मलबार ग्रामीण बैंक/North Malabar Grameena Bank • कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक/Karnataka Vikas Grameena Bank • प्रथमा बैंक/Prathama Bank

लेन-देन के ब्यौरे/Details of transactions	**नियंत्रक कंपनी Holding Company**		**प्रमुख प्रबंधक वर्ग के कर्मचारी Key Management Personnel**		**नियंत्रक कंपनी की प्रायोजित संस्थाएं Sponsored Entities of Holding Company**	
	31-03-10	31-03-09	**31-03-10**	31-03-09	**31-03-10**	31-03-09
सेवा प्रदान करना/Rendering of Services	**23,229,301**	15,162,164	**0**	0	**379,100**	307,425
पारिश्रमिक/Remuneration	**0**	0	**763,262**	754,163		0
कार्यालय किराया और बिजली/ Office Rent & Lighting	**279,600**	279,600				
देय रकम/Amount payable	**672,505**	486,041				
प्राप्य रकम/Amount Receivable	**1,484,950**	1,403,519				

4. अग्रिम आय कर में प्रावधान घटाया गया है ।/Advance Income Tax is net of Provisions.

5. **अनुसूची VI के भाग II खण्ड (3) (ii) (ग) के अनुसार परिमाणात्मक सूचना/Quantitative information pursuant to Clause(3)(ii)(c) of Part II of Schedule VI:**

विवरण/Particulars	**31-03-2010**		31-03-2009	
	यूनिटें/Units (Pieces)	**रु./Rs.**	यूनिटें/Units (Pieces)	रु./Rs.
हार्डवेयर परीक्षण प्रभार/Hardware testing charges	**1,318**	**1,128,365**	3,932	2,600,565
रिटेल ऋण की अनुवर्ती कार्रवाई (नोटिसें, एस.एम.एस., दूरभाष कॉल)/Retail loan follow up (Notices, SMS & Tele calls)	**2,293,941**	**14,995,935**	1,718,333	11,955,262
मेलर आय / Mailer Dispatch Revenue	**130,390**	**586,755**	94,674	543,098
कार्ड वैयक्तीकरण आय/Card Personalisation Income	**1,117,096**	**6,746,186**	100,015	425,064

6. टी.डी.एस. के आंकडे पुष्टीकरण और समाधान के अधीन हैं। TDS figures are subject to confirmation and reconciliation.

7. निदेशक मंडल की राय में, सभी चालू आस्तियाँ, ऋण और अग्रिम पूर्णतया वसूली योग्य है । In the opinion of the board all the current assets, loans & advances are fully realisable.

8. **आस्थगित कर आस्ति में निम्नलिखित शामिल है/The deferred tax Asset comprises the following:**

विवरण/Particulars	**31-03-2010**	31-03-2009
आस्थगित कर आस्ति/Deferred Tax Asset		
अपलेखित प्रारंभिक व्यय/Preliminary Expenses w/off	**60,681**	124,185
उपदान और छुट्टी का नकदीकरण/Gratuity & Leave Encashment	**161,136**	72,225
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास/Depreciation of Fixed Assets	**15,026**	5,466
आस्थगित कर देयता/Deferred Tax Liability	**–**	
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास/Depreciation of Fixed Assets		0
निवल आस्थगित कर आस्ति/Net Deferred Tax Asset	**236,843**	201,875

9. **प्रति शेयर अर्जन विवरण/Earnings per share**

विवरण/Particulars	**31-03-2010**	31-03-2009
ईक्विटी शेयरों का नाममात्र मूल्य/Nominal value of Equity Shares	**10.00**	10.00
कर के बाद लाभ/Profit After Tax	**9,443,746**	6,968,970
वर्ष के दौरान बकाया ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या/Weighted average number of Equity shares outstanding during the year	**250,000**	250,000
मूल प्रति शेयर अर्जन/Basic earnings per share	**37.77**	27.88

10. अत्यंत लघु, लघु और मध्यम उद्यमों की बकाया देय राशि: शून्य (पिछला वर्ष: शून्य)/Outstanding dues to Micro, Small & Medium Enterprises: NIL (P.Y.: NIL)

11. जहाँ कहीं आवश्यक हो, पिछले वर्ष के आंकडों का पुन: परिकलन, पुन: वर्गीकरण और पुन: श्रेणीकरण किया गया है । The previous year's figures have been reworked, regrouped, rearranged and reclassified wherever necessary.

अनुसूची 1 **से** 10 **लेखों का अभिन्न भाग बनती हैं ।**/Schedules 1 to 10 form an integral part of accounts

---

कृते सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड/For Syndbank Services Ltd.

ह/Sd/
(बसंत सेठ/Basant Seth)
अध्यक्ष/Chairman

ह/Sd/
(वी. के. नागर/V. K. Nagar)
उपाध्यक्ष/Vice Chairman

ह/Sd/
(आर. रामचन्द्रन/R. Ramachandran)
निदेशक/Director

ह/Sd/
(आइ. विजय कुमार/I. Vijay Kumar)
निदेशक/Director

ह/Sd/
(टी. मुरलीधरन/T. Muralidharan)
निदेशक/Director

ह/Sd/
(जी. ए. शेणै/G. A. Shenai)
निदेशक/Director

ह/Sd/
(आर. के. खुराना/R. K. Khurana)
प्रबंध निदेशक/Managing Director

समान तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते शब्बीर और गणेश
सनदी लेखाकार
As per our report of even date
For SHABBIR AND GANESH
Chartered Accountants

ह/Sd/
(सीए गणेश वाइ./CA Ganesh Y.)
साझेदार, सदस्यता सं./Partner No. 207231

तारीख/Date : 15-04-2010
स्थान/Place : बेंगलूर/Bangalore

सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय: मणिपाल – 576 104

(सिंडिकेट बैंक की पूर्ण स्वामित्ववाली अनुषंगी संस्था)

Syndbank Services Ltd., Registered Office : Manipal – 576 104

(A Wholly owned Subsidiary of Syndicate Bank)

कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची VI के भाग IV के अनुसार विवरण

Statement Pursuant to Part IV of Schedule VI of the Companies Act, 1956

(रकम रुपये में/Amount in Rs.)

I.	**पंजीकरण के ब्यौरे**/Registration details	यू/U72300 के ए/KA2006 ओकेसीओ/OKCO38305		
	राज्य कूट/State Code	08		
	तुलन पत्र की तारीख/Balance Sheet Date :	31-03-2010		
II.	**वर्ष के दौरान जुटाई गई पूँजी/Capital raised during the year**			
	सार्वजनिक निर्गम/Public Issue	0.00	अधिकार निर्गम/Right Issue	0.00
	बोनस निर्गम/Bonus Issue	0.00	निज़ी तौर पर शेयर आबंटन/Private Placement	0.00
III.	**निधियों का संग्रहण और विनियोजन की स्थिति** **Position of Mobilisation and Deployment of Funds**			
	कुल देयताएँ/Total Liabilities	22,785.39	कुल आस्तियाँ/Total Assets	22,785.39
	निधियों का स्रोत/Sources of Funds :			
	प्रदत्त पूँजी/Paid up Capital	2,500.00	आरक्षित निधि और अधिशेष/Reserves & Surplus	20,285.39
	जमानती ऋण/Secured loans	0.00	बेजमानती ऋण/Unsecured Loans	0.00
	निधियों का अनुप्रयोग/Application of Funds :			
	निवल अचल आस्तियाँ/Net Fixed assets	363.74	निवेश/Investments	0.00
	विविध व्यय/Misc. Expenditure	0.00	संचित हानि/Accumulated losses	0.00
	निवल चालू आस्तियाँ/Net Current Assets	22,184.80	आस्थगित कर आस्ति/Deferred tax Asset	236.84
IV.	**कंपनी का निष्पादन/Performance of the Company**			
	आय/Income	24,968.16	व्यय/Expenditure	10,685.34
	कर से पहले लाभ/Profit before Tax	14,282.82	कर के बाद लाभ/Profit after Tax	9,443.75
	प्रति शेयर अर्जन (रुपये में)/Earnings per share Rs.	37.77	लाभांश की दर/Dividend rate %	0.00
V.	**कंपनी के तीन प्रमुख उत्पादों/सेवाओं के सामान्य नाम** **Generic names of three principal products/ services of the company**			
	मद कूट/Item Code No. (ITC Code)	लागू नहीं/N A		
	उत्पाद के ब्यौरे/Product description	सेवाएँ/Services		

कृते सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड/For Syndbank Services Ltd.

समान तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते शब्बीर और गणेश
सनदी लेखाकार
As per our report of even date
For SHABBIR AND GANESH
Chartered Accountants

ह/Sd/
(बसंत सेठ/Basant Seth)
अध्यक्ष/Chairman

ह/Sd/
(वी. के. नागर/V. K. Nagar)
उपाध्यक्ष/Vice Chairman

ह/Sd/
(आर. रामचन्द्रन/R. Ramachandran)
निदेशक/Director

ह/Sd/
(आइ. विजय कुमार/I. Vijay Kumar)
निदेशक/Director

ह/Sd/
(टी. मुरलीधरन/T. Muralidharan)
निदेशक/Director

ह/Sd/
(जी. ए. शेणै/G. A. Shenai)
निदेशक/Director

ह/Sd/
(सीए गणेश वाइ./CA Ganesh Y.)
साझेदार, सदस्यता सं./Partner No. 207231

ह/Sd/
(आर. के. खुराना/R. K. Khurana)
प्रबंध निदेशक/Managing Director

तारीख/Date : 15-04-2010
स्थान/Place : बेंगलूर/Bangalore

सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय: मणिपाल – 576 104

(सिंडिकेट बैंक की पूर्ण स्वामित्ववाली अनुषंगी संस्था)

Syndbank Services Ltd., Registered Office : Manipal – 576 104

(A Wholly owned Subsidiary of Syndicate Bank)

दि. 31-03-2010 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31-03-2010

(रकम रुपये में/Amount in Rs.)

ब्यौरे/Particulars	2009 – 10	2008 – 09
परिचालन क्रियाकलापों से नकदी उपलब्धता/CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES		
कराधान से पहले निवल लाभ और असाधारण मदें Net Profit before tax & extraordinary items:	**14,282,818**	10,191,283
समायोजन:/Adjustment for :		
मूल्यह्रास/Depreciation	**159,222**	204,763
प्रारंभिक व्यय/Preliminary Exps.	**2,757**	–
उपदान के लिए प्रावधान/Gratuity Provision	**151,141**	158,794
सा. छु. के नकदीकरण हेतु प्रावधान/PL Encashment Provision	**121,466**	846
ब्याज आय/interest Income	**(1,291,710)**	(621,450)
कार्यशील पूंजी के परिवर्तन से पहले परिचालन लाभ/Operating Profit Before Working Capital Changes	**13,425,694**	9,934,236
विविध देनदार/Sundry Debtors	**63,395**	(519,504)
अन्य चालू आस्तियां/Other Current Assets	**(22,567)**	(289,227)
ऋण और अग्रिम/Loans & Advances	**339,978**	1,794
चालू देयताएं/Current Liabilites	**224,269**	225,253
परिचालन से सृजित नकद/Cash Generated from Operations	**14,030,769**	9,352,552
प्रदत्त कर (आय कर और एफ. बी.टी.)/Taxes paid (Income Tax and FBT)	**(5,871,226)**	(4,100,347)
असाधारण मदों के पहले नकदी प्रवाह/Cash Flow Before Extraordinary Items	**8,159,543**	5,252,205
असाधारण मदें/Extraordinary Items	**–**	–
परिचालन क्रियाकलापों से निवल नकद/Net Cash from Operating Activities	**8,159,543**	5,252,205
निवेश क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह/Cash Flow From Investing Activities		
अचल आस्तियों की खरीद/Purchase of Fixed Assets	**(26,690)**	(163,062)
प्राप्त ब्याज/Interest Received	**1,291,710**	621,450
निवेश क्रियाकलापों से निवल नकद/Net Cash from Investing Activities	**1,265,020**	458,388
वित्तीयन क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह/Cash flow from Financing Activities		
सावधि जमाराशि की जमानत पर ऋण Loan Against FD	**100,000**	
चुकाये गए ऋण Loan Repaid	**(100,000)**	
नकद और नकदी स्वरूप की आस्तियों में निवल वृद्धि/Net Increase In Cash & Cash Equivalents	**9,424,564**	5,710,593
वर्ष के प्रारंभ में नकदी और नकदी के समतुल्य मदें Cash & Cash Equivalents at the beginning of the year	**11,213,444**	5,502,851
वर्ष के अंत में नकदी और नकदी के समतुल्य मदें/Cash & Cash Equivalents at the end of the year	**20,638,007**	11,213,444
नोट: नकदी प्रवाह विवरण को नकदी प्रवाह विवरणों से संबंधित लेखाकरण मानक – 3 में निर्धारित ''परोक्ष पद्धति'' के अंतर्गत तैयार किया गया है, जो कंपनी अधिनियम 1956 कि धारा 211 कि उप–धारा (3ग) के अंतर्गत अधिसूचित है। **Note:** The Cash Flow Statement has been prepared under the "Indirect Method" as set out in Accounting Standard-3 on Cash Flow Statements, notified under sub-section(3C) of Section 211 of the Companies Act, 1956.		

कृते सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड/For Syndbank Services Ltd.

समान तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते शब्बीर और गणेश
सनदी लेखाकार
As per our report of even date
For SHABBIR AND GANESH
Chartered Accountants

ह/Sd/
(बसंत सेठ/Basant Seth)
अध्यक्ष/Chairman

ह/Sd/
(वी. के. नागर/V. K. Nagar)
उपाध्यक्ष/Vice Chairman

ह/Sd/
(आर. रामचन्द्रन/R. Ramachandran)
निदेशक/Director

ह/Sd/
(आइ. विजय कुमार/I. Vijay Kumar)
निदेशक/Director

ह/Sd/
(टी. मुरलीधरन/T. Muralidharan)
निदेशक/Director

ह/Sd/
(जी. ए. शेणै/G. A. Shenai)
निदेशक/Director

ह/Sd/
(सीए गणेश वाइ./CA Ganesh Y.)
साझेदार, सदस्यता सं./Partner No. 207231

ह/Sd/
(आर. के. खुराना/R. K. Khurana)
प्रबंध निदेशक/Managing Director

तारीख/Date : 15-04-2010
स्थान/Place : बेंगलूर/Bangalore

प्रिय शेयरधारक,

विषय: ई.सी.एस. (जमा) के माध्यम से लाभांश का भुगतान/खाते में सीधा जमा।

1. कभी-कभी शेयरधारकों को डाक के जरिए वारंटों के प्रेषण द्वारा लाभांश के भुगतान की मौजूदा प्रणाली के अधीन निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
   क) प्रेषण में हानि
   ख) तृतीय पक्ष द्वारा कपटपूर्ण भुनाई
   ग) डाक में देरी
2. इन समस्याओं से बचने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने लाभांशों/ ब्याज इत्यादि के भुगतान के लिए इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस (ई सी एस) की शुरूआत की है, जो शेयरधारकों के लिए उनके बैंक खातों में लाभांशों की समयोचित सीधे जमा सुनिश्चित करता है।
3. आगे, भारतीय प्रतिभूति और एक्स्चेंज बोर्ड ने निदेश दिया है कि लाभांशों के वितरण के लिए ईसीएस सुविधा अनिवार्य है।
4. ई सी एस के अधीन शेयरधारक सदस्य के बैंक खाते में लाभांश की रकम जमा की जाएगी। भुगतान का अनुदेश शाखा के जरिए इलेक्ट्रानिक रूप से समाशोधन प्राधिकारी (भारतीय रिजर्व बैंक) को जारी किया जाएगा तथा समाशोधन प्राधिकारी उस शाखा को जमा सूचना प्रेषित करेगा जहाँ शेयरधारक सदस्य ने अपना खाता रखा है। संबंधित शाखा खाते में रकम जमा करेगी तथा जमा प्रविष्टि को पासबुक/ खाता विवरण में ई सी एस के रूप में सूचित करेगी। इस व्यवहार को कार्यान्वित करने के बाद बैंक शेयरधारक सदस्य को सीधे एक सूचना पत्र जारी करेगा।
5. संप्रति, यह सुविधा कुछ विशिष्ट (फिलहाल 81) केन्द्रों में स्थित बैंकों में खाता रखनेवाले शेयरधारकों को उपलब्ध है और भा.रि.बैं. इस सुविधा को अन्य केन्द्रों में भी शुरू करनेवाला है। विशेष रूप से ई सी एस सुविधा प्राप्त करने के लिए, शेयरधारक सदस्य के लिए नया बैंक खाता खोलना आवश्यक नहीं है। क्योंकि शेयरधारक सदस्य के किसी भी मौजूदा बैंक खाते में रकम जमा की जाएगी।
6. **हमने लाभांशों के भुगतान के लिए यह सुविधा शुरू की है और आप से अनुरोध करते हैं कि आप अपने स्वयं के हित में यह सुविधा उपलब्ध करें। कृपया यह नोट करें कि यह केवल भुगतान का एक अतिरिक्त प्रकार है और यह वैकल्पिक है।**
7. कृपया नोट करें कि यदि आपने बैंक विवरण का कोई अधिदेश, निर्देश, वारंटों के अग्रभाग पर मुद्रित कराने हेतु पहले प्रस्तुत किया है तो उसे निरस्त समझा जाएगा और ई सी एस अधिदेश दर्ज किया जाएगा यदि आपने ई सी एस के लिए विकल्प दिया है।
8. **हम एतद्द्वारा एक ई सी एस अधिदेश फार्म संलग्न कर रहे हैं और आपसे अनुरोध है कि अपने बैंक खाते का पूरा ब्यौरा उसमें प्रस्तुत करें जहाँ लाभांश की रकम जमा की जानी है। अधिदेश फार्म में दी जाने वाली सूचना सही, पूर्ण होनी चाहिए और बेहतर होगा यदि वह आपके बैंक द्वारा प्रमाणित की गई हो (अनिवार्य नहीं)। कृपया अपने बैंक द्वारा जारी एक चेक की फोटो प्रति या रद्द किया गया कोरा चेक संलग्न करें ताकि चेक के निचले हिस्से में सूचित एम आई सी आर कूट पंक्ति (कोड लाईन) की यथातथ्यता सत्यापित की जा सके।**
9. **सिंडिकेट बैंक की सभी शाखाएं सी.बी.एस. (कोर बैंकिंग/सोल्यूशन) परिवेश में कार्य कर रहीं है। हमारे पास बचत बैंक/चालू खाता/ओवरड्राफ्ट खाता रखने वाले निवेशकों कि अनुरोध है कि वे संलग्न बैंक अधिदेश में अपनी 14 अकों वाली खाता संख्या प्रस्तुत करें ताकि लाभांश को सीधे आपके खाते में जमा किया जा सके।**
10. कृपया ई सी एस फार्म को विधिवत भर कर सीधे हमारे रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजंट अर्थात **मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड,** यूनिट: सिंडिकेटबैंक, प्लॉट सं. 17 से 24, विट्ठलराव नगर, माधापुर, हैदराबाद – 500 081 को अग्रेषित करें।
11. आपके द्वारा दी गई सूचना गुप्त रखी जाएगी और केवल भविष्य में लाभांश वारंटों पर कार्रवाई के उद्देश्य से ही इस सूचना का उपयोग किया जाएगा।

भवदीय,

रवि

(आर. रवि)

दिनांक: 27-05-2010

कंपनी सचिव

Dear Shareholder,

Sub: Payment of Dividend through ECS (Credit) /Direct Credit to the account.

1. At times, the Shareholders may face the following problems under the present system of payment of dividend by mailing of warrants, through post.
   a) Loss in transit
   b) Fraudulent encashment by third parties
   c) Postal delay
2. To avoid these problems, the Reserve Bank of India has introduced the Electronic Clearing Service (ECS) for payment of dividend/ interest etc. that ensures the shareholders timely credit of dividends directly into their Bank Account.
3. Further, the Securities & Exchange Board of India (SEBI) have directed that the use of ECS facility for distribution of dividend is mandatory.
4. Under ECS, the Bank Account of the Shareholder member would be credited with the dividend amount. Payment instructions would be issued electronically through the branch to the Clearing Authority (RBI) and the Clearing Authority would supply credit reports to the branch at which the shareholder member maintains the account. The concerned branch will credit the amount to the account and indicates the credit entry as ECS in the Pass Book / Statement of Account. The Bank would be issuing an advice directly to the shareholder member after the transaction is effected.
5. This facility is presently available to shareholders having Bank Account with all Banks at certain specified centres (81 at present) and RBI is proposing to extend this facility to other centres as well. The shareholder member need not open any new Bank Account specially for availing ECS facility, as credit will be given to any existing Bank Account of the shareholder member.
6. **This facility has been introduced for payment of Dividends and we would request you to avail this facility in your own interest. Please note that this is only an additional mode of payment and is optional.**
7. Kindly note that if any mandate instructions of Bank particulars for printing on the face of warrants have been furnished earlier by you, the same will stand cancelled and the ECS mandate will be taken on record, in case you opt for ECS.
8. **The 'ECS Mandate Form' is annexed and we request you to furnish the details of your Bank Account, where the dividend is to be credited. The information to be supplied in the Mandate should be accurate, complete and it would be better (not compulsory) if certified by your Bank. Please attach a photocopy of a cheque or a blank cancelled cheque issued by your Bank for verifying the accuracy of the MICR Code Line indicated at the bottom of the cheque.**
9. **All the branches of Syndicate Bank are operating under CBS (Core Banking Solutions) environment. The investors maintaining their Savings Bank/ Current/ Overdraft accounts with us are requested to provide us their 14 digit account number in the Bank Mandate (annexed) for <u>DIRECT CREDIT</u> of dividend to their accounts.**
10. Kindly send the ECS Form/ Bank Mandate duly filled, directly to our Registrars and Share Transfer Agents viz. **M/s. Karvy Computershare Pvt. Ltd. UNIT: Syndicate Bank,** Plot No. 17 to 24, Vithal Rao Nagar, Madhapur, Hyderabad – 500 081.
11. The information provided by you will be kept confidential and would be utilised only for the purpose of remitting the future dividend payments.

Yours faithfully,

(R. RAVI)

Date: 27-05-2010

COMPANY SECRETARY

सिंडिकेटबैंक
SyndicateBank
विश्वसनीय. मैत्रीपूर्ण
Faithful. Friendly
भारत सरकार का उपक्रम A Govt. of India Undertaking

इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस (क्रेडिट)
ईक्विटी शेयरों पर लाभांश के भुगतान के लिए ई सी एस अधिदेश फार्म
ELECTRONIC CLEARING SERVICE (CREDIT)
ECS MANDATE FORM FOR PAYMENT OF DIVIDEND ON EQUITY SHARES

मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड	M/s Karvy Computershare Pvt. Ltd.
यूनिट : सिंडिकेट बैंक	Unit : SyndicateBank
प्लॉट सं. 17 से 24	Plot No. 17 to 24
विट्ठलराव नगर, माधापुर	Vithalrao Nagar, Madhapur
हैदराबाद – 500 081	Hyderabad – 500 081

1. प्रथम शेयरधारक का नाम (बड़े अक्षरों में)
   First Shareholder's Name (IN BLOCK LETTERS) :

2. पता/Address :

3. शेयरधारक की फोलियो संख्या/Shareholder's Folio No. :

4. बैंक खाते का विवरण/Particulars of Bank Account :

   क) बैंक का नाम
   A) Bank Name :

   ख) शाखा का नाम तथा शहर (पिन कूट)
   B) Branch Name & City (Pin Code) :

   ग) खाता संख्या (चेक बुक पर जो लिखा गया है)
   C) Account No. (as appearing on the cheque book) :

   घ) खाते का प्रकार (कृपया सही का निशान लगाएं)
   D) Account Type (Please tick) : ब.बैं. SB ☐ चालू Current ☐ नकदी उधार Cash Credit ☐
   (बचत बैंक खाता, चालू खाता या नकदी उधार)
   (SB Account, Current A/c or Cash Credit) :

   ङ) बैंक खाते का खाता बही पन्ना (यदि चेक बुक पर दिया गया है)
   E) Ledger Folio No. of the Bank A/c
   (If appearing on the Cheque Book) :

   च) बैंक द्वारा जारी किये गए एम आई सी आर चेक पर दिया हुआ बैंक तथा शाखा की 9 अंकवाली कूट संख्या
   F) 9-Digit Code No. of the Bank & Branch appearing on the MICR Cheque issued by the Bank : ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐

कूट संख्याओं की शुद्धता सत्यापित करने के लिए कृपया अपने बैंक द्वारा जारी किए गए अपने उपर्युक्त खाते से संबंधित चेक पन्ने की एक फोटोप्रति या एक कोरा निरस्त चेक संलग्न करें ।

Please attach a photocopy of the 'Cheque Leaf' or a blank cancelled cheque issued by your Bank relating to your above account for verifying the accuracy of the code numbers.

घोषणा DECLARATION

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ /करती हूँ कि उपर्युक्त विवरण पूर्ण एवं सही हैं । अपूर्ण या गलत सूचना के कारण यदि लेनदेन में विलंब होता है या सम्पन्न ही नहीं किया जाता है तो मैं सिंडिकेटबैंक को उत्तरदायी नहीं ठहराऊँगा/ ठहराऊँगी ।

I, hereby declare that the particulars given above are correct and complete. If the transaction is delayed or not effected at all for reasons of incomplete or incorrect information, I would not hold SyndicateBank responsible.

स्थान/Place:

दिनांक/Date:

प्रथम शेयरधारक के हस्ताक्षर
Signature of the First Shareholder

प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर प्रस्तुत विवरण हमारे अभिलेखों के अनुसार सही हैं ।
Certified that the particulars furnished above are correct as per our records.

स्थान/Place:

दिनांक/Date:

संबंधित बैंक के प्रबंधक के हस्ताक्षर
Signature of the Manager of Bank Concerned

टिप्पणी: शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपनी फोलियो संख्या का उल्लेख अवश्य करें ।
NOTE : Shareholders are requested to furnish their Folio No. without fail.

सिंडिकेटबैंक SyndicateBank
विश्वसनीय. मैत्रीपूर्ण Faithful. Friendly
भारत सरकार का उपक्रम A Govt. of India Undertaking

फॉर्म 2 बी

(नियम 4 सीसीसी एवं 5 डी देखें)

नामांकन प्रपत्र

(उन व्यक्तियों द्वारा भरा जाए जो अकेले या संयुक्त रूप से आवेदन कर रहे हैं)

मैं/हम .... और ....
और .... जो सिंडिकेट बैंक के फोलियो नं. .... के अन्तर्गत शेयरधारक हूँ/हैं एतद्‌द्वारा निम्न व्यक्ति(यों) को नामित करता हूँ/करते हैं, जिन्हें मेरी अथवा हमारी मृत्यु होने पर शेयरों के मामले में अंतरण और/ अथवा देय रकम के बारे में सभी अधिकार होंगे ।

नामिती का नाम और पता

नाम : ____

पता : ____

____

जन्म तिथि* (* यदि नामिती नाबालिग हो)

**नामिती नाबालिग, जिसका संरक्षक ____

नाम और पता ____

____

** (यदि लागू नहीं है तो काट दीजिए)

हस्ताक्षर : ....

नाम : ....

पता : ....

....

दिनांक :

हस्ताक्षर : ....

नाम : ....

पता : ....

दिनांक:

गवाह का पता, नाम और हस्ताक्षर

नाम और पता	दिनांक सहित हस्ताक्षर
1. ____________________	____________________
2. ____________________	____________________

अनुदेश:

1. नामांकन केवल वे लोग कर सकते हैं जो अपने ही नाम पर या संयुक्त रूप से शेयर के लिए आवेदन करते हैं/शेयर रखते हैं। सोसाइटी, न्यास, संस्था, नैगम, साझेदार फर्म, अविभाजित हिंदू परिवार का कर्ता, मुख्तारनामा रखने वाला जैसै गैर व्यक्ति नामित नहीं हो सकते हैं । यदि शेयर संयुक्त रूप से रखे जाते हैं, तो सभी संयुक्त धारक नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे। नमूने के लिए जगह दी गयी है। यदि कई संयुक्त धारक हैं तो अधिक पन्ने लगाये जा सकते है, जिस पर शेयर धारक व गवाह हस्ताक्षर करेंगे ।
2. नाबालिग को नामित किया जा सकता है, और उस स्थिति में तब उसके संरक्षक का नाम व पता धारक द्वारा दिया जाए ।
3. सोसायटी, न्यास, संस्था, नैगम, साझीदार फर्म, अविभाजित हिंदू परिवार का कर्ता, मुख्तारनामा रखने वाला जैसे गैर व्यक्ति नामित नहीं हो सकते हैं । एक अनिवासी भारतीय प्रत्यावर्तनीय आधार पर नामिति हो सकता है ।
4. शेयर के अंतरण पर नामांकन समाप्त हो जाएगा ।
5. नामिती के पक्ष में शेयरों के अंतरण उसके कानूनी वारिस के प्रति बैंक का वैध उन्मोचन होगा।
6. नामांकन/नामांकन प्रपत्र के बारे में दी जानेवाली सूचना बैंक/रजिस्ट्रार एवं बैंक के शेयर अंतरण एजेंट के पास दो प्रतियों में भरी जाए जो उसकी एक प्रति शेयरधार को वापस लौटा देंगे।

कार्यालय उपयोग हेतु

क्र. सं. .... नामांकन प्रपत्र दिनांक .... को प्राप्त किया

पंजीकरण सं. .... दिनांक: ....

टिप्पणी: ....

....

सिंडिकेटबैंक
SyndicateBank
भारत सरकार का उपक्रम A Govt. of India Undertaking

FORM 2B

(See rules 4 CCC and 5 D)

NOMINATION FORM

(To be filled in by individual(s) applying singly or jointly)

I/We .... and ....
and .... the holder(s) of shares under the Folio No. .... of SyndicateBank wish to make a nomination and do hereby nominate the following person(s) in whom all rights of transfer and/or amount payable in respect of shares shall vest in the event of my or our death.

Name and Address of Nominee

Name : ____________________

Address : ____________________

____

Date of Birth* (* To be furnished in case the nominee is a minor)

**The Nominee is a minor whose guardian is ____________________

Name and Address: ____________________

____

(** To be deleted if not applicable)

Signature : ....

Name : ....

Address : ....

....

Date :

Signature : ....

Name : ....

Address : ....

Date:

Address, name and signature of witnesses :

Name and Address	Signature with date
1. ____________________	____________________
2. ____________________	____________________

Instructions:

1. The Nomination can be made by individuals only applying/ holding shares on their own behalf singly or jointly. Non-individuals including society, trust, body corporate, partnership firm, Karta of Hindu undivided family, holder of power of attorney cannot nominate. If the shares are held jointly, all joint holders will have to sign the nomination form. Space is provided as a specimen, if there are more joint holders more sheets can be added for signatures of holders of shares and witness.
2. A minor can be nominated by a holder of shares and in that event the name and address of the guardian shall be given by the holder.
3. The nominee shall not be a trust, society, body corporate, partnership firm, Karta of Hindu undivided family or a power of attorney holder. A non-resident Indian can be a nominee on repatriable basis.
4. Nomination stands rescinded upon transfer of shares.
5. Transfer of shares in favour of a nominee shall be a valid discharge by the BANK against the legal heir.
6. The intimation regarding nomination /nomination form shall be filed in duplicate with Bank/Registrar & Share Transfer Agents of the Bank who will return one copy thereof to the shareholder.

FOR OFFICE USE

SL.NO. .... NOMINATION FORM RECEIVED ON ....
REGISTRATION NO. .... DATE: ....
REMARKS: ....
....

सिंडिकेटबैंक SyndicateBank
विश्वसनीय. मैत्रीपूर्ण Faithful. Friendly
भारत सरकार का उपक्रम A Govt. of India Undertaking

उपस्थिति पर्ची

(बैठक के स्थान पर प्रवेश करते समय प्रस्तुत की जाए)

दिनांक : 25 जून, 2010

समय : प्रात: 11.30 बजे

स्थान : सिंडिकेटबैंक स्वर्ण जयंती सभाभवन, मणिपाल

बैंक की 11वीं वार्षिक आम बैठक में मैं एतद्द्वारा अपनी उपस्थिति दर्ज करता/करती हूँ

उपस्थित शेयरधारक/प्रॉक्सी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर	
पंजीकृत फोलियो	**डीपी आइडी:**
	ग्राहक आइडी:
(यदि बेकागजीकृत नहीं हो)	(यदि बेकागजीकृत हो)
शेयरधारक का नाम	
शेयरों की संख्या	

सिंडिकेटबैंक SyndicateBank
विश्वसनीय. मैत्रीपूर्ण Faithful. Friendly
भारत सरकार का उपक्रम A Govt. of India Undertaking

प्रवेश पत्र

(बैठक के अंत तक रखा जाए)

उपस्थित शेयरधारक/प्रॉक्सी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर	
पंजीकृत फोलियो	**डीपी आइडी:**
	ग्राहक आइडी:
(यदि बेकागजीकृत नहीं हो)	(यदि बेकागजीकृत हो)
शेयरधारक का नाम	
शेयरों की संख्या	

शेयरधारक/प्रॉक्सी या शेयरधारकों के प्रतिनिधि से अनुरोध किया जाता है कि वे बैठक के स्थान पर प्रवेश करते समय, उपर्युक्त उपस्थिति-पर्ची, जिस पर बैंक के पास पंजीकृत उनके नमूना हस्ताक्षर के अनुरूप विधिवत् हस्ताक्षर किए गये हों, तथा प्रवेश-पत्र प्रस्तुत करें। आवश्यकता पड़ने पर, उपर्युक्त का सत्यापन/परीक्षण किया जाएगा। किन्हीं भी परिस्थितियों में बैठक के प्रवेश द्वार पर अनुलिपि उपस्थिति पर्ची जारी नहीं की जाएगी।

ATTENDANCE SLIP

(to be surrendered at the time of Entry to the Venue)

Date : 25th June, 2010

Time : 11.30 a.m.

Place : SyndicateBank Golden Jubilee Auditorium, Manipal

I hereby record my presence at the 11th Annual General Meeting of the Bank.

Signature of the Shareholder/ Proxy/ Representative present	
Regd. Folio	**DP ID**
	Client ID
(If not dematerialised)	(If dematerialised)
Name of the Shareholder	
Number of Shares	

ENTRY PASS

(to be retained throughout the meeting)

Signature of the Shareholder/Proxy/ Representative present	
Regd. Folio	**DP ID**
	Client ID
(If not dematerialised)	(If dematerialised)
Name of the Shareholder	
Number of Shares	

Shareholders / proxy or authorised representative of shareholders are requested to produce the above Attendance Slip, duly signed in accordance with their specimen signatures registered with the Bank, alongwith the entry pass, for admission to the venue. The admission will, however, be subject to verification/checks, as may be deemed necessary. Under no circumstances, any duplicate Attendance Slip will be issued at the entrance to the meeting.

सिंडिकेटबैंक SyndicateBank
विश्वसनीय. मैत्रीपूर्ण Faithful. Friendly
भारत सरकार का उपक्रम A Govt. of India Undertaking

प्रिय शेयरधारक,

संदर्भ: अप्रदत्त लाभांश

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम और वित्तीय संस्था विधि (संशोधन) अधिनियम 2006 (दि. 16-10-2006 से लागू) की शर्तों के अनुसार उन लाभांश जो अप्रदत्त लाभांश खाते में अंतरित करने की तारीख से 7 वर्ष की अवधि तक बैंक के पास अदत्त रह जाते हैं उनको कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 205 सी की उप-धारा (1) के अंतर्गत स्थापित निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित किया जाना है।

उपर्युक्त मार्गदर्शी सिद्धांतों का पालन करते हुए ऐसी सभी धनराशियों जो सात वर्ष की अवधि के लिए अप्रदत्त या अदावी रहती है उन्हें दि. 16-10-2013 से निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित किया जाएगा।

बैंक वर्ष 2000 से हर वर्ष लाभांश की घोषणा करता रहा है। **जिन शेयरधारकों ने वर्ष 1999-2000, 2000-01, 2001-02, 2002-03, के लिए लाभांश वारंट, वर्ष 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08 तथा 2008-09 के लिए अंतरिम/अंतिम लाभांश वारंटों को भुनाया हो उनसे अनुरोध है कि वे अपने अप्रदत्त लाभांशों का दावा करने के लिए बैंक के निवेशक संपर्क केन्द्र, नैगम कार्यालय, बेंगलूर से संपर्क करें।**

भवदीय,

रवि

कंपनी सचिव

दिनांक: 27-05-2010

Dear Shareholder,

Re: Unpaid Dividends

In terms of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) and Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 2006 (which has come into force from 16-10-2006), the dividends remaining unpaid with the Bank for a period of 7 years from the date of transfer to Unpaid Dividend account, are liable to be transferred to Investor Education and Protection Fund established under sub-section (1) of Section 205C of the Companies Act, 1956.

In compliance of the above guidelines, all such monies remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years shall be transferred to the Investor Education and Protection Fund, commencing from 16-10-2013.

The Bank has a track record of declaring dividends every year since the year 2000. **Such of those shareholders, who have not encashed their Dividend Warrants for the year(s) 1999-2000, 2000-01 2001-02, 2002-03, Interim/Final Dividend Warrants 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08 and 2008-2009 are requested to approach Investor Relations Centre of the Bank at Corporate Office, Bengaluru for assistance in claiming their unpaid dividends.**

Yours faithfully,

Company Secretary

Date: 27-05-2010

नैगम कार्यलय : गाधीनगर, बेंगलूर – 560 009

निवेशक संबंध केन्द्र

दूरभाष : 22283030, फैक्स : 22268717, ई-मेल : inrc@syndicatebank.co.in

देखें हमारा वेबसाइट: www.syndicatebank.in टॉल फ्री सं. : 1800 425 6655

शिकायत पंजीकरण फॉर्म

दिनांक :

1) **शेयरधारक का नाम व पता**

____

____

____

2) **दूरभाष सं./ई-मेल आइडी** ____

3) **फोलियो सं/डी.पी.आइ.डी. और ग्राहक आइ.डी. के ब्यौरे:** __________________________

4) **बैंक अधिदेश :**

मेरे बैंक खाता संख्या संबंधी विवरण निम्नवत् हैं :

बैंक का नाम :

शाखा :

खाता सं. :

एम.आइ.सी.आर. कूट :

शेयरधारक के हस्ताक्षर

CORPORATE OFFICE: GANDHINAGAR, BENGALURU – 560 009

INVESTOR RELATIONS CENTRE

Ph: 22283030, Fax: 22268717, E-mail: inrc@syndicatebank.co.in

Visit us at: www.syndicatebank.in Toll Free No.1800 425 6655

GRIEVANCE REGISTRATION FORM

Date:

1) **Name & Address of the shareholder**

____

____

____

2) **Phone No./E-Mail ID:** ___________________________________

3) **Folio No./DP ID & Client ID particulars:** ________________________

4) **Bank Mandate:**

Details of my Bank account number are as under:

Name of the Bank

Branch

Account No.

MICR Code

Signature of the Shareholder

उन केंद्रों की सूची जहाँ लाभांश जमा करने की सुविधा उपलब्ध है
List of centers where ECS Facility for credit of Dividend is available

क्र. सं. केन्द्र का नाम Sl. No. Name of the Centre	क्र. सं. केन्द्र का नाम Sl. No. Name of the Centre
भा. रि. बैं. केन्द्र/RBI CENTRES	
1 अहमदाबाद/Ahmedabad	9 जयपुर/Jaipur
2 बेंगलूरू/BENGALURU	10 कानपुर/Kanpur
3 भुवनेश्वर/Bhubaneshwar	11 मुंबई/Mumbai
4 कोलकाता/Kolkata	12 नागपुर/Nagpur
5 चंडीगढ़/Chandigarh	13 नई दिल्ली/New Delhi
6 चेन्नइ/Chennai	14 पटना/Patna
7 गुवाहाटी/Guwahati	15 तिरुवनंतपुरम/Thiruvananthapuram
8 हैदराबाद/Hyderabad	
अन्य केन्द्र/OTHER CENTRES	
1 आगरा Agra	34 कोषिकोड़ Kozhikode
2 इलाहाबाद Allahabad	35 लखनऊ Lucknow
3 अमृतसर Amritsar	36 लुधियाना Ludhiana
4 औरंगाबाद Aurangabad	37 मदुरै Madurai
5 बड़ौदा Baroda	38 मंड्या Mandya
6 बेलगाम Belgaum	39 मंगलूर Mangalore
7 भिलवाड़ा Bhilwara	40 मैसूर Mysore
8 भोपाल Bhopal	41 नेल्लूर Nellore
9 बर्दवान Burdwan	42 नासिक Nashik
10 कोयंबत्तूर Coimbatore	43 पणजी Panaji
11 कटक Cuttack	44 पाँडिचेरी Pondicherry
12 दावणगेरे Davangere	45 पुणे Pune
13 देहरादून Dehradun	46 रायचूर Raichur
14 दुर्गापुर Durgapur	47 रायपुर Raipur
15 ईरोड़ Erode	48 राजकोट Rajkot
16 गदग Gadag	49 राँची Ranchi
17 गोरखपुर Gorakhpur	50 सेलम Salem
18 गुलबर्गा Gulbarga	51 शिलाँग Shillong
19 ग्वालियर Gwalior	52 शिमला Shimla
20 हासन Hassan	53 शिमोगा Shimoga
21 हल्दिया Haldia	54 शोलापुर Sholapur
22 हुबळी Hubli	55 सिलिगुड़ी Siliguri
23 इंदौर Indore	56 सूरत Surat
24 जबलपुर Jabalpur	57 तिरुपूर Tirupur
25 जालंधर Jalandhar	58 तिरुपति Tirupati
26 जम्मू Jammu	59 त्रिचूर Trichur
27 जामनगर Jamnagar	60 तिरुची Trichy
28 जमशेदपुर Jamshedpur	61 तुमकूर Tumkur
29 जोधपुर Jodhpur	62 उदयपुर Udaipur
30 काकिनाडा Kakinada	63 उडुपि Udupi
31 कण्णूर Kannur	64 वाराणसी Varanasi
32 कोच्ची/एर्णाकुलम Kochi / Ernakulam	65 विजयवाड़ा Vijaywada
33 कोल्हापुर Kolhapur	66 विशाखापट्टनम Visakhapatnam

This Page is Left Blank